स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017 - 18

विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण
Faithful. Friendly

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

www.syndicatebank.in

Rajbhasha Kirti Puraskar

14 सितंबर 2017 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद के करकमलों से हमारी गृह पत्रिका जागृति के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मेलविन रेगो।

Shri. Melwyn Rego, MD & CEO receiving Rajbhasha Kirti Puraskar (1st Prize) for Inhouse magazine "Jagriti" from Hon'ble President of India, Shri. Ram Nath Kovind on 14th September, 2017

हमारे संस्थापक
Our Founders

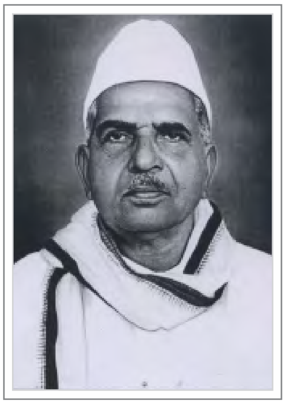

श्री उपेन्द्र अनंत पै
Sri Upendra Ananth Pai

डॉ. टी.एम.ए. पै
Dr. T.M.A. Pai

श्री वी.एस. कुडवा
Sri V.S. Kudva

सिंडिकेटबैंक की स्थापना भगवान श्री कृष्ण की निवास भूमि, तटीय कर्नाटक के उडुपि में मात्र 8000/– रुपए की पूंजी से तीन दूरदर्शियों – श्री उपेन्द्र अनंत पै, व्यवसायी, श्री वामन कुड्वा, इंजीनियर और डॉ टी.एम.ए.पै, डॉक्टर द्वारा 1925 में की गयी थी। इन तीनों में सामाजिक कल्याण के प्रति अडिग आस्था थी। इनका मुख्य उद्देश्य समाज से छोटी बचतों का संग्रह करके उन स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता पहुंचाना था, जो हथकरघा उद्योग में संकट के कारण संघर्ष का सामना कर रहे थे। बैंक, सन् 1928 में शुरु की गई पिग्मी जमा योजना के अधीन अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से जमाकर्ताओं के घर–घर पहुँच कर प्रतिदिन दो आने की मामूली रकम एकत्रित करता था। यह योजना आज बैंक की ब्रांड ईक्विटी बन गई है।

सिंडिकेटबैंक की प्रगति यात्रा, भारत में प्रगामी बैंकिंग के विभिन्न चरणों का पर्याय रहा है। अपनी मार्गदर्शन की भूमिका तथा दूरदर्शी नीतियों के बलबूते 92 वर्षों की लम्बी अवधि के दौरान बैंक ने अपने लिए दो से तीन पीढ़ियों के ग्राहकों से युक्त सुदृढ़ ग्राहक आधार का निर्माण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सुदृढ़ पकड़ और जमीनी हक़ीकत का व्यापक समझ होने के कारण बैंक के पास भारत के भविष्य की एक दूरदृष्टि है। बैंक अपनी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं का संरक्षण करते हुए तथा नई विचारधाराओं को अपनाते हुए बैंकिंग क्षेत्र में नवोन्मेषता लाने का प्रयास कर रहा है। बैंक और जनता दोनों के परस्पर अवलंबन द्वारा प्रगति प्राप्त करने के उसके तत्व–ज्ञान से बैंक को भारी लाभ हुआ है। बैंक द्वारा देश के विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किये जाने के साथ–साथ समावेशी विकास पर अनवरत ध्यान दिया जा रहा है।

सिंडिकेटबैंक का इतिहास

SyndicateBank History

सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में 21वीं सदी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए बैंक सन्नद्ध है। एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार की गयी है और अपने कार्यकलापों के हर क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि पाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है। बैंक ने, समाज के विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अपने उत्पादों एवं सेवाओं को उनके अनुकूल बनाया है। हमारी सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफार्म के अतंर्गत आती हैं। लंदन शाखा सहित देश भर में बैंक की 4013 शाखाएं और 4248 एटीएम हैं।

SyndicateBank was established in 1925 in Udupi, the abode of Lord Krishna in coastal Karnataka with a capital of ₹ 8000/- by three visionaries - Sri. Upendra Ananth Pai, a businessman, Sri. Vaman Kudva, an engineer and Dr. T.M.A. Pai, a physician - who shared a strong commitment to social welfare. Their objective was primarily to extend financial assistance to the local weavers who were crippled by a crisis in the handloom industry through mobilising small savings from the community. The Bank collected as low as two annas daily at the doorsteps of the depositors through its Agents under its Pigmy Deposit Scheme started in 1928. This scheme is the Bank's brand equity today.

The progress of SyndicateBank has been synonymous with the phase of progressive banking in India. Spanning over 92 years of pioneering expertise, the Bank has created for itself a solid customer base comprising customers of two to three generations. Being firmly rooted in rural India and understanding the grassroots realities, the Bank's perception had a vision of future India. It has been propagating innovations in Banking and has also been receptive to new ideas, without however getting uprooted from its distinctive socio-economic and cultural ethos. Its philosophy of growth by mutual sustenance of both the Bank and the people has paid rich dividends. The Bank has been operating as a catalyst of development and consistently focusing on inclusive growth across the country.

The Bank is well-equipped to meet the challenges of the 21st century in the areas of Information Technology, knowledge and competition. A comprehensive IT plan is in place and the skills and knowledge of the Bank's personnel are being upgraded through a variety of training programmes to promote customer delight in every sphere of its activity. The Bank has customised its products and services keeping in view the requirements of different strata of the society. All the Bank branches are covered under CBS platform. Bank is having 4013 branches including London Branch and 4248 ATMs across the country.

मणिपाल में प्रधान कार्यालय

Head Office building at Manipal

निदेशक मंडल
Board of Directors

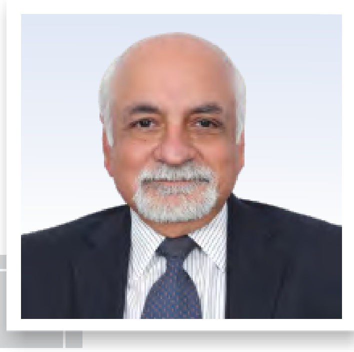

श्री अजय विपिन नानावटी
अध्यक्ष
Sri Ajay Vipin Nanavati
Chairman

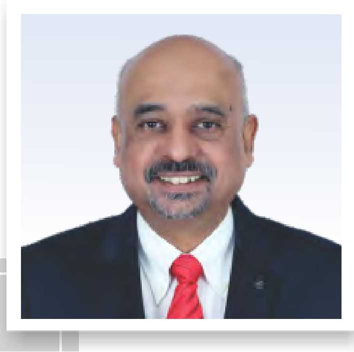

श्री मेलविन रेगो
प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ.
Sri Melwyn Rego
Managing Director & C.E.O.

श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव
कार्यपालक निदेशक
Sri CH S S Mallikarjuna Rao
Executive Director

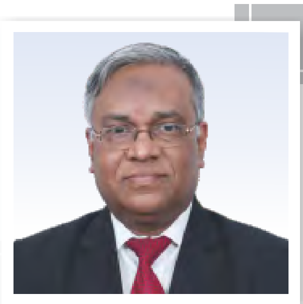

श्री एस कृष्णन
कार्यपालक निदेशक
Sri S Krishnan
Executive Director

श्री रा ना दुबे
निदेशक
Sri R N Dubey
Director

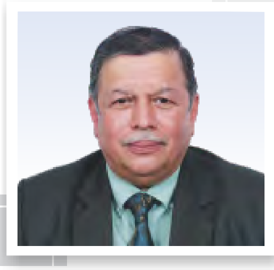

श्री जयंत गोखले
निदेशक
Sri Jayant Gokhale
Director

सुश्री वंदना कुमारी जेना
निदेशक
Ms Vandana Kumari Jena
Director

श्री जी रमेश
निदेशक
Sri G Ramesh
Director

श्री कमल किशोर सिंघल
निदेशक
Sri Kamal Kishore Singhal
Director

श्री सुनील वशिष्ठ
निदेशक
Sri Sunil Vashisht
Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री सीएच प्रभाकर राव
Sri Ch. Prabhakara Rao

महाप्रबंधक
General Managers

श्री अतुल कुमार
Sri Atul Kumar

श्री टी रवींद्रनाथ
Sri T Ravindranath

श्री उदय शंकर मजूमदार
Sri Uday Sankar Majumder

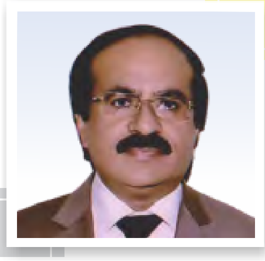

श्री मोहिंदर प्रताप नागपाल
Sri Mohinder Pratap Nagpal

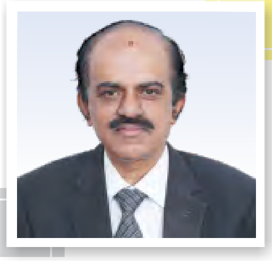

श्री एच भास्कर
Sri H Bhaskar

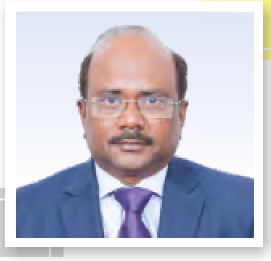

श्री वी अशोकन
Sri V Asokan

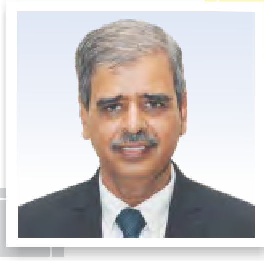

श्री एम मोहन रेड्डी
Sri M Mohan Reddy

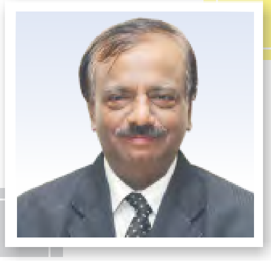

श्री के मंजुनाथ
Sri K Manjunath

श्री एम प्रसाद
Sri M Prasad

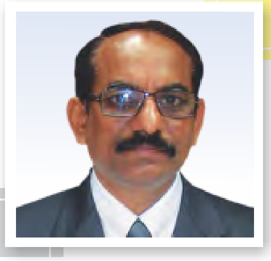

श्री अशोक रेड्डी नूकला
Sri Ashok Reddy Nukala

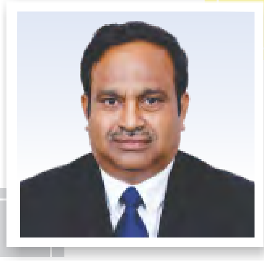

श्री के श्रीनिवास राव
Sri K Srinivasa Rao

महाप्रबंधक
General Managers

श्री सतीश कामत
Sri Sathish Kamath

श्री के जयकुमार
Sri K Jayakumar

श्री आर अशोकन
Sri R Ashokan

श्री सी बी एल नरसिंह राव
Sri C B L Narasimha Rao

श्री एस रवींद्रन
Sri S Ravindran

श्री एस पी शर्मा
Sri S P Sharma

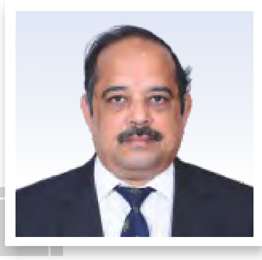

श्री जगन मोहन प्रह्लाद के
Sri Jagan Mohan Prahlad K

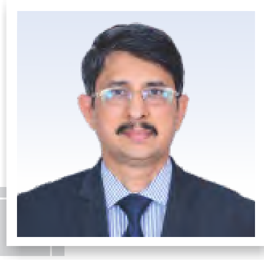

श्री मोहन राव जी
Sri Mohan Rao G

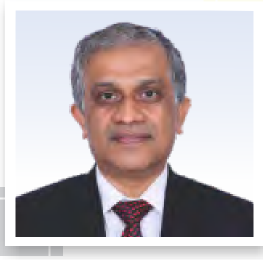

श्री ए स्टीवन वास
Sri A Steven Vas

श्री डी संपत कुमार चारी
Sri D Sampath Kumar Chary

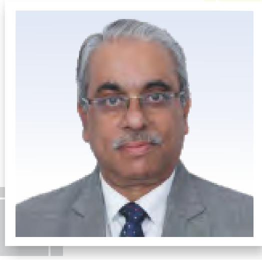

श्री मधु पी
Sri Madhu P

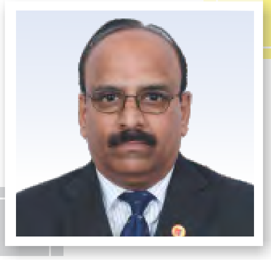

श्री आर अलगिरि सामी
Sri R Alagiri Samy

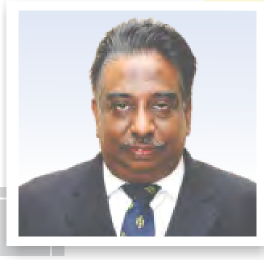

श्री शिव कुमारवेल
Sri Siva Kumaravel

आंतरिक लोकपाल
Internal Ombudsman

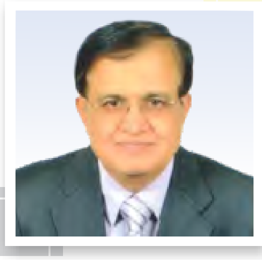

श्री के राम मूर्ति
Sri K Rama Murthy

1925 से आपका विश्वसनीय

Yours Faithfully since 1925

अपने धन
की वृद्धि करें
सुरक्षित
तरीके से !
पेश है
सिंड
500
मीयादी जमा*
*शर्तें लागू
सिंड 500 मीयादी जमा द्वारा अपने धन की वृद्धि करें। एक हजार से एक करोड़ रूपये से कम की राशि जमा कर सकते हैं। प्रति वर्ष 6.8%* की दर से ब्याज अर्जित करें।
टोल फ्री सं : 1800 3011 3333 | 1800 208 3333 | www.syndicatebank.in

Personal or professional, it's the perfect choice!

Open an account today.

Save today, enjoy your future!

Conditions apply

कार्यक्रम / Events

श्री मेलविन रेगो, सिंडिकेट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए।

Sri Melwyn Rego addressing staff at Corporate Office Bengaluru after joining SyndicateBank as MD & CEO.

बेंगलूरु में 92 वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर दीप प्रज्वलन करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

Lighting of the lamp by MD & CEO on the occasion of 92nd Foundation Day celebrations at Bengaluru.

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की बैठक (सीआईएसओ) के उद्घाटन सत्र में श्री एस कृष्णन, कार्यपालक निदेशक मुख्य बिंदु प्रस्तुत करते हुए।

Sri S. Krishnan, ED delivered the keynote address at the inaugural session of Chief Information Security Officers (CISO) Forum Meeting.

कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में स्वतंत्रता दिवस समारोह

Independence Day celebrations at Corporate Office, Bengaluru.

व्यापार विकास गतिविधियां
Business Development Activities

नोएडा में कारोबार प्रसार के लिए रोड शो का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखाओं के कर्मचारियों ने उत्पाद लीफलेट और ब्रौशर बाँटे।

Road Show to canvas business at Noida. Staff members from RO and branches distributed product leaflets and brochures.

मुंबई में कारोबार विकास गतिविधियों पर रोड शो।

Road Show for business development at Mumbai.

क्षेत्रीय कार्यालय मदुरै में एमएसएमई ऋण मेला।

MSME Loan Mela at RO Madurai.

सिंड वाहन को लोकप्रिय बनाने के लिए क्षे.का. उडुपि द्वारा आयोजित कार एक्सपो। ग्राहक को कार की चाबी प्रदान करते हुए।

Car Expo at RO Udupi to popularise SyndVahan.
Car keys being handed over to customer.

उद्यम आपका...
...भरोसा हमारा।
Your Enterprise...
...Our Support.
सिंडएमएसएमई
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए झंझटरहित, त्वरित ऋण
सिंडउद्योग
सिंडव्यापार
खुदरा व्यापार एवं सेवाएं
सिंडप्रोफेशनल
सिंड डॉक्टर
सिंडकॉन्ट्रैक्टर
शर्तें लागू
टोल फ्री सं : 1800 3011 3333 | 1800 208 3333 | www.syndicatebank.in

Your Dream...
Our Promise

SyndNivas
Home Loan

• Buy • Build • Renovate • Take-over

No Pre-payment Penalty

Quick Sanction

Repayment upto 30 Years

Low & Attractive Interest Rate

Conditions apply

Toll Free No.: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333 | www.syndicatebank.in

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ
Corporate Social Responsibility Activities

क्षे.का. मुरादाबाद में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों को शौचालय कुर्सियों का दान किया गया।

Donation of toilet chairs to Physically Challenged / Senior Citizen at RO Moradabad.

विशाखापट्टनम में वृद्धाश्रम के निवासियों को दैनिक उपयोगिता की वस्तुएँ सौंपी गई।

Handing over of daily utility items to Old Age Home inmates in Visakhapatnam.

बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सुश्री वेदा कृष्णमूर्ति को महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।

Bank felicitated Ms. Veda Krishnamurthy, Indian Women's Cricket Team member for her splendid performance during Women's Cricket World Cup.

बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सुश्री राजेश्वरी गायकवाड को महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।

Bank felicitated Ms. Rajeshwari Gayakwad, Indian Women's Cricket Team member for her splendid performance during Women's Cricket World Cup.

स्वच्छ भारत अभियान
Swachh Bharat Abhiyan

कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान।

Swachh Bharat Abhiyan at Corporate Office Bengaluru.

प्रधान कार्यालय, मणिपाल में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान।

Swachh Bharat Abhiyan at Head Office Manipal.

क्षे.का. कोयंबत्तूर में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान।

Swachh Bharat Abhiyan at RO Coimbatore.

क्षे.का. हैदराबाद में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान।

Swachh Bharat Abhiyan at RO Hyderabad.

शैक्षिक आकांक्षाओं को सशक्त बनाएँ
जितना कमाएँ उतना चुकाएँ

सिंड विद्या
छात्र–हितैषी शिक्षा ऋण योजना

सिंड सुपरविद्या
प्रमुख शिक्षण संस्थानों में दाखिले हेतु

सिंड विद्या अब्रॉड
विदेशों में अध्ययन हेतु

शर्तें लागू

टोल फ्री सं : 1800 3011 3333 | 1800 208 3333 | www.syndicatebank.in

Get set to own your family car!

SyndVahan
Car Loan

Toll Free No.: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333 | www.syndicatebank.in

श्री अरुण श्रीवास्तव, पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और श्री मोहन रेड्डी एम, महाप्रबंधक (एफआई एण्ड पीएससीडी), 'राष्ट्रीय आरसेटी दिवस 2017' के अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए।

Sri Arun Shrivastava, former MD & CEO and Sri Mohan Reddy M, General Manager (FI & PSCD) receiving Award of Excellence on the occasion of "National RSETI Diwas-2017".

महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभार्थियों को कार्यपालक निदेशक श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव एवं टी बाबू राव नायडू, जिलाध्यक्ष, कडप्पा जिला द्वारा चेक वितरित किए गए।

Cheque distribution to Women's Tailor Training programme beneficiaries by Executive Director Sri CH S S Mallikarjuna Rao & District Collector Sri T Babu Rao Naidu, Cuddapah District

दिनांक 7 अक्तूबर 2017 को बेंगलूरु में आयोजित मुद्रा प्रोत्साहन अभियान।

MUDRA Protsahan Abhiyan at Bengaluru on 7th October, 2017.

दिनांक 20.09.2017 को हमारी जयनगर, तीसरा ब्लॉक शाखा, बेंगलूरु में आधार सेवा केंद्र का लोकार्पण।

Launch of Aadhaar Seva Kendra at our Jayanagar 3rd Block branch, Bengaluru on 20.09.2017.

नए कार्यालयों/बैंकिंग आउटलेट का शुभारंभ
Opening of New Offices / Banking Outlets

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मेलविन रेगो द्वारा दिनांक 18.08.2017 को क्षेत्रीय कार्यालय, सिलिगुड़ी का उद्घाटन किया गया।

Inauguration of Siliguri RO on 18.08.2017 by MD & CEO Shri Melwyn Rego

दि. 11.07.2017 को आंध्रप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. चन्द्र बाबू नायडू द्वारा एपी सचिवालय शाखा का उद्घाटन किया गया।

Inauguration of AP Secretariat branch on 11.07.2017 by Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri N. Chandrababu Naidu.

दि. 11.10.2017 को सीईटी भुवनेश्वर शाखा का उद्घाटन किया गया।

Inauguration of CET Bhubaneswar Branch on 11.10.2017.

श्री मोहन रेड्डी, महा प्रबंधक (एफआई एण्ड पीएससीडी) द्वारा दिनांक 20.10.2017 को नायडू पेट शाखा का उद्घाटन किया गया।

Inauguration of Naidupet Branch on 20.10.2017 by General Manager (FI & PSCD), Sri Mohan Reddy.

खाते से भी बढ़कर, एक अनमोल रिश्ता है हमारे बीच !

सिंड सुप्रीम

प्रीमियम ग्राहकों के लिए
एक खास बचत खाता

खाते में ₹1 लाख या उससे अधिक मासिक
औसत शेष बनाए रखें और
हमारी प्रीमियम सुविधाओं का लाभ उठाएं!

*शर्तें लागू

टोल फ्री सं : 1800 3011 3333 | 1800 208 3333 | www.syndicatebank.in

Money at your fingertips.

Conditions apply

- Easy and quick processing
- Safety of your valuables

Toll Free No.: 1800 3011 3333 | 1800 208 3333 | www.syndicatebank.in

विषय सूची CONTENTS
वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017 – 2018

	पृष्ठ Page
• अध्यक्ष का संदेश Chairman Statement	3
• प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य Managing Director & CEO's Statement	6
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	17
• कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	81
• बासेल – III प्रकटीकरण – मार्च 2018 Basel III Disclosures – March 2018	143
• लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	167
• तुलन-पत्र Balance Sheet	170
• लाभ व हानि लेखा P & L Account	171
• लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts	172
• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Policies	178
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	189
• नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	209
• समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet	213
• सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited	256
• ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	267
• ईसीएस अधिदेश फॉर्म ECS Mandate Form	269
• फॉर्म 2बी Form 2B	271
• कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल: कागज़ रहित Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless	273
• पते में परिवर्तन का फॉर्म Change of Address Form	274
• अप्रदत्त लाभांश Unpaid Dividends	276

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री अजय विपिन नानावटी, *अध्यक्ष*	**Shri Ajay Vipin Nanavati,** *Chairman*
श्री मेलविन रेगो, *प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी*	**Shri Melwyn Rego,** *Managing Director and Chief Executive Officer*
श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव, *कार्यपालक निदेशक*	**Shri CH S S Mallikarjuna Rao,** *Executive Director*
श्री एस कृष्णन, *कार्यपालक निदेशक*	**Shri S Krishnan,** *Executive Director*
श्री रा ना दुबे, *निदेशक*	**Shri R N Dubey,** *Director*
श्री जयंत गोखले, *निदेशक*	**Shri Jayant Gokhale,** *Director*
सुश्री वंदना कुमारी जेना, *निदेशक*	**Ms. Vandana Kumari Jena,** *Director*
श्री जी रमेश, *निदेशक*	**Shri G Ramesh,** *Director*
श्री कमल किशोर सिंघल, *निदेशक*	**Shri Kamal Kishore Singhal,** *Director*
श्री सुनील वशिष्ठ, *निदेशक*	**Shri Sunil Vashisht,** *Director*

लेखापरीक्षक	**Auditors**
मेसर्स मणियन एंड राव	M/s Manian & Rao
मेसर्स एस एन कपूर एंड एसोसियेट्स	M/s S N Kapur & Associates
मेसर्स अगस्ती एंड एसोसियेट्स	M/s Agasti & Associates
मेसर्स वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी	M/s Vaithisvaran & Co. LLP
मेसर्स जे.एस. उबेरॉय एंड कंपनी	M/s J S Uberoi & Co.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट सं.31 से 32, गचीबौली
फिनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032
दूरभाष: 040 67162222 या
040 67161516 (D)
फैक्स: 040 23001153
टॉल फ्री नं.: 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents
M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B.,
Plot No. 31–32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad 500 032
Phone No. 040 67162222 or
040 67161516 (D)
Fax No. 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केंद्र
सिंडिकेट बैंक – कारपोरेट कार्यालय,
2 क्रास, गांधीनगर
बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030
फैक्स - 080 - 22283030
ई-मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक शिकायत:
syndinvest@syndicatebank.co.in

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030
Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances:
syndinvest@syndicatebank.co.in

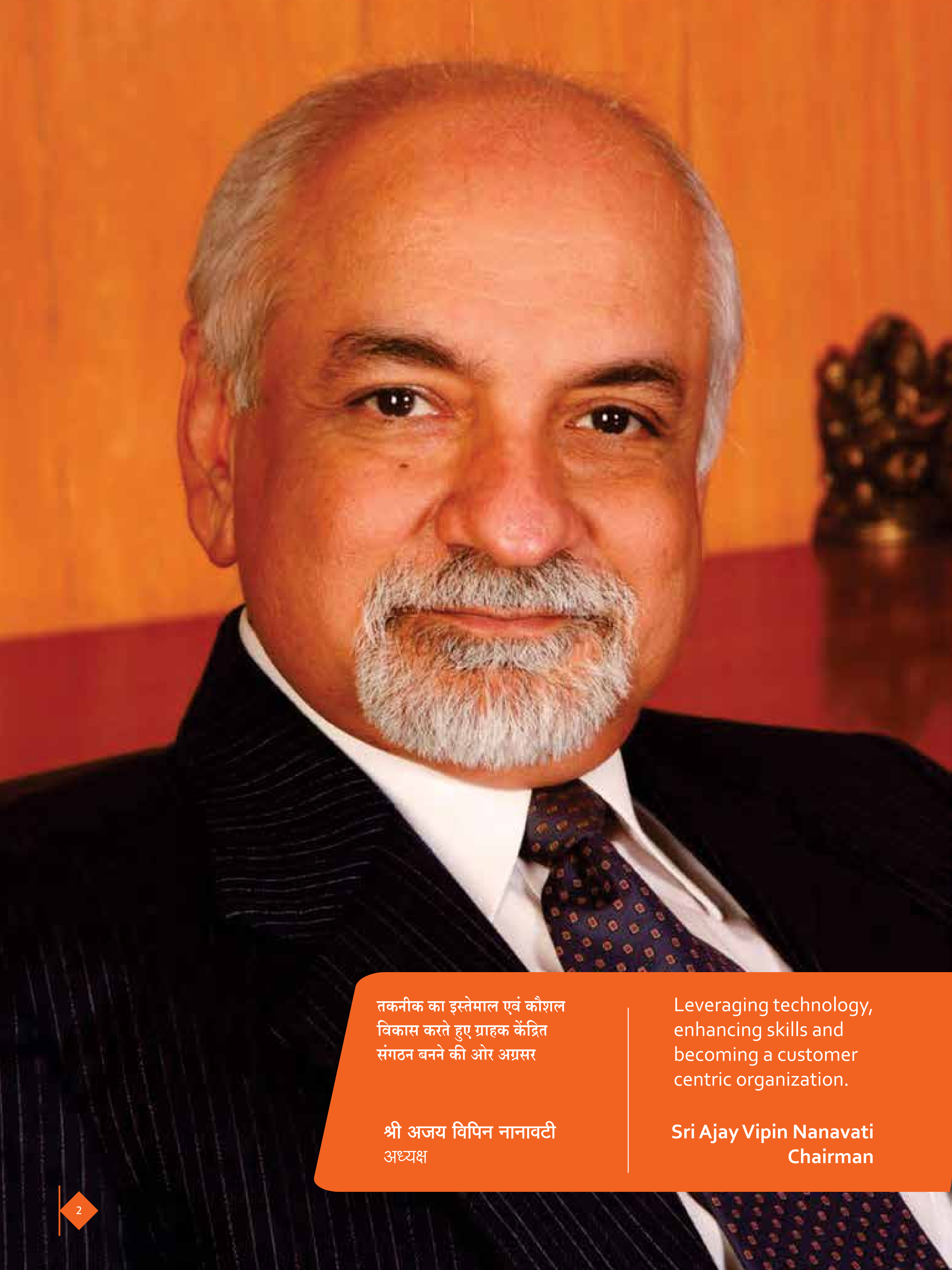

तकनीक का इस्तेमाल एवं कौशल विकास करते हुए ग्राहक केंद्रित संगठन बनने की ओर अग्रसर

श्री अजय विपिन नानावटी
अध्यक्ष

Leveraging technology, enhancing skills and becoming a customer centric organization.

Sri Ajay Vipin Nanavati
Chairman

अध्यक्ष का संदेश
Chairman Statement

प्रिय शेयरधारको,

सर्वप्रथम, इस प्रतिष्ठित संस्थान की अध्यक्षता करने और इसके विकास में अपना योगदान प्रदान करने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

यदि विगत वर्ष पर गौर करें तो यह ज्ञात होगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में लंबे अंतराल के बाद निवेश एवं व्यापार की बदौलत कुछ हद तक सुधार आया है। हाल की वैश्विक अस्थिरता और भौगोलिक एवं राजनैतिक तनाव के बावजूद आशा है कि वर्ष के दौरान हासिल यह सकारात्मक विकास आगे भी जारी रहेगा।

आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी इस वैश्विक गति से भारत की जीडीपी ने संतुलित विकास, एफडीआई अंतर्वाह में बढ़ोत्तरी, सुदृढ़ आरक्षित विदेशी विनिमय और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश हासिल किया है। कॉरपोरेट भारत ने भी विमुद्रीकरण एवं जीएसटी के प्रभाव से उभरकर अच्छे दिन देखे हैं, जो उसके विकासशील परिणामों से ज़ाहिर है।

वर्ष 2017-18 बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक चुनौती भरा वर्ष रहा है। इसके मुख्य कारण परंपरागत मुद्दे हैं। इसके बावजूद हमारा वैश्विक व्यापार 6% बढ़कर ₹4.96 लाख करोड़ हो गया है।

एनपीए हेतु उच्च प्रावधान, दबावग्रस्त आस्तियों, बाज़ार मूल्य में बही के अंकन से उत्पन्न हानि और कोषागार परिचालन के लाभ में कमी आदि के कारण अधिकतर बैंकों के लाभ में कमी आई है, जिसके कारण पूँजी पर प्रभाव पड़ा है।

जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अपनी पूँजी प्रस्थिति को सुदृढ़ बनाने के कार्य में जुट गए हैं। आपके बैंक ने भी क्यूआईपी के जरिए ₹1150.80 करोड़ सृजित किए हैं और भारत सरकार से ₹2839 करोड़ का पूँजी अंतः प्रवाह प्राप्त किया है।

हालांकि, यह अंतः प्रवाह तत्काल के लिए सही है लेकिन हमें भविष्य में भारत का अग्रणी बैंक बनने के लिए एक स्पष्ट एवं संधारणीय योजना की आवश्यकता है।

सौभाग्य वश आपके बैंक की स्थिति कुछ अनुपम विशिष्टियों के साथ कई मामलों में बेहतर है।

1. देश भर में 4000 से अधिक शाखाओं के साथ हमारी पदछाप काफी विस्तृत और गहरी है।
2. हमारा इतिहास व विरासत श्रेष्ठ है और हमारा ब्रांड सुदृढ़ और अतुल्य है।
3. हमारे पास लगभग 35,000 प्रतिबद्ध पेशेवरों की टीम है।
4. हमारे पास विश्वसनीय ग्राहक आधार है।
5. हमने वर्षानुवर्ष सुदृढ़ अवरचना व संपत्ति आधार का निर्माण किया है।

लेकिन, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को तत्काल

Dear Shareholders,

At the outset, I would like to convey that I am indeed humbled to have been given the honour and privilege to chair this prestigious institution and look forward to contributing to its growth.

As we reflect on the year gone by, after a long period of subdued growth the global economy has experienced a broad-based cyclical recovery aided by a rebound in investment and trade. Despite some of the more recent global volatility, driven by protectionist trends and geo-political tensions, the positive trend is expected to sustain.

On the domestic front, India too benefited from this global upward momentum with robust GDP growth, FDI inflows, strong foreign exchange reserves and increased public investment in infrastructure. Corporate India has also started seeing green shoots and recovering from the effects of demonetisation and GST as is evident from improving results.

2017-18 has, however, been a testing & challenging time for the banking sector, largely due to legacy issues. Despite this our global business grew by 6% to ₹4.96 lakh crore.

Profits of many banks eroded due to higher provisions against NPA and stressed assets, mark to market (MTM) losses and reduced profits from treasury operations due to which there was pressure on capital.

As a result, most of the PSBs resorted to measures to strengthen their capital position in the Financial Year 2017-18. Towards this objective, your Bank also raised an amount of ₹1150.80 crore through QIP and received capital infusion of ₹2839 crore from the Government of India.

This infusion is however, at best, an interim solution. We need a clear & sustainable strategy that will establish us as India's premier bank in the years to come.

Fortunately, in many ways your bank is well positioned with some unique strengths:

1. We have an extensive and enviable footprint with over 4000 branches nationwide.
2. We have a strong and credible brand with a rich history and legacy
3. We have a committed team of around 35,000 professionals
4. We have a loyal customer base.
5. We have, over the years, built a strong infrastructure and asset base.

Our single biggest challenge, however, is the urgent

बढ़ाना और अपनी संस्था को एक ग्राहक केंद्रित संस्था के रूप में परिवर्तित करना है।

तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन और लगातार बदलते परिवेश को देखते हुए चपलता व अनुक्रियाशीलता एक सामान्य अपेक्षा बन गई है। हमें अपने आप को पुनः तराशने की आवश्यकता है। गति ही विकास का निर्वचन है।

इस नए परिवेश में अपने आप को स्थापित करने, जीत हासिल करने, अपनी प्रणालियों में आमूल चूल परिवर्तन करने और भविष्य में अपने आपको संरक्षित करने के लिए आपके बैंक ने 'अनन्या परियोजना' नामक लक्ष्योद्देशित रूपांतरण पहल की शुरुआत की है।

'अनन्या परियोजना' के निम्नलिखित चार स्तंभ हैं :

- कारोबार प्रणाली पुनर्विन्यास (बीपीआर)
- डिजिटल बैंकिंग
- ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)
- मानव संसाधन विकास

इस परियोजना का मुख्य घटक अपनी पारदर्शिता व उत्तम अभिशासन को बढ़ाते हुए निष्पादन, उत्पादकता और उत्तरदायित्व को शामिल करते हुए एक नई सभ्यता का निर्माण करना है। इस परियोजना में प्रौद्योगिकी से लाभ उठाना, सुदृढ़ विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण, कौशल संवर्धन और संस्था को एक प्रणाली प्रेरित संगठन के रूप में परिवर्तित करना शामिल हैं।

साथ ही, हम अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने पर भी ध्यान दे रहे हैं और इस दिशा में बड़ी मात्रा में निवेश भी कर रहे हैं। यह एक ऐसा कार्य है, जिसके लिए मैं स्वयं आसक्त व प्रतिबद्ध हूँ।

हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ हमारा हर एक कार्य हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारी यह पहल फलदायी होगी और हमें फिर से अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी।

अंत में, मैं हमारे निदेशक मंडल के प्रति राष्ट्रहित में उनके इस योगदान एवं सक्रिय सहभागिता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ ।

मैं, अपने कर्मचारियों और अपने अन्य सभी शेयरधारकों को उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने हेतु उनके निरंतर समर्पित सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

धन्यवाद ।

आपका,

(अजय विपिन नानावटी)
अध्यक्ष

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 31 मई, 2018

need to enhance our competitiveness and become a customer-centric organization.

With the rapidly accelerating pace of change and the constantly evolving external environment, agility and responsiveness is the new normal. We too need to reinvent ourselves. Speed is of the essence.

To position us to succeed in this new reality, your bank has embarked on an ambitious transformation initiative called "Project Ananya" to radically overhaul our systems and position ourselves for the future.

The four pillars of Project Ananya are:

- Business Process Reengineering (BPR),
- Digital Banking,
- Customers relationship management (CRM),
- Human Resource Development.

The most critical of these is building a culture of performance, productivity and accountability while continuing to improve transparency and good governance. This includes leveraging technology, building a strong analytics capability, enhancing skills and becoming a process driven organization – all with our customers at the center.

Simultaneously, we are focused on building the next generation of leaders and we are making significant investments in this area. This is a subject I am personally passionate about and remain committed to implementing.

We are at a crucial inflexion point and our response will determine our future. I am confident, we will emerge stronger and regain our past glory as these new initiatives begin to bear fruit.

In closing, I would like to express my sincere appreciation to our diverse Board for their active engagement and contribution to this national endeavor.

I would also like to thank our employees and all our other stakeholders for their dedicated and continued support as we march on to a great future.

Thank you.

Yours sincerely,

(Ajay Vipin Nanavati)
Chairman

Place: Manipal
Date : May 31, 2018

उद्यमशीलता की भावना के साथ मानव पूंजी का विकास ही हमारे बैंक की सफलता की कुंजी है।

श्री मेलविन रेगो
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Developing human capital with entrepreneurial mindest is the key to our bank's success.

Sri Melwyn Rego
Managing Director & CEO

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

MD & CEO's Statement

प्रिय शेयरधारको,

आपके बैंक की 19 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए और वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य विशेषताएँ प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह गर्व की बात है कि आपका बैंक दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में ₹4.96 लाख करोड़ के कुल कारोबार के साथ बड़े बैंकों की शृंखला में प्रवेश करने के शिखर पर है। मैं आपके निरंतर समर्थन और संरक्षण के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।

वर्ष 2017-18 आपके बैंक और साथ ही भारत में पूरे बैंकिंग उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष था। हालांकि, विभिन्न मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विविध संदर्भों में सकारात्मकता दर्ज की है।

आपके बैंक ने अपने कारोबार मुख्यतः खुदरा और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वृद्धि हासिल करने के लिए संभाव्य अवसरों का सद्विनियोग करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। यह जोखिम को कम और न्यूनतम करने एवं साथ ही पूंजी को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। आपके बैंक ने एक बहुआयामी कारोबार रणनीति तैयार की है जो बैंक के लिए सतत विकास और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाती है । आपके बैंक के मुख्य निष्पादन को प्रस्तुत करने से पहले मैं मौजूदा सामान्य व्यापक आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिनमें आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निष्पादन किया है ।

व्यापक आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य

कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान, सभी क्षेत्रों में प्रभावी वृद्धि के साथ वैश्विक आर्थिक गतिविधि और मजबूत हुई है। आईएमएफ ने यह अभिलेखित किया है कि 3.8% की वैश्विक वृद्धि दर के साथ वित्तीय वर्ष 2017, वर्ष 2011 के बाद सबसे गतिमान वर्ष रहा है। वर्तमान सकारात्मक वित्तीय स्थितियों के चलते दोनों 2018 एवं 2019 कैलेंडर वर्ष के दौरान वैश्विक वृद्धि दर 3.9% के पार होने का अनुमान है। उभरते देशों और विकासशील अर्थव्यवस्था में कुल वैश्विक वृद्धि दर, औसतन वैश्विक वृद्धि दर से ज्यादा होने का अनुमान है। यद्यपि वैश्विक बाजार 2017 में अधिकांश समय और जनवरी 2018 के दौरान अपेक्षाकृत शांत और स्थिर रहा, तथापि विदेशी मुद्रा विभाग के तुलन पत्र के निर्मोचन के डर से फरवरी में वित्तीय बाजार अस्थिर हो गया और अमेरिका के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा किए जाने वाले उच्च दर वृद्धि को देखते हुए तत्काल सुधार की ओर चला गया।

घरेलू मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के दौरान पुनः गति प्राप्त कर 7.7% की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की जिसका मुख्य कारण निवेश की मांग, विनिर्माण, कृषि, निर्माण और सेवा उद्योग में संपन्न पुनः प्रवर्तन रहा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने अपने अनंतिम अनुमान में वर्ष 2017-18 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% दर्ज की है। आरबीआई के पूर्वानुमान के अनुसार, उच्च निजी खपत और निवेश में सुधार के बलबूते पर वित्तीय विकास में वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि की उम्मीद है।

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure in welcoming you all to the 19th Annual General Meeting of your Bank and presenting the highlights of your Bank's performance for the year ended 31st March, 2018. It is indeed a matter of pride that your Bank is on the cusp of entering the league of big banks with its total business being ₹4.96 lakhs crore as on March 31, 2018. I thank each one of you for your continued support and patronage.

The year 2017-18 was a challenging year for your Bank as well as for the entire banking industry in India. However, despite challenges on various fronts, there were several positives for your Bank during the year.

Your Bank took a number of proactive steps to tap the emerging opportunities to enable it to grow its business, especially on the retail and priority sector front. This was a strategic move to minimize and mitigate concentration risk as well as optimize capital. Your Bank has devised a multipronged business strategy that seeks to leverage its strengths for ensuring sustainable growth and profitability for the Bank. Before I proceed to present the performance highlights of your Bank, I would like to place before you the general macroeconomic & banking environment under which your bank has performed in FY 2017-18.

Macroeconomic and Banking Overview

During calendar year 2017, global economic activity continued to strengthen with growth impulses becoming synchronized across regions. IMF noted that at 3.8%, global growth in 2017 was the fastest since 2011. With financial conditions still supportive, global growth is expected to marginally increase to 3.9 % in both calendar years 2018 and 2019. Aggregate growth in emerging market and developing economies is projected to grow at a higher rate than the average global growth rate. Although global markets remained relatively calm and stable during a major part of 2017 and January 2018, even in the wake of the unwinding of the Fed's balance sheet, financial markets turned volatile in February and went into swift correction mode on fears of faster rate hikes by the US Fed.

On the domestic front, the economy regained the growth momentum in Q4 of FY 2017-18 by registering a GDP growth of 7.7% mainly driven by revival in investment demand, manufacturing, agriculture, construction and services industry. Central Statistical Office (CSO) in its provisional estimates, has projected the country's GDP growth rate at 6.7 percent for fiscal year 2017-18. According to RBI's forecast, growth is expected to pick up in 2018-19 on the back of higher private consumption and improvement in investment.

आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) ने अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान 4.3% की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान वृद्धि 4.6% थी। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के सूचकांक में 4.4% की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3.2% थी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल निर्यात में लगभग 10% (डॉलर के मामले में) की वृद्धि हुई, जबकि कुल आयात में 19.6% (डॉलर के मामले में) की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत का व्यापार घाटा वि.व. 2016-17 की स्थिति में 109 बिलियन डॉलर से 44% बढ़कर 157 बिलियन डॉलर हो गया। फिर भी, विदेशी चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार 370 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 31 मार्च 2017 की स्थिति से बढ़कर 30 मार्च 2018 तक 424 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में बाहरी विश्वास को भी दर्शाता है।

कैलेंडर वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) की जमाराशियों एवं अग्रिमों में वर्षानुवर्ष 0.91% और 6.01% की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2017-18 भारत में मौजूद पूरे बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था। बैंकिंग उद्योग ने निष्क्रिय ऋण उठाव, उच्च एनपीए स्तर एवं दबावग्रस्त आस्तियों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2018 से संशोधित ढांचे के अंतर्गत उनके द्वारा सभी दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रदान की गई सभी समाधान योजनाओं को वापस लिए जाने के कारण व्यापक प्रावधान की आवश्यकता, बॉण्ड प्रतिफल में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के फलस्वरूप अल्प राजकोषीय आय एवं प्रतिभूतियों की बाजार मूल्य (एमटीएम) हानि जैसी चुनौतियों का सामना किया। साथ ही, उपदान के लिए भी निर्दिष्ट सीमा में बढ़ोत्तरी के कारण भी कई बैंकों को हानि हुई जिसका पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जरूरतमंद बैंकों के लिए समय-समय पर पूंजी निवेश के उपाय भी किए तथा ₹2.11 लाख करोड़ के पुनःपूंजीकरण पैकेज जैसे सुधार की घोषणा की। फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने भी आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान आवश्यकताओं के मानदंडों को निम्नानुसार आसान बना दिया :

i) कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन ₹25 करोड़ रुपये से कम के जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया ।
ii) बैंकों को चार तिमाहियों में वित्तीय वर्ष 2017-18 की तीसरी और चौथी तिमाही में हुई प्रतिभूतियों की बाजार मूल्य (एमटीएम) हानि को सम ायोजित करने के लिए प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गई।
iii) बैंकों को उपदान के लिए अतिरिक्त प्रावधान को 4 तिमाहियों में विस्तारित करने की अनुमति दी गई।
iv) मूल रूप से निर्धारित 50% प्रावधान की तुलना में मार्च 2018 तक एनसीएलटी को संदर्भित खातों पर 40% प्रावधान करने के लिए बैंकों को अनुमति प्रदान की गई। शेष 10% प्रावधान जून 2018 तक करने के लिए निर्देशित किया गया।

The IIP (Index for Industrial Production) registered a growth of 4.3% during April 2017 to March 2018 as against 4.6 % in corresponding period of previous year. The index of capital goods grew by 4.4% during April 2017 to March 2018 as against 3.2% during the corresponding period of previous year.

Total exports during FY 2017-18 grew by about 10% (in dollar terms) whereas total imports grew by about 19.6% (in dollar terms). India's trade deficit increased by about 44% up from USD 109 billion in 2016-17 to USD 157 billion in 2017-18. Nevertheless, foreign exchange reserves increased to an all-time high of USD 424 billion as on March 30, 2018, as against USD 370 billion as on March 31, 2017, mainly due to increase in foreign currency assets. It also reflects the external confidence in the Indian economy.

Public Sector Banks' (PSBs) deposits and credit grew y-o-y by 0.91% and 6.01% for calendar year 2017 over 2016.

FY 2017-18 was a challenging year for the entire banking industry in India. The banking industry faced a relatively muted credit off-take, high levels of NPAs and stressed assets, significant provisioning requirement due to withdrawal of all stressed assets resolution schemes under revised framework introduced by RBI since February 12, 2018, significant hardening of bond yields resulting in low treasury income and Mark to Market (MTM) losses and also due to increased ceiling for gratuity which resulted in many banks incurring losses which adversely impacted capital adequacy.

Considering the genuine difficulties faced by the banks, the Government took timely measure by infusing capital to needy banks and also by announcing a reforms linked recapitalization package of ₹2.11 lakh crore. Consequently, the RBI also eased norms for classification of assets and provisioning requirements by

i) Granting additional time for repayment to GST registered Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) having exposure of less than ₹25 crore subject to fulfillment of certain conditions.
ii) Allowing banks to spread out provisioning for mark-to-market (MTM) losses incurred in Q3 and Q4 of FY 2017-18 over four quarters.
iii) Allowing Banks to spread out additional provisioning for gratuity over 4 quarters.
iv) Permitting banks to make 40% provisioning on accounts referred to NCLT by March 2018 as against the originally stipulated 50% provisioning. The balance 10% provisioning would need to be made by June 2018.

सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों ने बैंकों को अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के प्रबंधन में मजबूती प्रदान की है।

सरकार द्वारा पीएसबी में संवर्धित पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) लाने के लिए आरंभ की गई सुधार योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुन:प्रभावी रूप से क्रियाशील होने का अनुमान है चूँकि यह वर्ष पीएसबी के लिए महत्वपूर्ण होने की आशा है। इस सुधार योजना में मुख्यतः संवर्धित पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई), ग्राहक अनुक्रियाशीलता, उत्तरदायी बैंकिंग, ऋण उठाव, एमएसएमई के लिए उद्यमीमित्र, वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण के रूप में भी बेहतर कॉरपोरेट प्रशासन और प्रगतिशील मानव संसाधन नीतियों के माध्यम से परिणामों को सुनिश्चित करना शामिल हैं। इन सभी उपायों से ब्रांड पीएसबी के निर्माण में मदद मिलने की आशा है।

आपके बैंक का निष्पादन उपर्युक्त परिदृश्य में भी देखा जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपके बैंक का निष्पादन

वैश्विक कारोबार:

वैश्विक कारोबार, मार्च 2017 के ₹ 4,67,626 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 6% बढ़कर मार्च 2018 की स्थिति में ₹4,96,122 करोड़ हो गया है। वैश्विक जमाराशियां, मार्च 2017 के ₹ 2,60,561 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 5% बढ़कर मार्च 2018 की स्थिति में ₹2,72,776 करोड़ हो गई है। वैश्विक अग्रिम, मार्च 2017 के ₹2,07,065 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 8% बढ़कर मार्च 2018 की स्थिति में ₹2,23,346 करोड़ हो गए हैं।

घरेलू कारोबार:

घरेलू कारोबार, मार्च 2017 के ₹4,05,920 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 4% बढ़कर मार्च 2018 की स्थिति में ₹4,22,569 करोड़ हो गया है। घरेलू जमाराशियां, मार्च 2017 के ₹2,34,543 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 3% बढ़कर मार्च 2018 की स्थिति में ₹2,41,092 करोड़ हो गई है। घरेलू अग्रिम, मार्च 2017 के ₹1,71,377 करोड़ की तुलना में वर्षानुवर्ष 6% बढ़कर मार्च 2018 की स्थिति में ₹1,81,477 करोड़ हो गए हैं।

लाभप्रदता

निवल ब्याज आय (एनआईआई), वित्तीय वर्ष 2017 के ₹6,276 करोड़ से वर्षानुवर्ष 4% बढ़कर मार्च 2018 में ₹6,552 करोड़ हो गई है। एनआईआई में यह वृद्धि मुख्यतः उच्चतम एनपीए स्लिपेज, जो वित्तीय वर्ष 2017 में ₹8,138 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में ₹14,310 करोड़ हुई है, के कारण ब्याज रिवर्सल के फलस्वरूप हुई है। हालांकि, अन्य आय, वित्तीय वर्ष 2017 के ₹3457 करोड़ की तुलना में 19% कम होकर वित्तीय वर्ष 2018 में ₹2,806 करोड़ हुई है। यह आय मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2017 के ₹1740 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 के निवेश में ₹946 करोड़ की बिक्री पर शुद्ध लाभ में गिरावट के कारण हुई है (अर्थात 46% की गिरावट लगभग ₹794 करोड़)। यह लाभ 10 साल की सरकारी प्रतिभूति में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण है, जो सितंबर 2017 में 6.66% से 74 बीपीएस बढ़कर मार्च 2018 में 7.40% हो गई। परिचालन व्यय वित्तीय वर्ष 2017 के ₹5,500 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में ₹5,494 करोड़ की मामूली गिरावट के साथ वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान स्थिर रहा । निवल ब्याज आय में 4% की

The proactive measures taken by the Government and the RBI gave a cushioning support to banks in managing their capital adequacy position.

With the Government introducing a PSB reforms agenda for bringing about – Enhanced Access & Service Excellence (EASE), PSBs are expected to be re-energized during the current Financial Year 2018-19 which is expected to be a significantly better year for PSBs. The reforms agenda i.e., EASE, encompasses customer responsiveness, responsible banking, credit off-take, UdyamiMitra for MSMEs, deepening financial inclusion and digitization as also ensuring outcomes through better corporate governance and progressive HR policies. All these measures will help in building Brand PSB.

The performance of your Bank also has to be viewed against the above unfolding landscape.

Your Bank's performance during 2017-18

Global Business

Global business has grown by 6% YoY from ₹4,67,626 crore in March 2017 to ₹4,96,122 crore in March 2018. Global deposits have increased by 5% YoY from ₹2,60,561 crore in March 2017 to ₹2,72,776 crore in March 2018. Global advances have increased YoY from ₹2,07,065 crore to ₹2,23,346 crore i.e. an increase of 8%.

Domestic Business

Domestic business has grown by 4% YoY from ₹4,05,920 crore in March 2017 to ₹4,22,569 crore in March 2018. Domestic deposits have increased by 3% YoY from ₹2,34,543 crore in March, 2017 to ₹2,41,092 crore in March, 2018. Domestic advances have increased YoY from ₹1,71,377 crore to ₹1,81,477 crore i.e. an increase of 6%.

Profitability

The Net Interest Income (NII) has increased by 4% YoY from ₹6,276 crore in FY 2017 to ₹6,552 crore in FY 2018. The muted growth in NII is mainly because of interest reversal on account of higher NPA slippages from ₹8,138 crore in FY 2017 to ₹14,310 crore in FY 2018. Other income has however declined by 19% from ₹3,457 crore in FY 2017 to ₹2,806 crore in FY 2018. This is mainly because of a drop in Net Profit on sale of investments from ₹1,740 crore in FY 2017 to ₹946 crore in FY 2018 (i.e. drop of 46% amounting to ₹794 crore). This is because of a significant increase in 10 Year G-Sec yields which increased by 74 bps from 6.66% in September 2017 to 7.40% in March 2018. Operating expenses have remained flat during FY 2018 with these expenses decreasing marginally from ₹5,500 crore in FY 2017 to ₹5,494 crore in FY 2018. Due to the muted growth of 4% in NII and drop in other income by 19%,

वृद्धि और अन्य आय में 19% की गिरावट के साथ परिचालन आय में कुल 9% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2017 में कृत ₹3,581 करोड़ के प्रावधानीकरण को बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान प्रावधानीकरण आवश्यकता के अंतर्गत ₹4,672 करोड़ बढ़ाते हुए ₹8,253 करोड़ का प्रावधान किया गया है अर्थात् 31 मार्च 2017 की निवल एनपीए प्रस्थिति ₹17,609 करोड़ से ₹4,672 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2018 को ₹25,759 करोड़ हो गयी। बैंक ने वर्ष के दौरान पूरे 50% एनसीएलटी प्रावधान किए हैं, जो ₹3,432 करोड़ के आईआरएसी मानदंड के सापेक्ष ₹4,482 करोड़ है अर्थात, इस वर्ष के लिए ₹1050 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त, ''दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान - संशोधित ढांचा'' संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र के अनुसार बैंक द्वारा उन ऋणों को डाउनग्रेड किया जाना है जिन ऋणों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व अनुमत योजनाओं जैसे, एसडीआर/एस4ए एवं 5/25 के अंतर्गत पुनःसंरचित किया गया है। वि.व. 2017 के दौरान अर्जित ₹359 करोड़ लाभ के सापेक्ष बैंक को ₹3,223 करोड़ की समग्र हानि हुई है।

जमाराशियों की लागत, अग्रिमों पर प्रतिफल और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)

वित्तीय वर्ष 2017 में घरेलू जमा की लागत 6.30% से घटकर वित्तीय वर्ष 2018 में 5.55% हो गई है। वित्तीय वर्ष 2017 में अग्रिमों पर प्रतिफल 9.64% से घटकर वित्तीय वर्ष 2018 में 8.77% हो गया है। घरेलू एनआईएम, वित्तीय वर्ष 2017 के 2.70% की तुलना में बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018 में 2.85% हो गया है। वैश्विक एनआईएम, वित्तीय वर्ष 2017 के 2.37% की तुलना में बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018 में 2.44% हो गया है।

कासा:

कासा प्रतिशत मार्च 2017 के 32.32% की तुलना में मार्च 2018 में बढ़कर 33.33% हो गया है। बैंक हमारे कॉरपोरेट ग्राहकों के वेतन खातों के अधिग्रहण, टीएएससी खातों (न्यास, संघों, सोसायटी और क्लब) के सक्रिय अनुवर्तन, वैकल्पिक वितरण चैनल को मजबूत कर नए ग्राहकों के अलावा एचएनआई ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाकर कासा में वृद्धि हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

खुदरा ऋण पर ध्यान:

आरएएम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) संविभाग में वर्षानुवर्ष आधार पर 5% की समग्र वृद्धि हुई। आरएएम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) संविभाग को अलग-अलग कर, वर्षानुवर्ष आधार पर बैंक की खुदरा अग्रिम में 7%, कृषि में 6% और एमएसएमई में 1% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा एवं एमएसएमई वर्ग में नियंत्रण हेतु खरीद पर ₹3,430 करोड़ कम करने का सतर्क निर्णय लिया गया। इसमें एमएसएमई की ₹1756 करोड़ और खुदरा क्षेत्र के ₹1674 करोड़ शामिल है। नियंत्रण हेतु खरीद पर यह कमी प्राथमिक रूप से पूंजी संरक्षण के लिए की गई है। वर्ष के दौरान आवास ऋण में 16% की वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान खुदरा अग्रिम और कॉरपोरेट अग्रिम का अनुपात क्रमशः 53% और 47% पर स्थिर रहा है। आपके बैंक का ध्यान आरएएम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) संविभाग को बढ़ाने और कॉरपोरेट संविभाग को संतुलित करना होगा।

the total operating profit dropped by 9%. The provisioning requirement during FY 2018 increased significantly from ₹3,581 crore in FY 2017 to ₹8,253 crore i.e. an increase of ₹4,672 crore because of an increase in Gross NPAs from ₹17,609 crore as on March 31, 2017 to ₹25,759 crore as on March 31, 2018. The Bank has made the entire 50% NCLT provision during the year which amounts to ₹4,482 crore against the normal provision required as per IRAC norms of ₹3,432 crore i.e., an additional provision of ₹1,050 crore for the year. Further, on the back of RBI circular dt.12.02.2018 on "Resolution of Stressed Assets-Revised Framework" the Bank had to downgrade those advances which were restructured and not implemented under schemes like SDR/S4A and 5/25 as earlier allowed by RBI. Overall the bank incurred a loss of ₹3,223 crore in FY 2018 as compared to a profit of ₹359 crore in FY 2017.

Cost of Deposits, Yield on Advances and NIM

The cost of domestic deposits has dropped from 6.30% in FY 2017 to 5.55% in FY 2018. The Yield on Advances has dropped from 9.64% in FY 2017 to 8.77% in FY 2018. The domestic NIM has improved from 2.70% in FY 2017 to 2.85% in FY 2018. The Global NIM has improved from 2.37% in FY 2017 to 2.44% in FY 2018.

CASA

CASA percentage has increased from 32.32% in March 2017 to 33.33% in March 2018. The Bank is focusing on increasing CASA through acquisition of salary accounts of our Corporate clients, vigorously pursuing TASC accounts (Trusts, Associations, Societies and Co-operatives/Committees), deepening our relationship with HNI customers besides fresh customer acquisition through strengthening of Alternate Delivery Channels.

Focus On Retail Credit

Overall on YoY basis, the RAM (Retail Agriculture and MSME) portfolio increased by 5%. Dis-aggregating the RAM portfolio, on YoY basis the Banks retail advances has grown by 7%, Agriculture by 6% and MSME by 1%. During the year, the Bank took a conscious decision to shed pool buy-outs in retail and MSME segments aggregating ₹3,430 crore. This included MSME of ₹1,756 crore and Retail of ₹1,674 crore. This drop in pool buyout was done primarily for capital conservation. Home Loan growth during the year was 16%. The ratio of Retail Advances and Corporate Advances has remained flat during the year at 53% and 47% respectively. Your Bank's focus would be to increase the RAM portfolio and moderate the corporate portfolio.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की वृद्धि 7.15 % रही है और आपके बैंक ने 40% की नियामक आवश्यकता के सापेक्ष एएनबीसी का 42.41% हासिल किया है। इसी प्रकार कृषि में आपके बैंक ने 18% की नियामक आवश्यकता की तुलना में एएनबीसी का 19.28% हासिल किया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य सभी उप वर्गों में आपके बैंक ने नियामक आवश्यकताओं से अधिक लक्ष्य हासिल किया है।

आस्ति गुणवत्ता:

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वित्तीय वर्ष 2017 के ₹8138 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2018 के दौरान ₹14,310 करोड़ की सकल गिरावट दर्ज की गई है। उन्नयन, वसूली और अपलिखित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017 के ₹4361करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान ₹6160 करोड़ दर्ज हुई है। यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान कुल नकद वसूली ₹3,331 करोड़ हुई है, जिसमें से ₹2,202 करोड़ मूल राशि के सापेक्ष है। इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2017 में नकद वसूलियां ₹2,709 करोड़ रुपये हुई जिनमें ₹1500 करोड़ मूल राशि के सापेक्ष है। वर्तमान में नकद वसूली, उन्नयन और अपलिखित करने के बाद 31 मार्च, 2017 के ₹17,609 करोड़ सकल एनपीए की तुलना में 31 मार्च, 2018 को ₹25759 करोड़ का सकल एनपीए है। 31 मार्च, 2017 के 8.50% की तुलना में 31 मार्च, 2018 तक सकल एनपीए का स्तर 11.53% है। 31 मार्च 2017 के 5.21% की तुलना में 31 मार्च 2018 को निवल एनपीए का स्तर 6.28% है। 31 मार्च, 2018 को प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 60.71% है जो मार्च, 2017 के 56.37% से अधिक है।

पूंजी:

दिसंबर 2017 के दौरान, बैंक ने क्यू आई पी निर्गम के माध्यम से शेयर पूंजी के रूप में ₹1150.80 करोड़ जुटाए। इसके अतिरिक्त मार्च 2018 के दौरान, भारत सरकार ने शेयर पूंजी के रूप में ₹2,839 करोड़ निवेश किए। बैंक उचित पूंजी अनुपात बनाए रखने के लिए पूंजी के संरक्षण को लक्षित करना जारी रखा है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति में बैंक का सीआरएआर 7.56% के सीईटी I अनुपात के साथ 12.24% और 9.41% के टियर-I अनुपात के साथ स्थिर है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति में यह सीईटी I के लिए न्यूनतम नियामक स्तर 7.375%, टियर-I के लिए 8.875% और सीआरएआर अनुपात के लिए 10.875% के नियामक न्यूनतम स्तर के सापेक्ष है।

शाखा नेटवर्क:

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में पूरे भारत में बैंक की 4012 शाखाएं हैं, जिनमें से 833 शाखाएं महानगरों में, 813 शाखाएं शहरों में, 1127 शाखाएं अर्ध:शहरीय प्रांतों में और 1239 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें से 1305 शाखाएं अल्प बैंकिंग सुविधा वाले जिलों में और 996 शाखाएं अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित हैं।

वैकल्पिक वितरण चैनल:

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में 341 बीएनए के साथ आपके बैंक के कुल 4248 एटीएम है। बैंक, अपने ग्राहकों को इंटरनेट और मोबाइल

Priority Sector Advances

Priority Sector credit growth has been 7.15% and your Bank has achieved 42.41% of ANBC as against regulatory requirement of 40%. Similarly in Agriculture your Bank has achieved 19.28% of ANBC as against regulatory requirement of 18%. In all other sub segments of Priority Sector your Bank has exceeded the regulatory requirements.

Asset Quality

As already mentioned, the gross slippages during FY 2018 was ₹14,310 crore as compared to ₹8,138 crore in FY 2017. The upgradations, recoveries and prudential write offs during FY 2018 aggregated ₹6,160 crore as against ₹4,361 crore during FY 2017. It must be mentioned that the total cash recovery for FY 2018 was ₹3,331 crore of which ₹2,202 crore was against principal amount. In contrast, the cash recoveries in FY 2017 was ₹2,709 crore of which ₹1500 crore was against principal. After taking into account the fresh slippages as also the cash recovery, upgradation and prudential write offs, the gross NPA as on March 31, 2018, was ₹25,759 crore as against ₹17,609 crore as on March 31, 2017. The gross NPAs as on March 31, 2018 was 11.53% as against 8.50% as on March 31, 2017. The Net NPAs as on March 31, 2018 was 6.28% as against 5.21% as on March 31, 2017. The Provision Coverage Ratio (PCR) as on March 31, 2018, was 60.71% which is higher than 56.37% in March 2017.

Capital

During December 2017, the Bank raised Equity Capital of ₹1,150.80 crore through a QIP Issue. Further, during March 2018, Government of India infused ₹2,839 crore as Equity Capital. The Bank continues to target conservation of capital for maintaining reasonable Capital ratios. The CRAR of the Bank as on March 31, 2018, stood at 12.24% with CET1 Ratio of 7.56% and Tier-I Ratio of 9.41%. This is against the regulatory minimum of 7.375% for CET1, 8.875% for Tier-I and 10.875% for CRAR Ratio as on March 31, 2018.

BRANCH NETWORK

As on March 31, 2018, your Bank had pan India network of 4012 branches of which 833 were in Metros, 813 in urban, 1127 in Semi-urban and 1239 in rural areas. These included 1305 branches in under banked districts and 996 branches in minority concentration districts.

Alternate Delivery Channels

As on 31st March, 2018 your Bank had 4248 number of ATMs including 341 BNAs. Bank is also providing Internet and Mobile Banking facilities to its customers. Your Bank

बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। डिजिटल लेन-देनों को बढ़ाने के लिए ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ भीम आधार पे की सुविधा भी चालू की है।

गाँवों का डिजिटलीकरण:

बैंक ने डिजिटलीकरण के तहत 22 गाँवों को सम्मिलित किया है और चालू वर्ष के दौरान डिजिटलीकरण के लिए अन्य 100 गाँवों की पहचान की है। एसएलबीसी के संयोजक के रूप में कर्नाटक और लक्षद्वीप में, बैंक ने वर्ष के दौरान बेंगलूर, मेंगलूर, हुब्बली और लक्षद्वीप में मुद्रा प्रोत्साहन अभियान चलायी है।

आधार सेवा केंद्र

बैंक ने आधार से संबंधित सेवाओं को ग्राहकों/जनता तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक में 564 और प्रायोजित आरआरबी में 157 आधार सेवा केंद्रों की स्थापना की है।

वित्तीय समावेशन

बैंक ने गाँवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 6953 गाँवों को सम्मिलित करने वाले सभी आवंटित 3229 उप-सेवा क्षेत्रों को अपनी सेवाएं पहुचाई है। और देश भर में 2630 बैंक मित्र नियुक्त किए हैं और वर्ष के दौरान प्रतिदिन प्रति बैंक मित्र लेन-देनों की संख्या 13 से बढ़कर 20 हो गई हैं। आधार जोड़ने के तहत बैंक ने 81.53%, आधार प्रमाणीकरण के तहत 63.51% और मोबाइल संख्या जोड़ने के तहत 84.68% का लक्ष्य हासिल किया है।

नई गतिविधियाँ

आपके बैंक ने कासा जमा, खुदरा, कृषि और एमएसएमई ऋण, वसूली, डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक सेवा और अन्य आय में सुधार के लिए कई नई कारोबारिक गतिविधियों की शुरुआत की । उभरती चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए इन पहलों को आरंभ किया गया है। उनमें से कुछ नीचे उल्लिखित हैं:

- ❖ कठोर प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने टीएएससी (ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी एंड को-ऑपरेटिव/समितियां) खातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेश क्रेडिट और कासा अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ आवास ऋण, स्वर्ण ऋण, कृषि ऋण के लिए आवधिक अभियान आयोजित किए हैं।
- ❖ वर्ष के दौरान, बैंक ने देयता पक्ष पर सिंड सुप्रीम और मल्टी-करेंसी को-ब्रांडेड फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड नामक दो उत्पादों की शुरुआत की है।
- ❖ बैंक ने सभी बंधक आधारित खुदरा ऋण तथा ₹10 लाख और उससे अधिक के एमएसएमई प्रस्तावों के लिए ऋण प्रसंस्करण और वितरण को सुगम बनाने, क्रेडिट मूल्यांकन में सुधार और प्रतिवर्तन काल को कम करने के लिए दिनांक 31.03.2018 तक 27 संभावित केंद्रों में खुदरा और एमएसएमई ऋण केंद्र (आरएमएलसी) स्थापित किए हैं। बैंक अन्य संभावित केंद्रों में ऐसे आरएमएलसी की पहचान करने की प्रक्रिया में रत है।

has also enabled Unified Payment Interface and also BHIM Aadhaar Pay to facilitate the customers to enhance digital transactions.

Digitalisation of Villages

Bank has covered 22 villages under Digitalization and identified another 100 villages for digitalization during the Current Year. As convener of SLBC in Karnataka and Lakshadweep, Bank has organized MUDRA Protsahan Abhiyaan at Bangaluru, Mangaluru, Hubballi and Lakshadweep during the year.

Aadhaar Seva Kendras

Bank has established 564 Aadhaar Seva Kendras in the Bank and 157 in sponsored RRBs as per the directions of Government of India for extending Aadhaar related services to customers/public.

Financial Inclusion

Bank has covered all allotted 3,229 sub-service areas covering 6,953 villages and appointed 2,630 Bank Mitras across the country to provide banking services to the villages and the number of transactions per Bank Mitra per day has increased from 13 to 20 during the year. Bank has achieved 81.53% under Aadhaar seeding, 63.51% under Aadhaar authentication and 84.68% under Mobile seeding.

New Initiatives

Your Bank embarked on several new business initiatives for improving CASA deposits, Retail, Agriculture and MSME Credit, Recovery, Digital Banking, customer Service and Other Income. These initiatives have been taken to meet emerging challenges and competition. Some of them are outlined below:

- ❖ Keeping in view stiff competition, Bank conducted periodical campaigns for housing loans, gold loans, agricultural credit with focus on investment credit and CASA campaigns with focus on TASC (Trust, Association, Society & Co-operatives/Committees) accounts.
- ❖ During the year, Bank has launched two products on liability side namely Synd Supreme and Multi-Currency Co-branded Forex prepaid Card.
- ❖ Bank has setup Retail & MSME Loan Centers (RMLC) in 27 potential centers as on 31.03.2018 for processing of all mortgage based Retail loans and MSME proposals of ₹10 lakhs and above to smoothen the loan processing and disbursement, improve credit assessment and to reduce the Turn-Around-Time. Bank is in the process of identifying such RMLCs in other potential centers.

❖ एमएसएमई इकाइयों को ऋण के आसान प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने 76 संभावित शाखाओं की पहचान की है जो उद्यमी मित्र शाखाओं के रूप में काम कर रहे हैं और ये एमएसएमई की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। आपके बैंक ने कॉर्पोरेट विभागों और सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित अन्य खरीदारों से एमएसएमई की व्यापारिक प्राप्तियों के वित्त पोषण के लिए व्यापार प्राप्य डिस्काउंट प्रणाली (टीआरईडीएस) की शुरुआत की है।

❖ बेहतर निगरानी और नियंत्रण के साथ-साथ कारोबारिक विकास के लिए, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 9 नये क्षेत्रीय कार्यालय सिलीगुड़ी, चेन्नई-II, रायपुर, नोएडा, रांची, भुवनेश्वर-II, तिरुपति, निज़ामाबाद और उदयपुर में खोले हैं। इन 9 नये क्षेत्रों के परिचालित होने से अब बैंक के 60 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं।

❖ बैंक ने अनर्जक आस्तियों के उन्नयन और वसूली को अधिकतम करने के लिए सिंड वसूली अभियान 2017-18 का आयोजन किया है।

❖ डिजिटल लेन-देन और व्यापारियों के ऑन-बोर्डिंग को चलाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण प्राप्त करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने एक डिजिटल प्रचार अभियान आरंभ किया ।

❖ आपके बैंक ने बैंक की वेबसाइट से जुड़ा एक आधार पुनः सत्यापन इन-हाउस पोर्टल विकसित किया।

❖ डिजिटलीकरण के एक भाग के रूप में और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए, आपका बैंक अपने सभी ग्राहकों को, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, मासिक कासा/ऋणों खाता विवरणी ई-मेल के माध्यम से प्रदान कर रहा है।

❖ संभावित ग्राहक अब बैंक की वेबसाइट के माध्यम से खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं ।

❖ ''ग्रीन पिन'' परियोजना के तहत, ग्राहकों को एटीएम के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से एटीएम डेबिट कार्ड का नया पिन सृजित करने या मौजूदा पिन को बदलने का विकल्प प्रदान किया गया है ।

❖ आपके बैंक ने मोबाइल फ़ोन के आईओएस प्लेटफ़ॉर्म के लिए यूपीआई एप्लिकेशन की शुरुआत की है। ग्राहक, एंड्रॉइड और आईफ़ोन, दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर सिंड यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं और राशि प्रेषित और प्राप्त कर सकते हैं।

❖ आपके बैंक ने सिंड भारत क्यूआर नामक एक नए मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत की है ताकि नकद रहित लेन-देन को प्रोत्साहित किया जा सके और डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जा सके ।

❖ वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के ऑनलाइन और ऑफलाइन संग्रहण की सुविधा के लिए, आपके बैंक ने जीएसटी सॉफ्टवेयर स्थापित किया है।

❖ एकाधिक भुगतान मोड सक्षम करने और भुगतान की तत्काल पुष्टि प्रदान करने के लिए, आपके बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली समाधान का समर्थन करने के लिए एप्लिकेशन प्रदान की है ।

❖ In order to ensure smooth flow of credit to MSME units, Bank has identified 76 potential branches which are functioning as UdyamiMitra branches and these are actively engaged in meeting the financial needs of MSMEs. Your Bank has introduced Trade Receivable Discounting System (TReDS) for financing of trade receivables of MSMEs from corporates and others buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs).

❖ For better monitoring and control as well as business development, your Bank has opened during the year 9 new regional offices viz., Siliguri, Chennai-II, Raipur, Noida, Ranchi, Bhubaneshwar-II, Tirupathi, Nizamabad and Udaipur. With the operationalization of these 9 new Regions, the Bank now has 60 Regional Offices.

❖ Bank organized SyndVasuli Abhiyan 2017-18, for maximizing recovery and up-gradation of Non-Performing Assets.

❖ In order to have a focused approach to drive Digital Transactions and On-boarding of merchants, your Bank launched a Digital Promotional Campaign.

❖ Your Bank developed an in-house Aadhaar Re-verification portal linked to Bank's website.

❖ As a part of digitalization and also to enhance customer experience, your Bank is providing monthly CASA/Loan account statements through e-mail to all of its customers who are registered with e-mail ID.

❖ Prospective customers can now apply from anywhere for retail and MSME loans through Bank's website.

❖ Under "Green PIN" Project, customers have been provided the option to generate new PIN or reset existing ATM Debit Card PIN, through a wide network of ATMs.

❖ Your Bank launched the UPI application for the iOS Platform of Mobile Phones. Customers can use Synd UPI on both android and iPhones platforms and can send and collect money.

❖ Your Bank launched a new mobile application called Synd Bharat QR so as to encourage cashless transactions and promote Digital India initiative.

❖ To facilitate for Online & Offline Collection of Goods & Service Tax (GST), your Bank has installed GST Software.

❖ To enable multiple payment modes and provide instant confirmation of payment, your Bank has provided an application to support Bharat Bill Payment System Solution.

अनन्या परियोजना

आपके बैंक ने बड़े पैमाने पर रूपांतरण कार्यक्रम शुरू किया है जिसे ''अनन्या परियोजना'' कहा जाता है। वास्तव में, अनन्या परियोजना एक रूपांतरणीय कार्य है, जो बैंक को विपणन संस्थान में परिवर्तित कर देगा। यह परियोजना पूरे बैंक में सुधार और आधुनिकीकरण करते समय ग्राहकों को ''सर्वोत्तम श्रेणी'' की सेवाएं प्रदान करने हेतु एक प्रमुख कार्यक्रम है । ''अनन्या परियोजना'', जो कारोबार उत्कृष्टता के उद्देश्य से लागू की गई है, उसके चार प्रमुख स्तंभ हैं – कारोबार प्रक्रिया का पुनर्गठन, डिजिटल बैंकिंग, विक्रय एवं सीआरएम और एचआर विकास। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में अनन्या परियोजना के तहत बैंक की कुल 600 शाखाएं हैं । वित्त वर्ष 2019 के दौरान अनन्या शाखाओं की संख्या में वृद्धि होगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ''अनन्या परियोजना'' पहल की मुख्य विशेषताएं।

- ग्राहकों को 24X7 सेवाएं प्रदान करने के लिए अनन्या शाखाओं में एटीएम, बंच नोट एक्सेप्टर (बीएनए), पासबुक अद्यतन मशीन से युक्त डिजिज़ोन बनाए गए हैं।
- मणिपाल में राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। यह बैक ऑफिस परिचालन के लिए एक डिजिटल सक्षम प्रसंस्करण केंद्र है, जो शाखाओं के लिए केंद्रीकृत खाता तत्काल खोलने की सुविधा प्रदान करता है।
- ग्राहकों को बचत खाता स्वागत किट जारी करने के साथ तत्काल खाता खोलने की सुविधा 1029 शाखाओं में शुरू की गई है।
- बैंक ने आवास ऋणों को जुटाने/ प्राप्त करने के लिए आवास ऋण सलाहकारों (एचएलसी) को सूचीबद्ध किया है।
- बैंक ''विद्यालक्ष्मी पोर्टल'' के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को शिक्षा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करने हेतु की गई एक पहल है।
- मानव संसाधन रूपांतरण और भविष्य के लिए मार्गदर्शक निर्माण के प्रति अपनी वचनबद्धता में, आपके बैंक ने कर्मचारियों के निष्पादन की वैज्ञानिक माप सुनिश्चित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर अधिक बल देते हुए निष्पादन प्रणाली लागू की है और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुचारु अनुक्रम के लिए उत्तराधिकार योजना नीति लागू की है।

अनन्या परियोजना के तहत कथित उपरोक्त पहलों का उद्देश्य, लाभप्रदता बढ़ाने हेतु गुणवत्ता और बिक्री को बढ़ाना, उत्पादों के प्रति-विक्रय को बढ़ाना और मानव संसाधन क्षमता का लाभ उठाना और बैंक द्वारा प्रस्तावित विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की समग्र लेन-देन लागत को कम करना है।

प्रशिक्षण और विकास:

आपके बैंक का ध्यान उद्यमी मानसिकता के साथ मानव पूंजी को बढ़ाना रहा है । इस प्रयोजन के लिए, आपके बैंक ने विभिन्न विशेष गतिविधियों में अधिकारियों/कार्यपालकों पर विशेष ध्यान देते हुए उनके कौशल निर्माण के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्य के जरिए उद्यम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कर्मचारियों के कौशल और नेतृत्व का इस प्रकार निर्माण करना है ताकि

Project Ananya

Your Bank has embarked on a large scale transformation programme called "Project Ananya". Essentially, Project Ananya is a transformational exercise which will convert the Bank into a marketing outfit. The project is a flagship programme to provide customers with the "best in class" services while improving and modernizing the whole Bank. "Ananya" project which is aimed at achieving business excellence has four key pillars – Business Process Re-engineering, Digital Banking, Sales & CRM and HR Development. Bank has a total of 600 Branches under Project Ananya as on 31.03.2018. The number of Ananya branches will be increased during FY 2019.

Highlights of the Project "Ananya" initiatives during the FY 2017-18.

- DigiZones have been created in Ananya Branches with ATM, Bunch Note Acceptor (BNA), Passbook Update Machine to provide 24X7 services to customers.
- A National Processing Center has been opened at Manipal. This is a digitally enabled processing center to cater to the back office operations which will facilitate centralized instant account opening for Branches.
- Instant account opening facility is introduced in 1029 branches with issue of SB Welcome Kits to the customers.
- Bank has empanelled Home Loan Counselors (HLC) for canvassing/mobilizing housing loans.
- Bank also integrated with "Vidyalakshmi Portal", an initiative by the Ministry of Human Resources Development to facilitate students to apply for education loans online.
- In its commitment for HR transformation and developing leaders for the future, your Bank has put in place system driven-appraisal system with more weightage to objective parameters to ensure scientific measurement of staff performance and also implemented policy on Succession Planning for smooth succession in various key areas.

The above initiatives under Project Ananya are aimed to increase quality business and sales to enhance profitability, increase cross selling of products and unleash the potential of human resources and to reduce the overall transaction costs of various products and services offered by the Bank.

Training and Development

Your Bank's focus has been in developing human capital with entrepreneurial mindset. For this purpose, your Bank has undertaken an enterprise wide training for skill building, with special focus on officers/executives in various

वे आगे चल कर क्षेत्रीय/शाखा प्रमुख की भूमिका अदा कर सकें। संवेदनशील क्षेत्रों और शाखाओं को संभालने के लिए पहचाने गए अधिकारियों के लिए, बैंक ने विशेष कार्यपालक विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था की है, जिनमें मुख्य रूप से सॉफ्ट कौशल शामिल हैं। कौशल अंतर को भरने के लिए, बैंक ने कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई, कोष और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । इसके अतिरिक्त, अनन्या परियोजना के तहत अधिकारियों के लिए स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ''प्रशिक्षक को प्रशिक्षण'' कार्यक्रम भी शामिल है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा समकालीन आधार पर ई-लर्निंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजना का आरंभ किया गया है, जो ज्ञान और कौशल में वृद्धि करेगी। वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 493 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 14,638 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, भारत और विदेशों में प्रतिष्ठा प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 979 कार्यपालकों/ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

औद्योगिक संबंध:

आपका बैंक एक अनुकूल कामकाजी माहौल को बनाए रखने के लिए कदम उठा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी मानव शक्ति बैंक के कारोबारिक विकास में अच्छी तरह से सुसज्जित, प्रेरित और सक्रिय रूप से भाग लें। बैंक में औद्योगिक संबंध, बैंक के कारोबार में समग्र विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहा है । यूनियन/ एसोसिएशन कॉर्पोरेट लक्ष्यों के प्रति उत्तरदायी और सक्रिय हैं।

भविष्य का मार्ग

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 की ओर चलते हुए, अपका बैंक पहले उल्लेखित छह विषयों पर ध्यान केंद्रित कर ईज़ (EASE) - तक पहुँच को बढ़ाने और सेवा में उत्कृष्टता लाने के लिए सुधार एजेंडे को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके बैंक ने समय-समय पर सुधार एजेंडे को लागू करने के लिए पहल की है।
2. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपनी कारोबार नीति को भारत सरकार के सुधार एजेंडे के अनुसार पुन:संगठित किया है, जिसके तहत बैंक का उद्देश्य खुदरा, एमएसएमई और कृषि ऋणों में स्वस्थ विकास, एनपीए की वसूली, दबावग्रस्त खातों की नज़दीकी निगरानी के अलावा प्रति-विक्रय, डिजिटलीकरण और शिकायतों के त्वरित निवारण के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ाव एवं संतुष्टि हासिल करना है । बैंक एनपीए प्रबंधन एवं कासा संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके पूंजी अनुकूलन और लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3. आवधिक अभियानों को व्यवस्थित करने के साथ-साथ कासा को बढ़ाने के लिए बैंक, प्रचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, लक्षित बिक्री के लिए विपणन/बिक्री अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करेगा, वेबसाइट के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा को सरल बनाएगा, कॉर्पोरेट

specialized activities. This exercise encompasses skill and leadership building of staff to assume the role of Branch/ Regional Heads. For the identified executives handling sensitive regions and branches, Bank has arranged special executive development programmes which include modules on soft skills. To bridge the skill gap, Bank conducted special training programmes on Corporate Credit, MSME, Treasury and Priority Sector Lending. In addition to this, locational training programmes for officers were conducted under Project Ananya, which included training programmes on "Training the Trainer". A significant project taken up by the Bank during the year has been in the area of e-learning on a contemporary basis, which will fast forward knowledge and skill enhancement. During the year 2017-18, the Bank conducted 493 internal training programmes covering 14,638 employees. In addition, 979 officers/executives were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India and abroad.

Industrial Relations

Your Bank has been taking measures towards maintaining a conducive working atmosphere to ensure that its human power is well-equipped, motivated and actively participates in the growth of the business of the Bank. Industrial relations in the Bank has been cordial and harmonious facilitating all-round growth in the business of the Bank. The Unions/Associations have also been responsive and proactive to the corporate goals.

Way Forward

1. Moving forward in FY 2018-19, your Bank is committed to implement the reforms agenda under EASE-Enhanced Access and Service Excellence focusing on the six themes mentioned earlier. Your Bank has already taken initiatives to implement the reform agenda in a time bound manner.
2. Your Bank has realigned its Business Strategy for FY 2018-19 as per the reforms agenda of the Government of India under which Bank aims to achieve healthy growth in retail, MSME & agricultural advances, recovery of NPAs, close monitoring of stressed accounts besides customer engagement and satisfaction through cross selling, digitization and prompt redressal of grievances. The Bank would focus on Capital optimization and profitability through focus on NPA Management and CASA augmentation.
3. To augment CASA other than organizing periodical campaigns, Bank will organize awareness programmes on products and services through various modes of publicity, utilizing services of Marketing/Sales Officers for targeted sales, simplifying account opening facility through website, tie-up with corporates for

एवं उनके कर्मचारियों के खातों के लिए कॉर्पोरेट के साथ समझौता करेगा, एनपीसी के तहत सभी शाखाओं को कवर करने के लिए राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र (एनपीसी) का उन्नयन और उनकी संख्या में वृद्धि करेगा। बैंक, एमएसएमई के लिए आरएमएलसी और उद्यमी मित्र शाखाओं के लिए अधिक संभावित केंद्रों की पहचान करेगा ।

4. आपके बैंक को एक विपणन संगठन के रूप में परिवर्तित के लिए शुरू की गई परिवर्तनकारी कार्यक्रम ''अनन्या परियोजना'' का लाभ उठाएगा।
5. उत्तरदायी और जिम्मेदार पीएसबी के लिए सुधार एजेंडे के भाग के रूप में दबावग्रस्त आस्तियों और उच्च मूल्य के विशेष उल्लिखित खातों का प्रबंधन करने के लिए बनाए गए **"दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल"** को और मजबूत बनाएगा।
6. कारोबार की सुविधा और बेहतर निगरानी के लिए सभी 8 अंचलों में से प्रत्येक के लिए हम संरक्षक महाप्रबंधक को नामित करने की प्रक्रिया में हैं।
7. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सीबीएस प्लेटफॉर्म का स्तरोन्नयन, फ्लेक्स-क्यूब के मौजूदा संस्करण 6.2 से 11.7 में किया जा रहा है।
8. एचआर के मामले में, बेहतर कर्मचारी विनियोजन और संतुष्टि के लिए, बैंक ने त्रिकोणीय दृष्टिकोण यानी क्षमता आंकलन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को अपनाया है। अधिकारियों की योग्यता आंकलन के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को आवंटित करने हेतु, बैंक बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का लाभ उठाएगा । कर्मचारियों को परीक्षा शुल्क की वापसी के द्वारा प्रमाणन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, बैंक ने आवश्यकता और कर्मचारी की पसंद के अनुसार प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी कौशल बढ़ाने के लिए बैंक, क्लास रूम और स्थानीय प्रशिक्षण के अलावा, ई-लर्निंग प्रणाली को विकसित कर रहा है। उत्तराधिकार योजना और कर्मचारियों के परामर्श पर ध्यान दिया जाएगा।

आगे बढ़ते हुए, हम विशेष रूप से खुदरा खंड में विकास की गति को बढ़ाने के लिए अपनी दूरदर्शी कार्यनीति जारी रखेंगे । आपके बैंक का लक्ष्य और उद्देश्य, एक लाभदायक कारोबारी मॉडल का निर्माण, बेहतर अनुपालन, अधिक से अधिक ग्राहक अभिविन्यास के लिए मानकीकरण प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण, ब्रांड इक्विटी से लाभार्जन और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के मामले में अधिक से अधिक सहायता प्रदान करना है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना एक विशेष क्षेत्र रहेगा। आपका बैंक, दक्षता में सुधार करने, अनुपालन संस्कृति को बढ़ाने और ग्राहक के अनुभव को सुविधाजनक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कारोबारी कार्यनीति, लाभदायक व्यवसाय विस्तार को प्राप्त करने के साथ-साथ हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित रखना है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके निरन्तर सहयोग और संरक्षण से आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतम शिखर तक पहुंच सकेगा।

corporate accounts and their employees, scaling up and increasing the number of National Processing Centres (NPC) to cover all the branches under NPC. Bank will identify more potential centers for RMLC and UdyamiMitra branches for MSMEs.

4. Your Bank will leverage its transformational programme viz., "Project Ananya" to convert the Bank into a marketing outfit.
5. The **"Stressed Assets Management Vertical"** which has been created to manage stressed assets and high value Special Mention Accounts as part of Reforms Agenda for Responsive & Responsible PSBs will be further strengthened.
6. We are also in the process of designating Guardian General Manager for each of the 8 zones for better monitoring and facilitation of business.
7. The existing CBS platform is being upgraded from the existing 6.2 version to 11.7 version of Flex-cube during the current financial year.
8. On the HR front, for better Employee Engagement & Satisfaction, Bank has adopted three pronged approach i.e., Competency mapping, Capacity building and Training. For competency mapping of executives for assigning roles and responsibilities, Bank will be availing of the services of external agencies. Employees are being encouraged to take up Certification courses by reimbursing of examination fees. Further, Bank envisages to introduce need based and employee preferred training. Other than class room and locational training, Bank will be increasing the band width of E-learning system to enhance the staff skills. Focus would be given on succession planning and mentoring of staff.

Going forward, we will continue with our prudent strategy to enhance growth momentum especially in the retail segment. Your Bank's goals and objectives are aimed at building a profitable business model, standardizing systems and procedures for better compliance, greater customer orientation, leveraging brand equity and providing support in terms of greater technology applications. Promoting Digital Banking will be a focus area. Your Bank is committed to invest in updating technology to improve efficiency, to enhance compliance culture and to make the customer's experience convenient and user friendly. The Business strategy, while achieving profitable business expansion, will remain focused on effective risk management to meet the expectations of all stakeholders.

With your continued support and patronage, I am confident that your Bank is poised to reach greater heights during the FY 2018-19.

आभार

मैं अपने सभी शेयरधारकों को हमारी शक्ति और क्षमताओं में निरंतर विश्वास के लिए , भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बोर्ड के सदस्यों को उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए, ग्राहकों को उनके लगातार समर्थन और विश्वास के लिए तथा सतत आधार पर वित्तीय रूप से मजबूत तथा सक्रिय बैंक के निर्माण में सिंडिकेटबैंक परिवार के सभी सदस्यों को उनके अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

एम ओ रेगो

स्थान : मणिपाल

(मेलविन रेगो)

दिनांक : 31 मई, 2018

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Acknowledgement

I thank all our shareholders for their continued faith in our strength and capabilities, Government of India, Reserve Bank of India and Members of the Board for their valuable support and guidance, customers for their continued support and trust and all the members of SyndicateBank family for their tireless efforts and hard work towards building a financially strong and vibrant Bank on a sustainable basis.

With Best Wishes,

Yours sincerely,

Place : Manipal

(Melwyn Rego)

Date : May 31, 2018

Managing Director & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2018 की स्थिति में लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा विवरण सहित बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट, निदेशक मंडल सहर्ष प्रस्तुत करता है।

वित्तीय निष्पादन

आपके बैंक के वित्तीय निष्पादन का सारांश निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2018	विचारण (%)
कुल जमाराशियाँ	**2,60,561**	**2,72,776**	4.69
जिनमें से – घरेलू जमाराशियाँ	2,34,543	2,41,092	2.79
विदेशी जमाराशियाँ	26,018	31,684	21.78
घरेलू जमाराशियाँ	**2,34,543**	**2,41,092**	2.79
जिनमें से – चालू खाता जमाराशियाँ	11,535	12,016	4.17
बचत जमाराशियाँ	64,257	68,346	6.36
कासा जमाराशियाँ (घरेलू)	75,792	80,362	6.03
घरेलू जमाराशियों के लिए घरेलू कासा (%)	**32.32**	**33.33**	
अग्रिम	**2,07,065**	**2,23,346**	7.86
जिनमें से – घरेलू अग्रिम	1,71,377	1,81,477	5.89
विदेशी अग्रिम	35,688	41,869	17.32
कुल आस्तियाँ	3,23,977	2,99,073	-7.69
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	6,276	6,552	4.40
अन्य आय	3,457	2,806	-18.83
जिनमें से – शुल्क आय	757	710	-6.21
निवेश की बिक्री पर लाभ	1740	946	-45.63
बट्टे खाते डाले गए विवेक-सम्मत खातों से वसूली	376	488	29.79
एनआईआई + अन्य आय	9,733	9,358	-3.85
परिचालन व्यय	5,500	5,494	-0.11
परिचालन लाभ	4,233	3,864	-8.72
प्रावधान	3,581	8,253	130.47
जिनमें से, एनपीए और बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	3,694	7,707	108.64
कर पूर्व लाभ	652	-4389	-
कर हेतु प्रावधान	293	-1166	-
निवल लाभ	359	-3,223	-
विनियोजन/अंतरण			
सांविधिक आरक्षित निधि	90	0	
आरक्षित पूंजी	96	62	
राजस्व और अन्य आरक्षित निधि	-	-	
(i) सामान्य आरक्षित निधि	0	-3,285	
(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	173	0	
(iii) निवेश आरक्षित निधि खाता	0	0	
(iv) पिछले वर्ष के दौरान कृत अधि-विनियोजन से अंतरण	0	0	
मुख्य निष्पादन संकेतक			
निधियों की औसत लागत	5.53	4.94	
निधियों पर औसत प्रतिफल (%)	7.60	7.06	
औसत अर्जक आस्तियाँ	2,65,325	2,68,375	
निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.37	2.44	
लागत आय अनुपात (%)	56.51	58.71	
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) (%)	0.12	-1.05	
ईक्विटी पर प्रतिलाभ (%)	3.02	-26.68	
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, एफसीटीआर एवं निवल डीटीए को शामिल कर)	154.64	105.43	
ईपीएस (₹)	4.21	-34.00	

* शेयर का अंकित मूल्य ₹10/-

वित्तीय वर्ष 2017-18 अवसरों एवं चुनौतियों का मिश्रण रहा है। चुनौतियों के बावजूद, आपके बैंक ने विभिन्न बाजारी अवसरों का लाभ उठाते हुए वर्ष के दौरान अच्छा निष्पादन किया है।

DIRECTORS' REPORT

The Board is pleased to present Directors' Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2018 and the Profit & Loss Account Statement for the Financial Year ended 31st March, 2018.

Financial Performance

The snapshot of your Bank's financial performance is as below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2018	Variation (%)
Total Deposits	**2,60,561**	**2,72,776**	4.69
Of which-Domestic Deposits	2,34,543	2,41,092	2.79
Overseas Deposits	26,018	31,684	21.78
Domestic Deposits	**2,34,543**	**2,41,092**	2.79
Of which-Current Account Deposits	11,535	12,016	4.17
Savings Deposits	64,257	68,346	6.36
CASA Deposits (Domestic)	75,792	80,362	6.03
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	**32.32**	**33.33**	
Advances	**2,07,065**	**2,23,346**	7.86
Of which-Domestic Advances	1,71,377	1,81,477	5.89
Overseas Advances	35,688	41,869	17.32
Total Assets	3,23,977	2,99,073	-7.69
Net Interest Income (NII)	6,276	6,552	4.40
Other Income	3,457	2,806	-18.83
Of which-Fee Income	757	710	-6.21
Profit on sale of Investment	1,740	946	-45.63
Recovery from Prudential written off accounts	376	488	29.79
NII+ Other Income	9,733	9,358	-3.85
Operating Expenses	5,500	5,494	-0.11
Operating Profit	4,233	3,864	-8.72
Provisions	3581	8253	130.47
Of which; Provisions for NPAs & Bad debts written off	3,694	7,707	108.64
Profit Before Tax	652	-4,389	-
Provision for Tax	293	-1,166	-
Net Profit	359	-3,223	-
Appropriations/Transfers			
Statutory Reserve	90	0	
Capital Reserve	96	62	
Revenue and other Reserves	-	-	
(i) General Reserve	0	-3,285	
(ii) Special Reserve u/s 36(I)(viii) of the Income Tax Act 1961	173	0	
(iii) Investment Reserve Account	0	0	
(iv) Transfer from Excess Appropriation of previous year	0	0	
Key Performance Indicators			
Average Cost of Funds	5.53	4.94	
Average Yield on Funds(%)	7.60	7.06	
Average Earning Assets	2,65,325	2,68,375	
Net Interest Margin (%)	2.37	2.44	
Cost-Income Ratio (%)	56.51	58.71	
Return on Assets (ROA) (%)	0.12	-1.05	
Return on Equity (%)	3.02	-26.68	
Book Value per share (₹) inclusive of revaluation reserve, FCTR& Net DTA	154.64	105.43	
EPS (₹)	4.21	-34.00	

*Face value of the share ₹10/-

The financial year 2017-18 had been a mix of opportunities and challenges. Despite the challenges, your Bank performed well during the year leveraging various market opportunities.

आपके बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च 2017 के ₹4,67,626 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 की स्थिति में ₹4,96,122 करोड़ हो गया है। बैंक ने पिछले वर्ष की तुलना में 6.09% की वृद्धि दर्ज की है।

बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) 31 मार्च 2018 की स्थिति में 4.40% बढ़कर ₹6,552 करोड़ हो गई, जबकि अन्य आय 18.83% घटकर ₹2806 करोड़ हो गई।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹3,864 करोड़ के परिचालन लाभ के साथ 8.72% की गिरावट दर्ज की। प्रावधान लागत (करों के अलावा) पिछले वर्ष के ₹3,581 करोड़ की तुलना में 130.47% बढ़कर ₹8,253 करोड़ हो गई।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ, -1.05% रहा जबकि, इक्विटी पर प्रतिलाभ, -26.68% रहा। प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹ 10/-) ₹ -34.00 रहा।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) **(% में)**

	31.03.2017	31.03.2018
पूंजी पर्याप्तता - बासेल III	12.03	12.24
सीईटी-I	7.50	7.56
टीयर- I	9.26	9.41
टीयर- II	2.77	2.83

बासेल III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात, 31 मार्च 2018 की स्थिति में 12.24% रहा, जो विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है। बासेल III संरचना के अंतर्गत टीयर- I अनुपात 9.41% और सामान्य इक्विटी टीयर- I (सीईटी- I) 7.56% रहा। बैंक ने एटी-1 बॉन्ड के माध्यम से ₹450 करोड़ की कर्ज पूंजी, टीयर- II बॉन्ड के माध्यम से ₹500 करोड़ की कर्ज पूंजी और क्यूआईपी के माध्यम से ₹1,150.80 करोड़ की इक्विटी पूंजी बढ़ाई, इसके बाद मार्च 2018 में भारत सरकार ने ₹ 2,839 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च 2018 की स्थिति में बैंक की निवल मालियत ₹11,771 करोड़ थी, जिसमें ₹1,417 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी पूंजी और ₹10,354 करोड़ की आरक्षित निधि (पूनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, एफसीटीआर एवं अमूर्त आस्तियों के निवल को छोड़कर) शामिल थी। शेयर का बही मूल्य (अंकित मूल्य ₹ 10/-) ₹105.43 था।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक व्यापार में उल्लेखनीय सकारात्मकता आने से वर्ष 2017 में वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत होकर 3.8 प्रतिशत पर आ गई जिसके वर्ष 2018 और 2019 में 3.9 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो सशक्त आवेग, अनुकूल बाजार भावना, अनुकूल वित्तीय स्थिति और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तारित राजकोषीय नीति की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से समर्थित है।

आईएमएफ के अनुसार, जबकि अल्पकालिक दृष्टिकोण में ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी जोखिमों को व्यापक रूप से संतुलित किया गया है, अगले कुछ तिमाहियों के बाद, जोखिमों के अधोगामी होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं । वित्तीय स्थितियों की संभावित रूप से तीव्र तंगी, वैश्विक आर्थिक एकीकरण के लिए लोकप्रिय समर्थन, कारोबारी तनाव में वृद्धि और संरक्षणवादी नीतियाँ एवं भूराजनीतिक विकृतियाँ अधोगामी परिस्थितियों में चिंता का विषय है।

The total business of your Bank increased from ₹4,67,626 crore as of March 31, 2017 to ₹4,96,122 crore, as of March 31, 2018 posting a growth of 6.09% over the previous year.

The net interest income (NII) of the bank increased by 4.40% to ₹6,552 crore as of March 31, 2018, while other income decreased by 18.83% to ₹2,806 crore.

Your Bank posted an operating profit of ₹3,864 crore during FY 2017-18, registering a decline of 8.72%. The provision cost (other than taxes) increased by 130.47% to ₹8,253 crore compared to ₹3,581 crore last year.

For the year ended March 31, 2018, the return on average assets was -1.05% while return on equity was -26.68%. The earnings per share (FV ₹10/-) were ₹-34.00.

Capital Adequacy Ratio (CAR) **(in %)**

	31.03.2017	31.03.2018
Capital Adequacy-Basel III	12.03	12.24
CET-I	7.50	7.56
Tier-I	9.26	9.41
Tier-II	2.77	2.83

Capital Adequacy Ratio at 12.24% under Basel III was well above the regulatory requirements as of March 31, 2018. Tier1 ratio was at 9.41% and common equity Tier 1 (CET-1) was at 7.56% under Basel III framework. Bank raised ₹450 crore of debt capital by way of AT-1 bonds, ₹500 crore of debt capital by way of Tier II bonds and equity capital through QIP of ₹1,150.80 crore followed by Government of India infusion of ₹2,839 crore in the month of March 2018. Bank's Net Worth as of March 31, 2018 was ₹11,771 crore comprising paid-up equity capital of ₹1,417 crore and reserves (excluding revaluation reserves, FCTR & Net of Intangible assets) of ₹10,354 crore. The book value of share (FV ₹10/-) was ₹105.43.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Macro-Economic Scenario

Global Economy

Global economy strengthened in 2017 to 3.8 per cent, with a notable rebound in global trade, which is expected to tick up to 3.9 per cent in both 2018 and 2019 supported by strong momentum, favorable market sentiment, accommodative financial conditions, and the domestic and international repercussions of expansionary fiscal policy in the United States.

According to IMF, while upside and downside risks to the short-term outlook are broadly balanced, risks beyond the next several quarters clearly lean to the downside. Downside concerns include a possibly sharp tightening of financial conditions, waning popular support for global economic integration, growing trade tensions and risks of a shift toward protectionist policies, and geopolitical strains.

घरेलू अर्थव्यवस्था

घरेलू पक्ष में, जीएसटी के कार्यान्वयन और नोटबंदी के पश्चात हुई प्रारंभिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाहियों, पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर क्रमशः 5.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारत ने जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। इस समग्र विकास में कृषि (4.5%), विनिर्माण (9.1%) और भवन-निर्माण क्षेत्र (11.5%) में तेज गति से हुए विकास का योगदान रहा। अपने अनंतिम आकलन में सीएसओ द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जीडीपी विकास दर में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।

विश्व आर्थिक परिदृश्य (डबल्यूईओ) के अपने रिपोर्ट में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि, वर्ष 2017 में 6.7 प्रतिशत, 2018 में 7.4 प्रतिशत और 2019 में 7.8 प्रतिशत होने की भविष्यवाणी की है जो सुदृढ़ निजी खपत के साथ-साथ मुद्रा विनिमय पहल और राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के अस्थायी प्रभाव से समर्थित होगी। मध्य अवधि के दौरान, संरचनात्मक सुधारों के निरंतर कार्यान्वयन के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि की अपेक्षा है जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी और निजी निवेश प्रोत्साहित होंगे।

तेल एवं खाद्य कीमतों में उछाल और एचआरए संशोधन के कारण बढ़ी हुई मजदूरी के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि हुई है। मार्च 2016-17 के 3.89 प्रतिशत की तुलना में सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2017-18 की स्थिति में बढ़कर 4.28 प्रतिशत हो गई है।

31 मार्च 2017 के ₹127,919.4 बिलियन की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति 30 मार्च 2018 की स्थिति में वर्षानुवर्ष 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹140,144.8 बिलियन हो गई है।

बाह्य क्षेत्र वृद्धि

वर्ष 2017-18 के दौरान, निर्यात (सौदा/माल व्यापार) 9.78 प्रतिशत बढ़कर अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) 302.84 बिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान यूएसडी 275.85 बिलियन था। दूसरी ओर, आयात भी 19.59% बढ़कर यूएसडी 459.67 बिलियन हो गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यूएसडी 384.36 बिलियन था।

माल और सेवाओं को मिलाकर, अप्रैल-मार्च 2017-18 के लिए कुल व्यापार घाटा यूएसडी 87.17 बिलियन अनुमानित है जो अप्रैल-मार्च 2016-17 के दौरान के यूएसडी 47.70 बिलियन था।

विदेशी मुद्रा भंडार 31 मार्च, 2017 के यूएसडी 369.96 बिलियन के मुकाबले 30 मार्च 2018 की स्थिति में 14.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए यूएसडी 424.36 बिलियन हो गया। जबकि विदेशी मुद्रा आस्ति, 31 मार्च 2017 को यूएसडी 346.32 बिलियन की तुलना में 30 मार्च, 2018 को 15.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए यूएसडी 399.12 बिलियन हो गई।

पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2018 के दौरान रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.32 प्रतिशत, ग्रेट ब्रिटन पाउंड के मुकाबले 14.10 प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 16.42 प्रतिशत और जापानी येन के मुकाबले 6.18 प्रतिशत की गिरावट हुई।

Domestic Economy

On the domestic front, the economy recovered after the initial slowdown post demonetisation and implementation of GST. India registered an impressive GDP growth of 7.7 per cent in the fourth quarter (Q4) of financial year 2017-18 as against 5.6 per cent, 6.3 per cent and 7.0 per cent respectively, in the first three quarters, Q1, Q2 and Q3 of 2017-18. Rapid growth in agriculture (4.5%), manufacturing (9.1%) and construction sectors (11.5%) contributed to the overall growth. CSO in its provisional estimates has projected GDP growth rate at 6.7 per cent for the FY 2017-18.

IMF in its World Economic Outlook (WEO) report has projected India's GDP growth at 6.7 per cent in 2017, 7.4 per cent in 2018 and 7.8 per cent in 2019 supported by strong private consumption as well as fading transitory effects of the currency exchange initiative and implementation of the national goods and services tax. Over the medium term, growth is expected to gradually rise with continued implementation of structural reforms that raise productivity and incentivize private investment.

Surge in oil & food prices, and increased wages on account of HRA revision resulted in a sharp increase in inflation. The CPI inflation stood at 4.28 per cent as on March 2017-18 as against to 3.89 per cent in March 2016-17.

Money supply increased by 9.6 per cent y-o-y to ₹140,144.8 billion as on March 30, 2018 as against ₹127,919.4 billion as on March 31, 2017.

External sector growth

During 2017-18, exports (merchandise trade) increased by 9.78 per cent to USD 302.84 Billion, from USD 275.85 Billion during the corresponding period of previous year. On the other hand, imports also increased by 19.59 per cent to USD 459.67 Billion from USD 384.36 Billion during the corresponding period of a year ago.

Taking merchandise and services together, overall trade deficit for Apr-Mar 2017-18 is estimated at USD 87.17 Billion as compared to USD 47.70 Billion during Apr-Mar 2016-17.

Foreign exchange reserves stood at USD 424.36 Billion as on March 30, 2018 as against USD 369.96 Billion as on March 31, 2017 registering a growth of 14.71 per cent. Whereas foreign currency assets stood at USD 399.12 Billion as on March 30, 2018 as against USD 346.32 Billion as on March 31, 2017 registering a growth of 15.25 per cent.

The rupee depreciated by 0.32 per cent against US Dollar, 14.10 per cent against Great Britain Pound, 16.42 per cent against Euro and 6.18 per cent against Japanese Yen during March 2018 over the previous year.

बैंकिंग परिदृश्य

भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां, 31 मार्च 2017 को प्राप्त 11.3 प्रतिशत (₹1,07,576.56 बिलियन) की वृद्धि की तुलना में 30 मार्च 2018 की स्थिति में, 6.7 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹114,749.89 बिलियन हो गई।

दूसरी ओर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि, 31 मार्च 2017 को प्राप्त 4.5 प्रतिशत (₹78,414.66 बिलियन) की तुलना में 30 मार्च 2018 की स्थिति में, 10.3 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹86,507.14 बिलियन हो गई।

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख नीतिगत उपायों में आरबीआई द्वारा घोषित बदलाव निम्नलिखित हैं:

- रेपो दर 25 आधार अंक (बीपीएस) घटाकर 6.00% और रिवर्स रेपो दर 25 आधार अंक (बीपीएस) घटाकर 5.75% कर दिया गया।
- नकद आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4% पर अपरिवर्तित बनी रही।
- सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) 1% घटाकर 19.50% कर दिया गया।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए वर्ष 2017-18 चुनौतीपूर्ण था। बढ़ते एनपीए ने कई सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के तुलनपत्र पर नकारात्मक असर डाला। दबावग्रस्त आस्तियों पर प्रावधानीकरण हेतु भारी राशि जुटाने के परिणामस्वरूप अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों ने अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में दबाव म हसूस किया । अपनी पूंजी की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास में, कुछ सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों ने क्यूआईपी लगाने तथा अपने निवेश युक्त अनुषंगियों/ गौण आस्तियों के शेयरों को बेचने की प्रक्रिया भी अपनाया।

सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए । इसके लिए सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने हेतु द्विवर्षीय योजना का अनावरण किया गया तथा ₹2.11 लाख करोड़ (अमेरिकी डॉलर 32.5 बिलियन) का पूंजी निवेश किया गया। दबावग्रस्त आस्तियों के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया को गति देने के लिए दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 विधेयक पारित किया गया।

हमारा लक्ष्य, भविष्य-दृष्टि तथा मूल्य कथन

बैंक ने भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी अपना कथन तय किया है, जो न केवल दूरगामी कॉरपोरेट लक्ष्यों को हासिल करने में मार्गदर्शक है बल्कि, नया कारोबार प्राप्त करने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने, भविष्य में बाजार की संभावनाओं की कल्पना करने एवं उस पर अपनी पकड़ बनाने में भी मददगार है और इन अवसरों को दूरगामी कारोबार लक्ष्यों एवं लाभों के रूप में बदलने में भी सहायता प्रदान करता है।

हमारी भविष्य-दृष्टि

''ग्राहक केंद्रित, तकनीकी संचालित और कर्मचारी हितैषी बनकर हिताधिकारियों को महत्व देते हुए एक अग्रणी वित्त-सक्षम वैश्विक बैंक बनना''

हमारा लक्ष्य

- समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए बैंकिंग समाधान का एक अग्रणी सुविधादाता बनना।

Banking Scenario

The deposits of Scheduled Commercial Banks in India increased by 6.7 per cent y-o-y to ₹114,749.89 billion as on March 30, 2018 as against an increase of 11.3 per cent (₹1,07,576.56 billion) as on March 31, 2017.

On the other hand, credit growth of Scheduled Commercial Banks increased by 10.3 per cent y-o-y to ₹86,507.14 billion as on March 30, 2018 as against an increase of 4.5 per cent (₹78,414.66 billion) as on March 31, 2017.

The year 2017-18 saw the following changes in the key policy measures as announced by the RBI.

- Repo rate reduced by 25 basis points (bps) to 6.00 per cent and Reverse Repo rate by 25 basis points (bps) to 5.75 per cent.
- Cash Reserve Ratio (CRR) remained unchanged at 4 per cent of Net Demand and Time Liabilities (NDTL).
- Statutory Liquidity Ratio (SLR) was decreased by 1 per cent to 19.50 per cent.

The year 2017-18 was challenging for the Indian banking sector. Mounting NPAs cast a negative impact on the balance sheets of many PSBs. Most of the PSBs were constrained to meet their capital requirements on account of huge amount of provisioning on stressed assets. In an attempt to improve their capital position, some PSBs resorted to QIP placements and selling of stakes in investments made in their subsidiaries/non-core assets.

The Government and the RBI undertook key measures to strengthen the banking sector. It unveiled a two-year plan to strengthen the public sector banks through reforms and capital infusion of ₹2.11 lakh crore (USD 32.43 Billion). The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 Bill was passed to speed up the recovery process under stressed assets.

VISION, MISSION AND VALUE STATEMENTS

Bank has a Vision & Mission Statements which act as a guiding force not only for pursuing long term corporate goals but also paving way to acquire new business, improving customer service, visualize and seizing future market potentials and converting these opportunities into a long term business goals and advantages.

Our Vision

"Be a leading financially strong universal bank, creating value for stakeholders through customer centric, technology driven and employee friendly approach".

Our Mission

- Be a leading provider of banking solutions providing range of financial services to all strata of society.

- ❖ अपनी ग्राहक सेवा के लिए मशहूर एक अतिमान्य व दृश्यमान ब्रांड बनना।
- ❖ अतिसुविधाजनक कार्यस्थल का निर्माण जहाँ कर्मचारी गर्व एवं अभिप्रेरित महसूस करें।
- ❖ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सुविधाओं द्वारा सभी हिताधिकारियों के लिए सुखद माहौल तैयार करना।
- ❖ सशक्त वित्तीय एवं परिचालनगत निष्पादन

<u>हमारा मूल्य कथन</u>

''नीतिपरक कारोबार अपनाने के लिए लेनदेन में पारदर्शिता द्वारा बेहतर कॉरपोरेट अभिशासन''

वर्ष 2017-18 के लिए कारपोरेट कार्यनीति

भविष्य के लक्ष्य को पूरा करने एवं बदलते बाज़ार -परिवेश की स्पर्धाओं से निपटने के लिए कारोबार स्तर, ग्राहक सेवा, अभिशासन एवं अनुपालन में सुधार लाने तथा महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से बैंक ने विवेकपूर्ण ढंग से कारपोरेट कार्यनीति तैयार की है।

भावी संवृद्धि के लिए अवसरों की तलाश और वित्तीय वर्ष 2017-18 के कारोबारी लक्ष्यों को हासिल करने हेतु अपनाई जानेवाली कार्यनीतियों पर परिचर्चा के लिए बैंक द्वारा क्षेत्र महा प्रबंधकों के साथ कार्यपरक महा प्रबंधकों एवं चयनित क्षेत्रीय प्रबंधकों को शामिल करते हुए बेंगलूरु में 23 मार्च 2017 को कार्यनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कुछ प्रमुख कार्यनीतियां निम्नवत् हैं:

1. **कासा संवृद्धि:** संस्थागत एवं सरकारी खातों, वेतन खातों, को जुटाना, एएसबीए खातों को लोकप्रिय बनाना, निष्क्रिय एवं अवरुद्ध खातों को सक्रिय करना, लेन-देन की लागत में कमी लाने हेतु डिजिटल बैंकिंग उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना, परिचालन क्षमता में सुधार तथा युवा पीढ़ी को आकर्षित करना।
2. **कृषि:** निवेश ऋण क्षेत्रों की पहचान तथा उसपर ध्यान केंद्रित करना, नियमित रूप से ग्राम संपर्क कार्यक्रम का आयोजन, बीसी की नियुक्ति एवं वित्तीय सम वेशन हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग, कारोबार विकास एवं वसूली, एसएचजी एवं जेएलजी बैंक लिंकेज में अच्छा कारोबार जुटाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से संपर्क, एनजीओ एवं कृषि संसाधन केन्द्रों से गठजोड़ व्यवस्था।
3. **खुदरा एवं एमएसएमई:** आवास ऋणों के विपणन, उच्च मूल्य वाले शिक्षा ऋणों पर ध्यान केंद्रित करना, नजदीकी शाखाओं/आरएलसी से प्राधिकृत डीलरों को जोड़ना, सभी कार्यदिवसों को आभूषण ऋणों का वितरण, खुदरा एवं एमएसएमई के क्षेत्र में कारोबार जुटाना
4. **वसूली एवं समाधान:** एनपीए स्तर को मार्च 2017 के स्तर से न्यूनतम 10% कम करने का लक्ष्य, नई गिरावटों को रोकने के लिए एसएमए खातों का नियमित अनुवर्तन, सभी पात्र मामलों में सीजीटीएमएसई दावों को दर्ज करना, वाहनों/ आस्तियों की जब्ती एवं बिक्री के लिए वसूली/प्रवर्तन एजेंटों की नियुक्ति।
5. **गैर-ब्याजी आय एवं शुल्क आधारित आय:** बढ़ते गैर-निधि आधारित कारोबार पर ध्यान केंद्रित करना, बैंकों एवं तृतीय पक्ष उत्पादों का प्रतिविक्रय,

- ❖ Be a highly recognized and visible brand, known for its customer service.
- ❖ Be the most preferred place to work where employees feel proud and motivated.
- ❖ Have state of the art technology & infrastructure creating delight among all stakeholders.
- ❖ To deliver strong financial and operational performance.

<u>Our Value Statement</u>

"Good Corporate Governance through transparency in dealings in undertaking ethical business".

CORPORATE STRATEGY FOR 2017-18

In order to improve the business level, customer service, governance and compliance and address the key issues with an anticipation of meeting future goal and changing market conditions, Bank is prudently pursuing corporate strategies to improve its competitiveness.

Bank conducted strategy meet on 23rd March, 2017 at Bengaluru involving Zonal Managers along with functional General Managers and select Regional Managers to discuss the strategies to be adopted for achieving the business goals of FY 2017-18 and identify and realize opportunities for future growth. The few of the major strategies adopted for the FY 2017-18 are as under:

1. **CASA growth:** Canvass institutional & government accounts, salary accounts, popularize ASBA accounts, activate inactive and dormant accounts, focus on digital banking products for reduction in transaction cost, improve operating efficiency and also to attract younger generation.
2. **Agriculture:** Identify & focus on investment credit areas, have regular village contact program, engagement of BCs for using their services for financial inclusion, business development and recovery, liaison with National Rural Livelihood Mission (NRLM) to generate good leads for SHG and JLG bank linkage, Tie up with NGOs and agri processing centers.
3. **Retail & MSME:** Focus on marketing housing loans, high value education loans, mapping of authorized dealers with the nearby branches/RLCs, Disburse jewel loans on all working days, Generate leads to increase Retail & MSME.
4. **Recovery & Resolution:** Target reduction of NPA level by minimum of 10% over March 2017 level, Constant follow up of SMA accounts to arrest fresh slippage, lodge CGTMSE claims in all eligible cases, Engage recovery/enforcement agents for seizure and sale of vehicles/ assets.
5. **Non Interest Income & Fee based income:** Focus on increasing non fund based business, Cross selling banks

प्रभारों में रियायत की अनुशंसा से बचना, लागत में कटौती हेतु अनुकूल प्रयासों के माध्यम से परिचालन व्ययों में कमी लाना।

6. **अनुपालन:** उत्कृष्ट अनुपालन संस्कृति का विकास, लेखापरीक्षा अवलोकनों का उचित समाधान/ अनुपालन, सभी जीएल शीर्ष का मिलान सुनिश्चित करना, सभी नियामक निर्देशों का कड़ाई से पालन करना।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, आपके बैंक ने छः विषयों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्नत अभिगम एवं उत्कृष्ट सेवा (ईएएसई)के अंतर्गत भारत सरकार के सुधार कार्यक्रमों के अनुसार अपनी कारोबार कार्यनीति का पुनर्निर्धारण किया है। (i) ग्राहक की प्रतिक्रिया – ग्राहक सुविधा में सुधार, (ii) स्वच्छ एवं विवेकपूर्ण कारोबार हेतु वित्तीय स्थिरता, बेहतर अभिशासन एवं सुगमता, (iii) ऋणों की सक्रियतापूर्वक सुपुर्दगी, (iv) एमएसएमई को वित्तपोषण एवं बिल उगाही की सुगमता, (v) वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण का विकास, तथा (vi) ब्रांड पीएसबी हेतु कार्मिकों का विकास

आपका बैंक भारत सरकार द्वारा सूचित सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से पूंजी के इष्टतम उपयोग, परिचालन क्षमता में सुधार एवं शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि हेतु मार्ग प्रशस्त करने तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में कारोबार की अभिवृद्धि हेतु कारोबार कार्यनीति पर परिचर्चा के लिए माणिपाल में 15 मार्च 2018 को निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन किया गया।

कारोबार संवर्धन अभियान

अपने विभिन्न उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा अधिक कारोबार जुटाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहने के लिए बैंक, कारोबार संवर्धन कार्यनीतियों को एक साधन मानता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने कई संवर्धन अभियानों की शुरुआत की। उनमें से कुछ निम्नवत हैं :

- **कासा अभियान:** कम लागत वाली जमाराशियों, जिसमें जमाराशियों निधियों की लागत को कम करने वाले गुण सहित कई लाभ हैं, में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से, बैंक ने कासा अभियान चलाया।
- **आवास ऋण स्टार अभियान:** आवास ऋण क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने आवास ऋण स्टार अभियान का आयोजन किया।
- **कृषि ऋण अभियान:** कृषि ऋणों को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा कृषि ऋण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान, फसल उत्पादन ऋण, निवेश ऋण और एसएचजी/जेएलजी के लिंकेज को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- **स्वर्ण ऋण अभियान:** स्वर्ण ऋण संविभाग के अंतर्गत पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से, बैंक ने स्वर्ण ऋण अभियान का आयोजन किया।
- **डिजिटल प्रोन्नति अभियान:** ग्राहकों द्वारा डिजिटल चैनलों को अपनाने और व्यापारियों के ऑन-बोर्डिंग को बढ़ावा देने के लिए तथा डिजिटल लेनदारों पर केन्द्रित दृष्टिकोण रखने के उद्देश्य से, आपके बैंक द्वारा डिजिटल प्रोन्नति अभियान का शुभारंभ किया गया।

and third party products, refrain from recommending for concession in charges, reduce operating expenses through concerted efforts in cost cutting.

6. **Compliance:** Development of excellent compliance culture, Undertake proper rectification/ compliance of audit observations, Ensure tallying of all GL heads, Compliance of all regulatory directions meticulously.

For the FY 2018-19, your Bank has realigned its Business Strategy as per the reforms agenda of the Government of India under Enhanced Access and Service Excellence (EASE) focusing on the six themes. (i) Customer Responsiveness- Ease for customer comfort (ii) Financial stability, improved Governance and Ease for clean & prudent Business, (iii) Proactive delivery of credit, (iv) Ease of Financing and bill realisation for MSMEs, (v) Deepening of Financial Inclusion & Digitalization and (vi) Developing personnel for brand PSBs.

Your Bank is committed to implement the reforms agenda as advised by the Government of India for which the Board meeting to discuss Business Strategy was held at Manipal on 15th March, 2018 to lay down road map and strategy to enhance business in defined areas, optimize capital, improve operational efficiency and increase stakeholders' value.

BUSINESS PROMOTION CAMPAIGNS

Bank considers business promotional strategies as a tool to make continuous effort to popularize various products and garner more business. Bank had initiated number of promotional campaigns during the year 2017-18. Few of them are as under.

- **CASA campaign:** To achieve significant growth in low cost deposits which has many fold advantages including reduction in cost of deposits, Bank launched CASA campaign.
- **Home Loan Star campaign:** Keeping in view the stiff competition in Housing loan sector, Bank has conducted Home Loan Star campaign.
- **Agriculture lending campaign:** In order to increase advance under agriculture, Bank had organized agriculture lending campaign. During the campaign, thrust was given to increase crop production credit, investment credit and linkage of SHGs/JLGs.
- **Gold loan campaign:** In order to tap the full potential under Gold loan portfolio, Bank organized Gold loan campaign.
- **Digital Promotional Campaign:** In order to have a focused approach to drive Digital Transactions, your Bank launched Digital Promotional Campaign, for customer adoption of digital channels and on boarding of merchants.

- **एलआईसी अभियान:** शुल्क आधारित आय को बढ़ाने और ग्राहकों को बीमा रक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक द्वारा भारतीय जीवन बीमा के साथ गठजोड़ करके "**एलआईसी विजयोत्सव**" अभियान का शुभारंभ किया गया।
- **सिंड वसूली अभियान 17-18:** बैंक ने सिंड वसूली अभियान 17-18 का आयोजन किया। यह अभियान वसूली को बढ़ाने एवं एनपीए के अंतर्गत नई गिरावटों को रोकने तथा एनपीए के उन्नयन के माध्यम से बेहतर वसूली एवं एनपीए प्रबंधन के लिए लागू एक प्रोत्साहन योजना है, जिसके अंतर्गत श्रेष्ठ निष्पादक क्षेत्रों व शाखाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के प्रमुख निष्पादन

निवल मालियत

बैंक की मूर्त निवल मालियत (आरक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि एवं निवल डीटीए को छोड़कर), 31 मार्च 2017 के ₹12,392 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2018 की स्थिति में ₹11,771 करोड़ हो गई।

लाभांश

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को ₹3223 करोड़ की निवल हानि हुई है। चूंकि, बैंक ने लाभांश की घोषणा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर पाया है, निदेशक मंडल द्वारा लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है।

पूंजी एवं आरक्षित निधि

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी ₹1417 करोड़ (प्रति शेयर ₹10/– की दर से 141,72,72,053 ईक्विटी शेयर) हो गई है।

बैंक की आरक्षित निधि एवं अधिशेष, पिछले वर्ष के मुकाबले 1.84 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए वि. वर्ष 2016-17 के ₹13,280 करोड़ की तुलना में वि. वर्ष 2017-18 में ₹13,525 करोड़ हो गए।

बासेल III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मार्च 2018 की स्थिति में 10.875% की नियामक अपेक्षा की तुलना में सुधरकर 12.24% हो गया, जिसमें पूंजी संरक्षण बफर 1.875% शामिल है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के अंतर्गत, सीईटी I अनुपात 7.56% और टीयर I पूंजी अनुपात 9.41% रहा।

पूंजी की संरचना	मार्च 2017 बासेल–III	मार्च 2018 बासेल- III
जोखिमभार वाली आस्तियां	1,77,481	1,83,091
सीईटी I	13,298	13,843
सीईटी I (%)	7.50%	7.56%
एटी I	3,127	3,390
एटी I (%)	1.76%	1.85%
टीयर I पूंजी	16,425	17,233
सीआरएआर (%) (टीयर I)	9.26%	9.41%
टीयर II पूंजी	4,922	5,180
सीआरएआर% (टीयर II)	2.77%	2.83%
कुल पूंजी	21,347	22,413
सीआरएआर (%)	12.03%	12.24%

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने ₹4,940 करोड़ की पूंजी बढ़ाई है जिसमें क्यूआईपी और भारत सरकार को अधिमानी आबंटन के आधार पर ₹3,990 करोड़

- **LIC Campaign:** To boost fee based income and also to provide to insurance coverage to customers, Bank launched **"LIC Vijayotsav"** campaign, in tie - up with LIC of India.
- **Synd Vasuli Abhiyan 1718:** Bank organized Synd Vasuli Abhiyan17-18, an incentive scheme to recognize performance of the branches and regions for maximizing recovery and NPA management through up-gradation and avoidance of fresh slippages.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE FINANCIAL YEAR 2017-18

Net worth

Tangible Net Worth of the Bank (excluding Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and net DTA) decreased from ₹12,392 crore as at March 31, 2017 to ₹11,771 crore as at March 31, 2018.

Dividend

The Bank has incurred net loss of ₹3,223 crore during the financial year 2017-18. As the Bank does not conform to the eligibility criteria prescribed by RBI for declarations of dividend, the Board has not recommended any dividend.

Capital & Reserves

Bank's authorized share capital stood at ₹3,000 crore and the paid-up capital ₹1,417crore (141,72,72,053 equity shares of ₹10/- each) during the financial year ended as at March 31, 2018.

The Reserves and Surplus of the Bank increased from ₹13,280 crore in FY 2016-17 to ₹13,525 crore in FY 2017-18, registering a y-o-y growth of 1.84 per cent over the previous year.

Capital Adequacy Ratio, under Basel III, improved to 12.24% as at March 2018 against the regulatory requirement of 10.875%, including capital conservation buffer of 1.875%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 7.56% and Tier I capital ratio was at 9.41%.

Composition of Capital	March 2017 Basel-III	March 2018 Basel-III
Risk Weighted Assets	1,77,481	1,83,091
CET I	13,298	13,843
CET I (%)	7.50%	7.56%
AT I	3,127	3,390
AT I (%)	1.76%	1.85%
Tier I Capital	16,425	17,233
CRAR (%) (Tier I)	9.26%	9.41%
Tier II Capital	4,922	5,180
CRAR % (Tier II)	2.77%	2.83%
Total Capital	21,347	22,413
CRAR (%)	12.03%	12.24%

During 2017-18, the Bank raised ₹4,940 crore capital comprising equity capital of ₹3,990 crore from QIP and

की इक्विटी पूंजी तथा बासेल III अनुवर्ती टीयर I एवं टीयर II बॉन्ड जारी करते हुए ₹450 करोड़ की अतिरिक्त टीयर I पूंजी और ₹500 करोड़ की टीयर II पूंजी शामिल है। पूंजी के मामले में बैंक की स्थिति अच्छी है। बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 73.07% है।

preferential allotment to Government of India and ₹450 crore additional tier I capital and ₹500 crore tier II capital by issuing Basel III compliant Tier I and Tier II bonds. The Bank is comfortable in the capital front. Government of India's shareholding in the Bank is at 73.07%.

कारोबार

बैंक का वैश्विक कारोबार, 31 मार्च 2017 के ₹4,67,626 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में ₹4,96,122 करोड़ हो गया जबकि, बैंक का घरेलू कारोबार, 31 मार्च 2017 के ₹4,05,920 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में ₹4,22,569 करोड़ रहा।

जमाराशियां

बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ, 31 मार्च 2017 के ₹2,60,561 करोड़ की तुलना में बढ़कर 31 मार्च 2018 की स्थिति में ₹2,72,776 करोड़ हो गई। बैंक की घरेलू जमाराशियाँ, 31 मार्च 2017 के ₹2,34,543 करोड़ की तुलना में बढ़कर 31 मार्च 2018 की स्थिति में ₹2,41,092 करोड़ हो गई।

कासा जमाराशियाँ

बैंक की घरेलू कासा जमाराशियाँ, 31 मार्च 2017 के ₹75,792 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में 6.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹80,362 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार घरेलू जमाराशि पर घरेलू कासा की हिस्सेदारी की प्रतिशतता 33.33 प्रतिशत रही।

ऋण विनियोजन

बैंक के वैश्विक अग्रिम, 31 मार्च 2017 के ₹2,07,065 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में बढ़कर ₹2,23,346 करोड़ हो गए। घरेलू अग्रिम, 31 मार्च 2017 के ₹1,71,377 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में बढ़कर ₹1,81,477 करोड़ हो गए। वैश्विक ऋण जमा अनुपात, 31 मार्च 2017 के 79.47 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में बढ़कर 81.88 प्रतिशत हो गया।

(₹ करोड़ में / in crore)

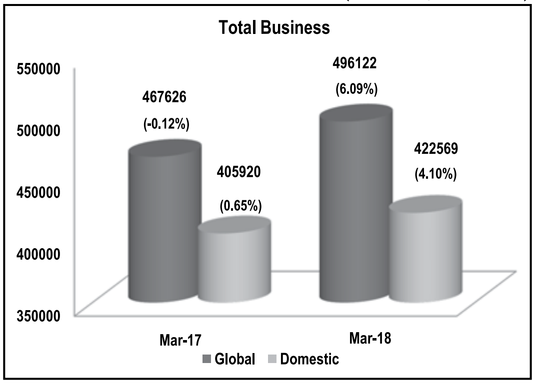

(₹ करोड़ में / in crore)

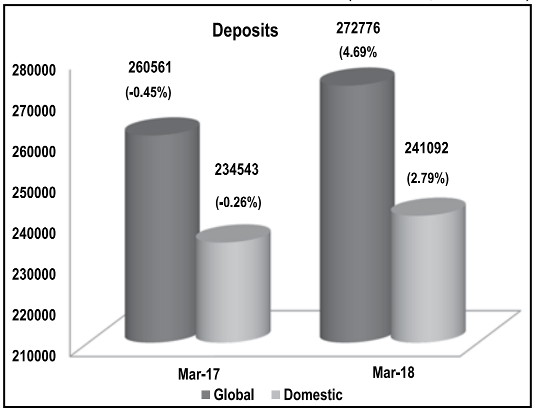

(₹ करोड़ में / in crore)

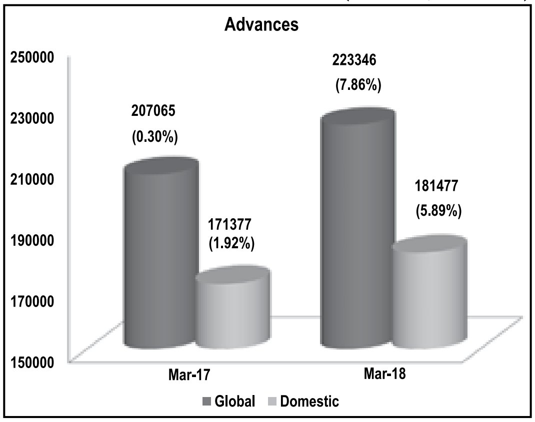

Business

The global business of the Bank stood at ₹4,96,122 crore as at March 31, 2018 as compared to ₹4,67,626 crore as at March 31, 2017 whereas, Bank's domestic business stood at ₹4,22,569 crore as at March 31, 2018 as compared to ₹4,05,920 crore as at March 31, 2017.

Deposits

Global deposits of the Bank stood at ₹2,72,776 crore as at March 31, 2018 as compared to ₹2,60,561 crore as at March 31, 2017. Domestic deposits of the Bank stood at ₹2,41,092 crore as at March 31, 2018 as compared to ₹2,34,543 crore as at March 31, 2017.

CASA Deposits

Domestic CASA deposits of the Bank increased from ₹75,792 crore as at March 31, 2017 to ₹80,362 crore as at March 31, 2018, registering a growth of 6.03 per cent. Per centage of domestic CASA share to domestic deposits stood at 33.33 per cent as at March 31, 2018.

Credit Deployment

The Bank's global advances increased from ₹2,07,065 crore as at March 31, 2017 to ₹2,23,346 crore as at March 31, 2018. Domestic advances grew from ₹1,71,377 crore as at March 31, 2017 to ₹1,81,477 crore as at March 31, 2018. The global credit deposit ratio stood at 81.88 per cent as at March 31, 2018 as compared to 79.47 per cent as at March 31, 2017.

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम, वर्ष 2016-17 के ₹67,905 करोड़ से 7.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान ₹72,762 करोड़ हो गए जो एएनबीसी का 42.41 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 40 प्रतिशत है।

कुल कृषि अग्रिम, वर्ष 2016-17 के ₹ 31,878 करोड़ की तुलना में 6.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 33,822 करोड़ हो गए जो एएनबीसी का 19.28 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 18 प्रतिशत है।

एमएसई अग्रिम, 31 मार्च 2017 के ₹24,866 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में बढ़कर ₹24,888 करोड़ हो गए। एमएसएमई अग्रिम, वर्ष 2016-17 के ₹26,981 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में 1.20% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹27,306 करोड़ हो गए।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ, वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹4,233 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 8.72 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए ₹3,864 करोड़ पर पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹359 करोड़ के निवल लाभ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को ₹3,223 करोड़ की निवल हानि हुई है।

कर्मचारी उत्पादकता

बैंक का प्रति कर्मचारी कारोबार (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) 31 मार्च 2017 के ₹13.51 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में बढ़कर ₹14.39 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रति कर्मचारी लाभ, ₹(9.91) लाख दर्ज किया गया।

आय एवं व्यय

बैंक की कुल आय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹26,461 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹24,582 करोड़ दर्ज की गई।

बैंक की ब्याजी आय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹23,004 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹21,776 करोड़ दर्ज की गई।

बैंक की गैर-ब्याजी आय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹3,457 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 18.83 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹2,806 करोड़ दर्ज की गई।

बैंक का ब्याज व्यय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹16,728 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 9 प्रतिशत गिरकर ₹15,224 करोड़ हो गया है।

तथापि, बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई), वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹6,276 करोड़ से 4.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹6,552 करोड़ हो गई।

बैंक का परिचालन व्यय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹5,500 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹5,494 करोड़ हो गया है।

Priority Sector Advances increased from ₹67,905 crore in 2016-17 to ₹72,762 crore in 2017-18 registering a growth of 7.15 per cent and forming 42.41 per cent of ANBC as against mandatory level of 40 per cent.

Total Agriculture Advances increased from ₹31,878 crore in 2016-17 to ₹33,822 crore in 2017-18 registering a growth of 6.09 per cent and forming 19.28 per cent of ANBC as against mandatory level of 18 per cent.

MSE Advances stood at ₹24,888 crore as at March 31, 2018 as compared to ₹ 24,866 crore as at March 31, 2017. MSME Advances increased from ₹26,981 crore in 2016-17 to ₹27,306 crore in 2017-18 registering a growth of 1.20%.

Profitability

Operating profit of the Bank decreased to ₹3,864 crore for the FY 2017-18 from ₹4,233 crore for the FY 2016-17, a decline of 8.72 per cent. Net loss of the Bank stood at ₹3,223 crore for the FY 2017-18 as against Net Profit of ₹359 crore for the FY 2016-17.

Employees' Productivity

Business per employee (excluding Bank Deposits) of the Bank stood at ₹14.39 crore as at March 31, 2018 as compared to ₹13.51 crore as at March 31, 2017. Profit per employee for the year FY 2017-18 was ₹(9.91) lakh.

Income & Expenditure

The Bank's total income stood at ₹24,582 crore in the FY 2017-18 as compared to ₹26,461 crore in the FY 2016-17.

The Bank's interest income stood at ₹21,776 crore in the FY 2017-18 as compared to ₹23,004 crore in the FY 2016-17.

The non-interest income of the Bank declined by 18.83 per cent from ₹3,457 crore in the FY 2016-17 to ₹2,806 crore in the FY 2017-18.

The Interest expenditure of the Bank decreased to ₹15,224 crore in the FY 2017-18 as against ₹16,728 crore in the FY 2016-17, recording a decrease of 9 per cent.

However, the Bank's Net Interest Income (NII) increased by 4.40 per cent from ₹6,276 crore in the FY 2016-17 to ₹6,552 crore in the FY 2017-18.

Operating expenditure of the Bank decreased by 0.11 per cent from ₹5,500 crore in the FY 2016-17 to ₹5,494 crore in the FY 2017-18.

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

ए) बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), वित्तीय वर्ष 2016-17 के 2.37 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर 2.44 प्रतिशत हो गया है।

बी) बैंक के अग्रिमों पर अर्जन, वित्तीय वर्ष 2016-17 के 8.34 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7.51 प्रतिशत रहा।

सी) बैंक की जमाराशियों की लागत, वित्तीय वर्ष 2016-17 के 5.86 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5.10 प्रतिशत रहा।

डी) बैंक का प्रति शेयर बही मूल्य, वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹154.64 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹105.43 हो गया है।

ई) बैंक का निवल एनपीए अनुपात, 31 मार्च 2017 के 5.21 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में 6.28 प्रतिशत हो गया है।

एफ) बैंक का सकल एनपीए अनुपात, 31 मार्च 2017 के 8.50 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में 11.53 प्रतिशत हो गया है।

जी) बैंक का अनर्जक आस्ति प्रावधान कवरेज अनुपात, 31 मार्च 2017 के 56.37 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में 60.71 प्रतिशत हो गया है।

एच) बासेल III के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर), 31 मार्च 2017 के 12.03 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2018 की स्थिति में बढ़कर 12.24 प्रतिशत हो गया है।

वित्तीय निष्पादन

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2017	मार्च 2018
लागत निधि	5.53	4.94
अर्जन निधि	7.60	7.06
जमा लागत	5.86	5.10
अग्रिमों पर अर्जन	8.34	7.51
निवेशों पर अर्जन	7.87	7.61
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.37	2.44
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	0.12	-1.05
इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)	3.02	-26.68
आय अनुपात लागत	56.51	58.71
प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹	4.21	-34.00
प्रति शेयर बही मूल्य ₹	154.64	105.43
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात	5.21	6.28
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	8.50	11.53
प्रावधान कवरेज अनुपात	56.37	60.71

शाखा नेटवर्क का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने 105 बैंकिंग आउटलेट शामिल किए है जिससे 31 मार्च 2018 की स्थिति में बैंक के आउटलेट की कुल संख्या 4013 हो गई हैं और बैंक के शाखा नेटवर्क में 1239 ग्रामीण शाखाएं, 1127 अर्धशहरी शाखाएं, 813 शहरी शाखाएं 833 महानगरीय शाखाएं और लंदन में 1 विदेशी शाखा शामिल है। इनमें से 1305 शाखाएँ कम बैंक सुविधा वाले जिलों में तथा 996 शाखाएँ अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित हैं।

Important Financial Ratios

a) The Bank's Net Interest Margin (NIM) improved to 2.44 per cent in the FY 2017-18 as compared to 2.37 per cent in the FY 2016-17.

b) The yield on advances of the Bank stood at 7.51 per cent in the FY 2017-18 as compared to 8.34 per cent in the FY 2016-17.

c) The cost of deposits of the Bank stood at 5.10 per cent in the FY 2017-18 as compared to 5.86 per cent in the FY 2016-17.

d) The Book Value Per Share of the Bank stood at ₹105.43 in the FY 2017-18 from ₹154.64 in the FY 2016-17.

e) Net NPA ratio of the Bank stood at 6.28 per cent as at March 31, 2018 as compared to 5.21 per cent as at March 31, 2017.

f) Gross NPA ratio of the Bank stood at 11.53 per cent as at March 31, 2018 as compared to 8.50 per cent as at March 31, 2017.

g) NPA provision coverage ratio of the Bank stood at 60.71 per cent as at March 31, 2018 as compared to 56.37 per cent as at March 31, 2017.

h) The Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank, as per Basel III improved to 12.24 per cent as at March 31, 2018 as compared to 12.03 per cent as at March 31, 2017.

Financial Performance

Key Financial Ratio (%)	March 2017	March 2018
Cost of Funds	5.53	4.94
Yield of Funds	7.60	7.06
Cost of Deposits	5.86	5.10
Yield on Advances	8.34	7.51
Yield on Investments	7.87	7.61
Net Interest Margin (NIM)	2.37	2.44
Return on Assets (RoA)	0.12	-1.05
Return on Equity (ROE)	3.02	-26.68
Cost to Income Ratio	56.51	58.71
Earning Per Share (EPS) ₹	4.21	-34.00
Book Value Per Share ₹	154.64	105.43
Net NPA Ratio	5.21	6.28
Gross NPA Ratio	8.50	11.53
Provision Coverage Ratio	56.37	60.71

EXPANSION OF BRANCH NETWORK

During the year, the Bank has added 105 Banking Outlets to its network and the total number of Banking Outlets were at 4013 as on 31st March, 2018 and Banking Outlets network consists 1239 rural, 1127 semi-urban, 813 urban, 833 metro and 1 overseas Banking Outlet at London. These include 1,305 outlets in under banked districts and 996 outlets in minority concentration districts.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को अपनी 25 प्रतिशत नई शाखाएँ, बैंकिंग सुविधारहित 5-6 टीयर के ग्रामीण केन्द्रों में खोलनी होगी। वि.व. 2017-18 के दौरान, बैंक ने बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्रों (यूआरसी)/ नक्सली जिलों (एलडब्ल्यूई) में 26 नए बैंकिंग आउटलेट खोले हैं। इसके अतिरिक्त 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, बैंक के कुल 979 अंशकालिक आउटलेट (अति न्यून शाखाएँ) हैं। बैंक ने 25 अलाभकारी शाखाओं का विलय भी किया है। वि.व. 2017-18 के दौरान बैंक ने 9 नए क्षेत्रीय कार्यालय, (आरओ) और 14 खुदरा एवं एमएसएमई उधार केंद्र (आरएमएलसी) खोले हैं।

31.03.2018 तक स्थापित स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम)/ बंच नोट एक्सेप्टर (बीएनए) एटीएम की कुल संख्या 4248 हो गई है। आरबीआई की अधिसूचना दि. 18.05.2017 के अनुसार बैंक ने नई शाखा विस्तार नीति को अपनाया है। 31 मार्च 2018 की स्थिति में बैंक का ग्राहक आधार 55 मिलियन से अधिक हो गया है।

खुदरा ऋण

दीर्घ चुकौती अवधि के कारण ऋण संविभाग की स्थिरता, जोखिम स्प्रेड, और अग्रिमों पर बेहतर प्रतिलाभ के कारण बैंक ने अपना ध्यान खुदरा संविभाग पर केंद्रित करना जारी रखा है। खुदरा ऋण संविभाग से आय में नियमित सुधार देखा गया है और इससे बैंक की लाभप्रदता, आस्ति संविभाग की गुणवत्ता बरकरार रखने, जोखिम प्रसरण और निवल ब्याज मार्जिन को सुधारने में सहायता मिली है। खुदरा संविभाग का बैंक के घरेलू ऋण में 19.79 प्रतिशत का योगदान है।

हमारा खुदरा कारोबार एवं एमएसएमई विभाग बाजार की प्रवृत्ति के अनुरूप नए उत्पादों को तैयार करने और मौजूदा उत्पादों में संशोधन करने में निरंतर तत्पर है। खुदरा ऋण संविभाग के तहत हमारा निष्पादन निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

योजना	31.03.2017	31.03.2018	वार्षिक वृद्धि	
			शुद्ध	(%)
आवास ऋण	14,981	17,309	2,328	16
वाहन ऋण	3,001	3,065	64	2
शिक्षा ऋण	2,893	3,032	139	5
अन्य खुदरा ऋण	6,789	7,796	1,007	15
कुल	**27,664**	**31,202**	**3,538**	**13**
₹5 करोड़ तक के एलडी, ओोडीडी एवं स्टाफ ऋण	6,052	4,717	(1,335)	(22)
कुल	**33,716**	**35,919**	**2,203**	**7**

प्रमुख पहल

आवास ऋण

- खुदरा एवं एमएसएमई ऋणों के अंतर्गत अग्रिमों की गुणवत्ता को बढ़ाने व उनके प्रसंस्करण के लिए बैंक ने केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की है। बैंक ने अपने सभी मौजूदा 13 केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीसी) को खुदरा एवं एसएसएमई ऋण केन्द्रों (आरएमएलसी) के रूप में परिवर्तित किया है तथा 14 संभाव्य केन्द्रों पर 14 नए आरएमएलसी भी खोले हैं ताकि खुदरा एवं एमएसएमई ऋणों का बिना किसी विलंब के मानकीकृत रूप में सुगमता से प्रसंस्करण किया जा सके।

As per RBI guidelines, banks are required to open 25 per cent of the new Banking Outlets in rural unbanked tier 5-6 centers. During the FY 2017-18, 26 new Banking Outlets are opened in Unbanked Rural Centres (URC)/Left-wing Extremism (LWE) districts. In addition, Bank has 979 Part-time Banking Outlets (Ultra Small branches) as on 31.03.2018. The Bank also merged 25 unviable Banking Outlets. The Bank has opened 9 Regional Offices (ROs) and 14 Retail & MSME Loan Centers (RMLCs) during the FY 2017-18.

The total number Automated Teller Machines (ATMs)/ Bunch Note Acceptors (BNAs) installed up to 31st March, 2018 was at 4248. The Bank adopted the New Branch Expansion Policy as per RBI Notification dated 18.05.2017. The Bank has a customer base of over 55 million as at March 31, 2018.

RETAIL LENDING

Retail lending continues to be the thrust area of the Bank on account of spread of risk, better yield of advances and stability of credit portfolios due to longer repayment period. Income stream from retail credit portfolio has shown steady improvement and this has contributed to profitability, maintaining quality of asset portfolio, risk distribution and improvement of Net Interest Margin of the Bank. Retail portfolio contributes nearly 19.79 per cent of domestic credit of the Bank.

Retail Business & MSME Department has been consistently making efforts to design new products and modify the existing products in tune with market trend. Performance under retail credit portfolio is as under.

(₹ in crore)

Scheme	31.03.2017	31.03.2018	Annual growth	
			Absolute	(%)
Housing loans	14,981	17,309	2,328	16
Vehicle loans	3,001	3,065	64	2
Education loans	2,893	3,032	139	5
Other retail loans	6,789	7,796	1,007	15
Total	**27,664**	**31,202**	**3,538**	**13**
LD & ODD up to ₹ 5 crore and staff loans	6,052	4,717	(1,335)	(22)
Total	**33,716**	**35,919**	**2,203**	**7**

Major initiatives

Housing loans

- Bank has introduced central processing centers for processing, strengthening quality advances under Retail and MSME loans. Bank has converted all the existing 13 central processing centers (CPCs) to Retail and MSME Loan Centers (RMLCs) and 14 new RMLCs have also been opened in potential centers to standardize and streamline processing of the Retail & MSME loans without delay.

- आरएमएलसी की शुरुआत के पश्चात्, शाखाएँ संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए मुक्त रूप से बिक्री एजेंट के रूप में कार्य कर सकेंगी। बैंक अन्य क्षमतायुक्त केंद्रों में इस प्रकार के आरएमएलसी स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
- आवास ऋण जुटाने के लिए बैंक ने आवास ऋण परामर्शदाताओं (एचएलसी) को सूचीबद्ध करना प्रारंभ किया है।
- बैंक ने 31.03.2018 तक आवास ऋण के अंतर्गत प्रसंस्करण और प्रलेखन प्रभारों में छूट प्रदान की है।
- बैंक ने तृतीय आवास के लिए एमसीएलआर +1.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर वित्तपोषण प्रदान करने के लिए आवास योजना (सीआरई) की शुरुआत की है।

आवास ऋण स्टार अभियान : आवास ऋण क्षेत्र में उच्च प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने 01.08.2017 से 31.03.2018 तक आवास ऋण स्टार अभियान चलाया। स्टार अभियान के दौरान ₹2,901 करोड़ मूल्य के 19,116 आवास ऋण जुटाए गए।

वाहन ऋण:

- दिनांक 27.09.2017 से 31.01.2018 तक त्यौहारी सीजन के दौरान बैंक द्वारा ब्याज दर में कमी की गयी और प्रसंस्करण एवं प्रलेखन प्रभारों में छूट दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने प्रसंस्करण एवं प्रलेखन प्रभारों में 50% की छूट प्रदान की।

शिक्षा ऋण

- बैंक ने 'सिंड विद्या-अब्रॉड' नामक शिक्षा ऋण योजना शुरू की है जिसके तहत विदेश में अध्ययन हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को ₹20.00 लाख से ₹200.00 लाख तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
- विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में सुविधा प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ''विद्यालक्ष्मी पोर्टल'' के साथ भी बैंक को जोड़ा गया है।
- बैंक ने ₹7.50 लाख तक के संपार्श्वमुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए ''शिक्षा ऋणों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना'' तथा कौशल विकास हेतु ₹1.50 लाख तक के संपार्श्वमुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए ''कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी निधि योजना'' का भी क्रियान्वयन किया है।

स्वर्ण ऋण

बैंक ने सोने के 70 प्रतिशत निवल मूल्य पर वित्त के वर्धित पैमाने के साथ ईएम आई चुकौती सुविधा सहित ''सिंड स्वर्ण'' अर्धवार्षिक बुलेट चुकौती नामक नए स्वर्ण ऋण उत्पाद की शुरुआत की है। ग्रामीण जनता की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्धवार्षिक बुलेट चुकौती सुविधा प्रदान की गई है।

ग्रामीण खुदरा ऋण पर बल

बैंक की 59% ग्रामीण व अर्धशहरी शाखाएं हैं जो बैंक के कुल खुदरा ऋण संविभाग में 37% की भागीदारी रखते हैं। भारत सरकार के मिशन पर ''सभी के

- With the introduction of RMLCs, branches will be free to act as selling agents with focused approach. Bank is in the process of identifying such RMLCs in other potential centers, as well.
- Bank has introduced the empanelment of Home Loan Counselors (HLC) for canvassing/mobilizing housing loans.
- Bank has waived processing and documentation charges on housing loans up to 31.03.2018.
- Bank has introduced Housing loan (CRE) scheme for financing of third house onwards with interest i.e at MCLR+1.10 per cent.

Home Loan Star campaign: Keeping in view of stiff competition in Housing loan sector, Bank has conducted Home Loan Star campaign from 01.08.2017 to 31.03.2018. During the star campaign 19,116 housing loans were mobilized amounting to ₹2,901 crore**.**

Vehicle Loans

- Bank has reduced rate of interest and also waived processing and documentation charges during festive seasons from 27.09.2017 to 31.01.2018.
- Bank has also implemented 50% waiver of processing and documentation charges during financial year 2017-18.

Education loans

- Bank has introduced Synd Vidya–Abroad educational loan scheme, an education loan facility above ₹20.00 lakhs and up to ₹200.00 lakhs to students who wish to go abroad for study.
- Bank also integrated with "Vidyalakshmi Portal", an initiative by the Ministry of Human Resources Development to facilitate students to apply for education loans online.
- Bank has also implemented the "Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans", to provide collateral free education loans up to ₹7.50 lakh and "Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development" to provide collateral free education loans for skill development up to ₹1.50 lakh to students.

Gold Loans

Bank has introduced new gold loan product "SyndSwarna"– Half yearly bullet repayment as well as EMI repayment facility with enhanced scale of finance at 70% net value of gold. Half yearly bullet repayment facility to mitigate emergency financial needs of rural people.

Strength in Rural Retail Lending:

Bank has 59% of Rural and Semi urban branches which are contributing 37% of total Retail portfolio of the Bank.

लिए किफायती आवास'' को हासिल करने हेतु ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में मौजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और कम आय समूह (एलआईजी) की आवासीय आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रवाह में सुधार लाने हेतु बैंक ने ''सिंड कुटीर'' योजना बनाई है।

कुछेक राज्यों में कृषि संपत्तियों को भी संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करके शिक्षा ऋण प्रदान किए जाते हैं। बैंक के कृषि क्षेत्र को उधार देने के साथ-साथ आवास ऋण, वाहन ऋण, वैयक्तिक ऋण, बंधक ऋण, लघु विक्रेताओं, दुकानदारों एवं खुदरा व्यापारियों के लिए खुदरा ऋण और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए ऋण, जैसे विभिन्न योजनाओं की भी शुरुआत की है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अग्रिम

बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर जोर देते हुए एमएसएमई के वित्तीयन पर अधिक बल देना जारी रखा है। वर्ष 2017-18 में बैंक ने ₹4,708 करोड़ की राशि के 1,17,422 एमएसएमई ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जारी कुल अग्रिम समग्र अग्रिम का 90.45% रहा जबकि, एमएसएमई के तहत मध्यम उद्यमों को जारी अग्रिम 9.55% है ।

एमएसई अग्रिम, 2016-17 के ₹24,866 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 के दौरान ₹24,888 करोड़ हो गए हैं। एमएसएमई अग्रिम, 31 मार्च 2018 के ₹26,981 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2017 की स्थिति में ₹27,306 करोड़ हो गए।

मुद्रा योजना के अंतर्गत, बैंक ने 31.03.2018 की स्थिति में ₹3,945 करोड़ की राशि के 1,85,377 खाते स्वीकृत किए और ₹3272 करोड़ वितरित किए जबकि वित्त मंत्रालय द्वारा एतदर्थ निर्धारित लक्ष्य ₹ 4400 करोड़ था।

स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत बैंक ने 31.03.2018 की स्थिति में ₹178 करोड़ की राशि के 701 खाते स्वीकृत किए और ₹110 करोड़ वितरित किए । मार्च 2018 की स्थिति में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैंक द्वारा जारी अग्रिम ₹27,306 करोड़ में से सूक्ष्म उद्यमों का कुल बकाया अग्रिम ₹17,705 करोड़ है, जो निर्धारित लक्ष्य 60% से अधिक है।

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए किए गए अन्य पहल

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा निम्नांकित पहल किए गए।

❖ **व्यापार प्राप्य भुनाई प्रणाली (TReDS) :**

बैंक ने व्यापार प्राप्य भुनाई प्रणाली प्लैटफार्म का प्रयोग करने के लिए दिनांक 11.01.2018 को भारतीय प्राप्य विनिमय लिमिटेड (आरएक्सआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन किया है । वर्तमान में, दिनांक 31.03.2018 से इस प्रकार के परिचालनों के लिए 'बृहद् कॉरपोरेट शाखा', मुंबई को प्राधिकृत शाखा के रूप में नामित किया गया है। व्यापार प्राप्य भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) एक संस्थागत तंत्र है, जिसकी स्थापना कॉरपोरेट और सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू) सहित अन्य क्रेताओं

Bank is having "SyndKutteer" scheme to improve flow of credit for housing needs of the Economically Weaker Sections(EWS) and Low Income Groups (LIGs) segment in Rural/Semi Urban areas to accomplish Govt of India Mission of "Affordable Housing to All".

In certain states, Education loans are also extended by considering agriculture properties as collateral security. Bank has also introduced different schemes like Housing loans, Vehicle loans, Personal loans, Mortgage loans, Retail trade for small vendors, shopkeepers and Retail traders and loans for transport operators besides lending to Agriculture.

ADVANCES TO MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

Bank continues to accord greater thrust on financing MSMEs with emphasis on Micro and Small Enterprises (MSEs). The Bank has sanctioned 1,17,422 MSME loans and disbursed amounting to ₹4,708 crore in the year 2017-18. The advances to Micro and Small Enterprises constitutes 90.45 per cent of the total advances under MSME sector while advances to Medium Enterprises constitutes 9.55 per cent under MSME.

MSE Advances increased from ₹ 24,866 crore in 2016-17 to ₹24,888 crore in 2017-18. MSME Advances stood at ₹27,306 crore as at March 31, 2018 as compared to ₹ 26,981 crore as at March 31, 2017.

Under MUDRA scheme, Bank has sanctioned 1,85,377 accounts amounting to ₹3,945 crore against target of ₹4400 Crore allotted by the Ministry of Finance and disbursed ₹3,272 crore as on 31.03.2018.

Bank has sanctioned 701 accounts amounting to ₹178 crore and disbursed ₹110 crore as on 31.03.2018 under Stand up India Scheme. The outstanding advances to Micro Enterprises of the Bank constitute ₹17,705 crore of advances to Micro and Small Enterprises Sector at ₹27,306 crore which is above the stipulated target of 60% as on March 2018.

Other Initiatives taken to increase credit flow to MSME Sector

In order to increase credit flow to MSME sector, the following initiatives have been taken by the Bank.

❖ **Trade Receivables Discounting System (TReDS):**

Bank has executed MoU with Receivables Exchange of India Ltd (RXIL) on 11.01.2018 for on boarding their TReDS platform. Presently, Large Corporate Branch, Mumbai is designated as Authorized Branch for operations with effect from 30.03.2018. Trade Receivable Discounting System (TReDS) is an institutional mechanism set up

से एमएसएमई के व्यापार प्राप्य को विभिन्न वित्तपोषकों के जरिए वित्तपोषित करने के लिए किया गया है ।

❖ बैंक ने अपने एमएसएमई उत्पादों को युक्तिसंगत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं । अपने परिचालन स्तर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, 6 एमएसएमई उत्पादों को संशोधित किया गया है । इस प्रकार, बैंक ने एमएसएमई के प्रमुख उत्पाद के रूप में अपने एमएसएमई उत्पादों की संख्या को 14 से घटाकर 6 किया है ।

❖ बैंक ने एमएसएमई के अंतर्गत अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एमएसएमई सम्मेलनों और मुद्रा शिविरों का आयोजन किया है।

❖ बैंक ने परिवहन के क्षेत्र में ऋण की प्रस्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक वाहनों की खरीदी हेतु उनके प्रख्यात निर्माताओं जैसे, टाटा मोटर्स, बजाज आटो, फोर्स मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, अशोक लीलैंड, पियाजिओ वेहिकल्स प्रा. लि., सैश इलेक्ट्रिक आटो प्रा.लि., आईशर पोलारिस प्रा.लि. और बीईएमएल लि. के ग्राहकों का अधिमान्य वित्तपोषक बन कर उन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित है ।

❖ 77 एमएसएमई शाखाओं का नाम परिवर्तित करके उद्यमी मित्र शाखा किया गया है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण

विभिन्न क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंक को प्राप्त अनुभवों के आधार पर और आर्थिक वृद्धि की गतिशीलता, सरकारी दिशानिदेशों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं सामाजिक-आर्थिक उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

धारणीय ऋण संवृद्धि, आस्ति गुणवत्ता में सुधार, उच्चतर आमदनी एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए विविध प्रकार के ऋण संविभाग को बनाए रखने हेतु, बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यनीतियों को अपनाया है। बैंक ने अपनी स्थिति के समेकन और आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत अपनी विकास यात्रा जारी रखा है। कृषि, एसएमई, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म वित्त एवं अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्र, ऋण उपलब्ध कराने के प्रमुख क्षेत्र हैं।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार, बैंक के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, 7.15 प्रतिशत बढ़कर ₹72,762 करोड़ पर पहुँच गए हैं (मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹67905 करोड़ से), जो 40 % के अधिदेशी स्तर की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 42.41% बनता है। बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत 33.39 लाख से भी अधिक ग्राहकों को लाभ पहुँचाया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों, कमज़ोर वर्गों तथा महिलाओं की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विशेष ध्यान रखा गया है। कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का स्तर ₹24710 करोड़ तक पहुँच गया है जो एएनबीसी का 14.40 % प्रतिशत बनता है तथा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य से अधिक है। महिला ग्राहकों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2017 के ₹18778 करोड़ से

for financing of trade receivables of MSMEs from corporates and other buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs) through multiple financiers.

❖ Bank has taken steps to rationalize MSME products. In order to simplify the process at operational level, 6 MSME products are modified and 8 products are discontinued, bringing down the number of MSME products from 14 to 6, as anchor products.

❖ Bank has organised MSME meets & MUDRA camps to augment business under MSME.

❖ Bank has entered into MOU with reputed Manufacturers of Commercial vehicles like Tata Motors, Bajaj Auto, TVS Motors, Force Motors, Ashok Leyland, Piaggio Vehicles Pvt Ltd, Saera Electric Auto Pvt Ltd, Eicher Polaris Pvt Ltd and BEML Ltd for preferred financier for financing customers of the companies for purchase of various models of commercial vehicles to increase credit under transport sector.

❖ 76 MSME branches renamed as UdyamiMitra branches.

PRIORITY SECTOR CREDIT

Based on the Bank's experience in lending to different sectors and keeping in view the dynamics of economic growth, Government directives, national priorities and socio-economic obligations, thrust was given to priority sector lending.

The Bank has adopted various strategies during the year to achieve sustainable credit growth, improved asset quality, higher earnings and for maintaining well diversified credit portfolio covering all sections of the society to ensure inclusive growth. The Bank has continued its growth under priority sector lending with added thrust on consolidation of its position and focus on asset quality. The focus areas for credit were agriculture, SMEs, education, housing, micro finance and other productive sectors of the economy.

Priority Sector Advances

Priority sector advances of your Bank increased by 7.15 per cent to ₹72,762 crore as at March 2018 (from ₹67,905 crore as at March 2017) constituting 42.41 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the mandatory level of 40 per cent. The Bank has covered more than 33.39 lakh customers under priority sector advances. Special care was taken to ensure that the credit needs of SC/ST, minorities, weaker sections and women are fully met. Advances to weaker sections have reached a level of ₹24,710 crore forming 14.40 per cent of ANBC, thereby surpassing the mandatory requirement of 10 per cent. The advances to women customers increased from ₹18,778 crore as at March 2017 to ₹20,455 crore as at March 2018, forming 11.92 per cent of ANBC against the

बढ़कर मार्च 2018 को ₹20455 करोड़ हो गए हैं जो 5 प्रतिशत के अधिदेशी स्तर की तुलना में एएनबीसी का 11.92% है। इसी प्रकार, अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण, मार्च 2017 के ₹10611 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 को ₹11060 करोड़ हो गए, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 15.20% बनता है जबकि इसके लिए अधिदेशी लक्ष्य 15 प्रतिशत है।

कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप

मार्च 2018 की स्थिति में कृषि क्षेत्र का ऋण, 6.09 प्रतिशत बढ़कर ₹33,822 करोड़ हो गया है (मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 31,878 करोड़ से), जो 18% के अधिदेशी लक्ष्य के मुकाबले एएनबीसी का 19.28 प्रतिशत बनता है। लघु एवं सीमांत किसानों को दिया गया ऋण, ₹18,328 करोड़ है जो एएनबीसी के अधिदेशी लक्ष्य 8.00 प्रतिशत की तुलना में 10.68 प्रतिशत बनता है।

बैंक ने 23.82 लाख से भी अधिक ग्राहकों को कृषि अग्रिम प्रदान किए हैं। वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ₹20,475 करोड़ की ऋण राशि संवितरित की गई। वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से 1,36,298 नये किसानों को अपना ग्राहक बनाते हुए प्रति ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा के लिए औसतन 58 नए किसानों को जोड़ा है।

लघु एवं सीमांत किसानों तथा गैर-कॉरपोरेट किसानों को ऋण के तहत आपके बैंक ने लगातार अपने अधिदेशी लक्ष्य से अधिक हासिल किया है। लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के अंतर्गत आपके बैंक ने अपने समकक्ष बैंकों को ₹2,000 करोड़ की अधिशेष राशि की बिक्री की है।

सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एसकेसीसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, हमारा बैंक, सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड (एसकेसीसी) योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड का कार्यान्वयन कर रहा है। संशोधित दिशानिर्देशों में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:

- पाँच वर्षों के लिए स्टेगर्ड सीमा का निर्धारण
- चेक बुक तथा एटीएम/डेबिट कार्ड (रुपे किसान कार्ड) के निर्गमन का प्रावधान, ताकि किसान अपने एसकेसीसी खातों के परिचालन में प्रभावी लेन-देन कर सकें।

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने ₹8149.01 करोड़ की राशि के 5.63 लाख एसकेसीसी खाते जारी किए हैं। मार्च 2018 की स्थिति में, 7.59 लाख नियमित एसकेसीसी खातों के लिए रुपे किसान कार्ड जारी किए गए हैं।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंक ने अपनी पूर्ण सहभागिता जारी रखी है। इन योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा./अपिव, महिला एवं अल्पसंख्यक हिताधिकारियों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष के दौरान इन योजनाओं जैसे; राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा मैनुअल

mandatory level of 5 per cent. Similarly, advances to minorities increased from ₹10,611 crore as at March 2017 to ₹11,060 crore as at March 2018, forming 15.20 per cent of priority sector advances surpassing the mandatory requirement of 15 per cent.

Agriculture and Allied activities

Credit to agricultural sector increased by 6.09 per cent to ₹33,822 crore as at March 2018 (from March 2017 level of ₹31,878 crore) forming 19.28 per cent of ANBC as against the mandatory requirement of 18 per cent. Lending to small and marginal farmers being ₹18,328 crore constituted 10.68 per cent of ANBC against the mandatory requirement of 8.00 per cent.

Bank has covered more than 23.82 lakh customers under agricultural advances. The disbursement under credit flow to agriculture during the year amounted to ₹ 20,475 crore. The Bank has brought 1,36,298 new farmers into its fold during the year through rural/semi-urban branches, registering an average of 58 new farmers per rural and semi-urban branch.

Your Bank has been consistently surpassing the mandatory targets under small & marginal farmers category and lending to non-corporate farmers. Your Bank has sold the surplus amount of ₹2,000 crore to peer banks under small and marginal farmer category.

Syndicate Kisan Credit Card Scheme (SKCC)

As per the directions of RBI, Bank is implementing the Kisan Credit Card under Syndicate Kisan Credit Card (SKCC) Scheme and the revised guidelines involve the following.

- Fixation of staggered limit for five years.
- Provision for issuance of cheque book and ATM / Debit Cards (Rupay Kisan Cards) which will enable the farmers to effectively transact their operations in their SKCC accounts.

The Bank has sanctioned 5.63 lakh SKCC A/cs amount involving ₹8149.01crore during the year 2017-18. As at March 2018, Rupay Kisan Cards have been issued in 7.59 lakh operative SKCC A/cs.

Government Sponsored Schemes:

The Bank continued to participate in poverty alleviation and employment generation schemes sponsored by the Government in full scale. Special emphasis was laid on coverage of SC/ST/OBC, women and minority beneficiaries under these schemes. The total amount outstanding under these schemes viz. National Rural Livelihood Mission(NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Prime Minister Employment Guarantee Programme (PMEGP), and Self Employmentr Scheme for

सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) योजनाओं के अंतर्गत 1,33,495 उधारकर्ता खातों में कुल ₹3531.24 करोड़ की राशि बकाया हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 से एनआरएलएम योजना का पुनर्गठन एवं नवीकरण करके स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के रूप में क्रियान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान, एनयूएलएम योजना को स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना के रूप में परिष्कृत किया गया है जिसे, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों एवं 100,000 या इससे अधिक जनसंख्यावाले सभी अन्य शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 25 सितंबर 2015 से एनआरएलएम और एनयूएलएम, दोनों योजनाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिम

अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, खास तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने हेतु नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। बैंक ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में अ.जा./अ.ज.जा. को जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किया है ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2017 के ₹4,520 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 की स्थिति में ₹4,581 करोड़ हो गए। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं (जैसे, एनआरएलएम, एनयूएलएम एवं पीएमईजीपी) के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के हिताधिकारियों को प्रदत्त अग्रिमों के वितरण तथा बकाया की स्थिति निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है:

वर्ष 2017-18 (मार्च 2018 तक) के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के हिताधिकारियों को वितरित किए गए अग्रिम:

(रकम ₹ करोड़ में)

योजना	कुल वितरण		जिनमें अ.जा./अ.ज.जा. के		कुल खातों की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा का %
	खाता	रकम	खाते	रकम	
पीएमईजीपी	3090	107.83	566	19.75	18.32%
एनआरएलएम	74966	2232.09	22145	659.36	29.54%
एनयूएलएम	1088	15.35	356	5.02	32.68%
एसआरएमएस	120	2.11	106	1.86	88.33%

मार्च 2018 की स्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के हिताधिकारियों के बकाया अग्रिम:

(रकम ₹ करोड़ में)

योजना	बकाया शेष		जिनमें अ.जा./अ.ज.जा. के		कुल खातों की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का %
	खाता	रकम	खाते	रकम	
पीएमईजीपी	7531	241.89	1766	56.72	23.45%
एनआरएलएम	122146	3245.98	45060	1197.44	36.89%
एनयूएलएम	3351	37.60	1041	11.69	31.08%
एसआरएमएस	467	5.77	450	5.57	96.36%

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए उपलब्ध विभिन्न ऋण उत्पादों को उनके बीच लोकप्रिय बनाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अग्रणी जिला कार्यालयों के माध्यम से बैंक ने अनेकों उपाय किए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए

Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS) is ₹3531.24 crore with 1,33,495 borrowal accounts during the year. NRLM Scheme has been revamped & restructured as Swarna Jayanti Grameen Swarojgar Yojana (SGSY) with effect from the financial year 2015-16. NULM scheme has been revamped as Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana during 2015-16 and is implemented in all district headquarters and all other cities with a population of 100,000 or more as per 2011 census. Both NRLM and NULM now remodeled as Deen Dayal Antyodaya Yojana from 25th September 2015.

Advances to SC/ST

The coverage of SC/ST beneficiaries under various schemes, especially under Govt. Sponsored Schemes is reviewed at regular intervals. Bank has initiated special efforts to create awareness about various schemes of the Bank among SC/STs to motivate them to avail the benefits under these schemes.

Advances to SC/ST beneficiaries under Priority Sector, rose from ₹4,520 crore as at March 2017 to ₹4,581 crore as at March 2018. Disbursement and outstanding position of advances to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes (i.e.PMEGP, NRLM & NULM) are furnished in the following tables:

Advances disbursed to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes during 2017-18 (as on March 2018)

(Amount ₹ in crore)

Scheme	Total Disbursement		Of which SC/ST		% to SC/ST against total (For Accounts)
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMEGP	3,090	107.83	566	19.75	18.32%
NRLM	74,966	2,232.09	22,145	659.36	29.54%
NULM	1,088	15.35	356	5.02	32.68%
SRMS	120	2.11	106	1.86	88.33%

Outstanding advances to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes (as on March 2018)

(Amount ₹ in crore)

Scheme	Balance outstanding		Of which SC/ST		% to SC/ST against total (For Accounts)
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMEGP	7,531	241.89	1,766	56.72	23.45%
NRLM	1,22,146	3,245.98	45,060	1197.44	36.89%
NULM	3,351	37.60	1,041	11.69	31.08%
SRMS	467	5.77	450	5.57	96.36%

Advances to Minorities

Bank has taken various measures through Regional Offices and Lead District Offices for popularizing amongst minority communities the various credit products available for their

अग्रिम, मार्च 2017 के ₹10,611 करोड़ की तुलना में 4.23% प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2018 की स्थिति में ₹11,060 करोड़ हो गए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुँचाने के लिए बैंक द्वारा वर्ष 2010 में 0.25 से लेकर 0.50 प्रतिशत तक की विशेष रियायती ब्याज योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे वर्ष 2017-18 के दौरान भी जारी रखा गया।

संयुक्त देयता समूहों एवं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण सुविधा

मार्च 2018 की स्थिति में कुल 1,30,736 खातों में स्वयं सहायता समूहों तथा संयुक्त देयता समूहों को बकाया अग्रिम ₹3,402 करोड़ हैं। संयुक्त देयता समूह एक ऐसा अनौपचारिक समूह है जिसमें 4 से 10 किसान वैयक्तिक रूप से एक साथ मिलकर जेएलजी वित्त के माध्यम से संस्थागत ऋण का लाभ उठाते हैं। बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों को ऋण, या तो प्रत्यक्ष रूप से या एमएफआई/एनजीओ के माध्यम से जारी किया जाता है।

- ❖ बैंक के कर्नाटक राज्य स्थित जेएलजी/एसएचजी को ऋण प्रदान करने हेतु **''किसान बचाओ अभियान''** के अंतर्गत **मेसर्स आईडीएफ फाउन्डेशन** के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है । इस परियोजना में लघु कृषकों, सीमांत कृषकों, मौखिक पट्टेदारों एवं बटाइदारों को मिलाकर जेएलजी/एसएचजी का निर्माण, कृषि उत्पादन में जोखिम को कम करने हेतु कृषि आजीविका तकनीक प्रदान करके तथा वित्तीय साक्षरता के जरिए उचित सलाह प्रदान करना, कारोबार प्रतिनिधियों/कारोबार सहायक चैनलों के माध्यम से केसीसी एवं अन्य उत्पादों के जरिए कृषि हेतु किफायती बैंक वित्तीयन हेतु सक्षम बनाना, मितव्ययता की सभ्यता को बढ़ावा देना और पुनर्भुगतान हेतु निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने जेएलजी सदस्यों को ₹30.86 करोड़ मूल्य के कुल 8773 एसकेसीसी ऋण मंजूर किए हैं।
- ❖ मध्य प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक राज्यों में संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) एवं महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहन प्रदान कर प्रायोगिक आधार पर समग्र वित्तीय समावेशन परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए बैंक ने मेसर्स **''वृत्ति आजीविका संसाधन केंद्र''** के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है। इस गठजोड़ व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य संगठित लघु कृषकों, सीमांत कृषकों, काश्तकारों, मौखिक पट्टेदारों और बंटाईदारों को संयुक्त देयता समूहों एवं महिला एसएचजी के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। वि.व. 2017-18 के दौरान, बैंक ने जेएलजी सदस्यों को ₹1.10 करोड़ मूल्य के कुल 368 एसकेसीसी ऋण मंजूर किये हैं।

किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ:

भारत सरकार की ब्याज अनुदान लाभ योजना के अंतर्गत बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान 5.63 लाख किसानों को फसल उत्पाद ऋण से लाभान्वित किया। वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 2 प्रतिशत की दर से पात्र किसानों को ₹182 करोड़ का ब्याज अनुदान लाभ प्रदान किया तथा ससमय चुकौती करनेवाले किसानों को 3 प्रतिशत की दर से ₹193 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज अनुदान लाभ देकर पात्र किसानों को 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रभावी दर पर ऋण प्राप्त करने में मदद किया।

benefit. The advances to minorities rose from ₹10,611 crore as at March 2017 to ₹11,060 crore as at March 2018, registering a year on year growth of 4.23 per cent. Special interest concession scheme ranging from 0.25 per cent to 0.50 per cent was introduced by the Bank during 2010 for the benefit of minority community under priority sector lending and the same is continued during 2017-18.

Credit linkage of Joint Liability Groups and Self Help Groups

The advances extended to Joint Liability Groups and Self Help Groups as at March 2018 was 1,30,736 accounts with an outstanding balance of ₹3,402 crore. A joint liability group is an informal group comprising 4 to 10 individual farmers who come together to access institutional credit through JLG mode of financing. Bank has been lending to SHG/JLGs both directly as well as through MFIs/NGOs.

- ❖ Bank has tied up with **M/s IDF foundation** under **"Save the Farmers Campaign"** in Karnataka for credit linking the JLG/SHGs. This Project includes formation of JLGs/ SHGs from the Small Farmers, Marginal Farmers, and Oral lessees, Share croppers, mentoring them through financial literacy and imparting sustainable farm livelihood technologies to de-risk the farm production, enable access to affordable Bank finance for Agriculture through KCC and other products through the Business Correspondents/Business Facilitators channel, promoting thrift culture and regular follow up for repayments. During the FY 2017-18, Bank has sanctioned 8,773 SKCC loans amounting to ₹30.86 crore to JLG members.
- ❖ Bank has entered into a tie-up with **M/s. Vrutti Livelihood Resource Centre,** for implementation of a Wholesome Financial Inclusion Project in the States of Madhya Pradesh (MP), Telangana & Karnataka by promoting Joint Liability Groups (JLGs) & Women Self Help Groups (SHGs) on a pilot basis. The main objective of this tie-up arrangement is to provide access to Banking services to the organised Small Farmers, Marginal Farmers, Tenant Farmers, Oral Lessees & Share Croppers through Joint Liability Groups & Women SHGs. During the FY 2017-18, Bank has sanctioned 368 SKCC loans amounting to ₹1.10 crore to JLG members.

Interest subvention benefit to farmers

The Bank has extended crop production credit to 5.63 lakh farmers during 2017-18 under interest subvention scheme of the Govt. of India. The bank has extended the interest subvention benefit @ 2 per cent to the tune of ₹182 crore and ₹193 crore as additional incentive of interest subvention @ 3 per cent for timely repayment during 2017-18 and making the eligible farmer derive credit at the effective prescribed interest rate of 4 per cent p.a.

अक्षय ऊर्जा

सौर उर्जा के उन्नयन हेतु बैंक सक्रिय सहभागिता कर रहा है और सौर जल तापन तथा सौर विद्युत प्रणाली के वित्तीयन से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। हमारा बैंक, वर्तमान में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुदान सहयोग से सौर विद्युत प्रणाली तथा सौर जल तापन प्रणाली को वित्त उपलब्ध कराने की योजना के कार्यान्वयन में लगा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अक्षय ऊर्जा श्रेणी के अंतर्गत बैंक ने 380 ग्राहकों को ₹3.77 करोड़ का ऋण प्रदान किया है।

ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

आधुनिक कृषि और ग्रामीण तकनीकों एवं बैंक के ऋण कार्यक्रमों पर ग्रामीण जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यतः ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से बैंक, ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक द्वारा 1,73,901 प्रतिभागियों को लाभ पहुँचाते हुए ₹21.91 लाख के व्यय से कुल 3,592 ग्रामीण शिक्षा विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए गए।

फसल बीमा योजनाएँ

खरीफ 2016 (01.04.2016 से) सीजन से भारत सरकार द्वारा तीन फसल बीमा योजनाएँ शुरू की गई, ये योजनाएँ निम्नवत हैं:

- ❖ पीएमएफबीवाई : (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)
- ❖ पुनर्गठित डब्ल्यूबीसीआईएस: (मौसम आधारित फसल बीमा योजना)
- ❖ युपीआईएस : (एकीकृत पैकेज बीमा योजना)

पात्र केसीसी धारकों को संबंधित फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया है। बैंक द्वारा खरीफ-2017 के दौरान 3,02,588 केसीसी खातों को इन फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। रबी 2017-18 में 1,18,714 किसानों को फसल बीमा योजनाओं के तहत कवर किया गया है।

अकाल/विपदा से पीड़ित किसानों को राहत

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक, प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है जैसे, मौजूदा फसल व सावधि ऋणों की पुनः संरचना, नए ऋण प्रदान करना, प्रतिभूति व मार्जिन संबंधी मानंदडों में छूट, कम से कम 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि, चालू देय चूक होने की स्थिति में दांडिक ब्याज में छूट आदि। प्राकृतिक विपदाओं के कारण पुनर्संरचित खातों पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्याज अनुदान को सभी योग्य मामलों में उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(रूडसेटी)

बैंक, देशभर में 27 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूडसेटी) का सह प्रायोजक है। इन संस्थानों ने वर्ष 2017-18 के दौरान 24074 अभ्यर्थियों

Renewable Energy

The Bank has been actively promoting solar energy application by implementing the schemes for financing Solar Water Heating Systems and Solar Lighting Systems. The Bank is presently implementing the scheme to extend finance to Solar Home Lighting Systems and Solar Water Heating Systems with subsidy assistance from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). During the financial year 2017-18, the Bank has extended credit to 380 customers amounting to ₹3.77crore under renewable energy category.

Rural Extension Education Programmes

Bank has been organizing Rural Extension Education Programmes mainly through the rural and semi-urban branches for promoting awareness among the rural people on modern agriculture & rural technologies and Bank's credit programmes.

During the financial year 2017-18, the Bank has organized 3,592 Rural Extension Education Programmes benefiting 1,73,901 participants with an expenditure of ₹ 21.91 lakhs.

Crop Insurance Schemes

The following three crop insurance schemes were introduced by Govt of India from Kharif 2016 (From 01.04.2016 onwards). These schemes are as under:

- ❖ PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana)
- ❖ Restructured WBCIS (Weather Based Crop Insurance Scheme)
- ❖ UPIS (Unified Package Insurance Scheme)

The eligible KCC holders are covered with respective crop insurance schemes. Bank has enrolled 3,02,588 KCC accounts under these crop insurance schemes in Kharif-2017 season. In Rabi 2017-18, 1,18,714 farmers are covered under crop insurance schemes.

Relief to drought/calamity affected farmers

Bank is taking necessary steps as per RBI guidelines to extend immediate relief to farmers affected by natural calamities such as restructuring of existing crop loans and term loans, extending fresh loans, relaxing security and margin norms, moratorium of minimum 1 year, no penal interest in respect of current dues in default, etc. Interest subventions provided by Govt. of India for the restructured accounts on account of natural calamities are being extended to all the eligible cases.

Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI)

Bank has co-sponsored 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country.

को प्रशिक्षित किया है। इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 11350 महिलाएं थीं और 6873 अ जा/अ ज जा के श्रेणी के अभ्यर्थी थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 447125 है। नियोजन की दर 73 प्रतिशत है।

हमारे रूडसेटी मॉडल को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया जिसे देश के प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। बेंगलूर में रूडसेटी राष्ट्रीय अकादमी की निगरानी कक्ष की स्थापना की गई है जो पूरे भारत में स्थित इन संस्थानों के कार्यकलापों की निगरानी करती है।

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी)

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं में ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोज़गार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000 में की गई। अब तक, बैंक ने ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में कुल 16 सिंड ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थाओं (सिंडआरसेटी) को स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, 16 सिंड आरसेटी में से 12 आरसेटी ने ''एए'' रेटिंग हासिल की है । आपके बैंक को लगातार वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए अपने प्रायोजक आरसेटी का उत्तम नेतृत्व करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से उत्कृष्टता पुरस्कार (प्रथम स्थान) प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 451 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनसे 11,219 व्यक्ति लाभान्वित हुए जिनमें 6055 महिलाएँ तथा 2,759 व्यक्ति अ.जा/अ.ज.जा. संवर्ग के थे।

अग्रणी बैंक योजना

हमारे बैंक को संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप सहित देश भर के 29 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। बैंक के सभी अग्रणी जिला कार्यालयों ने जिला स्तरीय समीक्षा (डीएलआरसी) एवं जिला परामर्शदाता समिति (डीसीसी) की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया है। ऋण आयोजन प्रक्रिया पूरी हो गई है और भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित समय सूची के अनुसार जिला ऋण योजना (डीसीपी) 2017-18 की शुरुआत की गई है। बैंक, कर्नाटक राज्य और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया है। कर्नाटक के लिए एसएलबीसी और लक्षद्वीप के लिए यूटीएलबीसी द्वारा अग्रीणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

जिला ऋण योजना के तहत बैंक के अग्रणी जिलों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत 82.98% की उपलब्धि और वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के कार्यान्वयन के संबंध में मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कृषि के तहत 82.54% की प्रगति दर्शायी है।

These institutes have trained 24,074 candidates during the year 2017-18. Out of these trained candidates11,350 are women & 6,873 are from SC/ST category. Total candidates trained since inception is 4,47,125. The settlement rate is 73 per cent.

Our RUDSETI model has been accepted by Ministry of Rural Development, Govt. of India as a role model to be replicated in each district of the country. A Monitoring cell of National Academy of RUDSETIs has been established at Bengaluru for monitoring these RSETI institutes and their activities pan India.

Syndicate Rural Development Trust (SRDT)

Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self-employment among the rural poor, especially women. So far, the Bank has established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (Synd RSETIs) in 5 States and 1 Union Territory for imparting training to rural poor. During the Financial Year 2016-17, out of the 16 SyndRSETIs, 12 RSETIs have secured "AA" rating. Your Bank has been conferred with an Award of Excellence (First Prize) from Ministry of Rural Development, in recognition of exemplary leadership given to the RSETIs sponsored by the Bank for the years 2014-15 and 2015-16 consecutively. During the year 2017-18, 451 training programs were conducted benefitting 11,219 persons, of whom 6,055 were women and 2,759 were from SC / ST category.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned with lead bank responsibilities in 29 districts inclusive of UT of Lakshadweep across the country. All the Lead District Offices of the Bank have conducted the District Level Review Committee (DLRC) meetings and District Consultative Committee (DCC) meetings regularly. The credit planning process was completed and District Credit Plan (DCP) 2017-18 was launched as per time schedule envisaged by RBI. The Bank is also the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep and satisfactorily discharged the responsibilities cast on it as the convener of State Level Bankers' Committee. The SLBC for Karnataka and UTLBC for Lakshadweep are implementing the recommendations of the High Level Committee to review the Lead Bank Scheme.

Under District Credit Plan, Bank's lead districts have shown 82.98 per cent achievement under priority sector and 82.54 per cent progress under agriculture as on March 2018 in respect of implementation of Annual Credit Plan 2017-18.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए गए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कर्नाटक में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और उत्तर प्रदेश में प्रथमा बैंक शामिल हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, 3 राज्यों के 18 जिलों में 1598 शाखाएँ एवं 236 एटीएम हैं। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुख्य कारोबार के मानदंडों के संदर्भ में देश के अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कुल व्यवसाय 31 मार्च 2018 को ₹62,741 करोड़ रहा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल जमाराशियाँ तथा अग्रिम बढ़कर क्रमशः ₹34,550 करोड़ और ₹28,190 करोड़ के स्तर तक पहुँच गए हैं। 31 मार्च 2018 की स्थिति में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का कुल अग्रिम ₹25,523 करोड़ रहा, जो कुल अग्रिमों का 90.54% है। कृषि अग्रिम ₹21,003 करोड़ पर पहुँच गया जो कि कुल अग्रिमों का 74.50% बनता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किसानों को कुल 12.60 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिनका कुल ऋण बकाया ₹13,828 करोड़ रहा। सभी तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एनपीए स्वतः उतार-चढ़ाव का कार्यान्वयन किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी स्थापना के बाद से लगातार लाभार्जन कर रहे हैं।

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरटीजीएस एवं एनईएफटी सुवधाओं के साथ सीबीएस से युक्त है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एपीबीएस/एनएसीएच प्लैटफार्म, ईसीएस और सीपीएसएमएस, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस, ई-वाणिज्य, ई-पास बुक, यूपीआई एवं भीम की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमजेडीवाई में सक्रिय रूप से भाग लेकर 25.72 लाख बचत बैंक खाते खोले हैं और 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 24.73 लाख रुपे कार्ड जारी किए हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई और एपीवाई योजनाओं के तहत क्रमशः 17.69 लाख, 6.11 लाख और 1.28 लाख पंजीकरण किए। आधार सीडिंग एवं आधार प्रमाणीकरण हासिल करने की प्रतिशतता क्रमशः 91.83 प्रतिशत एवं 61.83 प्रतिशत है। बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार एफआई योजना (2016-19) को कार्यान्वित कर चुके हैं।

वित्तीय समावेशन

बैंक ने देश भर में 6953 गावों को शामिल करते हुए आबंटित 3229 उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) को कवर किया है और वहाँ 2630 बैंक मित्रों को नियुक्त कर गावों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान किया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

"प्रधानमंत्री जनधन योजना" (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 28.08.2014 को की गई थी जिसमें उन सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था जो बैंक खाते के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं के साथ नहीं जुड़े हैं।

बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के तहत 31.03.2018 की स्थिति में ₹1,264.15 करोड़ के बकाए शेष के साथ 44.38 लाख सामान्य बचत बैंक जमाराशि

REGIONAL RURAL BANKS

There are three Regional Rural Banks sponsored by our Bank. These are Andhra Pragathi Grameena Bank in Andhra Pradesh, Karnataka Vikas Grameena Bank in Karnataka and Prathama Bank in Uttar Pradesh. These RRBs are covering 18 districts in 3 states with a network of 1598 branches & 236 ATMs. RRBs sponsored by our Bank are in the top league among various RRBs of the country, in respect of key business parameters. Total Business of RRBs sponsored by our Bank stood at ₹62,741 crore as on 31.03.2018.

The total deposits and advances of the RRBs have reached a level of ₹34,550 crore and ₹28,190 crore respectively. Total Priority sector advances stood at ₹25,523 crore constituting 90.54 per cent of the total advances as at 31.03.2018. Agriculture advance have reached a level of ₹21,003 crore forming 74.50 per cent of total advances. All the RRBs have issued 12.60 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of ₹13,828 crore. Auto movement of NPAs is implemented in all the three RRBs. The RRBs are making profit continuously since their inception.

All the branches of our sponsored RRBs are under CBS platform with RTGS and NEFT facilities. RRBs are on-boarded with APBS/NACH platform, ECS, CPSMS, Mobile Banking, IMPS, e-commerce, e-pass book, UPI & BHIM. RRBs have actively participated in PMJDY and have canvassed 25.72 lakhs SB accounts and issued 24.73 lakhs RuPay Cards as on 31.03.2018. These RRBs enrolled 17.69 lakh under PMSBY, 6.11 lakh under PMJJBY and 1.28 lakh under APY schemes respectively. Aadhaar seeding & Aadhaar authentication is achieved to the extent of 91.83 per cent & 61.83 per cent respectively. All the three RRBs sponsored by your Bank have implemented FI Plan (2016-2019) as per the direction of the Reserve Bank of India and Government of India.

FINANCIAL INCLUSION

Bank has covered all the allotted 3229 Sub Service Areas (SSAs) covering 6953 villages, and deployed 2,630 Bank Mitrs across the country to provide Banking services to the villages.

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana

"Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana" (PMJDY) was launched by the Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 with an objective of covering all the uncovered households in the villages and urban wards with a bank account to provide banking facilities, in a mission mode.

Bank has opened 44.38 lakh Basic Savings Bank Deposit (BSBD) under PMJDY as on 31.03.2018 with an outstanding

(बीएसबीडी) खाते खोले गए हैं जिनमें से 78% के औद्योगिक औसत के मुकाबले 35.48 लाख पीएमजेडीवाई खातों (79.95%) को आधार के साथ जोड़ा गया है।

कारोबार प्रतिनिधि (बैंक मित्र)

बैंक ने कुल 2630 बैंक मित्रों को नियुक्त किया है और सभी बैंक मित्रों को एईपीएस और रूपे कार्ड संव्यवहारों के लिए अंतर परिचालनक्षम माइक्रो एटीएम प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान माइक्रो एटीएम के माध्यम से कृत लेन-देनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और दैनिक लेन-देन 31.03.2017 की स्थिति 13 से बढ़कर 31.03.2018 की स्थिति में 20 हो गए हैं।

बैंकिंग आउटलेट

दिनांक 17.05.2017 को आरबीआई द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित शाखा विस्तार संबंधी बैंक की संशोधित अधिमान्यता नीति को बैंक ने अपनाया है।

आरबीआई के उपरोक्त संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, **''बैंकिंग आउटलेट''** एक स्थायी सेवा इकाई है, जिसे बैंक के स्टाफ या उनके कारोबार प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया जाता है, जहाँ बैंकिंग सेवाएँ जैसे, जमाओं को स्वीकारना, चेक को नकदीकृत करना, नकद आहरण हेतु अनुमति देना, उधार देना आदि दिन में (कम से कम) चार घंटे और हफ्ते में (न्यूनतम) पांच दिन प्रदान किए जाते हैं। इनमें एकसमान साइनेज जैसे बैंक का नाम, उसका प्राधिकरण, नियंत्रण प्राधिकारी की संपर्क सूची, शिकायत निवारण तंत्र, निरंतर सेवा आदि होते हैं। यहाँ कार्य-समय व कार्य-दिवस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

कम से कम दिन में चार घंटे और हफ्ते में 5 दिन सेवा प्रदान न करने वाले ऑउटलेट को अंशकालिक ऑउटलेट माना जाएगा। इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

आधार सेवा केन्द्र की स्थापना

बैंक ने कुल 564 आधार सेवा केन्द्रों की स्थापना की है, जबकि उसका लक्ष्य 403 था । इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा स्थापित इन आधार सेवा केन्द्रों में पर्यवेक्षक व जाँचकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए बैंक के कुल 677 अधिकारियों ने यूआईडीएआई की प्रमाणीकरण परीक्षा उत्तीर्ण की है।

तकनीकी पहल

वर्ष 2017-18 के दौरान, वित्तीय समावेशन क्रियाकलापों के तहत अपने कारोबार को सुलभ बनाने के लिए बैंक द्वारा निम्नांकित तकनीकी पहल किए गए।

- माईक्रो एटीएम में एसएचजी का द्वि-अधिप्रमाणन
- माईक्रो एटीएम के जरिए ई-केवाईसी के माध्यम से आधार अधिप्रमाणन
- बैंक की वेबसाइट में ओटीपी के जरिए आधार अधिप्रमाणन

balance of ₹1,264.15 crore out of which 35.48 lakh PMJDY accounts (79.95 per cent) have been seeded with Aadhar against industry average of 78 per cent.

Business Correspondent (Bank Mitr)

Bank has appointed 2630 Bank Mitrs and all are provided with interoperable Micro ATMs for undertaking AEPS and RuPay card transactions. 2552 Bank Mitrs have actively performed transactions during the year. The number of transactions through Micro ATMs increased considerably during 2017-18 and per day, per micro ATM transactions have increased from 13 as at 31.03.2017 to 20 as at 31.03.2018.

Banking Outlet:

The Bank's authorisation policy on Branch expansion has been approved by Board and adopted by the Bank as per revised guidelines issued by RBI on 18.05.2017.

According to the above revised RBI guidelines, a **"Banking Outlet"** is a fixed point service delivery unit, manned by either bank's staff or its Business Correspondent where services of acceptance of deposits, encashment of cheques/ cash withdrawal or lending of money are provided for a minimum of 4 hours per day for at least five days a week. It carries uniform signage with name of the bank and authorisation from it, contact details of the controlling authorities and complaint escalation mechanism and uninterrupted service. The working hours/ days need to be displayed prominently.

A banking outlet which does not provide delivery of service for a minimum of 4 hours per day and for at least 5 days a week will be considered a 'Part-time Banking Outlet'. Necessary guidelines have been issued by the bank in this regard.

Establishing Aadhaar Seva Kendra

Bank has set up 564 Aadhaar Seva Kendras as against the target of 403 centers. Besides, 677 officers of the Bank have successfully taken the UIDAI certification exam for functioning as supervisors cum verifiers in the Aadhaar Seva Kendras established by the Bank.

Technology Initiatives

During the year 2017-18, the Bank has undertaken following technology initiatives for the ease of doing the business under Financial Inclusion activities.

- Dual Authentication of SHG in Micro ATMs
- Aadhaar Authentication through Micro ATMs by eKYC
- OTP based Aadhaar Authentication facility in Bank Website

वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी)

बैंक जीवन ज्योति वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केंद्र (जेजेएफएलसीसी) न्यास के जरिए वित्तीय साक्षरता का प्रचार-प्रसार कर रहा है। इस न्यास ने बैंक के अग्रणी जिलों में 55 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) और 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्र (एफआईआरसी) की स्थापना की है। वर्ष के दौरान न्यास ने 16,481 साक्षरता शिविरों का आयोजन किया, जिसके जरिए 7,64,531 व्यक्ति लाभान्वित हुए। आरबीआई की सलाह के अनुसार, पांच राज्यों में बैंक ने 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्रों (एफआईआरसी) की स्थापना की है । एफआईआरसी बैंकिंग सेवाओं की विभिन्न पहलुओं, उसके उत्पादों, आरबीआई और उसके कार्यों, मुद्रा नोट आदि विषयों पर सूचना प्रदान करने वाले एक सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

सेन्टर फॉर फाइनैंशियल लिटरसी (सीएफएल)

बैंक उन चार जिलों में, अर्थात् बल्लारी, नेल्लूरु, गुडगांव एवं मेवाड़ में, जहाँ बैंक अग्रणी बैंक की भूमिका अदा कर रही है, वहाँ आबंटित सभी15 ब्लॉकों में 4 सेंटर फॉर फाइनैंशियल लिटरसी (सीएफएल) की स्थापना की है।

कॉरपोरेट ऋण

बैंक कॉरपोरेटों को उनकी अल्पावधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रदान करता है। ₹100.00 करोड़ से अधिक के एक्सपोज़र का संचालन कॉरपोरेट ऋण विभाग द्वारा किया जाता है। कार्यशील पूँजी वित्त, मीयादी ऋण वित्त, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के रूप में परियोजना वित्त, बुनियादी परियोजनाएं और अन्य परियोजनाएँ, प्राप्य भावी किराए के प्रति ऋण, इस विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण हैं।

परियोजना मूल्यांकन कक्ष (पीएसी)

परियोजना मूल्यांकन कक्ष, विस्तृत मूल्यांकन/टीईवी अध्ययन का पुनरीक्षण/ जानकारी ज्ञापन की तैयारी हेतु संस्थापित है। जहाँ उत्पाद/निर्माण/प्रक्रिया सम्मिलित है, वहाँ ₹70.00 करोड़ और उससे अधिक की परियोजना लागत वाले मीयादी ऋणों के प्रस्तावों और ₹35.00 करोड़ से अधिक के बैंक एक्सपोजर के बारे में पीएसी विस्तृत मूल्यांकन करता है।

पीएसबी/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं/प्रमुख निजी क्षेत्रक बैंकों/अन्य नामी एजेंसियों द्वारा पहले से मूल्यांकित परियोजनाओं के संबंध में, जहाँ एक्सपोज़र ₹100.00 करोड़ से अधिक है, पीएसी द्वारा पुनरीक्षण दिया जाता है। यह पहल ऋण प्रस्तावों की समयावधि को घटाती है और हमारी शाखाओं को इस प्रकार की सुविधाएँ अत्यंत कम समय में प्रदान करती है।

मध्य कॉरपोरेट ऋण

बैंक का मध्य कॉरपोरेट ऋण विभाग, ₹35.00 करोड़ से ₹100.00 करोड़ की ऋण आवश्यकता वाले छोटे कॉरपोरेटों की देख-रेख करता है । मध्य कॉरपोरेट ऋण विभाग देश भर के सभी शाखाओं से प्राप्त ऐसे ऋण प्रस्तावों का संचालन करता है जिसमें विनिर्माण, सेवा, वाणिज्यिक रियल इस्टेट, एमएफआई, एनबीएफसी, संरचना, अल्प प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों आदि के ऋण प्रस्ताव शामिल हैं। 31.03.2018 की स्थिति में, ₹7869.87 करोड़ के कारोबार के साथ बैंक की

Financial Literacy Centers (FLCs)

Bank is promoting Financial Literacy through Jeevan Jyoti Financial Literacy & Counselling Centres (JJFLCC) Trust which has opened 55 Financial Literacy Centers (FLC) and 21 Financial Inclusion Resource Centers (FIRC) in the lead districts of the Bank. During the year 16481 literacy camps have been conducted benefitting 764531 persons. As advised by RBI, your Bank has set up 21 Financial Inclusion Resource Centers (FIRCs) in 5 states. FIRCs provide a permanent storehouse of information in the form of exhibition on various facets of banking services and its products, RBI and its functions, Currency Notes etc.

Centre for Financial Literacy (CFL)

Bank has set up Centre for Financial Literacy (CFL) in all the allotted 15 blocks in 4 districts viz Ballari, Nellore, Gurgaon & Mewat districts, where your Bank is having lead bank responsibilities.

CORPORATE CREDIT

The Bank extends finance to corporates for their short term as well as long term requirements. Exposure of above ₹100.00 crore are handled by corporate credit department. The loans offered are working capital finance, term loan finance, project finance such as commercial real estate, infrastructure projects and other projects, loan against future rent receivable, etc.

Project Appraisal Cell (PAC)

Project Appraisal Cell has been constituted for preparation of detailed appraisal/ vetting of TEV study/ Information Memorandum. PAC undertakes detailed appraisal in respect of term loan proposals with project cost of ₹70.00 crore and above and Banks exposure of above ₹ 35.00 crore where production / construction / process is involved.

In respect of projects already appraised by PSBs/ all India financial institutions/ leading private sector banks/ other reputed agencies, vetting is done by PAC for exposures above ₹100.00 crore. This initiative will reduce the Turn Around Time (TAT) for credit proposals as well as providing such services to our branches at a short notice.

MID CORPORATE CREDIT

Mid Corporate Credit Department of the Bank caters to the credit requirements of smaller corporates whose credit requirement range between ₹35 crore to ₹100 crore. The Mid Corporate Credit Department handles such credit proposals received from all branches across the country, which includes sectors such as manufacturing, services, commercial real estate, MFIs, NBFCs, infrastructure, proposals under low priority industries etc. As on 31.03.2018, Bank has 23 Mid Corporate branches with

23 मध्य कॉरपोरेट शाखाएं हैं। इन शाखाओं में अधिक मूल्य के ऋण प्रस्तावों को निपटाने हेतु विशेषज्ञ प्रशिक्षित एवं अनुभवी ऋण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ।

ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग

ऋण अनुवर्तन की एक विस्तृत प्रणाली को बनाए रखने तथा अग्रिमों की आस्ति गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने, कॉरपोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक अलग संविभाग बनाया है जिसमें विशेष उल्लेखित खाते कक्ष, ऋण निगरानी कक्ष और कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना कक्ष को शामिल करते हुए उन्हें वर्ष 2014 में ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग (सीएमआरडी) में समाहित कर दिया गया। बैंक ने व्यापक ऋण निगरानी नीति तैयार की है जिसमें समय-समय पर सुधार किया जाता है।

यह विभाग प्राथमिक रूप से ऋण निगरानी से संबंधित नीतियों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग, आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मंजूर किए गए अग्रिमों के संबंध में मंजूरियों की समीक्षा करता है।

प्रभावी तथा समयबद्ध निगरानी के लिए, ₹1.00 करोड़ तथा उससे अधिक के उधार खातों के लिए प्रणाली आधारित मासिक निगरानी रिपोर्ट (एमएमआर) तैयार की गई है जिससे खातों की नियमितता, नवीकरण की स्थिति, निरीक्षण/लेखापरीक्षा के विवरण, इकाई के निरीक्षण, बीमा रक्षा, प्रतिभूति के सृजन, इकाई के निष्पादन, बैंकिंग व्यवस्थाएँ, रेटिंग के ब्यौरे, आदि के संबंध में गुणवत्ता युक्त जानकारी प्राप्त होती है। मासिक निगरानी रिपोर्ट प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करती है तथा ऋण संविभाग की वास्तविक स्थिति पर समग्र दृष्टि बनाए रखने हेतु उच्च प्रबंधन की मदद करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने विधिक लेखापरीक्षा की एक ऐसी प्रणाली बनाई है जहाँ ₹5 करोड़ और उससे अधिक के अग्रिमों, जो संपत्तियों के बंधक द्वारा समर्थित होते हैं, उन ऋण खातों के संबंध में हक विलेखों का पुनः परीक्षण व पुनः विधिक राय प्राप्त की जाती है। विभाग इस प्रक्रिया के अनुपालन की भी निगरानी करता है। इसके अलावा, यह विभाग पात्र खातों के मामले में माल लेखापरीक्षा की निगरानी भी करता है।

इस विभाग में दबावग्रस्त आस्ति कक्ष है, जो सीडीआर के तहत संदर्भित खातों से संबंधित सीडीआर और एसडीआर/एस4ए योजनाओं के संदर्भित खातों को देखता है। यह विभाग, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत निर्दिष्ट खातों का निपटान करता है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने दबावग्रस्त आस्तियों एवं उच्च मूल्य के विशेष निगरानी खातों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी और प्रतिक्रियाशील पीएसबी की सुधार कार्यसूची के भाग के रूप में पृथक वर्टिकल तैयार करने हेतु सभी बैंकों को निर्देश दिया है।

तदनुसार, बैंक के सभी दबावग्रस्त आस्तियों की निगरानी के लिए बैंक द्वारा "**दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल**" बनाया गया है।

business volume of ₹7,869.87 crore. These branches are provided with trained and experienced credit officers to handle high value credit proposals.

CREDIT MONITORING AND REVIEW

In order to have a comprehensive system of monitoring the credit on an ongoing basis and to ensure asset quality of advances, Bank has constituted a separate vertical Credit Monitoring and Review Department (CMRD) at Corporate Office headed by a General Manager, in which the Special Mention Accounts Cell, Credit Monitoring Cell and Corporate Debt Restructuring Cell are merged into Credit Monitoring and Review Department in 2014. Bank has formulated a comprehensive Credit Monitoring Policy, which is being fine-tuned from time to time.

The Department is primarily responsible for framing policies related to Credit Monitoring. Further, the Department is reviewing the sanctions in respect of the advances sanctioned by Regional and Zonal Offices.

For effective and timely monitoring, a system based monthly monitoring report (MMR) for borrowal accounts of ₹1.00 crore and above is put in place in order to obtain qualitative information pertaining to regularity of the account, renewal status, inspection/audit details, unit visits, insurance coverage, security creation, performance of the unit, banking arrangements, rating details etc. The monthly monitoring report acts as an early warning system and facilitates the top management to have an overall view on the health of the credit portfolio.

As per the Reserve Bank of India guidelines, Bank has introduced a system of legal audit wherein re-verification of title deeds/fresh legal opinion in respect of advances of ₹5.00 crore and above, backed by mortgage of properties, is done, where earlier legal opinion has completed 2 years. Department is also monitoring compliance of this process. Further, the Department is also monitoring conduct of stock audit in respect of eligible accounts.

Department consists of a stressed asset cell which handles accounts referred to CDR and SDR / S4A schemes pertaining to accounts already referred under CDR. The department handles accounts referred under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 for resolution of Stressed Assets. Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has directed all Banks to create a separate vertical to manage stressed assets and high value Special Mention Accounts as part of Reforms Agenda for Responsive & Responsible PSBs.

Accordingly, the Bank has created a "**Stressed Assets Management Vertical**" to monitor all the stressed assets of the Bank.

विशेष निगरानी खाते (एसएमए)

इस विभाग के अधीन ''विशेष निगरानी खाता कक्ष'' नामक एक अलग कक्ष कार्यरत है। जिन खातों में अनियमितताएँ/रुग्णता पायी जाती है उन्हें विशेष निगरानी खातों के रूप में जाना जाता है। एसएमए कक्ष का मुख्य कार्य ऐसे खातों, जिनमें अनियमितता व रुग्णता के प्रारंभिक लक्षण पाए जाते हैं, की पहचान करना है ताकि आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय पर प्रभावी कदम उठाए जा सकें और आस्ति को एनपीए होने से रोका जा सके।

इस विभाग को विशेष निगरानी खाते (एसएमए) के समग्र निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग को आस्ति गुणवत्ता का करार रखने के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणाली/ एमआईएस तैयार करने तथा नियमित अंतरालों पर आंकड़ा संग्रहण का कार्य सौंपा गया है।

पुनः संरचित एवं डीसीसीओ युक्त खातों के संदर्भ में नियमित अंतराल पर आंकड़े/ एमआईएस के संग्रहण का काम भी इस विभाग को सौंपा गया है। विभाग तिमाही आधार पर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) से पुनः संरचित खातों के खातावार विवरण प्राप्त करता है तथा भावी संदर्भ एवं विनियामक को सूचित करने के लिए ऐसे खातों का डेटाबेस तैयार करता है। सावधानी पूर्वक मूल्यांकन, कमजोरियों की शीघ्र पहचान एवं पुनर्रचित पैकेज के समयबद्ध कार्यान्वयन द्वारा विशेष निगरानी खातों और खातों की पुनर्संरचना, दोनों पर बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का अनुपालन किया है।

पुनः संरचित खातों के पुनः गिरावट को रोकने और यथापूर्व स्थिति को बनाये रखने के लिए यह विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों/ आँचलिक कार्यालयों एवं शाखाओं से संपर्क करके पुनः संरचित खातों की स्थिति की निगरानी करता है। विभाग डीसीसीओ युक्त खातों की उपलब्धियों की स्थिति पर भी निगरानी करता है और डीसीसीओ युक्त खातों के लिए प्रति तिमाही की समाप्ति पर निर्धारित अवधि के बाद विशेष प्रावधान करता है। विभाग, अंतिम प्रावधान तैयार करने और नियंत्रकों, रेटिंग एजेंसियों, शाखाओं और कॉरपोरेट कार्यालय के अन्य विभागों को डाटा प्रस्तुत करने के लिए पुनः संरचित खातों, एफआईटीएल खातों और डीसीसीओ युक्त खातों के आंकड़ों को प्रति तिमाही की समाप्ति पर समेकित करता है।

उन उधारकर्ताओं, जिनके पास ₹ 5.00 करोड़ और उससे अधिक के निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर हैं, की जानकारी अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक को तिमाही आधार पर सूचित की जाती थी। भारतीय रिज़र्व बैंक की नयी अधिसूचना संख्या आरबीआई/2017-18/131/डीबीआर सं.बीपी.बीसी 101/21.04.048/2017-18 दिनांक 12/02/2018 के अनुसार, दिनांक 01.04.2018 से सभी 5 ₹ करोड़ और उससे अधिक के उधार खातों की रिपोर्ट तिमाही के बदले मासिक आधार पर सीआरआईएलसी प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी।

साथ ही, ₹5 करोड़ और उससे अधिक के एसएमए 2 खातों की जानकारी, जिसे अबतक दैनिक आधार पर रिपोर्ट की जाती थी, में संशोधन किया गया है और नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी चूककर्ता खातों एमएमए (0, 1 एवं

SPECIAL MENTION ACCOUNTS (SMA)

A separate cell called "special mention accounts cell" is functioning under the department. The accounts which are showing sign of irregularities / sickness are known as special mention accounts. Major function of SMA cell is to identify the accounts showing early sign of irregularities, sickness so that timely effective action can be taken to maintain the quality of assets and to prevent them from slipping to NPA.

The Department is vested with the responsibility of overall monitoring of Special Mention Accounts (SMA). Department is entrusted with the task of devising appropriate reporting system/MIS and collecting data at regular intervals, for maintaining the asset quality.

The department is also entrusted with the collection of data / MIS at regular intervals in respect of restructured and DCCO extended accounts. The department gets account-wise details of restructured accounts directly from MIS on quarterly basis and maintains database of such accounts for further reference and information to regulator. The Bank has followed the RBI regulations both on Special Mention Accounts and on restructuring of accounts by careful assessment, quick detection of weaknesses and time-bound implementation of restructuring package.

The department monitors the status of restructured accounts by contacting Regional/Zonal Offices and branches to contain the restructured accounts from further slippage and to maintain the status-quo. The department also monitors the status of achievement of DCCO extended accounts and makes special provisions at every quarter end for DCCO extended accounts beyond the prescribed period. The department consolidates the data of restructured accounts, FITL accounts and DCCO extended accounts at every quarter end for making final provisions and to submit the data to the Regulator, Rating Agencies, branches and other departments of Corporate Office.

Borrowers having aggregate fund-based and non-fund based exposure of ₹5 crore and above were hitherto reported to RBI on quarterly basis As per RBI new Notification No.RBI/2017-18/131/DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12/02/2018, all ₹5 crore and above borrowal accounts are to be reported on monthly basis instead of quarterly under the CRILC platform with effect from 01.04.2018.

Also, SMA2 accounts of ₹5 crore and above were reported on daily basis hitherto which has been modified and as per new guidelines, all the default accounts (SMA 0,1

2 संबंधी) जानकारी साप्ताहिक आधार पर शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर रिपोर्ट की जानी होगी। ऐसी प्रथम रिपोर्ट दिनांक 23.02.2018 को प्रस्तुत की गई।

इसके अतिरिक्त, **सीआरआईएलसी** के अंतर्गत ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक के धोखाधड़ी वाले/ रेड फ्लैग चिन्हित खातों की रिपोर्टिंग का कार्य का भी इस विभाग के द्वारा किया जाता है।

आस्ति गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

अनर्जक आस्ति (एनपीए) प्रबंधन संबंधी समस्त मुद्दों के समाधान हेतु बैंक की वसूली नीति बनायी गयी है एवं अनर्जक आस्ति खातों के सभी श्रेणियों का समाधान करने के लिए वर्ष 2013 में ''अनर्जक आस्तियों की व्यापक वसूली नीति'' पर एक पुस्तिका प्रकाशित कर बैंक ने क्षेत्र पदाधिकारियों को सशक्त बनाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में व्यापक वसूली नीति में समय-समय पर आशोधन किये जाते हैं। कृषि एवं कृषि संबद्ध गतिविधियों को प्रत्यक्ष वित्तीयन के तहत किसानों के प्रस्तावों पर विचार करने, ₹5.00 लाख और उससे कम की बहीशेष वाली संदेहास्पद व हानि आस्तियों के तहत छोटे अनर्जक आस्ति खातों के लिए एकबारगी निपटान योजना बनाने तथा सूक्ष्म व लघु उद्यमी उधारकर्ताओं के लिए एकबारगी निपटान योजना बनाने के लिए बैंक ने विशेष ओटीएस योजनाएँ तैयार की हैं। शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं के लाभ के लिए मूल रूप में स्वीकृत ₹4.00 लाख और उससे कम के अनर्जक शिक्षा ऋण खातों का निपटान करने के लिए मौजूदा विशेष ओ.टी.एस. योजना को नवीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान ₹5,00,000/- और उससे कम बही शेष युक्त संदेहास्पद आस्ति-3 और हानिवाली आस्तियों के तहत वसूली को सुधारने के लिए तैयार विशेष ओटीएस योजना को भी दिनांक 31.03.2018 तक नवीकृत किया गया ।

साथ ही, आपके बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल एवं गोवा जैसे कुछ राज्यों द्वारा लागू राहत/ माफी योजनाओं के समान कुछ अन्य योजनाओं की घोषणा भी की गई है।

- अनर्जक फसल एवं कृषि ऋण के निपटान के लिए क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में विशेष एकबारगी निपटान योजना।
- केरल राज्य में शिक्षा ऋण के निपटान के लिए एक विशेष ऋण चुकौती सहायता सह ओटीएस योजना।
- गोवा राज्य में खनन संबंधी गतिविधियों के अनर्जक ऋणों के निपटान के लिए विशेष एकबारगी निपटान योजना।

बैंक ने पूरे वर्ष सभी शाखाओं में ''सिंड अदालतों'' के माध्यम से 'मिलें, बात करें और निपटान करें' की नीति के आधार पर बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों के बकायों का निपटान किया। क्षेत्रीय/समूह/शाखा स्तर पर दिनांक 13.06.2017, 22.08.2017, 14.11.2017 और 14.02.2018 को चार बृहद् सिंड अदालतों का आयोजन किया गया जिनमें 75428 ओटीएस मामलों का निपटान किया गया और ₹977.53 करोड़ की प्रस्तावित रकम पर ₹276.98 करोड़ राशि की वसूली की गई।

and 2) have to be reported on weekly basis at the close of business on every Friday and the first such report was submitted on 23.02.2018.

In addition to this, the function of reporting of identified Red flagged / Fraud accounts of ₹50 crore and above under **CRILC,** is also handled by the department.

ASSET QUALITY AND MANAGEMENT OF NPAs

Bank's Recovery Policy is oriented towards addressing the entire gamut of issues concerning NPA management and the bank has empowered the field functionaries in resolving any category of non performing accounts by bringing out a booklet on "Comprehensive Recovery Policy for Non Performing Assets" in the year 2013. The comprehensive recovery policy is being modified from time to time to be in line with the guidelines of RBI/GOI. Bank has introduced / extended special OTS schemes for considering proposals of farmers under direct finance to Agriculture & Allied activities including agricultural tractor loans, OTS Scheme for small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹5,00,000/- and below, and OTS scheme for Micro and Small Enterprises borrowers. The Special OTS scheme for settling NPA education loans with original sanctioned limit of ₹4.00 lakh & below for the benefit of education loan borrowers was also renewed. In addition to the above, during the year, a special OTS scheme to improve recovery under DA-3 and Loss Assets with book balance of ₹5,00,000/- and below with a limited validity period was also renewed up to 31.03.2018.

Also, in line with the relief/ waiver schemes announced by some of the states like, Uttar Pradesh, Maharashtra, Kerala and Goa, your Bank also introduced

- A special One Time Settlement Scheme for settlement of non performing crop and agricultural loans in the State of Uttar Pradesh and Maharashtra respectively.
- A special Loan Repayment Support cum OTS Scheme for settlement of education loans in the State of Kerala.
- A special One Time Settlement Scheme for settlement of non performing loans of mining related activity in the State of Goa.

Bank continued to reduce large number of smaller NPA accounts by settling the dues at "Synd Adalats" at all branches throughout the year by meet, talk and settle approach. Four Bruhat Synd Adalats were conducted at regional/cluster/branch level on 13.06.2017, 22.08.2017, 14.11.2017 & 14.02.2018 wherein 75,428 OTS cases were settled, by recovering a sum of ₹276.98 crore with an offer amount of ₹977.53 crore.

बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान नोटिस जारी करके और सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत संपत्तियों पर कब्जा/नीलामी करके ₹580.32 करोड़ राशि की उल्लेखनीय वसूली की, जो शाखा स्तर के प्रयासों, सूचीबद्ध दक्ष एजेन्सियों और अनुमोदित मूल्यांकिकी के सहयोग से पूरे हुए।

वसूली को बढ़ाने के लिए ''सिंड वसूली अभियान - 17-18'' के नाम से 01 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2018 तक विशेष एनपीए गहन वसूली अभियान सफलतपूर्वक चलाया गया।

वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक क्षेत्र के बड़े एनपीए पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें चिह्नित किया गया और मार्च 2018 से पहले कई खातों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया। ₹10 लाख से कम की विशेष निगरानी आस्तियों/अनर्जक खातों की अत्यधिक संख्यावाली शाखाओं की मदद करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित दबावग्रस्त लघु आस्ति वसूली (स्टार्ट) टीम का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। उच्च मूल्य के सभी एनपीए खातों की निगरानी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशकों द्वारा वैयक्तिक रूप से की जाती है और इन खातों के निपटान हेतु प्रभावी ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है जिसके फलस्वरूप, बड़ी संख्या में एनपीए खातों का निपटान संभव हो सका।

मौजूदा एनपीए खातों के मूल में ₹2202.17 करोड़ और विवेकपूर्ण ढंग से बट्टे डाले गए खातों में ₹630.55 करोड़ की नकद वसूली की गई। वित्तीय वर्ष के दौरान, एनपीए खातों में कुल ₹3330.75 करोड़ की नकद वसूली की गई।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक में एक सदृढ़ एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना स्थापित है। बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्रवाइयों का संपूर्ण दायित्व निदेशक मंडल का होता है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), बैंक की जोखिम प्रवृत्ति का निरूपण करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से कुशल सहयोग मिलता है।

बैंक के पास एक सुपरिभाषित साइबर सुरक्षा नीति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासी संरचना है जिसके अंतर्गत आईटी कार्यनीति समिति, आईटी संचालन समिति, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), सूचना सुरक्षा प्रबंधन समिति (आईएसएमसी), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) आदि शामिल हैं जिन्हें विभिन्न विशेषज्ञ टीमों, कारोबार निरंतरता टीमों एवं आईएस लेखापरीक्षा की सहायता प्राप्त है जो बैंक के भीतर सूचना सुरक्षा को प्रारंभ करने, कार्यान्वयन, निगरानी, बरकरार रखने तथा उन्नत बनाने का कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईटी बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा कारोबार को मूल्यवर्धित करता है। सीआईएसओ के कार्य करने, कोर बैंकिंग एप्लिकेशन, डीबीए, नेटवर्क परिचालन, एटीएम, विभिन्न कार्यों के सापेक्ष इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक के पास आईएसओ/ आईईसी 27001: 2013 प्रमाणन उपलब्ध है।

Bank was able to register a substantial recovery of ₹580.32 crore during the year 2017-18 by issuing notices and taking possession/auctioning of properties under SARFAESI Act 2002. The efforts at branch level were supplemented by empanelling more enforcement agencies and approved valuers.

Special intensive NPA recovery campaign named "Synd Vasuli Abhiyan-17-18" was held successfully from 1st August, 2017 to 31st March, 2018 for maximizing recovery.

Top NPAs from each region were identified for giving focused attention in the beginning of the year itself and many accounts were successfully resolved before March 2018. Stressed Tiny Asset Recovery Team (START) stationed at regional offices are being extensively utilized for assisting the branches having high concentration of special monitoring assets/non performing accounts of below ₹10.00 lakh. All high value NPA accounts are monitored personally by Managing Director and CEO /Executive Directors and vigorous follow up is made for resolving these accounts. On account of this, large number of NPA accounts could be resolved.

The Cash Recovery in existing NPA towards Principal is ₹2,202.17 crore and ₹630.55 crore in Prudentially written off accounts. The total cash recovery under NPA during Financial year was ₹3,330.75 crore.

RISK MANAGEMENT

Risk Management Architecture

A robust and comprehensive Risk Management Framework is established in the Bank. The Board of Directors assumes the overall responsibility for Risk Management in the bank. The Risk Management Committee (RMC) of the Board defines the risk appetite of the Bank. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset Liability Management Committee (ALCO), and Operational Risk Management Committee (ORMC).

The Bank is having a well defined Cyber Security Policy including an information Technology Governance Framework consisting of IT Strategy Committee, IT Steering Committee, Chief Information Officer (CIO), Information Security Management Committee (ISMC), a Chief Information Security Officer (CISO) assisted by various specialist teams, Business Continuity Teams and an IS Audit function to initiate, implement, monitor, maintain and improve the information security within the Bank and to make sure that IT is aligned and delivers value to the business. Bank has ISO/IEC 27001:2013 certification for CISO functions, core banking application, DBA, Network Operations, ATM, Internet Banking & Mobile Banking with various support functions.

कॉरपोरेट कार्यालय में कार्यरत जोखिम प्रबंधन विभाग, आंचलिक कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित जोखिम प्रबंधन कक्ष (आरएमसी) की सहायता से पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है। बैंक के पास ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित नीति और प्रक्रिया है जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उसे बदलते कारोबार और बाज़ार की गतिविधियों के अनुकूल बनाया जा सके।

बासेल II अनुपालन

बैंक, बासेल II के सभी मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी (सीआरएआर) अनुपात की गणना, भारतीय रिज़र्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनसीएएफ) के दिशानिर्देशों का अनुसरण में पिलर-I की आवश्यकताओं के अनुसार की गयी है। बैंक, ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाज़ार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक जोखिम वहन क्षमता संरचना, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) और स्ट्रेस टेस्ट नीति है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि, वह अपनी विपणन वास्तविकताओं, आर्थिक वातावरण और विनियामक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठा सके। बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक वार्षिक पूंजी योजना भी तैयार करता है, जिसकी तिमाही अंतराल या अपेक्षानुसार समीक्षा की जाती है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रकटीकरण नीति है जिसकी भा.रि.बैं. तथा अन्य नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

बासेल III दिशानिर्देश

वित्तीय एवं आर्थिक दबावों के आघातों को आत्मसात करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए बासेल-III दिशानिर्देशों को लागू किया गया है ताकि लीवरेज अनुपात के साथ जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षा को सहायता मिले। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का परिकलन करता है और उसे मासिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करता है। भारित औसत एलसीआर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान, बैंक ने सीईटी I अनुपात, टियर-I अनुपात एवं सीआरएआर में सुधार और पूंजी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूंजी को संवर्धित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल ₹4,940 करोड़ की पूंजी निधियों को विभिन्न रूपों में बढ़ाया है, जो निम्नवत हैं:

ए) भारत सरकार द्वारा कृत ₹2839 करोड़ की राशि का ईक्विटी पूंजी का निवेश।

बी) क्यूआईपी के माध्यम से दिनांक 15.12.2017 को ₹ 1150.80 करोड़ की इक्विटी पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटायी गयी है।

सी) दिनांक 25.07.2017 को ₹450 करोड़ के लिए 9.80% की कूपन दर से बासेल III अनुपूरक एटी1 बॉण्ड ।

डी) दिनांक 03.05.2017 को ₹ 500 करोड़ के लिए 8.00 % की कूपन दर से बासेल III अनुपूरक टियर 2 बॉण्ड ।

Risk Management Department functioning at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank with the assistance of Risk Management Cells (RMCs) at Zonal Offices and Regional Offices. The Bank has a well-documented policy and processes for management of credit, market and operational risks which are periodically reviewed, so as to adapt to the changing business and market environment.

Basel II Compliance

Bank has been complying with all Basel II norms. The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is computed as per Pillar I requirements adhering to New Capital Adequacy Framework (NCAF) guidelines of RBI. Bank has adopted standardized approach for computing credit risk, basic indicator approach for computing operational risk and standardized duration approach for computing market risk.

Bank has a Board approved comprehensive Risk Appetite Framework, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress Test Policy which is reviewed periodically so as to be in line with the market realities, economic environment and regulatory requirement. Bank also prepares the annual capital plan to augment the capital requirements of the Bank which is reviewed at quarterly intervals or as per requirements. The Bank has a board approved Disclosure policy which is reviewed periodically by adhering to the guidelines issued by RBI and other regulatory bodies periodically.

Basel III Guidelines

Basel III guidelines have been introduced for improving the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, supplementing the Risk-based capital requirement with a leverage ratio. Bank is calculating the Liquidity Coverage Ratio (LCR) in line with RBI guidelines and submitting the same to RBI on a monthly basis. The weighted average LCR is published on a quarterly basis. During the current year, Bank has taken various capital optimization measures for improving the quality of capital and to improve the CET 1 ratio, Tier 1 ratio & CRAR of the Bank. Bank has raised total capital funds of ₹4,940 crore during the financial year 2017-18 in various forms, namely

a. Equity Capital infusion by Govt. of India for an amount of ₹2,839 crore.
b. Equity Capital (including Share Premium) raised through QIP of ₹1,150.80 crore on 15.12.2017.
c. Basel III compliant AT 1 Bonds at coupon rate of 9.80% of ₹450 Crore on 25.07.2017.
d. Basel III compliant Tier 2 Bonds at coupon rate of 8.00% of ₹500 Crore on 03.05.2017.

बैंक, व्यवसाय में प्रत्याशित वृद्धि प्राप्त करने के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत सूची के अनुसार पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बासेल-III के तहत सीईटी-I अनुपात, टियर I अनुपात, सीआरएआर और लीवरेज अनुपात को सुधारने के लिए सभी उपाय कर रहा है। बैंक, सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से वेबसाइट में बासेल-III के प्रकटनों पर अपेक्षित जानकारी त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित कर रहा है।

आस्ति देयता प्रबंधन

उच्च प्रबंधन वर्ग के लोग आस्ति देयता प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं जो, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, अंतर/असंतुलन जोखिम, आधार जोखिम, पुनर्मूल्यन जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम और ईक्विटी मूल्य जोखिम आदि के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। इनमें जमाराशियों तथा अग्रिमों की उत्पाद कीमत के साथ आस्तियों एवं देयताओं की अपेक्षित परिपक्वता प्रोफाईल भी शामिल है।

बैंक ने किसी भी आकस्मिकता के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित आकस्मिक नकदी निधि योजना तैयार की है। बैंक अपनी ब्याज आय और चलनिधि पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए त्रैमासिक आधार पर स्ट्रेस टेस्ट करता है। बैंक बासेल -III ''चलनिधि व्याप्ति अनुपात'' की निगरानी करती है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थाओं की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की जोखिम हेतु पूंजी व प्रावधानीकरण आवश्यकता के संदर्भ में बैंक ने नीति बनाई है। पिछले दो वर्षों की स्थिति निम्नवत है:

(रकम ₹ करोड़ में)

ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17
यूएफसीई प्रावधान का प्रारंभिक शेष	60.00	52.00
जोड़ें : वर्तमान वर्ष के दौरान प्रावधान की वृद्धि/वापसी का प्रावधान	(9.00)	8.00
यूएफसीई प्रावधान का इति शेष	51.00	60.00

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक ने, समेकित कोष परिचलान की गतिविधियों तथा समुन्नत कोष परिचालन के सुदक्ष प्रबंधन को पर्याप्त महत्व दिया है। कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीएंडआईबीडी) के दो स्कंध हैं यथा, (ए) विदेशी विनिमय कोष तथा (बी) देशी कोष। इसके अतिरिक्त, टीएंडआईबीडी बैंक के विदेशी परिचालनों की निगरानी करने वाले एवं उनके नियंत्रक कार्यालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

विदेशी मुद्रा कोष

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग हमारे बैंक का ए श्रेणी का कार्यालय है जो, विदेशी विनिमय की प्रस्थिति, नोस्ट्रो एवं वोस्ट्रो खातों का रख रखाव करता है। इसके अलावा, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग हमारी लंदन शाखा के विदेशी मुद्रा कारोबार, संपर्की बैंकिंग संबंध तथा विदेशी कारोबार परिचालनों की निगरानी भी करता है।

Bank is taking all measures to improve the CET1 ratio, Tier 1 ratio, CRAR and Leverage Ratio under Basel III so as to comply with the capital requirements as per the schedule prescribed by RBI while simultaneously achieving the expected growth in business. Bank is also publishing on quarterly basis the required information as per Basel III disclosures in the website since the quarter ending September 2013.

Asset Liability Management

The Asset Liability Management Committee consists of members of the top management and regularly meets to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gaps/Mismatch Risk, Basis Risk, Re-pricing Risk, Forex Risk and Equity Price Risk. It includes product pricing for deposits as well as advances and the desired maturity profile of assets and liabilities.

The Bank has a well-documented contingency liquidity funding plan for managing any contingency. The Bank undertakes stress testing on quarterly basis and assesses the impact on liquidity and interest income of the bank. Bank monitors the Basel-III "Liquidity Coverage Ratio".

Un hedged Foreign Currency Exposure:

The Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Un hedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on the guidelines issued by RBI. The position of last 2 years is as under.

(Amount in ₹ Crs)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
Opening Balance of UFCE provision	60.00	52.00
Add: incremental/reversal of provision during the current year	(9.00)	8.00
Closing Balance of UFCE provision	51.00	60.00

TREASURY & INTERNATIONAL BANKING

Bank has accorded importance to treasury functions and efficient management of Integrated Treasury Operations. Treasury and International Banking Department (T&IBD) has two wings viz, (a) Foreign Exchange Treasury and (b) Domestic Treasury. Besides, T&IBD is also functioning as monitoring and controlling office for the overseas operations of the Bank.

Forex Treasury

Treasury and International Banking Dept (T&IBD) is the only 'A' category office in the Bank which maintains foreign exchange position, Nostro and Vostro Accounts. T&IBD also monitors foreign exchange business, correspondent banking relationship and overseas business operations of London branch.

टीएंडआईबीडी, मुंबई में बैंक का केंद्रीय कारोबार कक्ष स्थापित है जो बैंक के विदेशी विनिमय कारोबार परिचालनों की देखरेख करती है। बैंक की 116 प्राधिकृत शाखाएं (''श्रेणी बी'') हैं जो, पूर्णतया विदेशी विनिमय लेन-देनों की देखरेख करती हैं और 414 नामित शाखाएं बैंक के एफसीएनआर कारोबार का प्रबंधन करती हैं। बैंक की सभी 4012 देशी शाखाओं में एनआरई/एनआरओ जमाराशियों को स्वीकृत किया जाता है। बैंक, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का सदस्य है जिसके द्वारा यूएसडी/आईएनआर में अंतर बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार का निपटान किया जाता है। बैंक, सीसीआईएल के माध्यम से कंटीन्यूअस लिंक्ड सैटेलमेंट (सीएलएस) द्वारा क्रॉस करेंसी सौदे का निपटान भी करता है।

करेंसी फ्युचर्स में मालिकाना आधार पर व्यापार करने के लिए बैंक, तीन एक्सचेंजों एमसीएक्स-एसएक्स; एनएसई और बीएसई का व्यापार-सह-समाशोधन सदस्य है।

बैंक केवल सामान्य एवं सरल व्युत्पन्नों को ही पेश करता है और बैंक किसी प्रकार के जटिल व्युत्पन्न उत्पाद पेश नहीं करता। वर्तमान व्युत्पन्न लेन-देनों के मामले में बैंक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। बैंक ने समुन्नत कोष प्रबंधन सॉफ्टवेयर (आईटीएमएस) लागू किया है जिसमें कई आवश्यक विशेषताएँ हैं, जैसे-घरेलू एवं विदेशी मुद्रा कोष का समेकन, रुपया और विदेशी मुद्रा कोष के लिए निपटान कार्य में सरलता तथा ससमय नोस्ट्रो समाधान। यह नई प्रणाली, ग्राहक लेन-देनों के दौरान शाखा के साथ सहज संबंध स्थापित करने में मदद करती है।

पिछले वित्तीय वर्ष के ₹11,32,142 करोड़ के विदेशी कारोबार की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 का कुल विदेशी कारोबार ₹10,91,020 करोड़ रहा और पिछले वित्तीय वर्ष के ₹10,78,832 करोड़ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 का अंतर बैंक कारोबार ₹10,23,209 करोड़ रहा।

निर्यात वित्त:

निर्यातकों के नकद प्रवाह को बढ़ाने के लिए बैंक के पास सुविस्तृत प्रतिनिधि संबंध एवं प्रतिस्पर्धात्मक दर द्वारा समर्थित दक्ष निर्यात वित्त सेवाएं हैं। भारतीय रुपये के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में भी निर्यात वित्त का कार्य किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर रुपए निर्यात ऋण की पेशकश की गई। बैंक ने कुछ निर्धारित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार, निर्यातकों के लिए ब्याज अनुदान योजना उपलब्ध कराकर रियायती ब्याज दर का लाभ प्रदान किया गया। बैंक ने विभिन्न केंद्रों में अपने ग्राहकों के साथ सीधे संवाद हेतु आयात/निर्यात बैठकों का आयोजन भी किया है।

विनिमय कंपनियाँ

बैंक द्वारा मेसर्स मुसंडम एक्सचेंज कंपनी रूवी, जो ओमान सल्तनत की एक विनिमय कंपनी है, का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। 6 विदेशी बैंकों के साथ आरडीए व्यवस्था निष्पादित करने के साथ-साथ बैंक ने खाड़ी देशों से प्रवासी

The Bank's centralized dealing room at T& IBD, Mumbai handles the foreign exchange dealing operation of the Bank. The Bank is having 116 designated branches (Category "B") to handle all types of foreign exchange transactions and 414 nominated branches to handle the FCNR business of the Bank. NRE/NRO deposits are accepted at all the 4012 domestic branches of the Bank. The Bank also has one overseas branch at United Kingdom. The Bank is a member of Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL), for settlement of inter-bank forex deals in USD/INR segment. Further, the Bank also settles cross-currency deals through CCIL with continuous linked settlement (CLS) Bank.

The Bank is a trading-cum-clearing member on three exchanges, i.e., MCX-SX, NSE and BSE for undertaking proprietary based position in currency futures.

The Bank is offering only plain vanilla derivatives and no complex derivative products are offered by the Bank. There is no litigation against the Bank in respect of existing derivative transactions. The Bank has implemented Integrated Treasury Management Software (ITMS) which has essential features like integration of domestic and forex treasury, efficient settlement operations for rupee and foreign exchange treasury and timely Nostro reconciliation. The new system also provides seamless interactions with branches for their customer transactions.

The total forex turnover of the Bank was ₹10,91,020 crore for the current financial year 2017-18, as compared to ₹11,32,142 crore for the previous financial year. The inter-Bank turnover was ₹10,23,209 crore for the current financial year 2017-18 as compared to ₹10,78,832 crore for the previous financial year.

Export Finance

Your Bank has efficient Export Finance services to improve cash flows of exporter with wide network of correspondent relationships and competitive rates for remittances. Export Finance was made in Indian Rupees as well as in foreign currency. Rupee export credit was offered at very competitive interest rates within the ceiling prescribed by RBI. The Interest Equalization Scheme for Exporters, as designed by Govt of India, has been made available by the Bank to its customers in certain specified sectors, thus passing on the benefits of concessional interest. Bank also conducted exports/imports meet at various centers to have direct interaction with the clients.

Exchange Companies

The Bank is managing one Exchange House M/s Musandam Exchange Company Ruwi, an exchange company at Ruwi in Sultanate of Oman. The Bank is also

भारतीयों द्वारा भारत में बेहतर किफायती निधि अंतरण हेतु 7 एक्सचेंज हाउसों के साथ लाभप्रद रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) भी की है।

केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग ने 26 दिसंबर 2012 से केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष की स्थापना की है ताकि बैंक द्वारा संचालित विनिमय संस्थान यानी मुसंदम विनिमय कंपनी द्वारा जुटाए गए एनआरआई खातों को शीघ्र खोला जा सके। बैंक के एनआरई संविभाग को बढ़ाने के उद्देश्य से कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग शाखाओं की तरफ से खाते खोलकर चेक बुक, एटीएम कार्ड और इंटरनेट आईडी आदि से युक्त एनआरई स्वागत किट ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए उनकी आपूर्ति सीधे विनिमय गृह को करता है।

मल्टी करेंसी को- ब्रांडेड फोरेक्स प्रीपेड कार्ड

थोमस कूक इंडिया लि. और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर दिनांक 23 जून 2017 को मल्टी करेंसी को- ब्रांडेड फोरेक्स प्रीपेड कार्ड की शुरुआत की गयी। इस सीमारहित प्रीपेड कार्ड (एक ही कार्ड) में एक साथ आठ मुद्राओं- अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, अस्ट्रेलियायी डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, सिंगापुर डॉलर और जापानी येन में रकम जमा करने का विकल्प है। इस कार्ड को जारी करने के लिए 6 विदेशी मुद्रा विनिमय प्रसंस्करण केंद्र और 57 शाखाओं को नामित किया गया है।

नोस्ट्रो बैंक के साथ विशेष व्यवस्थाएं

ग्राहकों द्वारा यूएस स्थित प्रतिनिधि बैंकों से यूएस डालर में आहरित लिखतों के संग्रह में सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, यू एस ए में आहरित अमेरिकी डॉलर चेकों/ड्राफ्टों को यू एस डी नोस्ट्रो प्रतिनिधि के माध्यम से जल्द से जल्द समाशोधित करने के लिए कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग ने विशेष व्यवस्थाएँ की है।

घरेलू कोष

अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित घरेलू व्यापार डेस्क, जो सीसीआईएल द्वारा प्रदत्त, सीआरओएमएस, सीबीएलओ, एनडीएस-ओएम, एनडीएस-कॉल आदि जो आईटीएमएस इंटरफेस से युक्त हैं, जैसे ट्रेडिंग प्लेटफार्मो से समर्थित है, निर्बाध लेनदेन गतिविधियाँ प्रदान करता है। कोष के महत्वपूर्ण संविभाग में एसएलआर निवेश सम्मिलित है और यह केंद्र सरकार की प्रतिभूति एवं राज्य सरकार की प्रतिभूति के बॉण्ड के रूप में हैं।

गुणवत्तायुक्त एवं रेटेड कॉरपोरेट बांड और डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, सीडी इत्यादि में निवेश द्वारा बैंक ने अपने गैर-एसएलआर निवेश को सुदृढ़ बनाया है जिसके परिणामस्वरूप निवेश संविभाग के प्रतिलाभ में बढ़ोत्तरी हुई है। बैंक ने सीबीएलओ, रेपो और एक दिवसीय एफएक्स मार्केट के साथ कॉल मार्केट जैसे विंडोज के प्रभावी प्रयोग की मध्यस्थता के माध्यम से भी आय कमाया है। बैंक ने निधि प्रवाह और चलनिधि स्थिति की निरंतर निगरानी करते हुए और उधार संबंधी लेन-देन करने के द्वारा इन मुद्रा बाज़ारों से प्राप्त निधियों का अत्यंत दक्षतापूर्वक प्रबंधन किया है।

having Rupee Drawing Arrangements (RDA) with other 7 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer by Indian diaspora to India from Gulf countries, apart from RDA with 06 foreign banks.

Centralised NRI Cell

T&IBD has opened the centralized NRI cell w.e.f. 26th Dec 2012 to enable prompt opening of NRE accounts canvassed by Exchange House managed by Bank, namely, Musandam Exchange Company. With a view to increasing the NRE Portfolio of the Bank, T&IBD is opening the account on behalf of the branches and dispatching the NRE welcome kit containing cheque book, ATM card and Internet IDs etc. directly to the Exchange House for delivery to the customer.

Multi – Currency Co-Branded Forex Pre Paid Card

The Multi-Currency Co-Branded forex pre-paid card in association with Thomas Cook India Ltd and Master Card was launched on 23rd June, 2017. This borderless Prepaid Card has the option of loading eight currencies on a single card–US Dollars, British Pounds, Euro, Australian Dollars, Canadian Dollars, Swiss Francs, Singapore Dollars and Japanese Yen. There are 6 Foreign Exchange Processing Centres and 57 branches designated to issue this card.

Special Arrangements with NOSTRO Bank

In order to mitigate the hardship faced by the customer in collection of US Dollar instruments through US based correspondent Banks, T&IBD has established special arrangements for speedy collection of US Dollar cheques/ draft through USD Nostro correspondent for cheques drawn in USA.

Domestic Treasury

Domestic trading desk supported by state- of- art-technology which is mapped with the trading platforms provided by CCIL like CROMS, CBLO, NDS-OM, NDS-Call etc are interfaced with ITMS, provides the seamless transactions movements. The major portfolio of the treasury comprises of SLR investments and is in the form of bonds of central Government securities & state Government securities.

The bank has also strengthened the non SLR investments by investing in qualitative and rated corporate bonds and debentures, commercial paper, CDs, etc., resulting in improved yields on investment portfolio. The bank has also earned from arbitrage deals, by effectively making use of windows like CBLO, Repo & Call market with that of overnight FX market. The bank has managed funds very efficiently by these money market channels by continuously monitoring the fund flow and the liquidity position and undertaking lending and borrowing transactions.

वर्ष के दौरान बैंक के कोष ने सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन कर अधीनस्थ टियर II बॉण्ड (₹500 करोड़), अतिरिक्त टियर I बॉण्ड (₹450 करोड़) और ₹1150.80 करोड़ मूल्य के अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) जारी कर अपनी पूँजी निधि की वृद्धि की है। इक्विटी के माध्यम से सरकार ने ₹2,839 करोड़ की पूंजी लगायी है। बैंक ने बॉण्ड के पुनः पूंजीकरण में उस राशि का निवेश किया है। बैंक ने वर्ष के दौरान इक्विटी अनुसंधान विभाग की स्थापना की है और इक्विटी में व्यापार करना प्रारंभ किया है।

बैंक का घरेलू निवेश पिछले वर्ष के ₹64,766.41 करोड़ की तुलना में दि. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 79,204.17 करोड़ हो गया। निवेश संविभाग से प्राप्त कुल आय (लाभांश और व्यापार लाभ को छोड़कर) वर्ष 2016-17 के ₹5,428.05 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में ₹ 5,410.37 करोड़ हो गयी। एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश ₹70,349.94 करोड़ हो गया है जो दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल निवेश का 88.82 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 के ₹1,728.69 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 का व्यापार लाभ ₹ 926.48 करोड़ रहा।

बैंक के कुल निवेश संविभाग के लिए 'आशोधित अवधि' (1 प्रतिशत ब्याज दर में परिवर्तन से मूल्य में बदलाव का संकेतक) वर्ष 2016-17 के मूल्य 4.30% की तुलना में वर्ष 2017-18 में 4.43% रहा।

समुद्रपारीय परिचालन:

बैंक की समुद्रपारीय शाखा इंगलैंड के लंदन में स्थित है। यह शाखा, इंगलैंड में भारतीय कॉरपोरेटों के लिए थोक बैंकिंग परिचालनों, मुद्रा बाज़ार परिचालनों, निवेशों तथा कोष परिचालनों में सक्रिय है। यह शाखा, वैश्विक पहचान वाले भारतीय कॉरपोरेटों के लिए द्विपक्षीय ऋणों के अलावा, सिंडिकेशनों और ईसीबी पर ध्यान केंद्रित करती है। शाखा के पास युनाइटेड किंगडम की विनियामक प्राधिकारी से अनुमोदित प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध है। शाखा का कुल कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) 31 मार्च 2017 की स्थिति में जीबीपी 7,627.164 मिलियन (₹61,705.66 करोड़) की तुलना में 31 मार्च 2018 को जीबीपी 7968.770 मिलियन (₹73,533.82 करोड़) रहा।

प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस)

प्रबंध सूचना प्रणाली विभाग उच्च प्रबंधन, प्रशासनिक कार्यालय एवं शाखाओं को आंकड़े विश्लेषण और निर्णय प्रक्रिया में सहयोग हेतु कारोबार मानदंड संबंधी सूचना प्रदान करता है। यह विभाग विनियामक एवं सांविधिक अनुपालनों को पूरा करने के लिए भी रिपोर्ट प्रदान करता है। विभाग द्वारा आंकड़ों की गुणवत्ता, यथार्थता, संगतता एवं सामयिकता को सुनिश्चित किया जाता है।

विभाग, नियमित एवं तदर्थ रिपोर्ट को तैयार करने के अलावा, विभिन्न प्रयोजनों जैसे, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए स्पार्क (एसपीएआरसी), जोखिम प्रबंधन विभाग के लिए कैम (सीएएम) और एएलएम-एफटीपी, ऋण निगरानी एवं एसएमए

During the year, the Bank's treasury has raised Capital Funds by way of Subordinate Tier II Bond (₹500 Cr), Additional Tier I Bond (₹450 Cr) and Qualified Institutional Placement (QIP) amounting to ₹1,150.80 Cr after complying with all the due procedures. The Government has infused capital through equity to the tune of ₹2,839 Cr. The bank has invested in Recapitalization Bond for the same amount. During the year, the Bank has set up an equity research department and has started trading in equity

The domestic investments of the bank were at ₹79,204.17 crore as on 31.03.2018 as against ₹64,766.41 crore for previous year. Total income from investment portfolio (excluding dividend & trading profits) was ₹5,410.37 crore in the year 2017-18 as against ₹5,428.05 crore in the year 2016-17. Bank's investment in SLR securities amounted to ₹70,349.94 crore which formed 88.82 per cent of Bank's total domestic treasury investments as on 31.03.2018. Trading profits for the year 2017-18 was ₹926.48 crore as against ₹1,728.69 crore during the FY 2016-17.

Modified duration (indicator of change in prices/values with change in 1 per cent Interest Rate) for Bank's total investment portfolio stood at 4.43 per cent for 2017-18 as against of 4.30 per cent for year 2016-17.

Overseas Operation

Bank's overseas presence is in United Kingdom with a Branch at London. The Branch is active in wholesale banking operations serving Indian Corporates in United Kingdom, money market operations, investments and treasury operations. The Branch focuses on syndications and ECBs, besides bilateral loans for Indian Corporates having global presence. The branch has efficient risk-management system which is approved by regulatory authority of United Kingdom. The total business (Deposits and Advances) of the branch stands at Great Britain Pound (GBP) 7968.770 million (₹73,533.82 crore) as at 31st March, 2018 as against GBP 7627.164 million (₹61,705.66 crore) as at 31st March, 2017.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)

Management Information System (MIS) department provides information on business parameters to the top management, administrative offices and branches aiding in data analysis and decision making. The department also provides reports to meet the Regulatory and Statutory compliances. The data quality, accuracy, consistency and timeliness is ensured by the department.

Apart from generating the regular and adhoc reports, the department is also providing data for various requirements such as: SPARC for RBI, CAM and ALM-FTP for Risk Management dept, CRILC /SMA for Credit Monitoring

विभाग के लिए सीआरआईएलसी/ एसएमए, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई के लिए फैटका (एफएटीसीए) आंकड़े, प्रधान कार्यालय: निरीक्षण विभाग के लिए एथिक आंकड़े, उत्पाद नवोन्मेष एवं पीबीआर विभाग के लिए अनन्या परियोजना संबंधी आंकड़ें, साख ब्यूरो यथा सिबिल के लिए आंकड़े, एफआईबीएसी तथा बैंक द्वारा प्रारंभित विभिन्न अभियानों, इत्यादि के लिए आंकड़े प्रदान करता है।

यह विभाग, अपेक्षित आंकड़े, रिपोर्ट, विश्लेषण, डैशबोर्ड को तैयार करने के लिए उद्यम आंकड़ा संग्रहण एवं कारोबार आसूचना को और बेहतर बनाने, बैंक के विभिन्न नये स्रोतों के एकीकरण एवं अतिरिक्त रिपोर्ट को विकसित करने की प्रक्रिया में लगा है। वर्तमान में ईडीडब्ल्यूबीआई का धन-शोधन निवारण, सीटीआर, वित्तीय आसूचना इकाई- भारत द्वारा प्रस्तावित रेड फ्लैग अलर्ट एवं विश्लेषणात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन (एसीआरएम) जैसे कार्यक्रमों में उपयोग किया जा रहा है। विभाग ने विभिन्न परिचालन विभागों के लिए अपेक्षित अवधि हेतु अपने स्तर पर कुछ नेमी रिपोर्ट स्वयं सृजित करने के लिए मेन्यू आधारित रिपोर्ट सृजन का विकल्प उपलब्ध कराया है।

आंकड़ा विश्लेषण

विभाग ने एक दल का गठन करके आंकड़ा विश्लेषण कार्यकलाप प्रारंभ किया है एवं बैंक से संगत विश्लेषणात्मक उपयोगी मामलों की पहचान कर रहा है। विभाग ने निष्पादन की समीक्षा एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में अंतर का विश्लेषण करने के लिए शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/ आँचलिक कार्यालयों हेतु मुख्य कारोबार मानदंडों की दैनिक स्थिति संबंधी डैशबोर्ड उपलब्ध कराया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)

भारत भर में 4012 शाखाओं, 8 आँचलिक कार्यालयों, 60 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं लंदन की एक शाखा के नेटवर्क के माध्यम से बैंक अपने कारोबार के प्रसार में लगा हुआ है। बैंक की सभी शाखाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) से जुड़ी हुई हैं।

मूलभूत संसाधन

बैंक के पास सर्वोत्तम मूलभूत संसाधन युक्त अत्याधुनिक डाटा केंद्र मुंबई में और बैंक का आपदा निवारण केंद्र, बेंगलूरु में मौजूद है जो विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित है तथा मुंबई में एक समीपवर्तीय स्थान पर भी है।

बैंक, अपने यहाँ नया इंटरप्राइज क्लाज़ सर्वर एवं स्टोरेज सिस्टम लगाया है, जिससे बैंक के निष्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, डे-एंड बैच प्रोसेसिंग में सुधार एवं एमआईएस तथा रिपोर्टिंग के लिए सीबीएस डाटाबेस की मल्टी बैकअप सृजित करना संभव हुआ है।

लंदन शाखा के लिए सीबीएस

लंदन स्थित हमारी विदेशी शाखा में, ग्राहक केंद्रित बैंकिंग उत्पाद संरूपण, मल्टी चैनल क्षमता युक्त सुविधा प्रदान करने के लिए अद्यतन साफ्टवेयर अप्लिकेशन (फिनाकल), विदेशी सीबीएस के तहत लगाया गया है।

& SMA Dept, IFRS data for Central Accounts Dept, FATCA data for International Division, Mumbai, eTHIC data for HO:Inspection, Project Ananya for Product Innovation & BPR Dept, Data for Credit Bureau such as CIBIL, Data for FIBAC & for various campaigns launched by the Bank.

The department is in the process of revamping the Enterprise Data Warehousing & Business Intelligence Solution by redefining the scope of the work, additional reports development and integration of various new sources systems of the Bank for generation of required data, reports, and analytics and dash boards. EDWBI is currently being leveraged in the functions like Anti Money Laundering (AML), Cash Transaction Report (CTR) and Analytical Customer Relationship Management (ACRM). The Department has enabled menu based reports generation option for various functional departments to self-generate some of the routine reports at their end for the required periods.

Data Analytics

The Department has initiated Data Analytics activities by forming a team and the analytical use cases relevant to the bank are being identified by the team. The department has enabled Dashboards on daily position of key business parameters for Branches/ROs/ZOs for review of performance and analyzing the gaps in achieving targets.

INFORMATION TECHNOLOGY

Core Banking Solution (CBS)

The Bank continues to spread its wings with a network of 4012 branches, 8 zonal offices, 60 regional offices, spread across India and one branch at London. All branches of the bank are connected with Centralized Banking Solutions (CBS).

Infrastructure

Bank holds the best infrastructure with state-of-the-art data center at Mumbai and Disaster Recovery Site at Bangalore located in different seismic zones and also a near-site at Mumbai.

Bank owns new enterprise class servers and storage systems bringing significant improvement in performance, reducing the Day End Batch processing window and with capacity to create multiple backup copies of CBS database for MIS and reporting.

CBS for London Branch

Your overseas branch at London has been brought under overseas CBS with the latest software application (Finnacle) having capabilities to support customer focused banking, product configuration, multi-channel capability etc.

नयी पहल :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को कार्यान्वित किया गया है।

* बैंक की वेबसाईट से संबद्ध इनहाउस आधार पुनः सत्यापन पोर्टल विकसित किया है।
* ऋण एवं कासा ग्राहकों के लिए मासिक ई-स्टेटमेंट की सुविधा: पंजीकृत ग्राहक अब अपने ई-मेल आईडी पर अपने कासा/ ऋण खाता विवरणी को पीडीएफ फार्मेट में प्राप्त कर सकते हैं।
* वेबसाइट के माध्यम से कारोबार सृजन प्रणाली: भावी ग्राहक, अब हमारी बैंक की वेबसाइट के माध्यम से खुदरा एवं एमएसएमई ऋणों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
* बैंक की वेबसाइट के माध्यम से एमएसई के दबावग्रस्त ग्राहकों से सुधारात्मक कार्रवाई योजना के लिए ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति।

ग्राहक सुरक्षा सीमित देयता :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक द्वारा लेनदेन के संदिग्ध पाये जाने पर, ग्राहकों को लेनदेन अलर्ट पर प्रतिक्रिया देने का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए। डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से लेनदेन के संबंध में लेनदेन अलर्ट पर उत्तर देने का विकल्प प्रदान किया गया है। ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत लेनदेन अलर्ट की उत्तर प्रस्तुति के आधार पर अपने लेनदेन पर प्रतिक्रिया देने और डेबिट कार्ड, आईबी चैनेल, एमबी चैनल या यूपीआई को अवरुद्ध करने के अधिकार ग्राहकों को दिए गए हैं। चैनल/ कार्ड को स्वचलित रूप से अवरुद्ध किया जाता है एवं चैनल या डेबिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए ग्राहकों को शाखा में जाना आवश्यक है।

एटीएम के माध्यम से हरित पिन का कार्यान्वयन

आपके बैंक ने वर्धित ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से "हरित पिन" परियोजना का कार्यान्वयन किया है जो ग्राहकों को एटीएम के माध्यम से किसी भी समय मौजूदा एटीएम डेबिट कार्ड के पिन को रिसेट करने का विकल्प प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यदि उनकी मोबाइल संख्या खाते के साथ सहबद्ध है ते इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक अपने एटीएम डेबिट कार्ड के पिन को तत्काल सृजित भी कर सकते है ।

मोबाइल फोन के आईओएस प्लेटफार्म के लिए यूपीआई एप्लिकेशन

बैंक ने मोबाइल फोन के आईओएस प्लेटफार्म के लिए यूपीआई एप्लिकेशन प्रारंभ किया है। ग्राहक एंड्रॉयड एवं आईफोन, दोनों प्लेटफार्म पर सिंड यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं और धनराशि प्रेषित एवं प्राप्त कर सकते हैं। सिंड यूपीआई आभासी भुगतान पता का उपयोग करता है, जो खाता विवरणी को प्रस्तुत करने का अमूर्त रूप है। खाता विवरणी गोपनीय बना रहता है। एक ही एप्लिकेशन में विभिन्न बैंकों के खाता विवरणी को जोड़कर ग्राहक सभी खातों का प्रबंधन कर सकते हैं। सिंड यूपीआई, मोबाइल फोन के एंड्रॉयड प्लेटफार्म पर पहले से ही उपलब्ध है।

स्वयं सहायता समूह के लिए फिंगरप्रिंट आधारित दोहरा अधिप्रमाणन का कार्यान्वयन

यह सुविधा आपके बैंक के माइक्रो एटीएम/बीसी चैनल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को आहरण या जमा हेतु सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

New Initiatives

Bank has implemented the following IT initiatives during the year 2017-18.

❖ Developed an in-house Aadhaar Re-verification portal linked to Bank's website.

❖ Monthly E-statement facility for loan and CASA customers. Registered customers can now receive their monthly CASA/Loan account statements to their email ID in pdf format.

❖ Lead Generation System through website: Prospective customers can now apply for retail and MSME loans through Bank's website.

❖ Acceptance of online requests for Corrective Action Plan from stressed MSE customers through Bank's website.

Customer Protection Limiting Liability:

In terms of RBI guidelines, customer is to be given option to respond transaction alert, if the transaction is found to be suspicious by the customer. Facility to reply to transaction alert in respect of debit card, internet banking, mobile banking and UPI transactions is provided. Customers are empowered to reply and block debit card, IB channel, MB channel or UPI based on the transaction alert reply submitted by the customer. Blocking of channel/card is automated and for activation of the channel or debit card, customer is required to visit branch.

Green PIN Implementation through ATM

As part of providing enhanced customer service, your Bank has implemented "Green PIN" Project, which provides an option to customers to generate new / reset existing ATM Debit Card PIN, through ATM at any point of time. Further, with this facility, customers can also generate ATM Debit Card PIN instantly, if their mobile number is linked to the account.

UPI application for the iOS Platform of Mobile Phones

Bank has launched the UPI application for the iOS Platform of Mobile Phones. Customers can use Synd UPI on both android and iPhones platforms and can send and collect money. Synd UPI uses Virtual Payment Address which is an abstract form to represent account details. The account details remain confidential. By adding accounts of different Banks, Customers can manage all accounts in a single application. Synd UPI is already available for android platform of mobile phones.

Implementation of Dual fingerprint based authentication for SHG Transactions

This facility is made available for assisting Self Help Group customers to withdraw or deposit through Micro ATM / BC Channel of your Bank.

इंटरनेट बैंकिंग में द्विभाषिक स्क्रीन

इंटरनेट बैंकिंग करते समय ग्राहक अपनी पसंद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी का चयन कर सकते हैं।

सिंडभारत क्यूआर

बैंक ने सिंड भारत क्यूआर नामक एक नया मोबाइल एप्लिकेशन प्रारंभ किया है ताकि नकद रहित लेनदेन को प्रोत्साहन मिल सके एवं डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जा सके। भारत सरकार ने व्यापारियों एवं ग्राहकों के डिजिटल लेनदेन को सरल बनाने के लिए भारत क्यूआर कोड की शुरुआत की है । यह पीओएस मशीन की आवश्यकता को खत्म करता है एवं यह रूपे, मास्टर कार्ड एवं वीजा डेबिट कार्ड के भुगतानों का समर्थन करता है।

सरकार द्वारा प्रायोजित पहल

- **जीएसटी सॉफ्टवेयर**
  बैंक ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन वसूली की सुविधा प्रदान करने के लिए जीएसटी सॉफ्टवेयर का संस्थापन किया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक शुल्क वसूली (ईटीसी) के लिए सॉफ्टवेयर**
  मिड्लवेयर- एनईटीसी जारीकर्ता प्लेटफॉर्म में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है।
- **भारत बिल भुगतान प्रणाली समाधान (बीबीपीएस)**
  भारत बिल भुगतान प्रणाली समाधान के सहयोग के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध कराया गया है। यह भारत में एजेंट नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को बिल भुगतान सेवा प्रदान करने वाली अंतर प्रचलनीय एवं अभिगम्य एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है जो बहु भुगतान विधि से युक्त है एवं भुगतान के लिए तत्काल पुष्टि प्रदान करता है।
- **अटल पेंशन योजना (एपीवाई) खातों के लिए समाधान**
  बैंक ने एनएसडीएल पोर्टल के माध्यम से ग्राहकों को अटल पेंशन योजना के खाते खोलने के लिए एक नया समाधान उपलब्ध कराया है।
- **पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए सॉफ्टवेयर**
  बैंक ने तमिलनाडु राज्य में पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क की ऑनलाइन और ऑफलाइन वसूली के लिए सॉफ्टवेयर (टीएनआईजीआरएस) उपलब्ध कराया है।

आपके बैंक में साइबर सुरक्षा :

बैंक ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्रों में बढ़ती हुई बहुविध साइबर घटनाओं एवं आक्रमणों की संख्या, आवृत्ति एवं उसके प्रभाव को देखते हुए एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा प्रतिरोधी तंत्र को अपनाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा ढ़ाँचे संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने सुनिश्चित किया है कि पर्याप्त साइबर सुरक्षा तत्परता अपनायी गयी है और निरंतर आधार पर उसकी समीक्षा की जाती है।

बैंक ने साइबर आतंक से मुकाबला करने के लिए उचित दृष्टिकोण से युक्त कार्यनीति को स्पष्ट करते हुए प्रभावी साइबर सुरक्षा नीति अपनाया है, जिसे हमारे बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने साइबर आक्रमण एवं साइबर आतंक से प्रतिघात के लिए समन्वित, बहुविषयक एवं बोर्ड आधारित

Bilingual Screens in Internet Banking

Customer can select the language of their choice either English or Hindi while doing their Internet Banking.

SyndBharat QR

Bank has launched a new mobile application called Synd Bharat QR so as to encourage cashless transactions and to promote Digital India initiative, the Government of India has launched Bharat QR Code to simplify digital transactions for merchants and for the customers. It eliminates the need of a POS machine and supports Rupay, MasterCard and VISA debit card payments.

Govt. Sponsored Initiatives

- **GST Software**
  Bank has installed GST Software to facilitate for Online & Offline Collection of Goods & Service Tax (GST).
- **Software for Electronic Toll Collection (ETC)**
  Software is provided in Middleware -NETC issuer Platform.
- **Bharat Bill Payment System Solution (BBPS)**
  Application provided to support Bharat Bill Payment System Solution. This is an integrated bill payment system in India offering interoperable and accessible bill payment service to customers through a network of agents, enabling multiple payment modes and providing instant confirmation of payment.
- **Solution for APY accounts**
  Bank has provided a new solution for the Subscribers to open APY accounts through NSDL portal.
- **Software for Collection of Registration and Stamp Duty Fees**
  Bank has provided a software for Online & Offline collection of Registration and Stamp Duty Fees in Tamil Nadu state. (TNIGRS)

Cyber Security in Your Bank:

Considering the number, frequency and impact of cyber incidents and attacks with increased manifold during the recent past, in financial sectors, Bank has put in place a robust cyber security resilience mechanism. As per the guidelines issued by RBI on cyber security framework, Bank has ensured that adequate cyber security preparedness is put in place and reviewed on a continuous basis.

Bank has put in place an effective cyber-Security policy elucidating the strategy containing an appropriate approach to combat cyber threats which is duly approved by our Board. In addition to that, Bank has developed its own Cyber Crisis Management Plan (CCMP) for countering Cyber Attacks and Cyber Terrorism with a coordinated, multi-disciplinary and broad based approach. To recover from malicious cyber related incidents impacting critical

दृष्टिकोण से अपना एक साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) विकसित किया है। महत्वपूर्ण कारोबारी कार्य को प्रभावित करने वाले साइबर संबंधी नुकसानदेह घटनाओं से उबरने के लिए, आक्रमण की गंभीरता को कम करने एवं उससे मुक्त होने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है। बैंक ने आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित साईबर प्रशिक्षण एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा टेबल टॉप अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

साइबर सुरक्षा का क्षेत्र तकनीकी प्रधान है एवं तकनीकी में प्रगति से नयी असुरक्षा उत्पन्न हुई है जिससे नयी प्रकार की घटनाओं में वृद्धि होती है। इसलिए बैंक ने उन संवेदनशीलताओं से मुकाबला करने के लिए साइबर सुरक्षा परियोजना जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाईट लिस्टिंग एप्लिकेशन, एंटी वायरस एवं पैच का नियमित अद्यतन, नेटवर्क एवं इंड पॉइंट स्तर पर डाटा लीकेज की रोकथाम, विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन, एंटी डिस्ट्रीब्युटेड डिनायल ऑफ सर्विस (डीडीओएस), एटीएम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, रेड टीम का गठन, साइबर फोरेंसिक सेवाएँ आदि को कार्यान्वित किया है।

नेटवर्क अभिगम नियंत्रण (एनएसी), नेटवर्क व्यवहारगत विषमता निरोध (एनबीएडी), अग्रिम स्थायी संकट (एपीटी), पैकेट कैप्चर आदि का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बैंक ने अपना सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) तैयार किया है।

परिचालन एवं सामान्य प्रशासन

मुद्रा प्रबंधन

- वर्तमान में देशभर में 48 करेंसी चेस्ट शाखाओं की नकदी आश्यकताओं का संचालन कर रहा है।
- करेंसी चेस्ट से संबद्ध सभी नकदी वाहन (कैश वैन) एवं नकदी आपूरण केंद्र जीपीआरएस से लैस हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी करेंसी चेस्ट एवं शाखाओं में स्वच्छ नोट नीति का अनुपालन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत, चयनित शाखाओं एवं सभी मुद्रा तिजोरियों में भारी कार्यक्षमता वाली नोट छँटाई मशीन (एनएसएम) उपलब्ध कराई गई है। फ
- बैंक ने शेष सभी शाखाओं में नोट गिनती मशीन/ नोट अधिप्रमाणन मशीन को उपलब्ध कराया है।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

सीटीएस को दिनांक 01.04.2013 से अनिवार्य किया गया है और बैंक ने इस संबंध में सुनिश्चित किया है कि –

– समस्त शाखाओं को सीटीएस-2010 मानक अनुपालित चेक बुक और डीडी की आपूर्ति की गई है।

– पुराने एवं नये चेक बुक के संव्यवहार करने, साथ ही जहाँ कहीं आवश्यक हो, नये चेक बुक बदलने की कार्य प्रणाली के संबंध में शाखाओं को विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सीटीएस समाशोधन की गतिविधियाँ ग्रिड-आधारित हैं। इसे देश भर में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया है। पूरे देश में 3 सीटीएस ग्रिड, उत्तरी ग्रिड-दिल्ली, पश्चिमी ग्रिड-मुंबई एवं दक्षिणी ग्रिड-चेन्नई में स्थित हैं।

एनपीसीआई का एनएसीएच मंच

बैंक ने एनपीसीआई के एनएसीएच मंच पर मैन्युअल मोड में परंपरागत इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) अधिदेश का संचालन शुरू किया हैं।

business functions immediate remedial actions are taken to mitigate and recover from the attacks. Bank effectively participated in the cyber drill conducted by IDRBT and table top exercise by RBI.

The field of cyber security is technology intensive and new vulnerabilities emerge with progress in technology giving rise to new types of incidents. Hence to combat those vulnerabilities Bank has implemented Cyber security projects like Active Directory, Application Whitelisting, Regular Anti-virus and Patch update, Data Leakage Prevention at network and end point level, Privilege Identity Management, Anti- Distributed Denial of service (DDoS), ATM Fraud Risk Management, Red Team formation, Cyber Forensic Services etc.,

The projects like Network Access Control (NAC), Network Behavioral Anomaly Detection (NBAD), Advanced Persistent threat (APT), Packet capture are in implementation phase. Bank has setup its own Security Operating Centre (SOC).

OPERATIONS AND GENERAL ADMINISTRATION

Currency Management

- At present there are 48 currency chests catering to the cash needs of branches across the country.
- All the cash vans attached to our currency chest and cash pooling centers are GPRS enabled.
- Clean Note Policy as per RBI directions is implemented at all the currency chests and branches. Under RBI clean note policy, all the currency chests and the select branches are provided with heavy duty Note Sorting Machines (NSMs).
- Bank has provided Note Counting and Note Authenticating Machines in all the remaining branches.

Cheque Truncation System (CTS)

CTS is mandatory from 01.04.2013. In this regard, Bank has ensured that,

– CTS-2010 standard compliant cheque books and DDs have been supplied to all branches.

– Specific guidelines issued to the branches regarding modus operandi of dealing with old and new cheque books and also to exchange new cheque books wherever eligible.

CTS clearing activities are grid based. This is implemented throughout the country in a phased manner. There are 3 CTS grids covering throughout the country. They are Northern Grid- Delhi, Western Grid- Mumbai and Southern Grid- Chennai.

NACH platform of NPCI

Bank has commenced operations of Legacy Electronic Clearing Service (ECS) Mandates in manual mode to the NACH platform of NPCI.

जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि (डीईएएफ)

- भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना का कार्यान्वयन जून 2014 से किया गया है।
- निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निष्क्रिय जमा राशियों को मासिक आधार पर आरबीआई को अंतरित कर दिया जाता है और जब भी ग्राहक, शाखाओं से संपर्क करते हैं तो उन्हें तत्काल धनवापसी की जाती है और आरबीआई से मासिक आधार पर उसका दावा किया जाता है।

केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी)

- केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) को केंद्रीय पेंशन के लिए दिनांक 01.02.2012 से परिचालित किया गया है। नागरिक, रक्षा, दूरसंचार और डाक पेंशन संचालन में हैं और रेलवे पेंशन का स्थानांतरण प्रगति पर है जिससे सभी केंद्र सरकारी पेंशनों के केंद्रीकृत भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी।
- वर्ष के दौरान पेंशनभोगी कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 29% बढ़ गया है।
- वर्ष के दौरान वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) बकाया राशि की चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान रक्षा पेंशनभोगियों को किया गया है। 98% से अधिक पेंशनभोगियों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है।
- सभी पंजीकृत पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान पर पेंशन पर्ची और एसएमएस अलर्ट भेजा गया है। पेंशनभोगी शिकायत निवारण इकाई सीपीपीसी में काम कर रही है और पेंशनभोगियों की सभी शिकायतों को तुरंत हल किया जा रहा है।

सरकारी लेन-देन कक्ष

- बैंक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नौवहन मंत्रालय के लिए अधिकृत बैंक है।
- बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न बांडों, जैसे 7.75% बचत बांड और सावरिन गोल्ड बांड योजनाओं को संचालित करने के लिए अधिकृत है।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ऑनलाइन और ऑफ़लाइन संग्रहण सुविधा के लिए बैंक ने जीएसटी सॉफ्टवेयर स्थापित किया है।
- बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रम की निगरानी करने और सरकारी अनुदान निधि के वितरण का पता लगाने के लिए की गई वित्तीय सुधार पहल के अनुसार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) लागू की है । भारत सरकार ने इस मंच के तहत केंद्र, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों की एजेंसियों के सभी वित्तीय नेटवर्कों को जोड़ने के लिए पीएफएमएस का राष्ट्रीय कार्यान्वयन करने का फैसला किया है।
- गैर-कर राजस्व के संग्रह के लिए बैंक ने गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) कार्यान्वित किया है । इसे भारतकोष भी कहा जाता है।
- बैंक ने सभी शाखाओं में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसएस) और किसान

Depositor Education Awareness Fund (DEAF)

- Depositor Education Awareness Fund Scheme launched by Reserve Bank of India has been implemented since June 2014.
- The Dormant deposits as per the specified norms are transferred to RBI on a monthly basis and whenever the customers approach the branches, they are refunded immediately and the same is claimed from RBI on a monthly basis.

Central Pension Processing Centre (CPPC)

- Central Pension Processing Centre (CPPC) is operationalized w.e.f. 01.02.2012 for central pensions. Civil, Defence, Telecom and Postal pensions and migration of Railway pensions is in progress which will complete the process of centralized payment of all central Government pensions.
- The Pensioners coverage during the year is increased by 29 per cent over the previous year.
- During the year fourth and final Installment of One Rank One Pension (OROP) Arrears has been paid to Defence pensioners. Aadhar seeding is completed for more than 98 per cent of pensioners.
- Pension slips and SMS alert on pension payment sent to all registered pensioners. Pensioners Grievance redressal unit is functioning in CPPC and all the grievances of pensioners are promptly resolved.

Government Transactions Cell

- Bank is an accredited Bank for Ministry of Road Transports & Highways & Ministry of Shipping.
- Bank is authorized for conducting various bonds issued by Government of India (GOI) such as 7.75 per cent savings bonds and sovereign gold bonds schemes.
- To facilitate Online & Offline Collection of Goods & Service Tax (GST), Bank has installed GST Software.
- Bank has implemented Public Financial Management System (PFMS) as per the financial reform initiative undertaken by Ministry of Finance (MoF), Govt. of India (GoI) to monitor the programme in the social sector and track the disbursement of Government grant funds. GOI decided to undertake National rollout of PFMS to link all financial networks of Central, State Governments and the agencies of State Governments under this platform.
- Bank has implemented the Non- Tax Receipt Portal (NTRP) for collection of Non- Tax revenue. It is also known as Bharatkosh.
- Bank has obtained authorization for implementation of small savings schemes such as Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Savings Scheme (SCSS), Sukanya

विकास पत्र (केवीपी) जैसी छोटी बचत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकार प्राप्त किया है जिसे एक समर्पित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए जल्द ही कार्यान्वित किया जाएगा ।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान कार्यालय (ईपीएसओ)

- बैंक ने एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, एनएसीएच, एनईटीसी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली), बीबीपीएस (भारत बिल भुगतान प्रणाली), एमएमएस (अधिदेश प्रबंधन प्रणाली) जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से संबंधित पश्चस्तरीय परिचालन को पूरा करने और संबंधित ग्राहक शिकायतों को हल करने के लिए एक केंद्रीकृत कार्यालय यानि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान कार्यालय (ईपीएसओ) की स्थापना की है ।
- उपर्युक्त गतिविधि से पिछले वर्ष (₹7.70 करोड़) की तुलना में 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार निवल आय में 130% (₹17.70 करोड़) की वृद्धि हुई है।

छवि निर्माण

बैंक ने ग्राहकों की अधिकतम सुविधा जैसे अनुकूल ग्राहक स्थान एवं वातानुकूलन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं के परिवेश में सुधार लाने हेतु पिछले वर्ष प्रारंभ की गयी अनन्या परियोजना के अंतर्गत शाखा रूपांतरण की प्रक्रिया को जारी रखा है। विशिष्ट पहचान बनाये रखने के लिए एक समान रंग योजना का अनुपालन किया गया है। नये ग्राहकों को आकर्षित करने एवं नये कारोबार जुटाने के लिए समकक्षीय बैंकों के समान परिवेश में सुधार किया गया है। बैंक ने तकनीकी जानकार ग्राहकों के लाभार्थ ई-लाँज भी खोला है और नयी पीढ़ी के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के अलावा बेहतर ग्राहक सेवा लिए एक ही छत के नीचे एटीएम, बंच नोट एक्सेपटर, पास बुक कियोस्क आदि के माध्यम से ग्राहकों को 24 X 7 की डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदान की है।

अन्य

- ❖ स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में, बैंक ने बेहतर परिवेश सुनिश्चित करने के लिए परिसर को स्वच्छ रखने के अतिरिक्त अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को अच्छी स्वच्छता सुविधाएं प्रदान कर अपनी सभी शाखाओं/ कार्यालयों के परिसरों में स्वास्थ्यकारिता बनाए रखने के लिए कदम उठाया है। इस दिशा में एक कदम आगे जाकर, बैंक ने सभी शाखाओं / कार्यालयों में आवधिक 'स्वास्थ्यकारिता एवं परिवेश लेखा परीक्षा' भी शुरू की है।
- ❖ बैंक ने स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों के बीच सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी कार्यालयों / शाखाओं में 16 से 31 जनवरी, 2018 के बीच स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है। 69 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, एमडी एंड सीईओ और ईडी ने कॉर्पोरेट कार्यालय, आंचलिक/ क्षेत्रीय कार्यालय I और II, बेंगलुरु के अन्य कर्मचारी सदस्यों के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय और नंदिनी लेआउट, बेंगलूरु में स्टाफ क्वार्टर के आसपास सफाई कार्य किए। इसी प्रकार, कार्यपालक निदेशक ने प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालय, मणिपाल, स्थानीय शाखाओं और एसआईबीएम के कर्मचारी सदस्यों के साथ स्वच्छता अभियान में प्रधान कार्यालय और बैंक क्वार्टर के आसपास की सफाई में भाग लिया।

Samrudhi Scheme (SSS) & Kisan Vikas Patra (KVP) in all branches which shall be implemented shortly with a dedicated online software.

Electronic Payments and Settlements Office (EPSO)

- Bank has established a centralized office viz Electronic Payments and Settlements Office (EPSO) to cater to the back-end operations related to electronic payments like NEFT, RTGS, IMPS, UPI, NACH, NETC (National Electronic Toll Collection), BBPS (Bharat Bill Payment System), MMS (Mandate Management System) and also to resolve related customer grievances.
- There is an increase of 130 per cent in the Net income earned from the above activity (₹17.70 crore) as on 31-03-2018 over the previous year (₹7.70 crore).

Image Building

Bank has continued the process of branch transformation under project Ananya, which was initiated in the previous financial year, for improving the ambience of branches for ensuring maximum comfort to the customers like providing larger customer space and air conditioning. For maintaining distinct identity, uniform colour scheme has been followed. The ambience has been improved on par with peer banks to attract new customers and to garner new business. Bank also opened e-Lounge for the benefit of tech-savvy customers and to extend 24 X 7 Digital Banking to customers through ATM, Bunch Note Acceptor and Pass Book Kiosk under one roof for better customer service, besides attracting new generation customers to our fold.

Others

- ❖ As part of Swachh Bharath Abhiyan, Bank has taken steps to maintain hygiene at all its branches/offices premises by providing good sanitation facilities to its customers and staff in addition to keeping the premises neat and clean for ensuring better ambience. Going a step further in this direction, Bank has also initiated periodic Hygiene and Ambience Audit in all branches/ offices.
- ❖ Bank conducted the Swachhta Pakhwada from 16th to 31st January 2018 across all offices/branches creating awareness regarding importance of cleanliness among staff members and customers. On the occasion of 69th Republic Day, MD & CEO and ED along with other staff members from Corporate Office, Zonal/Regional Offices I & II Bengaluru undertook the cleaning activity in the vicinity of Corporate Office and staff quarters at Nandini Layout, Bengaluru. Similarly, ED along with staff members from HO, ZO Manipal, local branches and SIBM participated in the Swachhata Abhiyan cleaning the surroundings of Head Office and Bank quarters.

मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक का मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमडी) आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण, उत्तराधिकार योजना आदि के माध्यम से जनशक्ति नियोजन, भर्ती, पदोन्नति, निष्पादन मूल्यांकन, कर्मचारी विकास/क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र में मानव संसाधन की भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक ने कार्यबल को बनाये रखकर और उसे विकसित करते हुए मानव संसाधन के परिचालनों पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक, प्रशिक्षण एवं विकास और कैरियर विकास के अवसरों में व्यावहारिक हस्तक्षेप के माध्यम से इसे हासिल करने के लिए तैयार है।

बैंक, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यक क्षमताओं की पहचान करने, उसके पश्चात् उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन करने, उसे विकसित करने एवं मुख्य प्रतिभा को बनायेरखने के माध्यम से उत्तराधिकार योजना पर अधिक बल दे रहा है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं उनके विकास पर निवेश करते हुए बैंक ने स्टाफ सदस्यों को नई मानव संसाधनगत चुनौतियों से निपटने को सक्षम बनाया है ताकि वे 'भविष्य के लिए तैयार' रहें।

दि. 31.03.2018 को बैंक की श्रम शक्ति निम्नानुसार है:

वर्ग	31.03.2017	31.03.2018
अधिकारी	16,956	17,421
लिपिक	11,339	11,279
अधीनस्थ कर्मचारी	4,253	3,906
सफाई कर्मचारी	2,441	2,405
कुल	**34,989**	**35,011**

भर्ती योजना

भर्ती योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल की खोज, सेवानिवृत्ति, पलायन दर, शाखा विस्तार, कैरियर योजना, उत्तराधिकार योजना आदि के आधार पर अपेक्षित कर्मचारी बल को बनाए रखना है। भर्ती तकनीक में आईबीपीएस द्वारा आयोजित विशेषज्ञ अधिकारियों की पार्श्विक भर्ती और परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं लिपिकों की सामान्य भर्ती प्रक्रिया शामिल है।

वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 31.03.2018 तक बैंक द्वारा की गई भर्ती का विवरण नीचे दिखाया गया है:

क्र.सं	पद	नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या
1	डीजीएम (सुरक्षा)	1
2	प्रबंधक (विधि)	11
3	प्रबंधक (सीए)	10
5	प्रबंधक (सुरक्षा)	12
6	तकनीकी अधिकारी (सिविल)	14
7	तकनीकी अधिकारी (विद्युत)	6
8	परिवीक्षाधीन अधिकारी	347
9	आई टी अधिकारी	20
10	सहायक प्रबंधक (आरडी)	115
11	विपणन अधिकारी	88
12	पीजीडीबीएफ के माध्यम से परिवीक्षाधीन अधिकारी	584
13	परिवीक्षाधीन लिपिक	713
	कुल	**1921**

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Human Resources Management Department (HRMD) of the Bank is playing vital role in manpower planning, recruitment, promotions, performance appraisal, employee development/capacity building through in-house and external training, succession planning, etc.

Bank is constantly focusing on HR functions by developing and retaining the workforce to meet the future HR challenges in the Banking Sector. The Bank is geared up to achieve the same through pragmatic interventions in training and development and creating career growth opportunities.

Bank is giving more thrust to succession planning through identification of necessary competencies and then works to assess, develop and retain a talent pool of employees, in order to ensure continuity of leadership in all critical areas. Investment in employees' training and development has enabled the Bank to prepare the staff members to handle new HR challenges and make them 'future ready'.

The Human Capital of the Bank as on 31.03.2018 is as under:

Category	31.03.2017	31.03.2018
Officers	16,956	17,421
Clerks	11,339	11,279
Sub staff	4,253	3,906
Sweepers	2,441	2,405
Total	**34,989**	**35,011**

RECRUITMENT PLANNING

The main objective of recruitment planning is to have required staff strength based on the skill inventory, superannuation, attrition rates, branch expansion plan of the Bank, career plan, succession planning, etc. The recruitment techniques include lateral recruitment of specialist officers and recruitment of probationary officers and clerks through the common recruitment process conducted by IBPS.

The details of recruitment made by the bank during the year 2017-2018 up to 31.03.2018 is shown below:

S. No.	Post	No. of candidates joined
1	DGM(Security)	1
2	Manager (Law)	11
3	Manager (CA)	10
5	Manager (Security)	12
6	Technical Officer (Civil)	14
7	Technical Officer (Electrical)	6
8	Probationary officers	347
9	I.T.Officers	20
10	Asst.Manager (R D)	115
11	Marketing Officers	88
12	Probationary officers through PGDBF	584
13	Probationary Clerks	713
	Total	**1,921**

बैंकिंग और वित्त (पीजीडीबीएफ) में एक वर्षीय स्नातकोत्तर (पीजी) डिप्लोमा पूर्ण करने के बाद जेएमजीएस-I के रूप में अधिकारियों की भर्ती

''**पहला दिन, पहला घंटा- उत्पादक**'' के उद्देश्य से बैंक ने मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एमए जीई) बेंगलूरु और निट्टे (एनआईटीटीई) इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, नोएडा (एनईआईपीएल) और मंगलूरू के सहयोग से रणनीतिक प्रतिभा संसाधन का निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है । दोनों संस्थान अभ्यर्थियों को 12 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षित करेंगे जिसमें 9 महीने का अकादमिक शिक्षण और शाखा में 3 महीने का प्रशिक्षण शामिल होगा। 12 महीने के प्रशिक्षण के सफल समापन पर, इन प्रशिक्षुओं को बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

पदोन्नति एवं तैनाती

बैंक ने भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, अनेक ग्रेड/वेतनमान में हुई सेवानिवृत्तियों के अनुरूप सुदृढ़ पदोन्नति एवं स्थानन नीति अपनाई है। बैंक की पदोन्नति नीति, अधिकरियों को कार्य निष्पादन के लिए प्रेरक कारक का कार्य करती है तथा उत्तराधिकार योजना का संरक्षण भी करती है। गतिहीनता से बचने के लिए अधिकारी संवर्ग में प्रत्येक वर्ष पदोन्नति सुनिश्चित की जाती है। प्रतिभावान स्टॉफ को बनाए रखने के लिए आवधिक रूप में पदोन्नति प्रक्रियाएँ एवं अनेक कल्याणकारी उपाय भी अपनाए जाते हैं।

प्रतिभा संवर्धन एवं प्रशिक्षण:

बैंक ने कर्मचारी के क्षमता विकास हेतु निवेश करना जारी रखा है। देश भर में फैले सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान (एसआईबीएम) और देश भर में फैले 7 प्रशिक्षण केंद्र, कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए और कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कौशल निर्माण हेतु अपने प्रशिक्षण संवर्धन की प्रक्रिया शुरू की है, जो विभिन्न विशेष गतिविधियों में कार्यपालकों/अधिकारियों को तैयार करेगा और साथ ही उन्हें शाखा/क्षेत्रीय प्रमुखों की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा। संवेदनशील क्षेत्रों और शाखाओं को संभालने वाले चिन्हित कार्यपालकों के लिए, बैंक ने विशेष कार्यपालक विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था की है, जिनमें मुख्य रूप से सॉफ्ट कौशल शामिल हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रशिक्षण प्रणाली ने 493 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये हैं जिसमें 7921 अधिकारियों और 6717 कामगार कर्मचारीयों को प्रशिक्षण दिया गया। अनन्या परियोजना , शाखा परिवर्तन के तहत, 380 सिंड समर्थ स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये हैं, जिसमें 10,106 अधिकारियों को शामिल किया गया। इसके अलावा, भारत में प्रतिष्ठा प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा बेहतर नेतृत्व कौशल पर आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 971 अधिकारियों/ कार्यपालकों को प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 8 कार्यपालकों/ अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया था।

बैंक ने ई- लर्निंग प्रणाली की शुरूआत के लिए अनेक कदम उठाए हैं । बैंक ई-लर्निंग मॉड्यूल के विकास में सहायता के लिए सेवानिवृत्त कार्यपालकों/अधिकारियों को नियोजित कर रहा है ।

Recruitment of officers in JMGS-I after undergoing one year PG Diploma in banking & finance (PGDBF)

The Bank, with the objective of **"first day, first hour productive"** has introduced strategic talent pipeline building programme in association with Manipal Global Education Services Pvt Ltd (MaGE) Bangalore and NITTE Institute of Banking and Finance Noida (NEIPL) and Mangalore. Both the institutes will train candidates for the period of 12 months consisting of 9 months' academic input and 3 months' internship in the branch. On successful completion of 12 months training, these trainees will be absorbed as probationary officers of the Bank.

Promotions and Placement

The Bank has placed robust promotion and placement policy to cope with superannuation in various grades/scales keeping in view of the guidelines received from Government of India from time to time. The Promotion policy of the Bank acts as a motivating factor for the officers to perform and also to take care of succession planning. Promotion within officer cadre is ensured every year to avoid any stagnation. Periodical promotional processes and a number of welfare measures are also introduced to retain the quality staff.

Talent Grooming & Training

The Bank continued to invest in developing employee's competence. Syndicate Institute of Bank Management (SIBM) and 7 training centers spread across the country are catering to the training needs of the employees. Considering the large scale retirements and developing skills, the Bank has undertaken process of augmenting its training for skill building, which will groom the officers/executives in various specialized activities as well as motivate them to assume role of Branch/Regional Heads. For the identified executives handling sensitive regions and branches, Bank has arranged special executive development programmes, consisting of mainly on soft skills. During the year 2017-18, the training system has conducted 493 internal training programmes covering 7,921 Officers and 6,717 workmen employees. 380 Synd Samarth locational training programmes covering 10,106 officers were conducted under Project Ananya, branch transformation. In addition, 971 officers/executives were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India on finer leadership skills. Further 8 executives/officers were also deputed to overseas training programmes.

Bank has also taken various steps for introduction of E-learning system. Bank is engaging the retired executives/officers for assisting in development of E-learning modules.

प्रतिधारण

कुशल और अच्छी तरह से तैयार श्रमशक्ति का प्रतिधारण, उनकी विविध आवश्यकताओं/शिकायतों का निवारण करते हुए, सकारात्मक परस्पर संबंध विकसित करके, चुनौतीपूर्ण कार्य प्रदान करके, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करके, आवधिक प्रशिक्षण की पेशकश करके, आवधिक पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित करके और नवीनतम और रचनात्मक कर्मचारी कल्याण योजनाओं का निर्माण करते हुए किया जा रहा है।

योग्यता का आंकलन

बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 3 साल से अधिक की शेष सेवाकाल वाले वेतनमान-V के 38 कार्यपालकों और वेतनमान-IV के 159 कार्यपालकों के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे के सहयोग से योग्यता के आकलन और कौशल मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया है। उत्तराधिकारी नियोजन योजना के भाग के रूप में संबंधित कार्यपालकों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाएगा।

प्रमुख विभागों और प्रमुख व्यक्तियों की पहचान

उत्तराधिकार योजना के हिस्से के रूप में, बैंक ने प्रमुख विभागों के रूप में कोष और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग, ऋण विभाग, लेखापरीक्षा और कर कक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मानव संसाधन विभाग, एनपीए प्रबंधन और विधि विभाग और निवेशक संपर्क केंद्र की पहचान की है और संबंधित विभागों के उन कार्यपालकों की, जो नियंत्रक में सहायक भूमिका में हैं और आवश्यक योग्यता और कौशल रखते हैं, प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचान की गई है। इसके अलावा, मौजूदा संवर्ग से पदोन्नति/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति इत्यादि पर मौजूदा प्रमुख व्यक्ति की कार्यमुक्ति से पहले, आवश्यक योग्यता, सामर्थ्य और कौशल वाले नये अधिकारी की आंतरिक/ बाहरी रूप से (पार्श्विक भर्ती के माध्यम से) निर्धारित की जाएगी और आवश्यक ज्ञान अंतरण और संबंधित विभाग/संवर्ग में कार्य संभालने हेतु आवश्यकतानुसार पहले से ही पदस्थ किया जाएगा ताकि उचित उत्तराधिकार योजना सुनिश्चित हो सके।

क्षमता निर्माण

बैंक ने निम्नलिखित विशेष क्षेत्रों में कर्मचारी अनुसंधान के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण शुरू किया है।

क. कोष संचालन (डीलरों, मध्य कार्यालय परिचालन)
ख. जोखिम प्रबंधन (ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम, उद्यम व्यापक जोखिम, सूचना सुरक्षा, तरलता जोखिम)
ग. लेखांकन (वित्तीय परिणामों, लेखा परीक्षा कार्य की तैयारी)
घ. साख (क्रेडिट) प्रबंधन (साख मूल्यांकन, दरांकन, निगरानी, साख प्रशासन)
ङ. विदेशी मुद्रा परिचालन

प्रणालीगत सुधार और आईटी पहलें:

वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर): दिसंबर 2017 तिमाही से प्रभावी त्रैमासिक मूल्यांकन के साथ संशोधित एपीएआर लागू किया गया। पुन: रचित एपीएआर प्रणाली अधिक माप योग्य और वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग प्रणाली रखती है।

Retention

Retention of skilled and well groomed manpower is being ensured by addressing their diverse needs/grievances, developing a positive inter se relationship, providing challenging task, involving them in decision making process, offering periodical training, conducting periodical promotion process and by devising innovative & creative staff welfare schemes.

Competency mapping

Bank has conducted competency mapping and skill assessment exercise in association with National Institute of Bank Management (NIBM), Pune for 38 executives in Scale-V and 159 executives in Scale-IV who are having more than 3 years of residual service during the FY 2017-18. The concerned executives have been posted to critical positions as a part of succession planning.

Identification of key departments and key persons

As a part of succession plan, Bank has identified Treasury & International Banking Department, Risk Management Department, Credit Department, Audit & Tax Cell, Department of Information Technology, Human Resources Department, NPA Management & Legal Department and Investor Relations Centre as key departments and the executives who are second in command and having requisite competency and skill have been identified as key person of the respective departments. Further, before relief of the existing key person on promotion/ transfer/ superannuation etc. from the respective vertical, the new incumbent having requisite qualification, competency and skill will be identified internally/externally (through lateral recruitment) and posted well in advance for necessary knowledge transfer and to have handholding in the respective department/vertical so as to ensure proper succession planning.

Capacity building

Bank has introduced mandatory certification for the staff mapping of following specialized areas

a. Treasury operations (dealers, mid office operations)
b. Risk Management (credit risk, market risk, operational risk, enterprise wide risk, information security, liquidity risk)
c. Accounting (preparation of financial results, audit function)
d. Credit Management (credit appraisal, rating, monitoring, credit administration)
e. Foreign exchange operations

Systemic Improvements and IT initiatives

Annual Performance Appraisal Report (APAR): Implemented revised APAR with quarterly assessment w.e.f. December

एपीएआर प्रणाली के लक्ष्य में, सभी अधिकारियों के लिए बजट का उच्च अनुपात और मापन योग्य मुख्य दायित्व क्षेत्र (केआरए), वस्तुनिष्ठ मानकों के लिए स्वचालित अंक प्राप्ति, शाखा के प्रकार के आधार पर महत्व आदि शामिल हैं।

एपीएआर विवरण प्रस्तुति: विभाग ने ऑनलाइन अंक संग्रहण के लिए एक पोर्टल विकसित किया है और इसे पुनः रचित एपीएआर प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

बैंक ने स्रोत पर केंद्रीकृत कर कटौती, ऑनलाइन वार्षिक संपत्ति विवरणी की प्रस्तुति, वेतनमान-III तक पदोन्नति पर मूल वेतन निर्धारण इत्यादि के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर कार्यान्वित किया है।

उत्तराधिकार की योजना:

उत्तराधिकार योजना के लिए चार स्तंभ बनाए गए हैं यथा, (क) अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची तैयार करना और प्रतिभा समिति की गठन करना, (ख) उच्च संभावित अभ्यर्थियों की पहचान करना (ग) व्यक्तिगत विकास योजना बनाना (घ) महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार योजना तैयार करना।

इसके अलावा, बैंक ने विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सुचारु उत्तराधिकार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- 38 सहायक महा प्रबंधक और 159 मुख्य प्रबंधकों के लिए एनआईबीएम, पुणे के सहयोग से योग्यता अनुसंधान अभ्यास आयोजित किया गया।
- उत्तराधिकार योजना/ कौशल अंतर को भरने के लिए, विशिष्ट प्रशिक्षण सलाह, ई-लर्निंग, उपलब्धि के लिए एकाग्र ध्यान एवं प्रेरणा प्रदान करने, प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से क्षमता निर्माण अभ्यास को शुरु किया है।
- विक्रय अधिकारी, सीआरएम इत्यादि जैसी बिक्री केंद्रित भूमिकाओं की शुरुआत।
- विशेषज्ञ अधिकारियों की पार्श्विक भर्ती।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग को आरक्षण

बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अ.जा./ अ.ज.जा./अ. पि.व. और दिव्यांगों के लिए लागू आरक्षण नीति का अनुपालन करता है तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ. पि.व./दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बैंक ने भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण/छूट को गंभीरता से लागू किया है। बैंक में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रधान कार्यालय में अलग से अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. कक्ष परिचालन में है। वर्तमान में मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नामित महा प्रबंधक द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उनकी शिकायतों के निवारण हेतु अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कल्याण संघों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. आयोग के अधिकारियों/सदस्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्य संपर्क अधिकारी उनके साथ बैठक में भाग लेते हैं। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की प्रगति को वर्ष में एक बार निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु पद आधारित आरक्षण रोस्टर बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

2017 quarter. Re-designed APAR system to have more measurable and objective scoring system. APAR system aims at and includes, high proportion of budgetary and measurable KRAs for all officers, Automatic scoring for objective parameters, Weightage based on branch type, etc.

Capturing APAR details: Department has developed portal to capture the scoring on-line and successfully implemented the same in tune with the re-designed APAR system.

Bank has developed and implemented software for centralised tax deduction at source, capturing Annual Property Returns online, Fitment of Basic Pay on promotion up to Scale-III, etc.

Succession planning

Four pillars for succession planning are formed, ie.,(a) Shortlisting of candidates and setting up talent committee, (b) Indentifying high potential candidates (c) Creating individual development plan (d) Create succession plan for critical roles.

Further, Bank has taken following steps for smooth succession in various key areas:

- Conducted competency mapping exercise in association with NIBM, Pune for 38 AGMs and 159 CMs.
- Initiated Capacity Building exercise as a part of succession planning/filling up skill gap, by way of customized trainings, mentoring, e-learning, focused attention for achievement and motivation, certification courses, etc.
- Introduction of sales focused roles like sales officer, CRM etc.
- Lateral recruitment of specialist officers.

Reservation to SC/ST/OBC/PWD

The Bank follows the reservation policy for SCs, STs, OBCs and PWDs as prescribed by Government of India and State Governments from time to time and has been extending applicable reservations/concessions to SC/ST/ OBC/PWD employees in recruitment/promotions strictly as per the Government of India guidelines. A separate SC/ ST Cell and OBC Cell are functioning at Head Office to redress the grievances of SC/ST/OBC employees working in the Bank and are currently headed by General Managers designated as chief liaison officers. Meetings with the representatives of the SC/ST/OBC welfare associations are held at regular intervals to redress their grievances. The chief liaison officer will participate in meetings with the members /officials of the National Commission for SC/ ST during their visits to our Regional Offices. The progress made in the implementation of the reservation policy is placed before the Board once in a Year. The post based reservation roster is displayed on the website of the bank in compliance to the directions of the Government.

आपके बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह एक केन्द्रीकृत एचआरएमएस समाधान है जो बैंक के सभी कर्मचारियों/पेंशनधारकों सहित कार्मिक विभाग के विभिन्न प्रभागों, आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के परिचालनों की देखरेख करता है। इसके माध्यम से वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, उपस्थिति, अवकाश मॉड्यूल तथा वेतन संबंधी कुछ कार्यकलापों, कर्मचारी अभिलेख प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, स्थानांतरण मॉड्यूल को सक्रिय किया गया है। इन मॉड्यूलों की शेष विशेषताएँ और अन्य मॉड्यूल जैसे, श्रमशक्ति नियोजन, सेवांत लाभ, प्रशिक्षण व विकास, भर्ती आदि भी क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

राजभाषा का कार्यान्वयन

बैंक द्वारा हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को विभिन्न रूपों में निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल इसलिए नहीं कि यह भारत सरकार की नीति है बल्कि इसलिए भी कि यह समावेशी बैंकिंग के लिए एक आदर्श एवं शक्तिशाली माध्यम भी है। भारत सरकार द्वारा राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिये आंतरिक वार्षिक राजभाषा कार्यान्वयन कार्य योजना जारी कर शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को राजभाषा के कार्यान्वयन में मदद करने के लिये, बैंक ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है।

बैंक ने राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष के दौरान विभिन्न स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपके बैंक द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृह पत्रिका **'जागृति'** को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा 'ग' क्षेत्र स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में (गृहपत्रिकाओं के लिए) वर्ष 2016-17 के लिए श्रेष्ठ पत्रिका के रूप में प्रथम पुरस्कार, **''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार''** से सम्मानित किया गया है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मेलविन रेगो ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के करकमलों से दिनांक 14.09.2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त किया।

आपके बैंक को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों के बीच वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी हिन्दी गृह पत्रिका **जागृति** के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) कारवार एवं नराकास, फरीदाबाद (दोनों जगह आपका बैंक संयोजक) को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2016-17 के लिए क्रमशः दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र के नराकासों में उत्तम कार्य निष्पादन हेतु क्रमशः **द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार** प्राप्त हुआ।

बैंक की आंतरिक पुरस्कार योजनाएँ जैसे; क्षेत्रवार व्यक्तिगत कर्मचारियों को हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करने, कंप्यूटर पर हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करने पर प्रोत्साहन और बैंक/अनुभाग स्तर पर शील्ड प्रतियोगितायें/निबंध प्रतियोगितायें

IMPLEMENTATION OF HRMS IN YOUR BANK

HRMS is implemented in the Bank. It is a centralized HRMS solution for handling the functions of different divisions of personnel department, Zonal offices, Regional offices, branches and other administrative offices covering all employees/pensioners of the Bank. Annual performance appraisal report, attendance, leave modules and few functionalities of salary, employee record management, personnel administration, transfer modules have been made live. Remaining features of these modules and other modules like manpower planning, terminal benefits, training and development, recruitment etc., are in different stages of implementation.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has been displaying a strong and abiding commitment to encourage the greater use of Hindi in various ways not only because it is the policy of the Government of India but also as an ideal and powerful medium of inclusive banking. With an object of timely implementation of important guidelines pertaining to Official Language issued by the Government of India, various types of initiatives have been taken up by your Bank for providing assistance to the employees working in branches/offices in the implementation of official language duly issuing internal annual O L implementation action plan.

The Bank has made noteworthy progress under the implementation of Official Language and won prizes at various levels during the year. Your bank was awarded with First prize **"Rajbhasha Kirti Puraskar" for 2016-17** by the Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language, Government of India, for its Hindi House Journal "Jagriti" among all the Nationalised Banks/FIs situated in 'C' region. Sri Melwyn Rego, MD & CEO received the award from Hon'ble President of India Sri Ramnath Kovind on 14.09.2017 at Vigyan Bhavan, New Delhi.

Your Bank's In-house Journal JAGRITI was awarded as Second Best In-house Magazine for the F.Y. 2016-17 by Reserve Bank of India.

Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) Karwar and TOLIC Faridabad (both conveners of your bank) have won the **Second prize** and **third prize** respectively for best TOLIC among the South West region and North region respectively from Regional Implementation Office, Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India for the year 2016-17. Some of our Regional Offices and staff members have received Rajbhasha Shields/Awards from respective Town Official Language Implementation Committees.

Bank's Internal Award Schemes like Cash Incentive Schemes for 'Excellent Performance in use of Hindi and excellent performance in use of Hindi on Computers' for Region wise individual employees and also bank level/

प्रचलन में हैं। जायंट और जागृति गृह पत्रिकाओं में हिंदी में लेख लिखनेवाले लेखकों को आकर्षक नकद मानदेय दिए जाते हैं।

हिन्दी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु, बैंक ने 3434 शाखाओं/कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। गृहमंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया गया है। रोज़ाना के कार्यकलापों में हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रयोजनमूलक हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी आशुलिपि, हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण, हिंदी समन्वयकों/कार्यपालकों के लिये राजभाषा संगोष्ठी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों/स्टाफ सदस्यों के लिये हिंदी प्रतियोगिताओं और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के ''राजभाषा प्रयोग-आपसी संवाद-सार्थक दिशा'' जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

बैंक ने वेबसाइट का हिन्दी अनुवाद करके उसे अद्यतन बनाने के साथ-साथ मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को भी हिन्दी में तैयार किया है। बैंक अनंतपुर, विजयपुरा, कारवार, कण्णूर, मेरठ, गाज़ियाबाद, ओंगोल, उडुपि और फरीदाबाद में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक है। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने हमारी नैनीताल शाखा, कवरत्ती शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली- I का क्रमशः दिनांक 08.05.2017, 14.10.2017 एवं 17.02.2018 को निरीक्षण किया तथा आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति ने दिनांक 06.09.2017 को क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के साथ राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी चर्चा की।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग के पदाधिकारियों ने हमारे प्रधान कार्यालय, कॉरपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली- I, क्षे.का. मेरठ, प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली, क्षे.का. विजयवाडा की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की तथा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के प्रयासों की सराहना की।

अवधि के दौरान आयोजित विशेष गतिविधियाँ:

i. राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए **अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता** का आयोजन किया गया।

ii. क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त **लंदन शाखा** और **द्वीप शाखाओं** में भी **हिंदी दिवस** का आयोजन किया गया।

iii. बैंक ने सरकार की ''सामाजिक-आर्थिक विकास में सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पहल'' नामक पुस्तक (जनवरी 2017 में आयोजित सेमिनार में प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत लेखों का संग्रह) जारी की ।

branch level/department level shield competitions/essay competitions' are in vogue. Attractive Cash Incentives are being given to the writers of Hindi articles published in our house magazines i.e. Giant & Jagriti.

Bank has notified 3,434 branches/offices under Rule 10(4) of O. L. Rule, 1976 to ensure maximum usage of Hindi. Ensured online submission of quarterly Hindi progress reports of various Regional Offices to the concerned regional implementation offices of MHA. Functional Hindi workshops, translation trainings, Hindi Coordinator/executive OL seminars, Hindi competitions for school children/staff members in connection with 'Vigilance Awareness Week, Independence Day/Republic Day/Teachers' Day' and 'Rajbhasha Prayog-Apasi Samvad-Sarthak Disha' programmes of DFS-MOF were conducted by various regional offices in addition to attending Govt. guidelines related to OL implementation in day to day official work. In addition to the above 'Let us Speak Regional Language' guidance programmes were conducted.

Bank has launched Mobile Banking application in Hindi in addition to updating Hindi translation of revamped website. Bank is the convenor of Town Official Language Implementation Committees at Ananthapur, Bijapur, Karwar, Kannur, Meerut, Ghaziabad, Faridabad, Ongole and Udupi. Official Language Implementation Committees were constituted in all the branches/offices for the effective implementation of Official Language.

The Third Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language inspected our Nainital Branch and Kavaratii branch and Regional Office Delhi I respectively on 08.05.2017, 14.10.2017 & 17.02.2018 and The Drafting & Evidence Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language had discussion with our R.O. Faridabad on 06.09.2017.

The officials of Department of Financial Services, MOF had inspected our Head Office, Corporate Office, RO: Delhi I, RO Meerut, TC Delhi, RO Vijayawada and reviewed OL Implementation activities and appreciated the efforts of the Bank in the area of Official Language Implementation.

Special activities conducted during the period:

i. Bank conducted **All India Hindi Essay Competition** for Nationalised Banks/FIs/RRBs.

ii. Bank conducted **Hindi Day** at **London** Branch and **Island branches** in addition to Regional Offices.

iii. Bank has released a book titled "Various important initiatives of the Government in Socio-Economic Development" (collection of articles won first prize in the seminar conducted in January 2017).

iv. बैंक ने ''आइये प्रांतीय भाषा में बात करें भाग–II''नामक पुस्तक जारी की, जिसमें संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं को शामिल किया गया है।

v. बैंक ने दिनांक 06 मार्च 2018 को एसआईबीएम मणिपाल में ''सामाजिक विकास में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का योगदान'' विषय पर हिन्दी में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।

बैंक ने वित्तीय समावेशन संबंधी जानकारी, योजनाओं/उत्पादों से संबंधित सामग्री/पैंफ्लेट, प्रदर्शन सामग्री आदि को हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया है। अपने मूल्यवान ग्राहकों की सुविधा के लिए विविध नवोन्मेषी उपाय अपनाते हुए हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने में बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग्राहक सेवा

बैंक लगातार ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है । बैंक का ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण भावी व्यावसायिक क्षमता को आकार देने और ग्राहक आधार को प्राप्त करने, बनाए रखने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है।

बैंक के पास ग्राहक सेवा, जमा, ग्राहक शिकायत निवारण, चेक संग्रहण, क्षतिपूर्ति नीति आदि संबंधी बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतियाँ हैं। ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक की प्रत्येक शाखाओं में उपलब्ध होने के अतिरिक्त ये बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

शाखा प्रारंभ/स्थापना दिवस को शाखाएँ ग्राहक सम्मेलन दिवस के रूप में मनाती हैं। ऐसी बैठकों में स्थानीय सरकारी कार्मिकों व उस शाखा के ग्राहकों के साथ-साथ प्र.का./कॉ.का./क्षे.का. के कार्यपालक भी भाग लेते हैं। ऐसी बैठकों में बैंक के उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी दी जाती है और ग्राहकों से विचार/प्रतिपुष्टि ली जाती है। शाखाओं/कार्यालयों में आवधिक रूप से आयोजित बैठक में ग्राहक सेवा एवं ग्राहक शिकायत संबंधी विषयों पर चर्चा की जाती है जिसमें ग्राहकों/वरिष्ठ नागरिकों को भी सहभागिता के लिए आमंत्रित किया जाता है।

सुपरिभाषित भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के माध्यम से ग्राहक की शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए बैंक की शिकायत निवारण नीति बनाई गई है ।

क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) की बैठक का पुनर्गठन, अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यपालक, अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, यूनियन प्रतिनिधियों और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी और अन्य ग्राहकों के रूप में किया गया था ।

वर्ष 2017-18 के दौरान ग्राहक सेवा पहल:

- बैंक ने बीसीएसबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शाखाओं में व्यापक सूचनापट्ट पर नोटिस प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया है।
- शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार लाने तथा कर्मचारी सदस्यों को जागरूक बनाने के लिए निम्नलिखित मूल सिद्धांतों जैसे, शिष्टाचार, संप्रेषण, दक्षता

iv. Bank has released a book titled ''आइये प्रांतीय भाषा में बात करें भाग–II'' which includes various languages enshrined in the 8th Schedule of the Constitution of India.

v. Bank has conducted National Level Seminar in Hindi on "Contribution of Priority Sector in Social Development" for Nationalized Banks/FIs/RRBs at SIBM Manipal on 06th March 2018.

Bank has paid special attention on providing information related to financial inclusion matters, schemes/ products related literature / pamphlets / advertisements / display material etc. in Hindi and Regional languages in addition to English. Bank is committed in promoting Hindi and Regional Languages by introducing various innovative models to facilitate its proud customers.

CUSTOMER SERVICE

Bank has been constantly striving hard to improve customer service. Bank's customer centric approach acts as a key component in shaping future business potential and also in acquiring, retaining and growing the customer base.

The Bank has policies duly approved by the Board on customer service, deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation policy etc. These are displayed on the Bank's website for the convenience of the customers, besides being available at each branch of the Bank for the use of the customers.

Branches are celebrating branch opening / foundation day as customer meet day. Meeting would be attended by executives from HO/CO/RO, local Government officials and customers of that branch. During the meeting customer are educated about products and services offered by the bank and customer feedback would be obtained. Matters relating to customer service and customer complaints are discussed in the periodical meeting held at branches/regional offices where apart from customers/ senior citizens are also invited.

The grievances redressal policy of the Bank is meant for prompt redressal of customer complaints and grievances through well defined roles & responsibilities.

The Customer Service Committee (CSC) meeting was reconstituted at ROs with head of the Region as Chairman, Executives of ROs, Officers' and Workmen Association / Union representatives and a retired employee and other Customers.

Customer Service Initiatives taken during 2017-18

- Bank has ensured display of the comprehensive notice board as per BCSBI guidelines in all the branches.
- With a view to improving the customer service in the branches and sensitize the staff, policy on 'customer service' has been adopted based on the following basic principles viz., courtesy, communication,

एवं समयबद्धता, शाखाओं का सामान्य प्रबंधन, जानकारी आदि को अपनाते हुए 'ग्राहक सेवा' नीति बनाई गई है।

- ❖ बैंक, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और ग्राहकों एवं एमएसई ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संबंधी संहिता के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने के लिए वचनबद्ध है।
- ❖ ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता जनवरी 2018-बीसीएसबीआई सभी शाखाओं/ कार्यालयों में परिचालित की गई है और उसकी एक प्रति ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसे हमारी वेबसाइट और इन-हाउस एप्लिकेशन में भी अपलोड और प्रदर्शित किया गया है।
- ❖ बीसीएसबीआई संहिता के प्रावधानों के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने/ सुग्राही बनाने तथा जागरूकता फैलाने के लिए बैंक ने अपने सतत प्रयास के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में बीसीएसबीआई द्वारा आयोजित ''ग्राहक सम्मेलन'' में सक्रिय रूप से सहभागिता की जिसमें शाखा के कर्मचारियों एवं ग्राहकों ने बीसीएसबीआई के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।
- ❖ दिनांक 31/12/2018 से पहले ग्राहक जागरूकता बैठक करने में सक्षम बनाने के लिए बीसीएसबीआई ने बैंक के कुछ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।
- ❖ शाखा दौरे के दौरान कार्यपालक, शाखाओं में ग्राहकों से बात-चीत करते हैं और ग्राहक सेवा/शिकायत निवारण संबंधी मामलों एवं बीसीएसबीआई संहिता के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं।
- ❖ बीसीएसबीआई के सूचना-पत्रों को वेबसाइट में तिमाही आधार पर उपलब्ध/ अद्यतन कराया जाता है।
- ❖ ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति की बैठक तिमाही आधार पर कॉरपोरेट कार्यालय में आयोजित की जाती है तथा उसमें समग्र रूप में बैंक के ग्राहक सेवा संबंधी मामलों/शिकायतों आदि की समीक्षा की जाती है। बैंक में ग्राहक सेवा से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।
- ❖ नया बचत बैंक खाता - ''सिंड सुप्रीम'' और थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से मल्टी करेंसी को-फारेक्स प्रीपेड कार्ड की शुरुआत की गई है।
- ❖ बचत बैंक खातों में न्यूनतम औसत शेषराशि के न रखने पर दंड प्रभार लगाने की शुरुआत की गई है जो कि कमी की सीमा तक सीधे आनुपातिक है।
- ❖ 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तथा दृष्टिबाधितों सहित अन्यथा समर्थ या बीमार व्यक्तियों (चिकित्सा की दृष्टि से प्रमाणित पुरानी बीमारी या विकलांगता से ग्रस्त) के लिए द्वारस्थ बैंकिंग सुविधा की शुरुआत।
- ❖ शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों, अन्यथा समर्थ (विकलांग) और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधा / सेवा की शुरुआत अलग विशेष काउंटर उपलब्ध कराते हुए की गयी है।

ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र

बैंक ने दिनांक 18.08.2015 से ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की शुरुआत की है। बैंक के वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत का पंजीकरण किया जा सकता है। ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है; जैसे; शिकायत दर्ज करना, शिकायत की स्थिति का पता लगाना और बैंक से प्राप्त प्रतिक्रिया, आदि। यह प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

efficiency & timeliness, general management of the branches, knowledge, etc.

- ❖ The Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and committed to implement the provisions of Code of Bank's Commitment to Customers and Code of Bank's Commitment to MSE Customers in letter and spirit.
- ❖ Code of Bank's commitment to customers January 2018-BCSBI has been circulated to all branches/offices and a copy of the same is made available for the customers. It has also been uploaded and displayed in our website and in-house application.
- ❖ In its continued efforts to spread awareness and to educate/sensitize customers about provisions of BCSBI Codes, Bank has also actively participated in the "customer meets" organized by BCSBI at various regions and branch officials and customers have interacted with BCSBI officials.
- ❖ BCSBI has imparted training to few Officers of the Bank to enable them to conduct Customers Awareness Meet before 31/12/2018.
- ❖ Executives during their visit to branches interact with customers and review matters relating to customer service/complaints redressal and implementation of BCSBI codes provisions.
- ❖ News letters from BCSBI is made available/updated in website quarterly.
- ❖ Standing committee on customer service meet at quarterly intervals at corporate office and review the customer service related matters/ complaints etc. of the Bank as a whole the customer service related matters are also deliberated.
- ❖ Introduction of new savings bank account- "SYND SUPREME" and Multi Currency Co-branded Forex prepaid card with Thomas Cook India Limited.
- ❖ Introduction of levy of penal charges for non-maintenance of Minimum Average Balances in Savings Bank accounts which is directly proportionate to the extent of short fall observed.
- ❖ Introduction of Door Step Banking facility for Senior Citizens of more than 70 years of age and Differently Abled or Infirm Persons (having medically certified chronic illness or disability) including those who are Visually Impaired.
- ❖ Banking Facility/Service for Senior Citizens, Differently abled and Visually Impaired Persons by providing separate dedicated counters in the branches has been introduced.

Online Grievance Redressal System (OGRS)

Bank has made online grievance redressal system live from 18.08.2015. The online grievance system provides for online registration of grievance through bank's website. The online grievance system provides access to the customers for recording the complaint, compliant status tracking and receiving response from the bank. The system is running satisfactorily.

आंतरिक लोकपाल

बैंक ने दिनांक 01.08.2015 से आंतरिक लोकपाल (मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी) की नियुक्ति की है। बैंक का आंतरिक लोकपाल उन मामलों की जाँच करता है जहाँ ग्राहकों के दावे खारिज अथवा आंशिक रूप से स्वीकार किए गए हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एक ईमानदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, आपका बैंक समाज के विभिन्न पहलूओं के सामाजिक/ आर्थिक परिवर्तन और निचले तबके के उत्थान के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है।

बैंक ने निम्नांकित क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों का आयोजन किया है :

(ए) बैंक के परिचानल क्षेत्रों के अंतर्गत सामुदायिक विकास गतिविधियां,

(बी) प्राकृतिक आपदाओं को कम करना,

(सी) समाज के गरीब वर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विकास,

(डी) संस्थानों में शैक्षणिक सुविधाओं का विकास, पूंजीगत शुल्क पर निर्भरता समाप्त करना,

(ई) कला और संस्कृति को बढ़ावा देना,

(एफ) बैंकिंग से जुड़े क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाले क्रियाकलाप,

(जी) "स्वच्छ भारत अभियान": संपूर्ण स्वच्छता एवं परिशुद्धता हासिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय अभियान

(एच) "स्वच्छ विद्यालय मिशन": देश के विभिन्न विद्यालयों में शौचालय प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित मिशन

(आई) खेल भावना को बढ़ावा देना और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन की पहचान,

(जे) जल निकायों का रख-रखाव,

(के) ग्रामीण विकास परियोजना के तहत आधार इंटरऑपरेबल माइक्रो एटीएम का उपयोग करके सार्वजनिक वित्तीय वितरण बुनियादी ढांचे का निर्माण

(एल) लिंग समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना आदि

(एम) कोई अन्य योग्य सामाजिक उद्देश्य के लिए

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कुल ₹ 1.40 करोड़ मंजूर किए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक दवारा कृत कुछेक सीएसआर गतिविधियों की जानकारी इस प्रकार है:

- ❖ दृष्टिहीन छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दृष्टि बाधित संगठनों को दान।
- ❖ डॉ अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर आवश्यकतायुक्त छात्रों को स्कूल बैग का दान।
- ❖ सिविल हॉस्पिटल, चंडीगढ़ के लिए वाटर कूलर का दान।
- ❖ सड़कों की स्वच्छता व अपवहन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै के अंतर्गत कारैक्काल नगरपालिका, मदुरै को दान।
- ❖ हुब्बल्ली के मेधावी छात्र एवं महिला क्रिकेटर को आर्थिक सहायता।

Internal Ombudsman

Bank had appointed internal ombudsman w.e.f 01.08.2015. The bank's internal ombudsman examines the cases where the customers claim is either rejected or partially accepted.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As a sincere corporate citizen, your Bank has been fulfilling its social responsibilities by actively participating in activities aimed at socio/economic transformation of various facets of society and upliftment of the downtrodden.

The Bank is undertaking various CSR activities for-

(a) Community development activities in the areas of operation of the Bank.

(b) Mitigating natural calamities,

(c) Development of health care facilities for poorer sections of the society,

(d) Development of educational facilities at institutions, not dependent on capital fees,

(e) Promotion of art and culture,

(f) Activities to encourage research and development in fields related to Banking,

(g) "Swachh Bharat Abhiyaan": A national movement, launched by Government of India to achieve total sanitation and cleanliness.

(h) "Swachh Vidyalaya Mission": launched by Government of India with a mission to to provide toilets in different schools across the country.

(i) Promoting sports and recognizing the performance of outstanding sportspersons,

(j) Upkeep of water bodies,

(k) Creation of public financial distribution infrastructure using Aadhaar Interoperable Micro ATMs under rural development project.

(l) Promoting gender equality, empowering women etc.

(m) Any other worthy social causes.

Bank has sanctioned total of ₹1.40 crore under corporate social responsibility (CSR) in FY 2017-18. Some of the major contributions under corporate social responsibility (CSR) during the financial year 2017-18 are as under:

- ❖ Donation to Blind Organisation for providing education curriculum to Blind students.
- ❖ Donated school bags to needy students on the occasion of Dr. Ambedkar Jayathi.
- ❖ Donated water cooler at civil hospital, Chandigarh.
- ❖ Donated for cleaning roads and drainage in Karaikal Municipality, falling under Regional Office Madurai.
- ❖ Financial assistance to meritorious students, Hubballi & women Cricketer.

- ❖ कैंसर से बाधित बच्चों के लिए निःशुल्क पोषक आहार प्रदान करने के लिए दान।
- ❖ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अपशिष्ट निर्मूलन के लिए हेजमाड़ी ग्राम पंचायत को कार्गो रिक्शा का दान।
- ❖ लुधियाना में महिलाओं के लिए निःशुल्क कैंसर चेक-अप शिविर आयोजित करने के लिए दान।
- ❖ क्षे. का. सेलम द्वारा होसूर नगरपालिका के लिए बैटरी से चलने वाले कूड़ा वाहन का दान।
- ❖ क्षे. का. मुरादाबाद द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को टॉयलेट चेयर का दान।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने 'सिंड समग्र ग्राम विकास योजना' (एसएसजीवीवाई) के अंतर्गत विकास कार्य करने हेतु, 26 गांवों को गोद लिया था। इन गांवों में अभी भी विकास कार्य चालू है।

नए उत्पाद पहल

नए उत्पाद में सुधार तथा इनका विकास एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है तथा ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं, तकनीकि नवोन्मेष एवं बाज़ार अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक इनका कुशलतापूर्वक अनुपालन कर रहा है। वर्ष के दौरान, अपने ग्राहकों के लाभार्थ बैंक द्वारा कई नए उत्पादों की शुरूआत की गई। बैंक द्वारा निम्नलिखित नये उत्पादों की शुरुआत की गई है।

देयता के पक्ष में

(ए) **सिंड सुप्रीम:** बैंक ने सिंड सुप्रीम नामक एक नए उत्पाद का प्रवर्तन किया है। यह ₹1.00 लाख और उससे अधिक मासिक औसत शेष बनाए रखने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया एक नया उत्पाद है। इस उत्पाद में नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ₹ 10.00 लाख मूल्य की मुफ्त दुर्घटना बीमा, मुफ्त विप्रेषण (आरटीजीएस/एनईएफटी) सुविधा, मुफ्त डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिग जैसी इन-बिल्ट सुविधाएँ मौजूद है। यह सुविधा ₹1.00 लाख या उससे अधिक मासिक औसत शेष बनाए रखने वाले बचत खाता ग्राहकों को भी प्रदान की जाएगी। इस नए उत्पाद के अंतर्गत दि. 31.03.2018 तक बैंक ने ₹193 करोड़ मूल्य के 3077 नए खाते खोले हैं।

(बी) **मल्टी-करेंसी को-ब्रैंडेड फॉरेक्स प्री-पेड कार्ड :** बैंक ने थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से मल्टी-करेंसी को-ब्रैंडेड फॉरेक्स प्री-पेड कार्ड पेश किया है। यह कार्ड यात्रियों को एक ही कार्ड में आठ विभिन्न मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटीश पाउंड, यूरो, आस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, सिंगापुर डॉलर और जापानी येन में राशि जमा करने का विकल्प प्रदान करता है। यह प्री-पेड कार्ड दुनिया भर की 35.2 मिलियन व्यापारी संस्थाओं में स्वीकार्य है और यह कार्ड धारक को विदेश स्थित एटीएमों में नकद आहरण करने का विकल्प भी प्रदान करता है।

- ❖ Donated for free nutrition supplements to children with cancer.
- ❖ Donation of cargo rickshaw to Grama Panchayat, Hejamady for disposal of waste under Swachch Bharat Abhiyan.
- ❖ Donated for organizing free cancer check-up camp for women, at Ludhiana.
- ❖ Donated battery operated garbage vehicle to Hosur Municipality, RO Salem.
- ❖ Donated toilet chairs to disabled & senior citizens under Swachh Bharat Abhiyan, RO Moradabad.
- ❖ Bank has adopted 26 villages for undertaking development work under Synd Samagra Gram Vikas Yojana (SSGVY) in FY 2015-16 and is still continuing the development activities in these adopted villages.

NEW PRODUCT INITIATIVES

Improving & developing new product is ongoing task which your Bank is dexterously following keeping in view of the changing customer requirements, technological innovation and market research. During the year, Bank has come up with several new products for the benefits of its customers. Following are the new products introduced by the Bank.

On liability side

(a) Synd Supreme: Bank has introduced a new product Synd Supreme. It is a new Savings Bank product designed to attract customers maintaining Monthly Average Balance of ₹1.00 lakh and above. The product has got inbuilt features like Free Accidental Insurance Cover up to ₹10 lakhs, Free Remittance Facilities (RTGS/NEFT), Free Issuance of Debit/Credit cards, Mobile Banking, Internet Banking to attract new customers as well as to provide facilities to existing customers who maintain Monthly Average Balance (MAB) of ₹1 lakh & above. Bank has opened 3,077 accounts involving a deposit of ₹193 crore under the new product as on 31.03.2018.

(b) Multi–Currency Co-branded Forex pre-paid Card: Bank has introduced Multi- Currency Co branded Forex Prepaid Cards in association with Thomas Cook India Ltd. The card enables travelers with the option of loading eight currencies on a single card-US Dollars, British Pounds, Euro, Australian Dollars, Canadian Dollars, Swiss Francs, Singapore Dollars, and Japanese Yen. The prepaid card is accepted at over 35.2 million merchant establishments and also gives card holders an option to withdraw cash from ATM located overseas.

विपणन एवं शुल्क आय उत्पाद

विपणन ऊर्ध्वाधर

बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विपणन प्रयासों को गति देकर निम्नलिखित गतिविधियों से आय में वृद्धि करने के लिए एक अलग विपणन ऊर्ध्वाधर मौजूद है :

1. आस्ति एवं देयताएं उत्पाद।
2. शुल्क आधारित आय उत्पाद जैसे लॉकर एवं अन्य पक्षकार उत्पाद जैसे बीमा एवं म्यूचुअल फंड आदि।
3. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।
4. सीएमएससी उत्पाद जैसे एएसबीए, डीमेट आदि।
5. कार्ड सेंटर उत्पाद जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं पीओएस।
6. डिजिटल बैंकिंग चैनलों को प्रोत्साहन।

कारोबार विकास की गति को बढ़ाने के लिए बैंक के पास 203 तत्पर विपणन अधिकारियों से युक्त सेट-अप मौजूद है जो देश भर में कार्यरत हैं। बैंक ने विपणन टीम को कौशलपूर्ण बनाने के लिए सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान मणिपाल में तीन दिवसीय विपणन सभा का आयोजन किया था। इस टीम को बैंक के उच्च प्रबंधन ने संबोधित किया और उन्हें विपणन की विशेषताओं तथा ब्रांड विकास के बारे में बताया गया। विपणन विभाग प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले शाखा प्रबंधकों एवं अधिक अधिकारियों में विपणन कौशल को बढ़ाने के लिए एक सत्र संचालित करता है।

बैंकाश्योरेंस

1. **जीवन बीमा**

- ❖ जीवन बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए कॉरपोरेट एजेंट के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंक का कॉरपोरेट एजेंसी गठजोड़ है। जीवन बीमा कारोबार को संपन्न करने के लिए बैंक के पास 250 विशेषज्ञों की एक टीम है।
- ❖ बैंक, बचत खाताधारकों और शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को सामूहिक पॉलिसी के तहत जीवन बीमा रक्षा भी प्रदान करता है।
- ❖ बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त कमीशन ₹914.28 लाख (एलआईसी पीएमजेजेबीवाई सहित) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹867.35 लाख (एलआईसी पीएमजेजेबीवाई सहित) कमीशन अर्जित किया।

2. **सामान्य बीमा**

- ❖ अपने खाताधारकों के लिए सिंड आरोग्य (फैमिली-फ्लोटर लाभ के साथ समूह मेडिक्लेम सह निजी दुर्घटना बीमा) सहित सामान्य बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कॉरपोरेट एजेंसी गठजोड़ निष्पादित किया है।
- ❖ सामान्य बीमा कारोबार से बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त ₹1009.60 लाख (यूआईआईसीओ पीएमएसबीवाई सहित) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹1372.89 लाख (यूआईआईसीओ पीएमएसबीवाई सहित) कमीशन के रूप में अर्जित किया।

MARKETING AND FEE INCOME PRODUCTS

Marketing Vertical

Bank has a separate marketing vertical at Corporate Office, Zonal Offices and Regional Offices to accelerate marketing efforts to augment income from below mentioned activities:

1. Asset & Liabilities Products.
2. Fee based income products like lockers & third party products like insurance & mutual funds etc.
3. Social security schemes.
4. CMSC products like ASBA, Demat etc.
5. Card center products like credit card, debit card and POS.
6. Promotion of digital banking channels.

Bank's marketing setup is consisting of a team of 203 marketing officers spread across the country, with clear thrust on the business development. Bank conducted three days' marketing conclave at Syndicate Institute of Bank Management, Manipal for skill enhancement of the marketing team. The team was addressed by the Top Management of the Bank highlighting the significance of marketing and brand development. Department is handling one session in every training program to improve the marketing skills among branch managers and other officers, who are attending the training program.

BANCASSURANCE

1. **Life Insurance**

- ❖ Bank has a Corporate Agency tie-up with Life Insurance Corporation of India, as a Corporate Agent for distribution of Life Insurance Products. Bank has a team of 250 Specified Persons for soliciting life insurance business.
- ❖ Bank also offers life insurance cover under group policy to educational loan borrowers and saving account holders.
- ❖ Bank earned commission of ₹867.35 lakh (inclusive of LIC PMJJBY) during FY 2017-18 against a commission of ₹914.28 lakh (inclusive of LIC PMJJBY) during FY 2016-17.

2. **General Insurance**

- ❖ Bank has a Corporate Agency tie-up with United India Insurance Company Limited (UIICO) for distribution of general insurance products, including Synd Arogya (a Group Mediclaim -Cum -Personal Accident Policy with family floater advantage) at competitive premium for its account holders.
- ❖ During the FY 2017-18, Bank has earned a commission of ₹1,372.89 lakh (inclusive of UIICO PMSBY), compared to commission of ₹1,009.60 lakh (inclusive of UIICO PMSBY) during the previous year, from general insurance business.

3. **सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं (पीएमजेजेबीवाई और पीएम एसबीवाई)**

ए) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत जीवन बीमा रक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ गठजोड़ निष्पादित किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने कुल 6,25,387 पीएमजेजेपीवाई पॉलीसी पंजीकृत की हैं।

बी) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

बैंक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना के चलते मृत्यु होने की स्थिति में धारक को बीमा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीओ) के साथ गठजोड़ किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने कुल 20,91,857 पीएमबीएसवाई पॉलीसी पंजीकृत की हैं।

म्यूचुअल फंड (एमएफ)

एक वित्तीय सुपर मार्केट के रूप में कार्य करते हुए एक ही छत के नीचे विभिन्न वित्तीय उत्पाद प्रदान करने हेतु म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए बैंक ने नौ अग्रणी आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है। सूचित बिक्री सुनिश्चित कराने हेतु बैंक के पास 31.03.2018 की स्थिति में 488 एनआईएसएम (सीरीज-V-ए) प्रमाणित व्यक्ति एवं 400 ईयूआईएन प्रमाण-प्राप्त स्टाफ मौजूद हैं।

म्यूचुअल फंड कारोबार से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹68.80 लाख के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹107.40 लाख का कमीशन अर्जित किया।

नकद प्रबंधन सेवाएँ (सीएमएस)

प्राप्य एवं भुगतान खाते के कुशल प्रबंधन के लिए हमारा बैंक, कॉरपोरेट, निजी और विदेशी बैंकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रदान करता है। बैंक, देश भर में सभी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को सीएमएस सेवाएं प्रदान करता है। ऑटो डेबिट अधिदेश सुविधा और केंद्रीकृत चेक डेबिट सुविधाएँ भी दी जा रही हैं। लाभांश वारंट/ब्याज वारंट का भुगतान/डीडी आहरण व्यवस्था और दूरस्थ डीडी मुद्रण सुविधाएँ भुगतान के तहत प्रदान की जा रही हैं।

पूंजी बाजार सेवाएँ

अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र (एसबीए)

बैंक में एसबीए (अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र) सुविधा का आरंभ अक्तूबर 2010 में किया गया। अपने ग्राहकों को 'अवरुद्ध रकम आधारित आवेदन पत्र' सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक, स्वप्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है। बैंक ने अपने कोर बैंकिंग समाधान के साथ एएसबीए सुविधा को एकीकृत किया है। बही निर्माण प्रक्रिया और अधिकार निर्गम के माध्यम से किए गए सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिए एएसबीए प्रक्रिया उपलब्ध है। इस योजना का लक्ष्य आईपीओ/एफपीओ के माध्यम से शेयरों और बांड में निवेश करने में हमारे ग्राहकों की बोली की राशि की सीमा तक राशि अवरुद्ध करने की सुविधा प्रदान करना है।

निक्षेपागार सहभागी सेवाएँ

आपका बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ जारी निक्षेपागार सहभागी के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत है। बैंक सीडीएसएल का एक निक्षेपागार

3. Social Security Insurance Schemes (PMJJBY & PMSBY)

a. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

Bank has tie up with LIC of India for providing life insurance cover under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY). During FY 2017-18, Bank has enrolled 6,25,387 PMJJBY policies.

b. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

Banks has tie up with United Insurance Company Limited (UIICO) for providing accidental death insurance cover under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). During FY 2017-18, Bank has enrolled 20,91,857 PMSBY policies.

Mutual Funds

Acting as a financial supermarket, offering various financial products under one umbrella, Bank has tied up with nine leading Asset Management Companies for distributing Mutual Fund products. As on 31.03.2018, the Bank had a team of 488 NISM (Series-V-A) Certified Persons and 400 EUIN compliant staff facilitating informed selling.

Bank earned brokerage of ₹107.40 lakh during FY 2017-18 against a brokerage of ₹68.80 lakh in FY 2016-17 from Mutual Fund business.

Cash Management Services (CMS)

The Bank offers a state-of-the-art technology driven products to corporate, private and foreign banks for efficient management of account receivables and payments. The Bank also offers CMS services to its clients through all branches across the country. Auto debit mandates facility and centralized cheque debit facilities are being offered. Payment of dividend warrants / interest warrants / DD drawing arrangement and remote DD printing facilities are being offered under payments.

Capital Market Services

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA)

The ASBA [Application Supported by Blocked Amount] facility was introduced in the Bank during October 2010. Bank is registered with SEBI as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for providing Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) to its customers. Bank has integrated ASBA facility with its core banking solution. ASBA process is available in all public issues made through the book building route and rights issues. This scheme aims at providing the facility of blocking of amount to the extent of the bid amount of our customers investing in shares and bonds through the IPO/FPO.

Depository Participant Services

Your Bank is holding permanent registration as Depository Participant issued by the Securities and Exchange Board of

भागीदार है। यह सुविधा, ग्राहकों को उनकी पूंजी बाजार प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त सिंड-ई-ट्रेड ब्रांड नाम से बैंक ने मेसर्स असित सी मेहता इन्वेस्मेंट इंटरमीडियोटस लिमिटेड के सहयोग से 3-इन-1 खाता सह ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा शुरू की गई है। आगे, बैंक इस प्रकार की सुविधा अन्य नामी प्रतिभूति विक्रेताओं के सहयोग से प्रादन करने का प्रयास कर रहा है।

अन्य सेवाएँ

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बैंक,पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) के साथ उपस्थिति बिंदु (पीओपी) के रूप में पंजीकृत है । हमारे बैंक की 3481 शाखाएँ उपस्थिति बिंदु-सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी) के रूप में एनपीएस के दायरे के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है ।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

देश के सभी नागरिकों, खासकर गरीब, वंचित वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु 1 जून, 2015 से भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की गई है । एपीवाई को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरजीए) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की समग्र प्रशासनिक एवं संस्थागत ढ़ांचे के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, ग्राहकों की देयता के आधार पर (₹ 1000/-प्रति माह से ₹ 5000/-प्रति माह तक), आपके बैंक के कुल 4012 शाखाओं को एनपीएस लाइट संग्रह केंद्र (एनएलसीसी) के रूप में पंजीकृत किया गया है।

कार्ड कारोबार

ग्लोबल डेबिट कार्ड :

बैंक ने 29.03.2003 को वीजा तथा 22.06.2011 को मास्टर कार्ड (मेस्ट्रो ब्रांड) के सहयोग से ग्लोबल डेबिट कार्ड जारी किया है। बैंक ने एनपीसीआई के समन्वय के साथ वर्ष 2012 से रुपे डेबिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया है। दिनांक 20.10.2012 से बैंक उच्च लेनदेन की सीमावाला वीजा इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड जारी कर रहा है।

वर्ष 2016 के दौरान, बैंक द्वारा एनपीसीआई के सहयोग से नए प्रकार के निम्नलिखित डेबिट कार्ड जारी करने की प्रथा शुरू की है :

- रुपे मुद्रा कार्ड
- रुपे प्लेटिनम कार्ड
- एईपीएस रुपे डेबिट कार्ड (आधार सक्षम)
- वर्ष के दौरान बैंक ने, एनपीसीआई रुपे डेबिट कार्ड को ओटीपी के माध्यम से ई-कॉमर्स लेन-देन करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

बैंक ने दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में 213.76 लाख डेबिट कार्ड जारी किए हैं, जिसमें से दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में 160.37 डेबिट कार्ड सक्रिय हैं।

India (SEBI). The Bank is a Depository Participant of CDSL. This facility enables customers to keep their Capital Market Securities in electronic form. Your Bank provides 3-in-1 account cum on-line trading facility, in collaboration with M/s Asit C Mehta Investment Intermediates Ltd, under the brand name "Synd-e-Trade". Further Bank is also moving for tying up similar facility with better branded security dealers.

Other Services

New Pension System (NPS)

The Bank is registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as Point of Presence (POP) for offering various services under the New Pension System – a scheme introduced by the Government of India for providing old age income security. 3481 branches of your Bank are registered with NSDL for offering various services under the scope of the NPS as Point of Presence – Service Provider (POP-SP).

Atal Pension Yojana (APY)

The Government of India introduced the Atal Pension Yojana (APY), with effect from 1st June, 2015, for creating a universal social security system for all Indians, especially the poor, the under-privileged and the workers in the unorganised sector. APY is being administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) under the overall administrative and institutional architecture of the National Pension System (NPS). 4012 branches of your Bank have been registered as NPS Lite Collection Centers (NLCCs) to offer the services under this scheme to the customers ranging from ₹1,000 per month to ₹5,000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would vary on the age of joining the APY.

CARD BUSINESS

Global Debit Cards:

The Bank launched Global Debit Cards in association with VISA on 29.03.2003 and in association with Master Card (Maestro Brand) on 22.06.2011. In 2012, the Bank started issuing RuPay Debit Cards in association with NPCI. The Bank has been issuing VISA International Gold Debit Cards with higher transaction limits w.e.f 20.10.2012.

During 2016, the Bank has launched the following new variants of Debit Cards in association with NPCI.

- RuPay Mudra Cards
- RuPay Platinum Cards
- AEPS RuPay Debit Cards (Aadhar enabled)
- During the year, we have enabled NPCI's RuPay Debit Cards for e-commerce transactions through OTP

The Bank has issued 213.76 lakhs Debit Cards till 31.03.2018, out of which 160.37 lacs Debit Cards are active as on 31.03.2018.

क्रेडिट कार्ड

बैंक 20.10.2003 से वीजा इंटरनेशनल के सहयोग से गोल्ड और क्लासिक क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहा है, जिनका प्रयोग एटीएम, बिक्री केंद्र टर्मिनल (पीओएस) तथा इंटरनेट में किया जा सकता है। बैंक 31.03.2018 तक कुल 1,46,157 क्रेडिट कार्ड जारी कर चुका है। बैंक ने 04.02.2015 से मेसर्स एटॉस वर्ल्डलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संपूर्ण प्रबंधन कार्य सौंपा है

डेबिट कार्ड के लिए ग्रीन पिन प्रदान करना :

वर्तमान में सिंडिकेटबैंक के एटीएम के द्वारा ग्राहक के पंजीकृत नंबर पर ओटीपी प्रेषित कर डेबिट कार्ड के पिन परिवर्तन हेतु ग्रीन पिन प्रदान करने की सुविधा का विस्तार सक्रिय डेबिट कार्ड को दी जा रही है। नए डेबिट कार्ड के लिए भी यह सुविधा प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र में योग्य परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार की सुविधा से शाखाओं को नए डेबिट कार्ड के लिए पिन बिना किसी भौतिक आपूर्ति के प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया गया है।

बिक्री केंद्र (पीओएस) प्राप्त करना

बैंक ने 02.10.2009 से मर्चेंट एक्वायरिंग कारोबार क्षेत्र में प्रवेश किया है। यह सभी बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल, बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी प्रकार के कार्डों के लिए वीजा/मास्टर /रूपे कार्ड के जरिए विनिर्दिष्ट मानकों तथा ईएमवी एवं पिन आधारित लेन-देनों के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। 31.03.2018 की स्थिति तक बैंक ने कुल 8140 बिक्री केंद्र टर्मिनल स्थापित किए थे जिनमें से 3644 टर्मिनल इस वर्ष के दौरान स्थापित किए गए।

बैंक ने पीओएस से सहबद्ध 2 नए चालू खाता उत्पाद आरंभ किया है। इन चालू खातों में ₹1.00 लाख और ₹ 2.00 लाख के मासिक औसत शेष के बनाए रखने पर ग्राहकों को किराया रहित पीओएस टर्मिनल प्रदान करने की सुविधा है।

जहां व्यापारी द्वारा पीओएस लेनदेन का निपटान नहीं किया जाता है वहाँ बैंक वर्तमान में मौजूद 5 दिनों के बदले 2 दिनों में पीओएस लेनदेन की प्रक्रिया का निपटान कर व्यापारी के खाते में जमा को प्रक्रमित करेगा।

वितरण चैनल

एटीएम नेटवर्क :

बैंक ने दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में 3907 एटीएम एवं 341 बीएनए संचालित किया हैं। आपके बैंक के ग्राहक बीएनए का उपयोग कर अपनी नकद जमाओं को अपने खातों एवं अन्य पक्षकारों के खातों में जमा कर सकते हैं।

इन्टरनेट बैंकिंग :

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के 13.11 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग में आरटीजीएस विकल्प का उपयोग कर निधियों के अंतरण, ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर एटीएम की आहरण सीमा एवं डेबिट कार्ड क्रय की लेनदेन सीमा को कम करना तथा मोबाइल बैंकिंग का पिन बदलना आदि जैसी नई सेवाएँ जोड़ी हैं। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध कराया गया है।

Credit Card:

Bank, in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards which can be used at ATMs, Point-of Sale Terminals (POS) and Internet, w.e.f 20.10.2003. Bank has issued 1,46,157 credit cards till 31.03.2018. Bank has entrusted end-to-end management of Credit Card services through M/s Atos Worldline India Pvt Ltd since 04.02.2015.

Green PIN Implementation for Debit Cards:

The Green PIN facility for resetting the Debit Card PINs in SyndicateBank's ATMs through OTP delivery on customer's registered mobile numbers is presently extended to active debit cards. The Debit Card Issuance Application is customized to extend this facility for new Debit Cards also. With this customization, Branches are enabled to issue new Debit Cards without physical delivery of PINs.

Point of Sale (POS) Acquiring:

Bank ventured into the Merchant Acquiring business on 02.10.2009. All its POS terminals do comply with VISA / Master Card / RuPay specified standards and are fully compliant to handle EMV and PIN based transactions for all types of Cards issued by Banks. As on 31.03.2018, Bank had installed 8140 POS Terminals in total, out of which 3,644 terminals were installed during the year.

Bank launched 2 new current account products linked to POS terminals. The features are devised to give rent free POS terminals based on the Monthly Average Balance (MAB) maintenance of ₹1.00 lakh and ₹2.00 lakhs in the current accounts.

The force settlement to process the POS transactions wherever the merchant does not settle the transactions in the terminal is reduced to 2 days from the existing 5 days and credit processed to the Merchant accounts

Delivery Channels

ATM Network

Bank has operationalised 3907 ATMs and 341 BNAs as on 31.03.2018. Your Bank customers can deposit cash into their accounts or third party accounts in Bank using BNAs.

Internet Banking

Bank's Internet Banking has 13.11 Lakhs registered users as on 31.03.2018. Bank has added new features like transfer of funds using RTGS option in Internet Banking, reduction of ATM card withdrawal limit through online, reduction in Debit Card purchase transaction limit through online and Mobile Banking PIN reset. Hindi version of Internet Banking site is also made available.

मोबाइल बैंकिंग :

बैंक का मोबाइल एप्लिकेशन काफी प्रचलित हो रहा है तथा दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में 14.98 लाख उपयोगकर्ता हैं। मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन सिंड स्वयं के माध्यम से बचत खाता एवं ऋण के आवेदन के लिए लिंक के साथ उपलब्ध करायी गई है। यह सुविधा हमारे बैंक के खाताधारकों के अलावा अन्य खाताधारकों द्वारा भी हमारी मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

एसएमएस बैंकिंग :

खाताधारकों को अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य एसएमएस प्रेषित किए जाते हैं। अनिवार्य एसएमएस शुल्क रहित है तथा गैर अनिवार्य एसएमएस के लिए शुल्क लिया जाता है। बैंक के पंजीकृत एसएमएस बैंकिंग के उपयोगकर्ता 73.05 लाख हैं।

मिस्ड कॉल बैंकिंग :

जो ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से निर्दिष्ट नंबर 9210332255 पर मिस्ड कॉल कर अपने खाते के शेष संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात् विशिष्ट नंबर पर मिस्ड काल देने पर ग्राहक अपने खाते का शेष जान सकते हैं ।दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में हमारे बैंक के मिस्ड कॉल बैंकिंग के पंजीकृत उपयोगकर्ता 2.61 लाख हैं।

सिंड यूपीआई

सिंड यूपीआई (यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस) एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो खाताधारकों को आसान, सरल और त्वरित लेनदेन हेतु समर्थ करता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या आधार संख्या अथवा खाता संख्या और आईएफएससी कोड का उपयोग कर सीधे एक बैंक से दूसरे बैंक में तत्काल भुगतान किया जा सकता है। बैंक में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति तक 64159 उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं।

भारत क्यू आर :

जिन खाताधारकों ने अपने मोबाइल संख्या का पंजीयन बैंक में कराया है एवं जिनके पास डेबिट कार्ड (अभी की स्थिति में रुपे कार्ड) है, वे भारत क्यू आर के माध्यम से व्यापार केन्द्रों में भुगतान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भारत क्यू आर व्यापारियों को डिजिटली रूप में बिना पीओएस मशीन के भुगतान प्राप्त करने में समर्थ करता है। ग्राहक यह एप्लिकेशन अपने स्मार्टफोन में खोलकर व्यापार केन्द्रों में उपलब्ध भारत क्यू आर को स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। भारत क्यू आर कोड के उपयोगकर्ताओं की संख्या 2404 हैं।

उत्पाद नवोन्मेषण एवं कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)

बैंक की उत्पाद नवोन्मेषण तथा कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास गतिविधियों के लिए बैंक में उत्पाद नवोन्मेष तथा बीपीआर विभाग कार्यरत है।

उत्पाद नवोन्मेषण

नई पीढ़ी सहित सभी ग्राहकों की वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य समयानुकूल उत्पादों का निर्माण करने व सेवाओं को प्रदान करने के लिए

Mobile Banking

Bank's Mobile Banking application is becoming more popular and is having a registered user base of 14.98 Lakhs as on 31.03.2018. Mobile Banking application is provided with links to open SB account through Synd Swayam and to apply loans. These facilities can be accessed by a non-customer also after downloading our Mobile Banking app.

SMS Banking

Mandatory and non-mandatory SMSs are sent to customers. Mandatory SMSs are not chargeable whereas non-mandatory SMSs are chargeable. The registered SMS Banking users are 73.05 Lakhs.

Missed Call Banking

Customers who wish to avail this facility may register their mobile number by sending specified text message from his registered mobile number to Bank's Missed call number 9210332255.

After successful registration, customer can get balance alert for their account by giving missed call to the specified number. Missed call Banking registered users as on 31.03.2018 is 2.61 Lakhs.

Synd UPI

Synd UPI is a Mobile Application that facilitates customers to make simple, easy and quick payment transactions using Unified Payments Interface (UPI). Direct bank to bank payments can be made instantly using Virtual Payment Address or Aadhaar Number or Account Number and IFSC. The number of registrations with Bank is 64,159 as on 31.03.2018.

Bharat QR

Customers who have registered their mobile numbers with Bank and having Debit Cards (RuPay cards as of now) can avail the facility of making payment at merchant locations through Bharat QR. Bharat QR allows merchants to receive payments digitally without the use of Point-Of-Sale machines. Customers can open the app installed in their Smart Phones, scan the Bharat QR Code available at merchant location to make the payment. Number of users for Bharat QR Code is 2404.

PRODUCT INNOVATION & BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

Bank has Product Innovation and BPR department to carry out Digital Banking, product innovation and business process re-engineering activities of the Bank.

Product Innovation

In order to cater to individual needs of all customers, including dominant Gen-Y customers, Bank has leveraged

बैंक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने सिंड सुप्रीम एवं मल्टी करेंसी को-ब्रैंडेड फॉरेक्स प्री-पेयड़ कार्ड जैसे विभिन्न नवोन्मेषी उत्पादों को प्रवर्तित किया है।

अनन्या परियोजना

बैंक ने कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास के तहत नई पहल अनन्या परियोजना का आरंभ किया है। इस परियोजना के चार मुख्य स्तम्भ निम्नलिखित हैं :

- कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)
- डिजिटल बैंकिंग
- विक्रय एवं ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)
- मानव संसाधन विकास

1. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास :

प्रक्रियाओं का व्यवस्थितिकरण एवं केन्द्रीकरण निजी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की शाखाओं का कार्यभार कम करने में सफल साबित हुआ है। जिससे शाखाएँ अपने कारोबार एवं ग्राहक सेवा पर ध्यान केन्द्रित करें। बैंक ने अपने केन्द्रीय बैक-ऑफिस के माध्यम से केंद्रीय प्रसंस्करण द्वारा नियमित प्रक्रिया जैसे बचत खाता खोलना, खुदरा ऋण प्रसंस्करण, एसएमई ऋण प्रसंस्करण आदि को सुव्यवस्थित किया है।

शाखा रूपांतरण

शाखा रूपांतरण का उद्देश्य नई पीढ़ी के बैंक की तरह शाखाओं के परिवेश को सुनिश्चित करना, ग्राहक सुविधा, डिजिटल सेवाएँ और उत्पादकता बढ़ाना है। तदनुसार दिनांक 31.03.2018 की स्थिति तक कुल 600 शाखाओं को अनन्या शाखा के रूप में रूपांतरित किया गया है एवं दिनांक 30 सितंबर 2018 तक 200 अन्य शाखाओं को अनन्या शाखा के रूप में रूपांतरित कर अनन्या शाखाओं की कुल संख्या को 800 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र (एनपीसी)

राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र, मणिपाल द्वारा खाता खोलने की प्रक्रिया को पूरे भारत में **1029** शाखाओं में क्रियान्वित किया गया है। बैंक का लक्ष्य एनपीसी मणिपाल के अतिरिक्त भुवनेश्वर और दिल्ली में दो प्रसंस्करण केंद्र खोलकर दिनांक **3**0 जून **2018** तक सभी शाखाओं को इस प्रक्रिया से संबद्ध करने का है। एनपीसी म णिपाल में उसकी स्थापना से एक लाख पचास हजार से अधिक खातों को सक्रिय किया गया है।

खुदरा एवं एमएसएमई ऋण केंद्र (आरएमएलसी)

बैंक ने दिनांक 31.03.2018 की स्थिति तक ₹10 लाख एवं अधिक के एम एसएमई प्रस्तावों एवं सभी बंधक आधारित खुदरा ऋणों के प्रसंस्करण के लिए 27 संभाव्य केन्द्रों में खुदरा एवं एमएसएमई ऋण केंद्र (आरएमएलसी) की स्थापना की है। इस केंद्र का कार्य विशेष तौर से प्रलेखीकरण प्रसंस्करण के बैकएंड कार्य को सरल करना, ऋणों के एक समान प्रसंस्करण और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ साथ समयावधि को कम करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ के माध्यम से वितरण एवं अनुवर्तन करना है। इससे शाखाएँ ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, एक बिक्री एजेंट के रूप में कार्य कर सकेंगी। बैंक अन्य संभाव्य केन्द्रों में इस प्रकार के आरएमएलसी स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

its Technology to create need of the hour products and services. During the year, Bank has introduced innovative products viz, Synd Supreme and Multi-Currency Co-branded Forex Pre-paid Cards.

Project Ananya:

The Bank has embarked into Business Process Re-engineering under the brand name Project Ananya. The four broad pillars of the project are:

- Business Process Re-engineering (BPR)
- Digital Banking
- Sales & Customer Relationship Management (CRM)
- Human Resource Development

1. Business Processes Re-engineering:

Process streamlining and centralization has been proven among private and public banking peers to be an important lever to help reduce branch work load, so as to enable the branches to focus on sales and customer service. Bank has streamlined regular processes like SB Account opening, retail loan processing, SME loan processing by centralizing processes through central back-offices.

Branch Transformation

This pillar also aims to achieve branch transformation, ensuring focus on branch ambience as a new-age Bank, customer convenience, digital services and increased productivity. Accordingly, a total of 600 branches have been transformed as Ananya Branches across India as on 31.03.2018 and another 200 branches are targeted to be transformed by 30th September, 2018 taking the total to 800 Ananya Branches.

National Processing Centre (NPC)

The process of instant account opening activity through National Processing Centre, Manipal is extended to 1029 branches pan India. It is envisaged to link all the Branches by 30th June 2018 by expanding the NPC at Manipal and opening two more centres at Bhubaneswar and Delhi. More than one lakh fifty thousand accounts are activated since establishment of NPC at Manipal.

Retail and MSME Loan Center (RMLC)

Bank has setup Retail & MSME Loan Centers (RMLC) in 27 potential centers as on 31.03.2018 for processing of all mortgage based Retail loans and MSME proposals of ₹10 lakhs and above. The setup is designed to smoothen the backend office work of processing, sanctioning, documentation, releases and follow-up through well trained staff to reduce the TAT as well as to ensure quality and uniform processing of loans. Branches will be free to act as selling agents with focused approach. Bank is in the process of identifying such RMLCs in other potential centers.

संपर्क केंद्र

बैंक के हैदराबाद एवं मोहाली स्थित संपर्क केन्द्र बाह्य कॉल गतिविधियाँ करने के साथ साथ अपने ग्राहकों एवं अन्य नागरिकों को 24 घंटे अर्हनिश सेवाएँ प्रदान करना शुरु किया है।

2. डिजिटल बैंकिंग

ग्राहकों की ज़िंदगी में डिजिटल वस्तुओं के बढ़ते अस्तित्व और बैंकिंग सेवा में डिजिटलीकरण के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मद्देनज़र डिजिटल बैंकिंग चैनलों का विकास और ग्राहकों द्वारा उसे अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, अनन्या परियोजना का एक मुख्य स्तम्भ है। साथ ही, बैंक के मौजूदा डिजिटल चैनलों जैसे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग की विशिष्टताओं को बढ़ाने, मौजूदा प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने और मौजूदा एवं नए ग्राहकों द्वारा उसे पूर्ण रूप से अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल चैनलों को अपनाने हेतु अनन्या शाखाओं में स्वतः सेवा मशीन जैसे एटीएम, नकद जमा मशीन एवं पासबुक अद्यतन मशीनों आदि से लैस डिजि जोन की स्थापना की जा रही है। हम अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन खाता खोलने एवं ऑनलाइन ऋण आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

3. बिक्री एवं सीआरएम

अनन्या परियोजना का उद्देश्य बिक्री एवं सीआरएम को एक संपूर्ण प्रक्रिया –संभाव्य ग्राहकों के चयन से लेकर उसके परिवर्तन तक, के रूप में व्यवस्थित करना है। इस संबंध में व्यापक कारोबार (लीड) प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक ऐप बनाया गया है जो बिक्री और विपणन की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बैंक लक्षित विपणना को हासिल करने के लिए अपने पास मौजूद डाटा का विनियोग बृहद डाटा विश्लेषण के लिए करता है। इस लक्ष्य को हासिल करने और इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, यह परियोजना बैंक के विपणन संसाधनों को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास करता है।

4. मानव संसाधन विकास

इसके अंतर्गत संगठनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप सर्वस्तरीय परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को सर्वदा अभिप्रेरित और नियोजित रखने के लिए संगठन को प्रतिभा आधारित संगठन के रूप उभरने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए संगठनात्म क पुनर्संरचना की जाती है। इस माड्यूल के अंतर्गत बैंक की कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली, प्रशिक्षण संरचना और कर्मचारी उत्पादकता व क्षमता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है। कर्मचारियों का प्रोत्साहितकर यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे सर्वोत्तम संस्था में काम कर रहे हैं।

समितियों का दौरा वर्ष 2017-18

1) 15 से 22 अप्रैल तक जामनगर, मुंबई एवं भुवनेश्वर में "अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति" का निरीक्षण। विषय- आरबीआई (वाणिज्यिक बैंकों एवं चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं उसकी रिपोर्टिंग) दिशानिर्देश, 2016 तथा नए मूल्य वर्ग के जाली नोटों की पहचान और जब्त करना एवं बैंकिंग प्रणाली/ अर्थव्यवस्था में उनकी पुनः प्रविष्टि का रोकना। दि. 16.04.2017, 19.04.2017 एवं 20.04.2017 को क्रमशः जामनगर, मुंबई एवं भुवनेश्वर में संपन्न इस समीति की बैठक ने बैंक ने सहभागिता की।

Contact Centre

Contact Centres at Hyderabad and Mohali have started providing a 24 hour in-bound services for the customers and public, apart from out-bound call activity.

2. Digital Banking

With the advent of heavy digitization in the life of customers, as well as the significant digital push by the Government in banking, improving our digital banking channels and driving adoption among customers is prime pillar of project Ananya. It aims to improve features of existing digital channels viz internet banking, mobile banking, simplified on-boarding process and drive for better adoption among existing and new customers. Equipped Ananya branches with Digi Zones powered by self-service machines such as ATM, Bunch Note Acceptor (BNA) and Passbook update Machines for adoption of digital channels. We have also provided Online Saving Account opening and Online Loan application request for the convenience of the customers.

3. Sales & CRM

Project Ananya aims to streamline Sales and CRM as an end to end process- from targeting potential customers to final conversion. An App is developed for comprehensive Lead Management System which would facilitate sales and marketing. Further Bank data is used to drive Big Data Analytics to achieve targeted marketing. In order to achieve all this, and ensure sustainability, the project also aims to strengthen and focus on the marketing resources.

4. Human Resource Development

Organizational restructuring to ensure a top to bottom alignment with organizational objective, while paving the path for a meritocracy based organization, keeping employees motivated and engaged. This module also aims to address the Bank's performance management system, Training structure and employee efficiency and productivity. To give confidence to employees by motivating them so that they feel your bank is the best Bank to work with.

COMMITTEES VISITED DURING THE YEAR 2017-18

1. *Parliamentary Committee on Subordinate Legislation* to Jamnagar, Mumbai, & Bhubaneswar from 15th to 22nd April. Subject- RBI (Frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs) Directions, 2016 and detection, Confiscation and prevention of counterfeit notes of the new denominations re-entering the banking system/economy. Our bank had attended the Meeting at Jamnagar on 16.04.2017, Mumbai on 19.04.2017 and at Bhubaneshwar on 20.04.2017.

2) 5 से 13 मई, 2017 तक ऊटी एवं कोयंबत्तूर में "सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति" का दौरा । विषय - सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के एटीएम प्रणाली पर साइबर-अटैक के संबंध में दि. 22.11.2016 को जारी यूएसक्यू सं. 727 एवं बैंक के ग्राहकों की सुरक्षा पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के संबंध में दिनांक 29.11.2016 को जारी यूएसक्यू सं.1516। दि. 12.05.2017 को कोयंबत्तूर में संपन्न समिति की बैठक में हमारे बैंक ने सहभागिता की।

3) 2 से 9 मई, 2017 तक नैनीताल में "संसदीय राजभाषा समिति" का दौरा। विषय - राजभाषा कार्यान्वयन। दि.08.05.2017 को नैनीताल में संपन्न समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की।

4) 11-16 मई 2017 तक मुंबई, पुणे और कोच्चि में "वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति" का दौरा । विषय - भारत में बैंकिंग क्षेत्र - चुनौतियाँ एवं भविष्य, वित्तीय समावेशन - योजनाएँ, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ, डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर रूपांतरण । 15.05.2017 को कोच्चि में संपन्न समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की।

5) 30 मई से 02 जून 2017 तक कोच्चि एवं मूनार में "याचिका संबंधी संसदीय समिति" का दौरा । विषय - सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में एनपीए में हो रही क्रमिक वृद्धि की जांच की याचिका पर चर्चा। दि. 01.06.2017 को मुन्नार में संपन्न समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की (हमारा बैंक नोडल एजेंसी रहा)।

6) 06 जून से 11 जून 2017 तक बेंगलूरु, चेन्नई, कोच्चि एवं मुन्नार में "शहरी विकास संबंधी संसदीय समिति" का दौरा । विषय - शहरी विकास । दि.06.06.2017 को संपन्न समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की।

7) 21 से 26 जून, 2017 तक विजयवाड़ा, चेन्नई एवं कोलकाता में "अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति" का दौरा । विषय - भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र - बैंकों के लिए जारी परिचालनगत दिशानिर्देश दिनांक 01 जुलाई 2016 तथा आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल राज्य में विमुद्रीकरण के पश्चात नए मूल्य वर्ग के जाली नोटों को पहचानना एवं रोकना व जब्त करना। दि. 22.06.2017, दि. 23.06.2017 एवं 25.06.2017 को क्रमशः विजयवाड़ा, चेन्नई एवं कोलकाता में संपन्न समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की।

8) 27 अगस्त से 01 सितंबर, 2017 तक भुबनेश्वर एवं हैदराबाद में "सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति" का दौरा । विषय - सार्वजनिक बैंकों की ऋण स्वीकृति में पाई जाने वाली अनियमितता पर दि. 21.03.2017 को जारी यूएसक्यू सं. 2175 से उत्पन्न आश्वासन के संबंध में दि. 01.09.2017 को हैदराबाद में संपन्न इस समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की।

9) 27 अगस्त से 2 सितंबर, 2017 तक हैदराबाद, जयपुर एवं लखनऊ में "अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति" का दौरा । विषय - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग(एमएसएमई) क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश- दिशानिर्देश-2017; दबावग्रस्त आस्तियों के धारणीय ढांचे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की योजना, विभिन्न वर्गों में एनपीए की वृद्धि के कारण बैंकों को हो रही समस्याएँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और तेलंगाना राज्य में राज्य में विमुद्रीकरण के पश्चात पाए गए नए मूल्य वर्ग के जाली नोटों को पहचानना एवं रोकना व जब्त करना। दि. 28.08.2017 एवं 30.08.2017 को क्रमशः हैदराबाद एवं जयपुर में संपन्न समिति की बैठक (हैदराबाद में हमारा बैंक नोडल बैंक रहा) में बैंक ने सहभागिता की।

2. *Parliamentary Committee on Government Assurances* visited Ooty & Coimbatore from 5th–13th May 2017. Subject - USQ No.727 dated 22.11.2016 regarding Cyber attack on ATM System of Public and Private Banks and USQ 1516 dated 29.11.2016 regarding RBI guidelines on safety of Bank customers. Our bank had attended the meeting at Coimbatore on 12.05.2017.

3. *Parliamentary Committee on Official Language* visited to Nainital from 2nd - 9th May 2017. Subject - Implementation of Official Language. Our Bank had attended meeting at Nainital on 8.5.2017.

4. *Parliamentary Standing Committee on finance* visited Mumbai, Pune & Kochi from 11th – 16th May 2017. Subject-Banking sector in India – challenges and way forward. Financial Inclusion-schemes, targets and achievements. Transformation towards a digital economy. Our Bank had attended the meeting at Kochi on 15.5.2017.

5. *Parliamentary Committee on Petition* visited Kochi & Munnar from 30th May to 02nd June, 2017. Subject – Petition praying to check sudden surge in NPAs in Public Sector Banks. Our Bank had attended meeting at Munnar on 1.6.2017. (Our Bank was Nodal Agency).

6. *Parliamentary Committee on Urban Development* visited Bengaluru, Chennai, Kochi & Munnar from 06th – 11th June 2017. Subject – Urban Development. Our Bank had attended meeting at Bangalore on 6.6.2017. (Our Bank was Nodal Agency).

7. *Parliamentary Committee on Subordinate Legislation* to Vijayawada, Chennai, & Kolkata from 21st to 26th June 2017. Subject – Reserve Bank of India Master circular on Mobile Banking Transaction in India – Operative guidelines for Banks dated 1st July 2016 & Detection, confiscation and prevention of counterfeit notes in new currency post demonetization in the states of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal. Our Bank had attended the meeting at Vijayawada on 22.6.2017, Chennai on 23.6.2017 and at Kolkatta on 25.06.2017.

8. *Parliamentary Committee on Government Assurances* visited Bhubaneshwar & Hyderabad from 27th Aug– 1st Sep 2017. Subject - In connection with the Assurance arising from USQ No. 2175 dated 21.03.17 regarding irregularities in sanctioning loans by PSBs. Our Bank had attended meeting at Hyderabad on 1.9.2017.

9. *Parliamentary Committee on Subordinate Legislation* to Hyderabad, Jaipur & Lucknow from 27th to 02nd Sept 2017. Subject - Master direction-RBI {Lending to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) sector}-Directions 2017; RBI scheme for sustainable structuring of stressed Assets, problems faced by Banks due to rising NPA of different categories; Detection, confiscation and prevention of counterfeit notes in new currency post demonetisation in the states of Uttar Pradesh, Rajasthan & Telangana. Our bank had attended meeting at Hyderabad on 28.8.2017 (Our Bank was Nodal Agency), and on 30.8.2017 at Jaipur.

10) दिनांक 10 से 17 अक्टूबर 2017 तक दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, तिरुश्शूर, अगत्ती और कवरत्ती में ''संसदीय राजभाषा समिति'' का दौरा । दिनांक 14.10.2017 को कवरत्ती में संपन्न इस समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की।

11) 04 से 09 नवंबर, 2017 तक बेंगलूरु, विशाखपट्टनम एवं मुंबई में ''अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति'' का दौरा । विषय – स्टैंड अप इंडिया योजना, कर्नाटक राज्य में नए मूल्य वर्ग के जाली नोटों को रोकने एवं पहचान पर जब्त करने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश – प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र – लक्ष्य एवं वर्गीकरण तथा आंध्रप्रदेश और कर्नाटक राज्यों में नए मूल्य वर्ग के जाली नोटों को रोकने एवं पहचान पर जब्त करना । दि. 04.11.2017, 06.11.2017 एवं 08.11.2017 को क्रमशः बेंगलूरु, विशाखपट्टनम एवं मुंबई में संपन्न इस समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की।

12) दिनांक 14 से 19 जनवरी 2018 तक सूरत, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलूरु में वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति" का दौरा । विषय – भारतीय उद्योग पर चीन की सस्ती उपभोक्ता सामग्री का प्रभाव । दि.19.01.2018 में बेंगलूरु में संपन्न इस समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की ।

13) दिनांक 15 से 19 जनवरी 2018 तक बेंगलूरु, तिरुपति और चेन्नई में उद्योग संबंधी संसदीय समिति" का दौरा । विषय – ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के कार्यान्वयन में समस्याएँ । दिनांक 16.01.2018 को बेंगलूरु में संपन्न इस समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की ।

14) दिनांक 23 से 24 जनवरी 2018 तक अहमदाबाद और बेंगलुरु में श्रम संबंधी संसदीय समिति" का दौरा । विषय– मजदूरी विधेयक 2017 संबंधी संहिता पर सलाह/समीक्षा तथा सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रक कार्यालयों/संस्थानों में स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए संविदा/दैनिक/सफाई कर्मचारियों की तैनाती । दिनांक 24 जनवरी, 2018 को संपन्न इस समिति की बैठक में बैंक ने सहभागिता की । (यहाँ हमारा बैक नोड़ल एजेंसी रहा)

अनुपालन नीति

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति में स्पष्ट किया गया है कि आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ-साथ अनुपालन कार्य, अभिशासन का एक अभिन्न अंग है। अनुपालन विभाग का नेतृत्व मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा किया जाता हैं, जो बैंक के अनुपालन संबंधी कार्यों को देखते हैं और शीर्ष प्रबंधन को जोखिम अनुपालन के प्रबंधन में सहायता करते हैं।

उच्च अनुपालन मानक हेतु बैंक की वचनबद्धता को सुचारू बनाए रखने के साथ-साथ सुधार लाने के लिए अनुपालन प्रकार्य की नियमित समीक्षा की जाती है। अनुपालन नीति की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है और अर्जित अनुभव एवं उपयोगिता के आधार पर अपेक्षित संशोधन किया जाता है।

10. *Parliamentary Committee on Official Language* visited Delhi, Mumbai, Kochi, Thrissur, Agatti & Kavrati from 10th – 17th Oct 2017. Our bank had attended meeting at Kavaratti on 14.10.2017.

11. *Parliamentary Committee on Subordinate Legislation* to Bengaluru, Vishakhapatnam and Mumbai from 04th to 09th Nov 2017. Subject - Stand Up India Scheme; RBI Master circular on Detection and Impounding Counterfeit Notes; and detection, confiscation and prevention of counterfeit notes of the new currency in the state of Karnataka. RBI Master Direction – Priority Sector Lending – Targets and classification, RBI Master circular on Detection and Impounding Counterfeit Notes; and detection, confiscation and prevention of counterfeit notes of the new currency in the state of Karnataka and Andhra Pradesh. Our Bank had attended the meeting at Bangalore on 4.11.2017, Vishakhapatnam on 6.11.2017 and Mumbai on 8.11.2017.

12. *Parliamentary Committee on Commerce* to Surat, Mumbai, Hyderabad & Bengaluru from 14th to 19th January 2018. Subject - Impact of cheap Chinese consumer goods on Indian Industry. Our Bank had attended the Meeting at Bengaluru on 19.1.2018.

13. *Parliamentary Committee on Industry* to Bengaluru, Tirupathi & Chennai from 15th – 19th January 2018. Subject – Issue in implementation of Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS). Our Bank had attended the meeting at Bengaluru on 16.1.2018.

14. *Parliamentary Committee on Labour* to Ahmedabad & Bengaluru 23rd to 24th January 2018. Subject – Suggestions/views on the 'Code on Wages Bill 2017' and 'Deployment of Contract/Casual/Sanitation workers for Perennial nature of jobs in Government/PSU offices/Establishments. Our Bank had attended the meeting on 24th January 2018. (Our Bank was Nodal Agency).

COMPLIANCE POLICY

Compliance policy approved by the Board of Directors of the Bank articulates that the compliance function is an integral part of governance along with the internal control and risk management process. The compliance department headed by a Chief Compliance Officer. He oversees the compliance functions in the Bank and assists the top management in managing the compliance risk.

Continuing with the Bank's commitment to high compliance standards, compliance function is reviewed regularly for making improvements. The compliance policy is reviewed every year and amendments, if necessary, are carried out based on the experience gained and utility aspect.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक द्वारा अक्तूबर 2005 से इस अधिनियम के संगत प्रावधानों का कार्यान्वयन किया गया है। अधिनियम के तहत निर्धारित बैंक संबंधी सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपीलीय प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) एवं वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) पदनामित किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने 22 अपीलीय प्राधिकारियों, 87 जनसूचना अधिकारियों, 98 वैकल्पिक जनसूचना अधिकारियों एवं एक पारदर्शिता अधिकारी को आरटीआई मामलों के सही ढंग से संचालन के लिए नामोदिष्ट किया है।

संसदीय समिति के निदेशों के अनुसार, बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया है जो आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान समिति ने बैंक में आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की है। बैंक ने आरटीआई मामले संभालनेवाले अपीलीय प्राधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों/वैकल्पिक जन सूचना अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक के इंट्रानेट पर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल प्रारंभ किया है। पीएसयू/सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ हमारा बैंक भी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। बैंक के पीआईओ/एफएए, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के जरिए प्राप्त आवेदनों/अपीलों का भी निपटान करते हैं। वर्ष के दौरान, बैंक को 3121 आरटीआई आवेदन तथा 429 प्रथम अपील प्राप्त हुई। बैंक ने निर्धारित समय के भीतर सभी आवेदनों एवं अपीलों का निपटान किया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

प्रधान कार्यालय, मणिपाल, कर्नाटक में बैंक का निरीक्षण विभाग कार्यरत है जो बैंक के दैनिक क्रियाकलापों से स्वतंत्र है और बैंक की प्रणालियों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की जाँच करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक का निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) तथा कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) जो बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा होते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों पर नजर रखती है और बैंक में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के विकास हेतु मार्गदर्शन देती है। यह कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) और बैंक के निरीक्षण विभाग के कार्यों की भी निगरानी करती है।

एसीई की अध्यक्षता लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है और प्रधान कार्यालय व कॉरपोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक इसके सदस्य होते हैं तथा यह लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के स्तर से ऊपर की समिति है। बैंक के अन्य कार्यपालक निदेशक को भी इस बैठक में आमंत्रित किया जाता है। समिति एसीबी के समक्ष रखे गए सभी टिप्पणों की समीक्षा करती है एवं लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मुख्य प्रेक्षणों के अनुपालन की निगरानी करती

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

Your Bank has implemented the relevant provisions of the act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the act is displayed on the Bank's website.

The Appellate Authorities for the Bank under the act and the Public Information Officers (PIOs) and Alternate Public Information Officers (APIOs) at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the roles and responsibilities at different levels under the act. During the year the Bank has designated 22 Appellate Authorities, 87 PIOs and 98 Alternate PIOs and one transparency officer for smooth functioning of RTI matters.

As directed by the Parliamentary Committee, the Bank has constituted a monitoring committee at apex level to oversee the implementation of the RTI Act. During the year, the committee has reviewed the effectiveness of implementation of the RTI act in the Bank. The Bank has started online RTI portal on Bank's intranet for assisting Appellate Authorities/ PIOs/Alternate PIOs and Nodal officers handling RTI matters. Bank is also linked to the online RTI portal along with other PSUs/Public Authorities. The PIOs/FAAs of the Bank are receiving and replying to applications/ appeals through online RTI portal also. The bank has received 3,121 No. of RTI applications and 429 first appeals in the year. During the year, the Bank has disposed of all the applications and all appeals received, within the stipulated time.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has an Audit and Inspection Department, which is independent of everyday activities of the Bank located at Head Office, Manipal, Karnataka that examines the adherence to systems, procedures, and policies of the Bank. The guidelines received on internal control from RBI, GoI, Bank's Board, Audit Committee of the Board (ACB) and Audit Committee of Executives (ACE) constitutes part of the internal control system for better Risk Management.

Audit Committee of the Board (ACB) oversees the internal audit function of the Bank and guides the Bank in developing effective internal control systems. It also monitors the functioning of the Audit Committee of Executives (ACE) and Audit and Inspection Department of the Bank.

The ACE, comprising of the Executive Director in charge of the Audit & Inspection Department as Chairman and the General Managers of Head Office & Corporate Office as members is a layer above the Audit and Inspection Department. The other Executive Director also participates in the meeting as invitee. The committee reviews all the notes to be placed before the ACB and monitors

है तथा उत्तम जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रक्रियात्मक सुधार, नीतिगत परिवर्तनों, पाई गई कमियों के संशोधन के लिए निर्देश देती है।

नीतियों, प्रक्रियाओं एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुपालन की जाँच करते हुए शाखाओं तथा कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के लेखा-परीक्षणों को अंजाम देने के लिए आठ आंचलिक निरीक्षण केंद्र (जेडआइसी), लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग की मदद करते हैं।

बैंक के पास बोर्ड अनुमोदित पूर्ण परिभाषित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति उपलब्ध है जिसके तहत जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, विशेष लेखापरीक्षा, अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण (केवाईसी/एएमएल) अनुपालन, परोक्ष निगरानी, आंतरिक लेखापरीक्षा, आय स्राव की पहचान, में सहायता हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध करना, प्रापण लेखापरीक्षा आदि आते हैं। वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा/अद्यतन की जाती है।

आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहला बैंक है, जिसने सॉफ्टवेयर आधारित आरबीआईए क्रियान्वित किया है। 01.07.2014 से बैंक ने सॉफ्टवेयर आधारित संगामी लेखापरीक्षा को भी क्रियान्वित किया है। संगामी लेखापरीक्षकों/शाखाओं से प्राप्त फीड बैक के आधार पर, बैंक ने संगामी लेखापरीक्षा सॉफ्टवेयर का पुन: निरीक्षण करके अधिक प्रयोक्तानुकूल विशेषताओं के साथ उसका पुनरोत्थान किया है। बैंक ने मौजूदा सॉफ्टवेयर के नए संस्करण में उन्नयन किया है जो शाखाओं/कार्यालयों के जोखिम रेटिंग में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने में अत्यधिक कारगर सिद्ध होगा। इस प्रकार जोखिम निर्धारण के आधार पर अनुपालन की दृष्टि से शाखाओं की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।

सभी शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के साथ उच्च जोखिम क्षेत्र; जैसे: विशिष्ट शाखाएँ, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग, विदेशी विनिमय संसाधन केंद्र (एफएक्सपीसी), निधि एवं निवेश प्रबंधन प्रभाग, पूँजी बाज़ार सेवाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कार्ड सेंटर तथा उच्च प्रमात्रावाली कारोबारी शाखाएँ आदि की संगामी लेखापरीक्षा को जोड़ा गया है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (एएपी) को आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुरूप बनाया गया है जिसमें वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योजना की अनुसूची और सिद्धांत शामिल हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, निरीक्षण विभाग ने कुल 3548 लेखापरीक्षा पूर्ण कर ली हैं, जिनमें 2908 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, 488 अनुपालन लेखापरीक्षा, और 1052 ऋण लेखापरीक्षा शामिल हैं।

इसी प्रकार लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा सभी क्षेत्रीय एवं आंचलिक कार्यालयों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए), कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रधान कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालय के सभी संचालित विभागों की वार्षिक प्रबंधन लेखापरीक्षा तथा 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की द्विवर्षीय प्रबंधन लेखापरीक्षा की जाती है। बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रधान कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालय के सभी संचालित विभागों की प्रबंधन लेखापरीक्षा का कार्य संपन्न किया है।

the compliances of the major audit observations and gives directions for rectification of the deficiencies, policy changes, procedural improvements in internal control system for better Risk management.

Eight Zonal Inspection Centres (ZICs) operate as extended arms of the Audit and Inspection Department (A&ID) to carry out various types of audits of the branches and offices to examine adherence to systems of internal control, procedures and policies.

The Bank has a well-defined, Board approved Comprehensive Internal Audit Policy (CIAP) covering RBIA, Information System Audit, Concurrent Audit, Credit Audit, Compliance Audit, Special Audit, Know Your Customer/ Anti Money Laundering (KYC / AML) Compliances, Offsite Monitoring, Empanelment of Retired Officers for assisting in internal audit, detecting seepage of income, procurement Audit etc. The policy is being reviewed/updated on annual basis.

Your Bank is the first Bank to implement software driven RBIA among all Public Sector Banks. Bank has also implemented the software driven concurrent audit w.e.f. 01.07.2014. Based on the feedback received from the concurrent auditors/branches, Bank revisited the Concurrent Audit software and revamped it by introducing more user friendly features. Bank has upgraded the existing software module to a new version which will ensure more objective risk rating of branches/ offices, so that special attention can be given to monitoring of branches from compliance angle, based on risk assessment.

The Risk Based Internal Audit (RBIA) of all the branches is supplemented with concurrent audit of branches having high volume business with special reference to Advances, high risk areas like specialized branches, Treasury & International Banking Division, Foreign Exchange Processing Centres (FXPC), Funds and Investment Management Division, Capital Market Services, Dept. of Information Technology and Card Centre.

The Annual Audit Plan (AAP), drawn in accordance with the Internal Audit Policy involves the schedule & rationale of the audits planned for the year. For the year 2017-18, Inspection Department has completed 3,548 audits consisting of 2,908 RBIA, 488 Compliance Audit and 1,052 Credit Audit.

Similarly, RBIA of all ROs and ZOs, bi-annual management audit of 3 Regional Rural Banks and annual management audit of all functional departments of Corporate Office and Head Office is also being conducted by HO: A&ID. During the year 2017-18, Bank has completed Management Audit of 2 Regional Rural Banks and of all functional departments of Corporate Office and Head Office and Zonal Offices.

बैंक के लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग ने बैंक के बाह्यस्रोत गतिविधियों के लिए निर्धारित ''आउटसोर्सड फिनांशियल सर्विस प्रोवाइडर्स'' का 16 आईएस लेखापरीक्षा एवं जोखिम आधारित लेखापरीक्षा की है।

संगामी लेखा परीक्षा कवरेज के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल कारोबार के न्यूनतम 70% भाग के लक्ष्य को बैंक द्वारा हासिल किया गया है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कुल 825 शाखाओं को शामिल किया गया हैं, जो बैंक के कारोबार का 71.29 प्रतिशत, अग्रिमों का 77.01 प्रतिशत और जमाराशियों का 65.58 प्रतिशत हिस्सा है।

वर्ष के दौरान निरीक्षण प्रणाली के फील्ड स्तर के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण एवं पुनर्श्चया कार्यक्रम आयोजित किया गया। निरीक्षण प्रणाली हेतु नियोजित पैंतीस विशेषज्ञ अधिकारियों को एनआईबीएम, पुणे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया और आईएस लेखापरीक्षा टीम तथा आईबीडीआरटी, हैदराबाद द्वारा सत्यापित वीएपीटी प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम में, प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंक ने केवाईसी/एएमएल और परोक्ष निगरानी से जुड़े जेडआईसी के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

परोक्ष निगरानी कक्ष एवं केवाईसी/एएमएल कक्ष

परोक्ष निगरानी प्रणाली, आंतरिक निगरानी तंत्र को सशक्त बनाने का एक प्रभावी प्रबंधन उपाय है। इसके अंतर्गत कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर एक ओएमसी यूनिट और आठ आचंलिक निरीक्षणालयों में हरेक में एक-एक यूनिट शामिल किए गए हैं। केवाईसी/एएमएल कक्ष और परोक्ष निगरानी कक्ष द्वारा जारी की गई सभी सतर्कता सूचनाओं की निरंतर निगरानी एवं अनुवर्तन किया जाता है तथा क्षेत्र के साथ जेडआईसी समन्वयकर इस सतर्कता सूचना का समापन करते हैं। संदिग्ध लेन-देन संबंधी मामलों में एफआईयू-आईएनडी को एसटीआर प्रस्तुत किए गए हैं। बैंक की निरीक्षण प्रणाली भारत सरकार, विनियामक और बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रणालियों व पद्धतियों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी करती है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण कक्ष (आरबीएस कक्ष)

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को एसपीएआरसी (जोखिम एवं पूंजी के निर्धारण के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम) कहा जाता है। बैंक में मई 2016 को डाटा की विशुद्धता, डाटा का केंद्रीयकृत स्वामित्व, एकल बिन्दु समाकलन एवं सुसंगति की जांच तथा आरबीएस डाटा का भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीएस कक्ष को प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई। आरबीएस कक्ष ट्रांच 1, 1ए,1-बी (मात्रात्मक डाटा), ट्रांच II एवं ट्रांच III (मात्रात्मक डाटा) संबंधी डाटा आरबीआई को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में यह कक्ष लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के साथ कार्य करती है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन कक्ष (एफआरएमसी)

एफआरएमसी, अनेक कार्यालयों से सीपीपीआर (प्रदत्त दावें, लंबित वसूली) सहित सभी धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्तन करता है। यह आंतरिक जांच, स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण, विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ वसूली एवं समापन कार्य को भी सुनिश्चित करता है। यह कक्ष ₹1 करोड़/₹10 करोड़ से अधिक मूल्य के धोखाधड़ी मामलों को बैंक के बोर्ड की विशेष समिति/बोर्ड में

Audit and Inspection Department of the Bank conducted 16 IS, Audit and Risk Based Audit of the "Outsourced Financial Service Providers for all out sourced activities of the Bank.

The Bank has surpassed the Ministry of Finance, Govt. Of India stipulation of minimum concurrent audit coverage of 70% of total business. The coverage under concurrent audit at 825 branches stood at 71.29 per cent of business, 77.01 per cent of advances and 65.58 per cent of deposits of the Bank as at 31.03.2018.

Orientation and refresher training programmes were conducted for field level officials from Inspection stream during the year. Thirty-five specialist officers inducted for inspection stream were trained at NIBM, Pune and IS Audit Team was trained under VAPT certification by IBDRT, Hyderabad. Bank has also trained officials from all the ZICs who are handling KYC/AML and Offsite Monitoring.

Offsite Monitoring Cell and KYC/AML Cell

The Offsite Monitoring System is an effective management tool to strengthen the internal control mechanism. It comprises of one OMC unit at Corporate Office, and one unit each at all the eight zonal inspection centres. All the alerts generated by KYC/AML Cell and Offsite Monitoring Cell are continuously monitored, followed up and ZICs co-ordinates with Regions for closure of these alerts. STRs were filed with FIU-IND in case of suspicious transactions. The Bank's Inspection System has been effectively monitoring the compliance of systems & procedures laid down by the Board, the Regulator and the Government of India.

Risk Based Supervision Cell (RBS Cell)

RBI's revised Supervisory Approach is called SPARC (Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital). In order to have an institutional mechanism to ensure accuracy of data, centralized ownership of data, to check consistency and also to be a single point of collation and submission of RBS data to RBI, RBS cell was formed in Bank during May 2016. RBS Cell ensures the submission of Tranche 1, 1A, 1B (quantitative data), Tranche II and Tranche III (qualitative data) data to RBI. At present, the cell is attached to Audit and Inspection Department.

Fraud Risk Management Cell (FRMC)

FRMC monitors and follows up of fraud cases including CPPR (Claims Paid Pending Recovery) related to frauds with various offices. It also ensures conducting internal investigation, examination of staff accountability, Departmental action, recovery and closure. The cell places detailed note for amounts of above ₹1 crore/₹10 crore before Special Committee of the Board/

सरकार द्वारा नामित निदेशक के सम्मुख आवश्यक कार्रवाई के लिए, विस्तृत नोट प्रस्तुत करता है। यह कक्ष वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पूछताछ एवं स्पष्टीकरण से संबंधित सूचना, आपराधिक कार्रवाई की प्रगति, आंतरिक जांच, कृत कार्रवाई को केन्द्रीय धोखाधाड़ी रजिस्ट्री सहित भा.रि.बैंक के डाटाबेस में रिपोर्ट/अद्यतन करता है। यह कक्ष न केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है बल्कि इसके पीछे छिपे कारकों की पहचान करके उन्हें संबंधित विभाग के साथ सुधारात्मक उपाय करने के लिए भी साझा करता है।

आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता

बैंक में कर्मचारियों के बीच नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता प्रबंधन का मुख्य साधन है। बैंक सहित किसी भी संस्था के लिए सतर्कता अभिन्न अंग है। सतर्कता तंत्र का एक उद्देश्य निर्णय क्षमता और प्रभाविकता में वृद्धि करना है। सतर्कता विभाग प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने एवं विभिन्न स्तरों पर प्रणाली में सुधार संबंधी सिफारिश प्रस्तुत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

''मेरा विचार- भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' विचार के साथ 30 अक्तूबर से 4 नवंबर 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक कार्यालयों, शाखाओं और क्षे.ग्रा.बैं. में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के दौरान निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित किए ।

- ❖ बैंक ने एसएमएस के माध्यम से करीब एक करोड़ तैंतीस लाख ग्राहकों से ई-शपथ लेने के लिए अनुरोध किया ।
- ❖ उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक की बेबसाइट से http://www.cvc.nic.in के ई-प्लेज पेज पर जाने के लिए लिंक प्रदान किया गया।
- ❖ बैंक द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सभी दिनों में सिंडिकेट बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 13033 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- ❖ क्षेत्रीय कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों में 324 कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनमें 9895 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2017 के दौरान बैंक द्वारा आयोजित किए गए प्रचार कार्य

- ❖ बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में जनता के बीच सतर्कता जागरूकता पैदा करने के लिए 03.11.2017 के पूर्वान्ह 10.00 बजे को कॉरपोरेट कार्यालय में एक मानव श्रृंखला बनायी । प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महा प्रबंधक और कॉरपोरेट कार्यालय, शाखा के कर्मचारी मिलाकर कुल 328 लोगों ने भाग लिया । उसी प्रकार उसी दिन प्रधान कार्यालय में भी एक मानव श्रृंखला आयोजित की गई । सभी प्रधान शहरों में पादयात्रा, शोभायात्रा और कर्मचारियों के बीच कार्यक्रम जैसे 143 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 6224 लोगों ने भाग लिया।

Government nominee Director on the board of the Bank for taking necessary action. The cell reports/updates RBI database including Central Fraud Registry, the progress related to criminal action, internal investigation, action taken and provides information related to queries and clarifications sought by Finance Ministry. The cell not only reports but also identifies the causative factors and share the same with respective departments for initiating corrective actions.

INTERNAL CONTROL AND VIGILANCE

Vigilance function in a Bank is one of the Management's tools for upholding ethics among employees. Vigilance in any organization including the Bank is an integral part of the Management. One of the objectives of the Vigilance machinery is to enhance efficiency and effectiveness in decision making. Vigilance Department plays an active role in preventive measures to avoid misuse of systems, and suggesting systemic improvements at various levels.

The Vigilance Awareness Week was observed from 30th October to 4th November, 2017 with the theme **"My Vision-Corruption Free India".** As per the instructions received from the Vigilance Commission, various activities were conducted at administrative offices, branches and RRBs.

Bank has conducted the following activities during vigilance awareness week 2017.

- ❖ Bank has reached approximately One Crore, Thirty three lakh customers through SMS requesting them to take e Pledge.
- ❖ Besides that, http://www.cvc.nic.in, the link to e-pledge was made available in Bank's website.
- ❖ Bank has conducted on-line quiz programme for all the staff members of Syndicate Bank on all days during the Vigilance Awareness week and 13,033 staff members participated.
- ❖ 324 Workshops and sensitization programmes were organized by Regional offices and ZOs and 9895 staff members participated.

Outreach activities conducted by the Bank during vigilance awareness week-2017

- ❖ As a part of activities under vigilance awareness week 2017, Bank has organized a Human Chain to create vigilance awareness among public at Corporate Office on 03.11.2017 at 10.00 am. MD&CEO, EDs, CVO, GMs and staff members from Corporate Office, and branches with a total of 328 people participated in the event. Similarly a Human chain was also organized on the same day at Head office. In total 143 events such as Human Chain, Walkathon, processions, and events among staff members were conducted in all major cities and towns in which 6,224 people participated.

- विविध शाखाओं द्वारा 589 ग्राहक शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया गया और उनसे 11,722 ग्राहक लाभान्वित हुए।
- विविध शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों से 1470 स्कूलों और 632 कॉलेजों में भाषण, प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और कुल 45,765 छात्रों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया ।
- शाखाओं द्वारा 32,403 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 1,783 ग्राम सभाएं आयोजित की गई।
- सीवीसी से दिए गए सुझाव के अनुसार विविध शाखाओं से स्कूलों और कॉलेजों में 183 सत्यनिष्ठा क्लबों का निर्माण हुआ और 6332 छात्र इसके सदस्य बनें।
- बैंक द्वारा प्रायोजित क्षे.ग्रा. बैंकों ने स्कूलों और कॉलेजों में 439 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 39718 छात्रों ने भाग लिया। 25,470 ग्राहकों की सहभागिता से 562 ग्राम सभाएं आयोजित की गई और 3525 लोगों की मानव श्रृंखला, शोभायात्रा जैसे 22 अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

वर्ष के दौरान 818 शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास कराए गए तथा 1456 खातों में बैंक को दृष्टिबंधक किए गए मालों की आकस्मिक जांच की गई।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

कारोबार विकास और बेहतर निगरानी एवं नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान सिलिगुड़ी, चेन्नई-II, रायपुर, नोएडा, रांची, भुवनेश्वर-II, तिरुपति, निज़ामाबाद और उदयपुर में 9 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। इन 9 नए क्षेत्रों के प्रवर्तन से बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या 60 हो गई है ।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान बैंक का औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण रहा, जिससे बैंक को कारोबार के समग्र विकास में सहायता मिली है। बैंक के यूनियन/संघ भी कॉरपोरेट लक्ष्य के प्रति संवेदनशील तथा सक्रिय रहे हैं।

पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष 2017-18 के दौरान आपके बैंक को प्राप्त विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान निम्नवत् हैं

- आपके बैंक द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृह पत्रिका ''जागृति'' को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा 'ग' क्षेत्र स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2016-17 के लिए श्रेष्ठ पत्रिका के रूप में प्रथम पुरस्कार, **''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार''** से सम्मानित किया गया है।
- आपके बैंक को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों में वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी हिन्दी गृह पत्रिका जागृति के लिए **द्वितीय पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।
- बैंक को **''बड़े बैंकों के संवर्ग में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण''** के तहत असोचाम से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- 589 Customer grievance redressal camps were organized by various branches and 11,722 customers benefitted in the same.
- Elocution, Quiz and essay competitions were conducted by various branches and Regional offices in 1,470 schools and 632 colleges and total number of 45,765 students participated in the events.
- 1,783 Gram sabhas were organized by the branches across the country, by involving 32,403 participants.
- Formations of 183 Integrity clubs, as suggested by CVC, were initiated in the schools and colleges by various branches with 6,332 students as its members.
- The RRBs, sponsored by Bank, also have conducted 439 programmes at schools and colleges with a participation of 39,718 students, 562 gram sabhas with a participation of 25,470 customers and 22 other events like human chain, procession etc., with a participation of 3,525 people.

During the year, preventive Vigilance exercises were conducted in 818 branches and surprise verification of goods hypothecated to Bank was conducted in 1456 accounts.

RE-ORGANIZATION OF REGIONS

With the aim of business development and better monitoring and control, Bank has opened 9 new regional offices namely Siliguri, Chennai-II, Raipur, Noida, Ranchi, Bhubaneshwar-II, Thirupathi, Nizamabad and Udaipur during 2017-18. With the operationalization of these 9 new Regions the total number of Regions of the Bank has reached 60.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year industrial relations in the Bank has been cordial and harmonious facilitating all-round growth in the business of the Bank. The Unions/Associations have also been responsive and proactive to the corporate goals.

ACCOLADES AND AWARDS

The details of various awards and accolades received by your Bank during the year 2017-18 which are as under.

- Bank has been awarded **"Rajbhasha Kirti Puraskar"** for 2016-17 with first prize by the Government of India for its Hindi House Journal "Jagriti" among all the Nationalised Banks/FIs situated in 'C' region.
- Bank has been awarded with **Second Prize** by the Reserve Bank of India for its Hindi House Journal "Jagriti" among the all Nationalised Banks/FIs for the FY 2016-17.
- Bank has been awarded under "**Priority sector lending in Large Bank category"** by Assocham for the FY 2016-17.

❖ बैंक को ''**बड़े बैंकों के संवर्ग में सर्वोत्तम सामाजिक बैंकिंग**'' के तहत असोचाम से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

❖ बैंक को वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान बैंक द्वारा प्रायोजित आरसेटी का उत्तम नेतृत्व करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 07.06.2017 को ''**श्रेष्ठता पुरस्कार**'' प्राप्त हुआ।

❖ बैंक को प्राधिकृत पहचान प्रबंधन, आधार ईपीडीएस, आधार पे, ईकेवाईसी ऑनलाइन पर खाता खोलना, कृषक बचाओ अभियान और कार्ड सीमा प्रबंधन आदि को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए स्कॉच समूह से वि.व. 2016-17 के लिए वित्तीय समावेशन के तहत **स्कॉच पुरस्कार** 2017 प्राप्त हुआ है।

❖ बैंक को सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) उपकरण, डिस्ट्रिब्यूटेड डिनाइयल ऑफ सर्विस (डीडीओएस) सुरक्षा सूचना एवं घटना प्रबंधन (एसआईईएम) को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए स्कॉच समूह से वि.व. 2016-17 के लिए **स्कॉच स्मार्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड 2017** प्राप्त हुआ है।

❖ बैंक को दिनांक 08 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मुद्रायोजना के अंतर्गत स्वरोजगार सृजन हेतु स्कॉच ग्रुप से **स्कॉच अवार्ड–मुद्रा निष्पादन** प्राप्त हुआ।

❖ बैंक को कर्नाटक में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों में से वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु एसएचजी–बैंक लिंकेज तथा जेएलजी–बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड से समग्र निष्पादन हेतु **तृतीय पुरस्कार** प्राप्त हुआ।

सिंड–बैंक सर्विसेस लिमिटेड

सिंड–बैंक सर्विसेस लिमिटेड (एसबीएसएल) की स्थापना दि. 25.01.2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सिंडिकेटबैंक, उसके ग्राहकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैक–ऑफिस सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से ₹10 करोड़ की प्राधिकृत पूँजी और ₹25 लाख की प्रदत्त पूंजी के साथ सिंडिकेटबैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में की गई । वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं:

I. कंपनी, बैंक द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एसएमए उधारकर्ताओं को मासिक आधार पर एसएमएस संदेश भेजने के अलावा खुदरा ऋणों के अनुवर्तन नोटिसों का मुद्रण करके मासिक आधार पर उसे भेजने का कार्य भी करती है जिससे बैंक को अपने खुदरा ऋण संविभाग को समृद्ध रखने में मदद मिली है।

II. कंपनी, बेंगलूरु I एवं II के साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं के खुदरा उधारकर्ताओं और एसएमए खाताधारकों को बैंक की तरफ से फोन कर उनका अनुवर्तन करने के लिए लघु कॉल सेंटर सेवा भी प्रदान करती है। 60 प्रतिशत से अधिक बकाया खातों में वसूली के साथ इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

III. सिंडिकेट बैंक एवं उसके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीदे गए कंप्यूटर हार्डवेयर की

❖ Bank has been awarded with Runner-up under **"Best Social Banking in Large Bank Class"** by Assocham for the FY 2016-17.

❖ Bank has been awarded **"Award of Excellence"** from Ministry of Rural Development, Government of India, on 07.06.2017 in recognition of exemplary leadership given to the RSETIs sponsored by Bank for FY 2014-15 and 2015-16.

❖ Bank has been awarded **Skoch Awards 2017** under financial inclusion category for developing and implementing Privilege Identity Management, Aadhar ePDS, Aadhar Pay, eKYC Online Account Opening, Save the Farmer Campaign and Card Limit Management by Skoch group for the FY 2016-17.

❖ Bank has received **Skoch Smart Technology Award 2017** for developing and implementing Security Operations Centre (SOC) Tools, Distributed Denial of Service (DDoS) and Security Information & Event Management (SIEM) by Skoch group for the FY 2016-17.

❖ Bank has received **Skoch Award–Mudra Performance** for Employment Generation Under Pradhan Mantri Mudra Yojana by Skoch group on 8th September 2017

❖ Bank has received third prize for the overall performance under SHG-Bank Linkage and JLG-Bank Linkage programme for FY 2016-17 among commercial Banks operating in Karnataka from NABARD.

SYNDBANK SERVICES LIMITED

SyndBank Services Limited (SBSL) was incorporated under the Companies Act, 1956, on 25.01.2006, as a wholly owned subsidiary of SyndicateBank, with an authorized capital of ₹10 Crore and paid up capital of ₹25 Lakh to extend back-office services to SyndicateBank, sponsored RRBs, its clients and other financial institutions. The company has undertaken the following activities during the year 2017-18:

I. The Company prints and dispatches retail loan follow up notices to SMA borrowers on monthly basis based on the data received from the Bank apart from sending SMS messages on monthly basis which helped the Bank to maintain a healthy retail loan portfolio.

II. The Company has continued the service of managing a small call center service on behalf of the Bank to tele-call the retail loan borrowers and follow up SMA accounts of the branches coming under Bengaluru I and II Regions and also few other Regions. There was a good response to this with recovery in over 60% of delinquent accounts.

III. Pre-shipment/Post-shipment testing of computer hardware procured by SyndicateBank and RRBs sponsored by SyndicateBank and also of other Public

एसबीएसएल के आईटी अधिकारियों द्वारा लदान पूर्व/लदानोत्तर परीक्षण इस बात की पुष्टि करने के लिए किया है कि आपूरित सामग्री संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा जारी क्रयादेश के अनुरुप है कि नहीं।

IV. सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का मुद्रण व प्रेषण।

V. सिंडिकेट बैंक की ओर से बीडब्ल्यूएसएसबी शाखा, बेंगलूर के बीडब्ल्यूएसएसबी कियोस्क से नकदी व चेकों का संग्रहण करना और सीबीएस में अपलोड करने के लिए क्लियरिंग अप लोडबल फाइलों को तैयार करना ।

VI. ऑउट सोर्सिंग गतिविधियां जैसे, सीओ: डीआईटी की ओर से डिजिटल बैंकिंग, बीपीआर एवं विपणन विभाग, देवांग टावर्स, बेंगलूर में 24x7 इंटरनेट बैंकिंग, हेल्प डेस्क सेवा प्रदान करने हेतु संसाधनों को उपलब्ध कराना और सिंडिकेट बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के लिए काल डेस्क हेतु संसाधनों को उपलब्ध कराना आदि।

अपनी शुरुआत से ही एसबीएसएल, एक लाभदायक कंपनी रही है। पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रमुख मानदंडों के अंतर्गत इसकी निष्पादन विशेषताएँ निम्नवत् हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018
प्राधिकृत पूँजी	1,000	1,000	1,000
प्रदत्त पूँजी	25	25	25
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	978	1270	1456
अचल आस्तियाँ (निवल)	6	3	2
कुल आय	555	791	435
कर पूर्व लाभ	296	429	258
कर पश्चात लाभ	198	291	187

निदेशक मंडल में परिवर्तन

1. श्री अजय विपिन नानावटी ने 22.08.2017 को बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यग्रहण किया है ।
2. श्री मेलविन ओ रेगो ने 01.07.2017 को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया है।
3. श्री एस कृष्णन ने 01.11.2017 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया है ।
4. श्री अरुण श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुए ।
5. श्री रविशंकर पांडेय, कार्यपालक निदेशक दिनांक 31.10.2017 को सेवानिवृत्त हुए ।
6. श्री रुद्र नारायण कर, नामित निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 01.07.2017 से अन्य संस्था के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी वक्तव्य

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय निदेशक मंडल निम्नवत् पुष्टि करते हैं;

यह कि, वार्षिक लेखा तैयार करते समय लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है तथा उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

Sector Banks / Financial Institutions by SBSL I T officers to ensure that the hardware meets the specifications, as per the Purchase Order issued by the Banks/Financial Institutions.

IV. Printing & dispatch of Internet Banking Passwords for customers of Syndicate Bank.

V. Collection of cheques and cash from Bengaluru Water Supply & Sewage Board kiosks spread across Bengaluru city and preparing clearing up loadable files on CBS system on behalf of SyndicateBank, BWSSB Branch, Bengaluru.

VI. Out sourcing activities like Providing Resources for manning 24 x 7 Internet Banking Help Desk, ATM Monitoring Desk and Mobile Banking Help Desk on behalf of CO: DIT and resources for call desk for State Level Bankers Committee (SLBC), Karantaka.

SBSL is a profit making company since its inception. The performance highlights under key parameters during the last three years are as under –

(₹ in lakhs)

Particulars	March '16	March '17	March '18
Authorised Capital	1,000	1,000	1,000
Paid Up Capital	25	25	25
Reserves & Surplus	978	1,270	1,456
Fixed Assets (Net)	6	3	2
Total Income	555	791	435
Profit Before Tax	296	429	258
Profit After Tax	198	291	187

CHANGES IN THE BOARD:

1. Shri Ajay Vipin Nanavati has assumed charge as Non-Executive Chairman of the Bank on 22.08.2017.
2. Shri Melwyn O Rego has assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank on 01.07.2017.
3. Shri S Krishnan has assumed charge as Executive Director of the Bank on 01.11.2017.
4. Shri Arun Shrivastava, Managing Director & Chief Executive Officer superannuated on 30.06.2017.
5. Shri Ravi Shanker Pandey, Executive Director superannuated on 31.10.2017.
6. Shri Rudra Narayan Kar, Nominee Director,Reserve Bank of India, deputed to another institution w.e.f. 01.07.2017.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2018, confirm the following:

That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts along with proper explanation relating to making departures.

यह कि, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई लेखाकरण नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

यह कि, समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लाभ या हानि से संबंधित यथार्थ एवं स्पष्ट आलोकन प्रस्तुत कर सकें।

यह कि, बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने व उनका पता लगाने के लिए भारत में मौजूद बैंकों पर लागू विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

यह कि, वार्षिक लेखों को निरंतर आधार पर तैयार किया गया है।

यह कि, सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित प्रणाली बनाए गए हैं तथा ये प्रणाली पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

आभार

भारत और विदेश की आम जनता, अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए, उनकी सच्ची सराहना को निदेशक मंडल प्रसन्नतापूर्वक अभिलेखित करता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और भारत से बाहर के प्रतिनिधियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके अटल एवं महत्वपूर्ण समर्थन व मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त श्री अजय विपिन नानावटी, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री मेलविन ओ रेगो और बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त श्री एस कृष्णन का स्वागत करता है ।

निदेशक मंडल, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और श्री रविशंकर पांडेय, कार्यपालक निदेशक जो सेवानिवृत्त हुए हैं, को उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए समर्थ मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, श्री रुद्र नारायण कर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक के प्रति, उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदान एवं समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

एम ओ रेगो

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 31 मई 2018

(मेलविन रेगो)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

That reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at the end of financial year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2018.

That proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

That the annual accounts have been prepared on a 'going concern' basis.

That proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere appreciation to the public, valuable customers, shareholders and staff members for their continued support and patronage in India and abroad.

The Directors are also indebted to the Ministry of Finance, Government of India, RBI, SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance from time to time.

The Board extends a heartly welcome to Shri Ajay Vipin Nanavati who has been appointed as Non-Executive Chairman of the Bank, Shri. Melwyn O Rego, who has been appointed as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank and Shri. S Krishnan, who has been appointed as Executive Director of the Bank.

The Board also expresses its sincere gratitude to Shri Arun Shrivastava, Managing Director & Chief Executive Officer and Shri Ravi Shanker Pandey, Executive Director, who had superannuated, for their able guidance, leadership and support that they had provided during their tenure.

The Board also acknowledges the valuable contributions and support of Shri Rudra Narayan Kar, RBI Nominee Director of the Bank during his tenure in the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors.

Place: Manipal
Date: May 31, 2018

(Melwyn Rego)
Managing Director & CEO

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार तथा केंद्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ 4/1/94-BO.I(1) दि. 03.04.1995 जोकि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) एवं वित्तीय संस्थान नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 के तहत संशोधित नियमों का अनुपालन करते हुए किया गया है।

संप्रति, मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 1 गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक निदेशक यानी केद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 2 कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, 1 सीए निदेशक, 2 नामित निदेशक तथा 2 निर्वाचित शेयरधारक निदेशक हैं। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर, सभी गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष, निदेशक मंडल की अध्यक्षता करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक मंडल की अध्यक्षता करेंगे। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद पर श्रेणी	धारा 9(3) की उप धारा के अंतर्गत	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री अजय विपिन नानावटी	केमिकल इंजिनीयर	अंशकलिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	खंड (एच)	22.08.2017
2.	श्री मेलविन ओसवाल्ड रेगो	बी.कॉम., एमबीए सी.ए.आई.आई.बी. (भाग I), सीएस (इंटर)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	खंड (ए)	01.07.2017
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	बी.एस.सी., एल.एल.बी (जी), सी.ए.आई.आई.बी.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	15.09.2016
4.	श्री एस कृष्णन	एम.कॉम., आईसीएमए, सी.ए.आई.आई.बी.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	01.11.2017
5.	श्री रा ना दुबे	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.एस. सी. (एम.आई.डी.पी.)	भारत सरकार के नामिती निदेशक (केंद्र सरकार के अधिशासी) गैर-कार्यकारी	खंड (बी)	15.01.2016
6.			भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक (भा.रि.बैं. के पदाधिकारी) गैर-कार्यकारी	खंड (सी)	01.07.2017 से रिक्त
7.			कामगार कर्मचारी निदेशक गैर-कार्यकारी	खंड (ई)	04.09.2016 से रिक्त
8.			अधिकारी कर्मचारी निदेशक गैर-कार्यकारी	खंड (एफ)	17.07.2016 से रिक्त
9.	श्री जयंत पी गोखले	बी.कॉम., एल.एल.बी., एफ. सी.ए.	सी.ए. निदेशक गैर-कार्यकारी	खंड (जी)	30.08.2016
10.	सुश्री वन्दना कुमारी जेना	एम ए (राजनीति शास्त्र) (दिल्ली विश्वविद्यालय), मास्टर्स इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (बर्मिंघम विश्वविद्यालय)	नामित निदेशक गैर-कार्यकारी	खंड (एच)	25.04.2016
11	श्री जी रमेश	एम ए (अर्थशास्त्र), संकाय, आईआईएम-ए	नामित निदेशक गैर-कार्यकारी	खंड (एच)	25.04.2016
12.			नामित निदेशक गैर-कार्यकारी	खंड (एच)	01.02.2016 से रिक्त
13.	श्री कमल किशोर सिंघल	बी.कॉम., एम.ए., एल.एल.बी., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक गैर-कार्यकारी	खंड (आई)	31.10.2015
14.	श्री सुनील वशिष्ठ	बी.कॉम., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक गैर-कार्यकारी	खंड (आई)	17.09.2016

BOARD OF DIRECTORS

The Board has been constituted in accordance with section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as per the Central Government Gazette Notification No. F 4/1/94-BO.I(1) dated 03.04.1995 as amended vide Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006.

Presently the Board comprises of 1 Non-Executive Chairman, 3 whole time Directors - the Managing Director & Chief Executive Officer and the 2 Executive Directors, 1 Government Nominee Director, 1 CA Director, 2 nominee Directors, all appointed by Central Government and 2 elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Managing Director & Chief Executive Officer and the Executive Directors, are non-Executive Directors. The Chairman presides over the Board and in his absence, the Managing Director & Chief Executive Officer, and in his absence the senior most among the Executive Directors, presides over the Board. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested with the Board of Directors of the Bank.

The present composition and category of the Board of Directors of the Bank are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Under sub-section of Section 9 (3)	Date of assuming office
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati	Chemical Engineer	Part Time Non-Executive Chairman	Clause (h)	22.08.2017
2.	Shri Melwyn Oswald Rego	B Com, MBA (Finance), CAIIB (Part-I), CS (Inter)	Managing Director & Chief Executive Officer	Clause (a)	01.07.2017
3.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	B.Sc, LLB(G), CAIIB	Executive Director	Clause (a)	15.09.2016
4.	Shri S Krishnan	M.Com, ICMA, CAIIB	Executive Director	Clause (a)	01.11.2017
5.	Shri R N Dubey	M.A. (Eco), M.Sc (MIDP)	Govt. Nominee Director(Official of Central Government) Non-Executive	Clause (b)	15.01.2016
6.			RBI Nominee Director (Official of RBI) Non-Executive	Clause (c)	Vacant from 01.07.2017
7.			Workmen Employee Director Non-Executive	Clause (e)	Vacant from 04.09.2016
8.			Officer Employee Director Non-Executive	Clause (f)	Vacant from 17.07.2016
9.	Shri Jayant P Gokhale	B.Com, LLB, F.C.A.	CA Director Non-Executive	Clause (g)	30.08.2016
10.	Smt Vandana Kumari Jena	M.A. (Pol Sc)(Delhi University), Masters in Development Administration (University of Birmingham)	NoD Non-Executive	Clause (h)	25.04.2016
11	Shri G Ramesh	M.A. (Econ). Fellow IIM-A	NoD Non-Executive	Clause (h)	25.04.2016
12.			NoD Non-Executive	Clause (h)	Vacant from 01.02.2016
13.	Shri Kamal Kishore Singhal	B.Com., M.A., LLB, F.C.A	Shareholder Director Non-Executive	Clause (i)	31.10.2015
14.	Shri Sunil Vashisht	B.Com, F.C.A	Shareholder Director Non-Executive	Clause (i)	17.09.2016

जिन निदेशकों ने 2017-18 के दौरान कार्यग्रहण किया है, उनका एक संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :

श्री अजय विपिन नानावटी

श्री अजय विपिन नानावटी, सन् 1988 को भारत में 3एम कंपनी के प्रथम कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए जहां वे जेवी (संयुक्त उपक्रम) के निर्माण तथा संगठन के सभी मायनों में विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे। बाद के 28 वर्षों में 3एम कंपनी में इन्होंने वैश्विक स्तर पर विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों पर बढ़ती ज़िम्मेदारी के साथ विभिन्न पदभार संभाले।

सन् 1993 में आप समग्र एशिया पेसिफिक क्षेत्र में दूरसंचार कारोबार का प्रभावी प्रबंधन करने हेतु सिंगापुर जा बसे और सन् 1998 को एक वैश्विक भूमिका निभाने के लिए ऑस्टिन स्थानांतरित हुए जहां आप कंपनी की नई सेवाओं का प्रवर्तन व नेतृत्व के लिए ज़िम्मेदार थे। इसके पश्चात आप 4 वर्षों तक सैंट पॉल, एमएन स्थित कंपनी के कॉर्पोरेट मुख्यालय में वरिष्ठ रणनीति एवं नई कारोबार विकास की भूमिका अदा की जिसमें नए उपक्रम के अधिग्रहण एवं संयुक्त उद्यम के नेतृत्व भी शामिल हैं। सन् 2005 में आप 3एम इज़राइल के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ अदा करने हेतु इज़राइल जा बसे। सन् 2008 को 3एम कंपनी की एकमात्र विदेश स्थित (अमेरिका के बाहर) सार्वजनिक कंपनी के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक के रूप में आप भारत लौटे। आपके कार्यकाल के दौरान कंपनी का राजस्व दुगुना हो गया, स्थानीय निवेश और महत्त्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना में महत्त्वपूर्ण निवेश सहित बाजार पूंजी में 400% की बढ़ोत्तरी हुई।

वर्तमान में आप एलीकोन लिमिटेड के बोर्ड सदस्य हैं। इसके अलावा आप विभिन्न मंचों पर नवोन्मेषिता के प्रवर्तक, स्टार्टअप/एसएमई के लिए मेंटॉर व अनौपचारिक निवेशक भी हैं। आप कॉरपोरेट अभिशासन पर घटित सीआईआई डाइरेक्टर्स गिल्ड के सह-प्रायोजक तथा सीआईआई स्टार्टअप काउंसिल के सदस्य भी हैं। श्री अजय विपिन नानावटी वर्जीनिया टेक, यूसए से रसायन अभियांत्रिकी में डिग्री धारक हैं।

आप बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दिनांक 22.08.2017 को कार्यग्रहण किए।

श्री मेलविन रेगो

श्री मेलविन रेगो, सिंबोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पुणे के एमबीए रैंकधारक है।

14.08.2015 से बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, 30 अगस्त 2013 से वे आईडीबीआई बैंक लि. के उप प्रबंध निदेशक रहे हैं। उन्होंने एक प्रगतिशील बैंकर के रूप में कार्य किया है और वर्ष 1984 से ही आईडीबीआई बैंक लि. के साथ जुड़े रहे हैं। आपने कॉरपोरेट बैंकिंग, पुनर्वास वित्त, ट्रेजरी, अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू संसाधन, संरचनागत कॉरपोरेट समूह, परियोजना मूल्यांकन विभाग, सोर्सिंग, सिंडिकेशन एवं सलाहकार विभाग, प्राथमिकता क्षेत्र और खुदरा बैंकिंग समूह आदि क्षेत्रों में विविध पदों पर कार्य किया है। आईडीबीआई के लिए विदेशी मुद्रा संसाधनों को बढ़ाने हेतु विविध अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी पकड़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

आईडीबीआई द्वारा टाटा होमफाइनान्स लि. के अधिग्रहण के पश्चात सितम्बर 2003 में, श्री रेगो आईडीबीआई होमफाइनांस लि. के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। जनवरी 2008 में श्री रेगो आईडीबीआई में वापस आए और आईडीबीआई बैंक के विदेशी पहलों के नेतृत्व हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री रेगो को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है और वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के एक कार्यक्रम में रैंक धारक रहे हैं। इन्होंने वाशिंगटन में उद्यमिता विकास संस्थान/विश्व बैंक द्वारा आयोजित सेमिनार सहित कई सेमिनारों में भाग लिया है।

श्री रेगो एक उत्सुक खिलाड़ी हैं और इन्हें संगीत एवं नाटक का भी शौक है। 01.07.2017 को इन्होंने सिंडिकेटबैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री एस कृष्णन

श्री एस कृष्णन, वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं तथा एक योग्यताप्राप्त लागत लेखाकार (आईसीएमए) भी रहे हैं। साथ ही, ये भारतीय बैंकिंग संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट भी रहे हैं।

श्री कृष्णन जनवरी 1983 को इंडियन बैंक की सेवा में नियुक्त हुए और अपने तीस साल के लंबे करियर में इन्होंने बैंक के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निपुणता हासिल किया है जिसमें बैंक के ग्रामीण, शहरी और मेट्रो शाखाओं में सेवाएं तथा कॉरपोरेट कार्यालय सहित प्रशासनिक कार्यालय में कार्य भी शामिल है। श्री कृष्णन, ऋण क्षेत्र, खास कर कॉरपोरेट ऋण क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। इन्हें जोखिम प्रबंधन क्षेत्र में एक दशक से अधिक अनुभव प्राप्त है तथा ये बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी भी रहे हैं। बोर्ड सचिव के रूप में इन्होंने इंडियन बैंक में कॉरपोरेट अभिशासन में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल किए हैं।

A brief bio-data of directors who joined the Board in 2017-18 is given here below:

Shri Ajay Vipin Nanavati:

Shri Ajay Vipin Nanavati joined 3M in India in 1988 as its first employee where he was responsible for forming the JV & building the organization from scratch. In the subsequent 28 years with 3M he held positions of increasing responsibility in various roles, across different geographies globally.

In 1993 he relocated to Singapore to manage the Asia Pacific region for the telecom business and then moved to Austin in 1998 in a global role where he was responsible for launching & leading a new services diversification for the company. He then spent the next 4 years at corporate HQ in St. Paul, MN in senior strategy & new business development roles including leading the acquisition & integration of a new venture. In 2005 he moved to Israel as Managing Director of 3M Israel. He returned to India in 2008 as the first Indian MD of 3M's only public company outside the US. During this stint the company's revenues doubled, market cap quadrupled with significant investments in local manufacturing & setting up of a major R&D center.

He is currently on the board of Alicon Ltd. Additionally he is an active innovation evangelist on various forums, mentors start-ups/SME's and an angel investor. He is the co-sponsor for the CII Directors Guild on corporate governance & a member of the CII Start-up council. Shri Ajay V Nanavati holds a degree in Chemical Engineering from Virginia Tech., USA.

He joined the Board of Directors of the Bank as Non-Executive Chairman w.e.f 22.08.2017.

Shri Melwyn O Rego:

Shri Melwyn Rego, is an MBA rank holder in finance from Symbiosis Institute of Business Management, Pune.

Prior to his appointment as MD & CEO of Bank of India w.e.f. 14.08.2015, he was holding the position of Deputy Managing Director, IDBI Bank Ltd since August 30, 2013. He is a career Banker and has been with IDBI Bank Ltd since 1984. He has held assignments in the areas of Corporate Banking, Rehabilitation Finance, Treasury, International & Domestic Resources, Infrastructure Corporate Group, Project Appraisal Department, Sourcing, Syndication and Advisory Department, Priority Sector and Retail Banking Group in various capacities. He has played key role in tapping diverse International Markets for raising foreign currency resources for IDBI.

Shri Rego was deputed to IDBI Homefinance Ltd as Managing Director & CEO in September 2003 after IDBI took over Tata Homefinance Ltd. He returned to IDBI in January 2008 and took over as Head- International Banking Division to spearhead IDBI Bank's overseas initiatives. He has extensive international experience and was a rank holder at a programme on International Capital Markets at Oxford University, UK. He has also participated in several seminars including those organized by Entrepreneurship Development Institute / World Bank at Washington.

Shri Rego is a keen sportsman and has a passion for music and dramatics. He has assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer of SyndicateBank on 01.07.2017.

Shri S Krishnan:

Shri S Krishnan is a Post Graduate in Commerce and a qualified Cost Accountant (ICMA). He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri Krishnan joined the services of Indian Bank in January 1983. In a career spanning over three decades Shri Krishnan gained expertise in almost all the key areas of banking, having served in rural, urban and metro Branches and also in Administrative Offices including Corporate Office of the Bank. He has specialised in Credit, more specifically Corporate Credit. His experience in Risk Management is for over a decade and was the Chief Risk Officer of the Bank. As Board Secretary, he took several initiatives to improve the Corporate Governance in Indian Bank.

यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे इंडियन बैंक में एचआर विभाग के प्रमुख थे तथा मानव संसाधन की गुणवत्ता को समृद्ध करने के लिए आपने कई सुधारात्मक पहल की शुरुआत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेक्नो सेवी होने के नाते इन्होंने हमेशा बैंकिंग में तकनीकी को गेम परिवर्तक माना है तथा इन्होंने जहां कहीं भी कार्य किया वहाँ विभिन्न क्षेत्रों की प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का पहल किया है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निष्पादन प्रबंधन प्रणाली पर आईबीए द्वारा गठित उप-समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

श्री एस कृष्णन ने 01 नवंबर 2017 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया।

वर्ष 2017-2018 के दौरान, बोर्ड के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण
1	श्री के के सिंघल	29.05.2017 से 30.05.2017 तक	उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (सीएएफआरएएल - आरबीआई द्वारा संचालित) द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए गोवा में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
2	श्री जयंत पी गोखले, श्री के के सिंघल श्री सुनील वशिष्ठ	25.10.2017	उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (सीएएफआरएएल-आरबीआई द्वारा संचालित) द्वारा बैंकों के लिए भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन और बैंकों की बैलेंस शीट की जटिलताओं पर मुंबई में आयोजित
3	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	08.11.2017 से 09.11.2017 तक	बेंगलूरु में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा बोर्डों पर केंद्रित कॉर्पोरेट प्रशासन के मूल्य संवर्धन के लिए सीआईआई निदेशक गिल्ड प्लैटिनम स्तर कार्यक्रम
4	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	23.11.2017 से 24.11.2017 तक	हैदराबाद में सार्वजनिक उद्यम संस्थान द्वारा आयोजित बोर्ड संबंधी 'इट्स हर टाइम कार्यक्रम
5	श्री जयंत पी गोखले, श्री सुनील वशिष्ठ	11.01.2018 से 12.01.2018 तक	स्कूल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, नई दिल्ली द्वारा आईएमटी, मानेसर-गुरुग्राम में आयोजित

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन:

निदेशक मंडल की बैठक, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार सामान्यत: एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2017-2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 14 बैठकें आयोजित की।

09.05.2017	29.05.2017	22.06.2017	05.08.2017	28.08.2017
13.09.2017	31.10.2017	22.12.2017	10.01.2018	02.02.2018
09.02.2018	20/21.02.2018	15.03.2018	27.03.2018	-

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की पिछली वार्षिक आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनकी साझेदारी इत्यादी के पूर्ण ब्यौरे निम्नवत् हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों में सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		बोर्ड	पिछली ए.जी.एम. 23.06.2017		
1.	श्री अजय विपिन नानावटी #	10/10	--	आरएमसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी, एनसी, आरसी, सीआरसी-क्यूआईपी	1
2.	श्री मेलिवन ओ रेगो ^	09/11	--	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी, बीआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीएमआर, सीडीटी, सीआरडीएनबीसीसी, सीआरसी-क्यूआईपी	1
3.	श्री अरुण श्रीवास्तव $	03/03	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आइटीएससी, एचआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीएमआर, सीआरडीएनबीसीस	1
4.	श्री रवि शंकर पाण्डेय%	06/07	उ	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीएमआर, डीपीसी, एसएचआरसी, सीआरसी-क्यूआईपी	1

Prior to the present elevation he was the Head of HR Function in Indian Bank and has been instrumental in initiating a host of reform measures aimed at enriching the quality of HR. Being Tech Savvy person, he always trusted technology as the game changer in the Banking and accordingly took several initiatives to digitize the processes in different fields wherever he has worked. He was also a member of IBA's Sub-Committee on Performance Management System in Public Sector Banks.

Shri S Krishnan has assumed charge as Executive Director of the Bank on 01.11.2017.

During the year 2017-2018, the details of the Training Programme attended by the Directors on the Board:

Sl. No.	Name of the Director/s	Period of Training attended	Details of the training Programme
1	Shri K K Singhal	29.05.2017 to 30.05.2017	Programme for Non-Executive Directors on the Boards of Commercial Banks conducted by Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL – promoted by RBI) at Goa
2	Shri Jayant P Gokhale, Shri K K Singhal and Shri Sunil Vashisht	25.10.2017	Workshop on Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) for Banks and implications for Banks Balance sheet conducted by Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL – promoted by RBI) at Mumbai
3	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	08.11.2017 to 09.11.2017	CII Directors Guild Platinum Level Programme focused on Boards - Corporate Governance that Builds Value conducted by Confederation of Indian Industry at Bengaluru
4	Smt Vandana Kumari Jena	23.11.2017 to 24.11.2017	Programme- It's HER TIME on Board- conducted by Institute of Public Enterprise at Hyderabad
5	Shri Jayant P Gokhale, Shri Sunil Vashisht	11.01.2018 to 12.01.2018	Programme conducted by School of Corporate Governance and Public Policy, Indian Institute of Corporate Affairs, New Delhi at IMT, Manesar-Gurugram

CONDUCT OF BOARD MEETINGS:

The Meetings of the Board shall ordinarily be held at least 6 times in a year and at least once in a quarter in accordance with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. During the year 2017-2018 the Board held 14 meetings on the following dates:

09.05.2017	29.05.2017	22.06.2017	05.08.2017	28.08.2017
13.09.2017	31.10.2017	22.12.2017	10.01.2018	02.02.2018
09.02.2018	20/21.02.2018	15.03.2018	27.03.2018	-

The details of the Board members at the Board meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 23.06.2017		
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati#	10/10	--	RMC, SCMFFC, HRC, NC, RC, CRC-QIP	1
2.	Shri Melwyn O Rego ^	09/11	--	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, BRC, CRDWDIC, CMR, CDT, CRDNBCC, CRC-QIP	1
3.	Shri Arun Shrivastava$	03/03	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CRDWDIC, CMR, CRDNBCC	1
4.	Shri Ravi Shanker Pandey%	06/07	P	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CMR, DPC, SHRC, CRC-QIP	1

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों में सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		बोर्ड	पिछली ए.जी.एम. 23.06.2017		
5.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	14/14	उ	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीएमआर, एसएचआरसी, सीडीटी, सीआरसी-क्यूआईपी, बीआरसी	1
6.	श्री एस कृष्णन ^ ^	07/07	–	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीएमआर, एसएचआरसी, सीडीटी, सीआरसी-क्यूआईपी, बीआरसी	1
7.	श्री रा ना दुबे	06/14	उ	एसीबी, आरसी, एनसी, सीएमआर, एससीएमएफएफसी, सीडीटी	–
8.	श्री रुद्र नारायण कर *	03/03	अ	एमसीबी, एसीबी, आरसी	–
9.	श्री जयंत पी गोखले	14/14	उ	एसीबी, एसटीसी, आरसी, आईटीएससी, एनसी, बीआरसी	2
10.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	14/14	उ	एमसीबी, एनसी, सीएससी, एचआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीडीजीएमए	–
11.	श्री जी रमेश	12/14	उ	आरएमसी, सीडीटी, आईटीएससी, सीडीजीएमए, एनसी, सीआरडीएनबीसीसी, बीआरसी, सीआरसी-क्यूआईपी	–
12.	श्री के के सिंघल	11/14	उ	एमसीबी, आरएमसी, एसएचआरसी, सीएससी, एससीटीसी, आरसी	1
13.	श्री सुनील वशिष्ठ	14/14	उ	एसीबी, एसटीसी, एचआरसी, एसएचआरसी, एससीएमएफएफ, सीआरडीएनबीसीसी, सीएमआर, सीडीजीएमए	3

* कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 165 के अनुसार
# दिनांक 22.08.2017 को पदग्रहण किए
$ दिनांक 30.06.2017 को कार्यकाल पूरे किए
% दिनांक 31.10.2017 को कार्यकाल पूरे किए
^ दिनांक 01.07.2017 को पदग्रहण किए
^ ^ दिनांक 01.11.2017 को पदग्रहण किए
*-दिनांक 01.07.2017 से आरबीआई की अन्य अनुषंगी में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण

उ - उपस्थित
एमसीबी - मंडल की प्रबंधन समिति
बीआरसी - कारोबार समीक्षा समिति
एसएचआरसी - शेयरधारक संपर्क समिति
एससीएमएफएफसी - कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति
सीएमआर - वसूली निगरानी समिति
सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी - इरादतन चूक कर्ता पहचान समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति
सीआरडीएनबीसीसी - गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति
सीडीजीएमए - महा प्रबंधकों की अपीलों के निपटान के लिए मंडल की समिति
सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
एचआरसी - मानव संसाधन समिति
आईटीएससी - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
सीआरसी-क्यूआईपी - पूँजी-क्यूआईपी के लिए निदेशकों की उप-समिति
अ - अनुपस्थित
एसीबी - मंडल की लेखा परीक्षा समिति
सीडीटी - डिजिटल लेन-देन के लिए मंडल की समिति
आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
एनसी - नामांकन समिति
आरसी - पारिश्रमिक समिति
एसटीसी - शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एम.सी.बी.):

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) का गठन भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई. (1) दिनांक 11.07.1986 के अनुसार की गई थी और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं.4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10.11.1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार उसका पुनर्गठन किया गया । आगे, भारत

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 23.06.2017		
5.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	14/14	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CMR, SHRC, CDT, CRC-QIP, BRC	1
6.	Shri S Krishnan ^ ^	07/07	--	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CMR, SHRC, CDT, CRC-QIP, BRC	1
7.	Shri R N Dubey	06/14	P	ACB, RC, NC, CMR, SCMFFC, CDT	-
8.	Shri Rudra Narayan Kar*	03/03	A	MCB, ACB, RC	-
9.	Shri Jayant P Gokhale	14/14	P	ACB, STC, RC, ITSC, NC, BRC	2
10.	Smt. Vandana Kumari Jena	14/14	P	MCB, NC, CSC, HRC, CRDWDIC, CDGMsA	-
11.	Shri G Ramesh	12/14	P	RMC, CDT, ITSC, CDGMsA, NC, CRDNBCC, BRC, CRC-QIP	-
12.	Shri K K Singhal	11/14	P	MCB, RMC, SHRC, CSC, STC, RC	1
13.	Shri Sunil Vashisht	14/14	P	ACB, STC, HRC, SHRC, SCMFF, CRDNBCC, CMR, CDGMsA,	3

* As per section 165 of Companies Act, 2013
# - assumed charge on 22.08.2017
$- Superannuated on 30.06.2017
%- Superannuated on 31.10.2017
^- assumed charge w.e.f. 01.07.2017
^ ^- assumed charge w.e.f. 01.11.2017
*- on deputation/transfer to other RBI subsidiary w.e.f. 01.07.2017

P	-	Present
MCB	-	Management Committee of the Board
BRC	-	Business Review Committee
SHRC	-	Stake Holders Relationship Committee
SCMFFC	-	Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases
CMR	-	Committee for Monitoring Recovery
CRDWDIC	-	Committee for Reviewing Decision of Willful Defaulters Identification Committee
CRDNBCC	-	Committee for Reviewing Decision of Non-Cooperative Borrowers Classification Committee
CDGMsA	-	Committee of Board for Disposal of GMs Appeals
CSC	-	Customer Service Committee
HRC	-	Human Resources Committee
ITSC	-	Information Technology Strategy Committee
CRC-QIP	-	Committee of the Board for Raising Capital-QIP
A	-	Absent
ACB	-	Audit Committee of the Board
CDT	-	Committee of the Board for Digital Transactions
RMC	-	Risk Management Committee
NC	-	Nomination Committee
RC	-	Remuneration Committee
STC	-	Share Transfer Committee

MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD (MCB):

The Management Committee of the Board was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86.BO.I (I) dated 11.07.1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I (i) dated 10.11.1995. Further Government of India after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970'

सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके 'योजना 1970' में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 08.03.2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंधन समिति, ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, धोखाधड़ी के मामलों में ओटीएस सहित ऋणों का समझौता निपटान, बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव, पूंजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसर और भवनों का अधिग्रहण और किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान और अन्य मामल, जो बोर्ड द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं/प्रत्यायोजित किए जाते हैं, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 16 बैठकें आयोजित की गईं:

26.05.2017	22.06.2017	04.08.2017	11.08.2017	28.08.2017
13.09.2017	26.09.2017	13.10.2017	30.10.2017	17.11.2017
21.12.2017	11.01.2018	02.02.2018	20.02.2018	09.03.2018
26.03.2018	-	-	-	-

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मेलविन ओ रेगो- समिति के अध्यक्ष	13/14
2.	श्री अरुण श्रीवास्तव	02/02
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	08/09
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	16/16
5.	श्री एस कृष्णन	07/07
6.	श्री रुद्र नारायण कर	02/02
7.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	03/04
8.	श्री जी रमेश	09/10
9.	श्री के के सिंघल	06/06
10.	श्री सुनील वशिष्ठ	10/10

निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति (ए.सी.बी.):

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो बैंक में संपूर्ण लेखा परीक्षा परिचालन हेतु निदेश देने के साथ-साथ उसकी निगरानी भी करती है, जिसमें संगठन, परिचालनीकरण और आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुप्रवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है । बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक की आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है। यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं के अंतर्गत असंतोषजनक श्रेणी वर्गीकृत शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 9 बैठकें आयोजित की गईं:

08/09.05.2017	04/05.08.2017	28.08.2017	31.10.2017	18.11.2017
22.12.2017	01.02.2018	09.02.2018	27.03.2018	-

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जयंत पी गोखले- समिति के अध्यक्ष	09/09
2.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	04/04
3.	श्री एस कृष्णन	05/05
4.	श्री रा ना दुबे	02/09
5.	श्री रुद्र नारायण कर	00/01
6.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	05/06
7.	श्री सुनील वशिष्ठ	03/03

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफल कार्यान्वयन हेतु बोर्ड की ''जोखिम प्रबंधन समिति'' का गठन किया है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 8 बैठकें आयोजित की गईं :

08.05.2017	22.06.2017	04.08.2017	28.08.2017
31.10.2017	22.12.2017	20.02.2018	26.03.2018

called Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 2007, read with corrigendum dated 08.03.2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans including OTS in case of Fraud cases, write off proposals, approval of capital & revenue expenditure, acquisition & hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board.

During the year, the Committee met 16 times on the following dates:

26.05.2017	22.06.2017	04.08.2017	11.08.2017	28.08.2017
13.09.2017	26.09.2017	13.10.2017	30.10.2017	17.11.2017
21.12.2017	11.01.2018	02.02.2018	20.02.2018	09.03.2018
26.03.2018	-	-	-	-

The members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Melwyn O Rego– Chairman of Committee	13/14
2.	Shri Arun Shrivastava	02/02
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	08/09
4.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	16/16
5.	Shri S Krishnan	07/07
6.	Shri Rudra Narayan Kar	02/02
7.	Smt Vandana Kumari Jena	03/04
8.	Shri G Ramesh	09/10
9.	Shri K K Singhal	06/06
10.	Shri Sunil Vashisht	10/10

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB):

The Audit Committee of the Board was constituted as per the instructions /guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank which includes the organising, operationalising and quality of Internal Audit and Inspection within the Bank and follow up of the statutory/external Audit of the Bank and Inspection of RBI. The ACB reviews the internal Inspection/Audit function in the Bank as also the oversight of the financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible. It also reviews the inspection reports of specialized and exceptionally large Branches and also Branches with unsatisfactory ratings.

The Committee met 9 times during the year on the following dates:

08/09.05.2017	04/05.08.2017	28.08.2017	31.10.2017	18.11.2017
22.12.2017	01.02.2018	09.02.2018	27.03.2018	-

The details with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Jayant P Gokhale– Chairman of Committee	09/09
2.	Shri Ravi Shanker Pandey	04/04
3.	Shri S Krishnan	05/05
4.	Shri R N Dubey	02/09
5.	Shri Rudra Narayan Kar	00/01
6.	Smt Vandana Kumari Jena	05/06
7.	Shri Sunil Vashisht	03/03

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC):

In terms of RBI direction, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank.

During the year the Committee held 8 meetings on the following dates:

08.05.2017	22.06.2017	04.08.2017	28.08.2017
31.10.2017	22.12.2017	20.02.2018	26.03.2018

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी- समिति के अध्यक्ष	04/04
2.	श्री मेलविन ओ रेगो	06/06
3.	श्री अरुण श्रीवास्तव	02/02
4.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	04/05
5.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	08/08
6.	श्री एस कृष्णन	03/03
7.	श्री जी रमेश	07/08
8.	श्री के के सिंघल	08/08

धोखाधड़ी मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति (एससीएमएफएफसी):

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डीबीएस.एफजीवी(एफ) सं.1004/23.04.01ए/2003-2004 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने ₹1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ''कपटपूर्ण मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति'' का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

22.06.2017	31.10.2017	07.11.2017	02.02.2018	26.03.2018

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी-समिति के अध्यक्ष	04/04
2.	श्री मेलविन ओ रेगो	02/04
3.	श्री अरुण श्रीवास्तव	01/01
4.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	01/02
5.	श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	05/05
6.	श्री एस कृष्णन	03/03
7.	श्री रा ना दुबे	02/05
8.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	01/01
9.	श्री सुनील वशिष्ठ	04/04

हितधारक संपर्क समिति (एसएचआरसी):

निदेशक मंडल ने सूचीकरण करार में कथित नियमों के अनुसार शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायतों जैसे शेयरों का हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, लाभांश वारंट न मिलना, आदि का निपटान व समाधान करने के लिए बैंक की निदेशक मंडल ने ''शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति'' का नाम बदलकर ''हितधारक संपर्क समिति'' के रूप में परिवर्तित किया गया है। समिति, बैंक प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों जैसे, शेयरों का व्यापार, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, लाभांश वारंट न मिलना आदि के निपटान की निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें निम्नवत हुई:

09.05.2017	30.10.2017

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नवत हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	02/02
2.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	02/02
3.	श्री जी रमेश	02/02
4.	श्री के के सिंघल- समिति के अध्यक्ष	01/01
5.	श्री सुनील वशिष्ठ	01/01

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 898 शिकायतें/परिवाद/प्रश्न प्राप्त हुए तथा सभी शिकायतों/परिवादों/प्रश्नों को ध्यान में लिया गया तथा उनका समाधान कर दिया गया। 31.03.2018 की स्थिति में तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं रही। दि. 31.03.2018 की स्थिति में स्थानांतरण हेतु कोई भी शेयर लंबित नहीं है।

ग्राहक सेवा समिति (सीएससी):

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीओडी सं एलईजी 96/09.07.007/2004-05, दि. 17.08.2004 के अनुसार बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु बोर्ड की ''ग्राहक सेवा समिति'' का गठन किया गया है।

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati– Chairman of Committee	04/04
2.	Shri Melwyn O Rego	06/06
3.	Shri Arun Shrivastava	02/02
4.	Shri Ravi Shanker Pandey	04/05
5.	Shri CH SS Mallikarjuna Rao	08/08
6.	Shri S Krishnan	03/03
7.	Shri G Ramesh	07/08
8.	Shri K K Singhal	08/08

SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES (SCMFFC):

In terms of RBI circular No.DBS.FGV(F) No. 1004/23.04.01A/2003-2004 dated 14.01.2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of ₹1 Crore and above.

During the year the Committee held 5 meetings on the following dates:

22.06.2017	31.10.2017	07.11.2017	02.02.2018	26.03.2018

The members of the Committee and their attendance at the meeting is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati– Chairman of Committee	04/04
2.	Shri Melwyn O Rego	02/04
3.	Shri Arun Shrivastava	01/01
4.	Shri Ravi Shanker Pandey	01/02
5.	Shri CH SS Mallikarjuna Rao	05/05
6.	Shri S Krishnan	03/03
7.	Shri R N Dubey	02/05
8.	Smt Vandana Kumari Jena	01/01
9.	Shri Sunil Vashisht	04/04

STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SHRC):

In terms of the Listing Agreement, the Board of Directors of the Bank constituted "Shareholders'/Investors' Grievance Committee –rechristened as Stakeholders Relationship Committee" of the Board, specifically to look into redressing shareholder and investor complaints/grievances like transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of dividend warrants etc. The Committee monitors the redressal of the grievances of the security holder of the Bank including complaints related to trade of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend warrants.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

09.05.2017	30.10.2017

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ravi Shanker Pandey	02/02
2.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	02/02
3.	Shri G Ramesh	02/02
4.	Shri K K Singhal– Chairman of Committee	01/01
5.	Shri Sunil Vashisht	01/01

During the year 2017-18, 898 complaints/ grievances/ queries were received from the Shareholders/ Investors of the Bank and all of them, have been resolved/ attended to. No complaint, was pending as on 31.03.2018. None of the complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31.03.2018.

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC):

In terms of RBI DBOD letter No. Leg 96/09.07.007/2004-05 dated 17.08.2004, "Customer Service Committee" of the Board was constituted to bring improvement in the quality of customer service in the Bank.

वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

04.08.2017	11.01.2018	01.02.2018

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मेलविन ओ रेगो– समिति के अध्यक्ष	03/03
2.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	01/01
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	02/03
4.	श्री एस कृष्णन	02/02
5.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	03/03
6.	श्री के के सिंघल	02/03

पारिश्रमिक समिति (आरसी)

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/1/2005 बी.ओ. 1 दिनांक 09.03.2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की गई एक उप समिति है।

वर्ष के दौरान समिति ने दि. 22.12.2017 को एक बैठक आयोजित की ।
समिति के सदस्यों तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी– समिति के अध्यक्ष	01/01
2.	श्री रा ना दुबे	01/01
3.	श्री जयंत पी गोखले	01/01
4.	श्री के के सिंघल	01/01

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी):

समय-समय पर विभिन्न आईटी परियोजनाओं के मार्गदर्शन / निगरानी के लिए बोर्ड की एक उप समिति गठित की गई है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं:

22.06.2017	31.10.2017	21.12.2017	02.02.2018

समिति के सदस्य तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मेलविन ओ रेगो	02/03
2.	श्री अरुण श्रीवास्तव	01/01
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	01/02
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	04/04
5.	श्री एस कृष्णन	02/02
6.	श्री जयंत पी गोखले	04/04
7.	श्री जी रमेश–समिति के अध्यक्ष	02/02
8.	श्री सुनील वशिष्ठ	02/02

शेयर अंतरण समिति (एसटीसी):

सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति, शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुन: कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती है और उनका अनुमोदन करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं।

22.12.2017	11.01.2018	15.03.2018

During the year the Committee held 3 meetings on the following dates:

04.08.2017	11.01.2018	01.02.2018

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Melwyn O Rego– Chairman of Committee	03/03
2.	Shri Ravi Shanker Pandey	01/01
3.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	02/03
4.	Shri S Krishnan	02/02
5.	Smt Vandana Kumari Jena	03/03
6.	Shri K K Singhal	02/03

REMUNERATION COMMITTEE (RC):

In terms of Government of India letter F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 09.03.2007, Remuneration Committee was constituted - a sub Committee of the Board to evaluate the performance of MD&CEO and EDs as per the Government of India guidelines.

During the year the Committee met once on 22.12.2017.

The members of the Committee and their attendance at the meeting is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati– Chairman of Committee	01/01
2.	Shri R N Dubey	01/01
3.	Shri Jayant Gokhale	01/01
4.	Shri Kamal Kishore Singhal	01/01

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC):

A sub Committee of the Board was constituted for guiding/ monitoring the various IT projects in place/ contemplated from time to time.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

22.06.2017	31.10.2017	21.12.2017	02.02.2018

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Melwyn O Rego	02/03
2.	Shri Arun Shrivastava	01/01
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	01/02
4.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	04/04
5.	Shri S Krishnan	02/02
6.	Shri Jayant P Gokhale	04/04
7.	Shri G Ramesh– Chairman of Committee	02/02
8.	Shri Sunil Vashisht	02/02

SHARE TRANSFER COMMITTEE (STC):

In accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, the Share Transfer Committee was constituted.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialisation of shares and matters relating thereto.

During the year the committee held 3 meetings on the following dates:

22.12.2017	11.01.2018	15.03.2018

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव-समिति के अध्यक्ष	03/03
2.	श्री एस कृष्णन	03/03
3.	श्री जी रमेश	02/02
4.	श्री के के सिंघल	02/03
5.	श्री सुनील वशिष्ठ	01/01

नामांकन समिति (एनसी):

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. सं. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01.11.2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु ''नामांकन समिति'' का गठन किया है।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) - वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए ।

समिति ने वर्ष के दौरान वर्तमान शेयरधारक निदेशक के स्तर को ''उपयुक्त तथा उचित'' सुनिश्चित करने के लिए दि. 10.01.2018 को एक बैठक आयोजित की।
समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी- समिति के अध्यक्ष	01/01
2.	श्री रा ना दुबे	01/01
3.	श्री जयंत पी गोखले	01/01
4.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	01/01
5.	श्री जी रमेश	01/01

एच आर समिति (एचआरसी):
बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30.10.2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 10 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गयीं।

09.05.2017	22.06.2017	04.08.2017	30.10.2017
21.12.2017	10.01.2018	02.02.2018	20.02.2018
15.03.2018	26.03.2018	-	-

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी- समिति के अध्यक्ष	04/04
2.	श्री मेलविन ओ रेगो	07/08
3.	श्री अरुण श्रीवास्तव	02/02
4.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	03/04
5.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	10/10
6.	श्री एस कृष्णन	06/06
7.	श्री रा ना दुबे	01/02
8.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	08/08
9.	श्री सुनील वशिष्ठ	10/10

वसूली निगरानी के लिए समिति (सीएमआर):

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं एफ. सं 7/112/2012-बीओए दिनांक 21 नवंबर, 2012 में कथित निर्देशों के अनुसार, नियमित आधार पर वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए सीएमडी, ईडी और भारत सरकार के निदेशक को सदस्य बनाते हुए वसूली निगरानी समिति का गठन किया गया है और यह समिति मासिक आधार पर अपनी रिपोर्ट बोर्ड को जमा करेगी ।

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao– Chairman of Committee	03/03
2.	Shri S Krishnan	03/03
3.	Shri G Ramesh	02/02
4.	Shri K K Singhal	02/03
5.	Shri Sunil Vashisht	01/01

NOMINATION COMMITTEE (NC):

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 as amended in 2006.

RBI has directed that the Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected Directors (Shareholder Directors) - both present and future.

The Committee met during the year on 10.01.2018 to determine the "fit & proper" of existing shareholder Directors.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati– Chairman of Committee	01/01
2.	Shri R N Dubey	01/01
3.	Shri Jayant Gokhale	01/01
4.	Smt Vandana Kumari Jena	01/01
5.	Shri G Ramesh	01/01

H.R. COMMITTEE (HRC):

H.R. Committee of the Board was first constituted on 30.10.2009 for the review of HR Systems/ practices in the Bank.
During the year the Committee held 10 meetings on the following date:

09.05.2017	22.06.2017	04.08.2017	30.10.2017
21.12.2017	10.01.2018	02.02.2018	20.02.2018
15.03.2018	26.03.2018	-	-

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati– Chairman of Committee	04/04
2.	Shri Melwyn O Rego	07/08
3.	Shri Arun Shrivastava	02/02
4.	Shri Ravi Shanker Pandey	03/04
5.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	10/10
6.	Shri S Krishnan	06/06
7.	Shri R N Dubey	01/02
8.	Smt Vandana Kumari Jena	08/08
9.	Shri Sunil Vashisht	10/10

COMMITTEE FOR MONITORING RECOVERY (CMR):

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, directives vide letter F.No. 7/112/2012-BOA dated 21st November, 2012, Committee for Monitoring Recovery was constituted with members viz., CMD, ED and Government of India Director to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board on monthly basis.

भारत सरकार ने अपने पत्र एफ.सं. 7/2/2015- वसूली, दिनांक 1 जनवरी, 2016 के माध्यम से निर्देश दिया है कि वसूली समिति की नियमित बैठकें निर्धारित अधिदेशी सम्मिश्रण के अभाव के चलते नहीं हो रही हैं, यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक समिति के गठन के संबंध में निर्धारित सम्मिश्रण का त्याग कर सकते हैं। यह भी निर्देश दिया गया है कि समिति को नियमित रूप से मिलना चाहिए और बैंक की दबावग्रस्त आस्तियों की निगरानी करनी चाहिए और कार्यवाही के अभिलेख और सिफारिशों को नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एमडी एवं सीईओ तथा ईडी (जो समिति के मौजूदा सदस्य हैं) के अलावा किसी भी स्वतंत्र निदेशक को शामिल करते हुए वसूली निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया।

वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित तिथियों में 8 बैठकें आयोजित की:

09.05.2017	04.08.2017	30.10.2017	22.12.2017
11.01.2018	02.02.2018	20.02.2018	26.03.2018

समिति के सदस्यों और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मेलविन ओ रेगो – समिति के अध्यक्ष	07/07
2.	श्री अरुण श्रीवास्तव	01/01
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	03/03
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	08/08
5.	श्री एस कृष्णन	05/05
6.	श्री रा ना दुबे	02/07
7.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	01/01
8.	श्री के के सिंघल	01/01
9.	श्री सुनील वशिष्ठ	07/07

क्यूआईपी को बढ़ाने के लिए निदेशकों की उप-समिति:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं ।

07.11.2017	12.12.2017	15.12.2017	20.12.2017

समिति के सदस्यों और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी – समिति के अध्यक्ष	04/04
2.	श्री मेलविन ओ रेगो	03/04
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	04/04
4.	श्री एस कृष्णन	04/04
5.	श्री जी रमेश	04/04

इरादतन चूककर्ता पहचान समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति (सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी):

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र सं. डी.बी.आर. सं. सी.आई.डी.बी.सी. 57/20.16.003/2014-15 दि. 01.07.2014 की शर्तों के अनुसार तथा दि. 07.01.2015 तक उसमें कृत अद्यतनों में निहित दिशानिदेशों के अनुसार बैंकों को इरादतन चूककर्ताओं की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 2 निदेशक उक्त समीक्षा समिति के अध्यक्ष हों।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को 2 बैठकें हुई।

31.10.2017	01.02.2018

समिति के सदस्यों तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मेलविन ओ रेगो- समिति के अध्यक्ष	02/02
2.	श्री जयंत पी गोखले	02/02
3.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	02/02

महा प्रबन्धक की अपीलों के निपटान के लिए निदेशकों की उप-समिति:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है।

The Government of India, vide their letter F.No. 7/2/2015-Recovery dated 1st January, 2016 directed that as the regular meetings of Recovery Committee are not taking place due to mandatory composition prescribed, it was decided to leave the composition of Recovery Committee to the Board of respective Public Sector Banks. It has also been directed that the Committee must meet regularly and monitor stressed assets of the Bank and its record of proceedings and recommendations must be placed before the Board regularly.

In view of the above, the Committee for Monitoring Recovery is reconstituted with inclusion of any independent Director in addition to MD & CEO and EDs (who are the existing members of the Committee.)

During the year the Committee held 8 meetings on the following dates:

09.05.2017	04.08.2017	30.10.2017	22.12.2017
11.01.2018	02.02.2018	20.02.2018	26.03.2018

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Melwyn O Rego– Chairman of Committee	07/07
2.	Shri Arun Shrivastava	01/01
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	03/03
4.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	08/08
5.	Shri S Krishnan	05/05
6.	Shri R N Dubey	02/07
7.	Smt Vandana Kumari Jena	01/01
8.	Shri K K Singhal	01/01
9.	Shri Sunil Vashisht	07/07

COMMITTEE OF DIRECTORS FOR RAISING CAPITAL-QIP:

The Committee was constituted in terms of Government of India guidelines.

During the year the Committee met 4 times on the following dates:

07.11.2017	12.12.2017	15.12.2017	20.12.2017

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati– Chairman of Committee	04/04
2.	Shri Melwyn O Rego	03/04
3.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	04/04
4.	Shri S Krishnan	04/04
5.	Shri G Ramesh	04/04

COMMITTEE FOR REVIEWING DECISION OF WILLFUL DEFAULTERS INDENTIFICATION COMMITTEE (CRDWDIC):

In terms of the RBI directions vide Master Circular No. DBR.No.CID.BC. 57/20.16.003/2014-15 dated 01.07.2014, and updated up to 07.01.2015, Banks were directed to form Committees to identify the cases of Wilful Defaulters. As per the RBI guidelines, the Review Committee shall be headed by the Chairman /MD & CEO and 2 Directors.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

31.10.2017	01.02.2018

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Melwyn O Rego– Chairman of Committee	02/02
2.	Shri Jayant P Gokhale	02/02
3.	Smt Vandana Kumari Jena	02/02

COMMITTEE OF THE BOARD FOR DISPOSAL OF GM'S APPEALS:

The Committee was constituted in terms of Government of India guidelines.

वर्ष के दौरान महा प्रबन्धक द्वारा अधिमानित अपीलों के निपटान पर दिनांक 05.08.2017 को एक बार समिति की बैठक हुई:

समिति के सदस्यों और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री जी रमेश - समिति के अध्यक्ष	01/01
2.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	01/01
3.	श्री सुनील वशिष्ठ	01/01

डिजिटल लेनदेन के लिए बोर्ड की उप समिति:

वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग परिचालन और लेखा), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं एफ सं 8/02/2015-बीओए दिनांक 4 अगस्त 2017 में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है।

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक दि. 30.10.2017 को हुई।

समिति के सदस्यों और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मेलविन ओ रेगो- समिति के अध्यक्ष	01/01
2.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	01/01
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	01/01
4.	श्री रा ना दुबे	01/01
5.	श्री जी रमेश	01/01

कारोबार समीक्षा समिति:

बोर्ड ने कारोबार कार्यनीति एवं जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट ध्यान दते हुए भारत में मौजूद बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा करने के लिए गठित डॉ पी जे नायक समिति के विचारों के अनुसार सात महत्वपूर्ण विषयों पर ज्यादा समय देना आवश्यकता है। अवलोकनों के मद्देनजर, बोर्ड ने 13.09.2017 को आयोजित बैठक में बोर्ड को नियमित नोटस की समीक्षा करने के लिए कारोबार समीक्षा समिति- निदेशकों की उप-समिति का गठन करने का निर्देश दिया ताकि बोर्ड मुख्य रूप से नीतिगत मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सके।

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं ।

21.12.2017	01.02.2018

समिति के सदस्यों और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मेलविन ओ रेगो - समिति के अध्यक्ष	02/02
2.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	01/02
3.	श्री एस कृष्णन	02/02
4.	श्री जयंत पी गोखले	02/02
5.	श्री जी रमेश	02/02

ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (राजपत्रित अधिसूचना दि. 05.12.2011 के तहत शामिल) के खंड 13 ए के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। किसी व्यक्ति/कंपनी या एक ही समूह के सभी उधारकर्ताओं/कंपनियों के प्रस्तावित एक्सपोज़र सहित कुल एक्सपोज़र ₹400.00 करोड़ से अधिक न होने पर उन मामलों में निर्णय लेने के लिए बोर्ड समान अधिकार इस समिति को होगा।

समिति के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य हैं:

(ए) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी - समिति के अध्यक्ष

(बी) कार्यपालक निदेशक

(सी) महाप्रबंधक (ऋण)

(डी) महाप्रबंधक (लेखा)/ मुख्य वित्त अधिकारी

(ई) महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)/ मुख्य जोखिम अधिकारी

(एफ) महाप्रबंधक (वसूली विभाग)

The Committee met once during the year on 05.08.2017 to dispose appeals preferred by General Manager's.
The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri G Ramesh– Chairman of Committee	01/01
2.	Smt Vandana Kumari Jena	01/01
3.	Shri Sunil Vashisht	01/01

COMMITTEE OF THE BOARD FOR DIGITAL TRANSACTIONS:

The Committee was constituted in terms of guidelines vide letter ref. no. F.No. 8/02/2015-BOA dated 4th August 2017 of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (Banking Operation & Accounts).

The Committee met once during the year on 30.10.2017.

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Melwyn O Rego– Chairman of Committee	01/01
2.	Shri Ravi Shanker Pandey	01/01
3.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	01/01
4.	Shri R N Dubey	01/01
5.	Shri G Ramesh	01/01

BUSINESS REVIEW COMMITTEE:

The Board felt lot of time is required to be spent largely on the seven critical themes as per the views of the Dr. P.J.Nayak Committee to review Governance of Boards of Banks in India, with specific attention given to Business Strategy and Risk Management. In view of the observations, the Board in its meeting held on 13.09.2017 directed to constitute Business Review Committee – a Sub-Committee of the Directors, for reviewing routine notes being placed to the Board so as to enable the Board to concentrate mainly on Policy matters.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

21.12.2017	01.02.2018

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Melwyn O Rego– Chairman of Committee	02/02
2.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	01/02
3.	Shri S Krishnan	02/02
4.	Shri Jayant P Gokhale	02/02
5.	Shri G Ramesh	02/02

CREDIT APPROVAL COMMITTEE (CAC):

The Credit Approval Committee was constituted in terms of Clause 13A of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (inserted vide Gazette Notification dated 05.12.2011). The Committee exercises such powers of the Board subject to total exposure including proposed exposure to an individual /company or to all the borrowers /companies in the same group not exceeding ₹400.00 Crore.

The Committee consists of the following members:

(a) Managing Director & Chief Executive Officer – Chairman of the Committee
(b) Executive Directors;
(c) General Manager (Credit);
(d) General Manager (Accounts) / Chief Financial Officer
(e) General Manager (Risk Management) /Chief Risk Officer
(f) General Manager (Recoveries Department)

वर्ष के दौरान समिति की 27 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं ।

13.04.2017	04.05.2017	17.05.2017	03.06.2017	28.06.2017
15.07.2017	19.07.2017	09.08.2017	05.09.2017	18.09.2017
25.09.2017	04.10.2017	06.10.2017	27.10.2017	15.11.2017
07.12.2017	15.12.2017	26.12.2017	27.12.2017	02.01.2018
22.01.2018	05.02.2018	19.02.2018	05.03.2018	20.03.2018
21.03.2018	28.03.2018	-	-	-

समिति में मौजूद निदेशक एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नलिखित है:

क्र.सं	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री मेलविन ओ रेगो- समिति के अध्यक्ष	22/22
2.	श्री अरुण श्रीवास्तव	05/05
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	12/14
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	26/27
5.	श्री एस कृष्णन	12/13

बोर्ड में परिवर्तन

1. श्री अजय विपिन नानावटी ने बैंक के अध्यक्ष के रूप में दि. 22.08.2017 को कार्यभार ग्रहण किया ।
2. श्री मेलविन ओ रेगो ने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दि. 01.07.2017 को कार्यभार ग्रहण किया ।
3. श्री एस कृष्णन ने बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में दि. 01.11.2017 को कार्यभार ग्रहण किया ।
4. श्री अरुण श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत्त हुए।
5. श्री रवि शंकर पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक दिनांक 31.10.2017 को सेवानिवृत्त हुए।
6. श्री रुद्रनारायण कर, नामिती निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक - दिनांक 01.07.2017 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ।

निदेशकों के पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक, गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु बैठक शुल्क, यात्रा व्यय तथा विराम भत्ता के अलावा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं देता है।

बैठक शुल्क

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15/1/2011/बी.ओ.आई. दि. 20.07.2015 के अनुसार, गैर-सरकारी निदेशक को, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹20,000/- प्रति बैठक तथा अन्य समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹10,000/- प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क अदा किया जाता है।

दि. 01.04.2017 से दि. 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान निदेशकों को प्रदत्त शुल्क के विवरण:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अजय विपिन नानावटी	3,80,000
2.	श्री के के सिंघल	4,30,000
3.	श्री जयंत पी गोखले	4,70,000
4.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना	5,30,000
5.	श्री जी रमेश	5,50,000
6.	डॉ सुनील वशिष्ठ	6,70,000
	कुल	30,30,000

आचार संहिता

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया है । इसे बैंक की वेबसाइट पर ''**शेयरहोल्डर इन्फार्मेशन**'' के अंतर्गत रखा गया है ।

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है ।

निवेशकों की शिकायत

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए हमारे बैंक ने शिकायतों की प्राप्ति/समाधान के लिए एक विशेष **ई-मेल आई.डी. - "syndinvest@syndicatebank.co.in"**, खोल रखी है ताकि बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सके ।

During the year, the Committee met 27 times on the following dates:

13.04.2017	04.05.2017	17.05.2017	03.06.2017	28.06.2017
15.07.2017	19.07.2017	09.08.2017	05.09.2017	18.09.2017
25.09.2017	04.10.2017	06.10.2017	27.10.2017	15.11.2017
07.12.2017	15.12.2017	26.12.2017	27.12.2017	02.01.2018
22.01.2018	05.02.2018	19.02.2018	05.03.2018	20.03.2018
21.03.2018	28.03.2018	-	-	-

The Directors in the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Melwyn O Rego– Chairman of Committee	22/22
2.	Shri Arun Shrivastava	05/05
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	12/14
4.	Shri CH S S Mallikarjuna Rao	26/27
5.	Shri S Krishnan	12/13

CHANGES IN THE BOARD:

1. Shri Ajay Vipin Nanavati has assumed charge as Non-Executive Chairman of the Bank on 22.08.2017.
2. Shri Melwyn O Rego has assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank on 01.07.2017.
3. Shri S Krishnan has assumed charge as Executive Director of the Bank on 01.11.2017.
4. Shri Arun Shrivastava, Managing Director & Chief Executive Officer superannuated on 30.06.2017.
5. Shri Ravi Shanker Pandey, Executive Director superannuated on 31.10.2017.
6. Shri Rudra Narayan Kar, Nominee Director – Reserve Bank of India, (on VRS) w.e.f. 01.07.2017.

REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration of the Managing Director & Chief Executive Officer and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fees, travelling expenses and halting expenses for attending meetings.

SITTING FEES:

Sitting fees is paid to the non-official Directors at the rate of ₹20,000/- and ₹10,000/- per meeting for attending Board and other Committee meetings respectively, in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 20.07.2015.

Details of Sitting Fees paid to Directors during the period from 01.04.2017 to 31.03.2018:

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees (₹)
1.	Shri Ajay Vipin Nanavati	3,80,000
2.	Shri K K Singhal	4,30,000
3.	Shri Jayant P Gokhale	4,70,000
4.	Smt Vandana Kumari Jena	5,30,000
5.	Shri G Ramesh	5,50,000
6.	Shri Sunil Vashisht	6,70,000
	TOTAL	30,30,000

Code of Conduct

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and Senior Management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e. under "**shareholders information"**

All Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance to the code.

Investor Grievance

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an **e-mail ID "syndinvest@syndicatebank.co.in"** exclusively for the purpose of receiving /addressing complaints and to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

अनुपालन अधिकारी

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियम 6 (1) के अनुसार श्री सुशांत जैन, बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन करने तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया की निगरानी करने वाले अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

दि. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण:

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री अजय विपिन नानावटी	शून्य
श्री रा ना दुबे	शून्य
श्री रुद्र नारायण कर	शून्य
श्री जयंत गोखले	शून्य
श्रीमति वंदना कुमारी जेना	शून्य
श्री जी रमेश	शून्य
श्री कमल किशोर सिंघल	200
श्री सुनील वशिष्ठ	299

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने, सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के अनुसार किया है।

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की प्रमात्रा निम्न प्रस्तुत है:

आवश्यकताएँ	अनुपालन
बैंक से अपेक्षित है कि वे अपनी ओर से तथा शेयरधारकों की ओर से तयशुदा शर्तों के साथ, पेंशन के अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान सहित कार्यपालक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर बैंक की नीति निर्धारित करने हेतु एक पारिश्रमिक समिति का गठन करें।	भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यपालक निदेशक(कों) की प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।
अग्रचेतक नीति बैंक में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या बैंक की आचरण संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु बैंक कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली लागू करें और कर्मचारियों को उत्पीडन से बचाव के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करें।	बैंक ने अपने परिपत्रों के माध्यम से यह दोहरा रहा है कि कर्मचारी सदस्य शिकायतों/सुझावों के रूप में संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना को उचित माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। वर्ष के दौरान परिपत्र के माध्यम से अग्रचेतक नीति पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । आवश्यकता/अनिवार्यता की स्थिति में बिना किसी झिझक या डर के उसे सीधे समुचित प्राधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी सदस्य विचलनों को लिखित रूप में और विधिवत हस्ताक्षर करके प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं जिनको रोकना/परिशोधित करना संगठन के हित की दृष्टि में आवश्यक है। बैंक, पब्लिक इंट्रेस्ट डिसक्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फोर्मर्स (पी आई डी पी आई) रेजोल्यूशन के अंतर्गत अग्रचेतक नीति के अनुपालन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बैंक ने अग्रचेतक सूचक नीति बनाई है, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और एतदर्थ एक समर्पित ईमेल आईडी whistleblower@syndicatebank.co.in भी उपलब्ध है।
वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा तथा पिछले 6 महीने से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित किया जाए।	बैंक द्वारा इसका अनुपालन अपनी आवश्यकता को वेबसाइट में अपलोड करने के द्वारा किया जाता है।
लेखा परीक्षा अर्हताएं - बैंक अनर्हक वित्तीय विवरण प्रणाली अपना सकता है।	बैंक के वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है।

COMPLIANCE OFFICER

In terms of Regulation 6(1) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 2015, Shri Sushant Jain, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.,

Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31.03.2018

Name of the Director	Number of shares held
Shri Ajay Vipin Nanavati	Nil
Shri R N Dubey	Nil
Shri Rudra Narayan Kar	Nil
Shri Jayant Gokhale	Nil
Smt Vandana Kumari Jena	Nil
Shri G Ramesh	Nil
Shri Kamal Kishore Singhal	200
Shri Sunil Vashisht	299

Compliance to mandatory / non-mandatory requirements

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of mandatory / non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment	Remuneration Committee of the Board has been constituted to determine the incentive payments to Managing Director and Chief Executive Officer / Executive Directors in terms of the Government of India guidelines
Whistle Blower Policy The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees	The Bank has reiterated time and again through internal circulars that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints / suggestions/grievances through proper channel. Guidelines on whistle blower policy were also issued during the year by way of circular. In case of urgency/exigency, it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can, thus effectively perform the role of a genuine "Whistle Blower' in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is not in the interest of the organization and needs to be checked/rectified. Bank follows Central Vigilance Commission guidelines on Whistle Blower Policy complaints under public Interest Disclosure and protection of informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy, which is placed on website of the Bank and dedicated email id i.e.whistleblower@syndicatebank.co.in is available.
A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant event in the last six months may be sent to each shareholder	The Bank ensures compliance by uploading the requirement in the website.
Audit qualifications – Bank may move towards a regime of unqualified financial statements	The audit report on the financial statements of the Bank is unqualified.

आवश्यकताएँ	अनुपालन
बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण - बैंक, अपने बोर्ड सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडल तथा कारोबार की जोखिम प्रोफाइल के संबंध में प्रशिक्षण दे सकता हैं जिनके अंतर्गत मंडल के सदस्यों को अपने दायित्व तथा कर्तव्य के निर्वाह में सुविधा होगी।	बैंक, अपने निदेशकों को भरपूर प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशकों ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया: 1. वाणिज्यिक बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: सीएएफआरएएल द्वारा आयोजित 2. बैंकों के लिए भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन और बैंकों की बैलेंस शीट की जटिलताओं पर एक दिवसीय कार्यशाला: सीएएफआरएएल द्वारा आयोजित 3. बोर्डों पर केंद्रित कॉर्पोरेट प्रशासन के मूल्य संवर्धन के लिए सीआईआई निदेशक गिल्ड प्लैटिनम स्तर कार्यक्रम पर दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 4. 'इट्स हर टाइम ऑन बोर्ड' पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: सार्वजनिक उद्यम संस्थान द्वारा आयोजित 5. कॉर्पोरेट प्रशासन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा आयोजित
गैर-कार्यकारी निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी समकक्ष समूह द्वारा करवाया जाए, जिसमें सभी निदेशक शामिल हों और समकक्ष समूह के मूल्यांकन को गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने/उसे जारी रखने की प्रणाली के रूप अपनाया जाए।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दि. 01.11.2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों का वार्षिक आधार पर चयन करते समय और बैंक बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त और उचित स्थिति का पालन किया जाता है।

कंपनी की शेयर पूंजी

बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ है जो प्रत्येक ₹10 के 300 करोड़ ईक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित हैं। दि. 31.03.2017 की स्थिति में बैंक की प्रदत्त पूँजी, जो ₹904.54 करोड़ थी, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 85(1) के अनुसार निर्धारित 74.15 के प्रीमियम सहित प्रति शेयर ₹84.15 (चौरासी रुपए पंद्रह पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद हेतु अर्हता प्राप्त संस्थानन के माध्यम से प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य वाले ₹1150.80 करोड़ सकल मूल्य के 13,67,55,924 (तेरह करोड़ सड़सठ लाख पचपन हज़ार नौ सौ चौबीस) ईक्विटी शेयर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता को आबंटित करने के पश्चात्, दिनांक 31.12.2017 को बढ़कर ₹1041.30 करोड़ हो गई। बैंक की चुकता पूंजी, पुनः दिनांक 31.03.2018 को ₹1417.27 करोड़ बढ़ी है क्योंकि, बैंक ने सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित ₹65.51 के प्रीमियम सहित ₹75.51 (पचहत्तर रुपये इक्यावन पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद हेतु प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य वाले ₹2839.00 करोड़ सकल मूल्य के 37,59,76,691 (सैंतीस करोड़ उनसठ लाख छिहत्तर हज़ार छःसौ इक्यानवे) ईक्विटी शेयर अधिमान्य आधार पर दिनांक 27.03.2018 को भारत सरकार के पक्ष में जारी किए।

भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी शेयर निर्गत और आबंटित करने के पश्चात बैंक की कुल चुकता पूँजी ₹1417.27 करोड़ हो गई है। बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत 63.34% से बढ़कर 73.07% (9.73% की वृद्धि) हो गया चूंकि, वृद्धि 5 % से अधिक थी, सेबी (शेयरों का भौतिक अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, अल्पसंख्यक शेयरधारकों को शेयर प्रदान करने, सेबी से अनुमोदन प्राप्ति आदि के संबंध में सेबी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

आम बैठकें

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ए (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नवत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	26.06.2015	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	24.06.2016	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
अठारहवीं वार्षिक आम बैठक	23.06.2017	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

Requirement	Compliance
Training of Board Members – Bank may train its Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, their responsibilities as directors, and the best ways to discharge them.	The Bank is providing training opportunities to its directors to enable them to discharge their duties effectively. During the year 2017-18, following training programmes were attended by the Directors: 1. Two day training programme for Non-Executive Directors on the Boards of Commercial Bank: Conducted by CAFRAL. 2. One day workshop on Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) for Banks and implications for Bank Balance sheet: Conducted by CAFRAL. 3. Two day training programme- CII Directors Guild Platinum Level Programme focused on Boards that Corporate Governance that builds value: Conducted by CII. 4. Two day training programme- It's HER TIME on Board: Conducted by IPE. 5. Two day training programme on Corporate Governance: Conducted by IICA.
The performance evaluation of non-executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to determine whether to exceed/continue the terms of appointment of non-executive directors	As per RBI guidelines dated 01.11.2007, a fit and proper status is being looked into by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Directors and on annual basis.

Share Capital of the Company

The Authorized Capital of the Bank is ₹3000 Crore, divided into 300 crore of equity shares of ₹10/- each. The Paid up Capital of the Bank, which stood at ₹904.54 Crore as on 31.03.2017 increased to ₹1041.30 Crore as on 31.12.2017after the allotment of 13,67,55,924 (Thirteen crore sixty seven lakh fifty five thousand nine hundred twenty four) equity shares of the face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹84.15 (Rupees eighty four and paise fifteen only) per share including premium of Rs 74.15 as determined in accordance with regulation 85(1) of SEBI (ICDR) Regulations, aggregating upto ₹1150.80 Crore through Qualified Institutional Placement (QIP) to Qualified Institutional Buyers (QIBs). The paid up capital further increased to ₹1417.27 Crore as at 31.03.2018 as the Bank had, on 27.03.2018, allotted 37,59,76,691 (Thirty seven crore fifty nine lakh seventy six thousand six hundred ninety one) equity shares of face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹75.51 (Rupees seventy five and paise fifty one only) including premium of ₹65.51 as determined in accordance with regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations, aggregating upto ₹2839.00 Crore on preferential basis in favour of Government of India.

The total Paid up Capital of the Bank increased to ₹1417.27 Crore, after the issue and allotment of equity shares in favour of Government of India and the percentage of Government of India shareholding in the Bank went up from 63.34% to 73.07%(an increase of 9.73%). Since the increase was more than 5%, approval of SEBI was obtained in terms of the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations with regard to obtaining SEBI Approval, offering shares to minority shareholders etc.

GENERAL BODY MEETINGS:

i) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance-Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance-Sheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below.

NATURE OF GENERAL MEETING	DATE	TIME	VENUE
Sixteenth Annual General Meeting	26.06.2015	11.00 A.M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Seventeenth Annual General Meeting	24.06.2016	10.00 A.M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Eighteenth Annual General Meeting	23.06.2017	10.00 A.M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL

ii) शेयरधारकों की पिछली तीन असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे निम्नवत हैं:

दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य
शनिवार, 30 अप्रैल 2016	प्रात: 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों के आबंटन हेतु.
शुक्रवार, 16 सितंबर 2016	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों के आबंटन तथा केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से एक को निदेशक के रूप में चयन करने हेतु.
शुक्रवार, 16 मार्च 2018	प्रात: 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों के आबंटन हेतु.

वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में पिछले 3 वर्षों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:
दि. 30.04.2016, 16.09.2016 तथा 16.03.2018 को संपन्न असाधारण आम बैठकों में भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी ईक्विटी शेयर जारी करने और एक शेयरधारक निदेशक का चयन करने तथा भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी ईक्विटी शेयर जारी करने संबंधी विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

डाक मत, यदि कोई हो, के द्वारा पारित विशेष प्रस्तावों के विवरण:
बैंक में डाक मतदान संबंधी प्रावधान लागू नहीं है।

प्रकटीकरण
बैंक का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 द्वारा किया जाता है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो कंपनियां नहीं है, परंतु वे अन्य संविधि के अंतर्गत निगमित निकाय (यानी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि) हैं तो सेबी (सूचीकरण आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के अनुसार उस सीमा तक लागू होंगे कि वे अपने संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी संगत संविधि तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

i. **निदेशकों का पारिश्रमिक**
बैंक द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है जो इस प्रकार है:
बोर्ड की बैठक के लिए : ₹20,000/- प्रति बैठक
समिति की बैठक के लिए : ₹10,000/- प्रति बैठक

ii. **महत्वपूर्ण लेन-देन और आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण**
बैंक ने अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार से भिन्न अपने किसी भी प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, अपनी सहायक संस्थाओं या रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों पर विरोध होने की संभावना हो । वर्ष के दौरान गैर कार्यपालक निदेशक(कों) के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है ।
बैंक की यह सुस्थापित पद्धति है कि जब निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के संबंध में बैठक में चर्चा होती है तो वे निदेशक मंडल या अन्य उप-समितियों के विचार-विमर्श में सहभागिता नहीं करते हैं ।

iii. **सार्वजनिक निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि की प्राप्य राशि:**
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) पद्धति का अनुसरण कर नकद के प्रति ₹1,150.80 करोड़ मूल्य के ₹10/- रुपए के अंकित मूल्य युक्त 13,67,55,924 (तेरह करोड़ सड़सठ लाख, पचपन हज़ार नौ सौ चौबीस) ईक्विटी शेयरों की बिक्री अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ₹84.15 (चौरासी रूपए पंद्रह पैसे मात्र) प्रति शेयर, के जारी मूल्य पर ₹74.15 की प्रीमियम राशि के साथ, जो सेबी (आईसीडीआर) के विनियमन 85(1) का अनुपालत कर निर्धारित है, की है और ₹2839.00 करोड़ मूल्य के ₹10/- के अंकित मूल्य के 37,59,76,691 (सैंतीस करोड़ उनसठ लाख छिहत्तर हज़ार छः सौ इक्यानवे) ईक्विटी शेयर की बिक्री नकद के प्रति भारत सरकार को अधिमान्यता के आधार पर ₹75.51 प्रति शेयर के जारी मूल्य पर ₹65.51 की प्रीमियम राशि के साथ, जो सेबी (आईसीडीआर) के विनियमन 76(1) का अनुपालन कर निर्धारित है, प्रदान किया है।

यह निधि पूँजी पर्याप्तता अनुपात को बलोपेत करने, बैंक के निधि विकास को समर्थन देने, सीईटी- I में निर्धारित न्यूनतम पूँजी मानकों को बनाए रखने और पूँजी बफर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई गई है और इनका विनियोग कथित उद्देश्यों के लिए किया गया है।

iv. बैंक के संगत-पार्टी लेन-देनों का प्रकटीकरण दि. 31.03.2018 के तुलन-पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है। संगत-पार्टी के लेन-देनों से संबंधित नीति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/MenuDoc/Related_Party_Transaction_Policy.pdf

v. ''महत्त्वपूर्ण समनुषंगी'' निर्धारण हेतु नीति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_Determination_of_material_subsidiary.pdf

ii) The details of the last three Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

Day & Date	Time	Venue	Purpose
Saturday, April 30, 2016	11.00 A.M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis in favour of Government of India.
Friday, September 16, 2016	10.00 A.M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis in favour of Government of India and To elect one Director from amongst shareholders of the bank other than Central Government.
Friday, March 16, 2018	10.00 A.M	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis in favour of Government of India.

Details of Special Resolutions passed at AGM / EGM during the last 3 years; Special resolutions were passed in the EGM held on 30.04.2016, 16.09.2016 and 16.03.2018 for approving preferential issue of equity shares in favour of Government of India, approving preferential issue of equity share in favour of Government of India & election of one Share Holder Director and preferential issue of equity shares in favour of Government of India.

Details of Special Resolutions passed through Postal Ballot, if any. :
Provisions relating to Postal Ballot are not applicable to the Bank.

DISCLOSURES:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not Companies, but Body Corporate (e-g. Private and Public Sector Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, etc.) incorporated under other statutes, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i. **Remuneration of Directors**

The Bank does not pay any remuneration to the non-executive Directors excepting sitting fees, which is as under:
For Board Meeting : ₹20,000/- per meeting
For Committee Meeting : ₹10,000/- per meeting

ii. **Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of Banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its Promoters, Directors or the management, their subsidiaries or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director(s) vis-à-vis the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.

iii. **Proceeds from public issues, preferential issues, Bonds, etc.**

During the year under review, the Bank has issued 13,67,55,924 (Thirteen crore sixty seven lakh fifty five thousand nine hundred twenty four) equity shares of the face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹84.15 (Rupees eighty four and paise fifteen only) per share including premium of ₹74.15 as determined in accordance with regulation 85(1) of SEBI (ICDR) Regulations, aggregating to ₹1,150.80 Crore through Qualified Institutional Placement (QIP) to Qualified Institutional Buyers (QIBs) and issued 37,59,76,691 (Thirty seven crore fifty nine lakh seventy six thousand six hundred ninety one) equity shares of face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹75.51 (Rupees seventy five and paise fifty one only) including premium of ₹65.51 as determined in accordance with regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations, aggregating upto₹2839.00 Crore on preferential basis in favour of Government of India.

The funds were raised for strengthening Capital Adequacy Ratio, fund the credit growth of the Bank, meeting regulatory capital norms in terms of minimum Common Equity Tier I (CET-I) and Capital Buffer requirements and the same were utilized for the said purpose.

iv. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2018. Policy on dealing with related party transactions is available under the following web link:
https://www.syndicatebank.in/MenuDoc/Related_Party_Transaction_Policy.pdf

v. Policy for determining "material subsidiaries" is available under the web link :
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_Determination_of_material_subsidiary.pdf

vi.महत्त्वपूर्ण इवेंट के निर्धारण एवं प्रकटीकरण संबंधी नीति निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_determination_and_disclosure_of_material_events.pdf

vii.कॉमोडिटी मार्केट गतिविधियों में बैंक भाग नहीं लेता है।

viii.बैंक ने जब से शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूँजी बाज़ार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है।

ix.जनहित में प्रकटीकरण व सूचनादाताओं की सुरक्षा संबंधी (पी.आई.डी.पी.आई.) प्रस्ताव के तहत की गई शिकायतों के बारे में बैंक अग्रचेतक नीति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निदेशों का पालन करता है। बैंक ने एक नीति बनाई है जो निम्न वेबलिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Whistle-Blower-Policy.pdf
किसी कार्मिक ने मंडल की लेखा परीक्षा समिति की कार्रवाई से इनकार नहीं किया है।

x. दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले 3 वर्षो के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में शेयर बाज़ार या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की आलोचना की गयी है ।

xi.बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और जहाँ कहीं भी लागू हो, पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है ।

xii.सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है जो निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है ।
https://www.syndicatebank.in/downloads/Dividend-Distribution-Policy.pdf

xiii.सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (8) के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

xiv.सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V(ई) के अनुसार वर्ष 2017-2018 केलिए बैंक ने कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

xv.सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 40(09) के अनुसार, प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, संप्रेषण, उप-विभाजन, समेकन, नवीकरण और ईक्विटी शेयरों के विनिमय के संबंध में व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद से हर छह महीने में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है । सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के अनुसार उक्त प्रमाण-पत्रों को बी.एस.ई. और एन.एस.ई. को प्रस्तुत कर दिया जाता है।

xvi.सेबी परिपत्र सं. डी. एण्ड सी.सी./एफ.आई.टी.टी.सी./सी.आई.आर. 16 दि. 31.12.2002 (ईक्विटी सूचीकरण करार विनियम 55ए) के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपगारों यानी एन.एस.डी.एल. तथा सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य से और सेबी के निर्देशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर शेयर पूँजी समाधान लेखा परीक्षा की जाती है। इस संबंध में निर्गत रिपोर्ट को क्रमश: दि. 21.04.2017, 20.07.2017, 21.10.2017 और 08.01.2018 को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है ।

xvii.बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3) के तहत भारत सरकार द्वारा बैंक का बोर्ड गठित है। सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 की अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित निम्नलिखित लागू विवेकाधिकार अपेक्षाओं का पालन करने के लिए बैंक कदम उठा रहा है:

- असंशोधित लेखा परीक्षा राय सहित वित्तीय विवरण संबंधी व्यवस्था की ओर अग्रसर होना।
- शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को, पिछले छ: महीनों के महत्वपूर्ण आयोजनों की संक्षिप्त विवरणी निहित वित्तीय निष्पादन के प्रकटीकरण को अर्धवार्षिक आधार पर भेजना।

xviii. बैंक, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनिमय 46 के उप-विनियम के खंड (बी) (i) एवं विनियम 17 से 27 में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

संप्रेषण माध्यम

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें कॉरपोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी प्रवाह विवरण इत्यादि शामिल होते हैं। बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों को शेयरधारक, स्टॉक एक्स्चेंजों की सूचना के अलावा, समाचार पत्रों या बैंक की वेबसाइट (www.syndicatebank.in) के ज़रिए भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों को निम्नलिखित

vi. Policy on determination and disclosure of material events is available under the following web link : https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_determination_and_disclosure_of_material_events.pdf

vii. The Bank does not undertake Commodity market activities.

viii. The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.

ix. Bank follows Central Vigilance Commission guidelines on Whistle Blower Policy complaints under public Interest Disclosure and protection of informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy, which is available under the following web link:

https://www.syndicatebank.in/downloads/Whistle-Blower-Policy.pdf

No personnel has been denied access to the Audit Committee of the Board.

x. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March 2018.

xi. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame wherever applicable.

xii. In terms of Regulation 43A of SEBI (Listing Obligations& Disclosure Requirements) Regulation, 2015, Bank has framed Dividend Distribution Policy which is available under the following web link:

https://www.syndicatebank.in/downloads/Dividend-Distribution-Policy.pdf

xiii. The Certificate of CEO and CFO in terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this Report.

xiv. In terms of Regulation 34(3) and Schedule V(E) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2017-18 and the same is annexed to this Report.

xv. As required under Regulation 40(09) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary viz. M/s. K K Rao and Associates, Hyderabad, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are filed to BSE and NSE as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

xvi. In terms of SEBI's Circular No. D &CC/FITTC/CIR-16 dated 31.12.2002 (Regulation 55A of the equity listing agreement, a Share Capital Reconciliation Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s. K K Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of SyndicateBank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Reports issued in this regard were placed before the Board of Directors of the Bank on 21.04.2017, 20.07.2017, 21.10.2017 and 08.01.2018, respectively and forwarded within 30 days from the end of the quarter to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

xvii. Board of the Bank is constituted by Government of India in terms of Section 9(3) Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. Bank is taking steps for complying with the following applicable discretionary requirements as specified in Part E of Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

– To move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.

– To send a half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, to each household of shareholders.

xviii. Bank is in compliance with Corporate Governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clause (b) (i) of sub-regulation (s) of regulation 46 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

MEANS OF COMMUNICATION:

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders can also see the Bank's performance/financial results through newspapers or Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly /

अंग्रेजी, हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया :

अवधि	समाचार पत्र का नाम			प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेजी	हिंदी	कन्नड़	
मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस स्टैंडर्ड	विजयवाणी	10.05.2017
जून 2017 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस स्टैंडर्ड	उदयवाणी	07.08.2017
सितंबर 2017 को समाप्त अर्ध-वर्ष	फाइनांशियल एक्सप्रेस	जनसत्ता	प्रजावाणी	01.11.2017
दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस स्टैंडर्ड	विजय कर्नाटक	10.02.2018

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33(3) एवं 52 के अनुसार, वित्तीय परिणाम एवं मूल्य संवेदी सूचना (ओं) की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी:
उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर

बैंक के शेयरधारकों की 19 वीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल - 576 104 में, दिनांक 28.06.2018 को प्रात: 10.00 बजे होगी और वर्ष 2018-2019 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1	31.03.2018 के वार्षिक वित्तीय लेखों के अनुमोदन के लिए बोर्ड की बैठक	15.05.2018
2	पूँजी योजना 2018-2019 के लिए बोर्ड की बैठक	06.06.2018
3	वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	06.06.2018 to 8.06.2018
4	बही बंदी (दोनों दिन सहित)	22.06.2018 से 28.06.2018 तक
5	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	22.06.2018
6	19 वीं वार्षिक आम बैठक	28.06.2018
7	प्रथम 3 तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर
8	पत्र-व्यवहार का पता	कंपनी सचिव, सिंडिकेट बैंक, निवेशक संपर्क केंद्र, कॉरपोरेट कार्यालय, गांधीनगर, बेंगलूरु - 560 009

सूचीकरण:
बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण किया गया है :

क्र.सं.	एक्स्चेंज का नाम	स्क्रिप कूट
ए.	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ''एक्स्चेंज प्लाज़ा'', बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	–SYNDIBANK–
बी.	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001	532276

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा बैंक को आबंटित आई.एस.आई.एन. कूट आई.एन.ई. 667ए 01018 है ।
दि. 31.03.2019 तक के वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को कर दिया गया है।

शेयर बाजार आंकड़े
वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बी.एस.ई.) और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा निम्न भाव दर निम्नानुसार हैं :

half-yearly financial results are published in the English, Hindi and Regional newspapers as detailed below:

Period	Name of the Daily			Date of Publication
	English	Hindi	Kannada	
Year ended March 2017	Business Standard	Business Standard	Vijayavani	10.05.2017
Quarter ended June 2017	Business Standard	Business Standard	Udayavani	07.08.2017
Half year ended September 2017	Financial Express	Jansatta	Prajavani	01.11.2017
Quarter ended December 2017	Business Standard	Business Standard	Vijaya Karnataka	10.02.2018

In terms of Regulation 33(3) and 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS:

19th Annual General Meeting and the Financial Calendar:

The 19thAnnual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held at Syndicate Bank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on 28.06.2018 at 10.00 A.M. and Financial Calendar of the Bank for the year 2018-2019 is as follows.

Sl. No.	Nature of activity	Date
1	Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31.03.2018.	15.05.2018
2	Board Meeting for Capital Plan 2018-2019	06.06.2018
3	Mailing of Annual Reports	06.06.2018 to 08.06.2018
4	Book Closure (Both days inclusive)	22.06.2018 to 28.06.2017
5	Last date for receipt of Proxy Forms	22.06.2018
6	19thAnnual General Meeting	28.06.2018
7	Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters	Within 45 days from the end of the quarter
8	Address for Correspondence	The Company Secretary, Syndicate Bank, Investor Relations Centre, Corporate Office, Gandhinagar, Bengaluru 560 009

Listing:

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges:

Sl No.	Name of the Exchange	Scrip Code
a	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza"Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051	SYNDIBANK
b.	BSE Ltd., PhirozeJeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai 400 001	532276

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.

The Annual Listing fees upto 31.03.2019 have been paid to both the Stock exchanges within the prescribed due dates.

STOCK MARKET DATA

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd.(NSE) during the Financial Year 2017-2018 is as follows:

वर्ष–माह	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज			नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज		
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन–देन की प्रमात्रा (सं.)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन–देन की प्रमात्रा (सं.)
2017 – अप्रैल	84.40	69.35	60,95,910	86.45	69.60	5,29,49,532
2017 – मई	94.90	74.20	1,38,04,871	95.00	74.00	15,76,54,384
2017 – जून	82.95	70.85	76,21,686	83.10	70.85	8,59,71,190
2017 – जुलाई	79.25	72.15	75,44,033	79.20	72.10	6,54,67,906
2017 – अगस्त	75.90	61.40	44,45,325	74.20	61.50	5,03,65,089
2017 – सितंबर	71.35	62.30	34,95,405	71.45	62.05	3,68,50,085
2017 – अक्तूबर	88.50	62.35	1,13,11,341	88.45	62.25	11,61,20,877
2017 – नवंबर	95.65	83.00	1,48,56,702	95.90	82.85	13,87,22,577
2017 – दिसंबर	94.15	76.75	66,94,144	94.15	78.05	6,38,92,220
2018 – जनवरी	83.95	71.90	83,81,873	83.50	71.85	9,81,36,776
2018 – फरवरी	73.20	54.30	1,17,34,579	73.25	54.20	11,09,58,832
2018 – मार्च	64.95	51.90	1,04,75,067	65.00	51.85	12,69,73,498

बीएसई बैंकेक्स एवं सीएनएक्स पीएसयू बैंक की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत है:

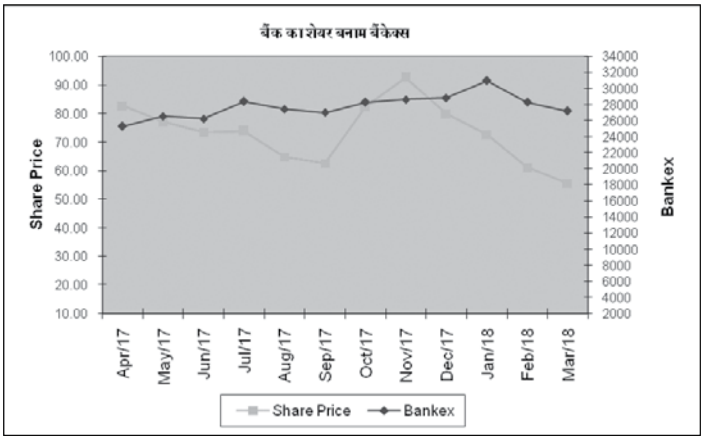

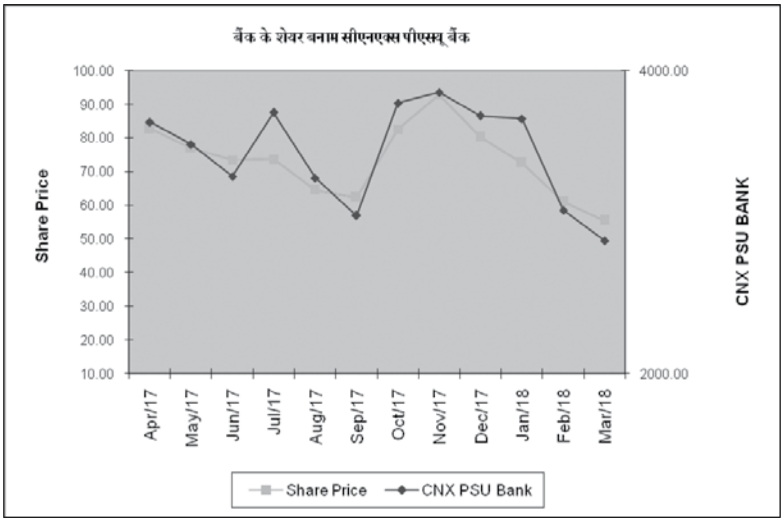

Year-Month	BSE			NSE		
	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (Nos)	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (Nos)
2017– April	84.40	69.35	60,95,910	86.45	69.60	5,29,49,532
2017– May	94.90	74.20	1,38,04,871	95.00	74.00	15,76,54,384
2017– June	82.95	70.85	76,21,686	83.10	70.85	8,59,71,190
2017– July	79.25	72.15	75,44,033	79.20	72.10	6,54,67,906
2017– Aug	75.90	61.40	44,45,325	74.20	61.50	5,03,65,089
2017– Sept	71.35	62.30	34,95,405	71.45	62.05	3,68,50,085
2017– Oct	88.50	62.35	1,13,11,341	88.45	62.25	11,61,20,877
2017– Nov	95.65	83.00	1,48,56,702	95.90	82.85	13,87,22,577
2017– Dec	94.15	76.75	66,94,144	94.15	78.05	6,38,92,220
2018– Jan	83.95	71.90	83,81,873	83.50	71.85	9,81,36,776
2018– Feb	73.20	54.30	1,17,34,579	73.25	54.20	11,09,58,832
2018 – Mar	64.95	51.90	1,04,75,067	65.00	51.85	12,69,73,498

Performance of the Bank's Share Price vis-à-vis BSE Bankex and CNX PSU Bank are as under:

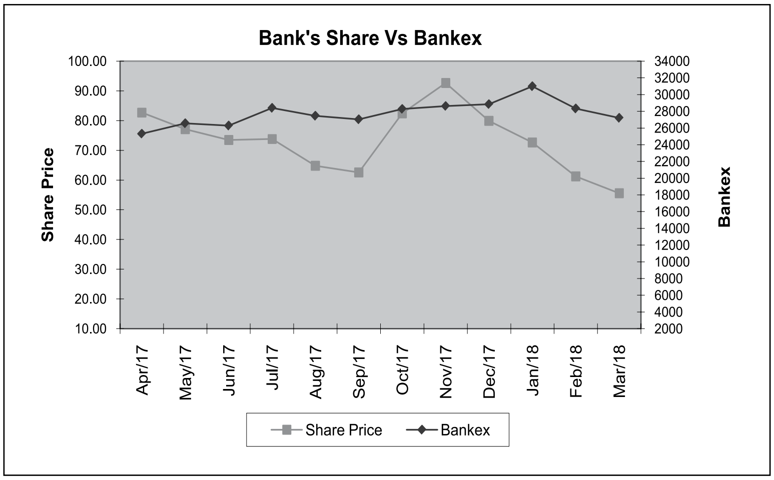

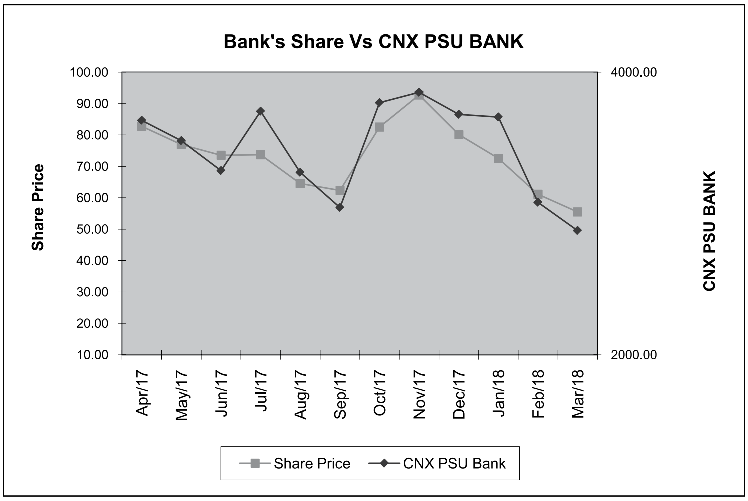

शेयर अंतरण प्रणाली, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

(ए) कागज़ी शेयर

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख सें एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हो। बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती हैं ।

बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है । रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं । शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट सं. 31-32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032
दूरभाष : 040 67162222 अथवा 040 67161516 (सीधा)
फैक्स : 040-23420814
टोल फ्री सं : 1800-345-4001
ई-मेल : support@karvy.com

(बी) बेकागज़ी शेयर

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आई एस आई एन कूट आई एन ई 667ए01018 और बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखने वाले डिपॉजिटरी हैं।

दि. 31.03.2018 तक, बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के 71.98% को बेकागज़ीकृत किया गया है। बेकागजीकृत 28.02 % में से 26.53 % के ईक्विटी शेयरों को दि. 27.03.2018 को भारत सरकार के पक्ष में जारी किए गए हैं जिन्हें दि. 31.03.2018 के बाद बेकागजीकृत किया गया है। वर्तमान में, केन्द्र सरकार द्वारा 103,55,39,388 ईक्विटी शेयर के रूप में रखी गयी संपूर्ण शेयर पूंजी जो कुल प्रदत्त पूंजी का 73.07% है, बेकागज़ीकृत फार्म में है।

दि. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागज़ी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	कुल प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशतता
ए. **कागज़ी**	104525	40.96	397187034	28.02
बी. **बेकागज़ी**				
• एन.एस.डी.एल.	104870	41.10	337814564	23.84
• सी.डी.एस.एल.	45790	17.94	682270455	48.14
कुल	**255185**	**100.00**	**1417272053**	**100.00**

शेयरधारण का पैटर्न

दि. 31.03.2018 **की स्थिति के अनुसार शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:**

ए.	क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
	1	प्रवर्तक धारण		
		भारत सरकार	103,55,39,388	73.07
		विदेशी प्रवर्तक	शून्य	
	2	सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति	शून्य	
		उप-जोड़	**103,55,39,388**	**73.07**
बी.		**गैर-प्रवर्तक धारण**		
	3	संस्थागत निवेशक		
	ए.	म्यूच्युअल फंड्स	3,88,32,889	2.74
	बी.	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	3,66,59,970	2.59
	सी.	बीमा कंपनियाँ	15,56,73,229	10.98
	डी.	एफ.आई.आई.	0	0.00
	ई.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	4,25,17,378	3.00
	एफ.	विदेशी नागरिक	0	0.00
		उप-जोड़	**27,36,83,466**	**19.31**

SHARE TRANSFER SYSTEM, REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS

(a) **Physical Shares**

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank.

The Bank has appointed M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrar and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar and Share Transfer Agents. Shareholders can lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrar and Transfer agents at the following address:

M/s. KarvyComputerShare (P) Ltd.
Unit: Syndicate Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 -32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032
Phone No. 040 67162222 or 040 67161516 (D)
Fax No. 040 23420814
Toll Free No. 1800-345-4001
Email:support@karvy.com

(b) Shares in demat form

The Bank's shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No.532276 with Bombay Stock Exchange Ltd. The National Securities Depository Ltd., (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's share in demat mode.

As on 31.03.2018, 71.98% of the total shareholding of the Bank has been dematerialized. Out of 28.02% which have not been dematerialized, 26.53% of equity shares have been issued to Government of India on 27.03.2018 which was dematerialized after 31.03.2018. Presently, entire share capital held by Government of India i.e.103,55,39,388 equity shares constituting 73.07% of the total paid-up capital is in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31.03.2018 are as under:

	No. of Shareholders	% to total	No. of Shares	% to total
A. **PHYSICAL**	104525	40.96	397187034	28.02
B. **DEMAT**				
• NSDL	104870	41.10	337814564	23.84
• CDSL	45790	17.94	682270455	48.14
TOTAL	**255185**	**100.00**	**1417272053**	**100.00**

Shareholding Pattern

The shareholding pattern (equity share capital) as on 31.03.2018 is as follows:

A	Sl No.	Category	No. of Shares Held	Percentage of Share holding
	1	**Promoter's Holding**		
		Government of India	103,55,39,388	73.07
		Foreign Promoters	NIL	
	2	Persons acting in concert	NIL	
		Sub Total	**103,55,39,388**	**73.07**
B		**Non- Promoter Holding**		
	3	Institutional Investor		
	a	Mutual Funds	3,88,32,889	2.74
	b	Banks, Financial Institutions	3,66,59,970	2.59
	c	Insurance Companies	15,56,73,229	10.98
	d	FII'S	0	0.00
	e	Foreign Portfolio Investors	4,25,17,378	3.00
	f	Foreign Nationals	0	0.00
		Sub Total	**27,36,83,466**	**19.31**

ए.	क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
	4	अन्य		
	ए.	कॉरपोरेट निकाय	1,75,91,586	1.24
	बी.	भारतीय जनता	8,19,91,688	5.79
	सी.	एनआरआई/ओसीबी/गैर-प्रत्यावर्तन	27,01,560	0.19
	डी.	एनबीएफ सी	50,126	0.00
	ई.	वैकल्पिक निवेश निधि	27,48,278	0.19
	एफ.	अन्य (न्यास, एचयूएफ तथा निकासी सदस्य)	29,65,961	0.21
		उप-जोड़	**10,80,49,199**	**7.62**
		गैर-प्रवर्तक धारण का जोड़	**38,17,32,665**	**26.93**
		कुल जोड़	**141,72,72,053**	**100.00**

दि. 31.03.2018 की स्थिति में 1% से अधिक के चुकता शेयर पूँजी रखनेवाले शेयरधारकों के ब्यौरे :

श्रेणी	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रवर्तक	**भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार** निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), संसद मार्ग, नई दिल्ली	103,55,39,388	73.07
बीमा	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	14,45,34,988	10.20
	कुल	118,00,74,376	**83.27**

दि. 31.03.2018 **की स्थिति में शेयर वितरण पैटर्न**

क्र.सं.	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (₹)	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	रकम (₹)	कुल प्रतिशतता
1	1 - 500	232909	91.27	39241825	392418250	2.77
2	501 - 1000	13029	5.11	10199508	101995080	0.72
3	1001 - 2000	5117	2.01	7631149	76311490	0.54
4	2001 - 3000	1417	0.55	3627621	36276210	0.26
5	3001 - 4000	661	0.25	2370509	23705090	0.17
6	4001 - 5000	502	0.20	2364031	23640310	0.17
7	5001 - 10000	772	0.30	5702282	57022820	0.40
8	10001 - 50000	552	0.22	11515805	115158050	0.81
9	50001 - 100000	93	0.04	6852328	68523280	0.48
10	100001 and above	133	0.05	1327766995	13277669950	93.68
	कुल	**255185**	**100.00**	**1417272053**	**14172720530**	**100.00**

दि. 31.03.2018 की स्थिति में शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव

	कागज़ी			**बेकागजी**			**कुल**		
स्थान	**शेयरधारकों की सं.**	**शेयरों की सं.**	**शेयरधारण की प्रतिशतता**	**शेयरधारकों की सं.**	**शेयरों की सं.**	**शेयरधारण की प्रतिशतता**	**शेयरधारकों की सं.**	**शेयरों की सं.**	**शेयरधारण की प्रतिशतता**
दिल्ली									
-भारत सरकार	1	375976691	26.53	1	659562697	46.54	2	1035539388	73.07
- अन्य	6403	1663701	0.12	11053	10041063	0.71	17456	11704764	0.83
बेंगलूर	10159	2086381	0.15	12699	8429170	0.59	22858	10515551	0.74
चेन्नई	3240	647300	0.05	6657	7321903	0.52	9897	7969203	0.57
हैदराबाद	3784	813727	0.06	5837	3692220	0.26	9621	4505947	0.32
कोलकाता	1363	334101	0.02	4804	5626918	0.40	6167	5961019	0.42
मंगलूर	1533	323725	0.02	2691	1267910	0.09	4224	1591635	0.11
मुंबई	3796	906913	0.05	14287	286167302	20.19	18083	287074215	20.24
उडुपि	1649	327600	0.02	2277	1094440	0.08	3926	1422040	0.10
अन्य स्थान	72597	14106895	1.00	90354	36881396	2.60	162951	50988291	3.60
कुल	104525	397187034	28.02	150660	1020085019	71.98	255185	1417272053	100.00

A	Sl No.	Category	No. of Shares Held	Percentage of Share holding
	4	Others		
	a	Bodies Corporate	1,75,91,586	1.24
	b	Indian Public	8,19,91,688	5.79
	c	NRI's/OCB'S/NRI Non-Repatriation	27,01,560	0.19
	d	NBFC'S	50,126	0.00
	e	Alternative Investment Fund	27,48,278	0.19
	f	Any Others (Trust,HUF& Clearing Members)	29,65,961	0.21
		Sub Total	**10,80,49,199**	**7.62**
		Total Non-Promoters Holding	**38,17,32,665**	**26.93**
		Grand Total	**141,72,72,053**	**100.00**

Details of Shareholding of more than 1% of the paid up share capital as on 31.03.2018.

Category	Name of the Shareholder	No of Shares	% of Shareholding
Promoters	**President of India, Government of India** The Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) Sansad Marg, New Delhi	103,55,39,388	73.07
Insurance	**Life Insurance Corporation of India**	14,45,34,988	10.20
	Total	118,00,74,376	**83.27**

Distribution Pattern as on 31.03.2018

Sl. No.	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No.of Share Holders	% age of Total	No. of Shares	Amount(₹)	% age of Total
1	1 - 500	232909	91.27	39241825	392418250	2.77
2	501 - 1000	13029	5.11	10199508	101995080	0.72
3	1001 - 2000	5117	2.01	7631149	76311490	0.54
4	2001 - 3000	1417	0.55	3627621	36276210	0.26
5	3001 - 4000	661	0.25	2370509	23705090	0.17
6	4001 - 5000	502	0.20	2364031	23640310	0.17
7	5001 - 10000	772	0.30	5702282	57022820	0.40
8	10001 - 50000	552	0.22	11515805	115158050	0.81
9	50001 - 100000	93	0.04	6852328	68523280	0.48
10	100001 and above	133	0.05	1327766995	13277669950	93.68
	TOTAL:	**255185**	**100.00**	**1417272053**	**14172720530**	**100.00**

Geographical Spread of Shareholders as on 31.03.2018

	PHYSICAL			DEMAT			TOTAL		
Places	**No. of Share-holders**	**No. of shares**	**% holding**	**No. of share-holders**	**No. of shares**	**% holding**	**No. of share-holders**	**No. of shares**	**% holding**
Delhi									
- GOI	1	375976691	26.53	1	659562697	46.54	2	1035539388	73.07
Others	6403	1663701	0.12	11053	10041063	0.71	17456	11704764	0.83
Bangalore	10159	2086381	0.15	12699	8429170	0.59	22858	10515551	0.74
Chennai	3240	647300	0.05	6657	7321903	0.52	9897	7969203	0.57
Hyderabad	3784	813727	0.06	5837	3692220	0.26	9621	4505947	0.32
Kolkata	1363	334101	0.02	4804	5626918	0.40	6167	5961019	0.42
Mangalore	1533	323725	0.02	2691	1267910	0.09	4224	1591635	0.11
Mumbai	3796	906913	0.05	14287	286167302	20.19	18083	287074215	20.24
Udupi	1649	327600	0.02	2277	1094440	0.08	3926	1422040	0.10
- Others	72597	14106895	1.00	90354	36881396	2.60	162951	50988291	3.60
TOTAL	104525	397187034	28.02	150660	1020085019	71.98	255185	1417272053	100.00

स्थायी खाता संख्या (पैन)

सेबी के निदेशों और सूचीकरण करार में किए गए संशोधन के अनुसार, कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेन-देनों के लिए अंतरिती/अंतरितियों द्वारा पैन कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है :

- शेयरों का अंतरण (शेयरों के अंतरण में अंतरणकर्ता का पैन कार्ड भी अपेक्षित है)
- दिवंगत शेयरधारकों के नाम को हटाना
- विधिक वारिस के नाम पर शेयरों को अंतरित करना
- शेयरों का क्रम परिवर्तन - यदि नामों के क्रम में परिवर्तन हो
- पते में हुए परिवर्तन को नोट करने के लिए
- ई. सी. एस. अधिदेश नोट करने के लिए

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.) भुगतान की एक आधुनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को राष्ट्रीय ई.सी.एस. सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शामिल किए गए सभी केंद्रों में सुविधा प्राप्त करने के विकल्प के साथ यह सेवा प्रदान की है।

एनईसीएस अधिदेश प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

नामांकन सुविधा

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें । जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिससे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जा सकें।

तदनुसार, कागज़ी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करके नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । बेकागज़ीकृत शेयरों के संदर्भ में निक्षेपण सहभागी द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार नामांकन किया जा सकता है।

अदावी लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 जो दि. 16.10.2006 से लागू है, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

i. यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रही ऐसी रकम को ''वर्ष .... के लिए सिंडिकेटबैंक के अप्रदत्त लाभांश'' नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

ii. ''अप्रदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेटबैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अपेक्षित, बैंक के अंतिम लाभांश के अप्रदत्त लाभांश खाते की शेष राशि को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) में अंतरित किया गया था जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	घोषणा की तारीख	आई ई पी एफ में अंतरित राशि (₹)	आई ई पी एफ में अंतरण की तारीख
1	लाभांश 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2	लाभांश 2000-01	02.07.2001	42,90,243/-	25/07/2014
3	लाभांश 2001-02	30.05.2002	51,25,533/-	17/07/2014
4	लाभांश 2002-03	11.06.2003	65,93,738/-	18/07/2014
5	अंतरिम लाभांश 2003-04	10.12.2003	49,85,761/-	18/07/2014
6	अंतिम लाभांश 2003-04	11.06.2004	46,27,478/-	18/07/2014
7	अंतरिम लाभांश 2004-05	31.03.2005	29,47,635/-	18/07/2014
8	अंतिम लाभांश 2004-05	07.06.2005	59,01,848/-	18/07/2014
9	अंतरिम लाभांश 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18/07/2014
10	अंतिम लाभांश 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18/07/2014
11	अंतरिम लाभांश 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18/07/2014
12	अंतिरिम लाभांश 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16/08/2014

PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)

As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for the following type of transactions of physical shares:

- Transfer of Shares (PAN Card of the transferor is also required in respect of transfer of shares)
- Deletion of name of the deceased shareholder/s.
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares – when there is a change in the order of names;
- For noting Change of Address
- For noting ECS Mandate

National Electronic Clearing Services (NECS)

National Electronic Clearing Services (NECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend /interest, etc are directly credited to the Bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under National ECS facility.

NECS mandated form is appended with the Annual Report.

NOMINATION FACILITY

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialized holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by Depository Participant.

UNCLAIMED DIVIDEND

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

i. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of SyndicateBank for the year ...."

ii. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 125 of the Companies Act, 2013.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Syndicate Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

Amounts lying under unpaid dividend accounts of the Bank, detailed hereunder were transferred to Investor Education Protection Fund (IEPF) maintained by Ministry of Corporate Affairs, New Delhi as required under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:

Sl. No	Details of Unpaid Dividend	Date of Declaration	Amount transferred to IEPF (₹)	Date of transfer to IEPF
1	Dividend 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2	Dividend 2000-2001	02.07.2001	42,90,243/-	25/07/2014
3	Dividend 2001-2002	30.05.2002	51,25,533/-	17/07/2014
4	Dividend 2002-2003	11.06.2003	65,93,738/-	18/07/2014
5	Interim Dividend 2003-2004	10.12.2003	49,85,761/-	18/07/2014
6	Final Dividend 2003-2004	11.06.2004	46,27,478/-	18/07/2014
7	Interim Dividend 2004-2005	31.03.2005	29,47,635/-	18/07/2014
8	Final Dividend 2004-2005	07.06.2005	59,01,848/-	18/07/2014
9	Interim Dividend 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18/07/2014
10	Final Dividend 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18/07/2014
11	Interim Dividend 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18/07/2014
12	Final Dividend 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16/08/2014

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	घोषणा की तारीख	आई ई पी एफ में अंतरित राशि (₹)	आई ई पी एफ में अंतरण की तारीख
13	अंतरिम लाभांश 2007-2008	11.04.2008	78,19,953/-	11/05/2015
14	अंतिम लाभांश 2007-2008	18.07.2008	67,27,757/-	17/08/2015
15	अंतिम लाभांश 2008-2009	29.04.2009	85,69,040/-	23/05/2016
16	अंतिम लाभांश 2008-2009	21.07.2009	89,21,209/-	19/08/2016
17	लाभांश 2009-2010	06.07.2010	1,67,84,625/-	10/08/2017
	कुल		**10,88,99,231/-**	

बैंक के अन्य अप्रदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में अंतरण हेतु नियत तिथि निम्नलिखित है:

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	चालू खाता सं.	घोषणा की तिथि	दि. 31.03.2018 को शेष (₹)	आईईपीएफ में अंतरण हेतु नियत तारीख
1	लाभांश 2010-11	3008.101.8720	07.07.2011	2,15,54,446	07.08.2018
2	लाभांश 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,53,47,659	17.09.2019
3	लाभांश 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,33,22,937	28.07.2020
4	अंतरिम लाभांश 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	1,97,17,100	28.02.2021
5	अंतिम लाभांश 2013-2014	3008.101.9943	27.06.2014	2,00,80,033	27.07.2021
6	लाभांश 2014-2015	3008.101.10283	08.07.2015	3,16,33,838	08.08.2022

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है, उनसे अनुरोध है कि पुनर्वैधीकरण/लाभांश वारंटों की अनुलिपि जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से से संपर्क करें।

निवेशकों के नाम तथा लाभांश के वर्ष सहित अप्रदत्त लाभांशों के विवरण भी शेयरधारकों के लिए बैंक के वेबसाइट पर शेयरहोल्डर्स इन्फोर्मेशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है ताकि शेयरधारक अपने दावे को शेयर अंतरण एजेंट/या बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में स्थित निवेशक संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकें। आगे शेयरधारक सहायता के लिए syndinvest@syndicatebank.co.in के माध्यम से बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

बकाया जीडीआर/एडीआर या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

बॉण्ड

पूँजी वृद्धि के उद्देश्य से बैंक ने ईक्विटी में परिवर्तित न होने योग्य असुरक्षित एवं प्रतिदेय बॉण्ड जारी किया है। दि. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बॉण्ड के विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	श्रेणी सं.		आईएसआईएन सं.	राशि ₹ करोड में	ब्याज दर	जारी करने की तारीख	परिपक्वता की तारीख	न्यासी का नाम और पता
1	X	लोवर टियर II	आईएनई667A09136	300.00	8.60	26.12.2008	26.12.2018	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग 17 R, ,कमानी मार्ग बलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001 ई-मेल : itsl@idbitrustee.co.in दूरभाष : 022-66311771-3
2	XI	लोवर टियर II	आईएनई667A09151	200.00	8.49	15.06.2009	15.06.2019	
3	आईपीडीआई II	टियर I	आईएनई667A09144	339.00	9.40	12.01.2009	बेमीयादी	
4	आईपीडीआई III	टियर I	आईएनई667A09169	194.00	8.90	29.06.2009	बेमीयादी	
5	XII	लोवर टियर I	आईएनई667A09177	1000.00	9.00	31.12.2012	31.12.2022	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लि. दूसरा तल, एक्सिस हाउस बाम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 025 दूरभाष : 022-2425 5215/2425 5216 ई-मेल- debenturetrustee@axistrustee.com

Sl. No	Details of Unpaid Dividend	Date of Declaration	Amount transferred to IEPF (₹)	Date of transfer to IEPF
13	Interim Dividend 2007-2008	11.04.2008	78,19,953/-	11/05/2015
14	Final Dividend 2007-2008	18.07.2008	67,27,757/-	17/08/2015
15	Interim Dividend 2008-2009	29.04.2009	85,69,040/-	23/05/2016
16	Final Dividend 2008-2009	21.07.2009	89,21,209/-	19/08/2016
17	Dividend 2009-2010	06.07.2010	1,67,84,625/-	10/08/2017
	TOTAL		**10,88,99,231/-**	

The Details of other Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No	Details of Unpaid Dividend	Current account No	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2018 (₹)	Due date of transfer to IEPF
1	Dividend 2010-11	3008.101.8720	07.07.2011	2,15,54,446	07.08.2018
2	Dividend 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,53,47,659	17.09.2019
3	Dividend 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,33,22,937	28.07.2020
4	Interim Dividend 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	1,97,17,100	28.02.2021
5	Final Dividend 2013-2014	3008.101.9943	27.06.2014	2,00,80,033	27.07.2021
6	Dividend 2014-2015	3008.101.10283	08.07.2015	3,16,33,838	08.08.2022

The shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation/issue of duplicate dividend warrants.

Details of unpaid dividends containing names of the investor and Year of Dividend have also been placed on the website of the Bank under shareholders information to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent/ or with Investors Relation Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru . Further, the shareholders can contact the Bank at syndinvest@syndicatebank.co.in for assistance.

Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:
The Bank has not issued any GDRs/ ADRs / warrants or any convertible instruments.

Bonds:
Bank has raised unsecured, redeemable bonds in order to augment capital, which are not convertible to equity. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2018 are as follows:

SL.NO.	Series No.		ISIN No.	Size Rs. in Crores	Interest Rate	Date of Issue	Date of Maturity	TRUSTEE NAME & ADDRESS
1	X	Lower Tier II	INE667A09136	300.00	8.60	26.12.2008	26.12.2018	IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building 17 R Kamani Marg, Ballard Estate Mumbai - 400001. e-mail: itsl@idbitrustee.co.in Tel:022-6631 1771- 3.
2	XI	Lower Tier II	INE667A09151	200.00	8.49	15.06.2009	15.06.2019	
3	IPDI II	Tier I	INE667A09144	339.00	9.40	12.01.2009	Perpetual	
4	IPDI III	Tier I	INE667A09169	194.00	8.90	29.06.2009	Perpetual	
5	XII	Lower Tier II	INE667A09177	1000.00	9.00	31.12.2012	31.12.2022	AXIS Trustee Services Ltd. 2 nd Floor, Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400 0025.Tel: 022-2425 5215/2425 5216.e-mail: debenturetrustee@axistrustee.com

6	बासेल III	टियर II	आईएनई667A08013	750.00	8.95	02.12.2014	02.12.2024	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि., एपीजे हाउस, छठा तल, 3 दिनशॉ वाछा रोड, चर्च गेट, मुंबई - 400 005 दूरभाष : 022-43055555 ई-मेल : corporate@ sbicaptrustee.com
7	बासेल III	टियर II	आईएनई667A08021	400.00	8.75	23.03.2015	23.03.2025	
8	बासेल III	टियर II	आईएनई667A08039	1000.00	8.58	28.09.2015	28.09.2025	
9	बासेल III	टियर II	आईएनई667A08047	750.00	8.62	18.12.2015	18.12.2025	
10	बासेल III	टियर II	आईएनई667A08096	500.00	8.00	03.05.2017	03.05.2027	
11	बासेल III	एटी I एसआर I	आईएनई667A08062	370.00	11.25	30.03.2016	बेमीयादी	
12	बासेल III	एटी I एसआर II	आईएनई667A08054	500.00	11.25	30.03.2016	बेमीयादी	
13	बासेल III	एटी I एसआर III	आईएनई667A08070	930.00	11.25	15.07.2016	बेमीयादी	
14	बासेल III	एटी I एसआर IV	आईएनई667A08088	1000.00	9.95	24.10.2016	बेमीयादी	
15	बासेल III	एटी I एसआर V	आईएनई667A08104	450.00	9.80	25.07.2017	बेमीयादी	
			कुल	**8683.00**				

* **आईपीडीआई – नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत**

अदावी शेयर

''सेबी'' द्वारा अपने परिपत्र सं सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/1/2009/24/04, दिनांक 24.04.2009 के जरिए प्रस्तुत सूचीकरण समझौते के खंड 5 ए में कथित नियमों के अनुसार बैंक द्वारा अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डीमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक, एफपीओ के अदावी शेयरों के संबंध में एक एस्क्रो खाता रखता है। दि. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	**सिंडिकेटबैंक**
डीपीआईडी/सीएलआईडी	1305060000006734
नाम	सिंडिकेटबैंक - अदावी उचंत खाता-डीमैट शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, सिंडिकेट बैंक भवन, द्वितीय तल, 26, पी.एम रोड, मुंबई - 400 001

बैंक के अदावी शेयरों (बेकागज़ी) के विवरण निम्नवत् हैं:

1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	111	20525
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2017-18 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	0	227
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनके मामले में वर्ष 2017-18 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	1	227
4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	110	20298

दि. 31.03.2018 की स्थिति में बैंक कागजी रूप में रखे गए अदावी शेयरों के संबंध में निम्नलिखित एस्क्रो खाता रखता है :

निक्षेपागार सहभागी का नाम	SyndicateBank
डीपीआईडी/सीएलआईडी	1305060000006721
नाम	सिंडिकेटबैंक - अदावी उचंत खाता-कागजी शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, सिंडिकेट बैंक भवन, द्वितीय तल, 26, पी.एम रोड, मुंबई - 400 001

बैंक के अदावी शेयरों (कागजी) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	**मामलों की सं.**	**शेयरों की सं.**
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में अर्थात दि. 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	527	94700
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2017-18 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	2	600
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2017-18 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	2	600
4. वर्ष के अंत में अर्थात दि. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	525	94100

अदावी शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक उन शेयरों का सही मालिक उन पर अपना दावा नहीं करता।

6	Basel III	Tier II	INE667A08013	750.00	8.95	02.12.2014	02.12.2024	SBICAP Trustee Company Ltd. Apeejay House, 6th Floor 3 Dinshaw Wachha Road Churchgate Mumbai- 400 005. Tel: 022-4305 5555. e-mail: corporate@ sbicaptrustee.com.
7	Basel III	Tier II	INE667A08021	400.00	8.75	23.03.2015	23.03.2025	
8	Basel III	Tier II	INE667A08039	1000.00	8.58	28.09.2015	28.09.2025	
9	Basel III	Tier II	INE667A08047	750.00	8.62	18.12.2015	18.12.2025	
10	Basel III	Tier II	INE667A08096	500.00	8.00	03.05.2017	03.05.2027	
11	Basel III	AT I SR. I	INE667A08062	370.00	11.25	30.03.2016	Perpetual	
12	Basel III	AT I SR. II	INE667A08054	500.00	11.25	30.03.2016	Perpetual	
13	Basel III	AT I SR.III	INE667A08070	930.00	11.25	15.07.2016	Perpetual	
14	Basel III	AT I SR.IV	INE667A08088	1000.00	9.95	24.10.2016	Perpetual	
15	Basel III	AT I SR.V	INE667A08104	450.00	9.80	25.07.2017	Perpetual	
			TOTAL	**8683.00**				

*** IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments**

Unclaimed Shares

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their circular no. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24.04.2009, the unclaimed shares of the Bank in respect of Demat Shares shall be credited to a demat Suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31.03.2018:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID /CLID	1305060000006734
Name	SyndicateBank –Unclaimed Suspense Account – Demat Shares
Address of the Depository Participant	Syndicate Bank, Syndicate Bank Building ,2nd Floor, 26, P.M, Road, Fort, Mumbai 400 001

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Demat) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2017	111	20525
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2017-18	0	227
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2017-2018	1	227
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2018	110	20298

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares issued in physical form as per following details as on 31.03.2018:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID /CLID	1305060000006721
Name	SyndicateBank –Unclaimed Suspense Account – Physical Shares
Address of the Depository Participant	Syndicate Bank, Syndicate Bank Building ,2nd Floor, 26, P.M, Road, Fort, Mumbai 400 001

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Physical) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2017	527	94700
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2017-18	2	600
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2017-18	2	600
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2018	525	94100

Voting rights on the unclaimed shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

सेबी विनियमावली, 1992/2015 **(भेदिया व्यापार प्रतिबंध) का अनुपालन**

उक्त विनियमावली के अनुसार, बैंक ने प्रतिभूतियों के लेन-देन हेतु पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार को रोकने हेतु आचार संहिता निरूपित की है। इन विनियमों की शर्तों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म तैयार किए गए हैं । पुनः, बैंक के निदेशकों और पदनामित कर्मचारियों द्वारा बैंक शेयरों के लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद कर दिया गया है:

ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की तारीख	**बंद करने का उद्देश्य**
दि. 29/04/2017 से 11/05/2017 तक	31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा तथा वर्ष 2016-2017 के लिए लाभांश, यदि हो।
दि. 25/07/2017 से 07/08/2017 तक	30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 17/10/2017 से 02/11/2017 तक	30 सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 02/02/2018 से 11/02/2018 तक	31 दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा

बैंक ने सेबी (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियमावली, 2015 के संदर्भ में आचार संहिता बनाई है, जो 16.05.2015 से प्रभावी है।

टेक ओवर संहिता

बैंक ने समय-समय पर संशोधित, सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) विनियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन में किए गए हरित पहल

प्रलेखों को ई-मोड से उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मेसर्स कार्वी कप्यूटर शेयर (प्रा) लि. बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर करने वाले सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 की सॉफ्ट प्रति भेजी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 की एक प्रति बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 की कागजी प्रतियाँ ऐसे सदस्यों को भेजी जाएगी जिन्होंने बैंक के साथ अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर नहीं किए हैं।

कारोबार दायित्व रिपोर्ट 2017-2018

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 **का विनियम** 34

भाग ए : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. बैंक की कार्पोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)	लागू नहीं
2. बैंक का नाम	सिंडिकेटबैंक
3. प्रधान कार्यालय	मणिपाल – 576 104
4. वेबसाइट	www.syndicatebank.in
5. ई-मेल	coplan@syndicatebank.co.in
6. रिपोर्ट की गई वित्तीय वर्ष	2017-2018
7. उस क्षेत्र का नाम जिसमें बैंक जुड़ा हो (औद्योगिक गतिविधि कूटवार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जिन्हें उत्पादनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है (जैसा कि तुलन पत्र में है)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद तथा विप्रेषण इत्यादि
9. कंपनी द्वारा कारोबार किये जाने के कुल स्थानों की संख्या स्थानों की संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	 दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में 4012 शाखाएं 1 (लंदन) में
10. कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराए जानेवाले बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक की शाखाएं हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके में बैंक की शाखा है।

भाग बी : बैंक के वित्तीय विवरण

1. चुकता पूंजी (भारतीय रुपये)	₹1417.27 करोड़
2. कुल लेन-देन (भारतीय रुपये)/राजस्व	₹24581.85 करोड़
3. कर के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	(₹3222.84 करोड़)
4. कर (%) पश्चात लाभ की प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च	वर्ष 2017-2018 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत ₹1.40 करोड़ व्यय किए गए हैं।

COMPLIANCE WITH SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 1992 /2015

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these regulations. Further, the trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of closure
From 29/04/2017 to 11/05/2017	Declaration of Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2017 and dividend for 2016-17 if any
From 25/07/2017 to 07/08/2017	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June 2017.
From 17/10/2017 to 02/11/2017	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th September 2017.
From 02/02/2018 to 11/02/2018	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 31st December 2017.

Bank has framed code of conduct in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, which is effective from 16.05.2015.

Takeover Code

The Bank has complied with the applicable provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, from time to time

Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs regarding service of documents by e-mode, soft copies of Annual Report 2017-2018 of the Bank will be sent to those members, who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd, Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Soft copy of Annual Report 2017-2018 will be placed on the website of the Bank www.syndicatebank.in.

Hard copies of Annual Report 2017-2018 will be sent to the members who have not registered his/her e-mail address with the company.

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT– 2017-2018

Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Section A: General Information about the Company

1.Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Syndicate Bank
3. Head Office	Manipal 576 104
4. Website	www.syndicatebank.in
5. Email	coplan@syndicatebank.co.in
6. Financial Year Reported	2017-2018
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company No. of Locations I. National II. International	4012 branches as on 31.03.2018 1 (London)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	National and International Markets Bank has branches in all the States and Union Territories of India and International presence in UK.

Section B: Financial Details of the Company

1.	Paid up Capital (INR)	₹1417.27 Crore
2.	Total Turnover (INR)/ Revenue	₹24581.85 Crore
3.	Total Profit after Tax (INR)	(₹3222.84 Crore)
4.	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	Amount spent under CSR activity during 2017-18 is ₹ 1.40 Crore

5. कार्यकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त (4) खर्च हुई है।	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निभाए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी विवरण हैं: सरकारी अस्पताल के लिए थेरापेउटिक चेयर की खरीद के लिए रोटरी क्लब, सागर को वित्तीय सहायता, मदुरै क्षेत्र के कारैक्कल जिले में सड़कों एवं जलनिकास की खुदाई के लिए योगदान, श्री व्यास महर्षि विद्यापीठ, मुल्की के लिए स्कूल भवन के निर्माण की अंश लागत के लिए योगदान, बागपत कलेक्टरेट परिसर एवं विकास भवन बागपत में वॉटर कूलर तथा आरओ प्यूरिफाइर प्रदान करना, अनमोल प्रयास, एनजीओ को विवेकानंद ग्रामीण विकास शोध संस्थान, लखनऊ के माध्यम से गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय अनुदान, गुजरात के मुख्यमंत्री के राहत निधि के लिए योगदान, सनमान सोसाइटी, बेंगलुरु को मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए उपशमन एवं जीवांत देख-रेख हेतु वित्तीय अनुदान, कचरे के निपटान के लिए ग्राम पंचायत, हेजमाडी को एपे कार्गो रिक्शा प्रायोजित करना, प्रसन्ना ट्रस्ट, बेंगलुरु को उनके सामाजिक परियोजनाओं के लिए दान, श्रावणबेलगोला में महामस्तकाभिषेका के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, मेसर्स लोकनायक जयप्रकाश नारायण कुष्ठ रोग उन्मूलन ट्रस्ट, वसई, ठाणे को वित्तीय सहायता, होसुर नगरपालिका को अतिरिक्त बैटरी संचालित कचरा वहन का दान, सीएसआर के अंतर्गत जिला निर्मिति केंद्र, कारवार को वित्तीय सहायता, दक्षिण कालिकता क्रीड़ा-ओ-संस्कृति परिषद, कोलकाता को 39वां सेवा उत्सव 2018- समाज के कमज़ोर वर्ग को मुफ्त चिकित्सा सेवाएँ जैसे, आँखों का निशुल्क ऑपरेशन (मोतियाबिंद) के लिए वित्तीय सहायता, तल्लूर फैमिली ट्रस्ट, तल्लूर, कुन्दापुरा जिला के नारायण स्कूल में सोलर सिस्टम की स्थापना, उडुपि-मणिपाल के रोटरी क्लब द्वारा चयनित स्कूलों को ई-शाला लर्निंग किट प्रदान करने हेतु समर्थन, आधिवासिय परियोजना के एकीकृत विकास हेतु एम्बुलेंस, सरकारी उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, नामक्कल, सेलम में शौचालयों का निर्माण, डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति, इंचूली, मेरठ जिले को वित्तीय सहायता

भाग सी : अन्य विवरण

1. क्या बैंक की कोई अनुषंगी बैंक/कंपनियाँ है/हैं	हाँ 1. सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड
2. क्या अनुषंगी अपने मूल बैंक के बीआर पहल का कार्यान्वयन करती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या	▪ सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड के पिछले 3 वर्षों का निवल लाभ बड़े पैमाने पर किसी भी सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए पर्याप्त नहीं था।
3. कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरण, आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिनके साथ बैंक का कारोबार हो, जिनके बी आर पहल में शामिल होते है? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं की प्रतिशतता (30% से कम, 30% से 60%, 60% से अधिक)	नहीं

भाग डी : बी आर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	07667641
नाम	सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

II. बीआर प्रमुख के ब्यौरे

क्रम सं.	ब्यौरे	विवरण
1.	डीआईएन सं. (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री एच भास्कर
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	080 22201903
5.	ई-मेल आईडी	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ : (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्र. सं.	प्रश्न	कारोबारी सिद्धांत	उत्पाद दायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों की वचनबद्धता	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी वृद्धि	ग्राहक संपर्क
1.	क्या आपके पास इनके लिए नीति/नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या संबंधित हितधारकों के संपर्क से इन नीतियों को सूत्रबद्ध किए जा रहे हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

5. List of the activities in which expenditure on (4) above has been incurred:	Details of Corporate Social Responsibility during the financial year 2017-18 are: Financial assistance to Rotary Club, Sagar for purchasing Therapeutic chair for the Govt. Hospital, Contribution towards cleaning roads and drainage in Kariakal District of Madurai Region, Contribution towards part cost of construction of school building for Shree Vyasa Maharshi Vidya Peetha, Mulki, Providing water cooler and RO purifier each at Bhagpat Collectorate premises and Vikas Bhawan Bagpat, Financial grant to Anmol Prayas, NGO for providing free education to poor children through Vivekanand Gramin vikas Shodh Sansthan, Lucknow, Contribution towards Gujarat Chief Minister's Relief Fund, Financial grant to Sanman Society, Bengaluru - for providing support to families and patients for palliative and end of life care, Sponsoring a Ape Cargo rickshaw to Grama Panchayat, Hejamady for disposal of waste, Donation to Prasanna Trust, Bengaluru for their social projects, Financial assistance for CSR activities during Mahamasthakabhisheka at Shravanabelagola, Financial assistance to M/s.Loknayak Jayaprakash Narayan Leprosy Eradication Trust, Vasai, Thane, Donation of additional battery operated garbage vehicle to Hosur Municipality, Financial assistance to Zilla Nirmithi Kendra, Karwar, under CSR, Financial Assistance to Dakshin Kalikata Krira-O-Sanskriti Parishad, Kolkata, for rendering medical services to weaker section of the society during 39th Seva Utsav 2018 - Free Eye Operation (Cataract), Installation of Solar System at Narayana School of Tallur Family Trust, Tallur, Kundapur Dist, Providing E-shaala learning kits to selected schools by Rotary Club of Udupi-Manipal, Providing ambulance to Integrated Tribal Development Project ITDP, Construction of toilets in govt. Higher Secondary School Namakkal, Salem, Financial assistance to Dr.Ambedkar Jan Kalyan Sammittee Inchooli Dist, Meerut.

Section C: Other Details

1. Does the Bank have any Subsidiary Company/ Companies:	YES 1. SyndBank Services Ltd.
2. Do the subsidiaries implement BR initiatives of the parent company? If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	▪ Net profit of SyndBank Services Ltd for last 3 years was not sufficient to carry out any social responsibility in large scale.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Bank does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%).	NO

Section D: BR Information

1.Details of Director/ Directors responsible to BR	
I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies	
DIN Number	07667641
Name	Shri CH S S Mallikarjuna Rao
Designation	Executive Director

II. Details of the BR head

Sl. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri H Bhaskar
3	Designation	General Manager
4	Telephone no.	080- 22201903.
5	e-mail id	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl No	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है ? यदि हाँ तो (50 शब्दों में) स्पष्ट करें।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या यह प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/ उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कंपनी में इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड/निदेशक/कर्मचारियों की समिति निर्धारित की गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	नीति को ऑनलाईन देखने के लिए लिंक के ब्यौरे दें?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या इस नीति से संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से अवगत कराया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या बैंक में नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक ढांचा उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या बैंक के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायत निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या बैंक ने इस नीति के कार्य प्रचालन के लिए किसी आंतरिक/बाह्य एजेंसी से स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाई है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

2 ए. यदि क्रम सं. 1 के प्रति किसी भी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है, तो इसका कारण बताएं (2 विकल्पों तक चिह्न लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी इन सिद्धांतों को समझ नहीं पायी है									
2.	कंपनी उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियों को सूत्रबद्ध तथा कार्यान्वित कर सके									
3.	कंपनी के पास इस कार्य हेतु वित्तीय अथवा मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।					लागू नहीं				
4.	इसे अगले 6 महीनों के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है।									
5.	इसे अगले1 वर्ष के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है ।									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

▪ निदेशक मंडल, बोर्ड समिति अथवा सीईओ द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन के निर्धारण के अंतराल को दर्शाएँ	वार्षिक आधार पर
▪ क्या कंपनी बीआर अथवा धारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?	इसे उचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा

भाग ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार का लेन–देन एवं अभिशासन उनकी नीति, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए

1. क्या नैतिक मूल्य, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबन्धित पॉलिसी केवल कंपनी तकहीसीमितहै?क्याइसकाविस्तार,समूह/संयुक्तउद्यम/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य तक है?	▪ फरवरी 2006 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वतंत्र स्वायत्त पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि ग्राहकों को बैंक के साथ अपने लेन-देनों में बेहतर सेवा मिल सके । ▪ बीसीएसबीआई ने 'ग्राहक के प्रति बैंक प्रतिबद्धताओं की संहिता - जनवरी 2014' और 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता - अगस्त 2015' का प्रकाशन किया जिससे बैंकों के अनुपालन हेतु बैंकिंग प्रक्रिया के न्यूनतम मानक तथा ग्राहक सेवा के बेंचमार्क तय किए गए । ▪ हमारा बैंक बीसीएसबीआई का एक सदस्य है और इसलिए, अपने ग्राहकों के साथ लेन-देनों में उपर्युक्त संहिताओं को अपने सर्वोत्तम व्यवहार संहिता के रूप में स्वैच्छिक रूप से अपनाया है । ▪ ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता कार्यान्वयन हेतु निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष रखा गया है । ▪ ग्राहक के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता और एमएसई के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता, ऋण से संबंधित कार्यो का विस्तार से वर्णन करती है, जिसमें ऋण आवेदनों की पावती, आवेदनों का निपटान, ग्राहकों को दी जानेवाली दस्तावेजों की प्रतियाँ, विभिन्न ऋण उत्पादों से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें इत्यादि शामिल हैं ।

Sl No	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason(Please specify)									

NOT APPLICABLE

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company	▪ Annual Basis.
▪ Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ Would be made available in due course
Section E: Principle-wise-performance	
Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability	
1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	▪ In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. ▪ The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015" which sets out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. ▪ Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealings with its customers. ▪ Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for implementation. ▪ Code of commitment to customers and Code of commitment to MSE deal elaborately with credit functions including acknowledgement of credit applications, disposal of applications, copies of documents to be provided to customers, most important terms and conditions in respect of various loan products etc.

	▪ संहिता की पूरी प्रति www.syndicatebank.in पर उपलब्ध है। ▪ 'सिंडिकेटबैंक का सिटिजन चार्टर', बैंक की शाखाओं में ग्राहकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ▪ सिटिजन चार्टर के साथ उक्त संहिता से ग्राहकों के साथ बैंक के लेन-देनों में जवाबदेही, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता का उच्च स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा। ▪ चार्टर, बैंक की शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित व्यापक जानकारी भी उपलब्ध कराता है । इससे, बैंकर-ग्राहक के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए ग्राहकों के दायित्व की भी जानकारी मिलती है ।
2. गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्रबंधन द्वारा इनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का निवारण संतोषप्रद तरीके से किया गया। यदि हो तो, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे दें।	वर्ष के दौरान कुल 53,731 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 97.46% शिकायतों का निपटान किया गया। बैंक 'ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली (ओजीआरएस) - एक वेब आधारित शिकायत निवारणी प्रणाली' को क्रियान्वित करने के जरिए अपनी शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपेक्षित कदम उठा रहा है।
▪ वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1691
▪ वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	53731
▪ वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	54015
▪ वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	1407
▪ निवारण की गई शिकायतों की प्रतिशतता	97.46

सिद्धांत 2 : **कारोबार द्वारा ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए जो अपने संपूर्ण जीवन काल में सुरक्षित हो तथा अपने संपूर्ण जीवन काल तक बने रहे**

1. आपके 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण सरोकारों, जोखिमों तथा/अथवा अवसरों को देखते हुए तैयार किया गया है।	बैंक निम्नांकित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है जिनमें सामाजिक सरोकार और अवसरों को शामिल किया गया है: ▪ स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह ▪ वित्तीय साक्षरता केन्द्र और वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्र ▪ सिंडिकेट ग्रामीण विकास ट्रस्ट (एस आर डी टी) ▪ किसान क्लब एवं ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम
2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संदर्भ में उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक): i) पूरे मूल्य कड़ी में पिछले वर्ष से प्राप्त वितरण/उत्पादन/सोर्सिंग के दौरान कटौती ii) उपभोक्ता द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से प्राप्त हुई कटौती	लागू नहीं
3. क्या बैंक में स्थिर सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कोई कार्रवाई हो रही है i) यदि हाँ तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत सस्टेनेबिलिटी सोर्स किया गया? साथ ही, 50 शब्दों में उसका विवरण प्रस्तुत करें	लागू नहीं लागू नहीं
4. क्या बैंक ने अपने कार्यस्थल के आस-पास के समुदायों सहित स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो, स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	हाँ ▪ परिवहन खर्च कम करने तथा समय की बचत करने के खास उद्देश्य से वस्तुएँ खरीदने में नजदीकी विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाती है ।
5. क्या बैंक के पास उत्पादों तथा अवशिष्टों को रीसाइकिल करने की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ तो, उत्पादों तथा अवशिष्टों के रीसाइकिलिंग की प्रतिशतता दर्शाएँ (<5%, 5%-10% के रूप में अलग से)। साथ ही, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे प्रस्तुत करें।	हाँ <5% बैंक डाक/कुरियर से प्राप्त लिफाफों का पुनः प्रयोग कर रहा है।

सिद्धांत 3 : **कारोबार से समस्त कर्मचारियों के कल्याण में बढ़ावा मिले**

1. कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	घरेलू : (अंशकालिक सफाई कर्मियों को छोड़कर) 32578
2. किराये पर/अस्थाई/ठेके पर/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएँ (वर्ष के दौरान)	बैंक, ठेका मज़दूर की सेवाओं का उपयोग नहीं करता है। तथापि, बैंक निजी सुरक्षा एजेन्सियों (पी एस ए) और अभिरक्षा सेवाओं का उपयोग कर रहा है।
3. स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	9104
4. स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ	684

	▪ Complete copy of the Code is available at www.syndicatebank.in. ▪ "Citizens' Charter of SyndicateBank" provides key▪information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank. ▪ The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. ▪ The Charter also provides comprehensive information on Bank's Grievance redressal mechanism. It also specifies the obligations on the part of the customers for healthy banker-customer relationship.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	During the year 53,731 complaints are received out of which 97.46% of complaints were resolved. The Bank is taking measures to strengthen Customer complaint redressal by implementing On-line Grievance Redressal System (OGRS)- a web based on-line customer redressal module.
▪ No. of complaints pending at the beginning of the year	1691
▪ No. of complaints received during the year	53731
▪ No. of complaints redressed during the year	54015
▪ No. of complaints pending during the year	1407
▪ % age of complaints resolved	97.46

Principle 2 : Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle	
1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns, and opportunities: ▪ Self Help Groups and Joint Liability Groups ▪ Financial Literacy Centre and Financial Inclusion Resource Centres ▪ Syndicate Rural Development Trust (SRDT) ▪ Farmers' Clubs & Rural Extension Education Programmes
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NOT APPLICABLE
3. Does the Bank have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE
4. Has the Bank taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	YES ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.
5. Does the Bank have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES <5% The Bank is reusing the envelopes received in post/courier.
Principle 3 : Businesses should promote the well-being of all employee.	
1.Please indicate the Total number of employees	Domestic: (excl. Part Time Sweepers) 32578
2.Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis (during the year)	The Bank does not engage contact labour. However, the Bank is utilizing the services of private security agencies (PSA) and ward services
3. Please indicate the number of permanent women employees	9104
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	684

5. क्या आपके यहाँ कर्मचारी संघ हैं, जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त हो	हाँ
6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों की प्रतिशतता	सिंडिकेटबैंक अधिकारी संघ (एसबीओए) - 91.24% सिंडिकेटबैंक कर्मचारी यूनियन (एसबीईयू) -80.69%
7. पिछले वित्तीय वर्ष एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित बालश्रम, जबरन मजदूरी, अस्वैच्छिक मजदूरी, यौन शोषण से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या दर्शाएँ	(see table below)

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की सं.	वित्तीव वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की सं.
1.	बालश्रम/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
2.	यौन शोषण	3	शून्य
3.	भेदभाव रोजगार	शून्य	शून्य

8. आपके निम्नलिखित कर्मचारियों की प्रतिशतता, जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा एवं कौशल स्तरोन्नयन प्रशिक्षण दिए गए? ▪ स्थायी कर्मचारी ▪ स्थायी महिला कर्मचारी ▪ अनियत/अस्थायी/ठेका कर्मचारी ▪ विकलांग कर्मचारी	 44.14% 37.19 % शून्य 42.84%

सिद्धांत 4 : कारोबार, समस्त हितधारकों, विशेषकर लाभ से वंचित, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों के हितों का ख्याल रखें तथा उनके प्रति जवाबदेह हो

1. क्या बैंक ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों की वित्तीय स्थिति का पता लगाया है? हाँ/नहीं	हाँ ▪ शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे, सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, म्यूच्युअल फंड, बैंकों एवं वैयक्तिक ▪ ग्राहकों को बृहद कॉरपोरेट, मध्य कॉरपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया गया है ▪ एच.आर.डी. विभाग बैंक कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखता है
2. उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने सुविधाओं से वंचितों, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों की पहचान की है?	हाँ बैंक ने सुविधाओं से वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों की पहचान भी की है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक, काश्तकारी और पट्टाधारी किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं । इन्हें, विशेष ऋण सुविधाओं सहित किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि, आभूषण ऋण, संयुक्त देयता समूह आदि शामिल हैं, ताकि स्थानीय साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्त किया जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके।
3. क्या कंपनी द्वारा किया गया कोई भी विशेष पहल वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों से संबंधित है ? यदि हाँ तो, 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	हाँ सिंडिकेटबैंक, कर्नाटक बैंक, आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों को खोलने के लिए मणिपाल में ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की संयुक्त रूप से स्थापना की है । एफएलसीसी की स्थापना पर आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.02. 2009 के आधार पर जारी मॉडल योजना के अनुरूप की गई । ▪ बैंक की ओर से न्यास द्वारा 55 एफ एल सी खोले गए हैं। ▪ वर्ष 2017-18 के दौरान से न्यास द्वारा 16481 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । ▪ इन एफएलसी द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान 764531 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया।

सिद्धांत 5 : व्यवसाय, मानवाधिकारों को बढ़ावा एवं सम्मान देने वाला हो

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या ग्रुप/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है?	बैंक की मानव संसाधन नीति मानवता पक्ष की तुष्टि करती है।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया?	वर्ष के दौरान कुल 53,731 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 97.46% शिकायतों का निपटान किया गया।

5. Do you have an employee association that is recognized by the management	YES
6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association	SyndicateBank Officers Association (SBOA) 91.24% SyndicateBank Employees Union (SBEU)– 80.69%
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year	(see table below)

Sr. No	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil
2	Sexual harassment	3	Nil
3	Discriminatory Employment	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?	
▪ Permanent Employees	44.14%
▪ Permanent Women Employees	37.19%
▪ Casual/ Temporary/ Contractual Employees	Nil
▪ Employees with Disabilities	42.84%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the Bank mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	YES ▪ Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Individuals. ▪ Customers are segmented into Large Corporate, Mid-Corporate, Small and Medium enterprises and retail customers. ▪ HRD dept. looks after the interest of the Bank Employees.
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	YES Bank has also identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Joint Liability Group, etc., with the objective of liberating and rehabilitation of farmers from the clutches of local money lenders.
3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES Syndicate Bank, Karnataka Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank and Karnataka Vikas Grameena Bank have jointly established Jnana Jyothi FLCC Trust, Manipal to set up Financial Literacy Centres. The FLCs are established on the lines of Model Scheme for setting up of FLCCs issued by RBI vide their circular dated 04.02.2009.The Trust has so far set up 55 FLCs on behalf of our Bank. • 55 FLCs are opened by the trust on behalf of the Bank; • 16481 programmes were conducted by these FLCs during 2017-2018; • 764531 individuals have been provided counseling through these FLCs during 2017-2018.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	Bank's HR Policy cover the aspect of human rights.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	During the year 53,731 complaints are received out of which 97.46% of complaints were resolved.

सिद्धांत 6 : व्यवसाय से सम्मान, सुरक्षा मिले एवं वातावरण को बहाल करने का अवसर मिले

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल बैंक तक ही सीमित है या ग्रुप/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है?	हरित पहल हेतु बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं: ▪ जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के द्वारा भेजे जा रहे हैं। ▪ जिन क्रेडिट कार्ड धारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें विवरण ई-मेल के द्वारा भेजे जाते हैं, और ▪ सभी विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं आदि के भुगतान केवल आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किए जाते हैं।
2. क्या बैंक के पास वैश्विक वातावरण के मुद्दे, जैसे, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, आदि पर ध्यान देने के लिए कोई रणनीति/पहल उपलब्ध है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	कई जगहों में बैंक, पार्क एवं बगीचों का रख-रखाव करता है।
3. क्या बैंक को संभावित वातावरणीय जोखिम की पहचान है और वह वहाँ तक पहुँच रखता है ? हाँ / नहीं	हाँ
4. क्या बैंक की कोई स्वच्छ विकास नीति से संबंधित परियोजना है ? यदि हाँ, तो 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएँ। साथहीं यदि हाँ, तो क्या कोई वातावरण अनुपालन दायर किया गया है ?	कारोबार की प्रकृति के तौर पर बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास नीति नहीं है।
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी , उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा, आदि पर कोई अन्य पहल की शुरुआत की है ? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	हाँ ▪ उर्जा दक्षता वाले उपकरण कार्यालय में लगाए गए हैं। ▪ संसाधनों और उर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। ▪ भुगतानों/लेन-देनों को नेट बैंकिंग द्वारा किया जाता है (चेक बुक, चालान, रसीद आदि के प्रयोग में पर्याप्त कमी की गई है)
6. क्या रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/कचरा, सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमोदित सीमा के दायरे में है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/विधिक नोटिस की संख्या, जो लंबित हैं (संतोषजनक रूप से निपटाया नहीं गया)	शून्य

सिद्धांत 7 : व्यवसाय जब एक सार्वजनिक और विनियामक नीति के अनुसार कार्य करने लगे तो, एक जिम्मेदार ढंग से ऐसा करना चाहिए

1. क्या आपका बैंक कोई ट्रेड एवं चैम्बर या संगठन का सदस्य है ? यदि हाँ तो केवल उन प्रमुख संगठनों के नाम बताएं जिनसे आप व्यवसाय करते हैं।	हाँ आईबीए, आईआईबीएफ, आईबीपीएस, एनआईबीएम
2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से जनहित के सुधार या उन्नति हेतु वकालत/पैरवी की है? हाँ/नहीं; यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र बताएं (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन। आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, उर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संपोषणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)	उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माता के साथ घनिष्ठता से बैंक कार्य करता है।

सिद्धांत 8 : व्यवसाय से समग्र विकास और समान विकास को बढ़ावा मिले

1. क्या बैंक के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति की तलाश में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हाँ, तो बताएं।	ए) बेरोजगार युवकों को अल्पावधि प्रशिक्षण और एसकार्ट सेवाएं प्रदान करते हुए स्वरोजगार इकाइयों को स्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से हमारे बैंक ने वर्ष 1982 में एसडीएमई ट्रस्ट और केनरा बैंक के सहयोग से ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी) की स्थापना की है । देशभर में 17 राज्यों में 27 रूडसेटी कार्यरत हैं । बी) बैंक, देशभर में समाज के बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन का कार्यान्वयन कर रहा है । बैंक ने देशभर में विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से 6953 गाँवों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं । वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आनेवाले गाँवों में 124.03 लाख ग्राहकों के मूल बचत बैंक खाते खोले गये । तकनीक का फायदा उठाते हुए बैंक कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राहकों के घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है ।

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment	
1. Does the policy relates to Principle 6 cover only the Bank or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/ NGOs/others.	Bank has taken the following steps towards Green Initiative: ▪ Sending Annual Reports through email to the Shareholders whose email ids are registered; ▪ Credit Card statements are sent to the card holders whose email ids are registered; and ▪ All payments to vendors, service providers etc. are made through RTGS/NEFT only.
2. Does the have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc.	In many places, Bank is maintaining Parks and Gardens.
3. Does the Bank identify and assess potential environmental risks? Y/N	YES
4. Does the have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the company undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	YES ▪ Energy efficient equipment installed in the offices ▪ Steps taken to reduce wastage of resources and energy ▪ Payments/transactions are effected through Net banking (considerable reduction in use of cheque books, challans, receipts etc.)
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	N A
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner	
1. Is your Bank a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with.	YES IBA, IIBF,IBPS,NIBM
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	Bank works closely with the Policy makers for the sustainable development of the industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development	
1. Does the Bank have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	a. With a view to enable the unemployed youth to set up self-employment ventures by imparting them short term training and providing escort services, our Bank started Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI) in collaboration with SDME Trust and Canara Bank in 1982. There are 27 RUDSETI s across 17 states in the country; b. Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking services to the unbanked segments of the society, across the country. Bank has so far extended banking facilities to 6953 villages pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts have been opened to 124.03 lakh customers in the villages covered under financial inclusion. By leveraging technology, bank is providing the facilities at the doorstep of the customers through Business Correspondents.

	सी) आगे, बैंक, ग्राहकों को छोटी रकम के ओवरड्राफ्ट, सामान्य क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को अपेक्षित ऋण सुविधाएँ प्रदान कर रहा है । समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई और जीविका में सुधार लाने में इससे मदद मिलती है, जो समग्र रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देता है ।
2. क्या कार्यक्रम/परियोजना इन-हाउस टीम/अपनी संस्था/बाह्य एनजीओ/सरकारी ढांचा/कोई अन्य संस्था के माध्यम से ली गई है?	• जैसा कि पहले ही बताया गया है प्राधिकृत बैंकों तथा संस्थागत प्रायोजकों की तरफ से वित्तीय साक्षरता केंद्रों की देख-रेख के लिए मणिपाल में दिनांक 20.10.2010 को ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की स्थापना की गई है। वर्ष के अंत तक बैंक के पास 55 एफएलसी हैं। ये एफ़एलसीसी जरूरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ ऋण परामर्श तथा ऋण संरचना योजनाओं से अवगत कराती है । • सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना गरीब ग्रामीणों को विशेषकर महिलाओं को ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में की गई । एसआरडीटी के माध्यम से बैंक ने 5 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अब तक 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (सिंडआरसेटी) की स्थापना की है।
3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?	इस क्षेत्र में हमारे प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा एफएलसी के असर तथा प्रभाव के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण किया गया है ।
4. समाज विकास परियोजना में आपके कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – भारतीय रुपये में रकम तथा ली गई परियोजना के ब्यौरे	वर्तमान वर्ष में रूडसेटी द्वारा 959 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 24074 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 22804 प्रशिक्षार्थी रोजगार में जुट गए । सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (सिंड आरसेटी) ने वर्तमान वर्ष में 448 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिनमें 11182 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में 8987 अभ्यर्थी रोजगार में जुट गए ।
5. समाज द्वारा इन समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाया है? 50 शब्दों में वर्णन करें	हमारे रूडसेटी तथा एसआरडीटी द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्वरोजगार की शुरुआत करने हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणालीबद्ध रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

सिद्धांत 9 : कारोबार, ग्राहक के साथ जुड़े रहे, अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से सम्मान दें तथा उनसे जुड़े रहें।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायत/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	उपभोक्ता मामले -34.64 %
2. क्या बैंक, उत्पादों के लेबल पर उत्पाद संबंधी वैसी सूचना दर्शाता है, जो स्थानीय कानून के अनुसार अधिदेशी से अतिरिक्त हो? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. क्या पिछले 5 वर्षों में किसी भी हितधारक द्वारा बैंक के विरुद्ध अनुचित व्यापार, व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतियोगी व्यवहार के लिए कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार कोई मामला लंबित है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरे 50 शब्दों में दें	नहीं
4. क्या आपका बैंक, कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि ट्रेंड चलाता है?	नहीं

	c. Further, Bank is extending required credit facilities to the eligible households by way of Small Overdraft, General Credit Card and Kisan Credit Card to the customers. This helps the needy people in the society to improve their earnings and the livelihood which aids in social and economic development of the nation, as a whole.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?	• As already stated, Jnana Jyothi FLCC Trust has been established at Manipal on 20.10.2010 for overseeing the Financial Literacy Centres (FLCs) on behalf of the Bank and the Institutional sponsors. Bank is having 55 FLCs as at the end of the year. The FLCs provide financial literacy among public and also offer credit counseling to the needy people. • Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self-employment among the rural poor, especially women.Through SRDT, Bank has so far established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (SYNDRSETIs) in 5 states and one Union Territory.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Survey has been conducted by the Bank to study the impact and effectiveness of FLCs for strengthening our efforts in these lines.
4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	959 training programmes were conducted by RUDSETIs during the year; 24074 candidates were trained and out of them 22804 trainees were settled. SYNDRSETIs conducted 448 training programmes during the year, imparted training for 11182 candidates and 8987 candidates are settled during the year out of the trained candidates.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow up and counseling services are being undertaken by our RUDSETIs and SRDTs to facilitate the trained candidates to adopt self-employment initiatives.
Principle 9 – Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.	
1. What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year.	Consumer cases - 34.64%
2. Does the Bank display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./N.A/ Remarks(additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	NO
4. Did your Bank carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	NO

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)
विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V (ई) के अनुसार)]

सेवा में,
बैंक के सभी शेयरधारक

हमने दि. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेटबैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जाँच, कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी । यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय यह है कि बैंक मे उपरोक्त विनियमन में यथानिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है:

1) निदेशक मंडल - गठन क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)
2) लेखा परीक्षा समिति - गठन, अधिकार, बैठक, भूमिका, सूचना की समीक्षा इत्यादि।
3) नामांकन, परिश्रमिक, हितधारक संबंध तथा जोखिम प्रबंधन समिति, आदि संरचना, अधिकार, बैठकें, भूमिका आदि।
4) सहायक कंपनियाँ
5) प्रकटीकरण:
   ए) संबद्ध पार्टी लेन-देन
   बी) लेखाकरण का आधार
   सी) जोखिम प्रबंधन
   डी) निदेशकों का पारिश्रमिक
   ई) प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण
6) वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण
7) वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट
8) कॉरपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

हमें प्रदत्त सूचना के अनुसार, हम यह कहना चाहते हैं कि बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है ।
हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है ।

कृते मणियन एंड रावएसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन: 001983एस)

(रवींद्र सी)
साझेदार
सदस्यता सं : 213658

कृते एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन: 001545 सी)

(अविचल एसएन कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं : 400460

कृते अगस्ति एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन: 313043ई)

(बी अगस्ती)
साझेदार
सदस्यता सं : 051026

कृते वैदीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन: 004494 एस / एस 200037)

(आर कृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं : 014281

कृते जे एस ओबराय एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन: 111107 डब्ल्यू)

(नितिन सारदा)
साझेदार
सदस्यता सं : 108392

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 15.05.2018

AUDITOR'S CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Regulation 34(3) and Schedule V (E) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
All the Shareholders of the Bank,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **SyndicateBank** for the year ended **31.03.2018** as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance (to the extent applicable). It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulation as detailed under:

1) Board of Directors – composition, compensation, Membership of Directors in various committees, Board Meetings and Code of Conduct (placing on the website of the Bank)
2) Audit Committee – Composition, Powers, meetings, role, review of information, etc.
3) Nomination, Remuneration, Stakeholders' Relationship and Risk Management Committee, etc - Composition, Powers, meetings, role, etc.
4) Subsidiary Companies
5) Disclosures:-
a) Related Party Transactions
b) Basis of Accounting
c) Risk Management
d) Remuneration of Directors
e) Management Discussion and Analysis
6) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
7) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.
8) Compliance Certificate on Corporate Governance.

On the basis of information provided to us, we state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For MANIAN & RAO
Chartered Accountants
(FRN : 001983S)

(RAVINDRA C)
Partner
Membership No : 213658

For S N KAPUR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(FRN : 001545C)

(AVICHAL SN. KAPUR)
Partner
Membership No : 400460

For AGASTI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(FRN : 313043E)

(B AGASTI)
Partner
Membership No : 051026

For VAITHISVARAN & CO LLP
Chartered Accountants
(FRN : 004494S/S200037)

(R.KRISHNAN)
Partner
Membership No : 014281

For J.S. UBEROI & CO.
Chartered Accountants
(FRN : 111107W)

(NITIN SARDA)
Partner
Membership No : 108392

Place : Bengaluru
Date : 15.05.2018

निदेशक मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणीकरण

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत]

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि:

ए. मैंने/हमने वर्ष 2017-2018 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:
 (1) इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
 (2) ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है ।

बी. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।

सी. हम बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिचालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया गया है ।

डी. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:
 1. वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 2. वर्ष 2017-18 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
 3. हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है ।

	ह/-	ह/-
स्थान : बेंगलूरु	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
दिनांक : 15.05.2018		

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा घोषणा

दि. 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक की आचरण संहिता का **निदेशक मंडल** तथा बैंक के **वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग** ने दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

ह/-
(मेलविन रेगो)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 15.05.2018
(जमा)/ खाते में प्रत्यक्ष जमा

CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(In terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

I/We Certify that -

A. I/We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2017-2018 and that to the best of our knowledge and belief:
   (1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   (2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2017-2018 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit committee:
   (1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year 2017-2018;
   (2) Significant changes in accounting policies during the year 2017-2018 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   (3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Place: BENGALURU	**Sd/-**	**Sd/-**
Date :15.05.2018	**CHIEF FINANCIAL OFFICER**	**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

DECLARATION BY MANAGING DIRECTOR & CEO

The Board of Directors and the **Senior Management Personnel** of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended **31.03.2018.**

Sd/-
(Melwyn Rego)
Managing Director and
Chief Executive Officer

Place: Bengaluru
Date: 15.05.2018
(Credit) /Direct Credit to the account.

31.03.2018 को समाप्त तिमाही के लिए बासेल III पिलर 3 का प्रकटीकरण

सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 को केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड के नाम से प्रधानत: स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य के उडुपि शहर में हुई। 1963 में बैंक ने अपने नाम को केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लि. से सिंडिकेट बैंक में बदल दिया। 1969 में बैंक राष्ट्रीयकृत होकर एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बना।

31 मार्च, 2018 को बैंक में भारत सरकार का हिस्सा 73.07% रहा है। बैंक के शेयर, मुंबई शेयर बाजार (बीएसई: 532276) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई: सिंडिबैंक) की सूची में हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बासेल III पूँजी विनियामक कार्यान्वयन की तिथि 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी निर्धारित किया है: बैंकों द्वारा बासेल III पूँजी विनियामक के तहत निर्धारित नियामक पूँजी सीमा तथा निम्नतम सीआरएआर का अनुपालन निरंतर रूप से किया जाना है । बासेल III में सुचारू रूप से पारगमन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नतम बासेल पूँजी अनुपात, पूँजी के घटकों का पूर्ण नियामक समायोजन आदि की प्राप्ति के लिए उचित परिवर्ती व्यवस्थाएं की गई हैं । बासेल III पूँजी विनिमय का 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वयन हो जाएगा।

प्रयोग की परिधि तथा पूँजी पर्याप्तता

पिलर 3 प्रकटीकरण सिंडिकेटबैंक पर लागू है तथा समेकित संस्था होने के नाते बैंक द्वारा पूँजी पर्याप्तता अनुपात का अनुपालन दो स्तरों पर अपेक्षित है :

(ए) समेकित (''समूह'') स्तर की पूँजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षाएं, जो बैंक की ऐसी संस्थाएं जो बीमा तथा गैर–वित्तीय कार्यकलापों में जुड़ी हैं, को छोड़कर बैंक की अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों आदि की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का समेकन कर इसकी पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंककी पूंजी पर्याप्तता की माप करता है; तथा

(बी) स्टैंडएलोन (''एकल'') स्तर की पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं, जो बैंक की स्टैंडएलोन पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता की माप करता है ।

सिंडिकेटबैंक का विदेशी परिचालन, लंदन स्थित इसकी शाखा के माध्यम से उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों में किया जाता है ।

सारिणी डी एफ–1: प्रयोग की परिधि

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

पूंजी पर्याप्तता के लिए समेकन आधार

पूंजी पर्याप्तता के लिए विचारणीय संस्थाओं में बैंक की अनुषंगियों, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यम शामिल हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विवेकपूर्ण समेकित रिपोर्ट तैयार करने की परिधि में उल्लिखित बैंकिंग या वित्तीय प्रकृति के कार्यकलापों का निर्वहन करते हैं ।

BASEL - III, PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE QUARTER ENDED 31.03.2018

Syndicate Bank was established in 1925 in Udupi in Karnataka State as Canara Industrial and Banking Syndicate Ltd., mainly to provide financial assistance to local weavers. In 1963, the Bank changed its name from Canara Industrial and Banking Syndicate Ltd. to Syndicate Bank Ltd. In 1969, the Bank was nationalised and became a Public Sector Bank.

As of 31st March 2018, the Government of India has held 73.07% stake in the Bank. The Bank's shares are listed with Bombay Stock Exchange (BSE: 532276) and the National Stock Exchange (NSE: SYNDIBANK).

RBI has prescribed implementation of the Basel III, capital regulations in India with effect from April 1, 2013. Banks have to comply with the regulatory capital limits and minimum CRAR as prescribed under Basel III capital regulations, on an ongoing basis. To ensure smooth transition to Basel-III, appropriate transitional arrangements have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital etc. Basel III capital regulations would be fully implemented by March 31, 2019.

Scope of Application and Capital Adequacy

Pillar 3 disclosures apply to SyndicateBank and Bank, being a consolidated entity, has to comply with the capital adequacy ratio requirements at two levels:

a) Consolidated ("Group") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a bank based on its capital strength and risk profile after consolidating the assets and liabilities of its subsidiaries / joint ventures / associates etc. except those engaged in insurance & any non-financial activities; and

b) Standalone ("Solo") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a Bank based on its standalone capital strength and risk profile.

Overseas operations of SyndicateBank through its branch in London are covered in both the above scenarios.

Table DF-1: Scope of Application

i. **Qualitative Disclosures**

Basis of consolidation for capital adequacy

The entities considered for consolidation for capital adequacy include subsidiaries, associates and joint ventures of the Bank, which carry on activities of banking or financial nature as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports as prescribed by RBI.

समेकन के लिए विचार करने योग्य समूह संस्थाओं की सूची (लेखांकन/नियामक)

संस्था का नाम/ उद्गम देश	क्या संस्था समेकन की लेखांकन परिधि में है (हाँ/नहीं)	समेकन की विधि बताएं (लेखांकन परिधि)	समेकन विधि में अंतर के कारण दें	यदि केवल एक ही समेकन परिधि के भीतर है तो इसके कारण स्पष्ट करें
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड (भारत)	हाँ	एएस 21 सिलसिलेवार तरीके से	गैर वित्तीय अनुषंगी (100% स्वामित्ववाली)	नियामक पूंजी से घटायी गई
प्रथमा बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु जोखिम
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	

ए. समेकन के लेखांकन तथा विनियामक दोनों की परिधि के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची ।

सिंडिकेटबैंक में ऐसी कोई समूह संस्था नहीं है जो समेकन की लेखांकन संभाव्यता तथा समेकन की विनियामक संभाव्यता दोनों की परिधि के तहत विचारणीय न हों ।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ए. समेकन के लिए विचार किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची (विनियामक संभाव्यता):

शून्य

बी. समस्त अनुषंगियों में पूँजी अपर्याप्तता की कुल रकम जो समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं है अर्थात जिन्हें घटा दिया गया हो:

बैंक की अनुषंगी में कोई पूँजी अपर्याप्तता नहीं है ।

सी. बीमा कंपनियों में बैंक की कुल ब्याज की संकलित रकम (जैसे चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है:

बैंक का बीमा कंपनियों में किसी प्रकार का निवेश नहीं है ।

List of group entities considered for consolidation (Accounting/Regulatory)

Name of the Entity / Country of incorporation	Whether the entity is Included under Accounting scope of consolidation (Yes / No)	Explain the method of consolidation (Accounting scope)	Explain the reasons for difference in the method of Consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scope of Consolidation
Syndbank Services Limited (India)	Yes	AS 21 line – by – line basis	Non-Financial subsidiary (100% owned)	Deducted from Regulatory Capital
Prathama Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	Risk Weighted for Capital adequacy purposes
Karnataka Vikas Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	
Andhra Pragathi Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	

a) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities of SyndicateBank that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

ii. Quantitative Disclosures

a) List of group entities considered for consolidation (Regulatory scope):

Nil

b) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e, that are deducted:

There is no capital deficiency in subsidiary of the bank.

c) The aggregate amounts (e.g, current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Bank does not have any investment in insurance entities.

डी . बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण अथवा नियामक पूँजी में किसी प्रकार का गतिरोध अथवा बाधा:

शून्य

सारिणी डीएफ–2: पूँजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

पूँजी निर्धारण: बैंक के पास अपनी जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूँजी की पर्याप्तता के निर्धारण की एक प्रक्रिया है और अपनी पूँजी स्तरों के अनुरक्षण के लिए एक कार्यनीति है। यह प्रक्रिया एक प्रकार से आश्वासन देती है कि बैंक के कारोबार में निहित सभी जोखिमों के समर्थन में बैंक के पास पर्याप्त पूँजी बफर उपलब्ध हैं। बैंक, मजबूत अभिशासन तथा नियंत्रणकारी उपायों, मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा तथा पूँजी गणना एवं योजना के लिए विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट होने वाले समस्त जोखिमों की व्यापक रूप से पहचान, निर्धारण तथा प्रबंधन करता है ।

बैंक के पास बोर्ड से अनुमोदित एक व्यापक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) तथा तनाव परीक्षण नीति है जिसे 2008 में अपनाया गया। बैंक द्वारा आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) को प्राप्त अनुभवों, परिष्कार तथा साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके एएफआई/पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान दिए गए सुझावों/टिप्पणियों के आधार पर परिवर्तन/संशोधन किया जाता है।

बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे समस्त जोखिमों के महत्व की पहचान तथा मूल्यांकन के लिए बैंक के पास आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया में संरचनागत प्रबंधन ढाँचा उपलब्ध है । बैंक अपने कारोबार में निम्नलिखित जोखिमों को महत्वपूर्ण मानता है; जो आईसीएएपी के तहत है।

(ए) ऋण जोखिम

(बी) ऋण संकेंद्रण जोखिम
- संकेंद्रण नाम
- संकेंद्रण समूह
- संकेंद्रण क्षेत्र
- अंचल संकेंद्रण
- आस्ति स्वरूप संकेंद्रण
- बाह्य एवं आंतरिक श्रेणी रेटिंग का संकेंद्रण

(सी) बाज़ार जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत कवर नहीं)

(डी) परिचालन जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत कवर नहीं)

(ई) तरलता जोखिम

(एफ) बैंक बही में ब्याज दर जोखिम

अन्य जोखिम आईसीएएपी के पिलर 2 में कवर हैं : उपर्युक्त जोखिमों के अतिरिक्त बैंक निम्नलिखित जोखिमों को भी पिलर 2 के अंश के रूप में गुणात्मक तरीके से निर्धारित करता है ।

(ए) प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम

(बी) कार्यनीति जोखिम

(सी) सामूहिक जोखिम

(डी) निपटान जोखिम

(ई) पेंशन दायित्व जोखिम

d) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

Nil

Table DF-2: Capital Adequacy

i. Qualitative Disclosures

Assessment of Capital: The Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. The process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks inherent to its present business and to support the planned business growth and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank identifies, assesses and manages comprehensively all risks that it is exposed to, through sound governance and control practices, robust risk management framework and an elaborate process for capital calculation and planning.

Bank has, Board approved comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress test policy which was adopted in 2008. Bank has been modifying/ revising the ICAAP policy on an annual basis based on the experience gained, sophistication achieved and also as per the suggestions/observations made by RBI during its AFI/ Supervisory Review and Evaluation Process.

The Bank has a structured management framework in the Internal Capital Adequacy Assessment Process for the identification and evaluation of the significance of all risks that the Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. The Bank considers the following as material risks; it is exposed to, in the normal course of its business and therefore, factors these in ICAAP.

(a) Credit Risk

(b) Credit Concentration Risk
- Name concentration
- Group Concentration
- Sector concentration
- Zone concentration
- Asset Type concentration
- External & Internal rating grade concentration

(c) Market Risk (not covered under Pillar I)

(d) Operational Risk (not covered under Pillar I)

(e) Liquidity Risk

(f) Interest Rate Risk in Banking Book

Other Risks covered as part of Pillar 2, in ICAAP:– In addition to the above mentioned risks, Bank also assesses the following risks as part of Pillar 2 in qualitative manner.

(a) Reputational Risk

(b) Strategic Risk

(c) Group Risk

(d) Settlement Risk

(e) Pension Obligation Risk

(एफ)मुख्य कार्मिकों की कमी
(जी) मॉडल जोखिम

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण ढाँचा का कार्यान्वयन किया है जौ बैंक के आईसीएएपी का अभिन्न भाग है तथा पूँजी आवश्यकताओं के निर्धारण तथा बैंक द्वारा परिकल्पित तनाव के तहत बैंक के लाभ को प्रभावित करता है ।

तनाव परीक्षण का उद्देश्य बैंक संविभाग की गुणवत्ता पर विविध 'झटकों' के असर निर्धारण तथा ऐसी घटनाओं के कम होने पर बैंक को इस झटकों से उबारने की क्षमता का निर्धारण करना है । जब ऐसी घटनाएँ वास्तव में घटित होती है तो, बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता में कमी आती है जिससे बैंक का लाभ घटता है या बैंक अधिक पूंजी रखने पर मजबूर हो जाता है।

बैंक के सीआरएआर तथा आय पर प्रभाव के निर्धारण के लिए तिमाही आधार पर तनाव परीक्षण किया जाएगा । बैंक, तनाव परीक्षण के सिलसिले में निम्नलिखित जोखिमों पर असर का निर्धारण करता है:

(ए) ऋण जोखिम
- अनर्जक आस्तियाँ
- पुनर्सरचित आस्तियाँ
- संपार्श्विक
- संकेंद्रण जोखिम

(बी) बाज़ार जोखिम
- विदेशी विनिमय जोखिम
- ब्याज दर जोखिम
  - व्यापार बही
  - बैंकिंग बही
- ईक्विटी मूल्य बही

(सी) तरलता जोखिम

तनाव परीक्षण हेतु मुख्यतः दो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं; सेंसिटिविटी परीक्षण तथा सिनारियो एनालिसिस।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

ए) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता:

ब्यौरे	रकम (₹ मिलियन में)
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	165,283.71
प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र*	-
कुल	165,283.71

* बैंक के पास प्रतिभूतीकरण के लिए किसी प्रकार का एक्सपोज़र नहीं है।

बी) बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी की अपेक्षाएँ:

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	रकम (₹ मिलियन में)
ब्याज दर जोखिम	13,065.36
विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	146.81
ईक्विटी जोखिम	3,226.75
कुल	**16,438.92**

(f) Loss of Key Personnel
(g) Model Risk

The Bank has implemented a Board approved Stress Testing Framework taking into consideration RBI guidelines which forms an integral part of the Bank's ICAAP and provides an assessment of the capital requirement and impact on Profits of the Bank under stressed conditions envisaged by the Bank.

The purpose of stress testing is to assess the impact of various 'shocks' on the quality of the bank's portfolio and an assessment of the bank's ability to withstand such shocks if such an event/s materializes. When such events actually take place, the quality of assets held by a Bank will deteriorate and may lead to reduced profits or constrain the bank to keep more capital.

In order to assess the impact on CRAR and income of the bank, the Stress Test will be conducted on quarterly basis. The Bank assesses the impact on the following risks, as part of Stress Test:

(a) Credit Risk
- Non-performing assets
- Restructured assets
- Collateral
- Concentration Risk

(b) Market Risk
- Foreign Exchange Risk
- Interest rate Risk
  - Trading Book
  - Banking Book
- Equity Price Risk

(c) Liquidity Risk

The two broad categories of stress tests used are sensitivity tests and scenario analysis.

ii. Quantitative Disclosures:

a) Capital requirement for Credit Risk:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Portfolios subject to Standardized Approach	165,283.71
Securitization exposures*	-
Total	165,283.71

* Bank does not have any exposure to securitization transactions.

b) Capital requirements for Market Risk:

Standardized Duration Approach	Amount (₹ in Millions)
Interest rate risk	13,065.36
Foreign exchange risk (including gold)	146.81
Equity risk	3,226.75
Total	**16,438.92**

सी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएँ:

ब्यौरे	रकम (₹ मिलियन में)
मूल संकेतक दृष्टिकोण	17,388.78

डी) सामान्य ईक्विटी टियर1, टियर1 और कुल पूँजी अनुपात (बासेल III):

ब्यौरे	%
सामान्य ईक्विटी टियर1 अनुपात	7.56%
टियर1 अनुपात	9.41%
कुल पूंजी अनुपात	12.24%

iii. जोखिम एक्सपोजर और मूल्यांकन

ऋण जोखिम

ए) **परिभाषा:** ऋण जोखिम को, प्रतिपक्षकार के ऋण की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास से जुड़ी हुई संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बैंक के संविभाग में, ग्राहक या प्रतिपक्षकार द्वारा उधार, व्यापार, समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित दायित्व की पूर्ति में क्षमता के अभाव से या अनिच्छा से भुगतान में चूक होने से हानि उत्पन्न होती है। इससे विकल्पतः वास्तविक या आस्तियों की ऋण गुणवत्ता में दिखती अवनति से उत्पन्न संविभाग मूल्य में कमी के कारण हानि उत्पन्न होगी।

बी) **ऋण जोखिम कार्यनीति:** ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे के एक महत्वपूर्ण घटक ऋण जोखिम कार्यनीति है। बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ ऋण जोखिम कार्यनीति है। बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति बैंक के ऋण तत्व के अनुरूप है, जो गुणवत्तापरक आस्तियों, लाभप्रद संबंध और विवेकपूर्ण वृद्धि पर जोर देता है।

तदनुसार, बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित है :

- बैंक के ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत सावधानीपूर्वक उधारकर्ताओं का चयन किया जाता है और विवेकपूर्ण रूप से ऋणों की मंजूरी की जाती है।
- उपार्जन या उसके परिमाण के लिए ऋण की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। कारोबार वृद्धि का उद्देश्य ग्राहक आधार को बढ़ाने, क्षेत्रवार विविधीकरण और भौगोलिक वितरण के माध्यम से ऋण जोखिमों को फैलाना है।
- बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति, यह सुनिश्चित करती है कि वह सैक्लिकल इकनॉमिक ट्रेड को दूर करें ताकि ऋण संरचना में हुए परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव ऋण संविभाग की समग्र गुणवत्ता पर न पड़ें।

बैंक अपनी ऋण जोखिम कार्यनीतियों की पूर्ति के लिए निम्नांकित प्रक्रियाओं को अपनाता है :

- सक्रिय जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की स्थापना
- ऋण मंजूरी से ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को अलग करना
- जोखिम आधारित मूल्यांकन और मंजूरी

c) Capital requirements for Operational risk:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Basic indicator approach	17,388.78

d) Common Equity Tier1, Tier1 and Total Capital Ratios (Basel III):

Particulars	%
Common Equity Tier 1 Ratio	7.56%
Tier 1 Ratio	9.41%
Total Capital Ratio	12.24%

iii. Risk Exposure and Assessment

Credit Risk

a) **Definition**: Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of counterparties. In a Bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality of the assets.

b) **Credit Risk Strategy:** One of the key components of credit risk management framework is credit risk strategy. Bank has sound credit risk strategy to meet the objectives of credit risk management. Bank's Credit Risk Strategy is in consonance with credit philosophy of the Bank, which emphasizes quality assets, profitable relationships and prudent growth.

Accordingly, Bank's Credit Risk Strategy is guided by the following principles:

- Credit granting process of the Bank would be marked by careful assessment in selecting borrowers and prudence in approving loans.
- Credit quality shall not be compromised for the sake of earnings or volumes. The business development would aim to diffuse credit risks through broadening of the client base, sectoral diversification and geographical distribution.
- Credit Risk strategy of the Bank would also seek to mitigate the cyclical economic trends and ensure that, the shifts in the composition of credit do not have an adverse effect on overall quality of the credit portfolio.

Bank employs the following processes to accomplish its credit risk strategies.

- Establishment of pro-active risk management practices
- Separation of credit risk management functions from credit sanction
- Risk based appraisal and sanction

- बहुस्तरीय ऋण स्वीकृति प्रणाली
- रकम, लेन-देन जोखिमों और रेटिंग के आधार पर विभेदकारी मंजूरी स्तर
- स्वतंत्र ऋण समीक्षा क्रियाविधि
- समस्यावाले/कमज़ोर ऋण एक्सपोजर पर केंद्रीकृत ध्यान
- निम्नगुणवत्ता की आस्तियों के मामले में समीक्षा/निर्गम
- ऋण की उच्चतम सीमाओं या सीमाओं का जोखिम आधारित प्रबंधन
- ऋण जोखिम का अधिग्रहण, विश्लेषण और मापन
- जोखिम आधारित कीमत निर्धारण
- विशेषीकृत उधार पर केंद्रीकृत दृष्टिकोण। इसे, बड़ी/कॉरपोरेट वित्त/ मिड कॉरपोरेट शाखाओं और खुदरा ऋण केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है।
- चालू एक्सपोजर और एनपीए स्तरों के आधार पर कम प्राथमिकतावाले उद्योगों की पहचान।

इस प्रकार कार्यनीति, आर्थिक क्रियाकलाप का स्वरूप, भौगोलिक स्थान, मुद्रा, बाजार, परिपक्वता और प्रत्याशित लाभप्रदता के आधार पर ऋण प्रदान करने में बैंक की रुचि का निर्धारण करेगी। इससे लक्षित बाजारों और कारोबार क्षेत्रों की पहचान, अधिमान्य स्तर का विविधीकरण और संकेंद्रीकरण, ऋण प्रदान करने में पूँजी की लागत और अशोध्य ऋण की लागत का अवश्य पता लगाया जा सकता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली:

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निम्नांकित मदें शामिल हैं :

i. **जोखिम की पहचान**: बैंक के पास ऋण जोखिम को पहचानने या पता लगाने की पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। समय पर जोखिम की पहचान करने से बैंक समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

ii. **जोखिम का निर्धारण:** एक खास जोखिम श्रेणी के अंतर्गत उधारकर्ता की रेटिंग और उसका वर्गीकरण करते हुए जोखिम का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक जोखिम श्रेणी संविभाग के अंतर्गत अन्य के साथ-साथ उधारकर्ता के संबंधित जोखिम का संकेत देता है। जोखिम निर्धारण को ग्रेडिंग तथा तुलना के उद्देश्य से परिमाणित किया जाता है।

iii. **जोखिम की निगरानी:** यदि एक बार जोखिम की पहचान और निर्धारण कर लिया जाता है, तो बैंक निरंतर रूप से उसकी निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि जोखिम संचालनीय सीमाओं के भीतर है। आस्ति की गुणवत्ता को रक्षित करने और एनपीए से बचाने के लिए बैंक की जोखिम निगरानी एक महत्वपूर्ण साधन है।

iv. **जोखिम का नियंत्रण व न्यूनीकरण:** जोखिम नियंत्रण को, 'विशेष उल्लेख खाते' के संबंध में, निरंतर निगरानी के जरिए, ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग नामक पृथक संवर्ग के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। आस्ति गुणवत्ता में हुई गिरावट के संकेत एवं संवेदनशील क्षेत्रों के एक्सपोज़र की निगरानी मासिक आधार पर की जाएगी। जोखिम को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारंटियों को प्राप्त करते हुए जोखिम को कम किया जाता है।

- Multi-tiered credit approval system
- Discriminatory sanction levels based on amount, transaction risks and rating
- Independent loan review mechanism
- Focused attention on problem / weak credit exposures
- Review / exit in case of low quality assets.
- Risk driven management of credit ceilings or limits
- Capture, Analysis and Measurement of Credit Risk
- Risk based pricing
- Focused approach to specialized lending. This is being done through establishment of Large / Corporate Finance / Mid-corporate branches, and retail loan centers.
- Identify Low Priority Industries based on the current exposure and NPA levels

Thus the strategy would determine the Bank's willingness to grant loans based on the type of economic activity, geographical location, currency, market, maturity and anticipated profitability. This would necessarily translate into the identification of target markets and business sectors, preferred levels of diversification and concentration, cost of capital in granting credit and cost of bad debts.

Credit Risk Management System

The credit risk management system encompasses the following:

i. **Identification of Risk:** Bank has methods and procedures to identify or locate the credit risk. Timely identification of risk will enable the Bank to initiate timely corrective action.

ii. **Assessment of Risk:** Assessment is done by rating the borrower and classifying the borrower under a particular risk grade. Each risk grade indicates the relative riskiness of the borrower vis-à-vis others in the portfolio. Risk assessment is quantified for the purpose of grading and comparison.

iii. **Monitoring of Risk:** Once the risk is identified and assessed, Bank continuously monitors and ensure that the risk remains within manageable limits. Risk monitoring is an important tool of the Bank to protect the quality of the asset and avoid slippage to NPA.

iv. **Control and Mitigation of Risk:** Controlling of risk is ensured by the continuous monitoring undertaken in respect of 'Special Mention Accounts' by the bank under a separate vertical called 'Credit Monitoring and Review Department' showing signs of slippage in asset quality and monitoring of exposure to sensitive sectors are undertaken on a monthly basis. Efforts are made to mitigate the risk. Risk is mitigated by way of obtaining collaterals or guarantees.

सी) ऋण जोखिम प्रबंधन:

बैंक में स्वतंत्र ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जिसका संचालन महा प्रबंधक द्वारा किया जाता है और वे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और कुल मिलाकर सभी जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह विभाग, ऋण विभाग और अन्य परिचालन एव निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। पहचान, निर्धारण, निगरानी और नियंत्रण तथा विभिन्न घटकों में जोखिमों को कम करने के कार्य पर जोखिम प्रबंधन विभाग ध्यान केंद्रित करता है।

i) संगठनात्मक संरचना:

बैंक ने सुदृढ़ तथा व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे का कार्यान्वयन किया है। निदेशक मंडल ऋण जोखिम प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेता है और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, कार्यनीतियों का निर्णय करता है और विवेकपूर्ण तथा अन्य सीमाओं का भी निर्धारण करता है।

जोखिम प्रबंधन विभाग की संरचना निम्नवत है :

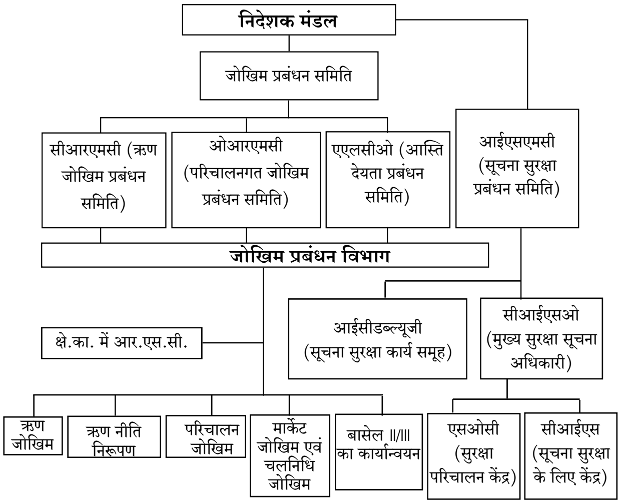

1. **मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):** जोखिम प्रबंधन समिति, मंडल की उप-समिति है, जिसका संचालन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और कार्यनीति बनाते हैं, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोज़र शामिल हैं।

   आरएमसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

   ए) जोखिम कार्यनीतियाँ, जोखिम नीतियाँ, जोखिम-वहन क्षमता और जोखिम की सहनशीलता।

   बी) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के मापन/प्रबंधन/निगरानी/रिपोर्टिंग के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना। ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति, फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) राजकोष नीति और परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत, देशी राजकोष नीति और परिचालनगत मार्गदर्शी

c) Credit Risk Governance:

The Bank has an independent Risk Management Department, which is headed by General Manager and is responsible for managing credit risk, market risk, operational risk and integration of all risks. The department functions independent of Credit Department and other operations and decision making processes. The Risk Management Department focuses on identification, assessment, monitoring and controlling and mitigating of risks across various segments.

i) Organization Structure:

The Bank has implemented a robust and comprehensive Credit Risk Management framework. The Board of Directors assumes the overall responsibility for credit risk management and decides the credit risk management policy, strategies and sets prudential & other limits.

The set-up of Risk Management Department is hereunder:

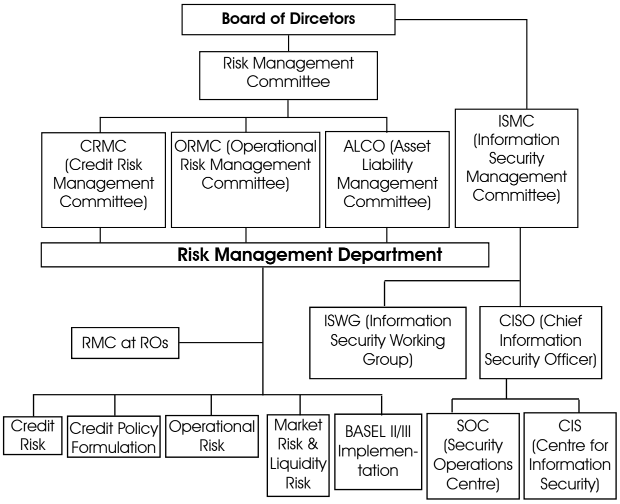

1. **Risk Management Committee (RMC) of the Board:** The Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by Managing Director & CEO, devises the policy and strategies for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank, including the credit risk.

   The responsibilities of RMC include:

   a) Setting risk strategies, risk policies, risk appetite and risk tolerance of the Bank.

   b) Setting policies and guidelines for measurement/ management/ monitoring/reporting of Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. Approving all related policies i.e., Credit policy, Credit Risk Policy, Forex Treasury Policy and Operational guidelines, Domestic Treasury Policy and

सिद्धांत, एएलएम नीति, परिचालनगत जोखिम नीति आदि सभी संबद्ध नीतियों का अनुमोदन।

सी) विभिन्न जोखिमों को विश्लेषित करने, मापन करने और निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का अनुमोदन, जो बैंक के कारोबार में होने वाले सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का पता लगाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक हो।

डी) प्रभावी परिचालनों, विश्वसनीय रिपोर्टिंग, आस्तियों की रक्षा को प्रोत्साहित करने और जोखिम सीमाओं, विधि, विनियमन और अनुमोदित नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था।

ई) ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिमों के अंतर्गत जोखिम सीमाओं का अनुमोदन और समीक्षा।

एफ) निरंतर आधार पर ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, परिचालन जोखिम, विधि जोखिम आदि का निर्धारण करना।

जी) ऋण/बाजार/परिचालनगत जोखिमों के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रणालियों की प्रभावकारिता और वित्तीय मॉडलों की सशक्तता सुनिश्चित किया जाना।

एच) विभिन्न परिचालन विभागों द्वारा जोखिम मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और बैंक के कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखकर जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया के औचित्य को सुनिश्चित करना।

आई) महत्वपूर्ण कमजोरियों को पहचानने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के प्रति तुरंत ध्यान देना।

जे) जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालन, सीमाओं और नियंत्रणों से संबंधित) बैंक की नीति के अनुरूप होना सुनिश्चित करना।

के) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के साथ उनके कार्यवृत्तों की समीक्षा करते हुए समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

एल) आरएमसी बैठकों के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को रिपोर्ट किया जाना।

एम) मामले के महत्व के आधार पर निदेशक मंडल को अनुमोदन/चर्चा के लिए नोट प्रस्तुत किया जाना।

विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए अलग उप-समितियाँ गठित की गईं।

- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

2. **ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी):** ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी) का संचालन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है और बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं एवं ऋण जोखिम नीति का कार्यान्वयन करने हेतु उत्तरदायी

Operational Guidelines, ALM policy, Operational risk policy, etc.

c) Approving procedures for analysing, measuring and monitoring various risks, which should be sufficiently comprehensive to capture all material risk inherent in the Bank's business.

d) Setting up efficient internal control system to promote effective operations, reliable reporting, safeguarding assets and ensuring compliance with risk limits, laws, regulations and approved policies.

e) Approving and Reviewing risk limits under credit risks, market risks and operational risks.

f) Undertaking on an ongoing basis an assessment of credit risk, market risk, liquidity risk, interest rate risk, equity price risk, foreign exchange risk, operational risk, legal risk, etc.

g) Ensuring robustness of financial models and effectiveness of all systems used to calculate Credit/Market/Operational risks.

h) Monitoring compliance with risk parameters by various operating departments and ensure the appropriateness of risk control process, keeping in view the level of risks posed by the bank's activities.

i) Paying prompt attention to identify material weaknesses and take remedial action.

j) Ensuring that risk management processes (related to people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.

k) Co-ordinate and supervise Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset-Liability Management Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC) through review of minutes of these committees.

l) Report to the Board of Directors by placing the minutes of RMC meetings.

m) Place any note to the Board for approval / discussion depending upon the importance of the matter.
Separate sub-committees, are set up to manage and control various risks:

- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Asset Liability Management Committee (ALCO)

2. **Credit Risk Management Committee (CRMC)**: The Credit Risk Management Committee (CRMC) chaired by Managing Director & CEO, is responsible for the implementation of the Credit Risk Policy and strategies approved by the Board. The committee monitors

है। समिति, ऋण जोखिम की निगरानी, नीतियों का अनुमोदन एवं नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

3. **क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन कक्ष:** बासेल II संबंधी कार्य सहित समस्त ऋण एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय का जोखिम प्रबंधन कक्ष उत्तरदायी है। जोखिम प्रबंधन कक्ष के कार्यों में रिपोर्टिंग रजिस्टर की समीक्षा, मंजूरी की समीक्षा, रेटिंग की पुष्टि, बासेल II का कार्यान्वयन, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन, समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट, एसएम खातों की निगरानी, मित्रा समिति की रिपोर्ट, विधिक अनुपालन और समुचित सावधानी प्रमाणपत्र जारी किए जाने की निगरानी आदि आते हैं ।

ऋण जोखिम रिपोर्टिंग की प्रकृति एवं क्षेत्र और /या मापन प्रणाली

1) ऋण रेटिंग प्रणाली के द्वारा उधारकर्ता के ऋण जोखिम या उधारकर्ता को संस्वीकृत ऋण सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। उधारकर्ता की रेटिंग ऋण की मंजूरी के पहले की जाती है और नियमित आधार पर रेटिंग की समीक्षा की जाती है। रेटिंग की संपुष्टि संस्वीकृति पर निर्भर करती है। बोर्ड द्वारा विभिन्न निवेश सूची हेतु एक प्रस्ताव को विचार करने या अस्वीकृत करने के लिए न्यूनतम प्रतिलाभ दर को निर्धारित किया जाता है। मंजूरी प्राधिकारी, मार्जिन, कीमत निर्धारण और निगरानी उद्देश्य आदि से भी ऋण रेटिंग जुड़ा हुआ है।

2) निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत ऋण जोखिम निवेश सूची को एक्स्पोज़र के अध्ययन के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उच्च प्रबंधन, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नियमित आधार पर गठित समिति के द्वारा मूल्यांकित की जाती है।
   - वैयक्तिक एवं समूह उधारकर्ता के लिए विवेकसम्मत सीमाएं- वैयक्तिक उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता के लिए माने जाने वाली अधिकतम ऋण सीमा।
   - शीर्ष 20 समूह और शीर्ष 20 वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोज़र सीमा
   - उद्योगवार / क्षेत्रवार एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा
   - संवेदनशील क्षेत्रों हेतु एक्स्पोज़र
   - पूंजी बाज़ार हेतु एक्स्पोज़र
   - सभी ऋणों का रेटिंग दृष्टि से वितरण
   - रेटिंग का स्थानांतरण – विभिन्न समयावधियों में ऋण निवेश-सूची में ऋण रेटिंग की अदला बदली

3) बैंक के पास ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) है जो अग्रिम के गुण, ऋण प्रबंधन की प्रभावशीलता, बैंक की आंतरिक नीति का अनुपालन और विनियामक ढांचा एवं निवेश-सूची के गुण को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है। यह खाते में उत्पन्न कमजोरी की जानकारी देता है ताकि प्रारंभिक समय में ही इसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

बचाव-व्यवस्था हेतु नीतियाँ और / या जोखिम को कम करने एवं कार्यनीति और प्रतिरक्षा/प्रशामक की प्रभावशीलता को जारी रखने हेतु निगरानी की विधि:

ऋण जोखिम को कम करने एवं जांच के लिए बैंक ने विभिन्न प्रकार की

credit risk, clears policies and ensures compliance of policies.

3. **Risk Management Cells at ROs:** The Risk Management Cell at RO is responsible for overall credit and operational risk management functions including Basel II related work. The functions of Risk Management cell include review of reporting register, review of sanctions, confirmation of ratings, Basel II implementation, operational risk management, review of concurrent audit reports, monitoring of SM accounts, Mitra committee reports, monitoring issuance of Legal Compliance and Due Diligence certificate.

The scope and Nature of Credit Risk reporting and / or measurement system

1) The credit risk of a borrower or that of a credit facility sanctioned to a borrower is assessed through a credit rating system. The rating of the borrower is done prior to sanction of the loan and review of the rating is to be done on regular basis. The confirmation of the rating is independent of sanction. Hurdle rates are prescribed by the Board for considering or rejecting a proposal for various portfolios. Credit Rating is also linked to decide Sanctioning Authority, Margin, Pricing and monitoring purposes.

2) Portfolio credit risk is assessed by studying the exposures under the following categories and appraised to Top Management, Risk Management Committee of the Board, Audit Committee of the Board and Board of Directors on a regular basis.
   - Prudential limits for individual and group borrowers – Ceiling on maximum credit that can be considered for an individual borrower / group of borrowers
   - Exposure ceiling for Top 20 Group and Top 20 Individual Borrowers
   - Industry-wise/sector-wise exposure ceilings
   - Exposure to Sensitive Sector
   - Exposure to Capital Market
   - Rating-wise distribution of all the advances
   - Migration of ratings – Movement of credit ratings in the credit portfolio as a whole over different time periods

3) Bank is having Loan Review Mechanism (LRM), which involves independent assessment of the quality of an advance, effectiveness of loan administration, compliance with internal policies of bank and regulatory framework and portfolio quality. It also helps in tracking weaknesses developing in the account for initiating corrective measures in time.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:

Bank has evolved several strategies/systems/procedures to

नीतियों/प्रणालियों/विधियों को विकसित किया है। नियंत्रण प्रणाली एवं जोखिम निगरानी के संबंध में बैंक में प्रचलित परिचालनगत दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:-

- बैंक के पास सभी समस्या युक्त खातों को पहचानने के लिए ऋण निगरानी एवं समीक्षा हेतु स्वतंत्र विभाग है जो उन समस्याओं को उच्च प्रबंधन के सम्मुख प्रस्तुत करता है एवं विशेष उल्लेख खातों/पुनर्गठित खातों की प्रभावी निगरानी के लिए कॉ.का./प्र.का. से समन्वय करता है और प्रणाली/नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त करता है। आस्तियों की गुणवत्ता को सुधारने एवं अनर्जक आस्ति की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए ससमय उपचारी कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एकसमान संरचना विद्यमान है।
- उधार खातों में ₹1 करोड़ और उससे अधिक रकम के बकाया की निगरानी के लिए बैंक के पास मासिक निगरानी रिपोर्ट की प्रणाली है जो अग्रिमों का अनुवर्तन करती है एवं एनपीए में जाने से रोकती है।
- प्रारंभिक सीमा के ऊपर एक्सपोज़र हेतु बैंक में आवधिक ऋण लेखा-परीक्षा और स्टॉक लेखा-परीक्षा के संचालन की प्रणाली है।
- ऋण जोखिम को कम करने में सुरक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण साधन है। यह बैंक के पक्ष में उधारकर्ता/तीसरी पार्टी की आस्तियों पर प्रवर्तनीय प्रभार सृजित करता है और नियमित अंतरालों पर उचित मूल्यांकन/भंडारण/अनुरक्षण एवं प्रतिभूतियों का बीमा सुनिश्चित करता है ताकि बैंक के अग्रिम/ऋण की प्रतिभूतियों के द्वारा मूल्य पूरी तरह कवर किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रभारित प्रतिभूतियों का आवधिक अंतरालों पर मूल्यांकन होता हैं एवं हमेशा निर्दिष्ट मार्जिन को बनाए रखा जाता है।

सारणी डीएफ-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने हेतु अनिश्चित काल के लिए एक दृढ़ एवं दक्ष बैंकिंग प्रणाली अनिवार्य शर्त है। बैंक की आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम महत्वपूर्ण है जो आय का प्रमुख स्रोत है। आस्ति गुणवत्ता बैंक की सुदृढ़ता के संकेतक हैं। इसलिए आस्ति गुणवत्ता को सुधारने के लिए विशेष बल दिया जाता है। ऋणों एवं अग्रिमों की ससमय वसूली केवल बैंक की तरलता एवं लाभ स्तर को ही नहीं बढ़ाती बल्कि प्रत्यावर्ती उत्पादकारी गतिविधियों तथा संवृद्धि हेतु निधियों का पुनर्निवेश करने के लिए बैंक को सक्षम बनाती है।

आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और अग्रिम निवेश-सूची के प्रावधानों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक अपने अग्रिमों को (ऋण और साख अग्रिम की प्रकृति में प्रतिस्थापन है) अर्जक एवं अनर्जक ऋणों में वर्गीकृत करता है। अर्जक आस्ति को ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ :

❖ एक आस्ति, पट्टा आस्ति सहित अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है।

mitigate and monitor credit risk. The operational guidelines pertaining to the Risk Monitoring and control systems put in place by the bank are as under.

- The Bank has an independent Credit Monitoring & Review Department for identifying all problem accounts which places the same before Top Management and coordinates with functional departments at CO/HO, for effective monitoring of Special Mention accounts/Restructured accounts and takes feedback for any changes in the system/policy. Timely remedial action is taken to improve the quality of the assets and arrest slippage to NPA category. Similar structure exists in each RO.
- Bank is having the system of Monthly Monitoring Report for borrowal accounts with balance outstanding of ₹ 1 crore and above for monitoring and follow up of advances and preventing from slipping to NPA.
- Bank has also system of conducting periodic credit audits and stock audit for exposure beyond a threshold limit.
- Security management is instrumental in mitigating credit risk. It involves creation of enforceable charge over the borrower/third party assets in favour of the Bank, proper valuation/storage/maintenance and insurance of the securities so charged at regular intervals, in order that the Bank's advances/loans remain fully covered by the realizable value of the securities charged to it. Further, the charged securities are valued at periodic intervals and stipulated margins are maintained at all times.

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures

i. Qualitative Disclosures

A sound and efficient banking system is a sine qua non for maintaining financial stability. Loans and advances constitute major portion of the assets of the Bank and also a vital source of income. Asset quality is one of the major soundness indicators of a bank. Therefore considerable emphasis has been placed on improving asset quality. Prompt recovery of loans and advances not only increases the liquidity and profitability position of the Bank, but also enables the Bank to recycle the funds for alternate productive activities and to improve the bottom line.

The Bank classifies its advances (loans and credit substitutes in the nature of an advance) into performing and non-performing loans in accordance with the extant RBI guidelines on Asset classification, Income Recognition and Provisioning to Advances portfolio. An NPA is defined as a loan or an advance where:

❖ An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate Income for the bank.

❖ जहाँ एक ऋण या अग्रिम अनर्जक आस्ति (एनपीए) मानी जाती है :
- ➢ मीयादी ऋण के संदर्भ में ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों की अवधि से अधिक के लिए अतिदेय हो।
- ➢ ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में खाते अनियमित हों।
- ➢ खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो।
- ➢ अल्पावधि फसलों के लिए जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसम से अतिदेय हो।
- ➢ लंबी अवधि के लिए मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो।
- ➢ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभूतीकरण 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशानुसार प्रतिभूतीकरण अंतरण के संदर्भ में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय हो।
- ➢ व्युत्पन्नी संव्यवहारों के मामले में व्युत्पन्नी संविदा में बाजार भाव पर दर्शाए गए मूल्य की अतिदेय प्राप्तियाँ यदि निर्दिष्ट तारीख के भुगतान से 90 दिन तक अप्रदत्त हो।
- ➢ किसी क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाएगा यदि, विवरण में वर्णित देय न्यूनतम राशि का पूर्ण भुगतान देय विवरणों में उल्लिखित तारीख से 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाए।
- ➢ ब्याज भुगतान के मामले में, खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान बकाया और प्रभारित ब्याज का पूर्ण भुगतान तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर न हो।

क्रम में नहीं रहने की स्थिति: यदि किसी खाते की बकाया राशि 90 दिनों के लिए निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक होती है, तो उस खाते को 'क्रम में नहीं' खाते के रूप में मानना चाहिए। यदि सक्रिय खाते की बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है बल्कि तुलन-पत्र की तारीख से निरंतर 90 दिनों की अवधि तक कोई राशि जमा नहीं की गई है या जमा की गई रकम उसी अवधि के दौरान नामे डाले गए ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे खातों को क्रम में नहीं खातों के रूप में मानना चाहिए।

अतिदेय: किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख तक रकम अदा नहीं की जाती है तो उसे अतिदेय माना जाएगा।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

भौगोलिक वितरण-वार कुल सकल ऋण जोखिम निवेश (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित):

(राशि ₹ मिलियन में)

श्रेणी	31 मार्च 2018 की स्थिति में		
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
घरेलू	1,814,768.81	222,759.45	2,037,528.26
विदेशी	418,691.93	0.74	418,692.67
कुल	**2,233,460.75**	**222,760.19**	**2,456,220.94**

❖ A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;
- ➢ Interest and / or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- ➢ The account remains 'out of order', in respect of an Overdraft / Cash Credit (OD/ CC),
- ➢ The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- ➢ The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- ➢ The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,
- ➢ The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of RBI guidelines on Securitization dated February 1, 2006.
- ➢ in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.
- ➢ A Credit card account will be treated as non-performing asset if the minimum amount due, as mentioned in the statement is not paid fully within 90 days from the payment due date mentioned in the statement.
- ➢ In case of interest payments, the account shall be classified as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

Out of Order Status: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit / drawing power for 90 days. In case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit / drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts also should be treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

ii. Quantitative Disclosures:

Total Gross Credit Risk Exposures – Gross Outstanding Advances (Fund Based and Non-Fund Based) Geographical Distribution-Wise:

(Amount ₹ in Millions)

Category	As on March 31st 2018		
	Fund Based	Non fund Based	Total
Domestic	1,814,768.81	222,759.45	2,037,528.26
Overseas	418,691.93	0.74	418,692.67
Total	**2,233,460.75**	**222,760.19**	**2,456,220.94**

उद्योग-वार निवेश का वितरण (सकल निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अग्रिम):

(राशि ₹ मिलियन में)

उद्योग	निधि आधारित ओ/एस	गैर-निधि आधारित ओ/एस	कुल
कृषि	338,224.40	-	338,224.40
खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	7,372.10	1,998.54	9,370.64
खाद्य प्रसंस्करण	**31,605.32**	**3,208.35**	**34,813.67**
चीनी	6,500.54	31.30	6,531.84
खाद्य तेल एवं वनस्पति	5,533.48	1,344.28	6,877.76
चाय	412.84	2.10	414.94
अन्य	19,158.46	1,830.67	20,989.13
मादक पेय एवं तंबाकू	1,504.83	151.37	1,656.20
कपड़ा उद्योग	**20,073.01**	**1,174.68**	**21,247.69**
कपास वस्त्र उद्योग	6,745.20	745.34	7,490.54
जूट वस्त्र उद्योग	100.41	19.01	119.42
मानव-निर्मित वस्त्र उद्योग	1,167.07	0.17	1,167.24
अन्य वस्त्र उद्योग	12,060.31	410.16	12,470.47
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1,507.81	152.50	1,660.31
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	2,112.63	522.67	2,635.30
कागज़ एवं कागज़ उत्पाद	5,639.48	662.48	6,301.96
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं न्यूक्लियर इंधन	**35,113.23**	**28,820.04**	**63,933.27**
उनमें से:			
पेट्रोलियम	33,235.31	28,813.86	62,049.17
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	**24,970.78**	**6,071.54**	**31,042.32**
उर्वरक	2,793.52	4,003.82	6,797.34
ड्रग्स एवं फार्मासिटिकल्स	9,084.62	310.09	9,394.71
पेट्रो केमिकल्स	9,209.26	439.44	9,648.70
अन्य	3,883.38	1,318.19	5,201.57
रबर, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	9,838.95	1,179.46	11,018.41
कांच एवं कांच के उत्पाद	2,103.57	28.54	2,132.11
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	10,225.03	735.96	10,960.99
मूल धातु और धातु उत्पाद	**104,415.95**	**1,868.43**	**106,284.38**
लोहा और इस्पात	85,226.26	1,532.42	86,758.68
अन्य धातु और धातु उत्पाद	19,189.69	336.01	19,525.70
सभी इंजीनियरिंग	**21,541.84**	**47,153.52**	**68,695.36**
इलेक्ट्रॉनिक्स	1,798.93	5,192.19	6,991.12
अन्य	19,742.91	41,961.33	61,704.24
वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण	10,057.02	749.53	10,806.55
रत्न और आभूषण	16,754.49	1,193.48	17,947.97
निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर से भिन्न)	23,634.43	35,025.50	58,659.93
इन्फ्रास्ट्रक्चर	**256,622.57**	**38,565.06**	**295,187.63**
पावर	138,483.07	7,325.10	145,808.17
उनमें से:	-	-	-
राज्य-स्वामित्व पावर उपयोगिता	86,529.50	691.30	87,220.80
दूरसंचार	17,184.60	23,850.90	41,035.50
सडक	23,821.25	4,024.28	27,845.53
विमान पत्तन	-	-	-
पत्तन	3,426.42	1,235.01	4,661.43
रेलवे (भारतीय रेलवे को छोड़कर)	12,829.15	-	12,829.15
अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	60,878.08	2,129.77	63,007.85
अन्य उद्योग (एनबीएफसी को छोड़कर)	57,197.69	6,522.72	63,720.41
एनबीएफसी	256,719.67	307.33	257,027.00
उद्योगों की कुल संख्या (एनबीएफसी सहित)	**1,237,234.80**	**176,091.70**	**1,413,326.50**
अवशिष्ट अग्रिम	996,225.95	46,668.49	1,042,894.44
कुल अग्रिम	**2,233,460.75**	**222,760.19**	**2,456,220.94**

Industry-Wise Distribution of Exposures (Gross Fund Based and Non-Fund Based Advances)

(Amount ₹ in Millions)

Industries	Fund Based Balance O/S	Non Fund Based Balance O/S	Total
Agriculture	338,224.40	-	338,224.40
Mining & Quarrying (incl. Coal)	7,372.10	1,998.54	9,370.64
Food Processing	**31,605.32**	**3,208.35**	**34,813.67**
Sugar	6,500.54	31.30	6,531.84
Edible Oils & Vanaspati	5,533.48	1,344.28	6,877.76
Tea	412.84	2.10	414.94
Others	19,158.46	1,830.67	20,989.13
Beverage & Tobacco	1,504.83	151.37	1,656.20
Textiles	**20,073.01**	**1,174.68**	**21,247.69**
Cotton Textiles	6,745.20	745.34	7,490.54
Jute Textiles	100.41	19.01	119.42
Man-Made Textiles	1,167.07	0.17	1,167.24
Other Textiles	12,060.31	410.16	12,470.47
Leather & Leather Products	1,507.81	152.50	1,660.31
Wood & Wood Products	2,112.63	522.67	2,635.30
Paper & Paper Products	5,639.48	662.48	6,301.96
Petroleum, Coal Products & Nuclear Fuels	**35,113.23**	**28,820.04**	**63,933.27**
Of which:			
Petroleum	33,235.31	28,813.86	62,049.17
Chemicals & Chemical Products	**24,970.78**	**6,071.54**	**31,042.32**
Fertilizer	2,793.52	4,003.82	6,797.34
Drugs & Pharmaceuticals	9,084.62	310.09	9,394.71
Petro Chemicals	9,209.26	439.44	9,648.70
Others	3,883.38	1,318.19	5,201.57
Rubber, Plastic & their Products	9,838.95	1,179.46	11,018.41
Glass & Glassware	2,103.57	28.54	2,132.11
Cement & Cement Products	10,225.03	735.96	10,960.99
Basic Metal & Metal Product	**104,415.95**	**1,868.43**	**106,284.38**
Iron & Steel	85,226.26	1,532.42	86,758.68
Other Metal & Metal Product	19,189.69	336.01	19,525.70
All Engineering	**21,541.84**	**47,153.52**	**68,695.36**
Electronics	1,798.93	5,192.19	6,991.12
Others	19,742.91	41,961.33	61,704.24
Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment	10,057.02	749.53	10,806.55
Gems & Jewellery	16,754.49	1,193.48	17,947.97
Construction (other than Infrastructure)	23,634.43	35,025.50	58,659.93
Infrastructure	**256,622.57**	**38,565.06**	**295,187.63**
Power	138,483.07	7,325.10	145,808.17
Of which:	-	-	-
State-owned Power Utilities	86,529.50	691.30	87,220.80
Telecommunication	17,184.60	23,850.90	41,035.50
Roads	23,821.25	4,024.28	27,845.53
Airports	-	-	-
Ports	3,426.42	1,235.01	4,661.43
Railways (other than Indian Railways)	12,829.15	-	12,829.15
Other Infrastructure	60,878.08	2,129.77	63,007.85
Other Industries (Excluding NBFC)	57,197.69	6,522.72	63,720.41
NBFC	256,719.67	307.33	257,027.00
Total of Industries (Including NBFC)	**1,237,234.80**	**176,091.70**	**1,413,326.50**
Residual Advances	996,225.95	46,668.49	1,042,894.44
Total Advances	**2,233,460.75**	**222,760.19**	**2,456,220.94**

उद्योग के कुल निवेश से 5% अधिक निवेश:

(रकम ₹ मिलियन में)

उद्योग	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल	कुल निवेश का%
कृषि	3,38,224.40	-	3,38,224.40	13.77%
इन्फ्रास्ट्रक्चर	256,622.57	38,565.06	295,187.63	12.02%
उनमें पावर	138,483.07	7,325.10	145,808.17	5.94%
एनबीएफसी	256,719.67	307.33	257,027.00	10.46%

Exposure to Industries in excess of 5% of total exposure:

(Amount ₹ in Millions)

Industries	Fund Based	Non Fund Based	Total	% of Total Exposure
Agriculture	3,38,224.40	-	3,38,224.40	13.77%
Infrastructure	256,622.57	38,565.06	295,187.63	12.02%
of which Power	138,483.07	7,325.10	145,808.17	5.94%
NBFC	256,719.67	307.33	257,027.00	10.46%

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग–अलग आंकड़े

Residual contractual maturity breakdown wise of assets as on 31.03.2018:

(रकम ₹ मिलियन में)/(Amount in ₹ Million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	नकद Cash	भा.रि.बैं. में शेष Balances with RBI	अन्य बैंकों में शेष Balances with other banks	निवेश Investments	निवल अग्रिम Net Advances	अचल आस्तियां Fixed Assets	अन्य आस्तियां Other Assets	कुल Total
अगले दिन/Next Day	9,467	1,395	931	271,275	46,789	-	797	330,654
2 -7 दिन/2 to 7 days	-	3,179	58,086	4,906	73,965	-	364	140,500
8 -14 दिन/8 to 14 days	-	1,482	-	4,904	98,150	-	1,093	105,629
15 -30 दिन/15 to 30 days	-	3,020	-	10,221	106,415	-	1,705	121,361
31 दिन से 2 महीने तक/31 days & upto 2 m	-	4,426	-	1,797	57,698	-	2,078	65,999
2 महीने से अधिक और 3 महीने तक/ > 2 mths & upto 3 mths	-	2,042	-	13,743	135,558	-	6,573	157,916
3 महीने से अधिक और 6 महीने तक/ > 3 mths and upto 6 mths	-	5,423	11,593	1,271	127,510	-	10,173	155,970
6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक/ > 6 mths and upto 1 y	-	19,439	-	63,106	160,033	-	1,671	244,249
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक/ > 1 year and upto 3 years	-	47,266	4,962	107,688	644,629	-	37,433	841,978
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक/ > 3 years and upto 5 years	-	7,779	21,455	134,597	312,574	-	2,772	479,177
5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक/ > 5 years and upto 7 years	-	3,924	-	151,681	101,308	-	1,181	258,094
7 वर्षों से अधिक और 10 वर्षों तक/ > 7 years and up to 10 years	-	2,594	-	7,066	93,299	-	1,152	104,111
10 वर्षों से अधिक और 15 वर्षों तक/ > 10 years and up to 15 years	-	1,715	1,295	25,334	24,649	-	308	53,301
15 वर्षों से अधिक/>15 years	-	3,691	-	5,953	124,261	24,781	22,147	180,833
कुल/Total	**9,467**	**107,375**	**98,322**	**803,542**	**2,106,838**	**24,781**	**89,447**	**3,239,772**

अनर्जक आस्तियों की कुल राशि (सकल):

आस्तियों की श्रेणी	राशि (₹ मिलियन में)
अवमानक	73,746.70
संदिग्ध 1	56,176.10
संदिग्ध 2	101,714.50
संदिग्ध 3	16,830.90
हानि	9,117.80
कुल अनर्जक आस्ति	**257,586.00**
निवल अनर्जक आस्ति	**132,394.60**

Amount of NPAs (Gross)

Category of Assets	Amount (₹ in Millions)
Substandard	73,746.70
Doubtful 1	56,176.10
Doubtful 2	101,714.50
Doubtful 3	16,830.90
Loss	9,117.80
Total NPA	**257,586.00**
Net NPAs	**132,394.60**

अनर्जक अनुपात

सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	11.53%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	6.28%

अनर्जक आस्तियों में बदलाव

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
एनपीए (प्रारंभिक शेष)	211,029.50
एनपीए में वृद्धि	
नया एनपीए	63,305.30
परिचालन की वजह से वृद्धि	2,458.70
विदेशी मुद्रा में अंतर की वजह से वृद्धि	509.90
अन्य कुछ (कृपया सूचित करें)	
कुल (ए)	**277,303.40**
एनपीए में कटौती	
मूलधन के प्रति वसूली	7,411.50
बट्टे खाते डालना	309.60
पीडब्ल्यूओ	7,619.70
उन्नयन	4,376.60
परिचालन की वजह से कमी	
विदेशी विनिमय की वजह से कमी	
अन्य कुछ (कृपया सूचित करें)	
कुल (बी)	**19,717.40**
एनपीए (अंतिम शेष)	**257,586.00**

अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव:

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
प्रारंभिक शेष	95,337.30
जोड़ें: अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	37,911.70
घटाएं :	
• बट्टे खाते डालना	7,619.70
• अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	2,216.30
अंतिम शेष	**123,413.00**

अनर्जक निवेश

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
अनर्जक निवेशों की रकम	13,834.75
- अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान की रकम	8,891.87
- निवेशों पर मूलहास के लिए प्रावधान की रकम	3,341.63
कुल: अनर्जक निवेशों और निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान की रकम	12,233.50

* मूल्यहास के लिए निर्धारित उपरोक्त प्रावधान सरकारी प्रतिभूतियों पर उपगत एमटीएम हानि का समायोजन आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीआर. सं.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 में जारी निदेशों के अनुसार 4 तिमाहियों में करने के पश्चात् निर्धारित किया गया है।

NPA Ratios

(i) Gross NPAs to Gross Advances	11.53%
(ii) Net NPAs to Net advances	6.28%

Movement in NPA

Particulars	Amount (₹ in Millions)
NPA (Opening balance)	211,029.50
Increase in NPA	
Fresh NPA	63,305.30
Increase due operations	2,458.70
Increase due to Diff in FX exchange	509.90
Any other (Pl specify)	
Total (A)	**277,303.40**
Reduction in NPAs	
Recovery towards Principal	7,411.50
Write off	309.60
PWO	7,619.70
Up gradation	4,376.60
Decrease due to operations	
Decrease due FX Exchange	
Any other (Pl specify)	
Total (B)	**19,717.40**
NPA (Closing balance)	**257,586.00**

Movement of Provisions for NPAs

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Opening balance	95,337.30
Add : Provisions made during the period	37,911.70
Less :	
• Write Off	7,619.70
• Write back of excess provisions	2,216.30
Closing Balance	**123,413.00**

Non-Performing Investments

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Amount of Non-Performing Investments	13,834.75
- Amount of provisions held for non-performing investments	8,891.87
- Amount of provisions for Depreciation on investments*	3,341.63
Total: Provision for non-performing investments & Depreciation on investments	12,233.50

* The provision for Depreciation stated above is after Spread of the MTM losses on Government Securities over four quarters as permitted by RBI vide Circular No.DBR. No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018.

अनर्जक निवेशों तथा निवेशों में होनेवाले मूल्यह्रास के प्रावधान में बदलाव (मूल्यांकन)

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
प्रारंभिक शेष	8,557.12
आलोच्य अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	3,676.38
प्रावधान में बट्टे खाते डालना/कटौती	0.00
अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	0.00
इति शेष	12,233.50

सारिणी डीएफ-4 – ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. उपयोग किए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम और किसी परिवर्तन के लिए कारण :-
   बासेल II के अंतर्गत संशोधित ढाँचे के प्रावधानों के अनुरूप जहाँ बैंक द्वारा प्रदान की गई सुविधा की रेटिंग, जो पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई है, वही रेटिंग दावा के जोखिम भार का आधार होगा। बैंक, पूँजी पर्याप्तता के उद्देश से दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग का उपयोग करता है :
   - क्रेडिट रेटिंग इनफारमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया (क्रिसिल)
   - क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
   - इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)
   - इनवेस्टमेंट इनफारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईक्रा)
   - ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
   - एसएमईआरए रेटिंग्स लि.
   - इन्फोमेरिक्स वेल्युएशन एंड रेंटिंग प्रा. लि.
   - बैंक पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का उपयोग करता है :
   - फिच
   - मूडीज़
   - स्टैण्डर्ड एण्ड पूवर्स
2. उन ऋणों के प्रकार जिनके लिए श्रेणी का निर्धारण किया जाता है :-
   - बैंक ने ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट दोनों के पात्र सभी ऋणों, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, के लिए उपर्युक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तय किए गए याचित रेटिंग्स का उपयोग किया है। बैंक ने न तो इन एजेंसियों द्वारा तय किए गए रेटिंग्स में कोई विभेद किया है न ही उनका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रकार के ऋण के लिए सीमित रखा है।
   - यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए दो रेटिंग्स हैं, जिनसे विभिन्न जोखिम भार का परिकलन किया जाता है, तो निचले स्तर के रेटिंग के अनुरूप ऊँचे स्तर का जोखिम भार लागू किया जाता है।
   - यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न रेटिंग्स के साथ अधिक रेटिंग्स दिए जाते हैं, तो संदर्भ में लिए गए दो निचले स्तर के जोखिम

Provision movement of Non-Performing Investments & Depreciation on Investments (Valuation)

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Opening balance	8,557.12
Provisions made during the period	3,676.38
Write Off / Reduction in Provisions	0.00
Write back of excess Provisions	0.00
Closing Balance	12,233.50

Table DF-4 - Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

i. Qualitative Disclosures:

1. Names of the credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes :-
   In line with the provisions of the Revised Framework under Basel II, where the facility provided by the Bank possesses rating assigned by an eligible credit rating agency, the risk weight of the claim will be based on this rating. Bank uses the ratings of the following domestic credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:
   - Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL)
   - Credit Analysis and Research Limited (CARE)
   - India Ratings and Research Private Limited (India Ratings)
   - Investment Information and Credit Rating Agency of India (ICRA)
   - Brickwork Ratings India Pvt. Limited (Brickwork)
   - SMERA Ratings Ltd.
   - Infomerics Valuation and Rating Pvt Ltd.
     Bank use, the ratings of the following international credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:
   - Fitch
   - Moody's
   - Standard & Poor's
2. Types of exposures for which ratings are used:-
   - The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term. The Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.
   - If there are two ratings accorded by credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight corresponding to lowest rating applied.

- If multiple ratings accorded by credit rating agencies with different ratings, then the ratings corresponding to

भार के अनुरूप रेटिंग और उन दो जोखिम भार में से उच्च स्तर अर्थात् द्वितीय निचले स्तर के रेटिंग को लागू किया जाता है।

3. बैंकिंग बही में तुलनयोग्य आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग्स के अंतरण के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन:
   - बैंक किसी विशिष्ट निर्गम में निवेश करता है जिसका चुनिंदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किया गया निर्गम विशिष्ट रेटिंग होता है; दावे का जोखिम भार इसके निर्धारण पर आधारित होगा।
   - निर्गम विशिष्ट रेटिंग (बैंक का निजी ऋण या उसी उधारकर्ता घटक/ काउंटरपार्टी द्वारा दिया गया अन्य ऋण निर्गम) या जारीकर्ता रेटिंग (उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसी उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी के गैर-श्रेणी निर्धारित ऋण के लिए लागू किया जाता है :
   - निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग तभी किया जाता है जब बैंक का गैर-श्रेणी निर्धारित दावा श्रेणी निर्धारित निर्गम/ऋण के समरूप होता है या अधिक होता है।
   - जहाँ कहीं गैर-श्रेणी निर्धारित दावों के जोखिम भार निर्धारित करने हेतु जारीकर्ता रेटिंग या निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग किया जाता है, ऐसे रेटिंग उसी काउंटरपार्टी पर दावे की संपूर्ण रकम के लिए दिया जाता है।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

कुल बैंक एक्सपोज़र मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने (सीआरएम) के बाद प्रमुख जोखिम बकेट्स में बैंक के निवेश बकाया सकल अग्रिम (श्रेणी निर्धारित और गैर श्रेणी निर्धारित सहित) की रकम

रकम (₹ मिलियन में)

जोखिम भार वर्ग	
अग्रिम	
निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	1,310,556.12
100% जोखिम भार	483,332.02
100% से अधिक जोखिम भार	232,296.73
कटौती - सी.आर.एम.	207,275.88
कुल	2,233,460.75
गैर-निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	112,016.80
100% जोखिम भार	67,363.49
100% से अधिक जोखिम भार	32,877.94
कटौती - सी.आर.एम.	10,501.96
कुल	222,760.19
निवेश (बैंकिंग बही)	
100% से कम जोखिम भार	507,183.44
100% जोखिम भार	0.00
100% से अधिक जोखिम भार	767.32
पूंजी से कटौती	3.00
कुल	507,953.76

the two lowest risk weights referred to and the higher of those two risk weights applied. i.e., the second lowest risk weight.

3. Description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book.
   - Bank invests in a particular issue that has an issue specific rating by a chosen credit rating agency; the risk weight of the claim will be based on this assessment.
   - Issue Specific Ratings (Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower constituent/ counterparty) or Issuer Ratings (borrower constituent/ counterparty) are applied to unrated exposures of the same borrower constituent/ counterparty subject to the following:
   - Issue specific ratings are used where the unrated claim of the Bank ranks *pari-passu* or senior to the rated issue / debt.
   - Wherever issuer rating or issue specific ratings are used to risk weight unrated claims, such ratings are extended to entire amount of claim on the same counterparty.

ii. Quantitative Disclosures:

Amount of the Bank's Exposures – Outstanding Gross Advances (including Rated & Unrated) in Major Risk Buckets after factoring Risk Mitigants under Standardized Approach.

(Amount ₹ in Millions)

Risk Weight Category	**Amount**
Advances	
Fund Based	
Risk weight Below 100 %	1,310,556.12
Risk weight of 100 %	483,332.02
Risk weight more than 100 %	232,296.73
Deducted-CRM	207,275.88
Total	2,233,460.75
Non-Fund Based	
Risk weight Below 100 %	112,016.80
Risk weight of 100 %	67,363.49
Risk weight more than 100 %	32,877.94
Deducted-CRM	10,501.96
Total	222,760.19
Investments (Banking Book)	
Risk weight Below 100 %	507,183.44
Risk weight of 100 %	0.00
Risk weight more than 100 %	767.32
Deducted from capital	3.00
Total	507,953.76

सारिणी डीएफ – 5: ऋण जोखिम में कमी : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक द्वारा ऋण जोखिम में कमी का प्रकटीकरण करने की प्रणाली अपनाई जा रही है जिसे ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं को कम करने हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत मान्यता दी गई है और यह ओटीसी व्युत्पन्न के काउंटरपार्टी जोखिम प्रभारों के परिकलन के लिए तथा ट्रेडिंग बही में किए गए रेपो–स्टाईल लेन–देनों के लिए भी लागू होगी।

1. संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया

नियंत्रण की मूल प्रक्रियाएँ एवं ब्यौरे तथा मानक/स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, ऋण प्रदान करने के लिए आवश्यक गारंटी, विभिन्न प्रकार के ऋण एवं संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन प्रक्रिया, संपार्श्विक प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति और निर्गमन आदि बैंक द्वारा जारी ऋण नीति तथा ऋण जोखिम नीति में सूचित किए जाते हैं।

2. बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने वाली मुख्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्णन

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी परिकलन हेतु जोखिम को कम करने वाली पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ निम्नवत् हैं :

- नकद या नकद समान (उधारकर्ता बैंक द्वारा जारी मीयादी जमाराशि रसीदों सहित)
- सोना (दोनों बुलियन और आभूषण सहित)
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- किसान विकास पत्र (केवीपी) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
- आईआरडीए द्वारा विनियमित, किसी बीमा कंपनी की घोषित अभ्यर्पण मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- बीबीबी श्रेणी निर्धारित ऋण प्रतिभूतियाँ – या अल्पावधि मीयादी ऋण लिखतों के लिए बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3

3. गारंटर काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण–पात्रता

बैंक उन गारंटियों के रूप में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, विहित, अविकल्पी और अप्रतिबंधित हैं। बैंक, पूंजी आवश्यकताओं के परिकलन में ऐसी ऋण सुरक्षा को ध्यान में रखता है।

ऋण जोखिम को कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार हैं – केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गारंटी, ईसीजीसी (राज्य सरकार और ईसीजीसी के गारंटीकृत हिस्से के लिए लागू 20% जोखिम भार), सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच (निम्न आयवाले आवास के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट)।

काउंटरपार्टी एक्सपोजर के गारंटीकृत हिस्से से गारंटर के लिए लागू जोखिम भार तय किया जाता है तथा असुरक्षित हिस्से से काउंटरपार्टी का जोखिम भार निर्धारित किया जाता है। अतः काउंटरपार्टी से कम जोखिम भारवाली कंपनियों द्वारा जारी गारंटियों से पूंजी प्रभार में कमी होती है।

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

i. Qualitative Disclosures:

Disclosures on credit risk mitigation methodology are being adopted by the Bank which are recognized under the Standardized Approach for reducing capital requirements for credit risk and this will also be applicable for calculation of the counterparty risk charges for OTC derivatives and repo-style transactions booked in the trading book.

1. Policies and processes for collateral valuation and management

Basic procedures and descriptions of controls as well as types of standard/acceptable collaterals, guarantees necessary in granting credit, evaluation methods for different types of credit and collateral, frequency of revaluation and release of collateral are stipulated in the Credit policy & Credit Risk Policy framed by the Bank.

2. A description of the main collaterals taken by the Bank

Collaterals eligible as risk mitigants for capital computation under Standardized Approach comprise namely:

- Cash or Cash equivalent (including fixed deposit receipts, issued by the lending bank).
- Gold (include both bullion and jewellery)
- Securities issued by Central and State Governments
- Kisan Vikas Patra (KVP) and National Savings Certificates (NSC)
- Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
- Debt Securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments

3. Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

The types of guarantees recognized for credit risk mitigation are guarantees by Central Government, State Governments, ECGC (Risk Weight at 20% for guaranteed portion of State Govt. & ECGC), CGTMSE, CRGFTLIH (Credit Guarantee Fund Trust for Low income housing).

As the guaranteed portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the applicable to guarantor and the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty. Hence Guarantees issued by entities with attracting lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges.

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

पात्र सीआरएम द्वारा आरक्षित एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर निधि आधारित)

विवरण	रकम (₹ मिलियन में)
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति	141,737.47
पात्र गारंटी (0% ऋण भारवाली) [केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीजीएमएसई,]	76,040.37
कुल	217,777.84

सारिणी डीएफ-6: प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

नियत अवधि तक सिंडिकेटबैंक ने किसी प्रकार की प्रतिभूतीकरण लेन-देन में भाग नहीं लिया है।

सारिणी डीएफ-7: व्यापार बही में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम का संदर्भ उन आगामी अर्जनों की अनिश्चितता से है जो ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, मार्केट मूल्य में होनेवाले परिवर्तन और उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश और बाज़ार जोखिम नीति तथा उस पर परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत मौजूद हैं, जिनकी समीक्षा वार्षिक तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न का परिचालन सुदृढ़ और स्वीकार्य कारोबार नीतियों के अनुरूप किया जाता है तथा वे मौजूदा विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

व्यापार बही में बाज़ार जोखिम का निर्धारण मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। व्यापार बही में बाज़ार जोखिम के पूंजी प्रभार अर्थात् धारित संविभाग (एच.एफ.टी.) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध (ए.एफ.एस.) संविभाग का परिकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ

मानक अवधि दृष्टिकोण	रकम (₹ मिलियन में)
ब्याज दर जोखिम	13,065.36
विदेशी विनिमय जोखिम (सोना सहित)	146.81
ईक्विटी जोखिम	3,226.75
कुल	**16,438.92**

सारिणी डीएफ-8: परिचालन जोखिम प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम हानि की जोखिम है, जो आंतरिक प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता या असफल होने के कारण, लोगों या प्रणालियों की वजह से होती है या बाह्य कारणों से होती है। परिचालन जोखिम के अंतर्गत कानूनी जोखिम आती है बल्कि कार्यनीतिक जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

बैंक के पास ऐसी अनुदेश पुस्तिका है, जिसमें उसका संपूर्ण कारोबार क्षेत्र शामिल है। बैंक को आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों की अद्यतन सूचना से अवगत कराने हेतु आवधिक तौर पर परिपत्र जारी किए जाते हैं। बैंक के

ii. Quantitative Disclosures

Exposures (Fund Based and Non Fund Based) covered by Eligible CRMs:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Eligible Collaterals	141,737.47
Eligible Guarantees [Central Govt., State Govt., CGMSE]	76,040.37
Total	217,777.84

Table DF-6: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

As on date, SyndicateBank has not entered into any kind securitization transaction.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Board approved Investment and Market Risk policies and operational guidelines thereon are in place, reviewed annually to ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines.

Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardised Duration approach. The capital charge for Market Risk in Trading Book, i.e, Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Capital requirements for Market Risk

Standardized Duration Approach	Amount (₹ in Millions)
Interest rate risk	13,065.36
Foreign exchange risk (including gold)	146.81
Equity risk	3,226.75
Total	**16,438.92**

Table DF 8-Operational Risk Disclosures

Operational Risk

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic risk and reputation risk.

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with the developments internal and external to the bank. Bank has a well developed Operational risk

पास एक परिचालन जोखिम प्रबंधन ढ़ाँचा है, जिसमें मुख्य नीति के रूप में परिचालन प्रबंधन नीति और निम्नलिखित पर निर्धारित नीति शामिल हैं।

1. जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए)
2. प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और
3. हानि डेटा प्रबंधन (एलडीएम)

इसके अतिरिक्त बैंक के पास बिज़नेस लाइन मैपिंग नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, केवाईसी और एएमएल उल्लंघन को रोकने के लिए केवाईसी और एएमएल नीति हैं। दैनिक आधार पर संवेदनशील लेन-देनों की निगरानी हेतु बैंक ने प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में परोक्ष निगरानी कक्ष की स्थापना की है जो प्रारंभिक चेतावनी प्रक्रिया प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। बैंक ने हित विरोध पर भी नीति का ढाँचा बनाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि संगठन के प्रति व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करते समय व्यक्तिगत हित में बाधा न बन जाए।

बैंक ने प्राप्त अनुभव के आधार पर और भा.रि.बैं. द्वारा गठित गोपाल कृष्ण समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भी कारोबार निरंतरता योजना नीति को परिशोधित किया है। एक विस्तृत आपदा निवारण योजना बनाई गई है और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विघटनों से बचने तथा कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु, सूचना सुरक्षा नीति के माध्यम से सूचना सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है।

परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना करने हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपना रहा है।

मानक दृष्टिकोण (टीएसए) की सुविधा के लिए, बैंक ने बिजनेस लाइन की मैपिंग की प्रक्रिया को अपनाया है। बैंक ने दिनांक 31.03.2018 तक 28 तिमाहियों की आय के मैपिंग कार्य को पूर्ण किया है। भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित विभिन्न बिजनेस लाइन में स्थित सकल आय की मैपिंग की प्रक्रिया तिमाही आधार पर अपनायी गई है और उसे अनुमोदन के लिए परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

परिचालनगत जोखिम संरचना के अंतर्गत प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) का कार्यान्वयन किया गया है। बैंक, सीओआरडीओएक्स (ऋण एवं परीचालनगत जोखिम डाटा विनिमय हेतु बैंकों का संघ) का एक संस्थापक सदस्य है, जो बाह्य डाटा हानि को एकत्रित करने में बैंक को सक्षम बनाने हेतु भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा स्थापित एक कंपनी है।

management framework, which includes operational management policy, as parent policy and other policies on

1. Risk and Control Self Assessment(RCSA)
2. Key Risk Indicators (KRIs) and
3. Loss Data Management (LDM).

In addition to this, Bank has policy on Business Line Mapping, Fraud Risk Management Policy, KYC and AML policies to prevent KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at HO and ROs to monitor sensitive transactions on a daily basis which serves as an early warning system. Bank has also framed a Policy on Conflicts of Interest to ensure that Personal interests are not coming in the way of discharging the Professional duties towards the Organization.

Bank has revised the Business Continuity Plan Policy on the basis of experience gained and also on the basis of the recommendations made by the Gopala Krishna Committee formed by RBI. A detailed disaster recovery plan has been put in place and to address the IT related disruptions & to ensure Business Continuity. Information security is managed through information security policy.

Approach for Computation of Capital Charge for Operational Risk

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, the Bank is presently adopting the Basic Indicator Approach (BIA) for measurement of Operational Risk Capital Charge.

For facilitating migration towards The Standardized Approach (TSA), Bank has undertaken the process of Business Line Mapping. Bank has completed mapping of income for 28 quarters as on 31.03.2018. The mapping of Gross Income to various Business Lines as defined by RBI is undertaken on a quarterly basis and the same is being placed before the Operational Risk Management Committee (ORMC) meeting for approval.

As part of the Operational Risk Framework Key Risk Indicators (KRIs) and Risk and Control Self Assessment (RCSA) have been rolled out. Bank is one of the founder members of CORDEX (Consortium of Banks for Credit & Operational Risk Data Exchange), a company formed by Indian Banks' Association (IBA) for enabling the Bank in collecting External Loss Data.

सारिणी डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण:**

संगठनात्मक ढाँचा :

बोर्ड या निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा बनाए गए जोखिम मानदंडों के तहत बैंक द्वारा बाज़ार जोखिम एक्सपोजर की व्यवस्था करने हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) उत्तरदायी है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षण में आस्ति देयता प्रबंधन समूह निगरानी करता है और जोखिम का प्रबंधन करता है। समुद्रपारीय लंदन शाखा में आस्ति-देयता प्रबंधन समूह (एएलएम ग्रुप) ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम की निगरानी करता है।

बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन नीति में निदेशक मंडल जोखिम समिति/आस्ति-देयता प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित तरलता और ब्याज दर जोखिम पर विवेकपूर्ण मानदंड निहित रहता है। विवेकपूर्ण सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। सीमाओं का व्यतिक्रम होने पर इसकी सूचना, आस्ति-देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति/बोर्ड को दी जाएगी।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम निम्न दो दृष्टिकोणों से प्राप्त की जाती हैं :

- पारंपरिक अंतराल विश्लेषण - अर्जन परिप्रेक्ष्य
- अवधि अंतराल विश्लेषण - आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य

अंतराल विश्लेषण : ब्याज दर अंतराल या असंतुलित जोखिम का आकलन, घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के लिए दी गई तिथि पर विभिन्न समय-अंतरालों की गणना के आधार पर होता है। अंतराल विश्लेषण का आकलन दर संवेदनशील देयताएँ (आरएसएल) या दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) (जिनमें तुलनपत्रेतर स्थिति शामिल है) के अंतर के आधार पर होता है। रिपोर्ट, अवशिष्ट परिपक्वता या अगले पुनर्मूल्यांकन, जो भी पहले हो, के अनुसार निर्धारित समय पर, समूह दर संवेदनशील देयताओं, आस्तियों तथा तुलन-पत्रेतर स्थितियों के आधार पर तैयार की जाती है। अपरिपक्व आस्तियों/देयताओं (जैसे आस्ति कॉलम में कार्यकारी पूँजी सुविधा और देयता कॉलम में चालू और बचत बैंक जमा)का वर्गीकरण समयानुसार भा.रि.बैं. के निश्चित मानदंडों के अनुरूप कीया जाता है। आर.एस.ए. और आर.एस.एल. के बीच प्रत्येक समयसूची का अंतर उस समय के अंतर को दर्शाता है। अंतर की अभिदशा यह दर्शाती है कि निवल आय सकारात्मक है या नकारात्मक और ब्याज दर में परिवर्तन की ओर इंगित करती है और अनुमानतः ब्याज आय में आए अंतर को पूर्ण करने हेतु ब्याज पर परिवर्तन किया जाता है। बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन नीति का अभिप्राय असंतुलन के लिए बकेटवार सीमाओं को दूर करता है।

जोखिम पर अर्जन (ईएआर): अंतर यह दर्शाता है कि बैंक (आरएसए>आरएसएल) के सकारात्मक अंतर के कारण ब्याज दर घटाने की स्थिति में है। बैंक ब्याज दरों के स्तर में 200 बेसिक प्वाइंट के आधार पर निवल ब्याज आय (एनआईआई) के ईएआर की निगरानी करता है। पिछले वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता से इस वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

i. **Qualitative Disclosures:**

Organizational set-up

ALCO (Asset-Liability Management Committee) is responsible for management of the balance sheet of the Bank with a view to managing the market risk exposure assumed by the Bank within the risk parameters laid down by the Risk Management Committee of the Board or the Board of Directors. The Asset Liability Management Group at the Bank monitors and manages the risk under the supervision of ALCO. At overseas branch, London, ALM group monitors interest rate risk along with liquidity risk.

The ALM Policy of the Bank contains the prudential limits on liquidity and interest rate risk, as prescribed by the Board of Directors/Risk Committee/ALCO. The prudential limits are monitored on regular basis. Any breach in the limits will be reported to ALCO/ RMC/ Board.

Interest Rate Risk in Banking Book is derived under following two approaches

- Traditional Gap Analysis – Earnings perspective
- Duration Gap Analysis – Economic value perspective

Gap analysis: The interest rate gap or mismatch risk is measured by calculating gaps over different time intervals at a given date for domestic and overseas operations. Gap analysis measures mismatches between Rate Sensitive Liabilities (RSL) and Rate Sensitive Assets (RSA) (including off-balance sheet positions). The report is prepared by grouping rate sensitive liabilities, assets and off-balance sheet positions into time buckets according to residual maturity or next re-pricing period, whichever is earlier. For non-maturity assets/liabilities (for instance, working capital facilities on the assets side and current and savings account deposits on the liabilities side) grouping into time buckets is done based on behavioral studies or by making certain assumptions in line with RBI guidelines. The difference between RSA and RSL for each time bucket signifies the gap in that time bucket. The direction of the gap indicates whether net interest income is positively or negatively impacted by a change in the direction of interest rates and the extent of the gap approximates the change in net interest income for that given interest rate shift. The ALM Policy of the Bank stipulates bucket-wise limits for mismatches.

Earnings at Risk (EaR): The gap reports indicate whether the Bank is in a position to benefit from rising interest rates by having a positive gap (RSA > RSL) or whether it is in a position to benefit from declining interest rates by a negative gap (RSL > RSA). The Bank monitors the EaR with respect to net interest income (NII) based on a 200

का प्रभाव हमें बैंक के अरक्षित जोखिम की स्पष्ट गणना करने में सहायक होता है। ईएआर की गणना बैंकिंग बही व व्यापार बही में शामिल की गई है।

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (ईवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन, बैंक की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर दीर्घावधि प्रभाव डालता है; साथ ही, बैंक का आर्थिक मूल्य, बैंक की आस्ति एवं देयताएं और बैंक की तुलनपत्रोत्तर स्थितियाँ भी प्रभावित होती हैं। आस्ति देयताओं और ईक्विटी पर ब्याज दर की संवेदनशीलता का मापदंड अवधि है। ब्याज दर में परिवर्तन करने पर आस्ति या देयताओं (या ईक्विटी) के बाज़ार मूल्य में अंतर की प्रतिशतता को परिभाषित करता है। इस प्रकार से ब्याज दरों में परिभाषित परिवर्तन के कारण किसी कंपनी की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में परिवर्तन होता है तो ईवीई उसका मापदंड होता है। बैंक, अपने घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के आईआरआरबीबी की व्यवस्था करने के लिए ईवीई को एक ढाँचे के रूप में इस्तेमाल करता है। एसएलएम नीति बैंक की समग्र ईवीई को अनुबंधित करती है।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

ब्याज दर जोखिम पर प्रभाव

अर्जन परिप्रेक्ष्य (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण)–बैंक अर्जन पर प्रभाव

राशि (₹ मिलियन में)

	ब्याज दर में वृद्धि		ब्याज दर में कमी	
	100 bps बीपीएस	200bps बीपीएस	100 bps बीपीएस	200 bps बीपीएस
आई एन आर	401	803	(401)	(803)
यू एस डी	(23)	(46)	23	46
अन्य	(9)	(18)	9	18
योग	**369**	**739**	**(369)**	**(739)**

आर्थिक परिप्रेक्ष्य (अवधि अंतराल विश्लेषण)–निवल मालियत पर प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	मूल्य
1	दर संवेदनशील देयताओं हेतु भारित औसत संशोधित अवधि	0.98
2	दर संवेदनशील आस्ति की भारित औसत संशोधित अवधि	1.22
3	ब्याज दर में 1% बदलाव हेतु निवल मालियत पर प्रभाव	9131.75
4	ब्याज दर में 2% बदलाव हेतु निवल मालियत पर प्रभाव	18,263.50

ब्याज–दर जोखिम को मापने की आवृत्ति

बैंकिंग बही में ब्याज–दर जोखिम की संगणना बैंक द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। बैंक, ब्याज–दर में बदलाव के साथ ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में संभावित गिरावट की भी मासिक आधार पर गणना करता है। मासिक आधार पर जोखिम पर अर्जन की माप पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के द्वारा की जाती है।

basis points adverse change in the level of interest rates. The magnitude of the impact over a one year period, as a percentage of the NII of the previous year gives a fair measure of the earnings risk that the Bank is exposed to. The EaR computations include the banking book as well as the trading book.

Economic Value of Equity (EvE): Change in the interest rates also have a long-term impact on the market value of equity of the Bank, as the economic value of the Bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions is impacted. Duration is a measure of interest rate sensitivity of assets, liabilities and also equity. It may be defined as the percentage change in the market value of an asset or liability (or equity) for a given change in interest rates. Thus EvE is a measure of change in the market value of equity of a firm due to the identified change in the interest rates. The Bank uses EvE as a part of framework to manage IRRBB for its domestic and overseas operations. The ALM Policy stipulates a limit on the overall EvE of the Bank.

ii. Quantitative disclosures

Impact of interest rate risk

Earnings perspective (Traditional Gap Analysis) - Impact on Bank earning

(Amount ₹ in Millions)

	Interest rate rise by		Interest rate fall by	
	100 bps	**200 bps**	**100 bps**	**200 bps**
INR	401	803	(401)	(803)
USD	(23)	(46)	23	46
Others	(9)	(18)	9	18
Total	**369**	**739**	**(369)**	**(739)**

Economic perspective (Duration Gap Analysis) – Impact on Net worth

S. No.	Particulars	Value
1	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Liabilities	0.98
2	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Assets	1.22
3	For 1% change in interest rate – Impact on Net Worth	9131.75
4	For 2% change in interest rate – Impact on Net Worth	18,263.50

Frequency of Measurement of interest rate risk

Measurement and Computation of Interest rate risk in Banking Book is carried out by the Bank on a monthly basis. Bank also calculates on a monthly basis, the likely drop in Market Value of Equity with change in interest rates. Earnings-at-Risk is measured on a monthly basis using Traditional Gap Analysis.

सारिणी डीएफ-10-प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण**

- बैंक के पास व्युत्पन्नी जमाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक उत्तम नीति है।
- बैंक, अपने तुलनपत्र में जोखिम से बचने के लिए और व्यापार/मर्केट तैयार करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी कारोबार करता है। बैंक, एफआरए, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली तथा मुद्रा विकल्प जैसे व्युत्पन्नी कारोबार बैंक एवं गैर-बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ करता है। बैंक केवल मुद्रा वायदा एक्सचेंज के मालिकाना ट्रेडिंग की स्थिति बताता है।
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए तथा सिंड 01 - सिंड 04 रेटिंग वाले ग्राहकों के लिए पिछले निष्पादन-श्रेणी के तहत वायदा संविदाएँ बुक की गई।
- वर्ष के दौरान बैंक ने बचाव के उद्देश्य से ब्याज दर अदला-बदली और एफआरए को अपनाया ताकि लंदन शाखा में देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।
- मूल और ब्याज दोनों के लिए एक-एक करके विदेशी मुद्रा अदला-बदली अपनाई गई और इस प्रकार से बिना किसी लागत व्यय के विनिमय दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बचाव हो गया।
- लगातार 10 वर्षों तक बिना किसी जोखिम के उसी परिस्थिति में विदेशी मुद्रा अदला-बदली जारी रही।
- केवल सिंड 01 से 04 रेटिंग के ज़रिये गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली की गई।
- निगरानी करने के बजाए व्युत्पन्नों एवं एमआईएस के साथ जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने नियमित निगरानी की एक प्रणाली तैयार की है।
- बैंक ने, प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं के मूल्यांकन तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था की है।
- चालू ऋण एक्सपोज़र विधि (सीईएम) के आधार पर व्युत्पन्न लेन-देनों के लिए ऋण एक्सपोज़र की निगरानी की जाती है।
- सीसीआईएल/सीएलएस के द्वारा प्रतिपक्षकार एक्सपोज़र सीमाओं, देशी जोखिम एक्सपोज़र सीमाओं और निपटान जोखिम को न्यूनतम करके ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है।
- हमारे प्रतिपक्षकार बैंकों और गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के अंतर्गत लेन-देन किए जाते हैं। बिना किसी बाज़ार जोखिमों के एक-एक करके गैर-बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ लेन-देन किया जाता है।
- बैंक जटिल व्युत्पन्नों में कोई एक्सपोज़र नहीं रखता है और न ही उप-प्रमुख आस्तियों में कोई सीधा एक्सपोज़र रखता है।
- बैंक ने किसी खाते को न तो क्रिस्टिलाइज या अपलिखित किया है और न ही व्युत्पन्नों के लेन-देन में बचाव के अंतर्गत किसी प्रकार की हानि उठाई है।
- ब्याज पर प्रतिकूल असर से बचने और जोखिम के स्तर को कम करने के लिए फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस में विभाजन किया गया है। मिड ऑफिस सीधे जोखिम प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु को रिपोर्ट करता है।

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

i. **Qualitative Disclosures**

- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on three Exchanges.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- During the year Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with ratings SYND 01 to 04 only.
- The bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Exposure Method (CEM).
- Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.

- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार आईएसडीए करार प्रत्येक प्रतिपक्षकार बैंक/गैर-बैंक ग्राहकों के साथ निष्पादित /विनिमय किए जाते हैं।
- मिड ऑफिस व्यापारिक लेन-देनों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को स्वतंत्र रूप से कदम उठाते हुए निगरानी करता है।
- बोर्ड/भा.रि.बैं. द्वारा स्वीकृत समग्र अंतराल सीमाओं तथा निवल ओवरनाइट जोखिमरहित सीमाओं के तहत लेन-देन किए गए।
- बचाव के उद्देश्य से किया गया कोई भी लेन-देन यदि अप्रतिभूत होता है तो उसे ट्रेडिंग लेन-देन माना जाता है और उसे परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति होती है।
- लेन-देनों को सुरक्षित या असुरक्षित लेन-देन के रूप में अलग से वर्गीकृत किया जाता है और उसे अच्छे मूल्य के रूप में माना गया।
- एक-एक करके कवर किए गए लेन-देनों तथा बैंक की आस्ति और देयताओं को जोखिम से बचाव सहित किए गए लेन-देनों का मूल्यांकन निर्धारित मूल्य और उपार्जन के आधार पर गणना किए गए ब्याज के अनुसार किया गया।
- निवेश हेतु: यदि खरीदी के समय कोई प्रीमियम लिया गया हो तो उसका परिशोधन लेन-देन की अवधि के आधार पर किया जाएगा। लाभ का परिशोधन परिपक्वता पर किया गया। अग्रिम लेखा में प्राप्त आय के साथ बट्टे को रखा गया है और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि खाते में समायोजित किया जाता है।
- बेजमानती होने से बाज़ार में हानि दर्शाने वाला बनने से बचाव के उद्देश्य से किए गए लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है। फिर भी, अवधि के दौरान कोई बचाव वाली लेने-देन बेजमानती नहीं हुई।
- बाज़ार निर्माण के उद्देश्य से किए गए लेन-देन पाक्षिक आधार पर चिह्नित किए गए हैं और जो बचाव के उद्देश्य से किए गए हैं उसे उपार्जित आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- स्वीकृति की शर्तों के अनुसार संपार्श्विकों को भी लिया जाता है।
- **95.26%** व्यूत्पन्न अल्पावधि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम है।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ए. हमारी लंदन शाखा में, वायदा दर करार/ ब्याज दर अदला-बदली/विदेशी मुद्रा अदला-बदली। एफआरए/आईआरएस करार यूएसडी मुद्रा में होते हैं।

क्रम संख्या	मद	रकम (₹ मिलियन में)
i)	अदला-बदली करार के अनुमानिक मूलधन	58,647.50
ii)	यदि प्रतिपक्षकार, करार (1) के अंतर्गत अपने दायित्व को पूर्ण कर नहीं पाता है तो होनेवाली हानि (सीसीई का मूल्य)	424.00
iii)	अदला-बदली में भाग लेने के लिए बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00
iv)	अदला-बदली से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	0.00
v)	अदला-बदलीबही(2)काउचितमूल्य(धनात्मक एवं ऋणात्मक एमटीएम का निवल)	(305.67)

नोट : तुलन पत्र के अंतर से बचने के लिए बैंक के प्रति सभी एफआरए एवं आईआरएस किया जाता है। समतुल्य परिपक्वतावाले ब्याज दर अदला-बदली करार में शामिल कर निश्चित ब्याज दर देयता को अस्थिर दर देयता के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

- ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- For Investment: Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses. However during the period no Hedge Transaction turns naked.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at monthly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- **95.26%** of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

ii. **Quantitative Disclosures**

A. Forward Rate Agreements//Interest Rate Swaps at London Branch. The FRAs/IRS' are contracted in USD.

S. No	Items	Amount (in ₹ Millions)
i)	The notional principal of the swap agreements	58,647.50
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements (1) (value of CCE	424.00
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00
v)	The fair value of the swap book (2) (Net of Positive and Negative MTM)	(305.67)

Note: All FRA and IRS undertaken are against Banks to hedge Balance sheet gaps. The fixed interest rate liability was converted in to Floating rates by entering in to Interest Rate Swaps of matching maturity.

हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग मुंबई में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा की अदला-बदली:

क्रम संख्या	मद	रकम (₹ मिलियन में)
i)	अदला-बदली करार के अनुमानिक मूलधन	6,542.50
ii)	यदि प्रतिपक्षकार, करार (1) के अंतर्गत अपनी दायित्व को पूर्ण कर नहीं पाता है तो होने वाली हानि	142.12
iii)	अदला-बदली में भाग लेने के लिए बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00
iv)	अदला-बदली से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	0.00
v)	अदला-बदली बही (2) का उचित मूल्य	17.22

- हानियों को, ऋण एवं पुन:स्थापन जोखिम सहित कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- उपर्युक्त अदला-बदली पर प्राप्य या देय निवल एमटीएम ही अदला-बदली बही का उचित मूल्य है।
- आस्थियों एवं देयताओं के असंतुलन का प्रबंधन और अपने बही खातों की बचाव व्यवस्था के लिए बैंक द्वारा वायदा दर करार (एफआरए) और ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) की जाती है। एक्सपोजरों से बचाव तथा समान शर्तों सहित दुतरफा रक्षा के लिए ग्राहकों के साथ मुद्रा अदला-बदली की गयी है।
- ऋण एवं राजकोष नीतियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाले प्रतिपक्षकारों के साथ इन व्युत्पन्न संव्यवहारों को किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण एवं बाज़ार जोखिमों के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए विभिन्न मानदंड/सीमाएं निर्धारित हैं ।
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार ही इन व्युत्पन्न संव्यवहारों के लिए लेखाकरण नीति बनाई गई है।

सी. विनिमय बाज़ार में व्यापारित व्युत्पन्न

मुद्रा वायदे:

बैंक, तीन विनिमय कंपनियों में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा वायदों पर स्वामित्व व्यापार करता है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदों के अंतर्गत कोई संविदा बकाया नहीं है।

ब्याज दर वायदे:

दि. 31.03.2018 की स्थिति में विनिमय व्यापारित ब्याज दर उत्पन्न **शून्य** है। बैंक द्वारा विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न संबंधी व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

डी एफ 11, 12, 13,14,17 एवं 18 के तहत प्रकटीकरण - पूंजी और समाधान अपेक्षाओं का गठन, विनियामक पूंजी उपकरणों की मुख्य विशेषताएं और निर्गम के नियम व शर्तें, लेखांकन आस्तियों के तुलना सार बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय तथा लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

B. Currency swaps at International Division, Mumbai in USD/INR :

S. No	Items	Amount (in ₹ Millions)
i)	The notional principal of the swap agreements	6,542.50
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements(1)	142.12
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00
v)	The fair value of the swap book(2)	17.22

Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Credit and Replacement Risk

- Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or Payable on the above Swaps
- Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing assets and Liability mismatches. Currency Swaps has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.
- These Derivatives transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribes various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.
- The accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines.

C. Exchange Traded Derivatives

Currency Futures:

The Bank undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on two recognized Exchanges. There is no Outstanding Contracts under Currency future as on 31.03.2018.

Interest Rate Futures:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is **NIL** as on 31.03.2018. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Disclosures under DF 11,12,13,14,16,17 & 18 – Composition of capital and reconciliation requirements, Main features of regulatory capital instruments and terms and conditions of issue, Disclosure of Equity Banking Book Positions, Summary comparison of accounting assets vs leverage ratio exposure measure and Leverage Ratio common disclosure template are placed on the website of the Bank.

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति/ सदस्य

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सिंडिकेटबैंक के संलग्न वैयक्तिक वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च, 2018 की स्थिति में तुलन पत्र तथा तत्संबंधी वर्षांत के लिए लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षण किया। इन वित्तीय विवरणियों के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं, सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1975 शाखाओं तथा संबंधित देश के स्थानीय लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित एक विदेशी शाखा के विवरण शामिल हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण की जानेवाली शाखाओं का चयन, बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र तथा लाभ व हानि लेखा में वैसी 2,017 शाखाओं के विवरण भी शामिल हैं जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं के लेखा में 8.33 प्रतिशत अग्रिम, 23.98 प्रतिशत जमाराशियाँ, 6.68 प्रतिशत ब्याजी आय तथा 23.85 प्रतिशत ब्याजी व्यय शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. इन वैयक्तिक वित्तीय विवरणियों, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक सहित मान्यताप्राप्त लेखांकन नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार बैंक की वित्तीय प्रस्थिति, निष्पादन एवं नकद प्रवाह को निष्पक्ष और यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है, को तैयार करने का दायित्व बैंक के प्रबंधन का है। इस दायित्व के अंतर्गत वैयक्तिक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उसकी संरचना, आंतरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन और जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कायम रखना शामिल है, जो भौतिक अयथार्थ विवरणी से मुक्त हैं, भले ही वह जालसाजी से हुआ हो या भूल से। जोखिम आकलन के दौरान प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रण लागू किए हैं जो वैयक्तिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु उपयुक्त हैं तथा परिस्थितियों के अनुरूप प्रक्रियाओं का निर्माण किया गया है ताकि बैंक की सभी गतिविधियों में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी रहें।

लेखा-परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व है कि अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करें। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India/Members

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of SYNDICATEBANK, which comprise the Balance Sheet as on March 31, 2018, Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 1975 branches audited by statutory branch auditors and 1 foreign branch audited by a local auditor in respective country. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2,017 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.33 percent of advances, 23.98 percent of deposits, 6.68 percent of interest income and 23.85 percent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Bank's management is responsible for the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the requirements of the Reserve Bank of India, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and recognised accounting policies and practices, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). This responsibility of the management includes the design, implementation and maintenance of internal controls and risk management systems relevant to the preparation of the standalone financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the management has implemented such internal controls that are relevant to the preparation of the standalone financial statements and designed procedures that are appropriate in the circumstances so that the internal control with regard to all the activities of the Bank is effective.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered

है। इन मानकों के अनुसार हम नीतिगत अपेक्षाओं का पालन करते हैं तथा योजनानुसार लेखापरीक्षा करते हैं ताकि इससे यथोचित आश्वासन प्राप्त कर सकें कि संबंधित वित्तीय विवरणियां भौतिक अयथार्थ विवरणियों से मुक्त हैं।

4. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत, रकम तथा वित्तीय विवरणियों के प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणियों को तैयार करते समय भौतिक अयथार्थ विवरणी की प्रस्तुती के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है भले ही वह धोखाधडीवश हो या भूलवश। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणियों के यथार्थ रूप में प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। किन्तु वह बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए न हो। अपनाई गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखा-परीक्षा में शामिल है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

राय

6. हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए के अनुसार:
   i) भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित वैयक्तिक तुलन पत्र पूर्ण और सही है तथा उसमें समस्त आवश्यक जानकारियां शामिल हैं एवं उसे इस प्रकार उचित तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बैंक के कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।
   ii) भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में उनकी टिप्पणियों के साथ पठित वैयक्तिक लाभ व हानि लेखा, उस लेखे में शामिल वर्ष के लिए हानि के सही शेष को दर्शाता है।
   iii) वैयक्तिक नकदी प्रवाह विवरण, अपनी वर्षांत तिथि की स्थिति में, नकद प्रवाह के सत्य एवं वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7. वैयक्तिक तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:
   i) The Standalone Balance Sheet, read with the significant accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on March 31, 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
   ii) The Standalone Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and
   iii) The Standalone Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

7. The Standalone Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

8. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है।

बी) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं।

सी) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

9. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा, विवरणियों और खाता-बहियों के अनुरूप हैं।

बी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय की लेखा-रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है।

सी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानदंडों के अनुरूप हैं।

कृते **मणियन एंड राव**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001983एस

रविन्द्र सी.
साझेदार
सदस्यता सं.: 213658

कृते **एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001545सी

अविचल एसएन कपूर
साझेदार
सदस्यता सं.: 400460

कृते **अगस्ती एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 313043ई

बी. अगस्ती
साझेदार
सदस्यता सं.: 051026

कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 004494एस/एस200037

आर. कृष्णन्
साझेदार
सदस्यता सं.: 014281

कृते जे.एस.उबेरॉय एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 111107 डब्ल्यू

नितिन सारदा
साझेदार
सदस्यता सं.: 108392

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 15.05.2018

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that:

a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For MANIAN & RAO
Chartered Accountants
FRN : 001983S

RAVINDRA C.
Partner
Membership No. 213658

For S. N. KAPUR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 001545C

AVICHAL SN. KAPUR
Partner
Membership No. 400460

For AGASTI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 313043E

B. AGASTI
Partner
Membership No.051026

For VAITHISVARAN & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN : 004494S/S200037

R. KRISHNAN
Partner
Membership No.014281

For J. S. UBEROI & CO.
Chartered Accountants
FRN : 111107W

NITIN SARDA
Partner
Membership No.108392

Place : Bengaluru
Date : 15.05.2018

तुलन–पत्र BALANCE SHEET

31 मार्च, 2018 का तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2018

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूंजी और देयताएँ **CAPITAL & LIABILITIES**	अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2018 को**	As on दि. 31.03.2017 को
पूंजी/Capital	1	**1417 27 21**	904 53 94
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**13524 53 96**	13279 64 19
जमाराशियाँ/Deposits	3	**272776 10 62**	260560 86 35
उधार/Borrowings	4	**29613 61 17**	17475 52 42
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**6645 60 65**	6852 76 67
योग/TOTAL		**323977 13 61**	299073 33 57
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**11684 16 40**	13108 94 79
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**9832 07 89**	12123 22 61
निवेश/Investments	8	**80354 23 03**	65465 39 96
अग्रिम/Advances	9	**210683 86 80**	199669 35 26
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**2478 10 22**	2454 07 04
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**8944 69 27**	6252 33 91
योग/TOTAL		**323977 13 61**	299073 33 57
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**122848 78 05**	93278 71 95
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**5491 48 82**	5527 89 68
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

एस कृष्णन
कार्यपालक निदेशक

सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव
कार्यपालक निदेशक

S Krishnan
Executive Director

CH S S Mallikarjuna Rao
Executive Director

मेलविन रेगो
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अजय विपिन नानावटी
अध्यक्ष

Melwyn Rego
Managing Director & CEO

Ajay Vipin Nanavati
Chairman

डॉ संजय कुमार
निदेशक

जयंत पी. गोखले
निदेशक

Dr. Sanjay Kumar
Director

Jayant P Gokhale
Director

जी. रमेश
निदेशक

कमल किशोर सिंघल
निदेशक

सीए सुनील वशिष्ठ
निदेशक

G Ramesh
Director

Kamal Kishore Singhal
Director

CA Sunil Vashisht
Director

दीपेश देवचंद देढ़िया
सहायक महाप्रबंधक

जी. मोहन राव
महाप्रबंधक

Deepesh Devchand Dedhia
Asst. General Manager

G Mohan Rao
General Manager

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 15.05.2018

Place : Bengaluru
Date : 15.05.2018

लाभ व हानि लेखा / PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**21775 94 98**	23003 78 71
	अन्य आय/Other Income	14	**2805 90 11**	3457 39 38
	योग/TOTAL		**24581 85 09**	26461 18 09
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**15223 93 04**	16727 81 72
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**5494 06 50**	5500 13 31
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**7086 69 29**	3874 28 13
	योग/TOTAL		**27804 68 83**	26102 23 16
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)/Net Profit / (Loss) for the Year		**-3222 83 74**	358 94 93
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)/Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	योग/TOTAL		**-3222 83 74**	358 94 93
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to :			
ए/A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve		**0**	89 73 73
बी/B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**61 89 22**	96 36 98
सी/C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve		**-3284 72 96**	0
डी/D	आयकर अधिनियम 1961, धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि Special Reserve under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**0**	172 84 22
ई/E	प्रस्तावित अंतिम लाभांश/Proposed Final Dividend		**0**	0
एफ/F	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर/Tax on Proposed Final Dividend		**0**	0
	योग/TOTAL		**-3222 83 74**	358 94 93
	प्रति शेयर मूल/मिश्रित अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्यवाले) Basic/Diluted Earnings per share (Face value of ₹10 each)		**-34.00**	4.21
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते **मणियन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001983एस)

कृते **एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001545सी)

कृते **अगस्ती एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 313043ई)

रविन्द्र सी.
साझेदार
सदस्यता सं.: 213658

अविचल एसएन कपूर
साझेदार
सदस्यता सं.: 400460

बी. अगस्ती
साझेदार
सदस्यता सं.: 051026

कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 004494एस/एस200037)

कृते **जे.एस.उबेरॉय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 111107 डब्ल्यू)

आर. कृष्णन
साझेदार
सदस्यता सं.: 014281

नितिन सारदा
साझेदार
सदस्यता सं.: 108392

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 15.05.2018

For **MANIAN & RAO**
Chartered Accountants
(FRN : 001983S)

For **S. N. KAPUR & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
(FRN : 001545C)

For **AGASTI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
(FRN : 313043E)

RAVINDRA C.
Partner
Membership No. 213658

AVICHAL SN. KAPUR
Partner
Membership No. 400460

B. AGASTI
Partner
Membership No. 051026

For **VAITHISVARAN & CO LLP**
Chartered Accountants
(FRN : 004494S/S200037)

For **J.S. UBEROI & CO.**
Chartered Accountants
(FRN : 111107W)

R. KRISHNAN
Partner
Membership No.014281

NITIN SARDA
Partner
Membership No.108392

Place : Bengaluru
Date : 15.05.2018

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE-1 : CAPITAL

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	**3000 00 00**	3000 00 00
I. निर्गत, अभिदत्त, मांगी गई और प्रदत्त पूँजी/ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
अथशेष/Opening Balance	**904 53 94**	703 37 16
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Year	**512 73 27**	201 16 78
141,72,72,053 (पिछले वर्ष 90,45,39,438) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 141,72,72,053 (Previous year 90,45,39,438 Equity Shares of ₹10/- each	**1417 27 21**	904 53 94
ए) केंद्र सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 103,55,39,388 (पिछले वर्ष 65,95,62,697) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 103,55,39,388 (Previous Year 65,95,62,697) Equity Shares of ₹10/- each	**1035 53 94**	659 56 27
बी) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/ Held by Public and Others 38,17,32,665 (पिछले वर्ष 24,49,76,741) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 38,17,32,665 (Previous Year 24,49,76,741) Equity Shares of ₹10/- each	**381 73 27**	244 97 67
II. बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
योग/TOTAL	**1417 27 21**	904 53 94

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को		As on दि. 31.03.2017 को	
I. **सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**3472 75 55**		3383 01 82	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**3472 75 55**	89 73 73	3472 75 55
II. **आरक्षित पूंजी/Capital Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**286 07 88**		189 70 90	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**61 89 22**	**347 97 10**	96 36 98	286 07 88
III. **शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
अथशेष/Opening Balance	**3170 56 33**		1855 73 11	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**3464 56 25**	**6635 12 58**	1314 83 22	3170 56 33
IV. **पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**1595 61 99**		1612 36 02	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**14 43**		1 98 30	
	1595 76 42		1614 34 32	
घटाएं: राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण/Less: Transferred to Revenue Reserve	**45 93 80**	**1549 82 62**	18 72 33	1595 61 99
V. **सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VI. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and Other Reserves**				
अथशेष/Opening Balance	**2611 09 87**		2592 37 54	
जोडें: पुनर्मूल्य आरक्षित निधि से अंतरण Add: Transferred from Revaluation Reserve:	**45 93 80**		18 72 33	
	2657 03 67		2611 09 87	
जोडें: लाभ व हानि खाते से अंतरण/Add: Transfer from Profit and Loss Account	**-3284 72 96**	**-627 69 29**	0	2611 09 87
VII. **विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
अथशेष/Opening Balance	**25 89 24**		56 62 44	
जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**3 02 83**	**28 92 07**	-30 73 20	25 89 24
VIII. **विशिष्ट आरक्षित निधि/Special Reserve** **(आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत)** **(Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)**				
अथशेष/Opening Balance	**1536 46 93**		1363 62 71	
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**0**	**1536 46 93**	172 84 22	1536 46 93
योग/TOTAL		**13524 53 96**		13279 64 19

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
ए./A.I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
i) बैंकों से/ From Banks	**92 02 20**	83 57 13
ii) अन्यों से/ From Others	**11971 20 68**	11523 92 41
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**68346 36 91**	64257 19 18
III. **सावधि जमाराशियाँ/ Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**28405 47 05**	27757 94 01
ii) अन्यों से/ From Others	**163961 03 78**	156938 23 62
योग ए/TOTAL A (I+II+III)	**272776 10 62**	260560 86 35
बी./B. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**241092 44 95**	234542 64 26
ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**31683 65 67**	26018 22 09
योग बी/TOTAL B (I+II)	**272776 10 62**	260560 86 35

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. **भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a. भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**9821 00 00**	0
बी/b. अन्य बैंक/Other Banks	**4331 60 68**	3337 77 72
सी/c. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**875 25 82**	359 59 60
डी/d. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.)/Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDE)	**533 00 00**	773 00 00
ई/e. अतिरिक्त टियर-I बांड/Additional Tier-I bonds	**3250 00 00**	2800 00 00
एफ/f. गौण ऋण/Subordinated Debt	**4900 00 00**	4400 00 00
योग/TOTAL	**23710 86 50**	11670 37 32
II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**5902 74 67**	5805 15 10
योग/TOTAL (I + II)	**29613 61 17**	17475 52 42
उपर्युक्त I और II में शामिल जमानती उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**9821 00 00**	0

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. देय बिल/Bills Payable	**845 97 15**	889 67 77
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**29 40 90**	56 94 82
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1489 03 92**	1395 87 02
IV. मानक आस्तियों के संदर्भ में आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**1140 41 41**	1186 68 77
V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**3140 77 27**	3323 58 29
योग/TOTAL	**6645 60 65**	6852 76 67

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**946 65 97**	924 14 98
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**10737 50 43**	12184 79 81
अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL	**11684 16 40**	13108 94 79

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. **भारत में/In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/Current Accounts	**81 87 29**	102 34 75
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**3930 46 80**	3406 11 85
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/प्रतिवर्ति रेपो के अंतर्गत ऋण Money at Call and Short Notice/Lending under reverse repo		
ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**5600 00 00**	7305 84 97
बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
योग/Total	**9612 34 09**	10814 31 57
II. **भारत के बाहर/Outside India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**11 17 80**	11 91 04
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**208 56 00**	1297 00 00
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/Total	**219 73 80**	1308 91 04
योग/TOTAL	**9832 07 89**	12123 22 61

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**79204 16 50**	64766 41 52
घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**1187 98 24**	614 78 18
भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**78016 18 26**	64151 63 34
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**73029 49 99**	58645 14 78
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	90 50
शेयर/Shares	**279 25 77**	357 23 50
ऋणपत्र और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**3501 56 12**	3916 70 35
अनुषंगी और/या सहयोगी/Subsidiaries and / or Associates	**26 52 22**	26 52 22
अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जोखिम पूँजी, सी.ओ.डी. इत्यादि)/ Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**1178 43 66**	1205 11 99
योग/ TOTAL	**78016 18 26**	64151 63 34
II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**2373 40 47**	1313 76 62
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**35 35 70**	0
भारत के बाहर निवल निवेश/Net Investments Outside India	**2338 04 77**	1313 76 62
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
ऋणपत्र और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**2338 04 77**	1313 76 62
अन्य/Others	**0**	0
योग/Total	**2338 04 77**	1313 76 62
योग/TOTAL	**80354 23 03**	65465 39 96

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम (प्रावधानों का निवल)/SCHEDULE – 9: ADVANCES (Net of Provisions)

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
ए./A.	i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**1015 77 99**	1513 97 31
	ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण/ Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**53402 76 36**	43286 72 70
	iii) मीयादी ऋण/Term Loans	**156265 32 45**	154868 65 25
	योग/Total	**210683 86 80**	199669 35 26
बी./B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित)/ Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	**139520 86 93**	140856 91 04
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**32552 53 36**	27964 16 14
	iii) अरक्षित/Unsecured	**38610 46 51**	30848 28 08
	योग/Total	**210683 86 80**	199669 35 26
सी./C.	I) **भारत में अग्रिम/Advances in India**		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/Priority Sector	**73219 13 35**	67262 21 70
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**2519 04 29**	2586 45 48
	iii) बैंक/Banks	**131 56 38**	164 97 90
	iv) अन्य/Others	**94325 96 14**	94925 83 90
	योग/Total	**170195 70 16**	164939 48 98
	II) **भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
	i) बैंकों से देय/Due from Banks	**30594 03 83**	24150 71 94
	ii) अन्यों से देय/Due from Others		
	ए)/a) खरीदे गए और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	**194 93 41**	381 12 18
	बी)/b) सामूहिक ऋण/Syndicated Loans	**5126 64 74**	5772 55 36
	सी)/c) अन्य/Others	**4572 54 66**	4425 46 80
	योग/Total	**40488 16 64**	34729 86 28
	योग सी/TOTAL C (I + II)	**210683 86 80**	199669 35 26

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At cost/revaluation as on March 31, of the preceding year	**2093 90 36**	**2071 38 47**
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year	**49 52 87**	**24 80 07**
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**50 37**	**2 28 18**
		2142 92 86	**2093 90 36**
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**329 80 81**	**276 50 64**
	योग/Total	**1813 12 05**	**1817 39 72**
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजी/Capital work in progress**	**27 84 03**	**25 95 38**
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर तथा उपस्कर सहित)/ Other Fixed Assets (including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के 31मार्च की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1744 32 86**	**1644 50 15**
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**228 69 17**	**169 96 88**
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**93 85 19**	**70 14 18**
		1879 16 84	**1744 32 85**
	घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**1242 02 70**	**1133 60 91**
	योग/Total	**637 14 14**	**610 71 94**
	योग/TOTAL (I+II+III)	**2478 10 22**	**2454 07 04**

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	0
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	**1776 94 58**	1473 29 56
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	**2951 01 86**	2586 10 64
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**28 71 60**	24 94 97
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 23**	3 39
VI. अन्य/Others	**4187 98 00**	2167 95 35
योग/TOTAL	**8944 69 27**	6252 33 91

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो कर्ज़ के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**149 94 95**	143 81 93
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/Venture Funds	**32 58 72**	21 08 14
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**87759 60 73**	58435 14 50
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of constituents		
ए)/a) भारत में/In India	**15241 75 29**	16294 89 17
बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	**7 38**	6 47
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**7034 19 24**	5705 05 98
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for	**9 32 81**	7 79 08
ii) अन्य/Others	**12621 28 93**	12670 86 68
योग/TOTAL	**122848 78 05**	93278 71 95

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**15722 82 79**	16856 16 47
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	**5199 58 89**	5331 08 33
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**713 13 80**	621 37 25
IV. अन्य/Others	**140 39 50**	195 16 66
योग/TOTAL	**21775 94 98**	23003 78 71

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**709 87 40**	756 85 72
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**945 96 47**	1739 70 94
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments		
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**2 17 04**	1 60 86
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-2 72 44**	-1 63 50
IV.	विनिमय लेन-देन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**194 93 86**	185 87 66
	घटाएँ: विनिमय लेन-देन पर हुई हानि/Less: Loss on Exchange Transactions	**-10 71 75**	-7 60
V.	अनुषंगियों से लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends etc. from subsidiaries	**0**	0
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**966 39 53**	775 05 30
	योग/TOTAL	**2805 90 11**	3457 39 38

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**13723 77 52**	15406 23 99
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank borrowings	**76 71 04**	67 85 37
III.	अन्य/Others	**1423 44 48**	1253 72 36
	योग/TOTAL	**15223 93 04**	16727 81 72

अनुसूची – 16: परिचालन व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**3604 44 08**	3793 94 56
II.	किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**365 90 17**	330 16 12
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**28 20 28**	32 63 84
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**28 62 59**	29 69 94
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**237 78 31**	137 30 07
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1 43 44**	76 06
VII.	लेखापरीक्षकों के शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)/Auditors' Fees and Expenses (including for Branch Auditors)	**35 22 60**	31 33 78
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**8 88 15**	4 87 66
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**74 79 08**	81 19 46
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**143 96 31**	112 15 19
XI.	बीमा/Insurance	**229 11 91**	206 63 28
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure	**735 69 58**	739 43 35
	योग/TOTAL	**5494 06 50**	5500 13 31

अनुसूची 17
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति: 2017-2018

1. (ए) लेखांकन पद्धति

विदेशी कार्यालय सहित बैंक की वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतों का पालन करते हुए तैयार किया जाता है जब तक अन्यथा न हो। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति के अनुरूप होते हैं। तथापि, विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित की जाने वाली आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाते हुए आकलन करें। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हो। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार के संशोधन को चालू अवधि तथा भावी अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है, जब तक अन्यथा न हो।

(सी) लेखांकन नीति का उपयोग

लेखांकन नीतियों का लगातार प्रयोग किया जाता है जब तक कि संविधि द्वारा या लेखांकन मानकों के अनुपालन के लिए परिवर्तन अपेक्षित न हो या वित्तीय विवरणी की अधिक सटीक प्रस्तुति के लिए परिवर्तन आवश्यक न हो।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

2.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर विदेशी मुद्रा राशि रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करते हुए अभिलेखित किया जाता है। प्रारंभिक निर्धारण हेतु निम्नलिखित विनिमय दरों का उपयोग किया जाता है:

ए) शाखाओं में (एफसीएनआर, ईईएफसी, आरएफसी) विदेशी मुद्रा देयता संबंधी लेनदेनों के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर)।

बी) शाखाओं में विदेशी मुद्रा संबंधी आस्तियों तथा 'ए' श्रेणी की प्राधिकृत शाखा (कोष व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग) में आस्तियों व देयताओं संबंधी लेन-देन के लिए संव्यवहार की तिथि में बाजार दर पर।

2.2 सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनियम हाजिर/वायदा दर

SCHEDULE – 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 2017 - 2018

1. (A) BASIS OF ACCOUNTING

The financial statements of the Bank including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. However, in respect of foreign office, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign country are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

(C) USE OF ACCOUNTING POLICY:

Accounting Policy is consistently used unless change is required by statute or for compliance with Accounting Standard or the change would result in a more appropriate presentation of the financial statements.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

2.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency. Following exchange rates are used for initial recognition:

a) For transactions involving foreign currency liabilities at branches (FCNR, EEFC, RFC) Weekly Average Rate (WAR) published by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

b) For transactions involving foreign currency assets at branches and assets and liabilities at 'A' designated branch (Treasury and International Banking Department) market rate on the date of transaction.

2.2 All the foreign currency monetary assets and liabilities are reported at closing exchange spot/forward rates

पर रिपोर्ट किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को, लाभ और हानि खातों में निर्धारित किया जाता है।

2.3 विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयाताओं को फेडाई के अंतिम हाजिर दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

2.4 व्यापार हेतु बकाया विदेशी विनिमय हाजिर एवं वायदा का पुनर्मूल्यांकन "बीच की परिपक्वताओं" वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों तथा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर किया जाता है। सीसीआईएल-शून्य कूपन प्रतिफल वक्र (जेडसीवाईसी) दरों के प्रयोग द्वारा बाजार भाव पर प्रदर्शित (एमटीएम) लाभ/हानि का वर्तमान मूल्य प्राप्त करने के लिए परिणामी बाजार भाव पर प्रदर्शित (एमटीएम) लाभ/हानि को बट्टाकृत किया जाता है और इसे लाभ/हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

2.5 गैर व्यापार वाले विदेशी विनिमय वायदा करारों के मामले में शुरुआत के प्रीमियम या छूट का परिशोधन करार की समयावधि पर व्यय अथवा आय के रूप में किया जाता है।

2.6 बैंक की एक शाखा लंदन में है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 11 (एएस-11) के अनुसार इसके परिचालन को "गैर समाकलित विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, दोनों तथा आकस्मिक देयताओं को, फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित अंतिम हाजिर दरों पर परिवर्तित किया गया है ।

बी) आय तथा व्यय का परिवर्तन प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर (क्यूएआर) पर किया जाता है।

सी) लेखांकन मानक-11 (एएस-11) के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी शाखा के निवल निवेश का निपटान होने तक "वदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि" में संचित किया गया है।

डी) शाखा की विदेशी मुद्रा वाली (शाखा की स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में लागू हाजिर दर का उपयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

3. निवेश

प्रतिभूतियों संपन्न में लेन-देन को "निपटान दिनांक" पर अभिलेखित किया जाता है ।

3.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

ए) **"परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम)** निवेशों को परिपक्वता तक धारण करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित निवेश वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

notified by the FEDAI at the end of each quarter and the resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss A/c.

2.3 Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rate.

2.4 Outstanding foreign exchange spot and forward for trading are revalued at the exchange rates notified by the FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities". The resultant Marked to Market (MTM) gain/loss is discounted to arrive at present value MTM gain/loss by using CCIL- Zero Coupon Yield curve (ZCYC) rates and the same is recognized in Profit and Loss A/c.

2.5 In the case of foreign exchange forward contacts which are not intended for trading, premium or discount arising at the inception is amortised as expenses or income over the life of the contract.

2.6 The Bank has a branch at London and the operations of the same is classified as "Non-Integral Operations" in accordance with Accounting Standard 11(AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing spot rates notified by the FEDAI at end of each quarter.

b) Income and Expenditure are translated at Quarterly Average Rates (QAR) notified by the FEDAI at end of each quarter.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

d) The Assets and liabilities of the branch in foreign currency (other than local currency of the branch) are translated into local currency using applicable spot rate at the end of each quarter.

3. INVESTMENTS

The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date"

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a) **"Held to Maturity" (HTM)** comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

बी) **"व्यापार के लिए धारित" (एचएफटी)** निवेश को अल्पावधि कीमत/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इनको खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर व्यापार किया जाना अपेक्षित है।

सी) **"विक्रय के लिए उपलब्ध" (एएफएस)** वह निवेश है, जो निवेश उपर्युक्त (ए) एवं (बी) दोनों में शामिल नहीं है अर्थात वे निवेश, जो "परिपक्वता तक धारित" या "व्यापार के लिए धारित" वर्ग में नहीं आते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र में निवेश को निम्नलिखित छह वर्ग में प्रकट किया जाता हैं:

(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
(iii) शेयर
(iv) ऋण पत्र और बंध पत्र
(v) अनुषंगी और/या सहयोगी
(vi) अन्य

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) की इकाइयों में बैंक के निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तथा इनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है। वितरण की तिथि से तीन वर्षों के पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार इसे विक्रय के लिए उपलब्ध वर्ग में अंतरित (एएफएस) तथा इसे बाजार भाव पर निर्धारित कर दिया जाता है।

3.2 निवेश का अधिग्रहण लागत:

ए) निवेशों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) को लागत से हटाकर एक बारगी व्यय के रूप में लिया जाता है।

बी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को लागत/बिक्री राशि से हटाकर ब्याज व्यय/आय माना जाता है।

सी) निवेशों की लागत को भारित औसत मूल्य पद्धति पर निर्धारित किया जाता है।

डी) अभिदान पर प्राप्त प्रोत्साहन रकम को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया जाता है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधी प्रदत्त ब्रोकरेज/कमीशन/स्टांप शुल्क की गणना राजस्व व्यय के रूप में की जाती है।

3.3 मूल्यांकन पद्धति:

ए) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा है, तो भारित औसत अर्जन लागत पर किया जाता है, उन मामलों में प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की शेष अवधि तक निरंतर प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रीमियम का परिशोधन ''निवेश पर ब्याज'' शीर्ष के तहत आय में समायोजित किया जाता है।

बी) अस्थाई स्वभाव के अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों को छोड़कर अन्य अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों का मूल्यनिर्धारण अभिग्रहण लागत से ह्रास को कम करके किया जाता है।

b) **"Held for Trading" (HFT)** comprising Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

c) **"Available for Sale" (AFS)** comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

In the balance sheet, the investments are disclosed as per the following six classifications in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India:

(i) Government Securities
(ii) Other Approved Securities
(iii) Shares
(iv) Debentures and Bonds
(v) Subsidiaries and / or Associates
(vi) Others

Bank's investments in units of VCF's are classified under HTM category and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it is shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

3.2 Acquisition Cost of Investment

a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

b) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

c) Cost of investments is determined at weighted average price method.

d) Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/ Commission/Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expense.

3.3 Method of Valuation

a) Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity, on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries and joint ventures are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

सी) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो अधिग्रहण मूल्य/बही मूल्य के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनः मूल्यांकन किया जाता है और इससे मूल्यह्रास के होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

डी) एएफएस तथा एचएफटी के तहत धारित निवेशों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

ए) सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियाँ i) केंद्र सरकारी प्रतिभूतियाँ ii) राज्य सरकारी प्रतिभूतियाँ	फाइनेन्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) पर। एफबीआईएल/आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
बी) केंद्र/ राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के बाँड द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अग्रिम प्रकृति का नहीं)	एफबीआईएल/आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
सी) ईक्विटी शेयर	यदि उद्धृत हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतित तुलन पत्र के अनुसार शेयरों के अलग-अलग मूल्य पर (18 माह से अधिक पुराना नहीं), अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
डी) अधिमानी शेयर	यदि उद्धृत हो, तो बाजार मूल्य पर या आरबीआई/एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल पर, जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
ई) बाँड एवं ऋणपत्र (अग्रिम प्रवृत्ति का नहीं)	यदि उद्धृत हो, तो बाजार मूल्य पर या आरबीआई/एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल पर, जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
एफ) म्यूच्युअल फंड की यूनिट	उद्धृत होने पर, शेयर बाजार के भाव पर, उद्धृत न होने पर पुनःखरीद/निवल आस्ति मूल्य पर।
जी) जोखिम पूँजी	18 महीने से अनधिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विश्लेषित एनएवी। यदि 18 से अधिक महीने के निरंतर आधार पर एनएवी/लेखा परीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है, तो ₹1 प्रति जोखिम पूँजी निधि की दर पर किया जाता है।
एच) प्रतिभूति रसीदें	आरबीआई/ सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) यदि आस्ति दिनांक 01/04/2017 के बाद बेची गई है, तो प्रतिभूति रसीद (एसआर) का प्रावधान निम्न से अधिक है- ए) एसआर/ आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के अनुसार अपेक्षित प्रावधानिक दर और बी) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधानिक दर, यह मानते हुए कि ऋण अनुमानतः बैंक की बही में जारी है ।
आई) वाणिज्यिक पत्र/सीओडी	लागत पर मूल्यांकित

c) Transfer of securities from HFT/AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/market value on the date of transfer whichever is lower .The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for acquisition price/book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

d) Investments held under AFS and HFT are valued as under:

a) Government / Approved Securities I. Central Govt Securities II. State Govt Securities	At market prices/YTM as published by Financial Benchmarks Pvt Ltd (FBIL) On appropriate yield to maturity basis as per FBIL/RBI guidelines.
b) Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FBIL/RBI guidelines.
c) Equity Shares	At market price if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise at ₹1 per company.
d) Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FBIL guidelines.
e) Bonds & Debentures (Not in nature of advances)	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FBIL guidelines.
f) Units of Mutual Funds	As per stock exchange quotation, if quoted at repurchase price/ NAV, if unquoted.
g) Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹1/- per VCF.
h) Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines In case of assets sold after 01/04/2017 Provisioning of SR is higher of a) Provisioning rate required in terms of net asset value declared by the SR/RC and b) Provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.
i) Commercial Paper/COD	Valued at cost

उपरोक्त मूल्यांकन 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणियों में तिमाही आधार पर खंडवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास संकलित किए गए हैं। प्रत्येक वर्गीकरण के लिए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई है, उपलब्ध कराया गया है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को छोड़ दिया गया है । मूल्यह्रास हेतु प्रावधान होने पर, वैयक्तिक प्रतिभूति का बहीमूल्य बाजार भाव पर प्रदर्शित करने के पश्चात अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तन के माध्यम से, प्राप्त लिखत पर मूल्यह्रास, चाहे मानक या एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो, एएफएस श्रेणी के अन्तर्गत धारित किसी प्रतिभूति की मूल्यवृद्धि पर तुलन नहीं किया जाता है।

3.4 देश में स्थित कार्यालयों के लिए आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों के अनुसार निवेशों को अर्जक एवं अनर्जक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। देश में स्थित कार्यालयों के निवेश निम्न परिस्थितियों में अनर्जक बन जाते हैं:

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता प्रतिलाभ सहित) 90 से अधिक दिनों तक बकाया हो और भुगतान न किए हों।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न होने के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन ₹ 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है तो, ये इक्विटी शेयर एनपीआई माने जाऐंगे।
- यदि किसी संस्था द्वारा ली गई ऋण सुविधा बैंक बहियों में एनपीए के तौर पर चिह्नित है तो उसी संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति के लिए निवेश एवं इसके विपरीत को भी एनपीआई समझा जाएगा। निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किए गए अधिमानी शेयरों पर यथोचित परिवर्तन सहित उपर्युक्त शर्तें लागू होंगी।
- अग्रिम प्रकृति वाले ऋ णपत्र/बांड में निवेश, इस हेतु लागू मानदंडों के साथ एनपीआई की शर्तों के अधीन भी है।
- अनर्जक प्रतिभूतियों के संदर्भ में आय का निर्धारण नहीं होता है तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन प्रतिभूतियों पर अवमूल्यन हेतु प्रावधान किए जाते हैं। अनर्जक निवेशों के लिए किया गया प्रावधान अन्य अर्जक आस्तियों के संदर्भ में अधिमूल्यन के लिए समंजित नहीं होता ।

3.5 प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के निर्गम पर प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में किए गए निवेश का निर्धारण-i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) अर्थात् वित्तीय आस्तियों के बही मूल्य में से धारित प्रावधान घटाना तथा ii) प्रतिभूति रसीद (एसआर) के निर्मोचन: किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, संबंधित योजना के अंतर्गत एससी/एआरसी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीद लिखत में निर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति तक सीमित होने की स्थिति में ऐसे निवेशों के मूल्यांकन हेतु एससी/एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को गणना में लिया जाता है।

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market. Depreciation on the instrument acquired by way of conversion, whether classified as standard or NPA, is not offset against the appreciation in any of other securities held under the AFS category.

3.4 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in the case of domestic offices and respective regulators in the case of foreign offices. Investments of domestic offices become non-performing where:

- Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹ 1 per company on account of non availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.
- If any credit facility availed by an entity as NPA in the books of the Bank, investments in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. The above would apply mutatis-mutandis to Preference Shares where the fixed dividend is not paid.
- The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments
- In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation for such securities as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.5 In case of sale of NPA (financial asset) to securitisation Company (SC)/Asset. Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognised at lower of (i) Net Book Value (NBV) (i.e.).,book value less provisions held) of the financial asset: and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to Non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC , is reckoned for valuation of such investments.

3.6 निवेशों का निपटान

ए) परिपक्कता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि का निर्धारण लाभ एवं हानि खाते में संबंधित निवेशों के भारित औसत लागत/बहीमूल्य के आधार पर की जाती है और परिपक्कता तक धारित (एचटीएम) वर्गीकरण में निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ के समान राशि का विनियोजन पूँजी आरक्षित निधि खाते में होता है।

बी) एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में निवेश की बिक्री पर प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाता में निर्धारित किया गया है।

3.7 विदेशी शाखा में अस्थिर/स्थिर दर नोट तथा ऋण संबद्ध नोट के निवेश की 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार भाव पर प्रदर्शित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि खाता में संबंधित प्रभार निर्धारित किए गए हैं।

3.8 रेपो/प्रतिवर्ती रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियाँ संपार्श्विक उधार देने और लेने के संव्यवहारों के रूप में लेखांकित हैं। तथापि, प्रतिभूतियाँ सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद संव्यवहारों के मामलों के अनुरूप अंतरित की जाती है और प्रतिभूतियों के ऐसे चलन को रेपो/प्रतिवर्ती रेपो खातों और प्रतिप्रविष्टियों का उपयोग करते हुए परिलक्षित किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता के दिनांक पर प्रतिवर्तित की जाती हैं। लागतों और राजस्वों का लेखांकन, जो भी स्थिति है, उसके अनुसार ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते के शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिवर्ती रेपो खाते के शेष का वर्गीकरण बैंकों में नकदी शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय मुद्रा के रूप में किया जाता है।

3.9 विदेशी शाखा का निवेश

ए) विदेशी शाखा में अस्थिर/स्थिर दर नोट के निवेश को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन अंकित मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

बी) खरीद के समय कोई प्रीमियम होने पर लिखत की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किए जाएंगे जबकि खरीद पर किसी भी प्रकार की छूट को छोड़ दिया जाता है।

सी) ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार भाव पर प्रदर्शित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि लेखा में संबंधित प्रभार को निर्धारित किया जाता है।

4. व्युत्पन्न

4.1 बैंक व्युत्पन्न संविदा जैसे विदेशी विनिमय वायदा संविदा, ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप और पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार में तुलन पत्र पर/तुलनपत्र से बाहर आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए या व्यापार उद्देश्य के लिए शुरुआत करता है।

3.6 Disposal of Investments

a) Profit/loss on sale of investments classified as HTM is recognised in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost /book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

b) Profit/Loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognised in Profit and Loss Account.

3.7 Floating / Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available for Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.8 The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

3.9 Foreign Branch's Investment:

a) Floating and Fixed Rate Note investments at Foreign Branch are classified as Available for Sale category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower.

b) Premium at time of purchase if any shall be amortised over the residual period of the instrument while any discount on purchase is ignored.

c) These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit & Loss A/c.

4. DERIVATIVES

4.1 The Bank enters into derivative contracts, such as Foreign Exchange Forward contracts, Interest Rate Swaps, Currency Swaps, and Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate agreements in order to

तुलन पत्र पर आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित संविदाएँ इस प्रकार से संरचित होती हैं कि उनका तुलन पत्र में निहित मदों पर विपरीत व प्रतितुलन प्रभाव पड़ता है।

4.2 सभी वायदा संविदा को उद्योग में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार बाजार भाव पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

4.3 बैंक मुद्रा फ्युचर्स के रूप में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के सहयोग से व्युत्पन्न विनिमय व्यापार का काम कर रहा है। मुद्रा फ्युचर्स दैनिक आधार पर बाजार भाव पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

4.4 व्युत्पन्न लेनदेन हेतु ऋण एक्सपोजर का परिकलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है जिसकी निगरानी चालू ऋण एक्सपोजर पद्धति पर की जाती है।

4.5 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देन को व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

5. अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक आवश्यक हो, उसके अनुसार किया जाता है।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

5.3 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/बैंक/एफआई/एनबीएफसी को, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर यानि बही मूल्य से धारित प्रावधान को घटाकर, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में, कमी को लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाला जाता है तथा एनबीवी मूल्य से अधिक मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

6 परिसर, अन्य अचल आस्तियां एवं अवमूल्यन

6.1 परिसर एवं अन्य अचल संपत्तियों को परंपरागत लागत पर और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य से संचित ह्रास राशि को घटाकर निर्धारित किया जाता है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर तीन वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है।

6.3 आस्तियों के पुनर्मल्यांकन के मामले में अचल आस्तियों से संबंधित मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यांकित रकम के संदर्भ में की

hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The Swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items.

4.2 All Forward Contracts are marked to market as per the generally accepted accounting practices prevalent in the industry.

4.3 Bank is undertaking the Exchange Trade Derivatives in form of Currency Futures with recognized Stock Exchanges. Currency Futures are marked to market on daily basis.

4.4 The credit exposures for derivative transactions are calculated in accordance with the guidelines issued by RBI monitored on Current Credit Exposure method.

4.5 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

5. ADVANCES

5.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

5.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e. Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year in which the amounts are received.

6. PREMISES, OTHER FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every three years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated.

6.3 Depreciation in respect of fixed assets is calculated with reference to cost or revalued amount, in case

जाती है तथा यह लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकित रकम के संदर्भ में की जाती है तथा लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप होनेवाले अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से निर्बंध आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

6.4 मूल्यह्रास की दर प्रयोज्य काल और अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई हो, पर आधारित है और मूल्यह्रास की विधि में सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) को मूल्यह्रास के लिए प्रावधान है।

परिवर्धन सहित अन्य अचल आस्तियों पर सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित दरों से मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है:

(ए) परिसर	दरें (एसएलएम)
i) बैंक स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्ववाले/पट्टे पर लिए गए)– भवन का प्रयोज्य काल 60 वर्ष है	1.58%
ii) पट्टे पर लिए गए परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियां				
क्रम सं.	आस्ति का स्वरूप	प्रयोज्य काल (वर्ष)	अवशिष्ट मूल्य	मूल्यह्रास दर (एसएलएम)
1.	फर्नीचर व फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण – कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर	10 वर्ष	5%	9.50%
2.	यूपीएस	6 वर्ष	5%	15.83%
3.	अन्य उपकरण	7 वर्ष	5%	13.57%
4.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5 वर्ष	0	20.00%
5.	**कंप्यूटर एवं एटीएम**			
5. (i)	सर्वर हार्डवेयर, नेटवर्क उपकरण तथा स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)	5 वर्ष	0	20.00%
5. (ii)	उपर्युक्त 5 (i) को छोड़कर अन्य कंप्यूटर	3 वर्ष	0	33.33%
6.	मोटर कार, मोटर साइकिल आदि सहित वाहन	5 वर्ष	0	20.00%

6.5 अचल आस्तियों में जोड़ी गई आस्तियों पर मूल्यह्रास इसमें जोड़ने की तिथि से आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

7. कर्मचारियों के लाभ

ए. कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ :

सेवा प्रदान किए जाने के 12 महीनों के भीतर पूर्ण रूप से देय कर्मचारी लाभ को कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इन्हें कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई संबंधित सेवा अवधि में निर्धारित किया जाता है।

बी. कर्मचारियों के दीर्घावधि लाभ :

i. भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी लाभ एक निर्धारित अंशदान योजना है और भविष्य निधि हेतु, विकल्प चुननेवाले

of assets revalued and the same is charged to profit and loss account. In the case of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to free Reserve in the Balance Sheet.

6.4 The rate of depreciation is based on the useful life and residual value, if any and the method of depreciation adopted is Straight Line Method (SLM).

Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of Straight Line Method at the following rates:

(A) PREMISES:	Rates (SLM)
i) Bank owned (freehold / leasehold) -- Useful life of Building is 60 Years	1.58 %
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease - where lease period is not specified - where lease period is specified	10 % Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS:				
Sl. No.	Type of Asset	Useful Life (Yrs)	Residual Value	Depr Rate (SLM)
1.	Furniture & Fittings, Electrical Equipments -Other than Computers and ATMs	10 Yrs	5%	9.5%
2.	UPS	6 Yrs	5%	15.83%
3.	Other Equipments	7 Yrs	5%	13.57%
4.	Electronic Equipments	5 Yrs	0	20%
5.	**Computers and ATMs**			
5.(i)	Server Hardware, Network Equipments and Automated Teller Machines (ATMs)	5 Yrs	0	20%
5.(ii)	Computers other than mentioned at 5 (i) above	3 Yrs	0	33.33%
6.	Vehicles including Motor Car, Motor Cycle etc	5 Yrs	0	20%

6.5 Depreciation on any additions to fixed assets is provided on a pro rata basis from the date of such addition.

7. EMPLOYEE BENEFITS

a. **Short Term Employee Benefits:**

Employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service is classified as short term employee benefits and are recognized in the period in which the employee renders the related service.

b. **Long term Employee Benefits :**

i. Employee Benefits in the form of Provident Fund is a Defined Contribution Scheme and

कर्मचारियों के संबंध में जिस वर्ष में अंशदान देय हैं उस वर्ष में अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

ii. ए. जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना के लिए विकल्प चुना है उनके संबंध में पेंशन लाभ एक निर्धारित लाभ की बाध्यता है और उसे 31 मार्च, 2010 तक बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

बी. नई पेंशन योजना जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए लागू है, एक पूर्व निर्धारित दर युक्त निर्धारित अंशदान योजना है और बैंक की बाध्यता ऐसे अंशदान के लिए सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

iii. उपदान निधि देयता एक निर्धारित लाभ योजना है और उसे वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए वास्तविक मूल्यांकन पर दिया जाता है। उपदान देयता को बैंक के उपदान निधि न्यास में संचित किया जाता है।

iv. छुट्टी के नकदीकरण जैसी संचित और क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है।

8. राजस्व / व्यय का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यत: उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन, गैर-बैंकिंग आस्तियों से आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी, अनर्जक आस्तियों से आय, एसडीआर / एस4ए खातों एवं दावा दायर खातों पर विधिक व्यय के, जिनका हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्ति का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

डी) आयातित सोने के सिक्कों की परेषण-बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

ई) प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित व्युत्पन्न लेन-देन पर ब्याज आय तथा व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

एफ) परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे भुगतान का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी एएस-19 (पट्टे) के नियमानुसार पट्टे की अवधि पर लाभ एवं हानि लेखा में किया जाता है।

the contributions are charged to Profit & Loss Account in the year in which the contributions are due in respect of employees who have opted for Provident Fund.

ii. a. In respect of employees who have opted for Pension Scheme, Pension Benefit is a Defined Benefit Obligation and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year for the employees, who have joined the Bank up to 31st March, 2010. The Pension liability is funded by the Bank to the Pension Fund Trust of the Bank.

b. New Pension Scheme which is applicable to employees, who joined the Bank on or after 1st April, 2010 is a Defined Contribution Scheme at pre-determined rate and the obligation the Bank is limited to such contribution. The Contribution is charged to Profit & Loss Account.

iii. Gratuity liability is a Defined Benefit Plan and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year. The gratuity liability is funded to the Gratuity Fund Trust of the Bank.

iv. Accumulated Compensated absences such as Leave Encashment are provided for based on actuarial valuation.

8. RECOGNITION OF REVENUE/EXPENSES

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees / commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills / tax refunds, income from non-performing assets, SDR/S4A accounts and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item as per RBI guidelines.

d) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

e) The Interest Income and Expenditure on Derivatives Transactions entered for hedging is accounted on accrual basis.

f) Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS-19 (Leases) issued by ICAI.

9. आय पर कर

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

10. देशीय जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार देशीय जोखिम प्रबंधन नीति अपनायी है। निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) नगण्य, कम जोखिम, मध्यम कम जोखिम, मध्यम जोखिम, मध्यम उच्च जोखिम, उच्च जोखिम, अति उच्च जोखिम/ प्रतिबंधित तथा ऋणेतर नाम से सात देशीय जोखिम श्रेणी का वर्गीकरण प्रकाशित करता है। देशीय निवेश जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है। प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशी निवेश (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक न होने पर ऐसे देशीय निवेश पर किसी प्रकार के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। देशीय जोखिम प्रावधानों (यदि आवश्यक हो, तो) को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ और प्रावधान'' के अंतर्गत दर्याया गया है।

11. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से बढ़ते हुए ऋण जोखिम को रोकने के लिए एक नीति अपनायी है तथा उसे अनुमोदित किया है।

12. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र के दिनांक पर आस्तियों की वहन राशि का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि का निर्धारण उसी समय हो जाता है जब किसी आस्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

13. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात किया गया है:

- आय कर और धन कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
- मानक आस्तियों पर प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
- आकस्मिकताओं को अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

14. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया

9. TAXES ON INCOME

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

9.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines. Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) publishes the Seven Country Risk Category classification, namely, Insignificant, Low Risk, Moderate Low Risk, Moderate Risk, Moderately High Risk, High Risk, Very High Risk/ Restricted & Off-Credit. Provision for country risk exposure is made as per extant RBI Guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is required on such country exposures. The Country Risk Provision (if required) is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under "Other Liabilities and Provisions".

11. UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

13. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision / Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation / depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

14. EARNING PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity

रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। प्रति ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया हासमानित संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करते हुए की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिकदेयताएँ और आकस्मिकआस्तियाँ

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार बैंक प्रावधान तभी निर्धारित करता है जब इसकी किसी गत घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान में कोई बाध्यता हो, यह संभव है कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े और तब बाध्यता राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब ही किया जाता है जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न हो। आकस्मिक आस्तियाँ वित्तीय विवरण में निर्धारित नहीं की जाती क्योंकि इससे कभी प्राप्त न की जा सकनेवाली आय का निर्धारण हो सकता है।

shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

15. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची – 18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ: 2017 – 2018

1. पूँजी

ए. बासेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**7.56**	7.50
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**9.41**	9.26
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**2.83**	2.77
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर) (%)	**12.24**	12.03
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	**73.07**	72.92
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	**3,989.80**	776.00
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी, जिसमें;		
– पी.एन.सी.पी.एस.	**0.00**	0.00
– पी.डी.आई.	**0.00**	0.00
– अतिरिक्त टियर–1 बाँड	**450.00**	1,930.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें;		
– ऋण पूँजी लिखत	**500.00**	0.00
– अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	**0.00**	0.00

नोट: दि. 31-03-2018 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.67 प्रतिशत है जबकि दि. 31-03-2017 की स्थिति में यह 12.52 प्रतिशत था।

बी. वर्ष के दौरान, बैंक ने क्यूआईपी के जरिए ₹1,150.80 करोड़ अर्जित किया है और विभिन्न संस्थानों को प्रति ₹10/- अंकित मूल्य के 13,67,55,924 ईक्विटी शेयरों को ₹74.15 प्रीमियम में, अधिमानी आधार पर आबंटित किया है जिसकी कुल राशि ₹84.15 है। इससे बैंक की शेयर पूँजी और शेयर प्रीमियम क्रमशः ₹136.75 करोड़ और ₹1,001.94 करोड़ (निवल जारी व्यय)की वृद्धि हुई है।

सी. वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को, प्रति ₹10 अंकित मूल्य के 37,59,76,691 ईक्विटी शेयरों को ₹65.51 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया जिसकी कुल राशि ₹2,839 करोड़ है।

डी. वर्ष के दौरान बैंक ने 9.80% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ ₹ 450 करोड़ मूल्य के बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टियर– I बाण्ड और 8% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ ₹ 500 करोड़ मूल्य के बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टियर– II बाण्ड जुटाया है।

ई. वर्ष के दौरान बैंक ने 9.90% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ ₹ 240 करोड़ मूल्य के बासेल III अननुपालक आईपीडीआई बाण्ड निष्पादित किया है।

2. निवेश

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2017-18 , दिनांक अप्रैल 2, 2018 के जरिए बैंक को 31 दिसंबर एवं 31 मार्च 2017 की समाप्त तिमाही के दौरान उपगत बाज़ारी हानि को एएफएस एवं एचएफटी निवेश में परिवर्तित कर उस हानि को जिस तिमाही के दौरान हानि हुई है उस तिमाही से चार तिमाहियों में समान रूप से समायोजित करने का विकल्प प्रदान किया है।

तदनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए बैंक ने 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर क्रमशः ₹105.45 करोड़ और ₹53.08 करोड़ प्रभारित किया है और सरकारी प्रतिभूति पर शेष एमटीएम हानि को 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही और 31 मार्च, 2018 के दौरान अर्थात् वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः रुपए ₹105.45 करोड़ और ₹159.26 करोड़ समायोजित करने का निर्णय लिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**79,204.16**	64,766.42
(बी) भारत के बाहर	**2,373.40**	1,313.77
(ii) मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**1,187.99***	614.79
(बी) भारत के बाहर	**35.36**	0.00
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**78,016.17**	64,151.63
(बी) भारत के बाहर	**2,338.04**	1,313.77
(2) निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
(i) **प्रारंभिक शेषराशि**	**614.79**	439.09
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**628.13**	262.06
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री के कारण अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**19.57**	86.36
(iv) **इतिशेष**	**1,223.35**	614.79

* मूल्यह्रास के संबंध में उपरोक्त प्रावधान आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2017-18 , दिनांक 2 अप्रैल, 2018 में कथित निर्देशों के अनुसार एमटीएम हानि को सरकारी प्रतिभूतियों पर चार तिमाहियों में समायोजित करने के बाद किया गया है।

2.1 रेपो लेन–देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2018 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) चलनिधि समयोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	102.83 (208.00)	665.51 (1,250.08)	77.74 (511.01)	**621.83** **(0.00)**
ii) सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ)	0.00 (936.00)	0.00 (1,560.00)	0.00 (1,248.00)	**0.00** **(0.00)**

SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS: 2017 – 2018

1. CAPITAL

a. Capital Adequacy Ratio as per Basel III (₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio **(%)**	**7.56**	7.50
ii) Tier 1 Capital Ratio **(%)**	**9.41**	9.26
iii) Tier 2 Capital Ratio **(%)**	**2.83**	2.77
iv) Total Capital Ratio (CRAR) **(%)**	**12.24**	12.03
v) Percentage of the shareholding of the Government of India **(%)**	**73.07**	72.92
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	**3,989.80**	776.00
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
- PNCPS	**0.00**	0.00
- PDI	**0.00**	0.00
- Additional Tier I Bonds	**450.00**	1,930.00
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
- Debt Capital Instrument	**500.00**	0.00
- Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0.00**	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31-03-2018 as per Basel II norms is 12.67% and as on 31-03-2017 it was 12.52%.

b. During the year, the Bank has raised ₹1,150.80 Crores through QIP and allotted on preferential basis 13,67,55,924 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹74.15 aggregating ₹84.15 to various institutions. This has resulted in an increase of ₹136.75 crore in share capital and ₹1,001.94 crore (net of issue expenses) in share premium.

c. During the year, the Bank has allotted on preferential basis 37,59,76,691 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹65.51 aggregating ₹2,839 Crores to the Government of India.

d. During the year, the Bank has raised Basel III Compliant Additional Tier I Bonds of ₹450 Crs carrying a coupon rate of 9.80% p.a and Basel III Compliant Tier II Bonds of ₹ 500 Crs at a coupon rate of 8% p.a.

e. During the year, the bank has exercised Call option for Basel III Non-compliant IPDI Bonds of ₹240 Crores carrying coupon rate of 9.90% p.a.

2. INVESTMENTS

RBI vide circular no.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 grants an option to spread mark to market loss on AFS and HFT investments for quarters ended December 31,2017 and March 31,2018, equally over four quarters commencing with the quarter in which loss is incurred.

Accordingly, the Bank has charged on Government Securities ₹105.45 Crore related to quarter ended December 31, 2017 and ₹53.08 Crore related to quarter ended March 31, 2018 for the year 2017-18 and spread over the balance MTM losses on Government Securities to the tune of ₹105.45 Crore and ₹159.26 Crore for the quarters ended December 31, 2017 and to quarter March 31, 2018 respectively to the next financial year i.e. 2018-19.

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	**79,204.16**	64,766.42
(b) Outside India	**2,373.40**	1,313.77
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	**1,187.99***	614.79
(b) Outside India	**35.36**	0.00
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	**78,016.17**	64,151.63
(b) Outside India	**2,338.04**	1,313.77
(2) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
(i) **Opening balance**	**614.79**	439.09
(ii) Add: Provisions made during the year	**628.13**	262.06
(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year on account of sale of investments	**19.57**	86.36
(iv) Closing balance	**1,223.35**	614.79

* The provision for Depreciation stated above is after Spread of the MTM losses on Government Securities over four quarters as permitted by RBI vide circular no.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018.

2.1 Repo Transactions (in face value terms) **(₹ in Crores)**

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2018
Securities sold under Repo				
i) Government Securities for LAF Repo	102.83 (208.00)	665.51 (1,250.08)	77.74 (511.01)	**621.83** **(0.00)**
ii) MSF	0.00 (936.00)	0.00 (1,560.00)	0.00 (1,248.00)	**0.00** **(0.00)**

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2018 को इतिशेष
iii) मियादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	303.17 (208.00)	9,242.30 (6,448.00)	911.16 (3,328.00)	**9,242.30 (0.00)**
iv) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	**0.00 (0.00)**
v) सीआरओएमएस उधार	69.00 (987.59)	4,419.17 (987.59)	560.27 (987.59)	**115.00 (0.00)**
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i) चलनिधि समायोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	89.07 (67.60)	9,088.64 (4,004.00)	678.48 (633.55)	**5,524.58 (1,144.00)**
ii) मियादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	289.14 (10.40)	18,717.67 (18,978.96)	5,430.46 (4,252.53)	**0.00 (3,120.00)**
iii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	**0.00 (0.00)**
iv) सीआरओएमएस उधार	9.44 (97.55)	3,679.99 (9,496.95)	742.94 (2,964.29)	**0.00 (3,006.97)**

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि सीआरओएमएस उधार को छोड़कर उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

2.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

(i) दि. 31-03-2018 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	"निम्न निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की मात्रा	"अनिर्धारित" प्रतिभूतियों की मात्रा	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	1,432.33 (1,875.35)	1,258.01 (930.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,783.88 (1,317.33)	752.96 (726.32)	0.25 (38.69)	0.25 (0.39)	0.25 (0.39)
(iii)	बैंक	2,223.29 (1,332.64)	184.52 (243.51)	187.57 (642.91)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी कॉरपोरेट	2,831.15 (2,779.91)	2,137.81 (2,076.27)	346.72 (207.36)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/ संयुक्त उद्यम	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	अन्य*	2,930.45 (102.39)	2,868.49 (35.00)	61.96 (67.38)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	1,064.82 (614.79)	***	***	***	***
	कुल	**10,162.80** (6,819.35)	**7,228.31** (4,037.62)	**596.50** (956.34)	**0.27** (0.41)	**0.27** (0.41)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

* अन्य में भारत सरकार से प्राप्त ₹2,839 करोड़ के पुनः पूंजीकरण बांड शामिल हैं। "भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह एकैक आधार पर जारी किए जाने वाले बांड होने के कारण इसे निजी स्थानन में रखा गया है।"

नोट:
1. कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।
2. ईक्विटी, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, उद्यम पूँजी, दरांकित आस्ति द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ और प्रतिभूति रसीद इन श्रेणियों के अंतर्गत पृथक नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें दरांकित/सूचीकृत दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त है। पुनःसंरचना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियाँ दरांकन के पात्र नहीं हैं।

(ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31-03-2018			31-03-2017		
	देशी	लंदन *	कुल	देशी	लंदन *	कुल
प्रारंभिक शेष	**570.58**	**0.00**	**570.58**	389.21	0.00	389.21
वर्ष के दौरान परिवर्धन 1 अप्रैल से	**951.37**	**0.00**	**951.37**	268.78	0.00	268.78
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी (युपीपीसीएल)	**138.48**	**0.00**	**138.48**	87.41	0.00	87.41
इतिशेष	**1,383.47**	**0.00**	**1,383.47**	570.58	0.00	570.58
रखे गए कुल प्रावधान	**889.19**	**0.00**	**889.19**	370.55	0.00	370.55

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण मुद्रा दरों/भारतीय रुपया दरों में उतार-चढ़ाव से है।

(iii) **एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण**

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।

(iv) **एसजीएल उछाल**

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एस.जी.एल. का कोई उछाल नहीं था।

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2018
iii) Government Securities for Term Repo	303.17 (208.00)	9,242.30 (6,448.00)	911.16 (3,328.00)	**9,242.30 (0.00)**
iv) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	**0.00 (0.00)**
v) CROMS Borrowing	69.00 (987.59)	4,419.17 (987.59)	560.27 (987.59)	**115.00 (0.00)**
Securities purchased under Reverse Repo				
i) Government Securities for LAF Reverse Repo	89.07 (67.60)	9,088.64 (4,004.00)	678.48 (633.55)	**5,524.58 (1,144.00)**
ii) Government Securities for Term Reverse Repo	289.14 (10.40)	18,717.67 (18,978.96)	5,430.46 (4,252.53)	**0.00 (3,120.00)**
iii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	**0.00 (0.00)**
iv) CROMS Lending	9.44 (97.55)	3,679.99 (9,496.95)	742.94 (2,964.29)	**0.00 (3,006.97)**

(Figures in brackets are previous year figure.)

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing / lending the value of the securities pledged / received will be 104% of the amount borrowed / lent excluding CROMS Lending / Borrowings.

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

(i) *Issuer composition of Non SLR investments as on 31-03-2018.*

(₹ in Crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	1,432.33 (1,875.35)	1,258.01 (930.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Financial Institutions (including NBFCs)	1,783.88 (1,317.33)	752.96 (726.32)	0.25 (38.69)	0.25 (0.39)	0.25 (0.39)
(iii)	Banks	2,223.29 (1,332.64)	184.52 (243.51)	187.57 (642.91)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Private Corporate	2,831.15 (2,779.91)	2,137.81 (2,076.27)	346.72 (207.36)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	Others*	2,930.45 (102.39)	2,868.49 (35.00)	61.96 (67.38)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	Provision held towards depreciation	1,064.82 (614.79)	***	***	***	***
	TOTAL	**10,162.80** (6,819.35)	**7,228.31** (4,037.62)	**596.50** (956.34)	**0.27** (0.41)	**0.27** (0.41)

(Figures in brackets are previous year figure.)

* Others include Recapitalisation bonds (NON-SLR HTM Category) received from Govt. of India amounting to ₹2,839 Cr. "As per Government Notification it appears it is on one to one basis hence included in private placement."

Note:
1. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.
2. Investment in Equities, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets backed Securities, Central Government Securities, and Security Receipts are not segregated under these categories as they are exempt from ratings / listing guidelines. Securities issued under restructuring are not subjected to ratings.

(ii) *Non performing Non-SLR Investments* **(₹ in Crores)**

Particulars	31-03-2018			31-03-2017		
	Domestic	London*	Total	Domestic	London*	Total
Opening balance	**570.58**	**0.00**	**570.58**	389.21	0.00	389.21
Additions during the year since 1st April	**951.37**	**0.00**	**951.37**	268.78	0.00	268.78
Reduction during the above period (UPPCL)	**138.48**	**0.00**	**138.48**	87.41	0.00	87.41
Closing balance	**1,383.47**	**0.00**	**1,383.47**	570.58	0.00	570.58
Total provisions held	**889.19**	**0.00**	**889.19**	370.55	0.00	370.55

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

(iii) *Sale and transfers to / from HTM category*

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

(iv) *SGL Bouncing*

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2017-18.

2.3 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹ 94,64,79,349.50 (पिछली वर्ष ₹196,49,66,264) को लाभ एवं हानि लेखा में लिया गया और तदनंतर पूँजी आरक्षित निधि खाते में विनियोजन किया गया है।

2.4 एच.टी.एम. वर्ग की प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹272,09,55,070 (पिछले वर्ष ₹130,33,21,707) को लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाल दिया गया है और वह भा.रि.बैं.के मास्टर परिपत्र के अनुसार अर्जित ब्याज: मद सं II निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

3. व्युत्पन्न

3.ए वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ पारस्परिक मुद्रा की अदला-बदली

- **वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली**

  वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2014-15 के दौरान बैंक ने यूएसडी 1400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एमटीएन निधि को 3 हिस्से में संचयी करके 5 ½ वर्ष के लिए जुटाया है। बैंक ने 1265 मिलियन डॉलर (यूएसडी) के लिए मध्यम अवधि नोटों पर लागू स्थाई ब्याज दर को लिबॉर से जुड़ी अस्थाई दर में परिवर्तित करने के लिए ब्याज दर अदला-बदली सुविधा अपनाया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31-03-2018	31-03-2017
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**5,865.75**	6,614.70
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	**0.04**	120.93
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**-30.57**	58.67

नोट: किये गए सभी वायदा करार दर और ब्याज दर अदला-बदली प्रतिपक्षी बैंकों के परिप्रेक्ष में है ताकि तुलनपत्र के अंतर की प्रतिरक्षा की जा सके।

- **मुद्रा अदला-बदली**

  'मुद्रा अदला-बदली' सुविधा व्यापारियों को दी जाती है और यह अंतर-बैंक प्रतिक्षाकार के साथ परस्पर आधार पर संरक्षित की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31-03-2018	31-03-2017
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**654.25**	654.25
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**7.67**	29.49
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**1.72**	2.08

(1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वर्तमान ऋण निवेश (संभाव्य भावी निवेश) और प्रतिस्थापन जोखिम (सकारात्मक एमटीएम) भी शामिल हैं ।

(2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला-बदली पर एमटीएम प्राप्य और देय को घटाकर है।

(3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को बैंक द्वारा अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक-टु-बैक आधार पर कवर किया गया है ।

(4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन प्रतिपक्षकारों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

(5) व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2017-18 में प्रस्तुत हैं ।

3. बी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न

मुद्रा वायदा:

बैंक तीन विनिमयों नामत: बीएसई, एनएसई व एमसीएक्स पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया संविदा नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	

2.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹94,64,79,349.50 (Previous Year ₹196,49,66,264) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account.

2.4 The amortization charges of ₹272,09,55,070 (Previous Year ₹130,33,21,707) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

3. DERIVATIVES

3.A Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap / Cross Currency Swaps

- **Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps**

  During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, Bank had raised Fixed Interest rate MTN funds in 3 tranches cumulating to USD 1400.00 Mio for 5 ½ Years. Bank had entered into Interest Rate Swaps for USD 1265 Mio for converting the Fixed Interest Rates on Medium Term notes with the floating rates linked to Libor.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Items	31-03-2018	31-03-2017
i)	The notional principal of swap agreements	**5,865.75**	6,614.70
ii)	Losses which would be incurred if the counter parties fail to fulfil their obligations under the agreements	**0.04**	120.93
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**-30.57**	58.67

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against counterparty Banks to hedge Balance Sheet gaps.

- **Currency Swaps**

  Currency Swaps was offered to Merchant and covered on Back-to-Back basis with Interbank Counterparty.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Items	31-03-2018	31-03-2017
i)	The notional principal of the swap agreements	**654.25**	654.25
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**7.67**	29.49
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**1.72**	2.08

(1) Losses have been defined as Total Credit Exposure which is inclusive of Current Credit Exposure (Potential Future Exposure) and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net of MTM receivable and Payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing assets and Liabilities mismatches. Currency Swap has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered back-to back with identical terms.

(4) These Derivatives transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 –Significant Accounting Policies 2017-18.

3.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges namely BSE, NSE & MCX. There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31-03-2018.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in Crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2016 (instrument-wise)	

क्रम	विवरण	(₹ करोड़ में)
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूलधन राशि मूल्य जो अत्यंत प्रभावकारी नहीं है। (लिखतवार)	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-भाव पर प्रदर्शित मूल्य जो अत्यंत प्रभावकारी नहीं है। (लिखतवार)	

3. सी व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

- ✓ व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- ✓ बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर प्रतिपक्षकारों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- ✓ पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01 - सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- ✓ वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।
- ✓ मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को परस्पर मुद्रा अदला-बदली में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- ✓ परस्पर मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसे जोखिम स्थिति के बगैर संरक्षित किया जाता है।
- ✓ केवल गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- ✓ बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई. एस. को अपनाया है ।
- ✓ बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रणाली है।
- ✓ व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ✓ ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सीसीआईएल/सीएलएस के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- ✓ प्रतिपक्षकारों, बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- ✓ बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत न ही कोई निवेश है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- ✓ बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है।
- ✓ हितों की रक्षा के लिए तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- ✓ भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई. एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- ✓ मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से निगरानी एवं आकलन करता है।
- ✓ संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- ✓ प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- ✓ लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया है।
- ✓ बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- ✓ प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है। फिर भी, अवधि के दौरान कोई प्रतिरक्षा लेनदेन असुरक्षित नहीं हुआ है।
- ✓ विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को मासिक आधार पर बाजार भाव पर प्रदर्शित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- ✓ मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- ✓ **95.26%** व्युत्पन्न, उस अल्प अवधि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनकी शेष परिपकता अवधि 1 वर्ष से कम है।

Sl. No.	Particulars	(₹ in Crores)
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

3.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) Qualitative Disclosure

- ✓ The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- ✓ The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on two Exchanges.
- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- ✓ During the year Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- ✓ The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Bank is neither having any exposure in complex derivatives nor it has any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Bank has neither crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses. However during the period no Hedge Transaction turned naked.
- ✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at monthly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- ✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- ✓ **95.26%** of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

बी) दि. 31.03.2018 को मात्रात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31-03-2018		31-03-2017	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	**व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	**654.25**	**5,865.75**	654.25	6,614.70
	बी) व्यापार के लिए	--	--	--	--
2	**बाजारी स्थिति पर अंकित**				
	ए) आस्तियाँ (+)	**7.67**	**0.04**	9.87	58.67
	बी) देयताएँ (-)	**5.95**	**30.60**	7.79	0.00
3	**ऋण विनिवेश**	**14.21**	**42.40**	29.49	120.93
4	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	**-0.04**	**-38.24**	-0.02	43.13
	बी) व्यापार व्युत्पन्न पर	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
5	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं
	अधिकतम	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं

3.डी ऋण चूक अदला बदली

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण चूक अदला बदली में व्यापार नहीं किया है।

3.ई आरबीआई में साथ एफसीएनआर बी जमा की अदला-बदली

वर्ष 2013 में आरबीआई से 3 वर्ष की अवधि के लिए नई एफसीएनआर बी जमा के लिए स्वीकृत मुद्रा में 3 या उससे अधिक वर्षों की अवधि के लिए, एक यूएस डॉलर रियायती अदला-बदली खिडकी उपलब्ध कराया है। दि.31.03.2018 की स्थिति के अनुसार यह शून्य है।

4. आस्ति गुणवत्ता

ए. अनर्जक आस्ति (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**6.28%**	5.21%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. प्रारंभिक शेष राशि	**17,609.31**	13,832.16
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**14,309.28**	8,137.95
सी. वर्ष के दौरान कमी	**6,159.99**	4,360.80
डी. इतिशेष	**25,758.60**	17,609.31
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. प्रारंभिक शेषराशि	**10,410.98**	9,014.87
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन	**6,433.23**	4,522.41
सी. वर्ष के दौरान कमी	**3,604.75**	3,126.30
डी. इतिशेष	**13,239.46**	10,410.98
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए. प्रारंभिक शेषराशि	**7,049.74**	4,670.44
बी. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**7,876.05**	3,615.54
सी. अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**2,584.49**	1,236.24
डी. इतिशेष	**12,341.30**	7,049.74
ई. प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	**60.71%**	56.37%

बी. आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान - (संदर्भ डी.बी.आर. बीपी. बीसी. सं. 63/21.04.018/2016-17, दि. 18 अप्रैल 2017)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17
1.	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति में सकल एनपीए, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	17,609.31
2.	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति में सकल एनपीए, आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार	19,946.01
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	2,336.70
4.	31मार्च, 2017 तक की स्थिति में निवल एनपीए, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	10,410.98
5.	31मार्च, 2017 तक की स्थिति में निवल एनपीए, आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार	12,135.18
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	1,724.20
7.	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति में एनपीए के लिए प्रावधान, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	7,049.74
8.	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति में एनपीए के लिए प्रावधान, आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार	7,662.24
9.	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7)	612.50
10.	रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का कर पश्चात् निवल लाभ (पीएटी)	358.95
11.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समायोजित कर पश्चात् निवल लाभ (पीएटी), प्रावधानीकरण में पाए गए विचलन को जोड़ने के बाद (10-9)	-253.55

b) Quantitative Disclosure as on 31.03.2018

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	31-03-2018		31-03-2017	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging	**654.25**	**5,865.75**	654.25	6,614.70
	b) For Trading	--	--	--	--
2	**Marked To Market Positions**				
	a) Asset (+)	**7.67**	**0.04**	9.87	58.67
	b) Liability (-)	**5.95**	**30.60**	7.79	0.00
3	**Credit Exposure**	**14.21**	**42.40**	29.49	120.93
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	**-0.04**	**-38.24**	-0.02	43.13
	b) On Trading Derivatives	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	**NA**	**NA**	NA	NA
	Maximum	**NA**	**NA**	NA	NA

3.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Bank has not traded in Credit Default Swaps.

3.E FCNR B Deposit Swap with RBI

In 2013, RBI introduced a US Dollar concessional Swap window for Fresh FCNR B Deposit for the period of 3 years in any permissible currency for the minimum tenor of 3 years or more. As on 31.03.2018 it is NIL.

4. ASSET QUALITY

a. Non-Performing Assets

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**6.28%**	5.21%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**17,609.31**	13,832.16
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**14,309.28**	8,137.95
c. Reductions during the year	**6,159.99**	4,360.80
d. Closing balance	**25,758.60**	17,609.31
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**10,410.98**	9,014.87
b. Additions during the year	**6,433.23**	4,522.41
c. Reductions during the year	**3,604.75**	3,126.30
d. Closing balance	**13,239.46**	10,410.98
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**7,049.74**	4,670.44
b. Provisions made during the year	**7,876.05**	3,615.54
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**2,584.49**	1,236.24
d. Closing balance	**12,341.30**	7,049.74
e. Provision Coverage Ratio (%)	**60.71%**	56.37%

b. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs – (ref DBR.BP.BC. No. 63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017)

(₹ in Crores)

Sr.	Particulars	FY 2016-17
1.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	17,609.31
2.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	19,946.01
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	2,336.70
4.	Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	10,410.98
5.	Net NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	12,135.18
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	1,724.20
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	7,049.74
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	7,662.24
9.	Divergence in provisioning (8-7)	612.50
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	358.95
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning (10-9)	-253.55

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी दल ने निवेश में हुए ₹1012.00 करोड़ के विचलन (दि.31.03.2017 के अनुसार) और प्रावधान में हुए ₹254.60 करोड़ की कमी का आकलन किया। बैंक ने उपरोक्त को एनपीए /एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया।

नोट: उपरोक्त राशि में राज्य सरकार के डिस्कॉम में, उदय योजना के अंतर्गत जारी गारंटी में कृत निवेश शामिल है। हालांकि इनकी नियमित चुकौती की जा रही है और दि.31.03.2018 तक इसके अंतर्गत कोई राशि अतिदेय नहीं है।

Further, the supervisory team of RBI had assessed divergence in investment of ₹1012.00 crore (as on 31.03.2017) and short provisioning of ₹ 254.60 crore and the Bank has classified the above as NPA/NPI.

Note: The above amount includes investments made in DISCOMs with State Government Guarantee, considered under UDAY scheme, but are serviced regularly and there are no overdues as on 31.03.2018.

सी/c) वर्ष 2017 – 18 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2017 – 18 **(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)**

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण/ DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2018

क्र.सं S.No	पुनर्संरचना का प्रकार /TYPE OF RESTRUCTURING		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत /UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत /UNDER SME					अन्य /OTHERS					कुल /TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण/ASSET CLASSIFICATION		मानक/STD	अव-मानक SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/LOSS	कुल/ TOTAL	मानक STD	अव- मानक SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव- मानक/ SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव- मानक/ SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/ LOSS	कुल/ TOTAL
1	वि.व.की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)/Restructured accounts as on April 1 of the FY(Opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	7	2	14	0	**23**	86	147	1273	1	**1507**	53888	17378	36861	0	**108127**	53981	17527	38148	1	**109657**
		बकाया राशि AMT O/S	656.37	196.86	988.41	0.00	**1841.64**	50.21	19.23	125.90	0.93	**196.27**	3585.60	524.88	1104.19	0.00	**5214.67**	4292.18	740.97	2218.50	0.93	**7252.58**
		प्रावधान PROVISION	7.29	6.58	18.96	0.00	**32.83**	0.48	0.38	3.17	0.00	**4.03**	230.65	18.04	27.76	0.00	**276.45**	238.42	25.00	49.89	0.00	**313.31**
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	0	0	0	0	**0**	0	6	1	0	**7**	364	16225	1592	0	**18181**	364	16231	1593	0	**18188**
		बकाया राशि AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.65	1.99	0.00	**2.64**	16.27	571.00	60.49	0.00	**647.76**	16.27	571.65	62.48	0.00	**650.40**
		प्रावधान PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.03	0.09	0.00	**0.12**	0.81	28.39	2.09	0.00	**31.29**	0.81	28.42	2.18	0.00	**31.41**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत /Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	1	-1	0	0	**0**	9	-9	0	0	**0**	48	-47	-1	0	**0**	58.00	-57.00	-1	0	**0**
		बकाया राशि AMT O/S	17.68	-17.68	0.00	0.00	**0.00**	3.42	-3.42	0.00	0.00	**0.00**	5.41	-1.04	-4.37	0.00	**0.00**	26.51	-22.14	-4.37	0.00	**0.00**
		प्रावधान PROVISION	0.03	-0.03	0.00	0.00	**0.00**	0.04	-0.04	0.00	0.00	**0.00**	0.05	-0.05	0.00	0.00	**0.00**	0.12	-0.12	0.00	0.00	**0.00**
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as retructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	2				**2**	42				**42**	4786				**4786**	4830	0	0	0	**4830**
		बकाया राशि AMT O/S	30.59				**30.59**	13.51				**13.51**	306.07				**306.07**	350.17	0.00	0.00	0.00	**350.17**
		प्रावधान PROVISION	0.43				**0.43**	0.15				**0.15**	9.18				**9.18**	9.76	0.00	0.00	0.00	**9.76**
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	-4	0	4	0	**0**	-13	67	76	0.00	**130**	-18270	25407	6099	34	**13270**	-18287	25474	6179	34	**13400**
		बकाया राशि AMT O/S	-435	0.00	435	0.00	**0.00**	-21	13	8	0.00	**-1**	-825	888	346	3	**411**	-1281	900	789	3	**410**
		प्रावधान PROVISION	-2.13	0.00	2.13	0.00	**0.00**	-0.18	0.05	0.18	0.00	**0.05**	-36.70	39.09	9.80	0.00	**12**	-39.01	39.14	12.11	0.00	**12.24**
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन /Written off restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	1	1	5	0	**7**	-11	135	519	-6	**637**	-9517	29354	-5214	-77	**14546**	-9527	29490	-4690	-83	**15190**
		बकाया राशि AMT O/S	190.67	179.18	425.79	0.00	**795.64**	11.65	17.50	42.37	-1.61	**69.91**	580.33	954.92	-285.97	-1.50	**1248**	782.65	1151.60	182.19	-3.11	**2113.33**
		प्रावधान PROVISION	4.30	6.55	15.51	0.00	**26.36**	-0.07	0.42	8.00	0.00	**8.35**	43.28	39.38	-7.21	0.00	**75**	47.51	46.35	16.30	0.00	**110.16**
7	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2018 (Closing figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	1	0	13	0	**14**	51	76	831	7	**965**	40761	29609	49765	111	**120246**	40813	29685	50609	118	**121225**
		बकाया राशि AMT O/S	17.68	0.00	997.73	0.00	**1015.41**	7.07	11.88	93.27	2.54	**114.76**	1895.95	1027.45	1792.37	4.02	**4719.79**	1920.70	1039.33	2883.37	6.56	**5849.96**
		प्रावधान PROVISION	0.46	0.00	5.58	0.00	**6.04**	0.26	0.00	0.30	0.00	**0.56**	142.35	46.09	46.86	0.00	**235.30**	143.07	46.09	52.74	0.00	**241.90**

1. इतिशेष = परिचालन शेष + नया + स्तरोन्नत – अपवर्जित + गिरावट – बट्टे खाते डाले गये, बंद किया गया आदि अर्थात् 7 =1+2+3-4+5-6/Closing balance= operating bal+fresh+upgradations-exeluded+slippeges-writesoff, closed off etc. i.e 7 =1+2+3-4+5-6
2. अपवर्जित खातों से उत्पन्न गिरावट के कारण संदिग्ध एवं हानि आस्तियों में बढ़ोत्तरी हुई है।/ Increase in Doubtful and Loss assets is due to slippages from Excluded accounts.

डी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(i) खातों की संख्या	**2**	5
(ii) प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**38.49**	94.11
(iii) कुल प्रतिफल	**143.50**	225.42
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	**0.00**	0.00
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	**105.01**	131.31
(vi) अनर्जक आस्ति की बिक्री पर लाभ-हानि खाते को वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा	**1.19**	0.31

d. Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i) No. of accounts	**2**	5
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction	**38.49**	94.11
Company	**143.50**	225.42
(iii) Aggregate consideration	**0.00**	0.00
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	**105.01**	131.31
(v) Aggregate gain / loss over net book value.	**1.19**	0.31
(vi) The quantum of excess provision reversed to the Profit & Loss A/c on account of sale of NPAs		

ई) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी)/पुन:निर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(i)	मौलिक रूप में बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	**1,124.50**	1,148.94
(ii)	मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्ति द्वारा समर्थित	**0.00**	0.00
कुल		**1,124.50**	1,148.94

प्रतिभूति रसीदों में निवेश संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 सालों के दौरान जारी एसआर (प्रतिभूति रसीद)	5 साल से अधिक किन्तु 8 साल के भीतर जारी एसआर	8 साल से अधिक पहले जारी एसआर
(i)	मौलिक रूप में बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	1,106.77	0.00	17.73
	उपरोक्त (i) के सापेक्ष धारित प्रावधान	49.28	0.00	17.73
(ii)	मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00	0.00
	उपरोक्त (ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल (i) + (ii)		**1,106.77**	**0.00**	**17.73**

एफ) दि.31.03.2018 को कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना योजना संबंधी प्रकटीकरण (वे खाते जो फिलहाल निष्क्रिय अवधि के अंतर्गत है।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर लागू किया गया है	रिपोर्टिंग तारीख 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		रिपोर्टिंग तारीख 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन शेष है।		रिपोर्टिंग तारीख 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन हो गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	शून्य	-	-	-

नोट : दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित ढ़ाचें के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एसडीआर योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अत: इस योजना के अंतर्गत दर्शाए सभी खातों को, जो क्रियान्वयन में है, असफल मामले माना गया और इन्हें एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

जी) दि.31-03-2018 की स्थिति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों की दीर्घकालिक संरचना योजना (एस 4ए) संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए का अनुप्रयोग किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान (नोट 2 का संदर्भ लें)
		भाग ए	भाग बी	
मानक के रूप में वर्गीकृत				
2 (नोट 1 का संदर्भ लें)	253.44	121.53	131.91	71.49
एनपीए के रूप में वर्गीकृत				
1	44.10	25.95	18.15	10.96

नोट 1: उपरोक्त दोनों खातों में एक खाते के भाग ए को जिसका मूल्य ₹ 40.56 करोड़ है, मानक माना गया और भाग बी, जिसका मूल्य ₹ 38.71 करोड़ है, को एनपीए माना गया। भाग बी में मौजूद बकाया राशि को मानक रूप में वर्गीकृत खाते के अंतर्गत जोड़ा गया है।

नोट 2: धारित प्रावधान में निवेश के संबंध में (अर्थात् भाग बी) मौजूदा प्रावधान भी शामिल है।

नोट 3: दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित ढ़ांचे के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एस4ए योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अत: इस योजना के अंतर्गत दर्शाए सभी खातों को, जो क्रियान्वयन में है, असफल मामले माना गया है।

e. Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company (SCs)/ Reconstruction Company (RCs)

(₹ in Crores)

	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	**1,124.50**	1,148.94
(ii)	Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying	**0.00**	0.00
TOTAL		**1,124.50**	1,148.94

Additional Disclosures pertains to the Investment in Security Receipts:

(₹ in Crores)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 year ago
(i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	1,106.77	0.00	17.73
	Provisions held against (i)	49.28	0.00	17.73
(ii)	Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provisions held against (ii)	0.00	0.00	0.00
TOTAL (i) + (ii)		**1,106.77**	**0.00**	**17.73**

f. Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme as on 31.03.2018 (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in Crores)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2018		Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2018 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date i.e 31.03.2018 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
-	-	-	NIL	-	-	-

Note: As per RBI Circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the SDR scheme has been discontinued with immediate effect. Therefore all accounts under this scheme which are under implementation have been treated as failed cases and classified as NPA.

g. Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31-03-2018

(₹in Crores)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held(Refer Note 2)
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard				
2 **(Refer Note 1)**	253.44	121.53	131.91	71.49
Classified as NPA				
1	44.10	25.95	18.15	10.96

Note 1: In respect of one account out of two accounts, Part A amounting to ₹ 40.56 Crore is standard and Part B is NPA amounting to ₹ 38.71 crore. Outstanding in Part B is included in Account classified as Standard.

Note 2: Provision held includes provision in respect of Investments (i.e. Part B) also.

Note 3: As per RBI Circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the S4A scheme has been discontinued with immediate effect. Therefore all accounts under these schemes which are under implementation have been treated as failed cases.

एच) मौजूदा ऋणों की सुविधाजनक संरचना संबंधी प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

अवधि	सुविधाजनक संरचना के लिए चुने गए उधारकर्ताओं की संख्या	सुविधाजनक संरचना के लिए चुने गए ऋणों की राशि		सुविधाजनक संरचना के लिए चुने गए ऋणों की एक्सपोजर आधारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	सुविधाजनक संरचना का अनुप्रयोग करने से पहले	सुविधाजनक संरचना का अनुप्रयोग करने के बाद
वित्तीय वर्ष 2016-17	03	195.04	0.00	14.67 वर्ष	15.82 वर्ष
वित्तीय वर्ष 2017-18	01	0.00	146.25*	14.00 वर्ष	14.10 वर्ष

* दि. 31.03.2018 तक मौजूद बकाया शेष दर्शाए गए हैं।

आई) एसडीआर योजना से पृथक स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है।)

खातों की संख्या, जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू किया है	31.03.2018 के अनुसार बकाया राशि		31.03.2018 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी के रूप में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना शेष है।		31.03.2018 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी को लागू किया गया है।		31.03.2018 के अनुसार बकाया राशि जहाँ स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना प्रवर्तक ईक्विटी की बिक्री के जरिए या नए शेयर जारी की गयी है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-

नोट : दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित ढ़ाचें के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एसडीआर के बाहर प्रबंधन में परिवर्तन के तहत योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अत: इस योजना के अंतर्गत दर्शाए सभी खातों को, जो क्रियान्वयन में है, असफल मामले माना गया और इन्हें एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

जे) क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुन:संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

के) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
1. बेचे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
2. कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	**शून्य**	शून्य

एल) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	दि. 31-03-2018 को	दि. 31-03-2017 को
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**1,140.41**	1,186.69

एम) आरबीआई द्वारा दि. 12.02.2018 को जारी परिपत्र के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में संशोधित ढांचे:

31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों की संख्या जिनमें आरबीआई के परिपत्र दि.12.02.2018 के अनुसार समाधान योजना लागू की गई।	31.03.2018 तक बकाया निधि आधारित शेष
शून्य	शून्य

h. Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ in Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible Structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
FY 2016-17	03	195.04	0.00	14.67 Years	15.82 Years
FY 2017-18	01	0.00	146.25*	14.00 Years	14.10 Years

*outstanding balance as on 31.03.2018 is shown.

i. Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31.03.2018		Amount outstanding as on 31.03.2018 with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on 31.03.2018 with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on 31.03.2018 with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
-	-	-	-	NIL	-	-	-	-

Note: As per RBI circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the scheme under change in management outside SDR has been discontinued with the immediate effect. Therefore all the accounts under this scheme which are under implementation have been treated as failed cases and classified as NPA.

j. Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in Crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL

k. Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non Performing Financial Assets Purchased

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL

B. Details of Non Performing Financial Assets Sold

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
1. No. of Accounts Sold	**NIL**	NIL
2. Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
3. Aggregate Consideration Received	**NIL**	NIL

l. Provisions on Standard Assets (₹ in Crores)

Particulars	As on 31-03-2018	As on 31-03-2017
Provisions towards Standard Assets	**1,140.41**	1,186.69

m. Resolution on Stressed Assets-Revised Framework as per RBI Circular dated 12.02.2018:

No. of accounts where Resolution Plan has been implemented as on 31.03.2018 in terms of RBI Circular dated 12.02.2018	Fund Based balance outstanding as on 31.03.2018
NIL	NIL

SyndicateBank सिंडिकेटबैंक

5. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**7.06%**	7.60%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**0.91%**	1.14%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	**1.25%**	1.40%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	**(1.05%)**	0.12%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) **(₹ करोड़ में)**	**14.39**	13.51
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ लाख में)**	**(9.92)**	1.10

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

5. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)**	**7.06%**	7.60%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)**	**0.91%**	1.14%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.25%**	1.40%
(iv)	Return on Assets **(%)**	**(1.05%)**	0.12%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹ in Crores)**	**14.39**	13.51
(vi)	Profit per Employee **(₹ in Lakhs)**	**(9.92)**	1.10

Note: Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the auditors.

6. आस्ति देयता प्रबंधन/ASSET LIABILITY MANAGEMENT

***ऋण एवं अग्रिम, निवेश, जमा और उधार के परिपक्वता स्वरूप* / THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS**
(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न परिपक्वता समूह के तहत/ UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)

AS ON 31-03-2018 तक (₹ करोड़ में/₹ in crores)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन और 2 महीने तक 31 days &upto 2 months	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक >2 months &upto 3 months	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक >3 months & upto 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक > 6 months & upto 1 yr	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 yr to 3 yr	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 yr to 5 yr	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक >5 yr to 7 yr	7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक >7 yr to 10 yr	10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक 10 yr to 15 yr	15 वर्ष से अधिक Over 15 years	कुल Total
जमाराशि/Deposits	1909.24	11762.02	6725.85	14976.31	17585.21	17434.09	25186.78	71113.14	99133.39	5972.96	502.88	427.14	42.38	4.70	2,72,776.11
अग्रिम/Advances	4678.95	7396.54	9814.98	10641.49	5770.17	13555.40	12751.03	16003.34	64462.92	31257.37	10130.78	9329.95	2464.92	12426.00	210683.87
निवेश/Investments	13.36	490.56	490.37	1022.11	179.70	1374.26	127.15	6310.56	10768.82	13459.73	15283.33	20191.65	9085.54	1557.10	80354.23
उधार/Borrowings	6.57	10317.76	4253.23	0.00	90.91	0.00	373.97	685.76	4758.73	6006.29	1370.40	1750.00	0.00	0.00	29613.61
विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	31.19	6448.16	8779.81	4314.45	2820.96	6296.90	5521.66	2627.49	1694.38	6126.76	680.35	106.38	0.00	0.00	45448.47
विदेशी मुद्रा देयताएँ/ Foreign Currency Liabilities	15.30	3636.60	5967.68	5701.38	2633.49	8843.65	3093.74	4423.26	4801.26	2133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41249.64

नोट: विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को संबंधित जमा, अग्रिम, निवेश और उधार में शामिल किया गया है।
Note: Foreign Currency Assets and liabilities are included in respective Deposits, Advances, Investments and Borrowings.

7. निवेश

ए. स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31-03-2018	31-03-2017
ए) प्रत्यक्ष निवेश	**29,275.06**	28,451.01
(i) आवासीय बंधक- उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार; (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाने के लिए योग्य वैयक्तिक आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाए).	**18,951.52**	15,531.24
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा उधार (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा रक्षित (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि)।	**8,790.28**	11,280.73
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,533.26**	1,639.04
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश –		
ए. आवासीय	**0.00**	0.00
बी. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	**0.00**	0.00
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**1,769.73**	666.35
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल निवेश	**31,044.79**	29,117.36

7. EXPOSURES

A. **Exposure to Real Estate Sector** **(₹ in Crores)**

Category	31-03-2018	31-03-2017
a) Direct Exposure	**29,275.06**	28,451.01
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately).	**18,951.52**	15,531.24
(ii) Commercial Real Estate (Fund based & non fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.).	**8,790.28**	11,280.73
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**1,533.26**	1,639.04
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure		
a. Residential	**0.00**	0.00
b. Commercial Real Estate	**0.00**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**1,769.73**	666.35
Total Exposure to Real Estate Sector	**31,044.79**	29,117.36

बी. पूंजी बाजार में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**237.12**	192.93
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंधक पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.32**	0.22
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंधक पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**0.00**	0.00
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**41.39**	453.27
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में बैंक द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.00**	0.25
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**143.86**	140.53
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**422.69**	787.20

सी) बैंक ने निम्नांकित कंपनियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना (एसडीआर) को लागू कर ईक्विटी शेयर हासिल किया है। दिनांक 31-3-2018 तक बकाया ईक्विटी शेयर संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	एसडीआर के तहत प्राप्त ईक्विटी शेयरों की संख्या
1	आधुनिक पॉवर एण्ड नैचुरल रिसोर्सस लिमिटेड	14,99,440
2	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	18,18,713
3	जीएमआर राजमंड्री एनर्जी लिमिटेड	5,59,00,000
4	पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	1,28,074
5	गम्मान इंडिया लिमिटेड	2,26,96,508
6	एलएनटी हलोल शामलाजी टॉलवे लिमिटेड	5,94,92,481
7	प्रतिभा इंडस्ट्रीज	49,02,369
8	डायमंड पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,23,433
9	जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड	7,00,00,000
10	बीआरजी आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	1,45,48,286
11	आईकॉम टेली लिमिटेड	66,59,707
12	हिंदूस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी	96,93,580
13	बेलोना ईस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड	1,15,646
14	जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड	11,25,319
15	एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड	5,55,797
16	गुजरात एनआरई कोक	97,55,213
17	एमएसपी स्टील्स लिमिटेड *	51,55,213

* एमएसपी स्टील्स लिमिटेड के शेयर डीमैट खाते में 31/03/2018 को जमा कर दिए गए और उन्हें दि. 03/04/2018 की बहियों में दर्शाए गए।

B. Exposure to Capital Market

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**237.12**	192.93
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.32**	0.22
(iii) Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**0.00**	0.00
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**41.39**	453.27
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stock brokers for margin trading	**0.00**	0.25
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**143.86**	140.53
Total Exposure to Capital Market	**422.69**	787.20

C. The Bank has invoked Strategic Debt Restructuring (SDR) as per RBI guidelines in the following companies and acquired equity shares pursuant to invocation of SDR. The details of outstanding equity shares as on 31.03.2018 are as follows:

Sl. No.	Name of the Company	No of Equity Shares acquired under SDR
1	Adhunik Power and Natural Resources Ltd	14,99,440
2	Monnet Ispat & Energy Ltd	18,18,713
3	GMR Rajahmundry Energy Ltd	5,59,00,000
4	Patel Engineering Ltd	1,28,074
5	Gammon India Ltd	2,26,96,508
6	LNT Halol Shamlaji Tollway Ltd	5,94,92,481
7	Prathiba Industries	49,02,369
8	Diamond Power Infrastructure	9,23,433
9	Jaiprakash Power Ventures Ltd	7,00,00,000
10	BRG Iron and Steel Co Ltd	1,45,48,286
11	ICOMM Tele Ltd	66,59,707
12	Hindustan Construction Co	96,93,580
13	Bellona Estate Developers Ltd	1,15,646
14	Jindal Stainless Ltd.	11,25,319
15	SPML Infra Ltd	5,55,797
16	Gujrat NRE Coke	97,55,213
17	MSP Steels Ltd *	51,55,213

* MSP Steels Ltd shares credited to Demat account on 31/03/2018 and the same was accounted in the books on 03/04/2018

डी. जोखिम श्रेणी वार देशीय निवेश **(₹ करोड़ में)**

जोखिम वर्ग	31 मार्च, 2018 को निवेश (निवल निधियन)	31 मार्च, 2018 को धारित प्रावधान	31 मार्च, 2017 को निवेश (निवल निधियन)	31 मार्च, 2017 को धारित प्रावधान
नगण्य	**4,074.97**	शून्य	1,943.64	शून्य
कम	**3,686.97**	शून्य	4,841.99	शून्य
मध्यम कम	**1.87**	शून्य	9.95	शून्य
मध्यम	**2.94**	शून्य	0.00	शून्य
मध्यम अधिक	**1.77**	शून्य	0.00	शून्य
उच्च	**0.00**	शून्य	0.00	शून्य
अति उच्च/ प्रतिबंधित	**0.00**	शून्य	0.00	शून्य
ऋणेतर	**0.00**	शून्य	0.00	शून्य
कुल	**7,768.52**	शून्य	6,795.58	शून्य

नोट: बैंक ने 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

ई. बैंक द्वारा पार किए गए एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण: शून्य

एफ. बेजमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गयी है:

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार ली गयी है ।	517.45
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	1075.00

8. प्रावधान

वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	256.57	888.00
(डीटीए)/डीटीएल	(1,422.21)	(594.99)
कुल	(1,165.64)	293.01

9. चलनिधि कवरेज अनुपात

ए) परिमाणात्मक प्रकटीकरण **(₹ करोड़ में)**

	चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)	चालू वर्ष (मार्च - 2018)		पिछले वर्ष (मार्च -2017)	
		कुल अभारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल भारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल अभारित मूल्य (मासिक औसत)	कुल भारित मूल्य (मासिक औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ					
1	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		48,272.27		42,274.90
नकद बहिर्गमन					
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें :				
(i)	स्थायी जमा	56,201.19	2,786.98	53,704.29	2,685.21
(ii)	कम स्थायी जमा	88,375.69	8,764.97	80,353.46	8,035.35
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें :				
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	21,280.77	8,276.99	26,977.04	10,790.82
(iii)	असुरक्षित ऋण	17,363.85	17,573.65	13,152.42	13,152.42
4	सुरक्षित थोक निधीयन		1,365.25		2.12
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें :				
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधा	17,002.75	5,465.50	23,191.09	4071.41

D. Risk Category wise Country Exposure **(₹ in Crores)**

Risk Category	Exposure (net funded) as at 31st March 2018	Provision held as at 31st March, 2018	Exposure (net funded) as at 31st March, 2017	Provision held as at 31st March, 2017
Insignificant	**4,074.97**	**Nil**	1,943.64	Nil
Low	**3,686.97**	**Nil**	4,841.99	Nil
Moderately Low	**1.87**	**Nil**	9.95	Nil
Moderate	**2.94**	**Nil**	0.00	Nil
Moderately High	**1.77**	**Nil**	0.00	Nil
High	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Very High / Restricted	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Off-Credit	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Total	**7,768.52**	**Nil**	6,795.58	Nil

Note: The Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-2018 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Bank.

E. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL

F. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

(₹ In Crores)

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	517.45
Estimated value of such intangible collaterals.	1075.00

8. PROVISIONS

Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Provision for Income Tax (including London Branch)	256.57	888.00
(DTA)/ DTL	(1,422.21)	(594.99)
Total	(1,165.64)	293.01

9. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

A. Quantitative Disclosures **(₹ in Crores)**

	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	Current Year (March - 2018)		Previous year (March -2017)	
		Total Unweighted value (Daily Average)	Total Weighted value (Daily Average)	Total Unweighted value (Monthly Average)	Total Weighted value (Monthly Average)
High Quality Liquid Assets (HQLA)					
1	High Quality Liquid Assets (HQLA)		48,272.27		42,274.90
Cash outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
(i)	Stable deposits	56,201.19	2,786.98	53,704.29	2,685.21
(ii)	Less Stable deposits	88,375.69	8,764.97	80,353.46	8,035.35
3	Unsecured wholesale funding of which:				
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	21,280.77	8,276.99	26,977.04	10,790.82
(iii)	Unsecured debt	17,363.85	17,573.65	13,152.42	13,152.42
4	Secured Wholesale Funding		1,365.25		2.12
5	Additional requirements, of which				
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	17,002.75	5,465.50	23,191.09	4071.41

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)		चालू वर्ष (मार्च - 2018)		पिछले वर्ष (मार्च -2017)	
		कुल अभारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल भारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल अभारित मूल्य (मासिक औसत)	कुल भारित मूल्य (मासिक औसत)
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	419.70	423.61	408.64	408.64
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	22,563.71	671.23	20,844.74	625.34
8	**कुल नकद बहिर्गमन**		**45,328.19**		**39,771.30**
नकद आगमन					
9	रक्षित उधार (उदाहरण रिवर्स रेपो)	2,964.39	2,936.12	4,121.77	4,121.77
10	पूर्णरूप से निष्पादन एक्सपोजरों से आगमन	25,043.48	17,591.47	23,571.89	17,395.46
11	अन्य नकद आगमन	188.04	186.10	66.54	66.54
12	**कुल नकद आगमन**	**28,195.91**	**20,713.69**	**27,760.20**	**21,583.77**
			समायोजित कुल मूल्य		**समायोजित कुल मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**48,272.27**		**42,274.90**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**24,614.50**		**18,187.53**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**196.11%**		**232.44%**

बी) गुणात्मक प्रकटीकरण:

1. एल सी आर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एस एल आर की आवश्यकता में अधिशेष, तरल निवेश, आर बी आई द्वारा उपलब्ध मार्जिनल स्टैंडिंग फेसलिटी (सीमांत/अल्प स्थायी सुविधा) और एल सी आर के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है।
2. उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एच क्यू एल ए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सी आर आर, अतिरिक्त एस एल आर की आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एल सी आर के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा आदि शामिल होते हैं।
3. निधीयन स्त्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।
4. स्थाई जमा राशि में डीआईसीजीसी योजना के तहत 30 दिनों तक संरक्षित जमा राशि शामिल है। हालांकि, बैंक के साथ स्थाई संबंध युक्त जमाकर्ताओं की जमाराशि और संव्यवहार खाते में मौजूद जमा राशि स्थाई जमा राशि नहीं मानी जाएगी।
5. ब्याज दर परिदृश्य में परिवर्तन होने से एल सी आर भी बदल जाता है और ऋण में भी वृद्धि होती है।
6. बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एलसीआर में उसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है।
7. भारतीय मुद्रा महत्वपूर्ण मुद्रा है तथा एलसीआर अन्य मुद्रा में, यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, गणना नहीं की जा सकती क्योंकि अन्य मुद्रा में कोई एचक्यूएलए धारित नहीं है।
8. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा विभागों; जैसे ट्रेजरी (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के महा प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: दैनिक आधार पर एवं तत्काल आवश्यकता पडने पर बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जायेगी।
9. एल्को एलसीआर की स्थिति की मासिक आधार पर समीक्षा करती है और अपेक्षित होने पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करती है।
10. बैंक के पास एलसीआर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं बहिर्गमन विलोपित नहीं है।
11. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 80/21.06.201/2014-15, दिनांक 31.03.2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एलसीआर वर्ष की चारों तिमाहियों की औसत दर्शाती है। आगे, जून-2017, सितंबर-2017 और दिसंबर-2017 और मार्च-2018 तिमाहियों की औसत संबंधित तिमाही की दैनिक औसत को दर्शाती है।

10. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

i) उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):

ऐसे कोई अवधि पूर्व महत्वपूर्ण आय/ व्यय मदें मौजूद नहीं थी जिसके लिए एएस-5 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

ii) राजस्व निर्धारण (एएस 9):

अनुसूची - 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर निर्धारित की गयी है।

iii) विदेशी विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि के तहत ₹10.39 करोड़ हानि (पिछले वर्ष के लिए ₹26.30 करोड़ लाभ) शामिल है,जिसे विदेशी मुद्रा आस्ति व देयता के एएस- 11 मूल्यांकन (प्रतिरूप को छोड़) के कारण प्राप्त अंतर के तहत दर्ज लाभ/ हानि है।

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि 2017-18 हेतु ₹11.95 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹62.86 करोड़ हानि) के प्रतिरूप पुनर्मूल्यन लाभ शामिल है।

सी) वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि 2017-18 हेतु ₹1.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹87.29 करोड़ लाभ) के वायदा पूनर्मूल्यन हानि शामिल है।

डी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसके मूल्य का उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

Liquidity Coverage Ratio (LCR)		Current Year (March - 2018)		Previous year (March -2017)	
		Total Unweighted value (Daily Average)	Total Weighted value (Daily Average)	Total Unweighted value (Monthly Average)	Total Weighted value (Monthly Average)
6	Other contractual funding obligations	419.70	423.61	408.64	408.64
7	Other Contingent funding obligations	22,563.71	671.23	20,844.74	625.34
8	**Total Cash Outflows**		**45,328.19**		**39,771.30**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	2,964.39	2,936.12	4,121.77	4,121.77
10	Inflows from fully performing exposures	25,043.48	17,591.47	23,571.89	17,395.46
11	Other Cash Inflows	188.04	186.10	66.54	66.54
12	**Total Cash Inflows**	**28,195.91**	**20,713.69**	**27,760.20**	**21,583.77**
			Total adjusted value		Total adjusted value
13	**Total HQLA**		**48,272.27**		**42,274.90**
14	**Total Net Cash Outflows**		**24,614.50**		**18,187.53**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**196.11%**		**232.44%**

Qualitative Disclosures

1. The main drivers for the contribution to the LCR are liquid investments, surplus over the SLR requirement, the Marginal Standing Facility (MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the deposits.
2. High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government Securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, Facility to avail liquidity for LCR.
3. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.
4. Stable deposits comprise of deposits covered under DICGC scheme upto 30 days, however, deposits of the depositors having established relationship with the Bank and deposits in transactional accounts are not considered as stable deposits.
5. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick-up in the credit etc.
6. Bank has modest derivative exposures and its contribution to the LCR is not significant.
7. Major currency is INR and LCR in other currency, though significant, is not computable as there are no HQLAs held in other currency.
8. Investment committee is the top level committee comprising of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and the General Managers from departments like Treasury, Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets regularly and also on need basis. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds & Investment position of the Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows are discussed during this meeting.
9. ALCO reviews the position of LCR on monthly basis and provides the necessary directions if any.
10. Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for LCR computation.
11. In line with the RBI guidelines vide Circular No. DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated 31.03.2015, LCR for the FY-2017-18, represents the average of four quarters during the year. Further the quarterly average of June-2017, Sept-2017, Dec-2017 and March -2018 represents the daily average of the respective quarters.

10. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):

There were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under AS-5.

ii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy No. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iii) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit/Loss for the year includes an amount of ₹10.39 Crore loss {₹26.30 Crores Profit for the previous year} being the profit/loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities (excluding Mirrors).

b) Net Profit/Loss for the year includes the Mirror Revaluation profit for 2017-18 of ₹11.95 Crore (₹62.86 Crores Loss for Previous year).

c) Net Proft/Loss for the year includes Forward Revaluation loss for 2017-18 of ₹1.62 Crore (₹87.29 Crore Profit for Previous year).

d) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

iv) **कर्मचारी लाभ (एएस 15):**

आई सी ए आई द्वारा जारी किया गया एएस 15 के अनुसार बैंक ने कर्मचारी लाभों का लेखांकन किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

ए) तुलन-पत्र का मुख्य बीमांकित अनुमान

विवरण	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपदान	गैर-निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	7.56%	7.56%	7.56%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर (वेतन संशोधन के एवज़ में 0.50% शामिल है)	5.75%	5.75%	5.75%
आस्तियों पर प्राप्ति	7.56%	7.56%	लागू नहीं

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन-प्रारंभिक और इतिशेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) वर्ष के आरंभ में पी वी ओ	**6,925.38**	**1,064.68**	**581.82**
बी) जोडें: ब्याज लागत	493.52	74.91	39.36
सी) जोडें: चालू सेवा लागत	521.79	62.69	67.14
डी) जोड़ें: पूर्व सेवा लागत#	-	167.19	-
ई) घटाएं : प्रदत्त लाभ	794.60	147.84	122.45
एफ) जोडें: दायित्व पर बीमांकित हानि/लाभ प्राप्ति(-)	611.98	-79.27	51.30
जी) वर्ष के अंत में पी वी ओ	**7,758.07**	**1,142.36**	**617.17**

सी) नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक शेष और इतिशेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के आरंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**6,882.48**	**1,029.36**
बी) जोडें: नियोजित आस्तियों पर प्रत्याशित आय	520.31	77.82
सी) जोडें: अंशदान	1,094.32	101.66
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	794.60	147.84
ई) जोडें: बीमांकित लाभ/(-)हानि	89.57	1.43
एफ) वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**7,792.08**	**1,062.43**

डी) तुलन-पत्र में निर्धारित रकम

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	7,758.07	1,142.36
बी) वर्ष के अंत पर नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	7,792.08	1,062.43
सी) निवल	34.01	-79.93
डी) अनिर्धारित परेषण देयता	0.00	0.00
ई) तुलन-पत्र में निर्धारित देयता	34.01	-79.93

ई) लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	521.79	62.69	67.14
बी) पूर्व सेवा लागत#	-	41.80	-
सी)ब्याज लागत	493.52	74.91	39.36
डी) घटाएं: नियोजित अस्तियों पर प्रत्याशित आय	520.31	77.82	-
ई) निवल बीमांकित हानि/लाभ (-)	522.40	-80.70	51.30
एफ) लाभ एवं हानि लेखा खाते में निर्धारित व्यय	**1,017.40**	**20.88**	**157.80**

iv) **Employee Benefits (AS 15):**

The Bank has accounted for employee benefits as per AS 15 issued by the ICAI.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

a. Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

Particulars	Type of Plan		
	Funded Pension	Funded Gratuity	Unfunded Leave Encashment
Discount Rate	7.56%	7.56%	7.56%
Salary Escalation Rate (includes 0.50% for wage revision)	5.75%	5.75%	5.75%
Return on Assets	7.56%	7.56%	NA

b. Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances

(₹ in Crores)

Particulars	Type of Plan		
	Pension	Gratuity	Leave Encashment
a) PVO as at the beginning of the year	**6,925.38**	**1,064.68**	**581.82**
b) Add: Interest Cost	493.52	74.91	39.36
c) Add: Current Service Cost	521.79	62.69	67.14
d) Add: Past Service Cost#	-	167.19	-
e) Less: Benefits Paid	794.60	147.84	122.45
f) Add: Actuarial loss / gain(-) on obligation	611.98	-79.27	51.30
g) PVO as at the end of the year	**7,758.07**	**1,142.36**	**617.17**

c. Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance

(₹ in Crores)

Particulars	Type of Plan	
	Pension	Gratuity
a) Fair Value of plan assets at the beginning of the year	**6,882.48**	**1,029.36**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	520.31	77.82
c) Add: Contributions	1,094.32	101.66
d) Less: Benefits Paid	794.60	147.84
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	89.57	1.43
f) Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**7,792.08**	**1,062.43**

d. Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ in Crores)

Particulars	Type of Plan	
	Pension	Gratuity
a) Present Value of obligation at the end of the year	7,758.07	1,142.36
b) Fair Value of plan assets at the end of the year	7,792.08	1,062.43
c) Net	34.01	-79.93
d) Unrecognised transitional liability	0.00	0.00
e) Liability Recognised in the Balance Sheet	34.01	-79.93

e. Expense recognized in the Profit and Loss Account

(₹ in Crores)

Particulars	Type of Plan		
	Pension	Gratuity	Leave Encashment
a) Current Service Cost	521.79	62.69	67.14
b) Past Service Cost#	-	41.80	-
c) Interest Cost	493.52	74.91	39.36
d) Less: Expected Return on Plan Assets	520.31	77.82	-
e) Net Actuarial Loss / Gain(-)	522.40	-80.70	51.30
f) Expenses Recognised in Profit and Loss Account	**1,017.40**	**20.88**	**157.80**

एफ) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	42.90	35.32	581.82
लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित व्यय	1,017.40	20.88	157.80
अपरिशोधित व्यय#	-	125.39	-
प्रदत्त/प्रयुक्त अंशदान	1,094.31	101.66	122.45
अंतिम निवल देयता	-34.01	79.93	617.17

#: आरबीआई के पत्र सं. डीबीआर.बीपी. 9730/21.04.018/2017-18 दिनांक 27.04.2018 के अनुसार बैंक सीमा में हुई बढ़ोत्तरी के चलते ग्रैचुटी देय में अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित कर सकता है। तदनुसार बैंक ने आकलन कर यह निर्धारित किया है कि बैंक को ₹167.19 करोड़ तक की अपनी अतिरिक्त देयता को मार्च 2018 तिमाही से शुरू कर चार तिमाहियों में परिशोधित किया है। तदनुसार मार्च 2018 तिमाही के लिए पहचाने गए व्यय ₹41.80 करोड़ है।

नवंबर 2017 से प्रस्तावित व लंबित वेतन संशोधन के लिए मार्च 31, 2018 तक ₹100 करोड़ का अनौपचारिक प्रावधान रखा गया है।

f. Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet

(₹ in Crores)

Particulars	Type of Plan		
	Pension	Gratuity	Leave Encashment
Opening Net Liability	42.90	35.32	581.82
Expenses recognised in Profit and Loss Account	1,017.40	20.88	157.80
Unamortised Expenditure#	-	125.39	-
Contributions Paid / Utilised	1,094.31	101.66	122.45
Closing Net Liability	-34.01	79.93	617.17

#: As per RBI letter no: DBR. BP.9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018, the Bank is allowed to amortise additional provisions on Gratuity due to increase in limit to ₹ 20 Lakhs. Accordingly the Bank has assessed additional liability to the extent of ₹167.19 Crore to be amortised over four quarters starting from quarter end March 2018. Consequently expenses recognised in March 2018 quarter is ₹ 41.80 Cr.

For Pending settlement of the proposed wage revision effective from November, 2017, an adhoc provision of ₹100 Crores is held as at March 31, 2018.

v) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17) Segment Reporting (AS 17):

भाग ए: कारोबार खण्ड/Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में/₹ in Crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण Particulars	चा.व. CY	पि.व. PY	चा.व. CY	पि.व. PY	चा.व. CY	पि.व. PY	चा.व. CY	पि.व. PY	चा.व. CY	पि.व. PY
राजस्व Revenue	**7,043**	**7,878**	**8,042**	**9,273**	**8,921**	**8,711**	**439**	**405**	**24,445**	**26,267**
परिणाम/Result	968	1,582	(5950)	(2,634)	1,322	2,515	(866)	(1,005)	(4,526)	458
अनांबटित व्यय Unallocated Expenses	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
अनांबटित आय Unallocated Income	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	137	194
आय कर Income Tax	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(1,166)	293
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit / Loss	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
निवल लाभ Net Profit	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(3,223)	359
अन्य सूचना Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियां Segment Assets	85,954	72,771	1,32,297	1,29,600	78,387	70,070	24,861	24,179	3,21,499	2,96,620
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,478	2,454
कुल आस्तियां Total Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,23,977	2,99,074
खण्डवार देयताएं Segment Liabilities	82,622	69,893	1,27,168	1,24,475	75,348	67,299	23,897	23,222	3,09,035	2,84,889
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
कुल देयताएं Total Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,09,035	2,84,889

चालू वर्ष/CY – Current Year   पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी: भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

विवरण	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	23,529	25,513	1,053	949	24,582	26,462
आस्तियां	2,86,248	2,67,012	37,729	32,062	3,23,977	2,99,074

नोट:

1. जहाँ आवश्यक समझा गया हो वहाँ पिछली अवधि/वर्ष के आंकडों को पुन: वर्गीकृत/समूहित किया गया ताकि समीक्षाधीन अवधि के साथ उसकी तुलना की जा सके।
2. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा मानकों के अनुपालन में, बैंक ने कोष परिचालन, कॉरपोरेट, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार खंड और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीयक/भौगोलिक खंड के रूप में अपनाया है।

Part B: Geographic Segments

(₹ in Crores)

Particulars	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	23,529	25,513	1,053	949	24,582	26,462
Assets	2,86,248	2,67,012	37,729	32,062	3,23,977	2,99,074

Note:

1. Figures of the previous period/year have been reclassified/regrouped/recost wherever considered necessary to make them comparable with the period under review.
2. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, bank has adopted Treasury Operations, Corporate, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.

vi) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18):

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध:

ए) अनुषंगी:

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:

प्रथमा बैंक

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक:

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में)	
			2017-18	2016-17
श्री मेलविन रेगो	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01.07.2017 से	28.31	लागू नहीं
श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	कार्यपालक निदेशक	15.09.2016 से	24.07	12.90
श्री एस कृष्णन	कार्यपालक निदेशक	01.11.2017 से	9.43	लागू नहीं
श्री अरुण श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	30.06.2017 तक	12.84	28.12
श्री आर. एस. पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	31.10.2017 तक	19.80	24.03
कुल			**94.45**	**65.05**

डी) संगत पार्टी लेन-देन **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
2.	बकाया जमा	1.10	0.00	1.10
	वर्ष के दौरान अधिकतम	1.39	0.00	1.39
3.	बकाया निवेश	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
4.	बकाया अग्रिम	0.72	0.00	0.72
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.83	0.00	0.83
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
6.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था ली गई	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
7.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था प्रदान किया गया	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
8.	ब्याज प्रदत्त	0.07	0.00	0.07
9.	ब्याज प्राप्त	0.02	0.00	0.02
10	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते	0.94	0.00	0.94
11	सेवाएँ दी गई	0.00	0.00	0.00
12	सेवाएँ ली गई	0.00	0.00	0.00
13.	संविदाओं के प्रबंध	0.00	0.00	0.00
14.	कोई अन्य प्राप्य	0.00	0.00	0.00
15.	कोई अन्य देय	0.00	0.00	0.00
16.	स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	0.00	0.00	0.00
17.	स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री	0.03	0.00	0.03

नोट: एएस 18के पैरा 9 ''संगत पार्टी प्रकटीकरण'' के अनुपालन में अनुषंगी एवं कुछ सहयोगियों के साथ कृत लेन-देन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है, के साथ कुल संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार के प्रकटीकरण करने से छूट देता है ।

vii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20):

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**(322,28,374)**	**358,94,93**
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**94,79,06,528**	**85,16,64,748**
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**(34.00)**	**4.21**
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	**10.00**

viii) आय पर कर का लेखाकरण (एएस 22):

बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार (डी.टी.ए.)/डी.टी.एल. का निवल शेष ₹ (1592.46) करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 170.25 करोड़ डी.टी.एल.), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31-03-2018	31-03-2017
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	213.60	201.36
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	49.52	134.06
प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के कारण	2,117.81	1,176.67
अन्य	93.23	52.11
कुल	**2,474.16**	**1,564.20**

vi) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:

Syndbank Services Limited

b) Associates:

Prathama Bank

Karnataka Vikas Grameena Bank

Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel and their remuneration:

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (₹ in lakhs)	
			2017-18	2016-17
Sri Melwyn Rego	Managing Director & CEO	From 01.07.2017	28.31	NA
Sri CH S S Mallikarjuna Rao	Executive Director	From 15.09.2016	24.07	12.90
Sri S Krishnan	Executive Director	From 01.11.2017	9.43	NA
Sri Arun Shrivastava	Managing Director & CEO	Upto 30.06.2017	12.84	28.12
Sri R. S. Pandey	Executive Director	Upto 31.10.2017	19.80	24.03
TOTAL			**94.45**	**65.05**

d) Related Party Transaction **(₹ in Crores)**

Sr No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
2.	Deposits outstanding	1.10	0.00	1.10
	Maximum during the year	1.39	0.00	1.39
3.	Investments outstanding	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
4.	Advances outstanding	0.72	0.00	0.72
	Maximum during the year	0.83	0.00	0.83
5.	Non funded commitments	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
6.	Leasing /HP arrangements availed	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
7.	Leasing /HP arrangements provided	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
8.	Interest paid	0.07	0.00	0.07
9.	Interest received	0.02	0.00	0.02
10	Remuneration and other allowances	0.94	0.00	0.94
11	Rendering of services	0.00	0.00	0.00
12	Receiving of services	0.00	0.00	0.00
13.	Management of contracts	0.00	0.00	0.00
14.	Any other receivable	0.00	0.00	0.00
15.	Any other payable	0.00	0.00	0.00
16.	Purchase of Fixed assets	0.00	0.00	0.00
17.	Sale of Fixed Assets	0.03	0.00	0.03

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

vii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**(322,28,374)**	358,94,93
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**94,79,06,528**	85,16,64,748
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**(34.00)**	4.21
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

viii) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of (DTA) / DTL as on March 31, 2018 amounting to ₹ (1592.46) Crores {Previous Year DTA ₹170.25 Crores} consists of the following:

(₹ in Crores)

Deferred Tax Assets	31-03-2018	31-03-2017
Provision for Leave Encashment	**213.60**	201.36
Provision for Restructured Assets	**49.52**	134.06
On account of timing difference towards provisions	**2,117.81**	1,176.67
Others	**93.23**	52.11
Total	**2,474.16**	1,564.20

आस्थगित कर देयताएं	31-03-2018	31-03-2017
ब्याज उपचित हुआ परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं है।	0.00	414.84
धारा 36(1)(viii)के अंतर्गत विशेष आरक्षण	531.74	532.48
निवेशों पर मूल्यह्रास के कारण	315.36	414.69
स्थाई परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी में अंतर	34.60	31.94
कुल	**881.70**	**1,393.95**
निवल (डीटीए)/डीटीएल	**(1,592.46)**	**(170.25)**

ix) **अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):**
बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 2/08.91.001/2016-17 दिनांक 28 जुलाई, 2016 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

x) **आस्तियों की हानि (ए एस 28):**
बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

xi) **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस-29):**
प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	3.70	3.44
वर्ष के दौरान उपलब्ध	1.51	0.26
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.00	0.00
इतिशेष	5.21	3.70
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

11. **अन्य प्रकटीकरण**

ए) **धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानीकरण:**
वर्ष के दौरान कुल धोखाधड़ी के 233 मामले थे जिसकी कुल राशि ₹714.01 करोड़ थी। उसे प्राप्त सीजीसी दावे को अलग करके पूर्णत: प्रदान किया गया और वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर अपरिशोधित प्रावधानों की प्रमात्रा ''अन्य आरक्षित निधियों'' से नामे करने पर शून्य है।

बी) **प्रावधान और आकस्मिक व्यय:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**608.56**	175.70
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**7,620.08**	3,545.44
आय कर/आस्थगित कर के लिए प्रावधान	**(1,165.64)**	293.01
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(46.26)**	(190.04)
पुन:संरचित खातों के लिए प्रावधान	**(68.81)**	(178.83)
कर्मचारी कल्याण निधि	**20.00**	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	**86.86**	148.50
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	**31.29**	44.88
उपभोक्ता/दीवानी मुकदमों लिए प्रावधान	**1.78**	0.23
अरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	**(9.00)**	8.00
अन्य प्रावधान/(अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	**7.83**	7.39
कुल	**7,086.69**	3,874.28

सी) **अस्थायी प्रावधान के संचलन:** **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**102.21**	102.21
(बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**0.00**	0.00
(सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**0.00**	0.00
(डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**102.21**	102.21

डी) **भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंड:**
वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 (ए))(1) (सी) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बैंक पर ₹5 करोड़ का सकल दंड प्रभारित किया गया है (पिछले वर्ष में ₹3.00 करोड़)।

ई) **आरक्षित निधियों से आहरण किए गए:**
वर्ष के दौरान आरक्षित निधि से आहरण शून्य है।

एफ) **ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति:**

क्र. सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**404**	362
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**12,801**	11,088
(सी)	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	**12,604**	11,046
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**601**	404

Deferred Tax Liabilities	31-03-2018	31-03-2017
Interest accrued but not due on securities	0.00	414.84
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	531.74	532.48
On account of depreciation on Investments	315.36	414.69
Difference in WDV of Fixed Assets	34.60	31.94
Total	**881.70**	**1,393.95**
Net (DTA)/DTL	**(1,592.46)**	**(170.25)**

ix) **Interim Financial Reporting (AS 25):**
The Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS.A`No.BC. 2/08.91.001/2016-17 dated July 28, 2016.

x) **Impairment of Assets (AS 28):**
In the opinion of the management of the Bank, there is no indication of impairment of assets of the Bank.

xi) **Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):**
Movement of provisions (excluding provisions for other)

(₹ in Crores)

Particulars	Legal Cases/ Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	3.70	3.44
Provided during the year	1.51	0.26
Amount used during the year	0.00	0.00
Closing Balance	5.21	3.70
Timing of Outflow/ uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

11. **OTHER DISCLOSURES**

a) **Provisioning pertaining to Fraud Accounts:**
During the year, the total number of frauds occurred were 233 with an outstanding amount of ₹714.01 Crores and the same are fully provided net of CGC claims received and quantum of unamortised provision debited from "other reserves" as at the end of FY 2017-18 is NIL.

b) **Provisions and Contingencies:**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Provision for depreciation on investment	**608.56**	175.70
Provision towards NPA	**7,620.08**	3,545.44
Provision towards Income Tax and Deferred Tax	**(1,165.64)**	293.01
Other provisions and contingencies :		
Provision towards Standard Assets	**(46.26)**	(190.04)
Provision for Restructured Accounts	**(68.81)**	(178.83)
Staff Welfare Fund	**20.00**	20.00
Bad Debts written off	**86.86**	148.50
Provision for Cenvat Reversal	**31.29**	44.88
Provision for Consumer/Civil Cases	**1.78**	0.23
Provision for Unhedged Foreign Currency	**(9.00)**	8.00
Other Provisions/(Reversal of Excess provisions)	**7.83**	7.39
Total	**7,086.69**	3,874.28

c) **Movement of Floating Provisions:** **(₹ in Crores)**

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(a) Opening Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**0.00**	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**0.00**	0.00
(d) Closing Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21

d) **Penalties imposed by RBI:**
During the year, Reserve Bank of India has imposed aggregate penalty of ₹5 crores (Rupees Five Crores only) on the Bank in the exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act,1949 (Previous Year ₹3.00 crore).

e) **Draw down from Reserves:**
During the year, withdrawal from reserves is NIL.

f) **Status of Customer Complaints:**

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	**404**	362
(b)	No. of Complaints received during the year	**12,801**	11,088
(c)	No. of Complaints redressed during the year	**12,604**	11,046
(d)	No. of Complaints pending at the end of the year	**601**	404

जी) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या	**51**	39
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामलों की संख्या	**741**	668
(सी)	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों की संख्या	**684**	656
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	**108**	51

एच) बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरूद्ध पारित अधिनिर्णय:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(ए)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	**5**	2
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	**20**	24
(सी)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	**23**	21
(डी)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	**2**	5

आई) ग्राहकों की शिकायतें-कार्ड सेंटर से संबंधित-ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**1,236**	396
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**40,189**	22,327
3	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	**40,727**	21,487
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**698**	1,236

जे) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

(ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने, बैंक के निदेशक मंडल व अनुमोदन से यू.एस. डॉलर 75.00 मिलियन की चुकौती संबंधी आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि.31-12-2018 तक वैध) जारी किया है ।

(बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

शाखाओं ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31-03-2018 को ₹70.31 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं (पिछला वर्ष ₹ 104.11 करोड़)।

कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता की साख पर उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा विदेशी बैंकों एवं भारत के बाहर स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी आश्वासन पत्र की रकम दि. 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार ₹1,120.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,625.62 करोड़) है ।

दि. 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹ 1,190.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,729.73 करोड़) है ।

जब अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं से/के आश्वासन पत्र की गुणवत्ता, साख श्रेणी/वैश्विक श्रेणी, प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ और उपलब्ध प्रति-गारंटी का ध्यान रखा जाता है तब जारी आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/139 दिनांक 13.03.2018 में कथित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दि. 13.03.2018 से एलओयू/एलओसी जारी करना बंद कर दिया है।

के) बीमा कारोबार:

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹ 19.90 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष ₹ 16.23 करोड़ था। इसमें ₹ 6.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.54 करोड़) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹ 13.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.69 करोड़) गैर-जीवन बीमा कारोबार से है ।

एल) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण:

ए. जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	**48,748.49**	42,759.71
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	**17.87%**	16.41%

g) Cases referred to Banking Ombudsman:

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(a)	No. of Cases pending at the beginning of the year	**51**	39
(b)	No. of Cases referred to Banking Ombudsman during the year	**741**	668
(c)	No. of Cases disposed off during the year	**684**	656
(d)	No. of Cases pending at the end of the year	**108**	51

h) Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman:

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	**5**	2
(b)	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	**20**	24
(c)	No. of awards implemented during the year	**23**	21
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	**2**	5

i) Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction:

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**1,236**	396
2	No. of complaints received during the year	**40,189**	22,327
3	No. of complaints redressed during the year	**40,727**	21,487
4	No. of complaints pending at the end of the year	**698**	1,236

j) Letter of Comfort issued by the Bank:

(a) **Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.**

The Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid upto 31-12-2018) with approval from the Board of Directors of the Bank.

(b) **Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:**

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of Syndicate Bank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of ₹ 70.31 Crore as on 31-03-2018 (Previous Year ₹ 104.11 Crores).

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India is ₹ 1,120.25 Crore as on 31-03-2018 (Previous Year ₹ 1,625.62Crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31-03-2018 stands at ₹ 1,190.56 Crores (Previous Year ₹ 1,729.73 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

The bank has stopped issuance of LoU/LoCs for trade credit with effective from 13.03.2018 as per the directions issued by Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/2017-18/139 dated 13.03.2018.

k) **Insurance Business:**

The total income from the Bancassurance Business during the year 2017-18 is ₹ 19.90 Crore as against ₹ 16.23 Crore in the previous year. This comprises of ₹ 6.17 Crore (PY ₹6.54 Crore) from Life Insurance business and ₹ 13.73 Crore (PY ₹ 9.69 Crore) from Non Life Insurance business.

l) **Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:**

a. CONCENTRATION OF DEPOSITS (₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Deposits of twenty largest depositors	**48,748.49**	42,759.71
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	**17.87%**	16.41%

बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**30,308.22**	29,179.16
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता (कुल अग्रिम में ₹248285.62 करोड़ की एफबी + ₹28442.83 करोड़ की एनएफबी + ₹2044.59 करोड़ की व्युत्पन्नी शामिल है)	**10.87%**	10.56%

उपरोक्त की गणना ऋण एक्सपोज़र एवं व्युत्पन्नी एक्सपोजोर को परिगणना में लेकर की गई है।

सी. निवेश का संकेन्द्रण **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश	**31,300.82**	29,647.74
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल निवेश में बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता (कुल अग्रिम में ₹248285.62 करोड़ की एफबी + ₹28442.83 करोड़ की एनएफबी + ₹2044.59 करोड़ की व्युत्पन्नी + ₹11227.62 करोड़ के गैर-एसएलआर निवेश शामिल है)	**10.79%**	10.45%

उपरोक्त की गणना ऋण एक्सपोज़र, व्युत्पन्नी एक्सपोजर और निवेश एक्सपोजर को परिगणना में लेकर की गई है।

डी. आंतरिक –समूह एक्सपोजर **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,600.00**	1,626.27
20 बड़ी आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,600.00**	1,626.27
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर में आंतरिक-समूह एक्सपोजर की प्रतिशतता	**0.55%**	0.57%
आंतरिक-समूह एक्सपोजर एवं विनियामक कार्यवाही में सीमाओं के भंग होने के विवरण	**शून्य**	शून्य

ई. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	**4,499.72**	4,200.17

एम) क्षेत्रवार अग्रिम: **(₹ करोड़ में)**

क्रम. सं.	क्षेत्र*	31-03-2018			31-03-2017		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए की प्रतिशतता	बकाया कुल अग्रिम	सकल एन पी ए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए की प्रतिशतता
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	33,466.00	3,708.27	11.08	31,878.17	2,246.17	7.05
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	7261.00	611.66	8.42	8,288.81	610.73	7.37
3	सेवाएँ	20,045.00	2,446.43	12.20	16,190.10	1,379.75	8.52
4	वैयक्तिक ऋण	12,377.00	507.80	4.10	11,547.66	813.42	7.04
	उप-जोड (ए)	**73,149.00**	**7,274.16**	**9.94**	**67,904.74**	**5,050.07**	**7.44**
बी	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	58,109.92	13,928.85	23.97	58,486.26	10,040.41	17.17
3	सेवाएँ	68,189.15	3,918.05	5.75	61,782.17	1,572.43	2.55
4	वैयक्तिक ऋण	23,542.00	637.54	2.71	18,891.61	946.40	5.01
	उप-जोड (बी)	**1,50,197.07**	**18,484.44**	**12.31**	**1,39,160.04**	**12,559.24**	**9.03**
	कुल (ए+बी)	**2,23,346.07**	**25,758.60**	**11.53**	**2,07,064.78**	**17,609.31**	**8.50**

b. CONCENTRATION OF ADVANCES **(₹ in Crores)**

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Advances to twenty largest borrowers	**30,308.22**	29,179.16
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank. (Total advances includes FB ₹248285.62 Cr + NFB ₹28442.83 Cr+ Derivatives ₹2044.59 Cr)	**10.87%**	10.56%

The above is computed by taking into account credit exposure and derivative exposure.

c. CONCENTRATION OF EXPOSURES **(₹ in Crores)**

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	**31,300.82**	29,647.74
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / custome` (Total advances includes FB ₹248285.62 Cr + NFB ₹28442.83 Cr+ Derivatives ₹2044.59 Cr + Non SLR Investments ₹11227.62 Cr)	**10.79%**	10.45%

The above is computed by taking into account credit exposure, derivative exposure and investment exposure.

d. INTRA-GROUP EXPOSURES **(₹ in Crores)**

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total amount of intra-group exposures	**1,600.00**	1,626.27
Total amount of top-20 intra-group exposures	**1,600.00**	1,626.27
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	**0.55%**	0.57%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	**Nil**	Nil

e. CONCENTRATION OF NPAs **(₹ in Crores)**

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Exposure to top four NPA accounts	**4,499.72**	4,200.17

m) Sector-wise Advances: **(₹ in Crores)**

Sl. No.	Sector*	31-03-2018			31-03-2017		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA's	% of Gross NPA'S to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA's	% of Gross NPA'S to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	33,466.00	3,708.27	11.08	31,878.17	2,246.17	7.05
2	Advances to industries						
	sector eligible as priority	7261.00	611.66	8.42	8,288.81	610.73	7.37
	sector lending						
3	Services	20,045.00	2,446.43	12.20	16,190.10	1,379.75	8.52
4	Personal loans	12,377.00	507.80	4.10	11,547.66	813.42	7.04
	Sub-total (A)	**73,149.00**	**7,274.16**	**9.94**	**67,904.74**	**5,050.07**	**7.44**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	58,109.92	13,928.85	23.97	58,486.26	10,040.41	17.17
3	Services	68,189.15	3,918.05	5.75	61,782.17	1,572.43	2.55
4	Personal loans	23,542.00	637.54	2.71	18,891.61	946.40	5.01
	Sub-total (B)	**1,50,197.07**	**18,484.44**	**12.31**	**1,39,160.04**	**12,559.24**	**9.03**
	Total (A+B)	**2,23,346.07**	**25,758.60**	**11.53**	**2,07,064.78**	**17,609.31**	**8.50**

एन) अनर्जक आस्तियों का संचलन: (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	**17,609.31**	13,832.16
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	**14,309.28**	8,137.95
उप-जोड (ए)	**31,918.59**	21,970.11
घटाएं:		
(i) स्तरोन्नयन	**1,557.81**	1,589.90
(ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**2,202.17**	1,500.21
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते लिखना	**2,313.15**	1,081.03
(iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत उल्लेखित मदों को छोड़कर अन्य बट्टे खाते लिखे गए मामलें	**86.86**	189.66
उप-जोड़ (बी)	**6,159.99**	4,360.80
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां (ए-बी)	**25,758.60**	17,609.31

ओ) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का संचलन: (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में प्रारंभिक शेष	**6,254.69**	5,649.95
जोड़े : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**2,313.15**	1,081.03
उप-जोड़ (ए)	**8,567.84**	6,730.98
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ **(बी)**	**630.55**	476.29
वर्ष के अंत में इतिशेष **(ए-बी)**	**7,937.29**	6,254.69

पी) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व: (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
कुल आस्तियां	44,646.83	37,324.16
कुल अनर्जक आस्तियां	2,027.44	1,947.62
कुल एनपीआई	0.00	0.00
कुल राजस्व	1,052.80	948.57

नोट: तुलन पत्र में कुल आस्तियों, कुल एनपीए और कुल एनपीआई के लिए आंकड़े को फेडाई हाजिर दर जीबीपी-92.2775 के साथ तैयार किया गया है। जब कि कुल राजस्व को तिमाही औसत दर (क्यूएआर)- अप्रैल 17 से जून 17 – 82.51, जुलाई 17 से सितंबर 17 – 84.20, अक्तूबर 17 से दिसंबर 17 - 85.89 और जनवरी 18 से मार्च 18 – 89.45 फेडाई जीबीपी पर कुल तिमाही सकल राजस्व के साथ तैयार किया गया है।

क्यू) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है):

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

आर) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

एस) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख बैंक के पास हैं।

टी) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

यू) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ)में अंतरण (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17
डीईएएफ को अंतरण के लिए प्रारंभिक शेष राशि	**585.10**	411.95
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**51.83**	180.42
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावे के प्रतिपूरित राशियां	**9.35**	7.27
डीईएएफ को अंतरित इतिशेष राशि	**627.58**	585.10

वी) अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17
यूएफसीई प्रावधान के प्रारंभिक शेष राशि	60.00	52.00
जोड़ें: चालू वर्ष के दौरान प्रावधान की वृद्धि/विपर्यय	(-)9.00	8.00
यूएफसीई प्रावधान के इतिशेष	51.00	60.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी 85 / 21.06.200 / 2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबी ओडी सं. बीपी.बीसी. 116/21.06.200 / 2013-14 दिनांक 03 जून 2014 के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में बैंक के पास नीति है।

n) **Movement of NPAs:** (₹ in Crores)

PARTICULARS	31-03-2018	31-03-2017
Gross NPAs at the beginning of the year	**17,609.31**	13,832.16
Additions (Fresh NPAs) during the year	**14,309.28**	8,137.95
Sub Total (A)	**31,918.59**	21,970.11
Less:		
(i) Up gradations	**1,557.81**	1,589.90
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**2,202.17**	1,500.21
(iii)Technical/Prudential Write-offs	**2,313.15**	1,081.03
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	**86.86**	189.66
Sub Total (B)	**6,159.99**	4,360.80
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**25,758.60**	17,609.31

o) **Movement of Technical/Prudential Write-offs:**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at the beginning of the year	**6,254.69**	5,649.95
Add : Technical / Prudential write-offs during the Year	**2,313.15**	1,081.03
Sub-total (A)	**8,567.84**	6,730.98
Less : Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year **(B)**	**630.55**	476.29
Closing balance as at the end of the year **(A-B)**	**7,937.29**	6,254.69

p) **Overseas Assets, NPAs and Revenue:** (₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Assets	**44,646.83**	37,324.16
Total NPAs	**2,027.44**	1,947.62
Total NPIs	**0.00**	0.00
Total Revenue	**1,052.80**	948.57

Note: The figures for Total Assets, Total NPA and Total NPI are drawn with the Balance Sheet position at FEDAI spot rate GBP - 92.2775, while Total Revenue has been drawn with Total of Quarterly Gross Revenue at GBP FEDAI Quarterly Average Rates (QAR) – Apr 17 to Jun 17 – 82.51, Jul 17 to Sep 17 – 84.20, Oct 17 to Dec 17 - 85.89 and Jan 18 to Mar 18 – 89.45.

q) **Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):**

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

r) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Bank has not sponsored any SPVs.

s) **Fixed Assets**

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

t) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

u) **Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

(₹ in Crores)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**585.10**	411.95
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	**51.83**	180.42
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**9.35**	7.27
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**627.58**	585.10

v) **Unhedged Foreign Currency Exposure:**

(₹ in Crores)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
Opening Balance of UFCE provision	**60.00**	52.00
Add: incremental/reversal of provision during the current year	**(-)9.00**	8.00
Closing Balance of UFCE provision	**51.00**	60.00

The Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on RBI Circular No.DBOD.No.BP.BC.85 / 21.06.200 / 2013-14 dated January 15, 2014 and clarifications received vide RBI Circular No. DBOD. No.BP.BC.116/21.06.200 / 2013-14 dated June 03, 2014.

बैंक की नीति के आधार पर उधारकर्ताओं से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं और तदनुसार वर्षांत 31-03-2018 के लिए न्यूनतम ₹57.03 करोड़ की पूंजी अपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में ₹51 करोड़ राशि वाली यूएफसीई और ₹524.38 करोड़ का अतिरिक्त आरडब्ल्यूए का प्रावधान किया गया है।

डब्ल्यू) बैंक ने मार्च 2018 तक की स्थिति के अनुसार लघु एवं सीमांत कृषकों की श्रेणी के अंतर्गत ₹500 करोड़ मूल्य के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की 2000 इकाइयों की बिक्री की है।

एक्स) भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन (आईएनडी एएस)

ए) बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन स्थिति

कॉरपोरेट कार्य के मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से बैंक में आईएनडी एएस लागू होगा और बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से आईएनडी एएस (भारतीय लेखांकन मानक) के कार्यान्वयन के लिए शुरुआती कदम उठाए हैं और तदनुसार, उसके कार्यान्वयन के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छी प्रगति की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2016 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति बनाई है जो कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है। इस संचालन समिति में बैंक के विभिन्न कार्यात्मक विभागों के महाप्रबंधक शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, नियमित अंतरालों पर आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति की समीक्षा करती रहती है।

बी. भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन में आस्थगन

आरबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दि. 05, अप्रैल, 2018 के जरिए आईएनडी एएस के कार्यान्वयन में एक साल का आस्थगन (अर्थात् वर्ष 2019-20 से लागू) घोषित किया है, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा।

सी. अब तक की प्रगति:

- बैंक द्वारा वर्तमान लेखा ढ़ांचे और आईएनडी एस (भारतीय लेखांकन मानक) के बीच अंतर को पहचानने के लिए एक नैदानिक अध्ययन पूरा किया गया है।
- इस नैदानिक अध्ययन के आधार पर बैंक के प्रभाव की गणना की है और जून 2017 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय विवरण का भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित प्रपत्र में भेजा है।
- बैंक नीति एवं प्रक्रिया के अपेक्षित परिवर्तन करने में लगा हुआ है।
- बैंक ने आईएनडी एएस के अंतर्गत लेखांकन नीति में अपेक्षित परिवर्तनों का निर्धारण किया है।
- बैंक अब कोर बैंकिंग सिस्टम में अपेक्षित प्रणाली के परिवर्तनों का मूल्यांकन कर रहा है और अनुमानित ऋण हानि नमूनों की रूप-रेखा भी शुरू कर दी है।
- वर्तमान लेखांकन संरचना (भारतीय जीएएपी) के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण का अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् मूल बैंक भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभित तुलन पत्र तैयारी की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता है।

वाई) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत/पुन: व्यवस्थित किया गया है ।

Data has been obtained from the borrowers as per the Bank's policy and accordingly, provision of UFCE amounting to ₹ 51 Crores and additional RWA of ₹ 524.38 Crores has been provided, against which minimum capital requirement is ₹ 57.03 Crores for the year ended 31-03-2018.

w) The Bank has sold 2000 units under Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) to the tune of ₹500 crore under Small and Marginal Farmers category as at March 2018.

x) Implementation Of Indian Accounting Standards (Ind As)

a. **Status on Implementation of IND AS within the Bank**

IND AS is applicable to the Bank in accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs from FY 2018-19 and the Bank has initiated steps for implementation of IND AS (Indian Accounting Standards) from FY 2016-17 and accordingly put in place well-planned strategy for implementation and have made good progress during this financial year.

In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in August 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director that monitors the progress of the implementation. The Steering Committee comprises of General Managers from various functional departments of the Bank. Further, Bank's Audit Committee of the Board has been reviewing the overall progress of the implementation of IND AS at regular intervals.

b. **Deferment of Indian Accounting Standards (Ind AS) implementation**

RBI through the Press Release dated April 05, 2018 has deferred the implementation of Ind AS by one year (i.e. applicable from 2019-20) for Scheduled Commercial Banks.

c. **Progress made so far:**

- The Bank has completed a diagnostic study to identify the differences between the current accounting framework and IND AS (Indian Accounting Standards).
- Based on the diagnostic study, the Bank has assessed the impact and filed the pro-forma financial statements for the quarter ended June 2017 with the Reserve Bank of India.
- The bank is in process of making required changes in policies and procedures.
- The Bank has identified changes required in accounting policies under IND AS.
- The Bank is performing an assessment of the system changes required in the Core Banking System and has commenced the design of the Expected Credit Loss Models.
- The Bank proposes to commence the preparation of the Opening Balance Sheet under IND AS transition after finalization of annual financial statements as per the current accounting framework (Indian GAAP).

y) Previous year figures.

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018
(अप्रत्यक्ष पद्धति/Indirect Method)

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	विवरण/Particulars	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss)	**(3222 83 74)**	358 94 93
	जोड़िए/Add: कर प्रावधान/Tax Provision	**(1165 63 76)**	293 01 00
	कर के पहले लाभ/(हानि)/Profit/(Loss) Before Taxes	**(4388 47 50)**	651 95 93
	समायोजन के लिए Adjustments For:		
	अचल आस्तियों में मूल्यह्रास/Depreciation on Fixed Assets	**237 78 31**	137 30 07
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचर सहित) Depreciation on Investments (Including on Matured Debentures)	**608 55 77**	175 69 55
	बट्टा खाता डाले गए अशोध्य ऋण/अनर्जक/पुन: संरचित आस्तियों संबंधी प्रावधान Bad Debts Written-Off/Provision In Respect of NPA/Restructured assets	**7638 12 60**	3515 10 25
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision For Standard Assets	**(46 26 35)**	(190 04 40)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)/Provision For Other Items (Net)	**51 91 03**	80 51 73
	अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री पर (लाभ)/हानि /(Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	**55 40**	2 64
	अधीनस्थ नामे पर (पृथक मान लिया गया) ब्याज की अदायगी/प्रावधान Payment/Provision for Interest on Subordinated Debt (Treated Separately)	**826 58 00**	708 66 33
	अप्राप्य विदेशी विनिमय आरक्षित निधि उतार-चढ़ाव के लिए समायोजन Adjustment for Unrealised Foreign Exchange Fluctuation Reserve	**3 02 83**	(30 73 20)
	अनुषंगी/अन्य से प्राप्त लाभांश (पृथक मान लिया गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	**0**	0
	उप जोड/Sub Total	**4931 80 09**	5048 48 90
	समायोजन/Adjustments for:		
	(वृद्धि)/हानि निवेश/(Increase)/Decrease in Investments	**(15497 38 84)**	2980 77 17
	(वृद्धि)/हानि अग्रिम/(Increase)/Decrease in Advances	**(18652 64 14)**	(1815 96 52)
	(वृद्धि)/हानि अन्य आस्ति/(Increase)/Decrease in Other Assets	**(905 23 15)**	688 22 66
	वृद्धि/(हानि) उधार/Increase/(Decrease) in Borrowings	**11428 08 75**	(9135 97 67)
	वृद्धि/(हानि) जमाराशियाँ/Increase/(Decrease) in Deposits	**12215 24 27**	(1174 48 05)
	वृद्धि/(हानि) अन्य देयताएँ एवं प्रावधान/Increase/(Decrease) in Other Liabilities And Provisions	**(212 80 70)**	(751 18 55)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी का निवल)/Direct Taxes Paid (Net of Refund)#	**(621 48 45)**	(818 22 01)
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (ए) Net Cash From Operating Activities (A)	**(7314 42 17)**	(4978 34 07)
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	अचल आस्तियों का क्रय/विक्रय-अंतरण / Purchase/Sale-Transfer of Fixed Assets	**(262 22 46)**	(182 50 61)
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद (बी) Net Cash used in Investing Activities (B)	**(262 22 46)**	(182 50 61)
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**		
	शेयर पूंजी/Share Capital	**512 73 27**	201 16 78
	शेयर अप्लिकेशन रकम लंबित आबंटन/Share Application Money Pending Allottment	**0**	(740 00 00)
	शेयर प्रीमियम/Share Premium	**3464 56 25**	1314 83 22
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्र/Unsecured Subordinated Bonds	**710 00 00**	1110 30 00
	लाभांश कर सहित लाभांश प्रदत्त Dividend Paid including Dividend Tax		
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्रों पर प्रदत्त/प्रदेय ब्याज/Interest Paid / Payable on Unsecured Subordinated Bonds	**(826 58 00)**	(708 66 33)
	वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (सी) Net Cash From Financing Activities (C)	**3860 71 52**	1177 63 67
	नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि/Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**(3715 93 11)**	(3983 21 01)

नोट: नकद एवं नकद तुल्य में उपलब्ध नकदी, भा.रि.बैं. एवं अन्य बैंकों के पास जमा राशि एवं माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।
Note: Cash & Cash Equivalents includes Cash on Hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.
#प्रदत्त प्रत्यक्ष करों को परिचालनगत गतिविधियों के परिणामस्वरूप माना गया है और उन्हें निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।
Direct taxes paid are treated as arising from Operating Activities and are not bifurcated between Investing & Financing Acitivities

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018		31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	
I. **वर्ष के प्रारंभ में शेष** **Balances at the beginning of the Year:**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13108 94 79**		13338 55 74	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**12123 22 61**	**25232 17 40**	15876 82 67	29215 38 41
II. **वर्ष के अंत में शेष** **Balances at the end of the Year:**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**11684 16 40**		13108 94 79	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**9832 07 89**	**21516 24 29**	12123 22 61	25232 17 40
III. **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह** **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**(3715 93 11)**		(3983 21 01)
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

दीपेश देवचंद देढ़िया/DEEPESH DEVCHAND DEDHIA
सहायक महा प्रबंधक /Asst. General Manager

जी मोहन राव/G MOHAN RAO
महा प्रबंधक/General Manager

एस कृष्णन/S KRISHNAN
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव/CH S S MALLIKARJUNA RAO
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

मेलविन रेगो/MELWYN REGO
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/MANAGING DIRECTOR & CEO

अजय विपिन नानावटी/AJAY VIPIN NANAVATI
अध्यक्ष/Chairman

"उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार/In terms of our report of even date attached"

कृते **मणियन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001983एस)

कृते **एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001545सी)

कृते **अगस्ती एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 313043ई)

रविन्द्र सी.
साझेदार
सदस्यता सं.: 213658

अविचल एसएन कपूर
साझेदार
सदस्यता सं.: 400460

बी. अगस्ती
साझेदार
सदस्यता सं.: 051026

कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 04494एस/एस200037)

कृते जे.एस.उबेरॉय एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 111107 डब्ल्यू)

आर. कृष्णन
साझेदार
सदस्यता सं.: 014281

नितिन सारदा
साझेदार
सदस्यता सं.: 108392

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 15.05.2018

For **MANIAN & RAO**
Chartered Accountants
(FRN : 001983S)

For **S. N. KAPUR & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
(FRN : 001545C)

For **AGASTI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
(FRN : 313043E)

RAVINDRA C.
Partner
Membership No. 213658

AVICHAL SN. KAPUR
Partner
Membership No. 400460

B. AGASTI
Partner
Membership No.051026

For **VAITHISVARAN & CO LLP**
Chartered Accountants
(FRN : 004494S/S200037)

For **J.S. UBEROI & CO.**
Chartered Accountants
(FRN : 111107W)

R. KRISHNAN
Partner
Membership No.014281

NITIN SARDA
Partner
Membership No.108392

Place: Bengaluru
Date : 15.05.2018

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सिंडिकेटबैंक के निदेशक मंडल

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सिंडिकेटबैंक (समूह) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च, 2018 की स्थिति में समेकित तुलन पत्र, ततसंबंधी वर्षांत के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा परीक्षण किया, जिसमें निम्न जानकारी शामिल है।
   - ए. हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दि. 15 मई, 2018 के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखापरीक्षित सिंडिकेटबैंक (दि बैंक) के वित्तीय विवरण।
   - बी. अपने लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वैयक्तिक अनुषंगी की वित्तीय विवरणियाँ, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार जिनकी वित्तीय विवरणियों में ₹15.40 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा ततसंबंधी वर्षांत के लिए ₹4.35 करोड़ के कुल राजस्व प्रतिबिंबित होते हैं।
2. हमने 3 एसोसिएट की गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों को भी विश्वास में लिया है जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹47,320 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा ₹4,173 करोड़ के कुल राजस्व प्रतिबिंबित होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

3. इन समेकित वित्तीय विवरणों, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 21–'समेकित वित्तीय विवरणी', लेखांकन मानक 23 – 'समेकित वित्तीय विवरणी में अनुषंगी में निवेश के लिए लेखांकन' और लेखांकन मानक 27–'संयुक्त उद्यमों के हित में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन नीतियों के अनुसार, ग्रुप की समेकित वित्तीय प्ररिस्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकद प्रवाह का सही व वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है, को तैयार करने का उत्तरदायित्व सिंडिकेटबैंक प्रबंधन का है। सिंडिकेटबैंक समूह के प्रबंधन की कथित जिम्मेदारी के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित उसकी संरचना तथा आंतरिक नियंत्रण के कार्यान्वियन को कायम रखना शामिल है, जो इस बात को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है कि सिंडिकेटबैंक समूह की समेकित वित्तीय विवरणियां सत्य व वास्तविक तथा भौतिक अयथार्थ विवरणी से मुक्त हैं, भले ही वह जालसाजी वश हुआ हो या भूलवश। हमें यह सूचित किया गया कि समूह की प्रत्येक संस्था के प्रबंधन ने एसा आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित किया है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने तथा परिस्थितियों के अनुरूप प्रक्रियाओं के निर्माण में उपयुक्त हैं ताकि सिंडिकेटबैंक समूह के सभी क्रियाकलापों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी रहें। ये विवरणियां विभिन्न वित्तीय विवरणियों और घटकों के संबंध में प्राप्त अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार की गई हैं।

लेखा–परीक्षकों का दायित्व

4. हमारा दायित्व है कि अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements

To

The Board of Directors of Syndicate Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of SYNDICATE BANK ("the Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2018, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which the following are incorporated:
   - a. The financial statements of SYNDICATE BANK (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 15, 2018.
   - b. The financial statements of the standalone Subsidiary audited by its auditors, whose financial statements reflect total assets of ₹15.40 crores as on March 31, 2018 and total revenue of ₹4.35 crores for the year then ended.
2. We have also relied on the unaudited financial statements of the 3 Associates whose financial statements reflect total assets of ₹47,320 crores as on March 31, 2018 and total revenue of ₹4,173 crores

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

3. The Management of SyndicateBank is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the requirements of the Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 – "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 – " Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the requirements of Reserve Bank of India and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility of the management of SyndicateBank Group includes the design, implementation and maintenance of internal controls and risk management systems relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements of SyndicateBank Group that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. We are informed that the management of the individual entities of the group have implemented such internal controls and risk management systems that are relevant to the preparation of the financial statements and the designed procedures that are appropriate in the circumstances so that the internal controls with regard to all the activities of the SyndicateBank Group are effective. These statements have been prepared on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components.

Auditors' Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these

विवरणियों पर अपनी राय प्रस्तुत करें । भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार हमने, लेखापरीक्षा की है । उन मानदंडों के अनुसार हम नीतिगत अपेक्षाओं का पालन करते हैं तथा योजनानुसार लेखापरीक्षा करते हैं ताकि इससे यथोचित आश्वासन प्राप्त कर सकें कि समेकित वित्तीय विवरण, भौतिक अयथार्थ विवरणी से मुक्त हैं ।

5. लेखापरीक्षा के अंतर्गत रकम तथा समेकित वित्तीय विवरणियों के प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है । अपनाई गई प्रक्रिया लेखा-परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणी के समेकन में भौतिक अयथार्थ विवरणी की प्रस्तुती के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है भले ही वह धाखोधड़ी से हुआ हो या भूल से। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा समेकित वित्तीय विवरणों के सही ढंग से प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सकें किन्तु, यह बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए नहीं है। अपनाई गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा में शामिल है । हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे लेखापरीक्षा राय देने के लिए हमें पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं ।

राय

6. हमारी राय तथा उत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं उपर्युक्तानुसार वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखासिद्धांतों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण वास्तविक और निष्पक्ष प्रतिबिंबित होते हैं:
   - ए) समेकित तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति;
   - बी) समेकित लाभ-हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह की हानि, तथा;
   - सी) समेकित नकद प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकद प्रवाह.

कृते **मणियन एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ आर एन: 001983एस	कृते **एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफ आर एन: 001545सी	कृते **अगस्ती एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफ आर एन: 313043ई
रविन्द्र सी. साझेदार सदस्यता सं.: 213658	**अविचल एस.एन. कपूर** साझेदार सदस्यता सं.: 400460	**बी. अगस्ती** साझेदार सदस्यता सं.: 051026
कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार एफ आर एन: 04494एस/एस200037	कृते **जे.एस.उबेरॉय एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ आर एन: 111107 डब्ल्यू	
आर. कृष्णन् साझेदार सदस्यता सं.: 014281	**नितिन सारदा** साझेदार सदस्यता सं.: 108392	

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 15.05.2018

consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected, depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on consideration of the report of the other auditors on the financial statements as noted above, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
   - a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as on March 31, 2018;
   - b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the Loss of the Group for the year ended on that date and
   - c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

For **MANIAN & RAO** Chartered Accountants FRN : 001983S	For **S. N. KAPUR & ASSOCIATES** Chartered Accountants FRN : 001545C	For **AGASTI & ASSOCIATES** Chartered Accountants FRN : 313043E
RAVINDRA C. Partner Membership No. 213658	**AVICHAL SN. KAPUR** Partner Membership No. 400460	**B. AGASTI** Partner Membership No.051026
For **VAITHISVARAN & CO LLP** Chartered Accountants FRN : 004494S/S200037	For **J. S. UBEROI & CO** Chartered Accountants FRN : 111107W	
R. KRISHNAN Partner Membership No. 014281	**NITIN SARDA** Partner Membership No. 108392	

Place : Bengaluru
Date : 15.05.2018

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

तुलन–पत्र BALANCE SHEET

31 मार्च, 2018 का समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2018

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूंजी एवं देयताएँ **CAPITAL & LIABILITIES**	अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2018 को**	As on दि. 31.03.2017 को
पूंजी/Capital	1	**1417 27 21**	904 53 94
आरक्षित निधि और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	**15155 14 36**	14809 61 98
जमाराशियाँ/Deposits	3	**272761 08 20**	260547 94 92
उधार/Borrowings	4	**29613 61 17**	17475 52 42
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**6645 58 05**	6852 74 34
योग/TOTAL		**325592 68 99**	300590 37 60
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**11684 16 40**	13108 94 79
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**9832 07 89**	12123 22 61
निवेश/Investments	8	**81970 02 66**	66982 43 16
अग्रिम/Advances	9	**210683 86 80**	199669 35 26
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**2478 11 89**	2454 10 08
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**8944 43 35**	6252 31 70
योग/TOTAL		**325592 68 99**	300590 37 60
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**122848 78 05**	93278 71 95
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**5491 48 82**	5527 89 68
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

एस कृष्णन
कार्यपालक निदेशक

सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव
कार्यपालक निदेशक

S Krishnan
Executive Director

CH S S Mallikarjuna Rao
Executive Director

मेलविन रेगो
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अजय विपिन नानावटी
अध्यक्ष

Melwyn Rego
Managing Director & CEO

Ajay Vipin Nanavati
Chairman

डॉ संजय कुमार
निदेशक

जयंत पी. गोखले
निदेशक

Dr. Sanjay Kumar
Director

Jayant P Gokhale
Director

जी. रमेश
निदेशक

कमल किशोर सिंघल
निदेशक

सीए सुनील वशिष्ठ
निदेशक

G Ramesh
Director

Kamal Kishore Singhal
Director

CA Sunil Vashisht
Director

दीपेश देवचंद देढ़िया
सहायक महाप्रबंधक

जी. मोहन राव
महाप्रबंधक

Deepesh Devchand Dedhia
Asst. General Manager

G Mohan Rao
General Manager

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 15.05.2018

Place : Bengaluru
Date : 15.05.2018

लाभ व हानि लेखा — PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**21775 94 98**	**23003 78 71**
	अन्य आय/Other Income	14	**2806 05 00**	**3457 86 05**
	योग/TOTAL		**24581 99 98**	**26461 64 76**
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**15223 01 15**	**16727 06 93**
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**5492 55 39**	**5497 03 50**
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**7087 40 45**	**3875 68 18**
	योग/TOTAL		**27802 96 99**	**26099 78 61**
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year		**-3220 97 01**	**361 86 15**
	आगे लाया गया लाभ/(हानि) / Profit / (Loss) brought forward		**0**	**0**
	अनुषंगी उद्यमों में आय का शेयर/Share of earning in Associates	19	**109 28 03**	**155 59 06**
	योग/TOTAL		**-3111 68 98**	**517 45 21**
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to:			
ए/A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve		**0**	**89 73 73**
बी/B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**61 89 22**	**96 36 98**
सी/C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve		**-3173 58 20**	**158 50 28**
डी/D	आयकर अधिनियम 1961 धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि/Special Reserve Under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**0**	**172 84 22**
	योग/TOTAL		**-3111 68 98**	**517 45 21**
	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹10 each)		**-32.83**	**4.25**
	मूल एवं मिश्रित (वार्षिकीकृत)/Basic and Diluted (Annualized)			
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

कृते **मणियन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001983एस)

कृते **एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001545सी)

कृते **अगस्ती एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 313043ई)

रविन्द्र सी.
साझेदार
सदस्यता सं.: 213658

अविचल एसएन कपूर
साझेदार
सदस्यता सं.: 400460

बी. अगस्ती
साझेदार
सदस्यता सं.: 051026

कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 004494एस/एस200037)

कृते **जे.एस.उबेरॉय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 111107 डब्ल्यू)

आर. कृष्णन
साझेदार
सदस्यता सं.: 014281

नितिन सारदा
साझेदार
सदस्यता सं.: 108392

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 15.05.2018

For **MANIAN & RAO**
Chartered Accountants
(FRN : 001983S)

For **S. N. KAPUR & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
(FRN : 001545C)

For **AGASTI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
(FRN : 313043E)

RAVINDRA C.
Partner
Membership No. 213658

AVICHAL SN. KAPUR
Partner
Membership No. 400460

B. AGASTI
Partner
Membership No. 051026

For **VAITHISVARAN & CO LLP**
Chartered Accountants
(FRN : 004494S/S200037)

For **J.S. UBEROI & CO.**
Chartered Accountants
(FRN : 111107W)

R. KRISHNAN
Partner
Membership No.014281

NITIN SARDA
Partner
Membership No.108392

Place : Bengaluru
Date : 15.05.2018

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
	प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each	**3000 00 00**	3000 00 00
I.	**निर्गत, अभिदत्त, मांगी गई और प्रदत्त पूँजी**/ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
	अथशेष/Opening Balance	**904 53 94**	703 37 16
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Period	**512 73 27**	201 16 78
	141,72,72,053 (पिछले वर्ष 90,45,39,438) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 141,72,72,053 (Previous Year 90,45,39,438) Equity Shares of ₹10/- each.	**1417 27 21**	904 53 94
	ए) केंद्र सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 103,55,39,388 (पिछले वर्ष 65,95,62,697) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 103,55,39,388 (Previous year 65,95,62,697) Equity Shares of ₹10/- each.	**1035 53 94**	659 56 27
	बी) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/Held by Public and Others 38,17,32,665 (पिछले वर्ष 24,49,76,741) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/- 38,17,32,665 (Previous Year 24,49,76,741) Equity Shares of ₹10/- each.	**381 73 27**	244 97 67
II.	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर/Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
	योग/TOTAL	**1417 27 21**	904 53 94

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2018 को		As on दि. 31.03.2017 को	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**3472 75 55**		3383 01 82	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**3472 75 55**	89 73 73	3472 75 55
II.	**आरक्षित पूँजी/Capital Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**286 07 88**		189 70 90	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**61 89 22**	**347 97 10**	96 36 98	286 07 88
III.	**शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
	अथशेष/Opening Balance	**3170 56 33**		1855 73 11	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**3464 56 25**	**6635 12 58**	1314 83 22	3170 56 33
IV.	**पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**1595 61 99**		1612 36 02	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**14 43**		1 98 30	
		1595 76 42		1614 34 32	
	घटाएँ: पुनर्मूल्यांकित राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण/Less: Transferred to Revenue Reserve	**45 93 80**	**1549 82 62**	18 72 33	1595 61 99
V.	**सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VI.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and other Reserves**				
	अथशेष/Opening Balance	**4141 07 11**		3968 07 79	
	जोडें/(घटाएँ): समेकन में आरक्षित राजस्व में परिवर्तन Add/(Less) : Changes in Revenue reserve on Consolidation	**-10 51 60**		-4 22 74	
	जोडें: पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से अंतरण Add: Transferred from Revaluation Reserve	**45 93 80**		18 72 33	
		4176 49 31		3982 57 38	
	जोडें: लाभ व हानि लेखे से अंतरण/ Add: Transfer from Profit and Loss Account	**-3173 58 20**	**1002 91 11**	158 50 28	4141 07 66
VII.	**विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**25 89 24**		56 62 44	
	जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**3 02 83**	**28 92 07**	-30 73 20	25 89 24
VIII.	**विशिष्ट आरक्षित निधि/Special Reserve आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत** (Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)				
	अथशेष/Opening Balance	**1536 46 93**		1363 62 71	
	जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**0**	**1536 46 93**	172 84 22	1536 46 93
	योग/TOTAL		**15155 14 36**		14809 61 98

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
ए/A. I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
i) बैंकों से/ From Banks	**92 02 20**	83 57 13
ii) अन्यों से/ From Others	**11970 74 21**	11523 45 90
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**68346 36 91**	64257 19 18
III. **सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**28405 47 05**	27757 94 01
ii) अन्यों से/ From Others	**163946 47 83**	156925 78 70
योग (ए)/TOTAL A (I+II+III)	**272761 08 20**	260547 94 92
बी/B. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**241077 42 53**	234529 72 83
ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**31683 65 67**	26018 22 09
योग/TOTAL	**272761 08 20**	260547 94 92

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. **भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a. भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**9821 00 00**	0
बी/b. अन्य बैंक/Other Banks	**4331 60 68**	3337 77 72
सी/c. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**875 25 82**	359 59 60
डी/d. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.) Innovative Perpetual Debt Instruments	**533 00 00**	773 00 00
ई/e. अतिरिक्त टियर-I बांड/Additional Tier-I Bonds	**3250 00 00**	2800 00 00
एफ/f. गौण ऋण/Subordinated Debt	**4900 00 00**	4400 00 00
योग/TOTAL	**23710 86 50**	11670 37 32
II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**5902 74 67**	5805 15 10
योग/TOTAL (I + II)	**29613 61 17**	17475 52 42
उपरोक्त I और II में रक्षित उधार शामिल/Secured Borrowings included in I and II above	**9821 00 00**	0

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. देय बिल/Bills Payable	**845 97 15**	889 67 77
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**29 40 90**	56 94 82
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1489 03 92**	1395 87 02
IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**1140 41 41**	1186 68 77
V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**3140 74 67**	3323 55 96
योग/TOTAL	**6645 58 05**	6852 74 34

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**946 65 97**	924 14 98
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**10737 50 43**	12184 79 81
अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL	**11684 16 40**	13108 94 79

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. **भारत में/In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/Current Accounts	**81 87 29**	102 34 75
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**3930 46 80**	3406 11 85
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/Money at Call and Short Notice		
ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**5600 00 00**	7305 84 97
बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
योग/Total	**9612 34 09**	10814 31 57
II. **भारत के बाहर/Outside India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**11 17 80**	11 91 04
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**208 56 00**	1297 00 00
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/Total	**219 73 80**	1308 91 04
योग/TOTAL	**9832 07 89**	12123 22 61

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**80819 96 13**	66283 44 72
घटाएं: मूल्यह्रास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**1187 98 24**	614 78 18
भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**79631 97 89**	65668 66 54
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**73029 49 99**	58645 14 78
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	90 50
शेयर/Shares	**279 25 77**	357 23 50
ऋण पत्र और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**3501 56 12**	3916 70 35
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Associates	**1642 31 85**	1543 55 42
अन्य (वाणिज्यक पेपर, उद्यम पूँजी, सीओडी इत्यादि)/Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**1178 43 66**	1205 11 99
योग/ Total	**79631 97 89**	65668 66 54
II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**2373 40 47**	1313 76 62
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**35 35 70**	0
भारत के बाहर शुद्ध निवेश/Net Investments Outside India	**2338 04 77**	1313 76 62
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
ऋण पत्र और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**2338 04 77**	1313 76 62
अन्य/Others	**0**	0
योग/Total	**2338 04 77**	1313 76 62
योग/TOTAL	**81970 02 66**	66982 43 16

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम (प्रावधानों का निवल) / SCHEDULE – 9: ADVANCES (Net of Provisions)

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

			As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
ए./A.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**1015 77 99**	1513 97 31
	ii)	नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**53402 76 36**	43286 72 70
	iii)	मीयादी ऋण/Term Loans	**156265 32 45**	154868 65 25
		योग/Total	**210683 86 80**	199669 35 26
बी./B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिम सहित)/ Secured by tangible assets (Includes advances against book debts)	**139520 86 93**	140856 9104
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**32552 53 36**	27964 16 14
	iii)	अरक्षित/Unsecured	**38610 46 51**	30848 28 08
		योग/Total	**210683 86 80**	199669 35 26
सी./C.	I)	**भारत में अग्रिम/Advances in India**		
		i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/Priority Sector	**73219 13 35**	67262 21 70
		ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**2519 04 29**	2586 45 48
		iii) बैंक/Banks	**131 56 38**	164 97 90
		iv) अन्य/Others	**94325 96 14**	94925 83 90
		योग/Total	**170195 70 16**	164939 48 98
	II)	**भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
		i) बैंकों से देय/Due from Banks	**30594 03 83**	24150 71 94
		ii) अन्यों से देय/Due from others		
		ए)/a) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	**194 93 41**	381 12 18
		बी)/b) समूह ऋण/Syndicated Loans	**5126 64 74**	5772 55 36
		सी)/c) अन्य/Others	**4572 54 66**	4425 46 80
		योग/Total	**40488 16 64**	34729 86 28
		योग सी (I + II)/TOTAL C (I + II)	**210683 86 80**	1996 69 35 26

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/Revaluation as on March 31, of the preceding year	**2093 90 36**	2071 38 47
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year	**49 52 87**	24 80 07
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**50 37**	2 28 18
		2142 92 85	2093 90 35
	घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	**329 80 81**	276 50 64
	योग/Total	**1813 12 04**	1817 39 71
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress**	**27 84 03**	25 95 38
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और जुड़नार सहित)/Other Fixed Assets (Including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1744 48 57**	1644 66 70
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**228 69 17**	169 96 88
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**93 85 19**	70 15 02
		1879 32 55	1744 48 56
	घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	**1242 16 73**	1133 73 57
	योग/Total	**637 15 82**	610 74 99
	योग/TOTAL (I+II+III)	**2478 11 89**	2454 10 08

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As at दि. 31.03.2018 को	As at दि. 31.03.2017 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	0
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	**1776 94 58**	1473 29 56
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	**2951 11 60**	2586 11 15
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**28 71 60**	24 94 97
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 23**	3 39
VI. अन्य/Others	**4187 62 34**	2167 92 63
योग/TOTAL	**8944 43 35**	6252 31 70

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2018 को	As on दि. 31.03.2017 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**149 94 95**	143 81 93
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture funds	**32 58 72**	21 08 14
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**87759 60 73**	58435 14 50
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of Constituents		
ए)/a) भारत में/In India	**15241 75 29**	16294 89 17
बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	**7 38**	6 47
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**7034 19 24**	5705 05 98
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which Bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for	**9 32 81**	7 79 08
ii) अन्य/Others	**12621 28 93**	12670 86 68
योग/TOTAL	**122848 78 05**	93278 71 95

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**15722 82 79**	16856 16 47
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	**5199 58 89**	5331 08 33
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**713 13 80**	621 37 25
IV. अन्य/Others	**140 39 50**	195 16 66
योग/TOTAL	**21775 94 98**	23003 78 71

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**709 87 40**	756 85 72
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**945 96 47**	1739 70 94
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments	**0**	0
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**2 17 04**	1 60 86
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-2 72 44**	-1 63 50
IV.	विनिमय लेन-देन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**194 93 86**	185 87 66
	घटाएँ: विनिमय लेन-देन पर हुई हानि/ Less: Loss on Exchange Transactions	**-10 71 75**	-7 60
V.	अनुषंगियों से लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends etc. from subsidiaries	**0**	0
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**966 54 42**	775 51 97
	योग/TOTAL	**2806 05 00**	3457 86 05

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**13722 85 63**	15405 49 20
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	**76 71 04**	67 85 37
III.	अन्य/Others	**1423 44 48**	1253 72 36
	योग/TOTAL	**15223 01 15**	16727 06 93

अनुसूची – 16: परिचालनगत व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**3605 20 99**	3794 63 53
II.	किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**365 90 22**	330 16 17
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**28 32 83**	32 80 80
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**28 62 59**	29 69 94
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**237 79 12**	137 32 71
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**1 43 44**	76 06
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**35 23 15**	31 34 25
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**8 88 15**	4 87 66
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**74 80 46**	81 21 82
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**143 98 22**	112 16 92
XI.	बीमा/Insurance	**229 12 01**	206 63 38
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure	**733 24 21**	735 40 26
	योग/TOTAL	**5492 55 39**	5497 03 50

अनुसूची – 17
समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:
2017-2018

1. **(ए) लेखांकन पद्धति**

विदेशी कार्यालय सहित मूल बैंक की वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतों का पालन करते हुए तैयार किया जाता है जब तक अन्यथा न हो। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति के अनुरूप होते हैं। तथापि, विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित की जाने वाली आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाते हुए आकलन करें। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हो। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार के संशोधन को चालू अवधि तथा भावी अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है, जब तक अन्यथा न हो।

(सी) लेखांकन नीति का उपयोग

लेखांकन नीतियों का लगातार प्रयोग किया जाता है जब तक कि संविधि द्वारा या लेखांकन मानकों के अनुपालन के लिए परिवर्तन अपेक्षित न हो या वित्तीय विवरणी की अधिक सटीक प्रस्तुति के लिए परिवर्तन आवश्यक न हो।

2. **समेकन प्रक्रिया**

मूल बैंक और उसके अनुषंगियों की समेकित वित्तीय विवरणी (सी एफ एस) को संबंधित वित्तीय विवरणी और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)/राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) -21-''समेकित वित्तीय विवरणी'' के आधार पर तैयार किया गया है।

मूल बैंक और उसके अनुषंगियों की वित्तीय विवरणी को अंतर समूह लेन-देनों और अप्राप्त लाभ / हानि को हटाकर और आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की रकमों को एक साथ जोड़कर सिलसिलेवार तरीके से एकत्रित किया गया है और जहाँ भी उचित है

SCHEDULE – 17
CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:
2017 - 2018

1. **(A) BASIS OF ACCOUNTING**

The financial statements of the Parent Bank including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. However, in respect of foreign office, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign country are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

(C) USE OF ACCOUNTING POLICY:

Accounting Policy is consistently used unless change is required by statute or for compliance with Accounting Standard or the change would result in a more appropriate presentation of the financial statements.

2. **CONSOLIDATION PROCEDURE**

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Parent Bank, its Subsidiary has been prepared on the basis of the financial statements and in accordance with Accounting Standard (AS) – 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) / National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS).

The financial statements of the Parent Bank and its Subsidiary have been aggregated on a line by line basis by adding together like sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit / loss and making

वहाँ एक समान लेखाकरण नीतियों के अनुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं। अनुषंगियों के वित्तीय विवरणी को मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख पर तैयार किया जाता है।

समेकन तिथि को सहयोगी संस्थाओं में लंबी अवधि के निवेशों का मूल्यांकन ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत किया जाता है और सहयोगी संस्थाओं की निवल आस्तियों में मूल बैंक (निवेशक) के हिस्से में अभिग्रहणोत्तर परिवर्तन के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) 23 ''सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए समेकित वित्तीय विवरणी में लेखाकरण'' के अनुसार बाद में निवेश की रखाव रकम का समायोजन किया जाता है। सहयोगी संस्थाओं के परिचालनों की प्राप्तियों में निवेशक के हिस्से को लाभ एवं हानि के समेकित विवरणी में अलग रूप से दर्शाया गया है।

3. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर विदेशी मुद्रा राशि रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करते हुए अभिलेखित किया जाता है। प्रारंभिक निर्धारण हेतु निम्नलिखित विनिमय दरों का उपयोग किया जाता है:

ए) शाखाओं में (एफसीएनआर, ईईएफसी, आरएफसी) विदेशी मुद्रा देयता संबंधी लेन-देनों के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) प्रकाशित किया जाता है।

बी) शाखाओं में विदेशी मुद्रा संबंधी आस्तियों तथा 'ए' श्रेणी की प्राधिकृत शाखा (कोष व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग) में आस्तियों व देयताओं संबंधी लेन-देन के लिए संव्यवहार की तिथि में बाजार दर पर।

ii. सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनियम हाजिर/वायदा दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को, लाभ और हानि खातों में निर्धारित किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयाताओं को फेडाई के अंतिम हाजिर दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv. व्यापार हेतु बकाया विदेशी विनिमय हाजिर एवं वायदा का पुनर्मूल्यांकन ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों तथा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर किया जाता है। सीसीआईएल-शून्य कूपन प्रतिफल वक्र (जेडसीवाईसी) दरों के प्रयोग द्वारा बाजार भाव पर प्रदर्शित (एमटीएम) लाभ/हानि का वर्तमान मूल्य प्राप्त करने के लिए परिणामी बाजार भाव पर प्रदर्शित (एमटीएम) लाभ/हानि को बट्टाकृत किया जाता है और इसे लाभ/हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

necessary adjustments wherever practicable, to conform to the uniform accounting policies. The financial statements of the Subsidiary are drawn up to the same reporting date as that of the parent.

Long term investment in Associates, as on the date of consolidation, is valued under the Equity method and the carrying amount of the investment is adjusted thereafter for the post acquisition change in the parent's (Investor) share of net assets of the Associates in accordance with Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

The Investor's share of the results of operations of the Associates is reflected separately in the consolidated statement of Profit and Loss.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency. Following exchange rates are used for initial recognition:

a) For transactions involving foreign currency liabilities at branches (FCNR, EEFC, RFC) Weekly Average Rate (WAR) published by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

b) For transactions involving foreign currency assets at branches and assets and liabilities at 'A' designated branch (Treasury and International Banking Department) market rate on the date of transaction.

ii. All the foreign currency monetary assets and liabilities are reported at closing exchange spot/forward rates notified by the FEDAI at the end of each quarter and the resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss A/c.

iii. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rate.

iv. Outstanding foreign exchange spot and forward for trading are revalued at the exchange rates notified by the FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities". The resultant Marked to Market (MTM) gain/loss is discounted to arrive at present value MTM gain/loss by using CCIL-Zero Coupon Yield curve (ZCYC) rates and the same is recognized in Profit and Loss A/c.

v. गैर व्यापार वाले विदेशी विनिमय वायदा करारों के मामले में शुरुआत के प्रीमियम या छूट का परिशोधन करार की समयावधि पर व्यय अथवा आय के रूप में किया जाता है।

vi. मूल बैंक की एक शाखा लंदन में है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 11 (एएस-11) के अनुसार इसके परिचालन को "गैर समाकलित विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, दोनों तथा आकस्मिक देयताओं को, फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित अंतिम हाजिर दरों पर परिवर्तित किया गया है ।

बी) आय तथा व्यय का परिवर्तन प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर (क्यूएआर) पर किया गया है।

सी) लेखांकन मानक-11 (एएस-11) के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी शाखा के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में संचित किया गया है।

डी) शाखा की विदेशी मुद्रा वाली (शाखा की स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में लागू हाजिर दर का उपयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

4. निवेश

प्रतिभूतियों में लेन-देन को ''निपटान दिनांक'' पर अभिलेखित किया जाता है ।

i. वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल बैंक के निवेश संविभाग निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

ए) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) निवेशों को परिपक्वता तक धारण करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित निवेश वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

बी) "व्यापार के लिए धारित" (एचएफटी) निवेश को अल्पावधि कीमत/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इनको खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंतर्गत व्यापार किया जाना अपेक्षित है।

सी) "विक्रय के लिए उपलब्ध" (एएफएस) निवेश उपर्युक्त (ए) एवं (बी) दोनों में शामिल नहीं है अर्थात वे निवेश, जो "परिपक्वता तक धारित" या "व्यापार के लिए धारित" वर्ग में नहीं आते हैं।

v. In the case of foreign exchange forward contacts which are not intended for trading, premium or discount arising at the inception is amortised as expenses or income over the life of the contract.

vi. The Parent Bank has a branch at London and the operations of the same is classified as "Non-Integral Operations" in accordance with Accounting Standard 11(AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing spot rates notified by the FEDAI at end of each quarter.

b) Income and Expenditure are translated at Quarterly Average Rates (QAR) notified by the FEDAI at end of each quarter.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

d) The Assets and liabilities of the branch in foreign currency (other than local currency of the branch) are translated into local currency using applicable spot rate at the end of each quarter.

4. INVESTMENTS

The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

i. Classification

The Investment portfolio of the Parent Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

b) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

c) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन पत्र में निवेश को निम्नलिखित छह वर्ग में प्रकट किया जाता है:

(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

(iii) शेयर

(iv) डिबेंचर और बंध पत्र

(v) अनुषंगी और/या सहयोगी

(vi) अन्य

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) की इकाइयों में मूल बैंक के निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है तथा इनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है। वितरण की तिथि से तीन वर्षों के पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार इसे विक्रय के लिए उपलब्ध वर्ग में अंतरित किया जाता है (एएफएस) तथा इसे बाजार भाव पर निर्धारित कर दिया जाता है।

ii. निवेश का अधिग्रहण लागत

ए) निवेशों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसआईटी) को लागत से हटाकर एक बारगी व्यय के रूप में लिया जाता है।

बी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को लागत/बिक्री राशि से हटाकर ब्याज व्यय/आय माना जाता है।

सी) निवेशों की लागत को भारित औसत मूल्य पद्धति पर निर्धारित किया जाता है।

डी) अभिदान पर प्राप्त प्रोत्साहन रकम को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया जाता है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधी प्रदत्त ब्रोकरेज/कमीशन/स्टांप शुल्क की गणना राजस्व व्यय के रूप में की जाती है।

iii. मूल्यांकन पद्धति

ए) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा है तो, भारित औसत अर्जन लागत पर किया जाता है, उन मामलों में प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की शेष अवधि तक निरंतर प्राप्ति आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रीमियम का परिशोधन ''निवेश पर ब्याज'' शीर्ष के तहत आय में समायोजित किया जाता है।

बी) अस्थाई स्वभाव के अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों को छोड़कर अन्य अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में किये गए निवेशों का मूल्यनिर्धारण अभिग्रहण लागत से ह्रास को कम करके किया जाता है।

सी) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, अधिग्रहण मूल्य/बही मूल्य के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनः मूल्यांकन किया जाता है और इससे मूल्यह्रास के होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

In the balance sheet, the investments are disclosed as per the following six classifications in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India:

(i) Government Securities

(ii) Other Approved Securities

(iii) Shares

(iv) Debentures and Bonds

(v) Subsidiaries and / or Associates

(vi) Others

Parent Bank's investments in units of VCF's are classified under HTM category and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it is shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

ii. Acquisition Cost of Investment

a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

b) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

c) Cost of investments is determined at weighted average price method.

d) Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/Commission/ Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expense.

iii. Method of Valuation

a) Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity, on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries and joint ventures are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

c) Transfer of securities from HFT/AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/market value on the date of transfer whichever is lower .The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for acquisition price/book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

डी) एएफएस तथा एचएफटी के तहत धारित निवेशों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

ए) सरकार/अनुमोदित प्रतिभूतियाँ i) केंद्र सरकारी प्रतिभूतियाँ ii) राज्य सरकारी प्रतिभूतियाँ	फाइनेन्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) पर। एफबीआईएल/आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
बी) केंद्र/ राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के बाँड द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अग्रिम प्रकृति का नहीं)	एफबीआईएल/आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
सी) ईक्विटी शेयर	यदि उद्धृत हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतित तुलन पत्र के अनुसार शेयरों के अलग-अलग मूल्य पर (18 माह से अधिक पुराना नहीं), अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
डी) अधिमानी शेयर	यदि उद्धृत हो, तो बाजार मूल्य पर या आरबीआई/ एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल पर, जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
ई) बाँड एवं डिबेंचर (अग्रिम प्रवृत्ति की नहीं)	यदि उद्धृत हो, तो बाजार मूल्य पर या आरबीआई/ एफबीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित परिपक्वता प्रतिफल पर, जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
एफ) म्यूच्युअल फंड की यूनिट	उद्धृत होने पर, शेयर बाजार के भाव पर, उद्धृत न होने पर पुनःखरीद/निवल आस्ति मूल्य पर।
जी) जोखिम पूँजी	18 महीने से अनधिक लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विश्लेषित एनएवी। यदि 18 से अधिक महीने के निरंतर आधार पर एनएवी/लेखा परीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो ₹1 प्रति जोखिम पूँजी निधि की दर पर किया जाता है।
एच) प्रतिभूति रसीदें	आरबीआई/ सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) यदि आस्ति दिनांक 01/04/2017 के बाद बेची गई है, तो प्रतिभूति रसीद (एसआर) का प्रावधान निम्न से अधिक हो- ए) एसआर/ आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के अनुसार अपेक्षित प्रावधानिक दर और बी) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधानिक दर, यह मानते हुए कि ऋण अनुमानतः बैंक की बही में जारी है ।
आई) वाणिज्यिक पत्र/ सीओडी	लागत पर मूल्यांकित

d) Investments held under AFS and HFT are valued as under:

a) Government/ Approved Securities I. Central Govt. Securities II. State Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Financial Benchmarks Pvt. Ltd. (FBIL) On appropriate yield to maturity basis as per FBIL/RBI guidelines.
b) Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FBIL/RBI guidelines.
c) Equity Shares	At market price if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise at ₹1 per company.
d) Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FBIL guidelines.
e) Bonds & Debentures (Not in nature of advances)	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FBIL guidelines.
f) Units of Mutual Funds	As per stock exchange quotation, if quoted at repurchase price/ NAV, if unquoted.
g) Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹1/- per VCF.
h) Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines In case of assets sold after 01/04/2017 Provisioning of SR is higher of a) Provisioning rate required in terms of net asset value declared by the SR/RC and b) Provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the Parent Bank.
i) Commercial Paper/COD	Valued at cost

उपरोक्त मूल्यांकन ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों में तिमाही आधार पर खंडवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास संकलित किए गए हैं। प्रत्येक वर्गीकरण के लिए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई है, उपलब्ध कराया गया है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को छोड़ दिया गया है । मूल्यह्रास हेतु प्रावधान होने पर, वैयक्तिक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार भाव पर प्रदर्शित करने के पश्चात अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तन के माध्यम से, प्राप्त लिखत पर मूल्यह्रास, चाहे मानक या एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो, एएफएस श्रेणी के अन्तर्गत धारित किसी प्रतिभूति की मूल्यवृद्धि पर तुलन नहीं किया जाता है।

iv. देश में स्थित कार्यालयों के लिए आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों के अनुसार निवेशों को अर्जक एवं अनर्जक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। देश में स्थित कार्यालयों के निवेश निम्न परिस्थितियों में अनर्जक बन जाते हैं:

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता प्रतिलाभ सहित) 90 से अधिक दिनों तक बकाया हो और भुगतान न किए हों।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न होने के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन ₹1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है तो, ये इक्विटी शेयर एनपीआई माने जाऐंगे।
- यदि किसी संस्था द्वारा ली गई ऋण सुविधा मूल बैंक बहियों में एनपीए के तौर पर चिह्नित है तो उसी संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति के लिए निवेश एवं इसके विपरीत को भी एनपीआई समझा जाएगा। निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किए गए अधिमानी शेयरों पर यथोचित परिवर्तन सहित उपर्युक्त शर्तें लागू होंगी।
- अग्रिम प्रकृति वाले डिबेंचर/बांड में निवेश, इस हेतु लागू मानदंडों के साथ एनपीआई की शर्तों के अधीन भी है।
- अनर्जक प्रतिभूतियों के संदर्भ में आय का निर्धारण नहीं होता है तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन प्रतिभूतियों पर अवमूल्यन हेतु प्रावधान किए जाते हैं। अनर्जक निवेशों के लिए किया गया प्रावधान अन्य अर्जक आस्तियों के संदर्भ में अधिमूल्यन के लिए समंजित नहीं होता है।

v. प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के निर्गम पर प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में किए गए निवेश का निर्धारण-i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) अर्थात् वित्तीय आस्तियों के बही मूल्य में से धारित प्रावधान घटाना तथा ii) प्रतिभूति रसीद (एसआर) के निर्मोचन मूल्य से कम होता है। किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, संबंधित योजना के

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market. Depreciation on the instrument acquired by way of conversion, whether classified as standard or NPA, is not offset against the appreciation in any of other securities held under the AFS category.

iv. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in the case of domestic offices and respective regulators in the case of foreign offices. Investments of domestic offices become non-performing where:

- Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of non availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.
- If any credit facility availed by an entity as NPA in the books of the Parent Bank, investments in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. The above would apply mutatis-mutandis to Preference Shares where the fixed dividend is not paid.
- The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments
- In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation for such securities as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

v. In case of sale of NPA (financial asset) to securitisation Company (SC)/Asset. Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognised at lower of (i) Net Book Value (NBV) (i.e.).,book value less provisions held) of the financial asset: and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to Non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned

अंतर्गत एससी/एआरसी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीद लिखत में निर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति तक सीमित होने की स्थिति में ऐसे निवेशों के मूल्यांकन हेतु एससी/एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को गणना में लिया जाता है।

vi. निवेशों का निपटान

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि का निर्धारण लाभ एवं हानि खाते में संबंधित निवेशों के भारित औसत लागत/बहीमूल्य के आधार पर की जाती है और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्गीकरण में निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ के समान राशि का विनियोजन पूँजी आरक्षित निधि खाते में होता है।

बी) एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाता में निर्धारित किया गया है।

vii. विदेशी शाखा में अस्थिर/स्थिर दर नोट तथा ऋण संबद्ध नोट के निवेश की 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार भाव पर प्रदर्शित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि खाता में संबंधित प्रभार निर्धारित किए गए हैं।

viii. रेपो/प्रतिवर्ती रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियाँ संपार्श्विक उधार देने और लेने के संव्यवहारों के रूप में लेखांकित हैं। तथापि, प्रतिभूतियाँ सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद संव्यवहारों के मामलों के अनुरूप अंतरित की जाती है और प्रतिभूतियों के ऐसे चलन को रेपो/प्रतिवर्ती रेपो खातों और प्रतिप्रविष्टियों का उपयोग करते हुए परिलक्षित किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता के दिनांक पर प्रतिवर्तित की जाती हैं। लागतों और राजस्वों का लेखांकन, जो भी स्थिति है, उसके अनुसार ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते के शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिवर्ती रेपो खाते के शेष का वर्गीकरण बैंकों में नकदी शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय मुद्रा के रूप में किया गया है।

ix. विदेशी शाखा का निवेश

ए) विदेशी शाखा में अस्थिर/स्थिर दर नोट के निवेश को बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन अंकित मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है।

बी) खरीद के समय कोई प्रीमियम होने पर लिखत की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किए जाएंगे जबकि खरीद पर किसी भी प्रकार की छूट को छोड़ दिया जाता है।

सी) ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार भाव पर प्रदर्शित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य अंकित मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि लेखा में संबंधित प्रभार को निर्धारित किया जाता है।

to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC , is reckoned for valuation of such investments.

vi. Disposal of Investments

a) Profit/loss on sale of investments classified as HTM is recognised in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost /book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

b) Profit/Loss on sale of Investment in AFS/HFT ategory is recognised in Profit and Loss Account.

vii. Floating / Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available for Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

viii. The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

ix. Foreign Branch's Investment:

a) Floating and Fixed Rate Note investments at Foreign Branch are classified as Available for Sale category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower.

b) Premium at time of purchase if any shall be amortised over the residual period of the instrument while any discount on purchase is ignored.

c) These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit & Loss A/c.

5. व्युत्पन्न

i. मूल बैंक व्युत्पन्न संविदा जैसे विदेशी विनिमय वायदा संविदा, ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप और पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप, और वायदा दर करार में तुलन पत्र पर/तुलनपत्र से बाहर आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए या व्यापार उद्देश्य के लिए शुरुआत करता है। तुलन पत्र पर आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित संविदाएँ इस प्रकार से संरचित होती हैं कि उनका तुलन पत्र में निहित मदों पर विपरीत व प्रतितुलन प्रभाव पड़ता है।

ii. सभी वायदा संविदा को उद्योग में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार बाजार भाव पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

iii. मूल बैंक मुद्रा फ्युचर्स के रूप में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के सहयोग से व्युत्पन्न विनिमय व्यापार का काम कर रहा है। मुद्रा फ्युचर्स दैनिक आधार पर बाजार भाव पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

iv. व्युत्पन्न लेन-देन हेतु ऋण एक्सपोजर का परिकलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है, जिसकी निगरानी चालू ऋण एक्सपोजर पद्धति पर की जाती है।

v. अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देन को व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

6. अग्रिम

i. अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक आवश्यक हो, उसके अनुसार किया जाता है।

ii. मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

iii. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/बैंक/एफआई/एनबीएफसी को निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर यानि बही मूल्य से धारित प्रावधान को घटाकर, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में, कमी को लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाला जाता है तथा एनबीवी मूल्य से अधिक मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

7. परिसर, अन्य अचल आस्तियां एवं अवमूल्यन

i. परिसर एवं अन्य अचल संपत्तियों को परंपरागत लागत पर और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य से संचित ह्रास राशि को घटाकर निर्धारित किया जाता है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर तीन वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

5. DERIVATIVES

i. The Parent Bank enters into derivative contracts, such as Foreign Exchange Forward contracts, Interest Rate Swaps, Currency Swaps, and Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The Swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items.

ii. All Forward Contracts are marked to market as per the generally accepted accounting practices prevalent in the industry.

iii. Parent Bank is undertaking the Exchange Trade Derivatives in form of Currency Futures with recognized Stock Exchanges. Currency Futures are marked to market on daily basis.

iv. The credit exposures for derivative transactions are calculated in accordance with the guidelines issued by RBI monitored on Current Credit Exposure method.

v. The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

6. ADVANCES

i. Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

ii. Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

iii. In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e., Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year in which the amounts are received.

7. PREMISES, OTHER FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

i. Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every three years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

ii. परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है।

iii. आस्तियों के पुनर्मल्यांकन के मामले में अचल आस्तियों से संबंधित मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यांकित रकम के संदर्भ में की जाती है तथा यह लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त होनेवाले अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से निर्बंध आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

iv. मूल्यह्रास की दर प्रयोज्य काल और अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई हो, पर आधारित है और मूल्यह्रास की विधि में सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) को अपनाया गया है।

परिवर्धन सहित अन्य अचल आस्तियों पर सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित दरों से मूल्यह्रास पर लिए प्रावधान किया जाता है:

(ए) परिसर	दरें (एसएलएम)
i) बैंक स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्ववाले/पट्टे पर लिए गए) – भवन का प्रयोज्य काल 60 वर्ष है	1.58%
ii) <u>पट्टे पर लिए गए परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय</u> – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियां

क्रम सं.	आस्ति का स्वरूप	प्रयोज्य काल (वर्ष)	अवशिष्ट मूल्य	मूल्यह्रास दर (एसएलएम)
1.	फर्नीचर व फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण – कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर	10 वर्ष	5%	9.5%
2.	यूपीएस	6 वर्ष	5%	15.83%
3.	अन्य उपकरण	7 वर्ष	5%	13.57%
4.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5 वर्ष	0	20%
5.	**कंप्यूटर एवं एटीएम**			
5. (i)	सर्वर हार्डवेयर, नेटवर्क उपकरण तथा स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)	5 वर्ष	0	20%
5. (ii)	उपर्युक्त 5 (i) को छोड़कर अन्य कंप्यूटर	3 वर्ष	0	33.33%
6.	वाहन, मोटर कार, मोटर साइकिल आदि सहित	5 वर्ष	0	20%

ii. Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated.

iii. Depreciation in respect of fixed assets is calculated with reference to cost or revalued amount, in case of assets revalued and the same is charged to profit and loss account. In the case of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to free Reserve in the Balance Sheet.

iv. The rate of depreciation is based on the useful life and residual value, if any and the method of depreciation adopted is Straight Line Method (SLM).

Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of Straight Line Method at the following rates:

(A) PREMISES	Rates (SLM)
i) Bank owned (freehold / leasehold) – Useful life of Building is 60 Years	1.58 %
ii) <u>Capital Expenditure on premises taken on lease</u> – where lease period is not specified – where lease period is specified	10 % Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS

Sl. No.	Type of Asset	Useful Life (Yrs)	Residual Value	Depr Rate (SLM)
1.	Furniture & Fittings, Electrical Equipments – Other than Computers and ATMs	10 Yrs	5%	9.5%
2.	UPS	6 Yrs	5%	15.83%
3.	Other Equipments	7 Yrs	5%	13.57%
4.	Electronic Equipments	5 Yrs	0	20%
5.	**Computers and ATMs**			
5. (i)	Server Hardware, Network Equipments and Automated Teller Machines (ATMs)	5 Yrs	0	20%
5. (ii)	Computers other than mentioned at 5 (i) above	3 Yrs	0	33.33%
6.	Vehicles including Motor Car, Motor Cycle etc.	5 Yrs	0	20%

v. अचल आस्तियों में जोड़ी गई आस्तियों पर मूल्यह्रास इसमें जोड़ने की तिथि से आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

8. कर्मचारियों के लाभ

ए. कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ :

सेवा प्रदान किए जाने के 12 महीनों के भीतर पूर्ण रूप से देय कर्मचारी लाभ को कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इन्हें कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई संबंधित सेवा अवधि में निर्धारित किया जाता है।

बी. कर्मचारियों के दीर्घावधि लाभ :

i. भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी लाभ एक निर्धारित अंशदान योजना है और भविष्य निधि हेतु, विकल्प चुननेवाले कर्मचारियों के संबंध में जिस वर्ष में अंशदान देय हैं उस वर्ष में अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

ii. ए. जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना के लिए विकल्प चुना है उनके संबंध में पेंशन लाभ एक निर्धारित लाभ की बाध्यता है और उसे 31 मार्च, 2010 तक बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

बी. नई पेंशन योजना जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए लागू है। यह एक पूर्व निर्धारित दर युक्त निर्धारित अंशदान योजना है और बैंक की बाध्यता ऐसे अंशदान के लिए सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

iii. उपदान निधि देयता एक निर्धारित लाभ योजना है और उसे वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए वास्तविक मूल्यांकन पर दिया जाता है। उपदान देयता को बैंक के उपदान निधि न्यास में संचित किया जाता है।

iv. छुट्टी के नकदीकरण जैसी संचित और क्षतिपूरक अनुपस्थितियां वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है।

9. राजस्व / व्यय का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यत: उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन, गैर-बैंकिंग आस्तियों से आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी, अनर्जक आस्तियों से आय, एसडीआर / एस4ए खातों एवं दावा दायर खातों पर विधिक व्यय, जिनका हिसाब नकदी आधार पर किया जाता है।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्ति का अधिकार स्थापित किया जाता है।

v. Depreciation on any additions to fixed assets is provided on a pro rata basis from the date of such addition.

8. EMPLOYEE BENEFITS

a. Short Term Employee Benefits:

Employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service is classified as short term employee benefits and are recognized in the period in which the employee renders the related service.

b. Long term Employee Benefits:

i. Employee Benefits in the form of Provident Fund is a Defined Contribution Scheme and the contributions are charged to Profit & Loss Account in the year in which the contributions are due in respect of employees who have opted for Provident Fund.

ii. a. In respect of employees who have opted for Pension Scheme, Pension Benefit is a Defined Benefit Obligation and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year for the employees, who have joined the Bank up to 31st March, 2010. The Pension liability is funded by the Bank to the Pension Fund Trust of the Bank.

b. New Pension Scheme which is applicable to employees, who joined the Bank on or after 1st April, 2010 is a Defined Contribution Scheme at pre-determined rate and the obligation the Bank is limited to such contribution. The Contribution is charged to Profit & Loss Account.

iii. Gratuity liability is a Defined Benefit Plan and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year. The gratuity liability is funded to the Gratuity Fund Trust of the Bank.

iv. Accumulated Compensated absences such as Leave Encashment are provided for based on actuarial valuation

9. RECOGNITION OF REVENUE/EXPENSES

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees / commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills / tax refunds, income from non-performing assets, SDR/S4A accounts and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

सी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

डी) आयातित सोने के सिक्कों की परेषण-बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

ई) प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित व्युत्पन्न लेन-देन पर ब्याज आय तथा व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

एफ) परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे भुगतान का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी एएस-19 (पट्टे) के नियमानुसार पट्टे की अवधि पर लाभ एवं हानि लेखा में परिलक्षित होते हैं।

10. आय पर कर

i. चालू कर का निर्धारण, आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

ii. कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

11. देशीय जोखिम प्रबंधन

मूल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार देशीय जोखिम प्रबंधन नीति अपनायी है। निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) नगण्य, कम जोखिम, मध्यम कम जोखिम, मध्यम जोखिम, मध्यम उच्च जोखिम, उच्च जोखिम, अति उच्च जोखिम/ प्रतिबंधित तथा ऋणेतर नाम से सात देशीय जोखिम श्रेणियों का वर्गीकरण प्रकाशित करता है। देशीय निवेश जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है। प्रत्येक देश से संबंधित मूल बैंक का देशी निवेश (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक न होने पर ऐसे देशीय निवेश पर किसी प्रकार के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। देशीय जोखिम प्रावधानों (यदि आवश्यक हो, तो) को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ और प्रावधान'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

12. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

मूल बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से बढ़ते हुए ऋण जोखिम को रोकने के लिए एक नीति अपनायी है तथा उसे अनुमोदित किया है।

13. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र के दिनांक पर आस्तियों की वहन राशि का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि का निर्धारण उसी समय हो जाता है जब किसी आस्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

a) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item as per RBI guidelines.

b) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

c) The Interest Income and Expenditure on Derivatives Transactions entered for hedging is accounted on accrual basis.

d) Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS-19 (Leases) issued by ICAI.

10. TAXES ON INCOME

i. Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

ii. Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

11. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Parent Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines. Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) publishes the Seven Country Risk Category classification, namely, Insignificant, Low Risk, Moderate Low Risk, Moderate Risk, Moderately High Risk, High Risk, Very High Risk/Restricted & Off-Credit. Provision for country risk exposure is made as per extant RBI Guidelines. If the country exposure (net) of the Parent Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is required on such country exposures. The Country Risk Provision (if required) is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under "Other Liabilities and Provisions".

12. UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Parent Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

13. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

14. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात किया जाता है:

- आय कर और धन कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
- मानक आस्तियों पर प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
- आकस्मिकताओं को अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया ह्रासमानित संभाव्य इक्विटी शेयरों का उपयोग करते हुए की जाती है।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार मूल बैंक प्रावधान तभी निर्धारित करता है जब इसकी किसी गत घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान में कोई बाध्यता हो, यह संभव है कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े और तब बाध्यता राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब ही किया जाता है जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न हो। आकस्मिक आस्तियाँ वित्तीय विवरण में निर्धारित नहीं की जाती क्योंकि इससे कभी प्राप्त न की जा सकनेवाली आय का निर्धारण हो सकता है।

14. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision / Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation / depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

15. EARNING PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

16. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Parent Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची 18: वित्तीय वर्ष 2017-18 के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) में सिंडिकेटबैंक (मूल) और निम्नलिखित अनुषंगी एवं सहयोगी संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं।

ए) अनुषंगी:
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी संस्थाएं:
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं में निवेश के ब्यौरे:

अनुषंगी	स्वामित्व
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड	100%
सहायक संस्थाएं :	
प्रथमा बैंक	35%
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	35%
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	35%

2. **अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं का वित्तीय विवरण**

(ए) अनुषंगी/सहयोगियों की वित्तीय विवरण अनुषंगी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सहयोगियों की गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण मूल के रिपोर्टिंग तिथि भी उसी तारीख तक के लिए बनाई गई है जिस तारीख तक की मूल की है यानि 31 मार्च, 2018 तक.

(बी) मूल बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए अनुसरण और सहयोगी संस्थाएं अवलिखित मूल पद्धति के तहत मूल्यहास को उपलब्ध कराया है।

(सी) कर्मचारी के लाभ के संबंध में मूल बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली बीमांकित मूल्यहास के बदले सहयोगी संस्थाएं भारतीय जीवन बीमा निगम की किए गए अंशदान को लाभ/हानि लेखा में प्रभारित करता है।

(डी) एनपीए खाते में वसूली के विनियोजन के संबंध में मूल बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली वसूली में लागत, मूलधन और ब्याज की तुलना में सहयोगी संस्थाएं सर्व प्रथम लागत, ब्याज और मूलधन की वसूली को समायोजित करती है।

चालू वर्ष के लिए व्यावहारिकता/भौतिकत्व को विचार करते हुए समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी में उपर्युक्त नीतियों की भिन्नता के लिए उचित समायोजन नहीं किया गया है।

(ई) पूर्व वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सहायक संस्थाओं के राजस्व आरक्षित निधि के समेकन में परिवर्तन लेखापरीक्षित एवं बिना लेखापरीक्षित लाभ होने पर उसकी तुलनात्मक अंतर के कारण हुए परिवर्तन शामिल है।

3. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुषंगी के लेखे, कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित उपबंध के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के टिप्पणियों पर निर्भर है।

4. **पूँजी**

ए.बासेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**7.56**	7.50
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	**9.41**	9.26
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**2.83**	2.77
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर) (%)	**12.24**	12.03
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	**73.07**	72.92
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	**3,989.80**	776.00
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर। पूँजी, जिसमें;		
- पी.एन.सी.पी.एस.	**0.00**	0.00
- पी.डी.आई.	**0.00**	0.00
- अतिरिक्त टियर-1 बाँड	**450.00**	1,930.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें;		
- ऋण पूँजी लिखत	**500.00**	0.00
- अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	**0.00**	0.00

नोट: दि. 31-03-2018 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.67 प्रतिशत है जबकि दि. 31-03-2017 की स्थिति में यह 12.52 प्रतिशत था।

SCHEDULE – 18: CONSOLIDATED NOTES ON ACCOUNTS: 2017 – 2018

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprises the results of Syndicate Bank (parent) and the following Subsidiary and Associates.

a) Subsidiary:
Syndbank Services Limited

b) Associates:
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

Particulars of investments in Subsidiary and Associates

Subsidiary	Ownership
Syndbank Services Limited	100%
Associates :	
Prathama Bank	35%
Karnataka Vikas Grameena Bank	35%
Andhra Pragathi Grameena Bank	35%

2. **Financial Statements of the Subsidiary /Associates:**

a. The Audited financial statement of Subsidiary and unaudited financial statements of the Associates have been drawn up to the same reporting date as that of parent. i.e. March 31, 2018.

b. The Subsidiary & Associates have provided depreciation under Written-Down Value method as against Straight Line Method being followed by the Parent Bank for the financial year.

c. In respect of employee benefits, Associates are charging contributions made to LIC of India to Profit & Loss Account as against actuarial valuation followed by the Parent Bank.

d. In respect of appropriation of recoveries in NPA accounts, Associates adjust the recovery first towards cost, Interest and principal as against cost, principal and interest being followed by the Parent Bank.

Appropriate adjustments for the above differences in the policies have not been made in preparation of consolidated financial statements for the current year considering practicality/ materiality.

e. Change in Revenue reserve on consolidation of Associates includes changes due to variation in audited vis-à-vis unaudited profits if any, in respect of the previous financial year.

3. The accounts of the Subsidiary for the year ended March 31, 2018 are subject to the comments of the Comptroller and Auditor General of India under relevant provisions of the Companies Act, 2013.

4. **CAPITAL**

a. Capital Adequacy Ratio as per Basel III **(₹ in Crores)**

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	**7.56**	7.50
ii) Tier 1 Capital Ratio (%)	**9.41**	9.26
iii) Tier 2 Capital Ratio (%)	**2.83**	2.77
iv) Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**12.24**	12.03
v) Percentage of the shareholding of the Government of India **(%)**	**73.07**	72.92
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	**3,989.80**	776.00
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
- PNCPS	**0.00**	0.00
- PDI	**0.00**	0.00
- Additional Tier I Bonds	**450.00**	1,930.00
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
- Debt Capital Instrument	**500.00**	0.00
- Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0.00**	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Parent Bank as on 31-03-2018 as per Basel - II norms is 12.67% and as on 31-03-2017 it was 12.52%.

बी. वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने क्यूआईपी के जरिए से ₹1,150.80 करोड़ अर्जित किया है और विभिन्न संस्थानों को प्रति ₹10/- अंकित मूल्य के 13,67,55,924 ईक्विटी शेयरों को ₹74.15 प्रीमियम में, उच्चतम ₹84.15 अधिमानी आधार पर आबंटित किया है। इससे बैंक की शेयर पूँजी और शेयर प्रीमियम क्रमशः ₹136.75 करोड़ और ₹1,001.94 करोड़ (निर्गम व्यय को घटाकर)की वृद्धि हुई है।

सी. वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने भारत सरकार को, प्रति ₹10 अंकित मूल्य के 37,59,76,691 ईक्विटी शेयरों को ₹ 65.51 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया जिसकी कुल राशि ₹2,839 करोड़ है।

डी. वर्ष के दौरान बैंक ने 9.80% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ ₹450 करोड़ मूल्य के बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टाईर- I बाण्ड और 8% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ ₹ 500 करोड़ मूल्य के बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टाईर- II बाण्ड निष्पादित किया है।

ई. वर्ष के दौरान बैंक ने 9.90% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ ₹240 करोड़ मूल्य के बासेल III अननुपालक आईपीडीआई बाण्ड निष्पादित किया है।

5. निवेश

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 102/21.04.048/2017-18 , दिनांक अप्रैल 2, 2018 के जरिए बैंक को 31 दिसंबर, 2017 एवं 31 मार्च 2018 तिमाही के दौरान उपगत बाज़ारी हानी को एफएस एवं एचएफटी निवेश में परिवर्तित कर उस हानि को जिस तिमाही के दौरान हानि हुई है उस तिमाही से चार तिमाहियों में समान रूप से समायोजित करने का विकल्प प्रदान किया है।

तदनुसार, बैंक ने 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर क्रमशः ₹105.45 करोड़ और ₹53.08 करोड़ प्रभारित (वर्ष 2017-18 के लिए) किया है और शेष एमटीएम हानि को 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही और 31 मार्च, 2018 के दौरान अर्थात् वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः रुपए ₹105.45 करोड़ और ₹159.26 करोड़ समायोजित करने का निर्णय लिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**79,204.16**	64,766.42
(बी) भारत के बाहर	**2,373.40**	1,313.77
(ii) मूल्यह्रास और एनपीए के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**1,187.99***	614.79
(बी) भारत के बाहर	**35.36**	0.00
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**78,016.17**	64,151.63
(बी) भारत के बाहर	**2,338.04**	1,313.77
(2) निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
(i) **प्रारंभिक शेषराशि**	**614.79**	439.09
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**628.13**	262.06
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री के कारण अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**19.57**	86.36
(iv) **इतिशेष**	**1,223.35**	614.79

* मूल्यह्रास के संबंध में उपरोक्त प्रावधान आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी. 102/ 21.04.048/ 2017-18 , दिनांक अप्रैल 2, 2018 में कथित निर्देशों के अनुसार एमटीएम हानि को सरकारी प्रतिभूतियों पर चार तिमाहियों में समायोजित करने के बाद किया गया है।

5.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2018 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) चलनिधि समयोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	102.83 (208.00)	665.51 (1,250.08)	77.74 (511.01)	621.83 (0.00)
ii) सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ)	0.00 (936.00)	0.00 (1,560.00)	0.00 (1,248.00)	0.00 (0.00)
iii) मियादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	303.17 (208.00)	9,242.30 (6,448.00)	911.16 (3,328.00)	9,242.30 (0.00)
iv) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
v) सीआरओएमएस उधार	69.00 (987.59)	4,419.17 (987.59)	560.27 (987.59)	115.00 (0.00)

b. During the year, the Parent Bank has raised ₹1,150.80 Crores through QIP and allotted on preferential basis 13,67,55,924 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹74.15 aggregating ₹84.15 to various institutions. This has resulted in an increase of ₹136.75 crore in share capital and ₹1001.94 crore (net of issue expenses) in share premium.

c. During the year, the Parent Bank has allotted on preferential basis 37,59,76,691 equity shares of face value of ₹ 10 each at a premium of ₹ 65.51 aggregating ₹2,839 Crores to the Government of India.

d. During the year, the Parent Bank has raised Basel III Compliant Additional Tier I Bonds of ₹ 450 Crs carrying a coupon rate of 9.80% p.a and Basel III Compliant Tier II Bonds of ₹ 500 Crs at a coupon rate of 8% p.a.

e. During the year, the Parent Bank has exercised Call option for Basel III Non-compliant IPDI Bonds of ₹ 240 Crores carrying coupon rate of 9.90% p.a.

5. INVESTMENTS

RBI vide circular no.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 grants an option to spread mark to market loss on AFS and HFT investments for quarters ended December 31,2017 and March 31,2018, equally over four quarters commencing with the quarter in which loss is incurred.

Accordingly, the Parent Bank has charged on Government Securities ₹105.45 Crore related to quarter ended December 31, 2017 and ₹53.08 Crore related to quarter ended March 31, 2018 for the year 2017-18 and spread over the balance MTM losses on Government Securities to the tune of ₹105.45 Crore and ₹159.26 Crore for the quarters ended December 31, 2017 and to quarter March 31, 2018 respectively to the next financial year i.e. 2018-19.

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(1) ***Value of Investments***		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	**79,204.16**	64,766.42
(b) Outside India	**2,373.40**	1,313.77
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	**1,187.99***	614.79
(b) Outside India	**35.36**	0.00
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	**78,016.17**	64,151.63
(b) Outside India	**2,338.04**	1,313.77
(2) ***Movement of provisions held towards depreciation on Investments***		
(i) **Opening balance**	**614.79**	439.09
(ii) Add: Provisions made during the year	**628.13**	262.06
(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year on account of sale of investments	**19.57**	86.36
(iv) **Closing balance**	**1,223.35**	614.79

*The provision for Depreciation stated above is after Spread of the MTM losses on Government Securities over four quarters as permitted by RBI vide circular no.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018.

5.1 Repo Transactions (in face value terms)

(₹ in Crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2018
Securities sold under Repo				
i) Government Securities for LAF Repo	102.83 (208.00)	665.51 (1,250.08)	77.74 (511.01)	621.83 (0.00)
ii) MSF	0.00 (936.00)	0.00 (1,560.00)	0.00 (1,248.00)	0.00 (0.00)
iii) Government Securities for Term Repo	303.17 (208.00)	9,242.30 (6,448.00)	911.16 (3,328.00)	9,242.30 (0.00)
iv) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
v) CROMS Borrowing	69.00 (987.59)	4,419.17 (987.59)	560.27 (987.59)	115.00 (0.00)

रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2018 को इतिशेष
i) चलनिधि समयोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रति भूतियाँ	89.07 (67.60)	9,088.64 (4,004.00)	678.48 (633.55)	5,524.58 (1,144.00)
ii) मियादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	289.14 (10.40)	18,717.67 (18,978.96)	5,430.46 (4,252.53)	0.00 (3,120.00)
iii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
iv) सीआरओएमएस उधार	9.44 (97.55)	3,679.99 (9,496.95)	742.94 (2,964.29)	0.00 (3,006.97)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि सीआरओएमएस उधार को छोड़कर उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

5.2 **गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग**

(i) दि. 31-03-2018 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	''निम्न निवेश श्रेणी'' प्रतिभूतियों की मात्रा	''अनिर्धारित'' प्रतिभूतियों की मात्रा	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	1,432.33 (1,875.35)	1,258.01 (930.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,783.88 (1,317.33)	752.96 (726.32)	0.25 (38.69)	0.25 (0.39)	0.25 (0.39)
(iii)	बैंक	2,223.29 (1,332.64)	184.52 (243.51)	187.57 (642.91)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी नैगम	2,831.15 (2,779.91)	2,137.81 (2,076.27)	346.72 (207.36)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	अन्य*	2,930.45 (102.39)	2,868.49 (35.00)	61.96 (67.38)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	1,064.82 (614.79)	***	***	***	***
	कुल	**10,162.80** (6,819.35)	**7,228.31** (4,037.62)	**596.50** (956.34)	**0.27** (0.41)	**0.27** (0.41)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

*अन्य में भारत सरकार से प्राप्त ₹2,839 करोड़ के पुनः पूंजीकरण बांड शामिल हैं। "भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह वैयक्तिक आधार पर जारी किए जाने वाले बांड होने के कारण इसे निजी स्थानन पर रखा गया है।"

नोट:

1. कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।
2. ईक्विटी, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, उद्यम पूँजी, दरांकित आस्ति द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ और प्रतिभूति रसीद इन श्रेणियों के अंतर्गत पृथक नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें दरांकित/सूचीकृत दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त है। पुन:संरचना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियाँ दरांकन के पात्र नहीं हैं।

(ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018			31-03-2017		
	देशी	लंदन *	कुल	देशी	लंदन *	कुल
प्रारंभिक शेष	570.58	0.00	570.58	389.21	0.00	389.21
वर्ष के दौरान परिवर्धन 1 अप्रैल से	951.37	0.00	951.37	268.78	0.00	268.78
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी (यूपीपीसीएल)	138.48	0.00	138.48	87.41	0.00	87.41
इतिशेष	1,383.47	0.00	1,383.47	570.58	0.00	570.58
रखे गए कुल प्रावधान	889.19	0.00	889.19	370.55	0.00	370.55

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण मुद्रा दरों/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2018
Securities purchased under Reverse Repo				
i) Government Securities for LAF Reverse Repo	89.07 (67.60)	9,088.64 (4,004.00)	678.48 (633.55)	5,524.58 (1,144.00)
ii) Government Securities for Term Reverse Repo	289.14 (10.40)	18,717.67 (18,978.96)	5,430.46 (4,252.53)	0.00 (3,120.00)
iii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
iv) CROMS Lending	9.44 (97.55)	3,679.99 (9,496.95)	742.94 (2,964.29)	0.00 (3,006.97)

(Figures in brackets are previous year figure.)

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing / lending the value of the securities pledged / received will be 104% of the amount borrowed / lent excluding CROMS Lending / Borrowings.

5.2 Non-SLR Investment Portfolio

(i) *Issuer composition of Non SLR investments as on 31-03-2018.*

(₹ in Crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	1,432.33 (1,875.35)	1,258.01 (930.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Financial Institutions (including NBFCs)	1,783.88 (1,317.33)	752.96 (726.32)	0.25 (38.69)	0.25 (0.39)	0.25 (0.39)
(iii)	Banks	2,223.29 (1,332.64)	184.52 (243.51)	187.57 (642.91)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Private Corporate	2,831.15 (2,779.91)	2,137.81 (2,076.27)	346.72 (207.36)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	Others*	2,930.45 (102.39)	2,868.49 (35.00)	61.96 (67.38)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	Provision held towards depreciation	1,064.82 (614.79)	***	***	***	***
	TOTAL	**10,162.80** (6,819.35)	**7,228.31** (4,037.62)	**596.50** (956.34)	**0.27** (0.41)	**0.27** (0.41)

(Figures in brackets are previous year figure.)

*Others include Recapitalisation bonds (NON-SLR HTM Category) received from Govt of India amounting to ₹2,839 Cr. "As per Government Notification it appears it is on one to one basis hence included in private placement."

Note:

1. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.
2. Investment in Equities, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets backed Securities, Central Government Securities, and Security Receipts are not segregated under these categories as they are exempt from ratings / listing guidelines. Securities issued under restructuring are not subjected to ratings.

(ii) *Non performing Non-SLR Investments* **(₹ in Crores)**

Particulars	31-03-2018			31-03-2017		
	Domestic	London*	Total	Domestic	London*	Total
Opening balance	**570.58**	**0.00**	**570.58**	389.21	0.00	389.21
Additions during the year since 1st April	**951.37**	**0.00**	**951.37**	268.78	0.00	268.78
Reduction during the above period (UPPCL)	**138.48**	**0.00**	**138.48**	87.41	0.00	87.41
Closing balance	**1,383.47**	**0.00**	**1,383.47**	570.58	0.00	570.58
Total provisions held	**889.19**	**0.00**	**889.19**	370.55	0.00	370.55

Note: *Appreciation / Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates / INR rates.

(iii) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।

(iv) एसजीएल उछाल

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एस.जी.एल. का कोई उछाल नहीं था।

5.3 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹94,64,79,349.50 (पिछली वर्ष ₹196,49,66,264) को लाभ एवं हानि लेखा में लिया गया और तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में (कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण को घटाकर) विनियोजन किया गया है।

5.4 एच.टी.एम. वर्ग की प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹272,09,55,070 (पिछले वर्ष ₹130,33,21,707) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और वह भा.रि.बैं.के मास्टर परिपत्र के अनुसार अर्जित ब्याज: मद सं II – निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

6. व्युत्पन्न

6. ए वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ पारस्परिक मुद्रा की अदला-बदली

- **वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली**

  वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2014-15 के दौरान बैंक ने यूएसडी 1400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एमटीएन फंड को 3 हिस्से में संचयी करके 5 ½ वर्ष के लिए बढ़ाया है। बैंक ने 1265 मिलियन डॉलर (यूएसडी) के लिए मध्यम अवधि नोटों पर लागू स्थाई ब्याज दर को लिबॉर से जुड़ी अस्थाई दर में परिवर्तित करने के लिए 'ब्याज दर स्वैप सुविधा' अपनाया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31-03-2018	31-03-2017
i)	अदला-बदली करार का नामित मूल-धन	**5,865.75**	6,614.70
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	**0.04**	120.93
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**-30.57**	58.67

नोट: किये गए सभी वायदा करार दर और ब्याज दर अदला-बदली प्रतिपक्षी बैंकों के परिप्रेक्ष में है ताकि तुलनपत्र के अंतर की प्रतिरक्षा की जा सके।

- **मुद्रा अदला-बदली**

  ‍मुद्रा अदला-बदली‍ सुविधा व्यापारियों को दी जाती है और यह अंतर-बैंक प्रतिक्षाकार के साथ परस्पर आधार पर संरक्षित की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31-03-2018	31-03-2017
i)	अदला-बदली करार का नामित मूल-धन	**654.25**	654.25
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**7.67**	29.49
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**1.72**	2.08

(1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वर्तमान ऋण निवेश (संभाव्य भावी निवेश) और प्रतिस्थापन जोखिम (सकारात्मक एमटीएम) भी शामिल हैं ।

(2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला-बदली पर एमटीएम प्राप्य और देय को घटाकर है।

(3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को बैंक द्वारा अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैंक-टु-बैंक आधार पर कवर किया गया है ।

(4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन प्रतिपक्षकारों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

(5) व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2017-18 में प्रस्तुत हैं ।

(iii) *Sale and transfers to / from HTM category*

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

(iv) *SGL Bouncing*

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2017-18.

5.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 94,64,79,349.50 (Previous Year ₹196,49,66,264) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account.

5.4 The amortization charges of ₹272,09,55,070 (Previous Year ₹130,33,21,707) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

6. DERIVATIVES

6.A Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap / Cross Currency Swaps

- **Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps**

  During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, Parent Bank had raised Fixed Interest rate MTN funds in 3 tranches cumulating to USD 1400.00 Mio for 5 ½ Years. Parent Bank had entered into Interest Rate Swaps for USD 1265 Mio for converting the Fixed Interest Rates on Medium Term notes with the floating rates linked to Libor.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Items	31-03-2018	31-03-2017
i)	The notional principal of swap agreements	**5,865.75**	6,614.70
ii)	Losses which would be incurred if the counter parties fail to fulfil their obligations under the agreements	**0.04**	120.93
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**-30.57**	58.67

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against counterparty Banks to hedge Balance Sheet gaps.

- **Currency Swaps**

  Currency Swaps was offered to Merchant and covered on Back-to-Back basis with Interbank Counterparty.

(₹ in Crores)

Sl. No.	Items	31-03-2018	31-03-2017
i)	The notional principal of the swap agreements	**654.25**	654.25
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**7.67**	29.49
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**1.72**	2.08

(1) Losses have been defined as Total Credit Exposure which is inclusive of Current Credit Exposure (Potential Future Exposure) and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net of MTM receivable and Payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing assets and Liabilities mismatches. Currency Swap has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered back-to back with identical terms.

(4) These Derivatives transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 –Significant Accounting Policies 2017-18.

6. बी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्यूत्पन्न

मुद्रा वायदा:

बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है, बीएसई, एनएसई एवं एमसीएक्स। दि. 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया संविदा नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न 'शून्य' है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की नामित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की नामित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-दर-बाजार मूल्य जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	

6. सी व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

- ✓ व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- ✓ बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर प्रतिपक्षकारों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- ✓ पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01 - सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- ✓ वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।
- ✓ मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को परस्पर मुद्रा अदला-बदली में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- ✓ परस्पर मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसें जोखिम स्थिति के बगैर संरक्षित किया जाता है।
- ✓ केवल गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- ✓ बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- ✓ बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रणाली है ।
- ✓ व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ✓ ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सीसीआईएल/सीएलएस के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- ✓ प्रतिपक्षकारों, बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- ✓ बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत न ही कोई निवेश है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- ✓ बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है ।
- ✓ ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है ।
- ✓ भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- ✓ मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से निगरानी एवं आकलन करता है।
- ✓ संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- ✓ प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- ✓ लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया है।

6.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Parent Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges namely BSE, NSE & MCX. There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31-03-2018.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Parent Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in Crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	**NIL**
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2018 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

6.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) Qualitative Disclosure

- ✓ The Parent Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- ✓ The Parent Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Parent Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on two Exchanges.
- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- ✓ During the year Parent Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The Parent Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Parent Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- ✓ The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Bank is neither having any exposure in complex derivatives nor it has any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Parent Bank has neither crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.

- ✓ बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- ✓ प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है। फिर भी, अवधि के दौरान कोई प्रतिरक्षा लेनदेन असुरक्षित नहीं हुआ है।
- ✓ विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को मासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- ✓ मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- ✓ 95.26% व्युत्पन्न, उस अल्प अवधि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनकी शेष परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम है।

बी) दि. 31.03.2018 को मात्रात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31-03-2018		31-03-2017	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	**व्युत्पन्न (नामित मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	654.25	5,865.75	654.25	6,614.70
	बी) व्यापार के लिए	--	--	--	--
2	**बाजार स्थितियों को अंकित**				
	ए) आस्तियाँ (+)	7.67	0.04	9.87	58.67
	बी) देयताएँ (-)	5.95	30.60	7.79	0.00
3	**ऋण विनिवेश**	14.21	42.40	29.49	120.93
4	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवीओ 01)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	-0.04	-38.24	-0.02	43.13
	बी) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवीओ 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं
	अधिकतम	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं

6. डी ऋण चूक अदला बदली

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण चूक अदला बदली में व्यापार नहीं किया है।

6. ई आरबीआई में साथ एफसीएनआर बी डिपाजिट की अदला-बदली

वर्ष 2013 में आरबीआई से 3 वर्ष की अवधि के लिए नई एफसीएनआर बी जमा के लिए स्वीकृत मुद्रा में 3 या उससे अधिक वर्षों की अवधि के लिए, एक न्यूएस डॉलर रियायती अदला-बदली खिडकीड्ढ उपलब्ध कराया है। दि.31.03.2018 की स्थिति के अनुसार यह शून्य है।

7. आस्ति गुणवत्ता

ए) अनर्जक आस्ति (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(i) **निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)**	6.28%	5.21%
(ii) **(सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन**		
ए. प्रारंभिक शेष राशि	17,609.31	13,832.16
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	14,309.28	8,137.95
सी. वर्ष के दौरान कटौती	6,159.99	4,360.80
डी. इतिशेष	25,758.60	17,609.31
(iii) **निवल अनर्जक आस्तियों का संचलन**		
ए. प्रारंभिक शेषराशि	10,410.98	9,014.87
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,433.23	4,522.41
सी. वर्ष के दौरान कटौती	3,604.75	3,126.30
डी. इतिशेष	13,239.46	10,410.98
(iv) **अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)**		
ए. प्रारंभिक शेषराशि	7,049.74	4,670.44
बी. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7,876.05	3,615.54
सी. अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	2,584.49	1,236.24
डी. इतिशेष	12,341.30	7,049.74
ई. प्रावधान शामिल अनुपात (%)	**60.71%**	**56.37%**

- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses. However during the period no Hedge Transaction turned naked.
- ✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at monthly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- ✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- ✓ 95.26% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

b) Quantitative Disclosure as on 31.03.2018

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	31-03-2018		31-03-2017	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging	**654.25**	**5,865.75**	654.25	6,614.70
	b) For Trading	--	--	--	--
2	**Marked To Market Positions**				
	a) Asset (+)	**7.67**	**0.04**	9.87	58.67
	b) Liability (-)	**5.95**	**30.60**	7.79	0.00
3	**Credit Exposure**	**14.21**	**42.40**	29.49	120.93
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	**-0.04**	**-38.24**	-0.02	43.13
	b) On Trading Derivatives	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	**NA**	**NA**	NA	NA
	Maximum	**NA**	**NA**	NA	NA

6.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Parent Bank has not traded in Credit Default Swaps.

6.E FCNR B Deposit Swap with RBI

In 2013, RBI introduced a US Dollar concessional Swap window for Fresh FCNR B Deposit for the period of 3 years in any permissible currency for the minimum tenor of 3 years or more. As on 31.03.2018 it is NIL.

7. ASSET QUALITY

a. Non-Performing Assets

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**6.28%**	5.21%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**17,609.31**	13,832.16
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**14,309.28**	8,137.95
c. Reductions during the year	**6,159.99**	4,360.80
d. Closing balance	**25,758.60**	17,609.31
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**10,410.98**	9,014.87
b. Additions during the year	**6,433.23**	4,522.41
c. Reductions during the year	**3,604.75**	3,126.30
d. Closing balance	**13,239.46**	10,410.98
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**7,049.74**	4,670.44
b. Provisions made during the year	**7,876.05**	3,615.54
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**2,584.49**	1,236.24
d. Closing balance	**12,341.30**	7,049.74
e. Provision Coverage Ratio (%)	**60.71%**	56.37%

बी. आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान – (संदर्भ डी.बी.आर. बीपी. बीसी. सं. 63/21.04.018/2016-17, दि. 18 अप्रैल 2017)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17
1.	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति में सकल एनपीए, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	17,609.31
2.	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति में सकल एनपीए, आरबीआई द्वारा कृत मूल्यांकन के अनुसार	19,946.01
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	2,336.70
4.	31मार्च, 2017 तक की स्थिति में निवल एनपीए, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	10,410.98
5.	31मार्च, 2017 तक की स्थिति में निवल एनपीए, आरबीआई द्वारा कृत मूल्यांकन के अनुसार	12,135.18
6.	सकल एनपीए में विचलन (5-4)	1,724.20
7.	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति में एनपीए के लिए प्रावधान, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	7,049.74
8.	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति में एनपीए के लिए प्रावधान, आरबीआई द्वारा कृत मूल्यांकन के अनुसार	7,662.24
9.	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7)	612.50
10.	रिपोर्ट की अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का कर पश्चात् निवल लाभ (पीएटी)	358.95
11.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समायोजित कर पश्चात् निवल लाभ (पीएटी), प्रावधानीकरण में पाए गए विचलन को जोड़ने के बाद (10-9)	-253.55

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी दल ने निवेश में हुए ₹1012.00 करोड़ के विचलन (दि.31.03.2017 के अनुसार) और प्रावधान में हुए ₹254.60 करोड़ की कमी का आकलन किया। बैंक ने उपरोक्त को एनपीए /एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया।

नोट: उपरोक्त राशि में राज्य सरकार के डिस्कॉम में और उदय योजना के अंतर्गत जारी गारंटी में कृत निवेश शामिल है। हालांकि इनकी नियमित चुकौती की जा रही है और दि.31.03.2018 तक इसके अंतर्गत कोई राशि अतिदेय नहीं है।

b. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs – (ref DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017)

(₹ in Crores)

Sr.	Particulars	FY 2016-17
1.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Parent Bank	17,609.31
2.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	19,946.01
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	2,336.70
4.	Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Parent Bank	10,410.98
5.	Net NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	12,135.18
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	1,724.20
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Parent Bank	7,049.74
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	7,662.24
9.	Divergence in provisioning (8-7)	612.50
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	358.95
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning (10-9)	-253.55

Further, the supervisory team of RBI had assessed divergence in investment of ₹ 1012.00 crore (as on 31.03.2017) and short provisioning of ₹ 254.60 crore and the Parent Bank has classified the above as NPA/NPI.

Note: The above amount includes investments made in DISCOMs with State Government Guarantee, considered under UDAY scheme, but are serviced regularly and there are no overdues as on 31.03.2018.

सी/C) वर्ष 2017 – 18 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2017 – 18 (₹ करोड़ में/₹ in Crores)

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण/ DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2018

क्र.सं S.No	पुनर्संरचना का प्रकार /TYPE OF RESTRUCTURING		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत /UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत /UNDER SME					अन्य /OTHERS					कुल /TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण/ASSET CLASSIFICATION		मानक/STD	अव-मानक SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/LOSS	कुल/ TOTAL	मानक STD	अव-मानकSUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव- मानक/ SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/LOSS	कुल/ TOTAL	मानक/ STD	अव- मानक/ SUB STD	संदिग्ध आस्ति DA	हानि/LOSS	कुल/ TOTAL
1	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)/Restructured accounts as on April 1 of the FY(Opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	7	2	14	0	23	86	147	1273	1	1507	53888	17378	36861	0	108127	53981	17527	38148	1	109657
		बकाया राशि AMT O/S	656.37	196.86	988.41	0.00	1841.64	50.21	19.23	125.90	0.93	196.27	3585.60	524.88	1104.19	0.00	5214.67	4292.18	740.97	2218.50	0.93	7252.58
		प्रावधान PROVISION	7.29	6.58	18.96	0.00	32.83	0.48	0.38	3.17	0.00	4.03	230.65	18.04	27.76	0.00	276.45	238.42	25.00	49.89	0.00	313.31
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7	364	16225	1592	0	18181	364	16231	1593	0	18188
		बकाया राशि AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.99	0.00	2.64	16.27	571.00	60.49	0.00	647.76	16.27	571.65	62.48	0.00	650.40
		प्रावधान PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.09	0.00	0.12	0.81	28.39	2.09	0.00	31.29	0.81	28.42	2.18	0.00	31.41
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत /Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	1	-1	0	0	0	9	-9	0	0	0	48	-47	-1	0	0	58.00	-57.00	-1	0	0
		बकाया राशि AMT O/S	17.68	-17.68	0.00	0.00	0.00	3.42	-3.42	0.00	0.00	0.00	5.41	-1.04	-4.37	0.00	0.00	26.51	-22.14	-4.37	0.00	0.00
		प्रावधान PROVISION	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.12	-0.12	0.00	0.00	0.00
4	**वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए Restructured standard** advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as retructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या/NO OF BORROWER	2				**2**	42				**42**	4786				**4786**	4830	0	0	0	**4830**
		बकाया राशि **AMT O/S**	30.59				**30.59**	13.51				**13.51**	306.07				**306.07**	350.17	0.00	0.00	0.00	**350.17**
		प्रावधान **PROVISION**	0.43				**0.43**	0.15				**0.15**	9.18				**9.18**	9.76	0.00	0.00	0.00	**9.76**
5	**वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट Downgradations of restructured accounts during the FY**	उधारकर्ताओं की संख्या/**NO OF BORROWER**	-4	0	4	0	**0**	-13	67	76	0.00	**130**	-18270	25407	6099	34	**13270**	-18287	25474	6179	34	**13400**
		बकाया राशि **AMT O/S**	-435	0.00	435	0.00	**0.00**	-21	13	8	0.00	**-1**	-825	888	346	3	**411**	-1281	900	789	3	**410**
		प्रावधान **PROVISION**	-2.13	0.00	2.13	0.00	**0.00**	-0.18	0.05	0.18	0.00	**0.05**	-36.70	39.09	9.80	0.00	**12**	-39.01	39.14	12.11	0.00	**12.24**
6	**वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख न/Written off restructured accounts during the FY**	उधारकर्ताओं की संख्या/**NO OF BORROWER**	1	1	5	0	**7**	-11	135	519	-6	**637**	-9517	29354	-5214	-77	**14546**	-9527	29490	-4690	-83	**15190**
		बकाया राशि **AMT O/S**	190.67	179.18	425.79	0.00	**795.64**	11.65	17.50	42.37	-1.61	**69.91**	580.33	954.92	-285.97	-1.50	**1248**	782.65	1151.60	182.19	-3.11	**2113.33**
		प्रावधान **PROVISION**	4.30	6.55	15.51	0.00	**26.36**	-0.07	0.42	8.00	0.00	**8.35**	43.28	39.38	-7.21	0.00	**75**	47.51	46.35	16.30	0.00	**110.16**
7	**31.03.2018 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2018 (Closing figures)***	उधारकर्ताओं की संख्या/**NO OF BORROWER**	1	0	13	0	**14**	51	76	831	7	**965**	40761	29609	49765	111	**120246**	40813	29685	50609	118	**121225**
		बकाया राशि **AMT O/S**	17.68	0.00	997.73	0.00	**1015.41**	7.07	11.88	93.27	2.54	**114.76**	1895.95	1027.45	1792.37	4.02	**4719.79**	1920.70	1039.33	2883.37	6.56	**5849.96**
		प्रावधान **PROVISION**	0.46	0.00	5.58	0.00	**6.04**	0.26	0.00	0.30	0.00	**0.56**	142.35	46.09	46.86	0.00	**235.30**	143.07	46.09	52.74	0.00	**241.90**

1. इतिशेष = प्रारंभिक शेष + नया + स्तरोन्नत – अपवर्जित + गिरावट – बट्टे खाते डाले गये, बंद किया गया आदि अर्थात् 7 =1+2+3-4+5-6.
1. Closing Balance = Opening Bal+Fresh+Upgradations - Excluded+Slippages - Write off, closed etc. i.e. 7 =1+2+3-4+5-6.
2. अपवर्जित खातों से उत्पन्न फिसलन के कारण संदिग्ध एवं हानि आस्तियों में हुई बढ़ोत्तरी हुई है।
2. Increase in Doubtful and Loss assets is due to slippages from Excluded accounts.

डी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i)	खातों की संख्या	**2**	5
(ii)	प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**38.49**	94.11
(iii)	कुल प्रतिफल	**143.50**	225.42
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	**0.00**	0.00
(v)	निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	**105.01**	131.31
(vi)	अनर्जक आस्ति की बिक्री पर लाभ-हानि खाते को प्रतिवर्तित की गई अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा	**1.19**	0.31

ई) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी)/पुन:निर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(i)	मौलिक रूप में बैंक द्वारा भेजी गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	**1,124.50**	1,148.94
(ii)	मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्ति द्वारा समर्थित	**0.00**	0.00
कुल		**1,124.50**	1,148.94

प्रतिभूति रसीदों में निवेश संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्ष के दौरान जारी एसआर	5 वर्ष से अधिक पहले किंतु पिछले 8 वर्ष के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से अधिक पहले जारी एसआर
(i)	मौलिक रूप में बैंक द्वारा भेजी गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	1,106.77	0.00	17.73
	उपरोक्त (i) के सापेक्ष धारित प्रावधान	49.28	0.00	17.73
(ii)	मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्ति द्वारा समर्थित	0.00	0.00	0.00
	उपरोक्त (ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
कुल (i) + (ii)		**1,106.77**	**0.00**	**17.73**

एफ) दि.31.03.2018 के अनुसार नीतिगत ऋण पुन:संरचना योजना संबंधी प्रकटीकरण (वे खाते जो फिलहाल निष्क्रिय अवधि के अधीन है।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर लागू किया गया है	रिपोर्टिंग तिथि यथा 31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		रिपोर्टिंग तिथि यथा 31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन शेष है।		रिपोर्टिंग तिथि यथा 31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन हो गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	शून्य	-	-	-

नोट: दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु तैयार संशोधित ढ़ाचें के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एसडीआर योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अत: पूर्व इस योजना के अंतर्गत दर्शाए सभी खातों को, जो वर्तमान में क्रियान्वयन में है, असफल मामले माना गया और इन्हें एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

d. *Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction*

(₹ in Crores)

	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i)	No. of accounts	**2**	5
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company/ Reconstruction Company	**38.49**	94.11
(iii)	Aggregate consideration	**143.50**	225.42
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	**0.00**	0.00
(v)	Aggregate gain / loss over net book value.	**105.01**	131.31
(vi)	The quantum of excess provision reversed to the Profit & Loss A/c on account of sale of NPAs	**1.19**	0.31

e. *Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company (SCs)/Reconstruction Company (RCs)*

(₹ in Crores)

	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	**1,124.50**	1,148.94
(ii)	Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying	**0.00**	0.00
	TOTAL	**1,124.50**	**1,148.94**

Additional Disclosures pertains to the Investment in Security Receipts:

(₹ in Crores)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 year ago
(i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	1,106.77	0.00	17.73
	Provisions held against (i)	49.28	0.00	17.73
(ii)	Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/ non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provisions held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (i) + (ii)	**1,106.77**	**0.00**	**17.73**

f. Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme as on 31.03.2018 (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in Crores)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2018		Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2018 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date i.e. 31.03.2018 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
-	-	-	NIL	-	-	-

Note: As per RBI Circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the SDR scheme has been discontinued with immediate effect. Therefore all accounts under this scheme which are under implementation have been treated as failed cases and classified as NPA.

जी) दि.31-03-2018 तक की स्थिति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों की दीर्घकालिक संरचना योजना (एस4ए) संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए का अनुप्रयोग किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान (नोट 2 देखें)
		भाग ए	भाग बी	
मानक के रूप में वर्गीकृत				
2 (नोट 1 का संदर्भ लें)	253.44	121.53	131.91	71.49
एनपीए के रूप में वर्गीकृत				
1	44.10	25.95	18.15	10.96

नोट 1: उपरोक्त दोनों खातों में एक खाते के भाग ए को जिसका मूल्य ₹ 40.56 करोड़ है, मानक हैं और भाग बी जिसका मूल्य ₹ 38.71 करोड़ है, को एनपीए माना गया। भाग बी में मौजूद बकाया राशि को मानक खाते के अंतर्गत जोड़ा गया है।

नोट 2: धारित प्रावधान में निवेश के संबंध में (अर्थात् भाग बी) मौजूदा प्रावधान भी शामिल है।

नोट 3: दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु तैयार संशोधित ढ़ाचें के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एसडीआर योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अतः पूर्व इस योजना के अंतर्गत दर्शाए सभी खातों को, जो वर्तमान में क्रियान्वयन में है, 'असफल मामले' माना गया है।

एच) मौजूदा ऋणों की सुविधानुसार संरचना संबंधी प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

अवधि	सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए उधार कर्ताओं की संख्या	सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए ऋणों की राशि		सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए ऋणों की एक्सपोजर आधारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने से पहले	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने के बाद
वित्तीय वर्ष 2016-17	03	195.04	0.00	14.67 वर्ष	15.82 वर्ष
वित्तीय वर्ष 2017-18	01	0.00	146.25*	14.00 वर्ष	14.10 वर्ष

* 31.03.2018 तक मौजूद बकाया शेष दर्शाए गए हैं।

आई) एसडीआर योजना से पृथक स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है।)

खातों की संख्या, जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू किया है	31.03.2018 के अनुसार बकाया राशि		31.03.2018 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी के रूप में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना शेष है।		31.03.2018 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी को लागू किया गया है।		31.03.2018 के अनुसार बकाया राशि जहाँ स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना प्रवर्तक ईक्विटी की बिक्री के जरिए नए शेयर जारी की गयी है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-

नोट : दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु तैयार संशोधित ढ़ाचें के संबंध में दि. 12.02.2018 को आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार एसडीआर योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। अतः पूर्व इस योजना के अंतर्गत दर्शाए सभी खातों को, जो वर्तमान में क्रियान्वयन में है, असफल मामले माना गया और इन्हें एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

जे) क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू किया है।	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुन:संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

के) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
(बी) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य

g. Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31-03-2018

(₹in Crores)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held(Refer Note 2)
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard				
2 (Refer Note 1)	253.44	121.53	131.91	71.49
Classified as NPA				
1	44.10	25.95	18.15	10.96

Note 1: In respect of one account out of two accounts, Part A amounting to ₹ 40.56 Crore is standard and Part B is NPA amounting to ₹ 38.71 crore. Outstanding in Part B is included in Account classified as Standard.

Note 2: Provision held includes provision in respect of Investments (i.e. Part B) also.

Note 3: As per RBI Circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the S4A scheme has been discontinued with immediate effect. Therefore all accounts under these schemes which are under implementation have been treated as failed cases.

h. Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans (₹in Crores)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible Structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
FY 2016-17	03	195.04	0.00	14.67 Years	15.82 Years
FY 2017-18	01	0.00	146.25*	14.00 Years	14.10 Years

*outstanding balance as on 31.03.2018 is shown.

i. Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31.03.2018		Amount outstanding as on 31.03.2018 with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on 31.03.2018 with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on 31.03.2018 with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
-	-	-	-	NIL	-	-	-	-

Note: As per RBI circular dated 12.02.2018 in respect of Revised Framework on Resolution of Stressed Asset, the scheme under change in management outside SDR has been discontinued with the immediate effect. Therefore all the accounts under this scheme which are under implementation have been treated as failed cases and classified as NPA.

j. Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period) (₹ in Crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as Standard restructured	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL

k. Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non Performing Financial Assets Purchased

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
1. बेचे गए खातों की सं.	**शून्य**	शून्य
2. कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	**शून्य**	शून्य

एल) मानक आस्तियों पर प्रावधान **(₹ करोड़ में)**

विवरण	दि. 31-03-2018 को	दि. 31-03-2017 को
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**1,140.41**	1,186.69

एम) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में संशोधित ढ़ांचे पर आरबीआई द्वारा दि. 12.02.2018 को जारी परिपत्र के अनुसार:

31.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों की संख्या जिनमें आरबीआई के परिपत्र दि.12.02.2018 में कथित शर्तों के अनुसार समाधान योजना लागू की गई।	31.03.2018 तक बकाया निधि आधारित शेष
शून्य	शून्य

8. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	**7.06%**	7.60%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**0.91%**	1.14%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	**1.25%**	1.40%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	**(1.05%)**	0.12%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) **(₹ करोड़ में)**	**14.39**	13.51
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ लाख में)**	**(9.92)**	1.10

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

B. Details of Non Performing Financial Assets Sold

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
1. No. of Accounts Sold	**NIL**	NIL
2. Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
3. Aggregate Consideration Received	**NIL**	NIL

l. *Provisions on Standard Assets*

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31-03-2018	As on 31-03-2017
Provisions towards Standard Assets	**1,140.41**	1,186.69

m. *Resolution on Stressed Assets-Revised Framework as per RBI Circular dated* 12.02.2018:

No. of accounts where Resolution Plan has been implemented as on 31.03.2018 in terms of RBI Circular dated 12.02.2018	Fund Based balance outstanding as on 31.03.2018
NIL	NIL

8. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)**	**7.06%**	7.60%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)**	**0.91%**	1.14%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.25%**	1.40%
(iv)	Return on Assets **(%)**	**(1.05%)**	0.12%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹ in Crores)**	**14.39**	13.51
(vi)	Profit per Employee **(₹ in *Lakhs*)**	**(9.92)**	1.10

Note : Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the auditors.

9. आस्ति देयता प्रबंधन/ASSET LIABILITY MANAGEMENT

ऋण एवं अग्रिम, निवेश, जमा और उधार के परिपक्वता स्वरूप (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न परिपक्वता समूह के तहत) / THE MATURITY PATTERN OF LOANS AND ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY RESERVE BANK OF INDIA.

As on 31-03-2018/दि.31-03-2018 तक (₹ करोड़ में/₹ in crores)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन और 2 महीने तक 31 days & upto 2 months	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक >2 months & upto 3 months	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक >3 months & upto 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक > 6 months & upto 1 yr	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 yr to 3 yr	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 yr to 5 yr	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक >5 yr to 7 yr	7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक >7 yr to 10 yr	10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक > 10 yr to 15 yr	15 वर्ष से अधिक तक Over 15 years	कुल /Total
जमाराशि/Deposits	1909.24	11762.02	6725.85	14976.31	17585.21	17434.09	25186.78	71113.14	99133.39	5972.96	502.88	427.14	42.38	4.70	2,72,776.11
अग्रिम/Advances	4678.95	7396.54	9814.98	10641.49	5770.17	13555.40	12751.03	16003.34	64462.92	31257.37	10130.78	9329.95	2464.92	12426.00	210683.87
निवेश/Investments	13.36	490.56	490.37	1022.11	179.70	1374.26	127.15	6310.56	10768.82	13459.73	15283.33	20191.65	9085.54	1557.10	80354.23
उधार/Borrowings	6.57	10317.76	4253.23	0.00	90.91	0.00	373.97	685.76	4758.73	6006.29	1370.40	1750.00	0.00	0.00	29613.61
विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	31.19	6448.16	8779.81	4314.45	2820.96	6296.90	5521.66	2627.49	1694.38	6126.76	680.35	106.38	0.00	0.00	45448.47
विदेशी मुद्रा देयताएँ/ Foreign Currency Liabilities	15.30	3636.60	5967.68	5701.38	2633.49	8843.65	3093.74	4423.26	4801.26	2133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41249.64

नोट: विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को संबंधित जमा, अग्रिम, निवेश और उधार में शामिल किया गया है।

Note: Foreign Currency Assets & liabilities are included in respective deposits, advances, investments and borrowings

10. निवेश

ए. स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31-03-2018	31-03-2017
ए) प्रत्यक्ष निवेश	**29,275.06**	28,451.01
(i) आवासीय बंधक- उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार; (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाने के लिए योग्य आवास ऋणों को अलग सा दर्शाया जाए).	**18,951.52**	15,531.24

10. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crores)

Category	31-03-2018	31-03-2017
a) Direct Exposure	**29,275.06**	28,451.01
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately).	**18,951.52**	15,531.24

श्रेणी	31-03-2018	31-03-2017
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा उधार (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा संरक्षित (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार।	**8,790.28**	11,280.73
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,533.26**	1,639.04
(iii) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत निवेश – ए. आवासीय बी. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	**0.00** **0.00**	0.00 0.00
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**1,769.73**	666.35
रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल निवेश	**31,044.79**	29,117.36

बी. पूंजी बाजार में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**237.12**	192.93
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.32**	0.22
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए अग्रिम जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**0.00**	0.00
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**41.39**	453.27
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में बैंक द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.00**	0.25
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**143.86**	140.53
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**422.69**	787.20

Category	31-03-2018	31-03-2017
(ii) Commercial Real Estate (Fund based & non fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.).	**8,790.28**	11,280.73
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	**1,533.26**	1,639.04
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	**0.00** **0.00**	0.00 0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**1,769.73**	666.35
Total Exposure to Real Estate Sector	**31,044.79**	29,117.36

B. Exposure to Capital Market

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**237.12**	192.93
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.32**	0.22
(iii) Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	**0.00**	0.00
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**41.39**	453.27
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stock brokers for margin trading	**0.00**	0.25
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**143.86**	140.53
Total Exposure to Capital Market	**422.69**	787.20

सी) मूल बैंक ने निम्नांकित कंपनियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना (एसडीआर) को लागू कर ईक्विटी शेयर हासिल किया है। दिनांक 31-03-2018 तक बकाया ईक्विटी शेयर संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	एसडीआर के तहत प्राप्त ईक्विटी शेयरों की संख्या
1	आधुनिक पॉवर एण्ड नैचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड	14,99,440
2	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	18,18,713
3	जीएमआर राजमंड्री एनर्जी लिमिटेड	5,59,00,000
4	पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	1,28,074
5	गम्मान इंडिया लिमिटेड	2,26,96,508
6	एलएनटी हलोल शामलाजी टॉलवे लिमिटेड	5,94,92,481
7	प्रतिभा इंडस्ट्रीज	49,02,369
8	डायमंड पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,23,433
9	जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड	7,00,00,000
10	बीआरजी आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	1,45,48,286
11	आईकॉम टेली कंपनी लिमिटेड	66,59,707
12	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी	96,93,580
13	बेलोना ईस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड	1,15,646
14	जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड	11,25,319
15	एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड	5,55,797
16	गुजरात एनआरई कोक	97,55,213
17	एमएसपी स्टील्स लिमिटेड *	51,55,213

* एमएसपी स्टील्स लिमिटेड के शेयर डीमैट खाते में 31/03/2018 को जमा कर दिए गए और उन्हें दि. 03/04/2018 की बहियों में दर्शाए गए।

डी. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2018 को निवेश (निवल)	31 मार्च, 2018 को धारित प्रावधान	31 मार्च, 2017 को निवेश (निवल)	31 मार्च, 2017 को धारित प्रावधान
नगण्य	**4,074.97**	**शून्य**	1,943.64	शून्य
कम	**3,686.97**	**शून्य**	4,841.99	शून्य
मध्यम कम	**1.87**	**शून्य**	9.95	शून्य
मध्यम	**2.94**	**शून्य**	0.00	शून्य
मध्यम अधिक	**1.77**	**शून्य**	0.00	शून्य
उच्च	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
ऋणेतर	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
कुल	**7,768.52**	**शून्य**	6,795.58	शून्य

नोट: बैंक ने 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

ई. **एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में, बैंक द्वारा सीमा से अधिक आहरण के ब्यौरे:** शून्य

एफ. **बेजमानती अग्रिम**

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गयी है:

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों पर चार्ज, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि ली गयी है।	517.45
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	1075.00

11. प्रावधान

वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	256.57	888.00
(डीटीए)/डीटीएल	(1,422.21)	(594.99)
कुल	(1,165.64)	293.01

C. The Parent Bank has invoked Strategic Debt Restructuring (SDR) as per RBI guidelines in the following companies and acquired equity shares pursuant to invocation of SDR. The details of outstanding equity shares as on 31.03.2018 are as follows:

Sl No	Name of the Company	No of Equity Shares acquired under SDR
1	Adhunik Power and Natural Resources Ltd	14,99,440
2	Monnet Ispat & Energy Ltd	18,18,713
3	GMR Rajahmundry Energy Ltd	5,59,00,000
4	Patel Engineering Ltd	1,28,074
5	Gammon India Ltd	2,26,96,508
6	LNT Halol Shamlaji Tollway Ltd	5,94,92,481
7	Prathiba Industries	49,02,369
8	Diamond Power Infrastructure	9,23,433
9	Jaiprakash Power Ventures Ltd	7,00,00,000
10	BRG Iron and Steel Co Ltd	1,45,48,286
11	ICOMM Tele Ltd	66,59,707
12	Hindustan Construction Co	96,93,580
13	Bellona Estate Developers Ltd	1,15,646
14	Jindal Stainless Ltd.	11,25,319
15	SPML Infra Ltd	5,55,797
16	Gujrat NRE Coke	97,55,213
17	MSP Steels Ltd *	51,55,213

*MSP Steels Ltd shares credited to Demat account on 31/03/2018 and the same was accounted in the books on 03/04/2018

D. Risk Category wise Country Exposure

(₹ in Crores)

Risk Category	Exposure (net funded) as at 31st March 2018	Provision held as at 31st March, 2018	Exposure (net funded) as at 31st March, 2017	Provision held as at 31st March, 2017
Insignificant	**4,074.97**	**Nil**	1,943.64	Nil
Low	**3,686.97**	**Nil**	4,841.99	Nil
Moderately Low	**1.87**	**Nil**	9.95	Nil
Moderate	**2.94**	**Nil**	0.00	Nil
Moderately High	**1.77**	**Nil**	0.00	Nil
High	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Very High / Restricted	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Off-Credit	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Total	**7,768.52**	**Nil**	6,795.58	Nil

Note: The Parent Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-2018 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Parent Bank

E. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL

F. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

(₹ In Crores)

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	517.45
Estimated value of such intangible collaterals.	1,075.00

11. PROVISIONS

Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Provision for Income Tax (including London Branch)	256.57	888.00
(DTA)/ DTL	(14,22.21)	(594.99)
Total	(11,65.64)	293.01

12. चलनिधि कवरेज अनुपात

ए) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)		चालू वर्ष (मार्च - 2018)		पिछले वर्ष (मार्च -2017)	
		कुल अभारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल भारित मूल्य (दैनिक औसत)	कुल अभारित मूल्य (मासिक औसत)	कुल भारित मूल्य (मासिक औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)					
1	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		48,272.27		42,274.90
नकद बहिर्गमन					
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें :				
(i)	स्थायी जमा	56,201.19	2,786.98	53,704.29	2,685.21
(ii)	कम स्थायी जमा	88,375.69	8,764.97	80,353.46	8,035.35
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें :				
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	21,280.77	8,276.99	26,977.04	10,790.82
(iii)	असुरक्षित ऋण	17,363.85	17,573.65	13,152.42	13,152.42
4	सुरक्षित थोक निधीयन		1,365.25		2.12
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें :				
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर कोष की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधा	17,002.75	5,465.50	23,191.09	4071.41
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	419.70	423.61	408.64	408.64
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	22,563.71	671.23	20,844.74	625.34
8	**कुल नकद की बहिर्गमन**		**45,328.19**		**39,771.30**
नकद का आगमन					
9	रक्षित उधार (उदाहरण रिवर्स रेपो)	2,964.39	2,936.12	4,121.77	4,121.77
10	पूर्णरूप से निष्पादन एक्सपोजरों से आगमन	25,043.48	17,591.47	23,571.89	17,395.46
11	अन्य नकद आगमन	188.04	186.10	66.54	66.54
12	**कुल नकद आगमन**	**28,195.91**	**20,713.69**	**27,760.20**	**21,583.77**
			समायोजित कुल मूल्य		समायोजित कुल मूल्य
13	**कुल एचक्यूएलए**		**48,272.27**		**42,274.90**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**24,614.50**		**18,187.53**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**196.11%**		**232.44%**

बी) गुणात्मक प्रकटीकरण:

1. एल सी आर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एस एल आर की आवश्यकता में अधिक तरल निवेश, आर बी आई द्वारा उपलब्ध, मार्जिनल स्टैंडिंग फेसलिटी (सीमांत/अल्प स्थायी सुविधा) और एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है।
2. उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एच क्यू एल ए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सी आर आर, अतिरिक्त एस एल आर की आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा आदि शामिल होते हैं।
3. निधीयन स्त्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।
4. स्थाई जमा राशि में डीआईसीजीसी योजना के तहत 30 दिनों तक संरक्षित जमा राशि शामिल है। हालांकि, बैंक के साथ स्थाई संबंध युक्त जमाकर्ताओं की जमाराशि और संव्यवहार खाते में मौजूद जमा राशि स्थाई जमा राशि नहीं मानी जाएगी।
5. ब्याज दर परिदृश्य में परिवर्तन होने से एल सी आर भी बदल जाता है और ऋण में भी वृद्धि होती है।
6. बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एल सी आर को उसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान संपार्श्विक मांगे भी महत्वपूर्ण नहीं है।
7. भारतीय मुद्रा महत्वपूर्ण मुद्रा है तथा अन्य मुद्रा में, यद्यपि वह मुद्रा महत्वपूर्ण है, एलसीआर की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि अन्य मुद्रा में कोई एचक्यूएलए धारण नहीं होता
8. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा महत्वपूर्ण विभागों; जैसे ट्रेजरी (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के

12. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

A. Quantitative Disclosures

(₹ in Crores)

Liquidity Coverage Ratio (LCR)		Current Year (March - 2018)		Previous year (March -2017)	
		Total Unweighted value (Daily Average)	Total Weighted value (Daily Average)	Total Unweighted value (Monthly Average)	Total Weighted value (Monthly Average)
High Quality Liquid Assets (HQLA)					
1	High Quality Liquid Assets (HQLA)		48,272.27		42,274.90
Cash outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
(i)	Stable deposits	56,201.19	2,786.98	53,704.29	2,685.21
(ii)	Less Stable deposits	88,375.69	8,764.97	80,353.46	8,035.35
3	Unsecured wholesale funding of which:				
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	21,280.77	8,276.99	26,977.04	10,790.82
(iii)	Unsecured debt	17,363.85	17,573.65	13,152.42	13,152.42
4	Secured Wholesale Funding		1,365.25		2.12
5	Additional requirements, of which				
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	17,002.75	5,465.50	23,191.09	4,071.41
6	Other contractual funding obligations	419.70	423.61	408.64	408.64
7	Other Contingent funding obligations	22,563.71	671.23	20,844.74	625.34
8	**Total Cash Outflows**		**45,328.19**		**39,771.30**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	2,964.39	2,936.12	4,121.77	4,121.77
10	Inflows from fully performing exposures	25,043.48	17,591.47	23,571.89	17,395.46
11	Other Cash Inflows	188.04	186.10	66.54	66.54
12	**Total Cash Inflows**	**28,195.91**	**20,713.69**	**27,760.20**	**21,583.77**
			Total adjusted value		**Total adjusted value**
13	**Total HQLA**		**48,272.27**		**42,274.90**
14	**Total Net Cash Outflows**		**24,614.50**		**18,187.53**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**196.11%**		**232.44%**

B. Qualitative Disclosures

1. The main drivers for the contribution to the LCR are liquid investments, surplus over the SLR requirement, the Marginal Standing Facility (MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the deposits.
2. High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government Securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, Facility to avail liquidity for LCR.
3. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.
4. Stable deposits comprise of deposits covered under DICGC scheme upto 30 days, however, deposits of the depositors having established relationship with the Bank and deposits in transactional accounts are not considered as stable deposits.
5. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick-up in the credit etc.
6. Bank has modest derivative exposures and its contribution to the LCR is not significant.
7. Major currency is INR and LCR in other currency, though significant, is not computable as there are no HQLAs held in other currency.
8. Investment committee is the top level committee comprising of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive

महा प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: दैनिक आधार पर एवं तत्काल आवश्यकता पडने पर बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जायेगी।

9. एल्को एलसीआर की स्थिति की मासिक आधार पर समीक्षा करती है और अपेक्षित होने पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करती है।

10. बैंक के पास एलसीआर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं बहिर्गमन विलोपित नहीं है।

11. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 80/21.06.201/2014-15, दिनांक 31.03.2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एलसीआर वर्ष की चारों तिमाहियों की औसत दर्शाती है। आगे, जून-2017, सितंबर-2017 और दिसंबर-2017 तिमाहियों की औसत संबंधि तिमाहियों की औसत को और मार्च-2018 तिमाही की दैनिक औसत को दर्शाती है।

13. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

i) **उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):**

हमारे पास ऐसे कोई आय/ व्यय मद अवधि पूर्व सामग्री मौजूद नहीं है जिसके लिए एएस-5 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

ii) **राजस्व की पहचान (एएस 9):**

अनुसूची - 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

iii) **विदेशी विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):**

ए) वर्ष के लिए लाभ/हानि के तहत निवल लाभ में ₹10.39 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹26.30 करोड़ का लाभ) की हानि भी शामिल है जिसे एएस- 11 विदेशी मुद्रा आस्ति व देयता के मूल्ययांन (प्रतिबिंब को छोड़) के कारण प्राप्त अंतर के तहत दर्ज लाभ/ हानि है।

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ 2017-18 हेतु ₹ 11.95 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹ 62.86 करोड़ हानि) के प्रतिरूप पुनर्मूल्यन हानि शामिल है।

सी) वर्ष के लिए निवल लाभ 2017-18 हेतु ₹ 1.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 87.29 करोड़ लाभ) के वायदा पूनर्मूल्यन हानि शामिल है।

डी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

iv) **कर्मचारी लाभ (एएस 15):**

आई सी ए आई द्वारा जारी किया गया एएस 15 के अनुसार बैंक ने कर्मचारी लाभों का लेखांकन किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

ए) तुलन-पत्र का मुख्य बीमांकित अनुमान

विवरण	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपदान	गैर-निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	7.56%	7.56%	7.56%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर (वेतन संशोधन के एवज़ में 0.50% शामिल है)	5.75%	5.75%	5.75%
आस्तियों पर प्राप्ति	7.56%	7.56%	लागू नहीं

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन-प्रारंभिक और इतिशेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) वर्ष के आरंभ में पी वी ओ	**6,925.38**	**1,064.68**	**581.82**
बी) जोडें: ब्याज लागत	493.52	74.91	39.36
सी) जोडें: चालू सेवा लागत	521.79	62.69	67.14
डी) जोड़ें: पूर्व सेवा लागत#	-	167.19	-
ई) घटाएं : प्रदत्त लाभ	794.60	147.84	122.45
एफ) जोडें: दायित्व पर बीमांकित हानि/लाभ प्राप्ति(-)	611.98	-79.27	51.30
जी) वर्ष के अंत में पी वी ओ	**7,758.07**	**1,142.36**	**617.17**

Directors and the General Managers from departments like Treasury, Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets regularly and also on need basis. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds & Investment position of the Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows are discussed during this meeting.

9. ALCO reviews the position of LCR on monthly basis and provides the necessary directions if any.

10. Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for LCR computation.

11. In line with the RBI guidelines vide Circular No. DBR.No.BP. BC.80/21.06.201/2014-15 dated 31.03.2015, LCR for the FY-2017-18, represents the average of four quarters during the year. Further the quarterly average of June-2017, Sept-2017, Dec-2017 and March -2018 represents the daily average of the respective quarters.

13. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

i) **Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):**

There were no material prior period income/ expenditure items requiring disclosure under AS-5.

ii) **Revenue Recognition (AS 9):**

As per Accounting Policy no. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iii) **Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):**

a) The net profit/Loss for the year includes an amount of ₹ 10.39 Crore loss {₹ 26.30 Crores Profit for the previous year} being the profit/loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities (excluding Mirrors).

b) Net Profit/Loss for the year includes the Mirror Revaluation profit for 2017-18 of ₹ 11.95 Crore (₹ 62.86 Crores Loss for Previous year).

c) Net Proft/Loss for the year includes Forward Revaluation loss for 2017-18 of ₹1.62 Crore (₹ 87.29 Crore Profit for Previous year).

d) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

iv) **Employee Benefits (AS 15):**

The Bank has accounted for employee benefits as per AS 15 issued by the ICAI.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

a. Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

PARTICULARS	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	7.56%	7.56%	7.56%
Salary Escalation Rate (includes 0.50% for wage revision)	5.75%	5.75%	5.75%
Return on Assets	7.56%	7.56%	NA

b. Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances

(₹ In Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) PVO as at the beginning of the year	**6,925.38**	**1,064.68**	**581.82**
b) Add: Interest Cost	493.52	74.91	39.36
c) Add: Current Service Cost	521.79	62.69	67.14
d) Add: Past Service Cost#	-	167.19	-
e) Less: Benefits Paid	794.60	147.84	122.45
f) Add: Actuarial loss / gain(-) on obligation	611.98	-79.27	51.30
g) PVO as at the end of the year	**7,758.07**	**1,142.36**	**617.17**

सी) नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष और इतिशेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के आरंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**6,882.48**	**1,029.36**
बी) जोडें: नियोजित आस्तियों पर प्रत्याशित आय	520.31	77.82
सी) जोडें: अंशदान	1,094.32	101.66
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	794.60	147.84
ई) जोडें: बीमांकित लाभ/(-)हानि	89.57	1.43
एफ) वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**7,792.08**	**1,062.43**

डी) तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	7,758.07	1,142.36
बी) वर्ष के अंत पर नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	7,792.08	1,062.43
सी) निवल	34.01	-79.93
डी) पहचान न की गई संव्यवहार देयता	0.00	0.00
ई) तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	34.01	-79.93

ई) लाभ एवं हानि खाते में पहचाना गया व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	521.79	62.69	67.14
बी) पूर्व सेवा लागत#	-	41.80	-
सी)ब्याज लागत	493.52	74.91	39.36
डी) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय	520.31	77.82	-
ई) निवल बीमांकित हानि/लाभ (-)	522.40	-80.70	51.30
एफ) लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय	**1,017.40**	**20.88**	**157.80**

एफ) तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	42.90	35.32	581.82
लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए व्यय	1,017.40	20.88	157.80
अपरिशोधित व्यय#	-	125.39	-
दिए गए/प्रयुक्त अंशदान	1,094.31	101.66	122.45
अंतिम निवल देयता	-34.01	79.93	617.17

#: आरबीआई के पत्र सं. डीबीआर.बीपी. 9730/21.04.018/2017-18 दिनांक 27.04.2018 के अनुसार बैंक सीमा में हुई बढ़ोत्तरी के चलते ग्रैचुटी देय में अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित कर सकता है। तदनुसार बैंक ने आकलन कर यह निर्धारित किया है कि बैंक को ₹167.19 करोड़ तक की अपनी अतिरिक्त देयता को मार्च 2018 तिमाही से शुरू कर चार तिमाहियों में परिशोधित किया है। तदनुसार मार्च 2018 तिमाही के लिए पहचाने गए व्यय ₹41.80 करोड़ है।

नवंबर 2017 से प्रस्तावित व लंबित वेतन संशोधन के लिए मार्च 31, 2018 तक ₹100 करोड़ का अनौपचारिक प्रावधान रखा गया है।

c. **Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance**

(₹ In Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Fair Value of plan assets at the beginning of the year	**6,882.48**	**1,029.36**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	520.31	77.82
c) Add: Contributions	1,094.32	101.66
d) Less: Benefits Paid	794.60	147.84
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	89.57	1.43
f) Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**7,792.08**	**1,062.43**

d. **Amount recognized in the Balance Sheet**

(₹ in Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	7,758.07	1,142.36
b) Fair Value of plan assets at the end of the year	7,792.08	1,062.43
c) Net	34.01	-79.93
d) Unrecognised transitional liability	0.00	0.00
e) Liability Recognised in the Balance Sheet	34.01	-79.93

e. **Expense recognized in the Profit and Loss Account**

(₹ In Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	521.79	62.69	67.14
b) Past Service Cost#	-	41.80	-
c) Interest Cost	493.52	74.91	39.36
d) Less: Expected Return on Plan Assets	520.31	77.82	-
e) Net Actuarial Loss / Gain(-)	522.40	-80.70	51.30
f) Expenses Recognised in Profit and Loss Account	**1,017.40**	**20.88**	**157.80**

f. **Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet**

(₹ In Crores)

PARTICULARS	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	42.90	35.32	581.82
Expenses recognised in Profit and Loss Account	1,017.40	20.88	157.80
Unamortised Expenditure#	-	125.39	-
Contributions Paid / Utilised	1,094.31	101.66	122.45
Closing Net Liability	-34.01	79.93	617.17

#: As per RBI letter no: DBR. BP.9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018, the Bank is allowed to amortise additional provisions on Gratuity due to increase in limit to ₹20 Lakhs. Accordingly the Bank has assessed additional liability to the extent of ₹167.19 Crore to be amortised over four quarters starting from quarter end March 2018. Consequently expenses recognised in March 2018 quarter is ₹41.80 Cr.

For Pending settlement of the proposed wage revision effective from November, 2017, an adhoc provision of ₹100 Crores is held as at March 31, 2018.

i) **खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)Segment Reporting (AS 17):**

भाग ए: कारोबार खण्ड/Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण / Particulars	CY	PY	CY	PY	CY	PY	CY	PY	CY	PY
राजस्व / ***Revenue***	***7,043***	***7,878***	***8,042***	***9,273***	***8,921***	***8,711***	***548***	***561***	***24,445***	***26,423***
परिणाम/Result	968	1,582	(5950)	(2,634)	1,322	2,515	(754)	(845)	(4,414)	618
अनांबटित व्यय / Unallocated Expenses	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
अनांबटित आय / Unallocated Income	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	137	194
आय कर / Income Tax	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(1,166)	294
असाधारण लाभ/हानि / Extraordinary Profit / Loss	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
निवल लाभ / Net Profit	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(3,111)	518
अन्य सूचना / Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियां / Segment Assets	85,954	72,771	1,32,297	1,29,600	78,387	70,070	24,861	24,179	3,21,499	2,96,620
अनाबंटित आस्तियां / Unallocated Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	4,094	3,970
कुल आस्तियां / Total Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,25,593	3,00,590

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण / Particulars	CY	PY	CY	PY	CY	PY	CY	PY	CY	PY
खण्डवार देयताएं / Segment Liabilities	82,622	69,893	1,27,168	1,24,475	75,348	67,299	23,897	23,222	3,09,035	2,84,889
अनाबंटित देयताएं / Unallocated Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	(15)	(13)
कुल देयताएं / Total Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,09,020	2,84,876

चालू वर्ष/CY – Current Year   पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी: भौगोलिक खंड **(₹ करोड़ में)**

विवरण	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	23,639	25,474	1,053	949	24,691	26,423
आस्तियां	2,87,864	2,68,529	37,729	32,062	3,25,593	3,00,590

नोट:

1. जहाँ आवश्यक समझा गया हो वहाँ पिछली अवधि/वर्ष के आंकडों को पुन: वर्गीकृत/समूहित किया गया ताकि समीक्षाधीन अवधि के साथ उसकी तुलना की जा सके।
2. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा मानकों के अनुपालन में, बैंक ने खजाना परिचालन, कॉरपोरेट, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार खंड और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीयक/भौगोलिक खंड के रूप में अपनाया है।

ii) **संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18):**

ए) **संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध:**

ए) **अनुषंगी:**
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) **सहायक संस्थाएं:**
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) **प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक:**

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में) 2017-18	2016-17
श्री मेलविन रेगो	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01.07.2017 से	28.31	लागू नहीं
श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	कार्यपालक निदेशक	15.09.2016 से	24.07	12.90
श्री एस कृष्णन	कार्यपालक निदेशक	01.11.2017 से	9.43	लागू नहीं
श्री अरुण श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	30.06.2017 तक	12.84	28.12
श्री आर. एस. पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	31.10.2017 तक	19.80	24.03
TOTAL			**94.45**	**65.05**

डी) **संगत पार्टी लेन-देन**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
2.	बकाया जमा	1.10	0.00	1.10
	वर्ष के दौरान अधिकतम	1.39	0.00	1.39
3.	बकाया निवेश	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
4.	बकाया अग्रिम	0.72	0.00	0.72
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.83	0.00	0.83
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
6.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था ली गई	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
7.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था प्रदान किया गया	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
8.	ब्याज प्रदत्त	0.07	0.00	0.07

Part B: Geographic Segments

(₹ in Crores)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	23,639	25,474	1,053	949	24,691	26,423
Assets	2,87,864	2,68,529	37,729	32,062	3,25,593	3,00,590

Note:

1. Figures of the previous period/year have been reclassified/regrouped/recost wherever considered necessary to make them comparable with the period under review.
2. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, bank has adopted Treasury Operations, Corporate, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.

vi) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:
Syndbank Services Limited

b) Associates:
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel and their remuneration:

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (₹ in lakhs) 2017-18	2016-17
Sri Melwyn Rego	Managing Director & CEO	From 01.07.2017	28.31	NA
Sri CH S S Mallikarjuna Rao	Executive Director	From 15.09.2016	24.07	12.90
Sri S Krishnan	Executive Director	From 01.11.2017	9.43	NA
Sri Arun Shrivastava	Managing Director & CEO	Upto 30.06.2017	12.84	28.12
Sri R. S. Pandey	Executive Director	Upto 31.10.2017	19.80	24.03
TOTAL			**94.45**	**65.05**

d) Related Party Transaction

(₹ in Crores)

Sr No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
2.	Deposits outstanding	1.10	0.00	1.10
	Maximum during the year	1.39	0.00	1.39
3.	Investments outstanding	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
4.	Advances outstanding	0.72	0.00	0.72
	Maximum during the year	0.83	0.00	0.83
5.	Non funded commitments	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
6.	Leasing /HP arrangements availed	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
7.	Leasing /HP arrangements provided	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
8.	Interest paid	0.07	0.00	0.07

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
9.	ब्याज प्राप्त	0.02	0.00	0.02
10	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते	0.94	0.00	0.94
11	सेवाएँ दी गई	0.00	0.00	0.00
12	सेवाएँ ली गई	0.00	0.00	0.00
13.	संविदाओं के प्रबंध	0.00	0.00	0.00
14.	कोई अन्य प्राप्य	0.00	0.00	0.00
15.	कोई अन्य देय	0.00	0.00	0.00
16.	स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	0.00	0.00	0.00
17.	स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री	0.03	0.00	0.03

नोट: एएस 18के पैरा 9ङ्कङ्कसंगत पार्टी प्रकटीकरणङ्खङ्ख के अनुपालन में उन अनुषंगियों के साथ कृत लेन-देन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार के प्रकटीकरण से छूट देता है, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है ।

vii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20):

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**(31,11,68,98)**	**517,45,21**
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**94,79,06,528**	**85,16,64,748**
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**(32.83)**	**6.08**
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	**10.00**

viii) आय पर कर का लेखाकरण (एएस 22):

मूल बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹ (1592.46) करोड़ (पिछले वर्ष के डी.टी.ए. ₹ 170.25 करोड़) था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

आस्थगित कर आस्तियां	(₹ करोड़ में)	
	31-03-2018	**31-03-2017**
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	213.60	201.36
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	49.52	134.06
प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के कारण	2,117.81	1,176.67
अन्य	93.23	52.11
कुल	**2,474.16**	**1,564.20**
आस्थगित कर देयताएं		
ब्याज उपचित हुआ परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं है।	0.00	414.84
धारा 36(1)(viii)के अंतर्गत विशेष आरक्षण	531.74	532.48
निवेशों पर मूल्यहास के कारण	315.36	414.69
स्थाई परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी में अंतर	34.60	31.94
कुल	**881.70**	**1,393.95**
निवल (डीटीए)/डीटीएल	**(1,592.46)**	**(170.25)**

ix) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस *25):*

बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 2/08.91.001/2016-17 दिनांक 28 जुलाई, 2016 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

x) आस्तियों की हानि (ए एस 28):

बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

xi) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस-29):

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	3.70	3.44
वर्ष के दौरान उपलब्ध	1.51	0.26
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.00	0.00
इतिशेष	5.21	3.70
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

Sr No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
9.	Interest received	0.02	0.00	0.02
10	Remuneration and other allowances	0.94	0.00	0.94
11	Rendering of services	0.00	0.00	0.00
12	Receiving of services	0.00	0.00	0.00
13.	Management of contracts	0.00	0.00	0.00
14.	Any other receivable	0.00	0.00	0.00
15.	Any other payable	0.00	0.00	0.00
16.	Purchase of Fixed assets	0.00	0.00	0.00
17.	Sale of Fixed Assets	0.03	0.00	0.03

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

vii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**(31,11,68,98)**	**517,45,21**
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**94,79,06,528**	**85,16,64,748**
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**(32.83)**	**6.08**
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	**10.00**

viii) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Parent Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of (DTA) / DTL as on March 31, 2018 amounting to ₹ (1592.46) Crores {Previous Year DTA ₹ 170.25 Crores} consists of the following:

Deferred Tax Assets	(₹ in Crores)	
	31-03-2018	**31-03-2017**
Provision for Leave Encashment	213.60	201.36
Provision for Restructured Assets	49.52	134.06
On account of timing difference towards provisions	2,117.81	1,176.67
Others	93.23	52.11
Total	**2,474.16**	**1,564.20**
Deferred Tax Liabilities		
Interest accrued but not due on securities	0.00	414.84
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	531.74	532.48
On account of depreciation on Investments	315.36	414.69
Difference in WDV of Fixed Assets	34.60	31.94
Total	**881.70**	**1,393.95**
Net (DTA)/DTL	**(1,592.46)**	**(170.25)**

ix) Interim Financial Reporting *(AS 25):*

The Parent Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS. A`No.BC. 2/08.91.001/2016-17 dated July 28, 2016.

x) Impairment of Assets (AS 28):

In the opinion of the management of the Bank, there is no indication of impairment of assets of the Bank.

xi) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

Movement of provisions (excluding provisions for other)

(₹ in Crores)

Particulars	Legal Cases/ Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	3.70	3.44
Provided during the year	1.51	0.26
Amount used during the year	0.00	0.00
Closing Balance	5.21	3.70
Timing of Outflow/ uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानीकरण:

वर्ष के दौरान कुल धोखाधड़ी के 233 मामले थे जिसकी कुल राशि ₹714.01 करोड़ थी। उसे प्राप्त सीजीसी दावे को अलग करके पूर्णत: प्रदान किया गया और वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर अपरिशोधित प्रावधानों की प्रमात्रा अन्य ‟आरक्षित निधियों” से नामे करने पर शून्य है।

बी) प्रावधान और आकस्मिक व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	608.56	175.70
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	7,620.08	3,545.44
आय कर/आस्थगित कर के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल)	(1,165.64)	293.01
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(46.26)	(190.04)
पुन:संरचित खातों के लिए प्रावधान	(68.81)	(178.83)
कर्मचारी कल्याण निधि	20.00	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	86.86	148.50
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	31.29	44.88
उपभोक्ता/दीवानी मुकदमें लिए प्रावधान	1.78	0.23
अरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	(9.00)	8.00
अन्य प्रावधान/(अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	7.83	7.39
कुल	7,086.69	3,874.28

सी) अस्थायी प्रावधान के चलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**102.21**	102.21
(बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**0.00**	0.00
(सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**0.00**	0.00
(डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**102.21**	102.21

डी) भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंड:

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 (ए))(1) (सी) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में मूल बैंक पर ₹5 करोड़ का सकल दंड प्रभारित किया गया है (पिछले वर्ष में ₹3.00 करोड़) ।

ई) आरक्षित निधियों से आहरण किए गए:

वर्ष के दौरान आरक्षित निधि से आहरण शून्य है।

एफ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**404**	362
(बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**12,801**	11,088
(सी)	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	**12,604**	11,046
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**601**	404

जी) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या	**51**	39
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामलों की संख्या	**741**	668
(सी)	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों की संख्या	**684**	656
(डी)	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	**108**	51

एच) बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरूद्ध पारित अधिनिर्णय:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
(ए)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	**5**	2
(बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारितअधिनिर्णयों की सं.	**20**	24
(सी)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	**23**	21
(डी)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	**2**	5

आई) ग्राहकों की शिकायतें-कार्ड सेंटर से संबंधित-ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत:

क्र. सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**1,236**	396
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**40,189**	22,327
3	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	**40,727**	21,487
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**698**	1,236

14. OTHER DISCLOSURES

a) **Provisioning pertaining to Fraud Accounts:**

During the year, the total number of frauds occurred were 233 with an outstanding amount of ₹714.01 Crores and the same are fully provided net of CGC claims received and quantum of unamortised provision debited from "other reserves" as at the end of FY 2017-18 is NIL.

b) **Provisions and Contingencies:**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Provision for depreciation on investment	608.56	175.70
Provision towards NPA	7,620.08	3,545.44
Provision towards Income Tax and Deferred Tax	(1,165.64)	293.01
Other provisions and contingencies :		
Provision towards Standard Assets	(46.26)	(190.04)
Provision for Restructured Accounts	(68.81)	(178.83)
Staff Welfare Fund	20.00	20.00
Bad Debts written off	86.86	148.50
Provision for Cenvat Reversal	31.29	44.88
Provision for Consumer/Civil Cases	1.78	0.23
Provision for Unhedged Foreign Currency	(9.00)	8.00
Other Provisions/(Reversal of Excess provisions)	7.83	7.39
Total	7,086.69	3,874.28

c) **Movement of Floating Provisions:**

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(a) Opening Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**0.00**	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**0.00**	0.00
(d) Closing Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21

d) **Penalties imposed by RBI:**

During the year, Reserve Bank of India has imposed aggregate penalty of ₹ 5 crores (Rupees Five Crores only) on the Parent Bank in the exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act,1949. (Previous Year ₹3.00 crore)

e) **Draw down from Reserves:**

During the year, withdrawal from reserves is NIL.

f) **Status of Customer Complaints:**

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	**404**	362
(b)	No. of Complaints received during the year	**12,801**	11,088
(c)	No. of Complaints redressed during the year	**12,604**	11,046
(d)	No. of Complaints pending at the end of the year	**601**	404

g) **Cases referred to Banking Ombudsman:**

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(a)	No. of Cases pending at the beginning of the year	**51**	39
(b)	No. of Cases referred to Banking Ombudsman during the year	**741**	668
(c)	No. of Cases disposed off during the year	**684**	656
(d)	No. of Cases pending at the end of the year	**108**	51

h) **Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman:**

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	**5**	2
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	**20**	24
(c)	No. of Awards implemented during the year	**23**	21
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	**2**	5

I) **Customer Complaints- Related to Card Centre- Registered for ATM Transaction:**

Sl. No.	Particulars	31-03-2018	31-03-2017
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**1,236**	396
2	No. of complaints received during the year	**40,189**	22,327
3	No. of complaints redressed during the year	**40,727**	21,487
4	No. of complaints pending at the end of the year	**698**	1,236

जे) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

(ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ड्ड संपूर्ण चलनिधि संशोधनड्ड के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने, बैंक के निदेशक मंडल व अनुमोदन से यू.एस. डॉलर 75.00 मिलियन की चुकौती संबंधी आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि.31-12-2018 तक वैध) जारी किया है।

(बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र:

शाखाओं ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31-03-2018 को ₹70.31 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं (पिछला वर्ष ₹ 104.11 करोड़)।

कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता की साख पर उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा विदेशी बैंकों एवं भारत के बाहर स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी आश्वासन पत्र की रकम दि. 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार ₹1,120.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,625.62 करोड़) है ।

दि. 31-03-2018 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹ 1,190.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,729.73 करोड़) है ।

जब अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं से/के आश्वासन पत्र की गुणवत्ता, साख श्रेणी/वैश्विक श्रेणी, प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ और उपलब्ध प्रति-गारंटी का ध्यान रखा जाता है तब जारी आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/139 दिनांक 13.03.2018 में कथित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दि. 13.03.2018 से एलओयू/एलओसी जारी करना बंद कर दिया है।

के) बीमा कारोबार:

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त ₹ 19.90 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष ₹ 16.23 करोड़ था। इसमें ₹ 6.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.54 करोड़) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹ 13.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.69 करोड़) गैर-जीवन बीमा कारोबार से है ।

एल) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण:

ए. जमाराशियों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	**48,748.49**	42,759.71
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	**17.87%**	16.41%

बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**30,308.22**	29,179.16
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता (कुल अग्रिम में ₹248285.62 करोड़ की एफबी + ₹28442.83 करोड़ की एनएफबी + ₹2044.59 करोड़ की व्युत्पन्नी शामिल है)	**10.87%**	10.56%

उपरोक्त की गणना ऋण एक्सपोज़र एवं व्युत्पन्नी एक्सपोजोर को परिगणना में लेकर की गई है।

सी. निवेश का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश	**31,300.82**	29,647.74
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल निवेश में बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता (कुल अग्रिम में ₹248285.62 करोड़ की एफबी + ₹28442.83 करोड़ की एनएफबी + ₹2044.59 करोड़ की व्युत्पन्नी + ₹11227.62 करोड़ के गैर-एसएलआर निवेश शामिल है)	**10.79%**	10.45%

उपरोक्त की गणना ऋण एक्सपोज़र एवं व्युत्पन्नी एक्सपोजोर को परिगणना में लेकर की गई है।

j) Letter of Comfort issued by the Parent Bank:

(a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.

The Parent Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid upto 31-12-2018) with approval from the Board of Directors of the Parent Bank.

(b) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of Syndicate Bank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of ₹ 70.31 Crore as on 31-03-2018 (Previous Year ₹ 104.11 Crores).

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India is ₹ 1,120.25 Crore as on 31-03-2018 (Previous Year ₹ 1,625.62Crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31-03-2018 stands at ₹ 1,190.56 Crores (Previous Year ₹ 1,729.73 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

The Parent Bank has stopped issuance of LoU/LoCs for trade credit with effective from 13.03.2018 as per the directions issued by Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/2017-18/139 dated 13.03.2018.

k) Insurance Business:

The total income from the Bancassurance Business during the year 2017-18 is ₹ 19.90 Crore as against ₹ 16.23 Crore in the previous year. This comprises of ₹ 6.17 Crore (PY ₹6.54 Crore) from Life Insurance business and ₹ 13.73 Crore (PY ₹ 9.69 Crore) from Non Life Insurance business.

l) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

a. CONCENTRATION OF DEPOSITS

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Deposits of twenty largest depositors	**48,748.49**	42,759.71
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Parent Bank	**17.87%**	16.41%

b. CONCENTRATION OF ADVANCES

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Advances to twenty largest borrowers	**30,308.22**	29,179.16
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Parent Bank. (Total advances includes FB ₹ 2,48,285.62 Cr + NFB ₹ 28,442.83 Cr+ Derivatives ₹ 2,044.59 Cr)	**10.87%**	10.56%

The above is computed by taking into account credit exposure and derivative exposure.

c. CONCENTRATION OF EXPOSURES

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	**31,300.82**	29,647.74
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Parent Bank on borrowers / custome` (Total advances includes FB ₹2,48,285.62 Cr + NFB ₹ 28,442.83 Cr+ Derivatives ₹ 2,044.59 Cr + Non SLR Investments ₹ 11,227.62 Cr)	**10.79%**	10.45%

The above is computed by taking into account credit exposure, derivative exposure and investment exposure.

डी. अंतरा -समूह एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,600.00**	1,626.27
20 बड़ी आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,600.00**	1,626.27
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर में आंतरिक-समूह एक्सपोजर की प्रतिशतता	**0.55%**	0.57%
आंतरिक-समूह एक्सपोजर एवं विनियामक कार्यवाही में सीमाओं के भंग होने के विवरण	**शून्य**	शून्य

ई. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	**4,499.72**	4,200.17

एम) क्षेत्रवार अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र*	31-03-2018			31-03-2017		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए की प्रतिशतता	बकाया कुल अग्रिम	सकल एन पी ए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए की प्रतिशतता
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	33,466.00	3,708.27	11.08	31,878.17	2,246.17	7.05
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	7261.00	611.66	8.42	8,288.81	610.73	7.37
3	सेवाएँ	20,045.00	2,446.43	12.20	16,190.10	1,379.75	8.52
4	वैयक्तिक ऋण	12,377.00	507.80	4.10	11,547.66	813.42	7.04
	उप-जोड (ए)	**73,149.00**	**7,274.16**	**9.94**	**67,904.74**	**5,050.07**	**7.44**
बी	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	58,109.92	13,928.85	23.97	58,486.26	10,040.41	17.17
3	सेवाएँ	68,189.15	3,918.05	5.75	61,782.17	1,572.43	2.55
4	वैयक्तिक ऋण	23,542.00	637.54	2.71	18,891.61	946.40	5.01
	उप-जोड (बी)	**1,50,197.07**	**18,484.44**	**12.31**	**1,39,160.04**	**12,559.24**	**9.03**
	कुल (ए+बी)	**2,23,346.07**	**25,758.60**	**11.53**	**2,07,064.78**	**17,609.31**	**8.50**

एन) अनर्जक आस्तियों का चलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	**17,609.31**	13,832.16
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	**14,309.28**	8,137.95
उप-जोड (ए)	**31,918.59**	21,970.11
घटाएं:		
(i) स्तरोन्नयन	**1,557.81**	1,589.90
(ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**2,202.17**	1,500.21
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते लिखना	**2,313.15**	1,081.03
(iii) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत उल्लेखित मदों को छोड़कर अन्य बट्टे खाते लिखे गए मामलें	**86.86**	189.66
उप-जोड़ (बी)	**6,159.99**	4,360.80
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां (ए-बी)	**25,758.60**	17,609.31

ओ) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का चलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में प्रारंभिक शेष	**6,254.69**	5,649.95
जोड़े : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**2,313.15**	1,081.03
उप-जोड़ (ए)	**8,567.84**	6,730.98
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ **(बी)**	**630.55**	476.29
वर्ष के अंत में इतिशेष **(ए-बी)**	**7,937.29**	6,254.69

पी) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2018	31-03-2017
कुल आस्तियां	44,646.83	37,324.16
कुल अनर्जक आस्तियां	2,027.44	1,947.62
कुल एनपीआई	0.00	0.00
कुल राजस्व	1,052.80	948.57

नोट: तुलन पत्र में कुल आस्तियों, कुल एनपीए और कुल एनपीआई के लिए आंकड़े को स्पॉट दर के साथ तैयार किया गया है। जब कि कुल राजस्व को तिमाही औसत दर (क्यूएआर)- अप्रैल 17 से जून 17 – 82.51, जुलाई 17 से सितंबर 17 – 84.20, अक्तूबर 17 से दिसंबर 17 - 85.89 और जनवरी 18 से मार्च 18 – 89.45 पर तिमाही सकल राजस्व के साथ तैयार किया गया है।

d. INTRA-GROUP EXPOSURES

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total amount of intra-group exposures	**1,600.00**	1,626.27
Total amount of top-20 intra-group exposures	**1,600.00**	1,626.27
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Parent Bank on borrowers/ customers	**0.55%**	0.57%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	**Nil**	Nil

e. CONCENTRATION OF NPAs

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Exposure to top four NPA accounts	**4,499.72**	4,200.17

m) Sector-wise Advances:

(₹ in Crores)

Sl. No	Sector*	31-03-2018			31-03-2017		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA's	% of Gross NPA'S to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA's	% of Gross NPA'S to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	33,466.00	3,708.27	11.08	31,878.17	2,246.17	7.05
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	7,261.00	611.66	8.42	8,288.81	610.73	7.37
3	Services	20,045.00	2,446.43	12.20	16,190.10	1,379.75	8.52
4	Personal loans	12,377.00	507.80	4.10	11,547.66	813.42	7.04
	Sub-total (A)	**73,149.00**	**7,274.16**	**9.94**	**67,904.74**	**5,050.07**	**7.44**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	58,109.92	13,928.85	23.97	58,486.26	10,040.41	17.17
3	Services	68,189.15	3,918.05	5.75	61,782.17	1,572.43	2.55
4	Personal loans	23,542.00	637.54	2.71	18,891.61	946.40	5.01
	Sub-total (B)	**1,50,197.07**	**18,484.44**	**12.31**	**1,39,160.04**	**12,559.24**	**9.03**
	Total (A+B)	**2,23,346.07**	**25,758.60**	**11.53**	**2,07,064.78**	**17,609.31**	**8.50**

n) Movement of NPAs:

(₹ in Crores)

PARTICULARS	31-03-2018	31-03-2017
Gross NPAs at the beginning of the year	**17,609.31**	13,832.16
Additions (Fresh NPAs) during the year	**14,309.28**	8,137.95
Sub Total (A)	**31,918.59**	21,970.11
Less:		
(i) Up gradations	**1,557.81**	1,589.90
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**2,202.17**	1,500.21
(iii)Technical/Prudential Write-offs	**2,313.15**	1,081.03
(iii) Write-offs other than those under (iii) above	**86.86**	189.66
Sub Total (B)	**6,159.99**	4,360.80
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**25,758.60**	17,609.31

o) Movement of Technical/Prudential Write-offs:

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at the beginning of the year	**6,254.69**	5,649.95
Add : Technical / Prudential write-offs during the Year	**2,313.15**	1,081.03
Sub-total (A)	**8,567.84**	6,730.98
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year **(B)**	**630.55**	476.29
Closing balance as at the end of the year **(A-B)**	**7,937.29**	6,254.69

p) Overseas Assets, NPAs and Revenue:

(₹ in Crores)

Particulars	31-03-2018	31-03-2017
Total Assets	44,646.83	37,324.16
Total NPAs	2,027.44	1,947.62
Total NPIs	0.00	0.00
Total Revenue	1,052.80	948.57

Note: The figures for Total Assets, Total NPA and Total NPI are drawn with the Balance Sheet position at FEDAI spot rate GBP - 92.2775, while Total Revenue has been drawn with Total of Quarterly Gross Revenue at GBP FEDAI Quarterly Average Rates (QAR) – Apr 17 to Jun 17 – 82.51, Jul 17 to Sep 17 – 84.20, Oct 17 to Dec 17 - 85.89 and Jan 18 to Mar 18 – 89.45.

क्यू) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है):

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

आर) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

एस) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख बैंक के पास हैं।

टी) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

यू) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ)में अंतरण (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17
डीईएएफ को अंतरण के लिए प्रारंभिक शेष राशि	**585.10**	411.95
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**51.83**	180.42
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावे के के लिए प्रतिपूरित राशियां	**9.35**	7.27
डीईएएफ को अंतरित इतिशेष राशि	**627.58**	585.10

वी) अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17
यूएफसीई प्रावधान के लिए प्रारंभिक शेष राशि	60.00	52.00
जोड़ें: चालू वर्ष के दौरान प्रावधान की वृद्धि/विपर्यय	(-)9.00	8.00
यूएफसीई प्रावधान के इतिशेष	51.00	60.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी 85 / 21.06.200 / 2013-14 दिनांक 15. जनवरी 2014 के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबी ओडी सं. बीपी.बीसी. 116/21.06.200 / 2013-14 दिनांक 03 जून 2014 के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में बैंक के पास नीति है।

मूल बैंक की नीति के आधार पर उधारकर्ताओं से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं और तदनुसार वर्षांत 31-03-2018 के लिए न्यूनतम ₹57.03 करोड़ की पूंजी अपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में ₹51 करोड़ राशि वाली यूएफसीई और ₹524.38 करोड़ का अतिरिक्त आरडब्ल्यूए का प्रावधान किया गया है।

डब्ल्यू) मूल बैंक ने मार्च 2018 तक की स्थिति के अनुसार लघु एवं सीमांत कृषकों की श्रेणी के अंतर्गत ₹500 करोड़ मूल्य के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की 2000 इकाइयों की बिक्री की है।

एक्स) भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (आईएनडी एएस)

ए. बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन स्थिति

कॉरपोरेट कार्य के मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से बैंक में आईएनडी एएस लागू होगा और बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से आईएनडी एएस (भारतीय लेखांकन मानक) के कार्यान्वयन के लिए शुरुआती कदम उठाए है और तदनुसार, उसके कार्यान्वयन के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छी प्रगति की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2016 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति बनाई है जो कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है। इस संचालन समिति में बैंक के विभिन्न कार्यात्मक विभागों के महाप्रबंधक शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, नियमित अंतरालों पर आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति की समीक्षा करती रहती है।

बी. भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन में आस्थगन

आरबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दि. 05, अप्रैल, 2018 के जरिए आईएनडी एएस के कार्यान्वयन में एक साल का आस्थगन (अर्थात् वर्ष 2019-20 से) घोषित किया है, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा।

सी. अब तक की प्रगति:

- बैंक द्वारा वर्तमान लेखा ढ़ांचे और आईएनडी एस (भारतीय लेखांकन मानक) के बीच अंतर को पहचानने के लिए एक नैदानिक अध्ययन पूरा किया गया है।
- इस नैदानिक अध्ययन के आधार पर बैंक के प्रभाव की गणना की है और जून 2017 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय विवरण का भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित प्रपत्र में भेजा है।
- बैंक नीति एवं प्रक्रिया के अपेक्षित परिवर्तन करने में लगा हुआ है।
- बैंक ने आईएनडी एएस के अंतर्गत लेखांकन नीति में अपेक्षित परिवर्तनों का निर्धारण किया है।
- बैंक अब कोर बैंकिंग सिस्टम में अपेक्षित प्रणाली के परिवर्तनों का मूल्यांकन कर रहा है और अनुमानित ऋण हानि नमूनों की रूप-रेखा भी शुरू कर दी है।
- वर्तमान लेखांकन संरचना (भारतीय जीएएपी) के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण का अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् मूल बैंक भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभित तुलन पत्र तैयारी की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता है।

वाई) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

q) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

r) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Parent Bank has not sponsored any SPVs.

s) Fixed Assets

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Parent Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

t) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

u) Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) (₹ in Crores)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**585.10**	411.95
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	**51.83**	180.42
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**9.35**	7.27
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**627.58**	585.10

v) Unhedged Foreign Currency Exposure: (₹ in Crores)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
Opening Balance of UFCE provision	60.00	52.00
Add: incremental/reversal of provision during the current year	(-)9.00	8.00
Closing Balance of UFCE provision	51.00	60.00

The Parent Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on RBI Circular No.DBOD.No.BP.BC.85 / 21.06.200 / 2013-14 dated January 15, 2014 and clarifications received vide RBI Circular No. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200 / 2013-14 dated June 03, 2014.

Data has been obtained from the borrowers as per the Parent Bank's policy and accordingly, provision of UFCE amounting to ₹ 51 Crores and additional RWA of ₹ 524.38 Crores has been provided, against which minimum capital requirement is ₹ 57.03 Crores for the year ended 31-03-2018.

w) The Parent Bank has sold 2000 units under Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) to the tune of ₹500 crore under Small and Marginal Farmers category as at March 2018.

x) Implementation of Indian Accounting Standards (Ind As)

a. Status on Implementation of IND AS within the Parent Bank

IND AS is applicable to the Parent Bank in accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs from FY 2018-19 and the Parent Bank has initiated steps for implementation of IND AS (Indian Accounting Standards) from FY 2016-17 and accordingly put in place well-planned strategy for implementation and have made good progress during this financial year.

In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in August 2016, the Parent Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director that monitors the progress of the implementation. The Steering Committee comprises of General Managers from various functional departments of the Parent Bank. Further, Parent Bank's Audit Committee of the Board has been reviewing the overall progress of the implementation of IND AS at regular intervals.

b. Deferment of Indian Accounting Standards (Ind AS) implementation

RBI through the Press Release dated April 05, 2018 has deferred the implementation of Ind AS by one year (i.e. applicable from 2019-20) for Scheduled Commercial Banks.

c. Progress made so far:

- The Parent Bank has completed a diagnostic study to identify the differences between the current accounting framework and IND AS (Indian Accounting Standards).
- Based on the diagnostic study, the Parent Bank has assessed the impact and filed the pro-forma financial statements for the quarter ended June 2017 with the Reserve Bank of India.
- The Parent Bank is in process of making required changes in policies and procedures.
- The Parent Bank has identified changes required in accounting policies under IND AS.
- The Parent Bank is performing an assessment of the system changes required in the Core Banking System and has commenced the design of the Expected Credit Loss Models.
- The Parent Bank proposes to commence the preparation of the Opening Balance Sheet under IND AS transition after finalization of annual financial statements as per the current accounting framework (Indian GAAP).

y) Previous year figures.

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

अनुसूची 19 : अनुषंगियों द्वारा अर्जित शेयर/SCHEDULE-19: SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	वर्षांत /Year ended दि. 31.03.2018 को	वर्षांत /Year ended दि. 31.03.2017 को
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक/ Andhra Pragathi Gramina Bank	**720220**	607279
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक/ Karnataka Vikas Grameen Bank	**357474**	533866
प्रथमा बैंक/ Prathama Bank	**15109**	414761
योग/ TOTAL	**1092803**	1555906

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(अप्रत्यक्ष पद्धति/Indirect Method) (₹ हजार में/₹ in thousands)

	विवरण/Particulars	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss)	**(3220 97 01)**	361 86 15
	जोड़े/Add: कर प्रावधान/Tax Provision	**(1164 92 60)**	294 41 05
	लाभ कर के पहले (हानि)/Profit/(Loss) Before Taxes	**(4385 89 61)**	656 27 20
	समायोजन के लिए/Adjustments For		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास/Depreciation on Fixed Assets	**237 79 12**	137 32 71
	अनुषंगियों (आरआरबी) से प्राप्त अर्जन पर परिवर्तन Change in the Share of Earnings from Associates (RRBs)	**98 76 43**	151 36 32
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचर सहित) Depreciation on Investments (Including on Matured Debentures)	**608 55 77**	175 69 55
	बट्टा खाता डाले गए अशोध्य ऋण/अनर्जक आस्तियों संबंधी प्रावधान Bad Debts Written-Off/Provision in Respect of Non-Performing Assets	**7638 12 60**	3515 10 25
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision For Standard Assets	**(46 26 35)**	(190 04 40)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)/Provision For Other Items (Net)	**51 91 03**	80 51 73
	अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री पर (लाभ)/हानि /(Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	**54 84**	2 64
	अधीनस्थ नामे पर (पृथक मान लिया गया) ब्याज की अदायगी/प्रावधान Payment/Provision for Interest on Subordinated Debt (treated Separately)	**826 58 00**	708 66 33
	अप्राप्य विदेशी विनिमय आरक्षित उतार-चढ़ाव के लिए प्रावधान Adjustment for Unrealised Foreign Exchange Fluctuation Reserve	**3 02 83**	(30 73 20)
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (पृथक मान लिया गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	**-**	-
	उप जोड/Sub Total	**5033 14 66**	5204 19 13
	समायोजन/Adjustments for:		
	(वृद्धि)/हानि निवेश/(Increase)/Decrease in Investments	**(15596 15 27)**	2829 40 85
	(वृद्धि)/हानि अग्रिम/(Increase)/Decrease in Advances	**(18652 64 14)**	(1815 96 52)
	(वृद्धि)/हानि अन्य आस्ति/(Increase)/Decrease in Other Assets	**(904 99 44)**	688 42 75
	वृद्धि/(हानि) उधार/Increase/(Decrease) in Borrowings	**11428 08 75**	(9135 97 67)
	वृद्धि/(हानि) जमाराशियाँ/Increase/(Decrease) in Deposits	**12213 13 28**	(1178 28 73)
	वृद्धि/(हानि) अन्य देयताएँ एवं प्रावधान/Increase/(Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**(213 52 12)**	(751 91 87)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी का निवल)/Direct Taxes Paid (Net of Refund)#	**(621 48 45)**	(818 22 01)
	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ए) Net Cash from Operating Activities (A)	**(7314 42 73)**	(4978 34 07)
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	अचल आस्तियों का क्रय/विक्रय-अंतरण /Purchase/Sale-Transfer of Fixed Assets	**(262 21 90)**	(182 50 61)
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद (बी) Net Cash used in Investing Activities (B)	**(262 21 90)**	(182 50 61)
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	शेयर पूँजी/Share Capital	**512 73 27**	201 16 78
	शेयर आवेदन रकम लंबित आबंटन/Share Application Money Pending Allottment	**-**	(740 00 00)
	शेयर प्रीमियम/Share Premium	**3464 56 25**	1314 83 22
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्र/Unsecured Subordinated Bonds	**710 00 00**	1110 30 00
	लाभांश कर सहित लाभांश प्रदत्त Dividend Paid including Dividend Tax	**-**	-
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्रों पर प्रदत्त/प्रदेय ब्याज/Interest Paid / Payable on Unsecured Subordinated Bonds	**(826 58 00)**	(708 66 33)
	वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (सी) Net Cash from Financing Activities (C)	**3860 71 52**	1177 63 67
	नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि/Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**(3715 93 11)**	(3983 21 01)

नोट: नकद एवं नकद तुल्य में उपलब्ध नकदी, भा.रि.बैं. एवं अन्य बैंकों के पास जमा राशि एवं माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।
Note: Cash & Cash Equivalents includes Cash on Hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.
#प्रदत्त प्रत्यक्ष करों को परिचालनगत गतिविधियों के परिणामस्वरूप माना गया है और उन्हें निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।
Direct taxes paid are treated as arising from Operating Activities and are not bifurcated between Investing & Financing Acitivities

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2018		31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	
I. वर्ष के प्रारंभ में शेष **Balances at the beginning of the Year**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13108 94 79**		13338 55 74	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**12123 22 61**	**25232 17 40**	15876 82 67	29215 38 41
II. वर्ष के अंत में शेष **Balances at the end of the Year**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**11684 16 40**		13108 94 79	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**9832 07 89**	**21516 24 29**	12123 22 61	25232 17 40
III. वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**(3715 93 11)**		(3983 21 01)
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

दीपेश देवचंद देढ़िया/DEEPESH DEVCHAND DEDHIA
सहायक महा प्रबंधक /Asst. General Manager

जी मोहन राव/G MOHAN RAO
महा प्रबंधक /General Manager

एस कृष्णन/S KRISHNAN
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव/CH S S MALLIKARJUNA RAO
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

मेलविन रेगो/MELWYN REGO
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/MANAGING DIRECTOR & CEO

अजय विपिन नानावटी/AJAY VIPIN NANAVATI
अध्यक्ष/Chairman

"उसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार/In terms of our report of even date attached"

कृते **मणियन एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001983एस)
रविन्द्र सी.
साझेदार
सदस्यता सं.: 213658

कृते **एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001545सी)
अविचल एसएन कपूर
साझेदार
सदस्यता सं.: 400460

कृते **अगस्ती एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 313043ई)
बी. अगस्ती
साझेदार
सदस्यता सं.: 051026

कृते **वैतीश्वरन एंड कंपनी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 04494एस/एस200037)
आर. कृष्णन
साझेदार
सदस्यता सं.: 014281

कृते **जे.एस.उबेरॉय एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 111107 डब्ल्यू)
नितिन सारदा
साझेदार
सदस्यता सं.: 108392

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 15.05.2018

For **MANIAN & RAO**
Chartered Accountants
(FRN : 001983S)
RAVINDRA C.
Partner
Membership No. 213658

For **S. N. KAPUR & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
(FRN : 001545C)
AVICHAL SN. KAPUR
Partner
Membership No. 400460

For **AGASTI & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
(FRN : 313043E)
B. AGASTI
Partner
Membership No.051026

For **VAITHISVARAN & CO LLP**
Chartered Accountants
(FRN : 004494S/S200037)
R. KRISHNAN
Partner
Membership No.014281

For **J.S. UBEROI & CO.**
Chartered Accountants
(FRN : 111107W)
NITIN SARDA
Partner
Membership No.108392

Place: Bengaluru
Date : 15.05.2018

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र/BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	नोट सं. Notes No.	As at दि. 31.03.2018 को	As at दि. 31.03.2017 को
I **इक्विटी और देयताएं/EQUITY AND LIABILITIES**			
1 **शेयरधारकों की निधि/Shareholders Funds:**			
ए /a) शेयर पूँजी/Share Capital	3	**2,500,000**	2,500,000
बी/b) आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	4	**145,576,797**	126,958,929
2 **आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन पत्र की राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENTS**		**–**	–
3 **गैर–चालू देयताएं/NON-CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) दीर्घावधि उधार/Long Term Borrowings			
बी/b) आस्थगित कर देयताएं (निवल)/Deferred Tax Liabilities (Net)			
सी/c) अन्य दीर्घावधि देयताएं/Other Long Term Liabilities			
डी/d) दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions	5	**2,510,159**	2,274,609
4 **चालू देयताएं/CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) अल्पावधि उधार/Short Term Borrowings			
बी/b) व्यापार देय राशि/Trade Payables			
सी/c) अन्य चालू देयताएं/Other Current Liabilities	6	**2,856,195**	3,858,213
डी/d) अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions	7	**619,400**	619,400
कुल/TOTAL		**154,062,551**	136,211,151
II **आस्तियां/ASSETS**			
1. **गैर–चालू आस्तियां/NON-CURRENT ASSETS**			
ए /a) अचल आस्तियां/Fixed Assets			
(i) मूर्त आस्तियां/Tangible Assets	8	**167,429**	304,016
(ii) अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets		**–**	–
(iii) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital Work in Progress		**–**	–
(iv) अमूर्त आस्तियां जो प्रक्रियाधीन है/Intangible Assets under Development		**–**	–
बी/ b) गैर–चालू निवेश/Non-Current Investments		**–**	–
सी/c) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Asset (Net)	9	**1,061,828**	995,260
डी/d) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances	10	**1,500**	1,500
ई/e) अन्य गैर–चालू आस्तियां/Other Non-Current Assets			
2. **चालू आस्तियां/CURRENT ASSETS**			
ए /a) चालू निवेश/Current Investments		**–**	–
बी/ b) माल सूची/Inventories		**–**	–
सी/c) व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivables	11	**1,512,021**	4,609,126
डी/d) नकद और नकदी समतुल्य राशि /Cash and Cash Equivalents	12	**149,847,419**	128,744,211
ई/e) अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances	13	**1,067,684**	470,380
एफ/f) अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets	14	**404,670**	1,086,658
कुल/TOTAL		**154,062,551**	136,211,151
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	2		
इसमें उल्लिखित नोट तुलन पत्र का अभिन्न भाग बनते हैं/Notes referred to herein forms an integral part of Balance Sheet			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(मेलविन रेगो/Melwyn Rego)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव/CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
अध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(एस. कृष्णन्/S. Krishnan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(छवि कांत मिश्र/Chhavi Kant Mishra)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

तारीख/Date : 11.05.2018
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)
Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2018

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	ब्यौरे/PARTICULARS	नोट सं. Notes No.	2017-18	2016-17
I.	**परिचालन से प्राप्त राजस्व/Revenue From Operations**	15	**34,267,837**	71,593,638
II.	**अन्य आय/Other Income**	16	**9,189,316**	7,479,131
III.	**कुल राजस्व/Total Revenue**		**43,457,153**	79,072,769
IV.	**व्यय/Expenditure :**			
	वेतन और भत्ते/Salary & Allowances	17	**7,690,562**	7,314,232
	परिचालन व्यय/Operational Expenses	18	**9,896,348**	28,367,417
	मूल्यह्रास/Depreciation	8	**81,322**	263,865
	बट्टे खाते में डाले गए अग्रिम आयकर के अंतर्गत धन वापसी Refunds under Advance IT Written off		**-**	221,016
V.	**कुल व्यय/Total Expenses**		**17,668,232**	36,166,530
VI.	**कर से पहले लाभ/Profit Before Tax**		**25,788,921**	42,906,239
VII.	**कर संबंधी व्यय/Tax Expenses**			
	– चालू कर/Current Tax		**7,182,356**	13,969,665
	– आस्थगित कर/Deferred Tax		**(66,568)**	(185,806)
VIII.	**उक्त अवधि के लिए लाभ/Profit for the Period**		**18,673,133**	29,122,380
IX.	ईपीएस – मूल और ह्रासमान (अंकित मूल्य ₹ 10/-) EPS – Basic and Diluted (Face value of ₹10/-)		**74.69**	116.49
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts	2		
	इसमें उल्लिखित नोट, लाभ व हानि लेखे का अंतिम भाग बनते हैं Notes referred to herein forms an integral part of Profit and Loss Account			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(मेलविन रेगो/Melwyn Rego)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव/CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(एस. कृष्णन्/S. Krishnan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(छवि कांत मिश्र/Chhavi Kant Mishra)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

तारीख/Date : 11.05.2018
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)
Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)
टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं
NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	दि. **31.03.2018** को **AS AT 31.03.2018**	दि. 31.03.2017 को AS AT 31.03.2017
नोट सं./Note No. 3: शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL		
प्राधिकृत/Authorised :		
1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10/1,00,00,000 equity shares of ₹10 each	**100,000,000**	100,000,000
(पी.वाई. 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10)/(P.Y. 1,00,00,000 equity shares of ₹10 each)		
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/Issued, subscribed and paid up Capital		
2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid	**2,500,000**	2,500,000
(पी.वाई. 2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त)/(P.Y. 2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid)		
उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेटबैंक तथा इसके नामिती द्वारा धारित हैं/All the above shares are held by SyndicateBank and its Nominees		
कुल/Total	**2,500,000**	2,500,000

नोट सं. /NOTE 3.01: शेयरों की संख्या का समाधान/Reconciliation of number of Shares

विवरण/Particulars	ईक्विटी शेयर /Equity Shares	
	दि. **31.03.2018** को **AS AT 31.03.2018**	दि. 31.03.2017 को AS AT 31.03.2017
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर/ Shares outstanding at the beginning of the year	**250,000**	250,000
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर/Add: Shares Issued during the year	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान खरीदे गए शेयर/ Less: Shares bought back during the year	-	-
वर्ष 31.03.2018 की समाप्ति पर बकाया शेयर/Shares outstanding at the end of the year 31.03.2018	**250,000**	250,000

नोट सं./NOTE 3.02: शेयरों से जुड़े अधिकांश अधिमान एवं प्रतिबंद Rights, preferences and restrictions attached to shares

ईक्विटी शेयर ए पुर्णत प्रदत 10/- रूपये प्रति के 2,50,000 ईक्विटी शेयर। प्रत्येक शेयर धारक को लाभांश अधिकारों, मतदान अधिकारों एवं समापन अधिकारों के सभी संबंधों में एक समान देखा जाएगा। Equity Shares: a) 2,50,000 Equity shares of Rs 10/- each fully paid. Each shareholder is shall rank pari-pasu in all respects relating todividend rights, voting rights , and winding up rights.

नोट सं./Note No. 4: आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus		
सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**16,111,730**	13,199,492
जोडें: विवरण में अधिशेष से अंतरित रकम Add: Amount transferred from Surplus Balance in the Statement	**1,867,313**	2,912,238
इतिशेष/Closing Balance	**17,979,043**	16,111,730
लाभ व हानि लेखा विवरण में अधिशेष/Surplus in the Statement of Profit and Loss:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**110,847,199**	84,637,057
वर्ष के लिए लाभ/Profit for the Year	**18,673,133**	29,122,380
घटाएं/Less: विनियोजन/Appropriations		
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to General Reserve	**1,867,313**	2,912,238
घटाएं : पूर्व अवधि के लिए लेखांकित अतिरिक्त मूल्यहास का कृत संशोधन Less:-Excess Deprn accounted for earlier period rectified	**55,265**	
लाभ व हानि लेखा विवरण में निवल अधिशेष/Net Surplus in the Statement of Profit and Loss A/c	**127,597,754**	110,847,199
नोट सं./Note No. 5: दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions		
उपदान के लिए प्रावधान/Provision for Gratuity	**2,510,159**	2,274,609
कुल/Total	**2,510,159**	2,274,609
नोट सं./Note No. 6: अन्य चालू देयताएँ/Other Current Liabilities		
पीएफ में प्रबंधन का अंशदान/Mgmt. cont. PF	**1,383,823**	1,071,086
व्ययों के लिए लेनदार/Creditors for Expenses	**969,870**	2,716,127
देय आय कर/Income Tax Payable	**31,000**	71,000
देय टीडीएस/TDS Payable	**18,360**	
उचंत व्यावसायिक कर/Professional Tax Suspense	**1,200**	
उचंत/Suspense	**451,942**	
कुल/Total	**2,856,195**	3,858,213
नोट सं./Note No. 7: अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for Leave Encashment	**619,400**	619,400
कुल/Total	**619,400**	619,400

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

नोट सं./Note No. 8 : अचल आस्तियाँ/Fixed Assets

ब्यौरे/Particulars	सकल खण्ड/Gross Block				मूल्यह्रास खण्ड/Depreciation Block					निवल खण्ड/Net Block	
	दि. 01.04.2017 को शेष राशि Balance as on 01.04.2017	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	**दि. 31.03.2018 को शेष राशि Balance as on 31.03.2018**	दि. 01.04.2017 को प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2017	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate	वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the Year	Excess Depren Earlier Period Reversed	**दि. 31.03.2018 को शेष राशि Balance as on 31.03.2018**	दि. 31.03.2017 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2017	**दि. 31.03.2018 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2018**
मूर्त आस्तियाँ: Tangible Assets:											
फर्नीचर/Furniture	87,214	-		**87,214**	**78,214**				**78,214**	9,000	**9,000**
विद्युत जुडनार Electrical Fittings	24,450	-		**24,450**	**22,450**				**22,450**	2,000	**2,000**
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स Computer & Pheripherals	**794,886**	-		**794,886**	**730,837**		16,012	26,955	**773,804**	64,049	**21,082**
मोबाइल फोन Mobile Phones	19,800	-		**19,800**	**16,200**		3,600	-	**19,800**	3,600	**-**
वैक्यूम क्लीनर Vacuum Cleaner	-	-		**-**	-		-	-	-	-	**-**
मोटर कार/Motor Car	644,570	-		**644,570**	**419,203**		61,710	28,310	**509,223**	225,367	**135,347**
कुल/Total	**1,570,920**	-		**1,570,920**	**1,266,904**		**81,322**	**55,265**	**1,403,491**	**304,016**	**167,429**
पिछला वर्ष Previous Year	**1,526,633**	-		**1,526,633**	**919,875**		172,891	-	**1,092,766**	606,758	**433,867**

नोट सं./Note No. 9: आस्थगित कर/DEFERRED TAX

	आयकर अधिनियम के अनुसार As Per Income Tax Act	**वित्तीय विवरणियों के अनुसार As per Financial Statements**	**समयांतराल Timing Difference**	**समयांतराल पर कर Tax on Timing Difference**
निम्नलिखित के कारण अस्थाई अंतर Temporary Difference on Account of				
(i) मूल्यह्रास / Depreciation	75,269	81,322	(6,053)	1668
(ii) उपदान हेतु प्रावधान / Provision For Gratuity	0	235,550	-235,550	64900
(iii) छुट्टी भुनाने हेतु प्रावधान / Provision For Leave Encashment	0	0	0	0
वर्ष के लिए आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset for the Year				**66568**
Deferred Tax Asset as on 01-04-2017 / दि. 01-04-2017 की स्थिति में आस्थगित कर आस्ति				**995260**
दि. 31-03-2018 की स्थिति में आस्थगित कर आस्ति Deferred Tax Asset as on 31-03-2018				**1061828**

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यह्रास का परिकलन/Calculation of depreciation under Income Tax Act, 1961

ब्यौरे/Particulars	**दि. 01.04.2017 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 01.04.2017**	**वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year**	**वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year**	**दि. 31.03.2018 को शेष राशि Balance as on 31.03.2018**	**मूल्यह्रास की दर Depn. Rate**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास Depreciation for the Year**	**दि. 31.03.2018 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2018**
फर्नीचर/Furniture	36913.00	0.00	0.00	36913.00	10.00%	3691.00	33222.00
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स/Computer & pheripherals	23940.00			23940.00	40.00%	9576.00	14364.00
संयंत्र एवं मशीनरी/Plant & machinery	413346.00			413346.00	15.00%	62002.00	351344.00
कुल/Total	**474199.00**	**0.00**	**0.00**	**474199.00**		**75269.00**	**398930.00**

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2018 को	As at दि. 31.03.2017 को
नोट सं./Note No. 10: दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances		
दूरभाष जमा/Telephone Deposits	**1,500**	1,500
कुल/Total	**1,500**	1,500
नोट सं./Note No. 11: व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivable		
(बेजमानती, अच्छे समझे गए और छह महिने से कम)/(Unsecured, Considered good and less than six months)		
सिंडिकेटबैंक/SyndicateBank	**1,384,532**	2,648,458
अन्य/Others	**127,489**	1,960,668
कुल/Total	**1,512,021**	4,609,126
नोट सं./Note No. 12: नकद और नकदी समतुल्य राशि/Cash and Cash Equivalents		
नकदी शेष/Cash in Hand	–	–
अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Scheduled Banks		
मीयादी जमाराशि में/In Term Deposit	**145,200,000**	124,093,614
चालू खाते में-सिंडिकेटबैंक/In Current A/c – SyndicateBank	**4,647,419**	4,650,598
कुल/Total	**149,847,419**	128,744,212
नोट सं./Note No. 13: अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances		
कर्मचारी त्योहार अग्रिम/Staff Festival Advance	**86,590**	411,290
पूर्वदत्त बीमा/Prepaid Insurance	**7,125**	8,420
अग्रिम आय कर/टीडीएस/Advance Income Tax/TDS	**973,969**	50,670
कुल/Total	**1,067,684**	470,380
नोट सं./Note No. 14: अन्य चालू आस्तियाँ/Other Current Assets		
जमाराशियों पर उपचित ब्याज/Interest Accrued on Deposits	**394,652**	398,335
प्राप्य सेवा कर/Service Tax Receivable	**10,018**	688,323
कुल/Total	**404,670**	1,086,658

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं
NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	2017-18	2016-17
नोट सं./Note No. 15: परिचालन से प्राप्त राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS		
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges	**4,684,024**	5,843,463
अनियमित खुदरा ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार/Service charges for follow-up of Irregular Retail Loans	**13,640,264**	15,964,975
मेलर प्रेषण राजस्व/Mailer Despatch Revenue		
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**1,608,012**	36,356,992
ई-फाइलिंग से प्राप्त आय/E-Filing Income		
सीएमएस-एसएमएस से प्राप्त आय/CMS-SMS Income		
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से प्राप्त आय/Internet Banking Password Income	**5,032,643**	4,248,165
कियोस्क वसूली से प्राप्त आय/KIOSK Collection Income	**4,362,742**	4,534,419
समाशोधन चेक वापसी नोटिस आय/Clg Cheque Ret. Notices Income		
विविध सेवा से प्राप्त आय/Miscellaneous Service Income	**512,235**	17,956
आउटसोर्सिंग आय/Outsourcing Income	**4,427,917**	4,627,668
कुल/Total	**34,267,837**	71,593,638
नोट सं./Note No. 16: अन्य आय/OTHER INCOME		
बैंक ब्याज/Bank Interest	**9,189,316**	7,479,131
कुल/Total	**9,189,316**	7,479,131
नोट सं./Note No. 17: वेतन और भत्ते/SALARY AND ALLOWANCES		
कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries	**6,492,363**	6,014,838
पेंशन, भविष्य निधि और अन्य को अंशदान/Contribution to Pension, Provident and other Funds	**312,737**	359,865
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity and Leave Encashment	**235,550**	430,442
अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & perquisites	**503,581**	433,065
कर्मचारी कल्याण अतिरिक्त लाभ/Staff Welfare Additional benefit	**146,331**	76,022
कुल/Total	**7,690,562**	7,314,232
नोट सं./Note No. 18: परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES		
कार्ड वैयक्तीकरण व्यय/Card Personalisation expenses	**873,181**	18,979,540
ई-फाइलिंग प्रभार/E-Filing charges	**54,353**	9,418
बैंक प्रभार/Bank charges	**0**	0
इंटरनेट बैंकिंग लेखन सामग्री व्यय/Internet Banking Stationary Expenses	**262,500**	351,423
खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय /Retail Loan Follow up expense	**954,735**	1,277,421
दूरभाष प्रभार/Telephone charges	**54,761**	128,388
पंजीकरण और नवीकरण/Registration and Renewals	**5,000**	5,000
फाइलिंग शुल्क/Filing fees	**9,207**	11,700
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/Auditor's Remuneration:		
लेखा परीक्षा शुल्क/Audit fees	**25,125**	25,000
कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees	**25,000**	20,100
लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses	**5,000**	1,868

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	2017-18	2016-17
एसएमएस प्रभार/SMS Charges	**79,733**	102,619
यात्रा व्यय/Travelling Expenses	**97,962**	116,577
वाहन रख-रखाव व्यय/Vehicle Maintenance Expenses	**191,288**	172,975
सफाई व्यय/Cleaning expenses	**0**	33,360
कार बीमा/Car Insurance	**9,846**	9,503
डाक व्यय/Postal expenses	**3,903**	5,050
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**37,304**	67,548
विराम और वाहन व्यय/Halting & Conveyance	**68,253**	61,229
कार्यालय का किराया/Office Rent	**312,000**	336,000
आंकड़ा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry Charges	**959,540**	495,423
कंप्यूटर का रख-रखाव/Computer Maintenance	**47,149**	29,900
विविध व्यय/Miscellaneous Expenses	**51,761**	84,616
विद्युत प्रभार/Electricity Charges	**36,000**	36,000
डाक व्यय/Postal Charges	**5,267**	0
कियोस्क वसूली व्यय/KIOSK Collection Expenses	**2,941,854**	3,063,122
बैठक और सम्मेलन व्यय/Meeting and Conference expenses	**0**	13,836
आउटसोर्सिंग व्यय/Outsourcing Expenses	**2,748,262**	2,890,820
बट्टे खाते में डाले गए कर व्यय/Tax Expenses written off	**37,364**	221,016
मरम्मत/Repairs	**0**	38,982
कुल/Total	**9,896,348**	28,588,434

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(मेलविन रेगो/Melwyn Rego)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव/CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(एस. कृष्णन्/S. Krishnan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(छवि कांत मिश्र/Chhavi Kant Mishra)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

तारीख/Date : 11.05.2018
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

अनुसूची सं. 2: लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. **महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ**

ए. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

इन वित्तीय विवरणों को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है ।

बी. राजस्व की पहचान

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है । समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है । नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर/जीएसटी घटाने के बाद की जाती है ।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर को गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है ।

सी. अचल आस्तियाँ

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है ।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है ।

डी. मूल्यह्रास

i) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट मूल्यह्रास नीति को अपनाया है। पिछली अवधि के लिए प्रभारित मूल्यह्रास की अतिरिक्त राशि ₹55265/- को इस वित्तीय वर्ष 2017-18 के आरक्षित निधि एवं अधिशेष से समायोजित किया गया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके अभिग्रहण की तारीख को प्रचलित दरों पर आनुपातिक आधार पर किया गया है।

ई. आस्तियों की हानि

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है। यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है ।

एफ. कराधान

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है । आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन-पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखे में की गयी है । आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सके । पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस

Schedule No. 2 : Notes to Accounts

1. **Significant Accounting Policies**

A. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

B. Revenue Recognition

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are Recognized net of Service Tax/GST.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

C. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

D. Depreciation

i) The Company has adopted the depriciation policy as specified in Schedule II of Companies Act, 2013 from the FY 2017-18. Excess amount of ₹55265/- depriciation charged for the earlier period adjusted from Reserves & Surpluses for this FY 2017-18.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

E. Impairment of Assets

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

F. Taxation

Tax expense comprises of current and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequenses attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the

सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी, जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सके ।

जी. खण्डवार रिपोर्टिंग

कंपनी, मुख्यतः सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकडों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है।

इन सभी सेवाओं में समान प्रकार के जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना। कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है।

एच. कर्मचारी लाभ

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेटबैंक के स्थायी कर्मचारी हैं और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । सभी कर्मचारी लाभ-भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपादान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेटबैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है।

आई. आकस्मिक देयताएं

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं हैं।

जे. प्रावधान

प्रावधानों की पहचान तभी की जाती है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके । प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है और मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है ।

के. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं की राशियों तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है । ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है ।

एल. प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है । हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया ह्रासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम ह्रासमान न हो ।

extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

G. Segment Reporting

The company operates as an outsourcing service provider to Syndicate Bank. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer despatch, creating various customer database and other services facilitating banking operations.

All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to Syndicate bank. There is no reportable geographical segment either.

H. Employee Benefits

All the staff of the company are permanent employees of Syndicate Bank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by Syndicate Bank.

I. Contingent liabilities

There are no contingent liabilities.

J. Provisions

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect ofwhich a reliable estimate can be made. Provsions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

K. Use of Estimates

The preparation of financial statements in confirmity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

L. Earning per share

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	2017-18	2016-17
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
सतत परिचालन के संबंध में कराधान से पहले लाभ/Profit before tax from continuing operations	**25,788,921**	42,906,239
कराधान से पहले लाभ और निवल नकदी प्रवाह के समाधान हेतु किया गया गैर नकदी समायोजन Non-cash adjustment to Reconcile Profit before tax to Net Cash Flows		
सतत परिचालनों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Continuing Operations	**81,322**	263,865
उपदान/छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Gratuity/Leave Encashment Provisions	**235,550**	1,851,205
कर व्यय अपलिखित/Tax Expenses Written Off	**37,364**	
आस्ति की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of Assets	**-**	-
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Leave Encashment Provision	**-**	103,332
ब्याज आय/Interest Income	**(9,189,316)**	(7,479,131)
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit before Working Capital Changes	**16,953,841**	37,645,510
कार्यशील पूंजी में उतार–चढ़ाव/Movement in Working Capital:		
व्यापार देय राशि में हुई वृद्धि/(कमी)/Increase/(decrease) in Trade Payable		
अन्य चालू देयताओं में हुई वृद्धि (कमी)/Increase/(decrease) in other Current Liabilities	**(1,002,018)**	2,974,277
व्यापार प्राप्य राशियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in trade receivable	**3,097,105**	3,477,602
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in long term loans and advances	**-**	
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in short term loans and advances	**(597,304)**	(213,575)
अन्य चालू आस्तियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in other current assets	**644,624**	1,644,278
परिचालनों से सृजित नकद/Cash Generated from Operations	**19,096,248**	45,528,095
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल वापसी)/Direct Taxes Paid (Net of Refund)	**(7,182,356)**	(13,718,040)
निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह/Net Cash Flow from Operating Activities	**11,913,892**	31,810,054
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from investing activities		
आस्ति की खरीदी/Purchase of Assets	**-**	-
आस्ति की बिक्री/बट्टा खाते में डाली गयी आस्ति/Sale of Assets/Asset Written off	**-**	718
प्राप्त ब्याज/Interest received	**9,189,316**	7,479,131
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from investing activities	**9,189,316**	7,479,849
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आगम राशि/Proceeds from issuance of share capital	**-**	-
वित्तीयन कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from financing activities	**-**	-
नकद और नकदी समतुल्य मदों में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	**21,103,208**	39,289,903
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the beginning of the year	**128,744,211**	89,454,308
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the end of the year	**149,847,419**	128,744,211
नोट: नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक – 3 में निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित है। **Notes:** Accounting Standard-3 on Cash Flow Statements as per the Companies Act, 2013.		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(मेलविन रेगो/Melwyn Rego)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव/CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
उपाध्यक्ष/Vice Chairman

ह/Sd/
(एस. कृष्णन्/S. Krishnan)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(छवि कांत मिश्र/Chhavi Kant Mishra)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

तारीख/Date : 11.05.2018
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

ईसीएस संबंधी परिपत्र

Circular regarding ECS

प्रिय शेयरधारक,

विषय: ईसीएस (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधे जमा।

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
   - ए) परेषण में हानि,
   - बी) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई,
   - सी) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समय से सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. **आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।**
4. ई सी एस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। इस लेन-देन को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट केन्द्रों में स्थित सभी बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से केवल ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक के लिए नया बैंक खाता खोलने की आवश्यक नहीं है क्योंकि शेयरधारक के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश निर्देश वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है तो ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा।
7. **निवेशकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में अपने निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) के साथ बैंक खाते ब्यौरे अद्यतन कराएं। कागज़ी रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में इसके साथ संलग्न ईसीएस अधिदेश फार्म प्रस्तुत करें।**
8. आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण और आपके बैंक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। कृपया पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित आई एफ एस सी कूट और एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।
9. सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रहीं है। हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे संलग्न ई सी एस अधिदेश में अपनी 14 अंकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को <u>**सीधे**</u> उनके खाते में जमा किया जा सके।
10. कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजंट अर्थात **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेटबैंक,** कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31 से 32, गचीबौली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032 को अग्रेषित करें।
11. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,

(सुशांत जैन)
कंपनी सचिव

दिनांक: 06.06.2018

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
   - a) Loss in transit,
   - b) Fraudulent encashment by third parties,
   - c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. **Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.**
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder.
6. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
7. **Investors are requested to update bank account details with their Depository Participants (DP) in respect of shares held in electronic form. ECS Mandate form annexed may be submitted in respect of shares held in physical form.**
8. We request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and certified by your Bank. Please attach a self-attested copy of PAN Card and a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the IFSC Code and MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.
9. All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/ Current/ Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the ECS Mandate for <u>DIRECT CREDIT</u> of dividend to their accounts.
10. Kindly send the ECS Form/ Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. Unit: Syndicate Bank,** Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli,Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032
11. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,

(Sushant Jain)
COMPANY SECRETARY

Date: 06.06.2018

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट)
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
(केवल कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के लिए ही प्रस्तुत किया जाए)

ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)
ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES
(to be submitted only in respect of shares held in physical form)

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट सं.31 से 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No. 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :
2. पता/Address :
3. मोबाइल संख्या/Mobile No. :
4. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :
5. ई-मेल आईडी /Email ID :
6. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

   ए) बैंक का नाम
   A) Bank Name :

   बी) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)
   B) Branch Name & City (Pin Code) :

   सी) खाता संख्या (जो चेक बुक पर लिखा गया है)
   C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

   डी) खाते का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)
   D) Account Type (Please tick) : ब.बैं. SB ☐ चालू Current ☐ नकदी उधार Cash Credit ☐
   (बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
   (SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

   ई) बैंक खाते का खाता बही पन्ना सं. (यदि चेक बुक पर दिया गया है)
   E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
   (If appearing on the Cheque Book) :

   एफ) बैंक द्वारा निर्गत एमआईसीआर चेक पर दिया हुआ बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या
   F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित 'चेक पन्ने' की एक फोटोप्रति या निरस्त किया हुआ एक कोरा चेक संलग्न करें।
Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा / DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही है। अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन में विलंब होता है या संपन्न ही नहीं होता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी ।
I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place :
दिनांक/Date :

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।
Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place :
दिनांक/Date :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of the Manager of Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का अवश्य उल्लेख करें ।
NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

अनुलग्नक: 1) एकल/प्रथम शेयरधारक के 'पैन' कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति ।
ENCL: Self-attested copy of PAN Card of the sole/first shareholder.

2) बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त किया गया चेक पन्ना ।
Copy of/Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

फॉर्म 2 बी

(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम..और...

और .... जो सिंडिकेटबैंक के फोलियो नं. ....

के अन्तर्गत शेयरधारक हूँ/हैं एतदद्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता/करती हूँ/करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे ।

नामिती का नाम और पता

नाम : ______________________________

पता : ______________________________

____

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक ______________________________

नाम और पता ______________________________

____

(** यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

दिनांक :

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

दिनांक:

गवाह का नाम, पता और हस्ताक्षर:

नाम और पता	दिनांक सहित हस्ताक्षर
1. ______________________________	
______________________________	______________________________
2. ______________________________	
______________________________	______________________________

अनुदेश:

1. नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है । यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे ।
2. नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए ।
3. सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझीदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है ।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा ।
5. नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
6. नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को वापस लौटा देंगे।

कार्यालय उपयोग हेतु

क्र. सं. .... नामांकन प्रपत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ

पंजीकरण सं. .... दिनांक: ....

टिप्पणी: ....

....

अनुलग्नक : पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

FORM 2B

(See rules 4 CCC and 5 D)

NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We..and..
and .... the holder(s) of shares under the Folio No. .... of SyndicateBank wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name : ____________________

Address : ____________________

____

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is ____________________

Name and Address: ____________________

____

(** To be deleted if not applicable)

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

....

Date :

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

Date :

Address, name and signature of witnesses :

Name and Address	Signature with date
1. ____________________	____________________
____________________	
2. ____________________	____________________
____________________	

Instructions:

1. The Nomination can be made by individuals only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination/nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL. NO. .... NOMINATION FORM RECEIVED ON ....

REGISTRATION NO. .... DATE: ....

REMARKS: ....

....

Encl : Self-attested copy of PAN Card

प्रिय शेयरधारक,

विषय: कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल: कागज़ रहित बनें

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (''मंत्रालय'') ने कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपरलेस अनुपालन अपनाकर कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में, उक्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 17/2011 दि. 21.04.2011 और 18/2011 दि. 29.04.2011 के अनुसार कंपनियाँ अब अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिसें/दस्तावेजों (वार्षिक आम बैठक से संबंधित बुलावा पत्र, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इत्यादि) को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती हैं।

समाज के व्यापक हित की दृष्टि से यह एक अनूठी पहल है। इस से कागज की खपत बहुत कम होगी और आम जनता के लिए हरा-भरा पर्यावरण प्रदान करने के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

बैंक के प्रत्येक शेयरधारक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसूचना प्राप्त करने के लिए केवल आपको अपना ई-मेल आई. डी. बैंक के पास पंजीकृत कराना होगा।

ई-मेल संसूचना के लिए पंजीकरण करने से मिलनेवाले लाभ

- संसूचना तत्काल प्राप्त होगी।
- कागज की खपत कम होगी और पेड़ों को बचाया जा सकता है।
- डाक प्रेषण के दौरान दस्तावेज के गुम होने से बचा जा सकता है।

यदि आप कोई अन्य ई-मेल आई.डी. पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो, कृपया उसे अपने डी.पी. में अद्यतन कराएं (यदि उसका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है तो) और (यदि आपके शेयर कागज़ी फार्म में है तो) **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राईवेट) लिमिटेड** के पास तत्काल अद्यतन करवाएं।

बैंक, वर्ष 2017-2018 की वार्षिक रिपोर्टें, उन निवेशकों के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा जिन्होंने उक्त सुविधा हेतु विकल्प दिए हैं ।

कृपया नोट करें कि यदि आप फिर भी सभी संसूचनाओं को कागज़ी रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो, बैंक उसे आपको नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

आइए, हम इस 'हरित पहल' (ग्रीन इनीशिएटिव) में सहभागी बनें।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

सुशांत जैन

(सुशांत जैन)

कंपनी सचिव

Date: 06.06.2018

Dear Shareholder,

RE: Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless

The Ministry of Corporate Affairs ("Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the circular bearing no.17/2011 dated 21.04.2011 and 18/2011 dated 29.04.2011 issued by the Ministry, companies can now send various notices /documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc) to their shareholders through electronic mode, to the registered email addresses of the shareholders

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a great extent and allow public at large to contribute towards a greener environment

This is also a golden opportunity for every shareholder of the Bank to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Bank. All you have to do is to register your e-mail id with the Bank to receive communication through electronic mode

ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION

- Receive communication promptly
- Reduce paper consumption and save trees
- Avoid loss of document in postal transit

In case you desire to have a different e-mail id to be registered, please update the same in your DP (if you are holding shares in electronic form) and with **M/s. Karvy Computershare (P) Ltd.**, UNIT: Syndicate Bank, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 -32, Gachibowli,Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 (if you are holding shares in physical form)immediately.

The Bank will be sending Annual Reports 2017-2018, to the investors who have opted through electronic mode to the registered email –IDs of the Investors.

Kindly note that if you still wish to get a physical copy of all the communications, the Bank undertakes to provide the same at no extra cost to you.

Let's be part of this 'Green Initiative'.

With warm regards

Yours faithfully,

(Sushant Jain)

COMPANY SECRETARY

Date: 06.06.2018

पते में परिवर्तन –अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु अनुरोध

सेवा में,

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट सं.: 31 से 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032

प्रिय महोदय,

विषय: पते में परिवर्तन

मैं/हम एतद्द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि पंजीकरण फोलियो सं. एस वाई एन .... के लिए मेरे/हमारे पते को अपने अभिलेखों में अद्यतन करें ।

पुराना पता	**नया पता**

शहर :

राज्य :

पिन कूट :

ई मेल आई डी :

दूरभाष संख्या :

आपके अनुरोध पर, मैं/हम इसके साथ पते के पहचान की स्व-प्रमाणित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे हैं ।

कृपया पुष्टि करें कि परिवर्तित पते को अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक:

भवदीय,

(________________________________)
प्रथम तथा संयुक्त धारक/कों के हस्ताक्षर
(पंजीकृत नमूने के अनुसार)

अनुलग्नक: 1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
2. पता प्रमाण (स्व-प्रमाणित दूरभाष बिल / नवीनतम बिजली बिल / पासपोर्ट / मतदान पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेन्स / बैंक पासबुक जिसमें पता हो, के पहले पृष्ठ की प्रमाणित प्रति आदि।

REQUEST FOR UPDATION OF RECORDS – CHANGE OF ADDRESS

To
Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No.: 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

Dear Sir,

Reg: Change of Address

I/We hereby request you to please update my/our change in address in your records for the Registered Folio No.: SYN..............................

<u>Old Address</u> **<u>New Address</u>**

City :

State :

Pin Code :

Email ID :

Phone No. :

As requested by you, I / We am / are attaching herewith self-attested copy of Proof of Address (POA) and self-attested copy of PAN Card.

Kindly confirm having recorded the changed address.

Date : Yours faithfully,

(______________________________)
Signature of the First and Jt. Holder(s)
(as per specimen Registered)

Enclosures:
1. Self-attested copy of PAN card.
2. Address Proof (Self-attested copy of Telephone Bill/Electricity Bill as on a recent date/Passport/Voters ID Card/Driving Licence/Attested copy of I page of Bank Passbook containing address, etc.)

सभी शेयरधारकों से अपील

प्रिय शेयरधारक,

संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (दि.16.10.2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार वे लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अंतरित किया जाना है। उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों को जो सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती हैं, उन्हें दि. 16.10.2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2009-2010 तक के अप्रदत्त लाभांश को भारत सरकार के आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है। **उन शेयरधारकों ने जिन्होंने अपने लाभांश वारंट, वर्ष 2010-11, 2011-2012, 2012-2013 एवं अंतरिम तथा वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 के अंतिम लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए सहायता हेतु बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र,कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु से संपर्क करें।**

सेबी ने अधिदेश दिया है कि लाभांश को निवेशकों के बैंक खाते में एनईएफटी/ऑन-लाइन के माध्यम से सीधे जमा करें । हमारा आपसे अनुरोध है **यदि कागज़ी रूप में शेयर रखें हैं तो** आप अपने बैंक खाते के ब्यौरे को पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और निरस्त चेक पन्ने के साथ-साथ इस रिपोर्ट में संलग्न ई सी एस अधिदेश में भरकर निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में बैंक के लाभांश को सीधे जमा करने में सुविधा हो।

''कंपनी सचिव, सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय, निवेशक संपर्क केंद्र, गाँधीनगर, बेंगलूरु – 560 009''.

यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखा गया है तो जिस डिपॉजिटरी सहभागी (डी पी) के पास डी मैट खाते को रखा गया है उसके पास अपने बैंक खाते के ब्यौरे अद्यतन करें।

भवदीय,

सुशांत जैन

(सुशांत जैन)
कंपनी सचिव

दिनांक : 06.06.2018

दूरभाष सं.: 080 22283030
ई-मेल आईडी : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in

Appeal to all Shareholders

Dear Shareholder,

RE: Unpaid Dividends

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund(IEPF) established under sub-section (1) of Section 125 of the Companies Act, 2013.In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16.10.2013.

Unpaid dividends till Final 2009-2010 have already been transferred to IEPF of Government of India. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants for the year(s) 2010-11,2011-2012, 2012-2013 and Interim and Final Dividend 2013-2014, 2014-2015 are requested to approach the Company Secretary at Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

SEBI has mandated credit of dividend directly to the Bank account of investors through NEFT /online. We request you to update Bank account details by submitting ECS Mandate annexed to this report along with self-attested copy of PAN Card and cancelled cheque leaf to our office at the following address, **if the shares are held in physical form**, to facilitate direct credit of future dividends of the Bank.

"The Company Secretary, Syndicate Bank, Corporate Office, Investor Relations Centre, Gandhinagar, Bengaluru 560 009"

If the shares are held in Electronic form, Address and Bank account details may be updated with the Depository Participant (DP) with whom Demat account is maintained.

Yours faithfully,

(Sushant Jain)
COMPANY SECRETARY

Date : 06.06.2018

Phone No. 080 22283030
Email ID : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in

बेंगलूरु में क्षेत्रीय प्रबंधकों/आंचलिक प्रबंधकों का सम्मेलन

Regional Managers' / Zonal Managers' Conference at Bengaluru

आपकी सभी वित्तीय आवश्यकताओं का समाधान

Financial solutions to meet all your needs!

Synd NIVAS

CASA
(Current & Savings Account)

Synd VAHAN

DEPOSIT RECEIPT

Fixed DEPOSIT

Head Office, Manipal

Synd VIDYA

Synd RD PLUS

Synd MSME

Synd DIGITAL PRODUCTS

Synd MORTGAGE

निरंतर प्रगतिशील उत्पादों और सेवाओं की संरचना के साथ आपकी संतुष्टि के लिए सदैव समर्पित

Ever-committed to your satisfaction
with an ever-growing range of products and services!

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण
Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

Toll Free No.: 1800 3011 3333 / 1800 208 3333 | www.syndicatebank.in